ग माला, खंड 6, अंक 22

सोमवार, 24 अप्रैल, 2000
4 वैशाख, 1922 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

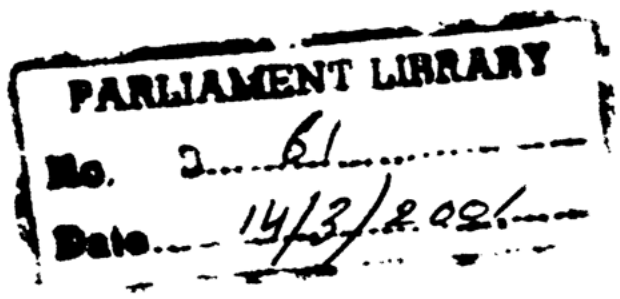
(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)



(खंड 6 में अंक 21 से 30 तक हैं)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ट
सहायक सम्पादक

संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 22, सोमवार, 24 अप्रैल, 2000/4 वैशाख, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 402 से 405 और 407	1–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 401, 406 और 408 से 420	30–70
अतारांकित प्रश्न संख्या 4349 से 4578	70–441
सभा पटल पर रखे गए पत्र	441–448
प्राक्कलन समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	448
शहरी तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति	
नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन	449
मानव संसाधन विकास सम्बन्धी स्थायी समिति	
नवासीवां, नब्बेवां, इक्यानवेवां और बानवेवां प्रतिवेदन	449
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्थायी समिति	
बहत्तरवें से अठहत्तरवां प्रतिवेदन	450
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	450–451
विधेयक–*पुर:स्थापित*	476–477
(एक) कीट नाशक (संशोधन) विधेयक	476
(दो) प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक	476
नियम 377 के अधीन मामले	477–480
(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर से और अधिक विमान सेवाएं आरम्भ किए जाने की आवश्यकता श्रीमती जयश्री बैनर्जी	477
(दो) नित्यानन्द नगर, घाटकोपर, मुम्बई में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि का कब्जा मूल भूस्वामियों को वापस दिलाने के सम्बन्ध में मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने की आवश्यकता श्री किरीट सोमैया	478

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	पचास सीटों वाले विमान का उपयोग कर कलकत्ता–शिलांग विमान सेवा पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.आर. किन्डिया	478
(चार)	देश में, विशेष रूप से बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालीन बुनकरों के कल्याण के लिए ठोस योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती श्यामा सिंह	478
(पांच)	बिहार में सीतामढ़ी स्थित दूरभाष केन्द्र का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री नवल किशोर राय	479
(छह)	तटीय अवसंरचना के समेकित विकास के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी.एम. बनातवाला	480
नियम 193 के अधीन चर्चा		
देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति		480–588
	प्रो. रासा सिंह रावत	481
	श्री शीश राम ओला	487
	श्री महबूब जहेदी	490
	श्री के. येरननायडू	492
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	496
	श्री पी.एस. गढ़वी	500
	डा. गिरिजा व्यास	503
	श्री अनंत गंगाराम गीते	510
	श्री राज बब्बर	513
	श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	516
	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	518
	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	526
	श्री बिक्रम केशरी देव	527
	श्री हन्नान मोल्लाह	531
	डा. सुशील कुमार इन्दौरा	533
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी	536
	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	541
	श्री पी.एच. पांडियन	543

विषय **कालम**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति 546

श्री ई. अहमद 549

श्री राजू राणा 551

श्री राम सागर 553

डा. जसवंत सिंह यादव 554

श्री राम रघुनाथ चौधरी 557

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 559

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 561

श्री के.पी. सिंह देव 561

श्री किशन सिंह सांगवान 564

सरदार बूटा सिंह 565

श्री राजेश पायलट 568

श्री मणिशंकर अय्यर 570

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु 575

श्री सुन्दर लाल पटवा 577

लोक सभा

सोमवार, 24 अप्रैल, 2000/4 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 401-अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, बिजली के ऊपर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन जिन माननीय सदस्यों के नाम पर यह प्रश्न है, वे उपस्थित नहीं हैं। दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली में आठ-आठ घंटे बिजली नहीं रहती है। इसलिए अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रॉसीजर नहीं है। प्रश्न संख्या 402।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

डाक टिकटें

*402. **श्री के. येरननायडू** :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के विख्यात व्यक्तियों की स्मृति में डाक टिकटें जारी करने हेतु किन-किन मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(ख) पिछले एक वर्ष में और इस वर्ष आज तक भारत के विख्यात व्यक्तियों के सम्मान में जारी स्मारक डाक टिकटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को स्वर्गीय श्री बासुदेव बलवंत फड़के और एन.टी. रामाराव के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

स्मारक डाक-टिकट जारी करने के मार्गदर्शी-सिद्धांतों में विनिर्धारित है कि:

(1) किसी व्यक्तित्व पर डाक-टिकट उसकी जन्मशती अथवा 10वीं/25वीं/50वीं/100वीं पुण्यतिथि पर जारी किए जाएं तथा वह व्यक्तित्व राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का हो।

(2) एक ही व्यक्तित्व पर एक से अधिक डाक-टिकट जारी न किए जाएं।

(3) व्यक्तियों पर जारी किए जाने वाले स्मारक डाक-टिकटों की संख्या वर्ष में जारी किए जाने वाले डाक-टिकटों की कुल संख्या से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले एक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक भारत के लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों के सम्मान में जारी किए गए स्मारक डाक-टिकटों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विभाग ने श्री बासुदेव बलवंत फड़के पर दिनांक 21.2.1984 को एक स्मारक डाक-टिकट पहले ही जारी कर दिया है। इस संबंध में हाल में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, विभाग को स्व. श्री एन.टी. रामाराव के सम्मान में एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। डाक-टिकट जारी करने के लिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके इस डाक-टिकट को जारी करने की तारीख निर्धारित की जा रही है।

अनुबंध

वर्ष 1999 के दौरान व्यक्तियों पर जारी किए गए डाक-टिकटों की सूची

नाम	जारी करने की तारीख
1	2
1. बीजू पटनायक	5.3.1999
2. डा. के.ब. हेडगेवार	18.3.1999
3. गुलजारीलाल नन्दा	4.7.1999

1	2
4. जिजाबाई	7.7.1999
5. पी.एस. कुमारस्वामी राजा	8.7.1999
6. बलाई चांद मुखोपाध्याय बनफूल	19.7.1999
भारत का स्वतंत्रता संग्राम (4 डाक-टिकटों का सेट)	15.8.1999
7. सरदार अजित सिंह	
8. स्वामी रामानन्द तीर्थ	
9. स्वामी केशवानन्द	
10. विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी	
11. कल्कि कृष्णमूर्ति	9.9.1999
भारत का भाषायी ऐक्य	14.9.1999
12. काज़ी नज़रूल इस्लाम	
13 रामधारी सिंह "दिनकर"	
14. झवेरचंद कालिदास मेघाणी	
15. रामवृक्ष बेनीपुरी	
16. आरती गुप्ता (साहा)	29.9.1999
भारत का प्रगति एवं विकास की ओर प्रयाण (चार डाक-टिकटों का सेट)	9.10.1999
17. डा. टि.एम.ए. पै	
18. ए.डी. श्राफ	
19. अ.ब. वालावलकर	
20. छगनलाल क. पारेख	
21. वीरपांड्या कट्टबोम्मन	16.10.1999
भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधुनिक संगीतविद् (दो डाक-टिकटों का सेट)	19.10.1999
22. उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब	
23. मुसिरी सुब्रह्मण्य अय्यर	

1	2
24. ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह, एम.वी.सी.	27.10.1999
स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक (चार डाक-टिकटों का सेट)	9.12.1999
25. ए. वैद्यनाथ अय्यर	
26. इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक	
27. डा. पंजाबराव देशमुख	
28. पी. कक्कन	

वर्ष 2000 के दौरान व्यक्तियों पर जारी किए गए डाक-टिकटों की सूची

1. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी	27.1.2000
शौर्य पुरस्कार विजेता : भारत गणराज्य के 50 वर्ष (पांच डाक-टिकटों का सेट)	28.1.2000
2. लांस नायक अल्बर्ट एक्का, पीवीसी	
3. कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, पीवीसी	
4. लांसनायक करम सिंह, पीवीसी, एमएम	
5. फ्लाइंग आफिसर निर्मल जीत सिंह शेखों, पीवीसी	
6. कैप्टन एम.एम. मुल्ला, एमवीसी	
व्यक्तित्व : जन्म शताब्दी (तीन डाक-टिकटों का सेट)	17.2.2000
7. जननायक अरूण कुमार चन्द	
8. बलवंतराय मेहता	
9. डा. हरेकृष्णा महताब	
10. डा. बूर्गुला रामकृष्णा राव	13.3.2000
11. पोट्टि श्रीरामुलु	16.3.2000
12. बसावन सिंह	23.3.2000

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : सबसे पहले मैं माननीय संचार मंत्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय एन.टी. रामाराव के सम्मान में स्मारक डाक टिकटों को जारी करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने का निर्णय किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से 28 मई को पड़ने वाली उनकी अगली वर्षगांठ पर हैदराबाद में डाक टिकट जारी करने का अनुरोध करता हूं। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़े पैमाने पर 'महानाडू' आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि अगले महीने की 28 तारीख को, जोकि उनकी वर्षगांठ है, डाक टिकट जारी करें।

श्री रामविलास पासवान : इसमें कोई अड़चन नहीं है।

श्री के. येरननायडू : तो, फिर ठीक है।

माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे विभिन्न व्यक्तियों के सम्मान में ये डाक-टिकटें जारी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के नाम पर डाक-टिकट जारी करने का विचार कर रही है। देश में कई लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं और जो सौ वर्ष या डेढ़ सौ वर्ष को पूरा करने वाले हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका सुझाव है?

श्री के. येरननायडू : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, जहां-जहां से हमारे पास निवेदन आते हैं, उन पर हम विचार करते हैं और डाक टिकट जारी करते हैं, लेकिन पहले उन यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी तो हमारे पास रिक्वैस्ट आनी चाहिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि देश के विभिन्न राज्यों में कई स्वतंत्रता सेनानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नाटककारों और बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम और काम जिन्होंने देश के लिए किए हैं, उनके नाम पर और उनकी कलाकृतियों पर डाक किट जारी किए जाते है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के प्रबोधनकार केशव सीता राम जी ठाकरे के बारे में पूछना चाहता हूं। वे बहुत बड़े कवि थे, नाटककार थे, साहित्यकार थे, लेखक थे और इसके अलावा उन्होंने देश की स्वतंत्रता में भी योगदान दिया है। उनके सामाजिक कार्य पूरे महाराष्ट्र में विख्यात हैं। उन्होंने परमपूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी कार्य किया था, वे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हस्ती हुई हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि प्रबोधनकार केशव सीता राम ठाकरे जी का टिकट निकालने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उनके नाम से डाक टिकट कब तक जारी करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि देश की जो भी महान् विभूति हैं, चाहे वे कल्चर के क्षेत्र में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, उनके ऊपर हम डाक टिकट जारी करते हैं और जहां-जहां से रिक्वैस्ट आती है उसके ऊपर हमारे मंत्रालय की फिलैटैलिक एडवाइजरी कमेटी विचार करती है, उनके संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों को देखने का काम करती है और उसके ऊपर निर्णय लेती है। उसके अलावा भी जहां-जहां से स्पेशल रिक्वैस्ट आती है, उन प्रकरणों में मानदंडों को शिथिल करके डाक टिकट जारी करने का काम हम करते हैं क्योंकि हम स्वयं चाहते हैं कि जो महान् पुरुष हैं, विभूतियां हैं, उनकी जितनी कृतियां हैं, उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए जाएं। जहां तक संभव होता है, इस संबंध में हम पाजीविट रुख अपनाते हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से प्रबोधनकार केशव सीता राम ठाकरे जी के बारे में पूछा था कि उनके संबंध में डाक टिकट निकालने का कोई प्रस्ताव उनके पास आया है या नहीं और यदि नहीं आया है और हम भेजें, तो क्या उनका डाक टिकट निकालेंगे?

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, आप भेज दीजिए। हम उसके ऊपर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : डाक-टिकटों को जारी किए जाने के बारे में कुछ मार्ग-निर्देश थे जोकि 1991-92 में निर्धारित किए गए थे। ऐसे कुछ अधिकारी हुए थे जिन्होंने सेवा में रहते हुए ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह किया था और उनमें से कुछ को गोली मार दी गई थी। एक प्रकार के मार्गनिर्देशों में यह उल्लिखित है कि ऐसे व्यक्तियों को 'फर्स्ट डे कवर' मिलेगा या उनके नामों पर प्राथमिकता के आधार पर डाक-टिकट जारी किया जाएगा। यह कार्य जारी था और मैं नहीं जानता हूं कि कितना काम हुआ है। क्या मैं माननीय गृह मंत्री से जान सकता हूं क्या इन मार्गनिर्देशों का अनुपालन जारी है और यदि हां तो इस प्रकार कितने मामले शेष हैं? आपके पास इस समय ब्यौरा नहीं हो सकता है, परन्तु आप पता लगा सकते हैं अभी ऐसे बहादुर व्यक्तियों के नाम बाकी बचे हैं, जिन पर अभी तक डाक-टिकट जारी नहीं किए गये हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। यदि कोई ऐसी गाइड लाइन थीं और उनमें यह था कि जो ब्रिटिश सरकार के समय लड़ते हुए मारे गए, उनके डाक टिकट जारी किए जाएं और पहले यह नियम चल रहा था तो उसको जारी रखा जाएगा।

श्री राजेश पायलट : सिद्धांत रूप में क्या आप इससे सहमत हैं?

श्री राम विलास पासवान : जी हां। हम उसको देख लेंगे।

श्री पी.एस. गढ़वी : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के एक बहुत ही लब्धप्रतिष्ठ कवि थे उनका नाम दूल्हाभाया काग था। उनकी बर्थ एनीवर्सरी अगले वर्ष आने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या गुजरात सरकार ने उनकी पुण्य तिथि पर डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है। यदि कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है और यदि उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव मैं आपको दूं, तो क्या आप उनकी बर्थ एनीवर्सरी पर उनका डाक टिकट जारी करेंगे। क्योंकि वे बहुत प्रसिद्ध लोक कवि थे, वे गांधी जी के साथ रहे और क्या मंत्री महोदय का विचार उनका डाक टिकिट जारी करने का है या नहीं?

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, भेज दीजिए। हम जरूर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, कुछ दिन पहले, मैंने श्री सतीश सामनाथ, जोकि स्वतंत्रता संग्राम के महान गणमान्य विभूति थे, का स्मारक डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने ताम्रलिप्ता जातीय सरकार, एक समानान्तर सरकार, जोकि 21 महीने चली थी, का गठन भी किया था। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं क्या वे श्री सतीश सामनाथ, जो न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे अपितु 30 वर्षों तक संसद सदस्य भी थे, के सम्मान में डाक-टिकट जारी किए जाने वाले प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, हमारे पास जितनी भी रिक्वैस्ट आती हैं, जितनी भी मांगें आती हैं, उन सभी पर विचार किया जाता है और इस कार्य हेतु बनी फिलाटैलिक समिति उन सभी पर विचार करती है। जैसा मैंने कहा हमारी कोशिश रहती है कि देश की जितनी भी महान विभूतियां हैं, जो भी महान् हस्तियां हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में महान् कार्य किए हैं, चाहे फिर वह कला का क्षेत्र हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो या कोई और क्षेत्र हो, जिनका नाम रहा है, उनके डाक टिकिट जारी करने के संबंध में पाजीविट रुख अपनाया जाए, हमारा यही प्रयास रहता है। माननीय सदस्य ने लिखकर प्रधान मंत्री को दिया हुआ है। हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार के गौरव और आजादी के महान् योद्धा, 1857 में युद्ध करने वाले 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह के नाम पर क्या वे डाक टिकट जारी करना चाहते हैं या मंत्रालय में जो फिलेटैलिक कमेटी इस कार्य हेतु बनी हुई है वह उनके नाम पर डाक टिकिट जारी करने का विचार रखती है?

श्री राम विलास पासवान : हम पता लगायेंगे कि वीर कुंवर सिंह जी के ऊपर टिकट जारी हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो उन पर डाक टिकट जारी कर दिया जायेगा।

श्री विजय गोयल : मंत्री जी किसी को 'न' नहीं बोल रहे।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा ही नियम है।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि बिहार में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर डाक टिकट जारी करने का क्या उन्हें कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि हुआ है तो आप उन पर कब तक डाक टिकट जारी करने वाले हैं?

श्री राम विलास पासवान : उनके ऊपर डाक टिकट शायद जारी हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत मामलों के बारे में माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय को लिख सकते हैं।

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, हम उन सभी महान व्यक्तियों के नामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम या राजनीति से जुड़े हैं। मैं जानना चाहती हूं क्या सरकार अन्य लोगों जैसे कवियों और लेखकों का भी सम्मान डाक-टिकटों के माध्यम से करेंगी। मैं यह भी जानना चाहूंगी क्या सरकार को विख्यात लेखक श्री नीरद सी. चौधरी के नाम से एक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव बंगाल से मिला है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा कि यदि माननीय सदस्य चाहें और आपका डायरेक्शन हो तो जितने महानुभावों के नाम पर डाक टिकट जारी हुए हैं, उन सबकी लिस्ट हम यहां रख देंगे। जिन लोगों का किसी इंडीविजुअल का, यानी हर स्टेट में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इन नामों की सिफारिश कौन करते हैं?

[हिन्दी]

प्रस्ताव किसको भेजना है, वह बताइये।

श्रीमती कृष्णा बोस : क्या स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है?

श्री राम विलास पासवान : इसकी एक कमेटी है। जो संस्थायें होती हैं, वे उससे रिक्वैस्ट करती हैं। उसके ऊपर हम विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसे प्रस्ताव भेजना होता है? क्या वह राज्य सरकार है या निजी संगठन है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जैसा कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में या रविन्द्र नाथ टैगोर जी के बारे में है, जिन लोगों के नाम पर डाक टिकट निकल चुका है, वह ठीक है लेकिन जिनके ऊपर डाक टिकट जारी नहीं हुए हैं, उनसे संबंधित कुछ संस्थायें होती हैं, यदि उन संस्थाओं के द्वारा हमारे पास रिक्वैस्ट आती है तो उसके आधार पर हम विचार करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : क्या राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए?

श्री राम विलास पासवान : यह आवश्यक नहीं है कि केवल राज्य सरकार ही प्रस्ताव भेजें।

[हिन्दी]

कोई संस्था हमें डायरेक्ट भेज सकती है। उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो सूची प्रस्तुत की है, उसमें सीरियल नम्बर 13 और 15 में दिखाया गया है कि इन व्यक्तियों पर डाक टिकट जारी किये गये हैं। लेकिन इसमें यह नहीं दिखाया गया है कि वे किस तिथि को जारी हुए हैं, इस बारे में हमें शंका है। इसी तरह श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' जो सांसद के साथ-साथ राष्ट्र कवि भी कहलाये, दूसरे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी भी एक साहित्यकार थे, उनके नाम पर कब डाक टिकट जारी हुए, उसकी तिथि इसमें नहीं है। इसलिए हमें शंका लगती है कि उनके नाम का डाक टिकट स्वीकृत हुआ होगा लेकिन जारी नहीं हुआ। ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं तथा राष्ट्र के नायक हैं। इनके ऊपर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि आप इन पर डाक टिकट शीघ्र जारी करायें।

श्री राम विलास पासवान : जिनके ऊपर डाक टिकट जारी हो गये हैं, उनकी डेट बतलानी है तो हम आपको डेट बता देंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. किन्डिया : महोदय, पूर्वोत्तर के अनेक व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानियों के पराक्रम पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए संचार मंत्रालय में अनुरोध-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से एक जंतिया पहाड़ियों के यू. कियंग भी थे। उन्होंने 1862 में ब्रिटिशर्स से संघर्ष किया था। अंततः उन्हें ब्रिटिशों द्वारा पकड़ लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। हम माननीय मंत्री महोदय से इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : सरकार अवश्य ही इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

बाघों का शिकार

+
***403. श्री भीम दाहाल :**
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 2000 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "टाइगर इज गेम अगेन फार ट्राफी-हंटर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) बाघों को मारने में शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बाघों का शिकार "प्रोजेक्ट टाईगर योजना" के अन्तर्गत सारे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बांधवगढ बाघ रिजर्व के अधिकारियों ने दिनांक 8.3.2000 को स्टार टी वी में दिखाए गए फोटोग्राफ के आधार पर इस मामले की जांच की थी। प्रारंभिक जांच से विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति की पहचान की गई जो रीवा में खेल अधिकारी के पद पर नियुक्त था। अपराध को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था तथा अपराधी को रीवा पुलिस द्वारा 28.3.2000 को गिरफ्तार किया गया और उसे 29.3.2000 को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। राज्य सरकार ने आगे की जांच के लिए इस मामले को सी.बी.आई. को सौंप दिया है।

(घ) और (ङ) वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत बाघों के शिकार पर पूरे देश में प्रतिबंध है। तथापि, पशु का मानव जीवन एवं सम्पत्ति के लिए खतरनाक होने जैसी बिरली परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकार की अनुमति दी जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री भीम दाहाल: महोदय, यह जानकर ग्लानि होती है कि खेल अधिकारी बाघों का शिकार कर रहे हैं। इस संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि पिछले तीन वर्षों में वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कितने लोग दोषी पाए गए?

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि अलग-अलग केस में कितने लोग गिरफ्तार हुए। ये आंकड़े बाद में दे देंगे लेकिन इस समय 219 केस चल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री भीम दाहाल: अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि वन्य जीवन और पर्यावरण के प्रति राज्य सरकारों का रवैया आमतौर पर ढुलमुल और कुछ हद तक गैर-जिम्मेदाराना है। क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों से यह आग्रह करने की कोई योजना है कि पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा की जाए क्योंकि देश का वन्य जीवन के उन्हीं लोगों का नहीं है जो वहां पर निवास करते हैं अपितु पूरी मानवता का है।

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकार और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठकर मौनीटरिंग करती है ताकि वन्य जीवों और वनों का संरक्षण कर सकें। लेकिन इसके बाद भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में हमें जितनी सफलता मिलनी थी, उतनी नहीं मिल पाई है।

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था जिसके अंतर्गत सारे देश में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन उसके बाद समाचार आ रहे हैं कि बाघों की संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। राजस्थान का सरिस्का, रणथम्भौर अथवा मध्य प्रदेश का रीवा अथवा गुजरात के गिरनार क्षेत्र, जहां-जहां भी बाघ पाए जाते हैं, वहां शिकारी अवैध रूप से उनका शिकार करते हैं। जंगल के कुछ लोग उनसे मिले रहते हैं और कई बार बाघों की खाल, दांत और शरीर के अलग-अलग अंग पकड़े जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या पिछले कुछ समय में बाघों की जनगणना करवाई गई है और बाघों की संख्या में निरंतर गिरावट

आने के कारण हैं? यू.एन.ओ. की कमेटी ने बाघों की संख्या के बारे में रिवर्स रिपोर्ट दी है। उसके बारे में सरकार का क्या कहना है?

श्री बाबू लाल मरांडी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक बाघों की संख्या में कमी की बात है, मैं कहूंगा कि उसमें कमी नहीं हुई है। टाइगर रिजर्व में जो बाघ हैं, हम प्रत्येक वर्ष उनकी जनगणना करते हैं। टाइगर रिजर्व से बाहर जो बाघ हैं, उनकी प्रत्येक चार वर्षों में जनगणना करते हैं। उस आधार पर हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार 1993 की तुलना में 1997 में बाघों की संख्या बढ़ी है। इसलिए हम ऐसा नहीं मानते कि बाघों की संख्या कम हुई है। जहां तक यू.एन.ओ. की रिपोर्ट के बारे में बताया गया, जिस ढंग से रिपोर्ट लिखी गई थी, उन लोगों के साथ बाद में बात की गई है।

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर, पहले पूरे प्रश्न का उत्तर तो आए।

श्री कमलनाथ: महोदय, यह प्रश्न है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो निकली थी और मंत्री जी जवाब में स्टार टी.वी. की बात कह रहे हैं। मैंने स्टार टी.वी. नहीं देखा लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की फोटो जरूर देखी थी। ये स्टार टी.वी. के किसी प्रोग्राम के बारे में जिक्र कर रहे हैं और प्रश्न टाइम्स ऑफ इंडिया का है। आप खुद देखिए। मुझे इस बात का आश्चर्य, ताज्जुब और दुख है कि अगर यह मानकर चलें कि स्टार टी.वी. और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों एक ही थीं तो यह बहुत दुख की बात है कि जो मंत्री जी सदन को बता रहे हैं कि यह बात सच थी कि इतने सारे बाघ मारे गए। लगभग 6-7 साल पहले एक सुब्रह्मणियम कमेटी बनी थी और उन्होंने इसी विषय पर एक रिपोर्ट दी थी। मैंने जब यह टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था तो प्रधानमंत्री जी को, बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी आज यहां उपस्थित हैं, एक पत्र लिखा था और उसकी कॉपी पर्यावरण मंत्री जी को भी मार्क की थी कि सुब्रह्मणियम कमेटी की रिपोर्ट ने जो सिफारिशें दी थी, उनको लागू किया जाए क्योंकि जो रोक-रुकावट हमें लानी चाहिए, जो कदम इसमें उठाने चाहिए, शायद सही तरीके से नहीं उठा रहे। मुझे प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं मिला।

उम्मीद है, आशा है कि उन्होंने उस पर कुछ न कुछ कदम उठाया होगा। पर आज के दिन जो संख्या हमारे बाघों की, टाइगर्स का घट रही है, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये कौन-कौन से ठोस कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। जो मनी लांडरिंग बिल सदन में पेश होने जा रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के जो सैक्शंस हैं, ऑफिंसेज हैं, उनको भी मनी लांडरिंग बिल में जोड़ने का सुझाव क्या वे अपने मंत्रिमंडल को, प्रधान मंत्री जी को देंगे, क्योंकि मनी लांडरिंग बिल के बहुत सारे आफेंसेस दूसरे एक्ट्स के हैं। एक और इसमें गम्भीर बात है, हमारे कांग्रेस की लीडर ऑफ अपोजीशन ने भी प्रधानमंत्री जी को इसी विषय पर चिट्ठी लिखी है, इसकी गम्भीरता. *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कमलनाथ, सभा का माहौल देखिए। यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कमलनाथ: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इसकी गम्भीरता को देखते हुए कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बाबू लाल मरांडी: माननीय सदस्य को सबसे पहले भारत सरकार को बधाई देनी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था वह 11.3.2000 को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो समाचार छपा, उसके आधार पर किया, लेकिन सरकार उससे पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। उससे पहले स्टार टी.वी. पर पदाधिकारियों ने जो देखा, सरकार उससे पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, इसके लिए तो सरकार को बधाई देनी चाहिए कि यह काम पहले ही कर दिया। जहां तक बाघों के संरक्षण का विषय है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: महोदय, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टार टी.वी. एक ही चीज हैं?

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी: बिल्कुल एक ही खबर है। जहां तक बाघों के संरक्षण की बात है मैं इतना ही कहूंगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जिसमें बाघों के संरक्षण के लिए, उनके रहने के स्थान को सुरक्षित करना, वहां उनके पीने के पानी की व्यवस्था करना, जंगलों में आग लगती है, उस पर नियंत्रण करना, ये सारी योजनाएं हम लागू करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने जो बजट में पैसे का एलोकेशन किया है, जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 46 करोड़ रुपये था, आठवीं योजना में वह 202 करोड़ रुपये हो गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट में और नवीं योजना में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2000-2001 में 115 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है, जिसे हम इनके संरक्षण के लिए खर्च कर रहे हैं।

श्री कमलनाथ: आप बजट की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप इसमें हाफ एन ऑवर डिस्कशन कराइये।

श्रीमती जस कौर मीणा: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि टाइगर प्रोजैक्ट में, टाइगर के संरक्षण में सवाई माधोपुर रणथम्भौर टाइगर प्रोजैक्ट में कितने एन.जी.ओ. टाइगर सेव प्रक्रिया में लगे हुए हैं? मेरी जानकारी है कि विश्व प्रसिद्ध इस टाइगर प्रोजैक्ट में दो बड़े एन.जी.ओ. काम कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को उनकी आय-व्यय के ब्यौरे के बारे में कुछ पता नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं बताना चाहती हूं कि वहां रणथम्भौर फाउंडेशन और दूसरी संस्था टाइगर वाच है। इन दोनों स्थाओं को कितना-कितना पैसा विदेशों से प्राप्त हुआ है और इन्होंने कितना पैसा पिछले पांच वर्षों में इस टाइगर सेव प्रोजैक्ट पर खर्च किया है, इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय दें? साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार के माध्यम से 38 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के लिए तीन साल पहले मंजूर हुआ, परन्तु वह न उनकी पुनर्स्थापना, न टाइगर सेव की प्रक्रिया पर खर्च हो रहा है। इसकी जानकारी जनप्रतिनिधि की हैसियत से वहां के क्षेत्रीय सांसद, विधायक और जिला प्रमुख को भी मिलनी चाहिए। क्या इस तरह का भी कोई प्रावधान आप इस अपनी व्यवस्था में सन्निहित करेंगे?

श्री बाबू लाल मरांडी : अध्यक्ष महोदय, सदस्य का सुझाव उत्तम है। हम चाहेंगे कि अलग से हम उनको पूरी जानकारी दें। इस वक्त मेरे पास यह जानकारी नहीं है, हम बाद में उपलब्ध करा देंगे।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या सरकार द्वारा बाघों की बड़ी संख्या में उपस्थिति वाले क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कोई कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी : अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में हमने 27 हजार प्रोजेक्ट रिजर्व कर रखे हैं।

सड़कों के निर्माण हेतु डीजल और पेट्रोल पर उपकर

***404. श्री नवल किशोर राय :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि जुटाने के लिए डीज़ल और पेट्रोल पर लगाया गया उपकर अब भी वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उपकर के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ग) क्या इस धनराशि को खर्च करने के लिए कोई फार्मूला तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) जी हां।

(ख) पेट्रोल और डीजल के उपकर से 31 मार्च, 2000 तक अनुमानित 6257 करोड़ रु. की वसूली हुई है।

(ग) और (घ) जी हां। एच.एस.डी. पर प्रति लीटर 1 रु. के उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास पर खर्च किया जाएगा। एच.एस.डी. के उपकर का 15% और पेट्रोल के उपकर का 30% राज्यीय सड़कों के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष राशि अर्थात् एच.एस.डी. के उपकर का 35% और पेट्रोल के उपकर का 70% राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास आर.ओ.बी. के निर्माण और मानवरहित लेवल क्रासिंग्स के सुरक्षा कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

श्री नवल किशोर राय : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने 6257 करोड़ रुपए की वसूली और इस धनराशि के खर्च करने के फार्मूले का ब्यौरा दिया। हमारे यहां सड़कों की स्थिति चलने लायक नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है कि 6257 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई है। जो फार्मूला इस राशि को खर्च करने का है, उसके अनुसार राज्यों को नेशनल हाईवे ठीक करने के लिए जितनी राशि का प्रावधान किया गया है, वह कब तक आबंटित कर देंगे और यदि कर दी है तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है? मैं बिहार से आता हूं जहां नेशनल हाईवे नं. 28 और नं. 77 की स्थिति बहुत खराब है, चलने लायक नहीं है। वह कब तक ठीक होगी और उस पैसे को कब तक उस पर लगाएंगे?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि हाई स्पीड डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर और पेट्रोल पर एक रुपया प्रति लीटर जो सैस लगायी है, उससे पिछले वित्तीय वर्ष, 1999-2000, में 1900 करोड़ रुपए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को प्राप्त हुए थे। जिसमें से 1032 करोड़ रुपए एन.एच.ए.आ. और एन.एच.डी.पी. के प्रोजेक्ट्स को पूरा

करने के लिए एकेट किए हैं। 457 करोड़ रुपये जिन नेशनल हाईवे की सड़कें ठीक नहीं हैं, उनको स्पेशल रिपेयरिंग प्रोग्राम के तहत ठीक करने के लिए एलोकेट किए हैं। इसके अतिरिक्त 321 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे या एन.एच.डी. प्रोजेक्ट की सड़कें हैं, उनकी हालत सुधारने के लिए एलोकेट किए हैं। 2000-2001 के वित्त वर्ष में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को उस सैस से 2010 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस पैसे को नेशनल हाईवे डवलपमेंट प्रोजेक्ट के गोल्डन क्वाड्रीलैटरल की स्कीम को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ने एलोकेट किया है। इसके अतिरिक्त राज्यों के जो हाईवे हैं, उनके निर्माण के लिए 990 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिब्यूशन करना है। अभी तक यह नहीं हो पाया है। इसलिए राज्यवार ब्यौरा देना फिलहाल सम्भव नहीं हो पाएगा।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि ग्रामीण सड़कों के विकास पर जो राशि खर्च होनी है, उसके बारे में पिछले वित्तीय वर्ष का ब्यौरा क्या है। मंत्री जी ने कहा है कि वह अभी देना सम्भव नहीं है। बिहार और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं और मंत्री जी आते हैं वहां ग्रामीण सड़कों की हालत दयनीय है। इसीलिए मैंने राज्यवार ब्यौरा मांगा था। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा जो राशि ग्रामीण इलाकों की सड़कों और राज्यों के हाईवे की सड़कों पर प्रति वर्ष दी जाती है, क्या उसकी मानेटरिंग की व्यवस्था केन्द्र सरकार से होती है? क्या उसकी समय-समय पर केन्द्र सरकार की टीम के जरिए जांच कराई जाती है जिससे यह पता चल सके कि जो धनराशि दी गई है, वह जमीन पर खर्च हुई है या नहीं? इसीलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सभी पैसा राज्यों में डाइवर्ट कर दिया जाता है और सड़कों की स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिसमें केन्द्र सीधे उसकी जांच करे ताकि पैसे का सही-सही उपयोग सड़क निर्माण में हो सके?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)* जहां हमारी सरकार नेशनल हाइवेज और स्टेट हाईवेज के डैवलपमेंट के लिए कृतसंकल्प है वहीं इस देश की विलेज रोड्स के हालात को सुधारने के लिए भी प्रयत्नशील है। मैंने माननीय सदस्य को पहले ही जानकारी दी थी कि पैट्रोल और डीजल पर जो हम सैस लगाते हैं, उसमें डीजल पर लगने वाले सैस का पचास प्रतिशत भाग हम विलोज रोड्स के विकास पर खर्च करते हैं और मैं समझता हूं कि इसका उत्तर रूरल डैवलपमेंट विभाग के द्वारा ही मिल सकेगा।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ पर महसूल वसूल किया जाता है। यह स्वागत योग्य कदम है। परंतु आंध्र प्रदेश के राजमार्ग की हालत बहुत खराब है। संपूर्ण आंध्र प्रदेश में राजमार्ग का विस्तार छः प्रतिशत से भी कम है। कुछ सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। उदाहरण के लिए, दो साल उन्होंने कहा कि 214 न. के राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। परंतु पिछले दो सालों से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दो दिन पहले बहुत दुःखद सड़क दुर्घटना हुई जिसमें आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री मारे गये। सड़कों पर बहुत से आधुनिक वाहनों की आवाजाही होती है, जबकि राजमार्ग का रखरखाव जैसे स्वतंत्रता से पूर्व था वैसा अभी भी है। वहां की वस्तुस्थिति यही है। हमें इस पर बहुत खेद है।

जब तक, डीज़ल और अन्य पैट्रोलियम पदार्थों पर वसूल किया गया महसूल, और उतनी ही राशि भारत सरकार, अगले चार से पांच सालों तक क्रमबद्ध पद्धति से सुधार पर खर्च नहीं करती सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस दिशा में कार्य करने का इरादा रखते हैं! मैं माननीय मंत्री महोदया से इस पर निश्चित उत्तर चाहता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : सभी धनराशि आंध्र प्रदेश जा रही है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आंध्र प्रदेश में कुल राजमार्ग का विस्तार छः प्रतिशत से भी कम है। वे ऐसा कैसे कह सकती हैं? हैदराबाद का विकास राज्य द्वारा प्रदत्त राशि से हुआ है। वे कर्नाटक सरकार को भी आंध्र प्रदेश की पद्धति पर उनके सड़कों का विकास करने को कहें। हमें उनके राज्य की परवाह नहीं है। वे उसे अपने पास उपलब्ध निधि द्वारा भी कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। उत्तर मारग्रेट आल्वा महोदया नहीं दे रही हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : पूरे देश में 52010 कि.मी. नेशनल हाईवेज की सड़कों की लम्बाई है। इन 52010 कि.मी. लम्बी सड़कों में से 13000 कि.मी. सड़कों को नेशनल हाईवेज डैवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत चार लेन की सड़क बनाने का फैसला सरकार ने किया है और निश्चित सीमा के अंदर हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन माननीय सदस्य ने जिस पर्टिकुलर स्ट्रैच की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उसके लिए सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और सूचना प्राप्त होने पर मैं उसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा। लेकिन मैं पूरे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की ओर से हमने फैसला किया है कि आगामी दो वर्ष के अंदर इस देश में एक इंच भी नेशनल

हाईवेज की एक भी ऐसी सड़क नहीं रहने देंगे जो ट्रैफिकवर्दी न हो अथवा राइडिंग क्वॉलिटी की न बन जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पूरी जानकारी दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : आप सुनिए। सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम स्टेट रोड्स को नेशनल हाइवे के रूप में कंवर्ट करते हैं तो उस समय स्टेट रोड्स की हालत इतनी खराब होती है कि छोटे-मोटे एमाउंट को खर्च करके उनके हालात को सुधारा नहीं जा सकता। सामान्यत: जिस स्टेट हाइवे को हम लेते हैं उसकी एक कि.मी. लेन की सड़क को अपग्रेड करने के लिए हमें एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये से अधिक खर्च करना पड़ता है और आज जितनी नेशनल हाइवेज की लेंथ सारे हिन्दुस्तान में है जिसे माननीय सदस्य चाहते हैं कि अपग्रेड कर दिया जाए अथवा ट्रैफिकवर्दी या राइडिंग क्वॉलिटी की सड़क बना दी जाए, उसके लिए हमें एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। फिर भी मंत्रालय ने तय किया है कि चाहे जैसे भी हो, हम व्यवस्था करेंगे और जितनी भी हमारी नेशनल हाइवेज की सड़कें हैं, उनको दो वर्षों के अंदर, यदि हम बहुत ज्याद इम्प्रूव नहीं कर पाये तो भी कम से कम राइडिंग क्वॉलिटी की नेशनल हाइवेज की सड़कें हम बना देंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो डीजल और पैट्रोल पर उपकर लगाया जा रहा है, यह सम्पूर्ण देश के प्रत्येक हिस्से पर लगाया जा रहा है और प्रत्येक नागरिक के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन जनपदों के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हैं, उन जनपदों का हिस्सा कैसे दिया जाएगा? क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी नीति निर्धारित करेंगे जिससे जिस जनपद पर डीजल और पैट्रोल पर जितना उपकर लग रहा हो, उस जनपद में ही सड़कों के निर्माण पर उपकर का रुपया खर्च किया जाए।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम सभी सदस्य संसद में बैठे हुए हैं। हमें केवल क्षेत्र और जनपद के बारे में ही नहीं बल्कि सारे देश के बारे में सबको काम्प्रीहेंसिवली सोचना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं वहीं आ रहा हूं लेकिन माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय ने यह तय किया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते इस हिन्दुस्तान का एक भी प्वाइंट ऐसा शेष नहीं बचेगा कि जिस प्वाइंट से नेशनल हाइवे की दूरी पचास कि.मी. से अधिक हो और नौवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होते-होते मैं समझता हूं कि जो चिंता माननीय सदस्य की है, वह दूर हो जाएगी और उसका लाभ अन्य लोगों को मिलेगा क्योंकि हर जनपद के लोगों को नेशनल हाइवेज की सुविधा की आवश्यकता होगी जो उन्हें उपलब्ध होगी।

श्री राजेश पायलट : यह विभाग और सरकार का बहुत अच्छा कदम है, हम सभी लोग मानते हैं। जो माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि डीजल का पचास प्रतिशत सैस का भाग ग्रामीण सड़कों के विकास पर जाएगा और यह भी सही है कि जब यह बात सोची गई थी, उस समय पी.डब्ल्यू.डी. में कोई जवाबदेही नहीं थी। जो नेशनल हाइवेज को पैसा जाता है, स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. में उसका प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं था तो हमने 1986-87 में यह इरादा शुरू किया था जिससे एकाउंटेबिलिटी बनी रहे और उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। ग्रामीण सड़कें सेंट्रल रोड फंड्स के द्वारा पहले ही बनती रही हैं।

[अनुवाद]

यह खंड था कि केन्द्रीय सड़क निधि को सीधे ही ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

मेरी प्रार्थना है कि रूरल डैवलपमेंट को इंवाल्व करके सारा थ्रस्ट डाइल्यूट हो जाएगा। स्टेट में पैसा रूरल डैवलपमेंट विभाग के माध्यम से जाएगा और पचास प्रतिशत जो डीजल का सैस है। अगर सेंट्रल रोड फंड के द्वारा ग्रामीण रोड्स के लिए स्टेट को दिया जाये तो उसमें जवाबदेही रहेगी। रूरल डैवलपमेंट के थ्रू एकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी और सारा उद्देश्य फेल हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि सेंट्रल रूरल फंड के थ्रू स्टेट को पैसा दो तो ग्रामीण सड़कों की हालत में सुधार हो सकेगा।

श्री राजनाथ सिंह : माननीय पायलट जी क्योंकि इस विभाग के मंत्री रहे हैं, उनको पूरा अनुभव भी है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस समय की जो सरकार है, उसमें हर विभाग पूरी तरह से एकाउंटेबल है, इसलिए जो पैसा रूरल डैवलपमेंट विभाग को ट्रांसफर होगा, पूरी एकाउंटेबिलिटी के साथ रूरल डैवलपमेंट विभाग उसे खर्च करेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं प्रांतों की बात कर रहा हूं। रूरल डैवलपमेंट में से प्रांतों को जो पैसा जाएगा, वह पैसा सी.आर.एफ. को डायरेक्ट जाए।

श्री मणिशंकर अय्यर : सीधे पंचायत को भेजिए।

श्री राजेश पायलट : मेरी प्रार्थना है कि ग्रामीण सड़कों के लिए अगर पैसा सी.आर.एफ. से जाएगा तो उनकी जवाबदेही रहेगी और सड़कें बन जाएंगी लेकिन रूरल डैवलपमेंट के माध्यम से जाएगा तो जवाबदेही नहीं रहेगी।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी क्षमता को कम करके मत आंकिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : इस पद्धति के संबंध में क्या? हमने 50 साल तक भुगता है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस देश के ग्रामीण सड़कों के विकास के प्रति भी चिन्तित हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिया है, उस पर हमारी सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि सड़कें हमारे जीवन की रेखा है और किसी भी प्रान्त के विकास के लिए उसका सड़कों से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। लेकिन देश में आज भी कुछ ऐसे प्रान्त हैं, जहां यातायात का केवल एकमात्र साधन भूतल परिवहन है और रेल नाम-मात्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और पूर्वांचल के अन्य राज्य। इन प्रान्तों में भौगोलिक स्थिति कठिन होने के फलस्वरूप सड़कों के निर्माण पर मैदानी क्षेत्रों की तुलना में एक किलोमीटर सड़क बनाने पर पांच-छः गुना अधिक धन खर्च होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब आप प्रदेशों को धन आबंटित करेंगे, तो क्या इन प्रान्तों का विशेष ध्यान रखेंगे, जो केवल भूतल-परिवहन यातायात पर निर्भर हैं? इसके साथ ही इनको अधिक धन दिया जाए, ताकि इन प्रान्तों और इनके पिछड़े क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जा सके तथा सड़क निर्माण में तीव्रता आ सके?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिल्ली राज्य और नार्थ-ईस्ट राज्यों के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि इन राज्यों की सड़कों की हालत बेहतर हो। इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्लान में से अधिक धन आवंटित करनी पड़े, तो अधिक धन आवंटित कर सकते हैं। सामान्यतः राज्य सरकारों से प्राप्त प्रोजैक्ट के मुताबिक ही धन आवंटित करते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले प्रौजैक्ट की फिजीबिलिटी को देखते हुए हम धन आवंटित करते हैं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : महोदय, भारत सरकार ने साढ़े तीन परसेंट के हिसाब से ढ़ाई सौ करोड़ रुपये की राशि महाराष्ट्र सरकार को देनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राशि कब तक देंगे?

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं पाया हूं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को भी पैसा देंगे। इस देश के सभी राज्यों को पैसा देंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : करीब ढ़ाई सौ करोड़ रुपया देना है, सड़कें दुरुस्त करने के लिए।

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्य यदि किसी खास प्रोजैक्ट की बात कह रहे हैं, उसकी जानकारी दें, तभी मैं उसका उत्तर अभी दे सकता हूं। लेकिन जिस प्रोजैक्ट के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, यदि उसके बारे में बताएंगे, तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, इस पर लगातार कमेंट्री देना कदापि अच्छी बात नहीं है।

राज्य राजमार्ग का परिवर्तन

*405. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2000-2001 के दौरान आगरा और कुमाऊं पहाड़ियों को, पर्यटन और सामरिक महत्व को देखते हुए नैनीताल को आगरा से जोड़ने का और इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि आगरा हमारा प्रमुख पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। हमारा देश भारत के पहाड़ी ठिकानों को भी वैकल्पिक पर्यटन केन्द्र के रूप में प्रचारित कर रहा है। यह अति आवश्यक है कि पर्यटन विकास के हित में, आगरा को पहाड़ी प्रदेशों से सीधे जोड़ा जाए। पर्यटक जो भारत आते हैं पहाड़ों पर

जाने के लिए उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा है। पर्यटनों के विकास की संभावनाओं के साथ, पहाड़ों पर महत्वपूर्ण सैनिक छावनियां जैसे रानीखेत, पिथोरागढ़ इत्यादि है, जिसे पर्यायी सड़क मार्गों द्वारा मैदानों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही, आगरा और पहाड़ी प्रदेशों के मध्य कई महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। नरोरा में परमाणु शक्ति केन्द्र स्थित है, अन्य कई स्थल जैसे मुरादाबाद, बिलारी, चंदौसी इत्यादि हैं, जो इसी मार्ग पर स्थित हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से कि देश के हित में इस पर कृपया विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं और शून्यकाल में उनसे निवेदन मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस मूल प्रश्न में जिस सड़क की चर्चा की है, वह स्टेट हाईवे है, स्टेट रोड है, साथ ही आपने सप्लीमेंट्री प्रश्न में जिस सड़क की चर्चा की है, वह भी स्टेट रोड है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इस संबंध में वह एक लिखित पत्र मेरे पास भेज दें। उनके प्रस्ताव के संबंध में मैं गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : झा जी, आप अभी बैठ जाइए, हम आपको मौका देंगे।

श्री चन्द्र विजय सिंह : आपको लिखित पत्र पहुंच जाएगा। आपके माध्यम से इन सब शहरों का कल्याण हो जाए, अलीगढ़ का भी आपके द्वारा कल्याण हो जाए तो अच्छा रहेगा। *...(व्यवधान)* अलीगढ़ भी इसमें पड़ता है।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, उस संबंध में मैंने अनुरोध किया है कि वे यदि एक लिखित पत्र मुझे दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम लागत की और अच्छी परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए, लंबे समय की राष्ट्रीय एकात्मक परिवहन योजना पर सहमति हुई थी। इस योजना के अंतर्गत सड़कों, रेलमार्गों, वायुयान मार्गों, जलमार्गों, बैलगाड़ी मार्गों और रोपवे का सर्वांगीण एकात्मक विकास का समायोजन किया गया था। इस संबंध में क्या सरकार ने कोई पर्याप्त कदम उठाए हैं? यदि उत्तर 'नहीं' है तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के कार्यान्वयन में और सड़कों, रेलमार्गों, वायुमार्गों, जलमार्गों, कच्चे रास्तों, रोपवे इत्यादि के एकात्मक विकास पर कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राज्यमार्गों को राष्ट्रीय राज्यमार्गों में कैसे बदलेंगे ताकि नागरिकों को उचित सुविधाएं प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। यह बात सही है कि चाहे वह रोड हो, रेलवे हो या अन्य जो भी इनफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आइटम्स हों, उन पर कॉम्प्रीहेंसिव और इंटीग्रेटेड थिंकिंग करने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, श्री के.सी. पंत हैं और मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेस और एक-दो अन्य मिनिस्टर तथा सैक्रेट्री उसके मेम्बर्स हैं। उस इनफ्राक्ट्रक्चर से रिलेटेड कमेटी के चेयरमैन, जो हमारे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन हैं, उसके मेम्बर्स के जरिए इंटीग्रेटेड थिंकिंग इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कराने की हमारी गवर्नमेंट की मंशा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मंत्री जी ने माननीय सदस्य को बता ही दिया है, वह लिख कर दे देंगे तो आप विचार कर लेंगे। मुझे भी उसमें रुचि है, क्योंकि हमारा भी लोक सभा क्षेत्र उसमें पड़ता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर नरौरा और नरौरा से गन्नौर होते हुए सम्भल होकर वह निकल जाए। हम भी एक पत्र आपको लिख देंगे, उस पर आप जरूर विचार कर लीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, मुलायम सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और मैं जानता हूं कि उन्हें उत्तर प्रदेश की विस्तृत जानकारी है। इसलिए वह जिस सड़क के बारे में सुझाव देंगे, वह निश्चित रूप से उपयुक्त होगी। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बहुत गंभीरता से, तहेदिल से उस पर विचार किया जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : अपने क्षेत्र की जो समस्याएं उठाते हैं, उसे हम सबसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन मानते हैं।

श्री रघुनाथ झा : महोदय, बिहार प्रांत में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहां मां जानकी पैदा हुई थी और जनकपुर नेपाल तक सड़क एनएच-77 स्वीकृत हुई है जो दो बार बाढ़ आने से बिलकुल क्षत-विक्षत हो गई है। अब वह चलने लायक नहीं है। भारत के लाखों यात्री सीतामढ़ी, जनकपुर दर्शन करने के लिए आते हैं और हम लोगों को गाली देते जाते हैं जिसका कारण नेशनल हाई-वे

की वह सड़क है। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या उस सड़क को कम से कम इस बरसात से पहले चलने के लायक बनवा देंगे?

श्री राजनाथ सिंह : इस संबंध में अलग से सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं इस प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने पहले भी प्रश्न किया था, परन्तु उस समय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, क्योंकि मंत्री जी मिलते नहीं हैं। नेशनल हाई-वे के कंस्ट्रक्शन के बारे में यह प्रश्न है। आपको मालूम है कि हमारे देश में नेशनल हाई-वे निर्माण हेतु सरकार द्वारा जो संस्था बनाई गई थी—इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन, उन्होंने बहुत दिनों तक देश और विदेश में कामयाबी के साथ रोड्स बनायीं। लेकिन अब सरकार ने इस संस्था को खत्म करने का फैसला किया है और जिन लोगों ने वहां 25-30 साल तक काम किया उनकी नौकरी खतरे में है। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो नेशनल हाई-वे कमेटी बनी है, उसमें यदि इन्हें जोड़ दें तो ये लोग एक्सपर्टीज़ देकर अच्छा नेशनल हाई-वे बना सकते हैं। मगर सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह फैसला बदल कर, नेशनल हाई-वे के लिए जो आथोरिटी बनाई गई है, उसके साथ इन्हीं लोगों को इंटीग्रेट करके नेशनल हाईवे बनाने के काम में लगाएंगे।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, यह सच है कि हमारी सरकार ने इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन को समाप्त करने का फैसला किया है, लेकिन उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके संबंध में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है। वैसे सामान्यत: जो पी.एस.यूज़. बंद किए जाते हैं, उनके एम्पलाइज़ और आफिसर्स को कहीं न कहीं एकोमोडेट करने अथवा एडजस्ट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी सरकार संवेदनशील है और माननीय सदस्य ने उस संबंध में चिन्ता व्यक्त की है तो मैं देखूंगा कि उसमें काम करने वाले जो अधिकारी अथवा कर्मचारी हैं, उनके हितों पर कोई चोट न पहुंचने पाए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मेरा प्रश्न यह है कि राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग कन्वर्ट करने की जो मांग है। *...(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों में, जहां नक्सलवादी आतंक की परिस्थितियां हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो नक्सलवादी क्षेत्र है, वहां प्रदेश सरकार ने स्वत: सुझाव दिया है कि सीमा सड़क संगठन के अलावा कोई दूसरी एजेंसी वहां काम नहीं कर सकती, चाहे वह स्टेट हाई-वे हो या स्टेट हाई-वे से नेशनल हाई-वे बनाने की बात हो, ऐसी परिस्थिति में समस्या यह है कि जो भी धनराशि प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है उसका पूरी तरह से उपयोग न करके उसे वापस कर दिया जाता है। आखिर एजेंसी तो स्टेट की है। उसने तय कर लिया कि हम नहीं बना सकते और उसे सीमा सड़क संगठन के लोग ही बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ऐसे मार्गों को, चाहे वे राजमार्ग हों या नेशनल हाई-वे हों, अपनी एजेंसी से बनवाने का प्रयास करेगी?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस रोड के बारे में कहा है कि उसे बार्डर रोड ऑरगेनाइजेशन के द्वारा बनवाया जाना चाहिए और यह भी कि उस पर धनराशि उपलब्ध करायी गयी है या नहीं। इस बारे में मुझे सूचना एकत्रित करनी होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बहुत गंभीर विषय, जैसे बिहार में सड़कों के विकास पर बात कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस मूलभूत मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार का विकास का कार्य सड़कों की खराब हालत की वजह से ठप्प पड़ा हुआ है, विशेषकर मध्य बिहार में जहां नक्सलवादियों की गतिविधियां जोरों पर हैं और सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास सड़कों की बुरी हालत की वजह से प्रभावित हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सिंह, यह प्रश्न राजमार्गों का राष्ट्रीय महामार्गों में बदलने से संबंधित है। कृपया प्रश्न को समझिए।

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इसका ख्याल रखेंगे।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1 बिहार के सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से गुज़रती है। मैं मंत्री महोदय का आभारी रहूंगा यदि वे विस्तार से इस विशिष्ट पहलू पर शीघ्र कदम उठाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्या ने जो चिंता व्यक्त की है वह सही है और मैं उससे पूर्णत: सहमत हूं। लेकिन बिहार प्रदेश के साथ संकट यह है कि नेशनल हाई-वे के विकास के लिए जितनी धनराशि दी जाती है उसका विगत कई वर्षों से बिहार सरकार ने उपयोग नहीं किया है और वह धनराशि सरेंडर कर दी जाती है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कारगिल युद्ध के समय हमने एक सबक सीखा जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके

से हमारे सामने उभरकर आया था। श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे बोर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नजदीक से गुजरता है, हमने देखा कि वह किस तरह से खतरे में आ गया था और उस समय उस पर व्यापक चर्चा हुई थी कि लेह के लिए एक वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए। मनाली से लेकर केलॉग होते हुए लेह तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ था। उसका उपयोग इस कारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें दो दर्रे रोहतांग और कुंजमपास पड़ते हैं, अगर एक टनल बनाकर इस राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा किया जाये तो अच्छा होगा। सामरिक महत्व को देखते हुए क्या इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो वह कब तक बनेगा और उसके लिए क्या प्रावधान किये जा रहे हैं?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस विषय में जानकारी प्राप्त करके सूचित कर दिया जायेगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी वाराणसी गये थे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वाराणसी की सड़कों के बारे में कोई योजना बनाई है?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, योजना विचाराधीन है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों की खरीद करने संबंधी कार्यक्रम

***407. श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने नौवीं योजनावधि के दौरान अपने जहाज खरीद करने संबंधी कार्यक्रम में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कंपनी ने नए क्षेत्रों में अपना ध्यान केन्द्रित करने का भी निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कंपनी द्वारा अब तक किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) 9वीं योजना के प्रारंभ में भारतीय नौवहन निगम के टनभार अधिग्रहण कार्यक्रम में कुल 23.84 लाख डी.डब्ल्यू.टी. के 53 जलयानों के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई थी। तथापि, भारतीय नौवहन निगम द्वारा 31.3.2000 तक 1.29 लाख डी.डब्ल्यू.टी. के केवल 4 जलयान ही खरीदे जा सके हैं। भा.नौ.नि. ने मार्च, 2000 में अपने जलयान अधिग्रहण कार्यक्रम को संशोधित कर दिया है और 9वीं योजना की शेष अवधि के दौरान कुल 16.85 लाख डी.डब्ल्यू.टी. के 21 जलयान अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। लक्ष्य प्राप्त न हो पाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा बाजार में लगातार मंदी।

(2) परियोजनाओं पर कार्यवाही करने के समय व्यापार ढांचे में परिवर्तन।

(3) ई.सी.बी. (विदेशी वाणिज्यिक ऋणों) की अत्यधिक राशि जुटाने में कठिनाइयां।

(4) भा.नौ.नि. की अपेक्षानुसार उपयुक्त पुराने जलयानों का उपलब्ध न होना।

(5) परियोजनाओं के अनुमोदन पर प्रभाव डालने वाले प्रक्रियागत मुद्दे।

(6) भा.नौ.नि. के बोर्ड की समिति वित्तीय शक्तियां।

(ग) सरकार ने फरवरी, 2000 में भा.नौ.नि. को "मिनी रत्न" का दर्जा दिया है जिसके परिणामस्वरूप भा.नौ.नि. बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, अपने कार्य निष्पादन में सुधार कर सकेगा और पूर्वानुमानित व्यावसायिक अवसरों के साथ-साथ अपनी तत्काल आवश्यकताओं के आधार पर 9वीं योजना की शेष अवधि में अधिक जलयानों का अधिग्रहण कर सकेगा।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, भा.नौ.नि. ने तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के परिवहन को शामिल करने के लिए अपने कार्यकलापों में परिवर्तन किया है और दाभोल विद्युत परियोजना के लिए एल.एन.जी. की ढुलाई के लिए मितसुई ओ.एस.के. जापान और एनरान के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। यह एक नया कार्यकलाप है जिसमें भा.नौ.नि. के लिए काफी संभावनाएं हैं।

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नौवीं योजना के प्रारम्भ में 53 जलयान लेने का लक्ष्य रखा था। लेकिन तीन साल के बाद उसमें सुधार करके केवल 21 ही लेने का लक्ष्य रखा है। अभी केवल चार ही लिये हैं और 17 जलयान दो साल में लेने हैं।

अध्यक्ष महोदय : मि. ठाकुर, टाइम ज्यादा नहीं है।

श्री रामशेठ ठाकुर : एक तो इसमें जलयान कम लिया और दूसरे उसकी क्षमता कम कर दी। क्या प्राइवेटाइजेशन के कारण यह हो रहा है और भारतीय नौवहन निगम के कारोबार में प्राइवेट कम्पनी के आने के कारण यह हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या एक अमरीकी कम्पनी के लिये कार्गो वैसल शुरू करने हेतु किसी विदेशी कम्पनी के साथ भारतीय नौवहन निगम ने जाइंट वैंचर किया गया है? यदि हां, तो उसका क्या असर हुआ है?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय का अभाव है, इसलिये मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राइवेट इन्वैस्टमेंट के कारण यह असर पैदा हुआ हो, ऐसा नहीं है। हम नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं, उसके अन्य कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत देंगे तो मैं उन कारणों का यहां उल्लेख कर दूंगा लेकिन हमने अपनी उसी स्कीम को फिर से रिवाइव किया है, उस पर पुनर्विचार किया है और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जहां हमने पहले 53 वैसल्स खरीदने की बात की थी, वहीं नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक हम 21 वैसल्स परचेज़ कर लेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विद्युत की भागीदारी हेतु नई प्रणाली

***401. श्री आर.एस. पाटिल :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार की परियोजनाओं द्वारा किये जा रहे विद्युत के उत्पादन में अन्य राज्यों की भागीदारी हेतु संशोधित प्रणाली शुरू करने का है ताकि इसे आधुनिक समय की वास्तविकता के अनुसार बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या नई पुरानी प्रणाली से भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो इस नई प्रणाली के अन्य पहलुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई प्रणाली से उन राज्यों को किस सीमा तक मदद मिलेगी जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत के आबंटन के लिए विद्यमान "गॉडगिल फार्मूले" की मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है। फार्मूले के घटकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और फार्मूले के अन्तर्गत पहले किए गए आबंटन को नहीं छेड़ा जायेगा। इन "मार्गदर्शी सिद्धांतों" के अन्तर्गत नए केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों से विद्युत का आबंटन, विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अनुरूप किया जायेगा जिन पर केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत यूटिलिटि और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा उनकी प्राधिकृत एजेंसी और बोर्ड के मध्य हस्ताक्षर किए जाने हैं। विद्युत की खरीद हेतु प्रथम प्रस्ताव केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटि द्वारा क्षेत्र के संघटक राज्यों के समक्ष उनकी हकदारी के अनुसार रखा जायेगा। यदि क्षेत्र का कोई संघटक अथवा हिस्सा अथवा उसका कोई अंश नहीं खरीदता है तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत यूटिलिटि को उस विद्युत को किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनके द्वारा किए जाने वाले पीपीए के अनुरूप बेचे जाने का अधिकार होगा। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटि द्वारा इस तरह का प्रस्ताव क्षेत्र के बाहर राज्य (राज्यों)/संघ राज्य क्षेत्र को विद्युत का विपथन

करने से पहले क्षेत्र के भीतर (जहां विद्युत केन्द्र अवस्थित है) के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जायेगा। जहां अधिशेष विद्युत का दावा करने वाले एक से अधिक दावेदार होंगे, तो इस तरह के प्रस्ताव में आबंटन में विद्युत क्षेत्र का सुधार करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। सुधार करने वा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनकी तत्काल/मौसमी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र के पास उपलब्ध 15% अनाबंटित विद्युत में से आबंटन में भी प्राथमिकता दी जायेगी।

टेलीफोन कनेक्शन

***406. श्री होलखोमांग हाकिप** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिये कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या इस बकाया को पूरा करने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार इम्फाल में प्रतीक्षा सूची में कुल कितने लोग थे; और

(ङ) उक्त शहर की बकाया सूची को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न श्रेणियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

ओवाईटी	7839
गैर-ओवाईटी	3672876
कुल	3680715

(ख) और (ग) जी, हां। प्रतीक्षा सूची का बैकलॉग निपटाने और मार्च, 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 1999-2000 के दौरान 45.50 लाख के लक्ष्य की तुलना में 49.18 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे और मौजूदा वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य बढ़ाकर 55.80 लाख कर दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं और मौजूदा एक्सचेंजों को विस्तृत किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, इम्फाल में कुल 2487 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन व्यक्तियों को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजट आबंटन

***408. श्री अधीर चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को दी जा रही बजटीय सहायता में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए कुछ कदम उठाने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राज्यों में विद्युत उत्पादन

***409. श्री मनोज सिन्हा :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूदा अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में विद्युत संयंत्रों की औसत संयंत्र भार वहन क्षमता (प्लांट लोड फैक्टर) कितनी है;

(ग) नई लम्बित परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने की आशा है तथा प्रत्येक राज्य में विद्युत की अनुमानित मांग कितनी है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी-कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) देश में राज्यवार एवं संघीय क्षेत्र-वार मौजूदा संस्थापित विद्युत क्षमता को दर्शाने वाला ब्यौरा (31.3.2000 को) संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1999-2000 के लिए प्रत्येक राज्य में औसत संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) लंबित परियोजनाओं में संभावित क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुमोदित/निर्माणाधीन योजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। 2000-2001 के लिए प्रत्येक राज्य की बिजली की अनुमानित जरूरत का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) 1999-2000 (अनंतिम) के लिए प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता (यूटिलिटिज)
(अनंतिम) 31.3.2000 की स्थितिनुसार

राज्य/संघ शासित प्रदेश		क्षमता (मे.वा.)
1		2
1.	हरियाणा	1780.32
2.	हिमाचल प्रदेश	299.50
3.	जम्मू एवं कश्मीर	409.13
4.	पंजाब	3928.94
5.	राजस्थान	2486.58
6.	उत्तर प्रदेश	6052.75
7.	चंडीगढ़	2.00
8.	दिल्ली	617.00
9.	गुजरात	7230.39
10.	मध्य प्रदेश	4353.00
11.	महाराष्ट्र	12391.50
12.	गोवा	48.16
13.	दादर एवं नगर हवेली	0.00
14.	दमन एवं दीव	0.00
15.	आन्ध्र प्रदेश	6254.88
16.	कर्नाटक	4367.69
17.	केरल	2117.53
18.	तमिलनाडु	6051.64
19.	पांडिचेरी	32.50
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	28.33
21.	लक्षद्वीप	6.92
22.	बिहार	1988.40
23.	उड़ीसा	1993.02
24.	पश्चिम बंगाल	4372.89
25.	सिक्किम	37.89
26.	असम	621.69
27.	मणिपुर	12.01
28.	मेघालय	188.76
29.	नागालैंड	5.50
30.	त्रिपुरा	85.36
31.	अरूणाचल प्रदेश	45.43
32.	मिजोरम	25.67
केन्द्रीय क्षेत्र		
	उत्तरी क्षेत्र	10708.00
	पश्चिमी क्षेत्र	6512.00
	दक्षिणी क्षेत्र	5210.00
	पूर्वी क्षेत्र	6841.50
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	730.01

विवरण-II

1999-2000 के दौरान राज्यों में स्थित केन्द्रीय युटिलिटियों समेत विद्युत के औसत संयंत्र भार फैक्टर (%) को दर्शाने वाला विवरण

		1999-2000 (अप्रैल-मार्च) %
1.	दिल्ली	69.8
2.	हरियाणा	53.1
3.	राजस्थान	
	थर्मल	82.8
	न्यूक्लियर	83.8
4.	पंजाब	74.8
5.	उत्तर प्रदेश	
	थर्मल	70.4
	न्यूक्लियर	81.1
6.	गुजरात	
	थर्मल	65.8
	न्यूक्लियर	87.1
7.	महाराष्ट्र	
	थर्मल	71.0
	न्यूक्लियर	77.2
8.	मध्य प्रदेश	78.2
9.	आन्ध्र प्रदेश	86.1
10.	कर्नाटक	82.0
11.	तमिलनाडु	
	थर्मल	72.2
	न्यूक्लियर	74.8
12.	बिहार	34.2
13.	उड़ीसा	63.9
14.	पश्चिम बंगाल	49.5
15.	डी.वी.सी.	35.8
16.	असम	17.9

विवरण-III

अनुमोदित/निर्माणाधीन योजनाओं एवं स्वीकृति हेतु नई विद्युत योजनाओं का ब्यौरा

(मेगावाट)

		अनुमोदित/ निर्माणाधीन	स्वीकृति हेतु लंबित
1.	दिल्ली	330	0
2.	हरियाणा	216	0
3.	हिमाचल प्रदेश	634.50	170
4.	जम्मू एवं कश्मीर	451.50	0
5.	पंजाब	768	500
6.	उत्तर प्रदेश	1443	800
7.	राजस्थान	2580.70	71
8.	गुजरात	2425	256
9.	महाराष्ट्र	3983	400
10.	मध्य प्रदेश	6450	703.48
11.	आंध्र प्रदेश	4702.70	703.48
12.	कर्नाटक	3066.70	800.1
13.	केरल	1445.50	128
14.	तमिलनाडु	6342.20	357.88
15.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10.20	0
16.	बिहार	1402.00	0
17.	उड़ीसा	1816.00	150
18.	पश्चिम बंगाल	2636.00	0
19.	असम	480	0
20.	नागालैंड	24	0
21.	मणिपुर	36	0
	केन्द्रीय क्षेत्र (थर्मल+हाईड्रो)	6274.00	1320
	न्यूक्लियर	440.00	–
	कुल	57957.00	6176.5

विवरण-IV

विद्युत केन्द्र बसबार (2000-01) (सार्वजनिक यूटिलिटी) में अखिल भारतीय ऊर्जा आवश्यकता एवं व्यस्ततमकालीन भार

क्र.सं.	राज्य	2000-01 (अनुमानित) ऊर्जा आवश्यकता, (मेगा किलो वा. घंटा में)	व्यस्ततमकालीन भार मे.वा.
1	2	3	4
1.	हरियाणा	22644	4259
2.	हिमाचल प्रदेश	3517	750
3.	जम्मू एवं कश्मीर	6463	1476
4.	पंजाब	30233	5515
5.	राजस्थान	29655	5218
6.	उत्तर प्रदेश	56440	10442
7.	चंडीगढ़	850	170
8.	दिल्ली	19352	3253
9.	गोवा	1373	278
10.	गुजरात	46049	7618
11.	मध्य प्रदेश	39931	6606
12.	महाराष्ट्र	78586	12460
13.	दादर एवं नगर हवेली	876	139
14.	दमन एवं दीव	560	92
15.	आन्ध्र प्रदेश	42710	7064
16.	कर्नाटक	29543	5141
17.	केरल	14632	2983
18.	तमिलनाडु	38447	6270
19.	पांडिचेरी	1908	325
20.	बिहार	19894	3739
21.	उड़ीसा	17859	2912
22.	सिक्किम	124	43
23.	पश्चिम बंगाल	26481	5030
24.	अरूणाचल प्रदेश	307	84
25.	असम	4710	937
26.	मणिपुर	629	174
27.	मेघालय	600	132
28.	मिजोरम	449	130
29.	नागालैंड	251	64
30.	त्रिपुरा	642	169
31.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	163	37
32.	लक्षद्वीप	25.3	7.1
	अखिल भारत	535903	90093

विवरण-V

वर्ष 1999-2000 के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	उपलब्धता (कि.वा.घं.)
1	2
1. चंडीगढ़	1172.73
2. दिल्ली	1247.53
3. हरियाणा	789.96
4. हिमाचल प्रदेश	469.13
5. जम्मू एवं कश्मीर	497.77
6. पंजाब	1116.69
7. राजस्थान	451.83
8. उत्तर प्रदेश	230.14
9. गुजरात	979.86
10. मध्य प्रदेश	436.31

1		2
11.	महाराष्ट्र	760.77
12.	गोवा	900.64
13.	आन्ध्र प्रदेश	570.26
14.	कर्नाटक	498.86
15.	केरल	370.50
16.	तमिलनाडु	581.50
17.	बिहार	84.17
18.	उड़ीसा	311.95
19.	पश्चिम बंगाल	232.89
20.	अरूणाचल प्रदेश	102.29
21.	असम	111.99
22.	मणिपुर	181.20
23.	मेघालय	225.33
24.	मिजोरम	238.19
25.	नागालैंड	125.18
26.	त्रिपुरा	158.20
	अखिल भारत	454.96

[हिन्दी]

पत्तनों को नया रूप दिए जाने हेतु योजना

***410. श्री मोहन रावले :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े पत्तनों को एक नया रूप दिए जाने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) कोई विशिष्ट स्कीम ("महापत्तनों को नया रूप देने के लिए") तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, फिलहाल महापत्तनों का विस्तार और विकास कार्य (जो एक सतत् प्रक्रिया है) चल रहा है और भारतीय महापत्तनों और उनकी उत्पादकता के मानकों में सुधार हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है:-

* नए बर्थों का निर्माण तथा उन्हें सुसज्जित करना।
* उभरते हुए कार्गो मिश्र के अनुरूप अति आधुनिक उपस्कर खरीदना।
* इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई.डी.आई.) की स्थापना।
* जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) की स्थापना।
* श्रमिक प्रशिक्षण एवं कल्याण।
* गैर-सरकारी क्षेत्र की अधिक भूमिका।
* महापत्तनों का निगमीकरण।

[अनुवाद]

ऊर्जा संरक्षण विधेयक

***411. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के लिए विद्युत सुधारों को अनिवार्य बनाने वाले ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 को अधिनियमित करने का केन्द्र सरकार का प्रस्ताव अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में नए विद्युत सुधारों के क्रियान्वयन हेतु उठाए गए/प्रस्तावित नए उपायों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) उर्जा संरक्षण विधेयक 2000 लोक सभा में दिनांक 24.2.2000 को प्रस्तुत किया गया था। इसमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संवर्धन से संबंधित मुद्दे का उल्लेख है। विधेयक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नाम से सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए सांविधिक उपाय करने और ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संवर्द्धन हेतु कथित उपाय लागू करने के लिए केन्द्र

सरकार, राज्य सरकार और ब्यूरो को कुछ शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। यह विधेयक ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थाई समिति को भेज दिया गया है। विद्युत मंत्रालय ने विधायी परिवर्तनों, जो कि सुधार प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे गए हैं, के संबंध में सुझाव प्रदान करे हेतु एक परामर्शदाता के रूप में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद एन.सी.ए.ई.आर. को कहा था। विद्यमान तीन बिजली कानूनों (भारतीय बिजली अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 तथा विद्युत विनियामक आयोग अधि. 1998) को प्रतिस्थापित करने के लिए एन.सी.ए.ई.आर. ने विद्युत विधेयक का एक मसौदा प्रस्तुत किया है।

विद्युत विधेयक 2000 का प्रारूप जैसे कि एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा प्रस्तुत किया गया है, राज्य सरकारों समेत सभी संबंधितों को उनकी टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया है। राज्यों, राज्य विद्युत बोर्डों, विनियामक आयोगों, विशेषज्ञों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा निजी युटिलिटियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। एन.सी.ए.ई.आर. ने विचार-विमर्श तथा टिप्पणियों के प्रकाश में अब प्रारूप में संशोधन किया है। अब संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संशोधित प्रारूप पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के सुधार कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई है ताकि वे वाणिज्यिक लाइनों पर कार्य कर सकें। 26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि दृढ़ निश्चय और आवश्यकता के अनुरूप सुधार किए जाने चाहिए। सुधार नीति के ये मुख्य घटक हैं:-

(1) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(3) विशेष समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी लाना और अंतत: पूर्ण रूप से बिजरी चोरी को समाप्त करना।

(4) सब-स्टेशन को प्राथमिकता आधार पर एक सीमा मानते हुए सब-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना/ उन्नयन करना।

गैर-सरकारी और विदेशी कम्पनियों की विद्युत परियोजनाएं

***412. श्री टी. गोविन्दन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में किन-किन गैर-सरकारी और विदेशी कम्पनियों ने अपनी रुचि दिखाई और बाद में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में होने वाले विलंब के कारण इसे वापिस ले लिया है; और

(ख) विद्युत क्षेत्र में और अधिक कंपनियों को आकृष्ट करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विद्युत मंत्रालय ने उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान केवल निजी विदेशी कंपनी यथा मै. कोर्जेंट्रिक्स इनर्जी इंक., जो कि मंगलौर विद्युत कंपनी (एम.पी.सी.) के मुख्य प्रवर्तकों में से एक है, ने यह सूचना प्रदान की है कि 11 फरवरी, 2000 से कंपनी ने अपना नाम वापस ले लिया है और 1000 मे.वा. मंगलौर विद्युत परियोजना और एम.पी.सी. में अपनी अभिरुचि चाइना लाइट (मारीशस लि.) जो कि एम.पी.सी. में इक्विटी भागीदार है को हस्तांतरित कर दी है। मै. कोंजेट्रिक्सम ने बताया है कि उनकी परियोजना या कंपनी में आगे कोई रुचि नहीं है। इस निर्णय के कोई कारण कंपनी द्वारा सूचित नहीं किए गए हैं।

(ख) निजी विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विकेन्द्रीकृत करने के लिए तथा विद्युत क्षेत्र में और कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निजी विद्युत परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित स्वीकृतियों की संख्या कम करना।

- इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए स्वाचालित अनुमोदन हेतु प्रावधानों में वृद्धि करके तथा चयनित श्रेणियों में विदेशी इक्विटी हेतु स्वचालित अनुमोदन हेतु प्रावधान करके विदेशी निवेश सम्प्रवर्तन बोर्ड की भूमिका कम करना। तदनुसार स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया पर विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की परियोजनाओं को 100% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी को अनुमति प्रदान की जायेगी, बशर्ते इस प्रकार की किसी भी परियोजना में विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

- पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को और शक्तियां प्रदान करना।

- जिन परियोजनाओं को के.वि.प्रा. की स्वीकृति अपेक्षित है उनके लिए सीमा में वृद्धि करना।

- परियोजनाओं का एक कार्यक्रम तैयार करना ताकि शीघ्र क्रियान्वयन किया जा सके और तैयारी हेतु अपेक्षित समय में कमी की जा सके।

- स्वीकृतियों में तेजी लाने, समस्याओं को दूर करने और वित्तीय समापन प्राप्त करने में अनंतिम समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सघन मॉनीटरिंग करना।

- विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियम पारित कर दिया गया है जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना की जा सकेगी। राज्यों ने विनियामक आयोगों की स्थापना कर दी है और तीन राज्यों ने आयोगों को अधिसूचित कर दिया है।

कच्चे तेल की खोज और उत्पादन

***413. श्री रतन लाल कटारिया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति के कारण देश में कच्चे तेल की खोज और उत्पादन को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रति वर्ष कितना कच्चा तेल आयात किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी करने और इसका उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के आयात तथा वार्षिक वृद्धि दर निम्नवत् है:

वर्ष	कच्चे तेल का आयात गत वर्ष पर मिलियन मीटरी टन प्रतिशत वृद्धि (मि.मी.ट.)	
1997-98	34.49	–
1998-99	39.81	15.42
1999-2000* (*अनंतिम)	44.99	13.01

(घ) सरकार ने देशी उत्पादन की वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जिनसे आयातों की कमी में मदद मिलेगी-

(1) बेहतर रिजर्वायर प्रबंध द्वारा मौजूदा क्षेत्र के इष्टतम उत्पादन तथा उन्नत और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

(2) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास।

(3) अन्वेषण कार्यों को तेज करते हुए नए हाइड्रोकार्बन भंडारों का पता लगाना, जैसे-

- मौजूदा क्षेत्रों में अधिक गहराई तक अन्वेषण।

- गहन जल तथा सीमांत क्षेत्रों में किए जाने वाले अन्वेषण कार्यों का विस्तार।

- नई अन्वेषण लाइसेंस नीति तथा अन्वेषण खंडों के लिए विभिन्न दौर के बोली के दौरों द्वारा अन्वेषण कार्यों में निजी भागीदारी बढ़ाना जिसके तहत 12 अप्रैल, 2000 को 22 उत्पादन भागीदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मामलों के लंबित रहने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी

***414. श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में देश की विभिन्न अदालतों में मामलों के भारी संख्या में लंबित रहने के संबंध में कार्यपालिका को पूर्णत: जिम्मेवार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन अदालतों में न्यायाधीशों के कितने पद खाली हैं तथा इन्हें भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) मामलों के बकाया का निपटान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने 26 नवंबर, 1999 को आयोजित उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन के एक समारोह में अपने विधि दिवस संबंधी अभिभाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि:

> ''देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर लगभग 5000 से अधिक न्यायालयों के सृजन से संबंधित सिफारिशें राज्य सरकारों और संघ सरकार के पास लंबित हैं और उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.....''

तद्नुसार, सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने, अत्यधिक लंबित मामलों के लिए एकमात्र कार्यपालिका को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

(ख) और (ग) सरकार और अधिक न्यायालय स्थापित करने की जरूरत के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर और उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है।

संविधान के अनुच्छेद 233 और 235 के उपबंधों के अनुसार, किसी राज्य के जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मामलों के बारे में कार्रवाई करना संबद्ध राज्य और उससे संबद्ध उच्च न्यायालय का कार्य है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने, सभी राज्य सरकारों से न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरे जाने का अनुरोध किया है।

उच्चतम न्यायालय में तारीख 1.2.2000 से 20,260 मामले लंबित थे।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामले संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(घ) उच्च न्यायालयों में तारीख 18.4.2000 को 136 पद रिक्त थे। सरकार, रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अपनी-अपनी सिफारिशें भेजने के लिए समय-समय पर अनुरोध करती रही है। प्रधानमंत्री के निदेशों के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें करने के लिए 19 जनवरी, 2000 को अनुरोध किया जा चुका है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए प्रस्ताव न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा ही भेजे जाते हैं। सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति की बाबत अनेक सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। ये प्रस्ताव विचारार्थ विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का भरा जाना संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच चलने वाली एक परामर्शी प्रक्रिया है। जबकि विद्यमान रिक्त पदों को भरने का हर संभव प्रयास किया जाता है लेकिन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या प्रोन्नति के कारण पद रिक्त होते ही रहते हैं।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1 जनवरी, 1999 से 15 अप्रैल, 2000 के दौरान 110 न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में 31.12.1998 को 1602 पद रिक्त थे।

(ङ) सिविल और दांडिक दोनों ही प्रकार के मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करना, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विधिक शिक्षा के मानकों में सुधार, विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, माध्यस्थम् और सुलहकारी जैसी विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना भी सम्मिलित है। विवादों के समाधान के लिए एक अनुपूरक मंच के रूप में लोक अदालतों को कानूनी आधार प्रदान किया गया है। अधिकाधिक न्यायालयों की स्थापना के लिए और अधिक धन प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-I

उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों का विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल	दांडिक	निम्नलिखित तारीख को
1.	इलाहाबाद	690666	125366	9/99
2.	आन्ध्र प्रदेश	127047	8518	12/99
3.	बम्बई	160105	24098	12/99
4.	कलकत्ता	268342	37356	9/99
5.	दिल्ली	152308	18593	6/99
6.	गौहाटी	33034	5003	12/99
7.	गुजरात	105403	16129	12/99
8.	हिमाचल प्रदेश	9345	2583	12/99
9.	जम्मू-कश्मीर	69917	2034	9/99
10.	कर्नाटक	79361	5125	12/99
11.	केरल	87015	9888	12/99
12.	मध्य प्रदेश	63121	40699	12/99
13.	मद्रास	323712	33383	9/99
14.	उड़ीसा	105242	9306	9/99
15.	पटना	66962	15950	9/99
16.	पंजाब और हरियाणा	148837	29160	9/99
17.	राजस्थान	97720	21778	9/99
18.	सिक्किम	170	33	9/99
	कुल	26,88,307	4,05,002	

विवरण-II

जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्नलिखित तारीख को	सिविल	दांडिक	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	06/99	569806	431400	1001206
2.	अरूणाचल प्रदेश	06/99	331	1469	1800

1	2	3	4	5	6
3.	असम	12/98	55039	131760	186799
4.	बिहार	06/99	251501	982602	1234103
5.	गोवा	12/99	27542	12041	39583
6.	गुजरात	06/99	641671	2413050	3054721
7.	हरियाणा	12/98	201656	293145	494801
8.	हिमाचल प्रदेश	12/99	71297	67826	139123
9.	जम्मू-कश्मीर	12/98	46529	75386	121915
10.	कर्नाटक	06/99	673006	484920	1157926
11.	केरल	06/99	215744	370419	586163
12.	मध्य प्रदेश	06/99	391032	1048308	1439340
13.	महाराष्ट्र	06/99	952885	2046551	2999436
14.	मणिपुर	06/99	4521	3596	8117
15.	मेघालय	12/97	261	1968	2229
16.	मिजोरम	06/99	2670	1184	3854
17.	नागालैंड		.....उपलब्ध नहीं.....		
18.	उड़ीसा	06/99	129757	528780	658537
19.	पंजाब	12/98	201118	174094	375212
20.	राजस्थान	06/99	280893	573999	854892
21.	सिक्किम	12/98	467	1352	1819
22.	तमिलनाडु	06/99	536988	304442	841430
23.	त्रिपुरा	06/99	5593	13319	18912
24.	उत्तर प्रदेश	06/99	1008471	2298622	3307093
25.	पश्चिम बंगाल	12/98	457254	854264	1311518
26.	अंदमान और निकोबार	06/99	552	56	608
27.	चंडीगढ़	12/98	12961	32206	45167
28.	दादरा और नगर हवेली	12/99	273	1035	1308
29.	दमन और दीव	06/99	601	623	1224
30.	दिल्ली	12/99	157531	305542	463073
31.	लक्षद्वीप	12/99	83	110	193
32.	पांडिचेरी	06/99	5583	5122	10705
	कुल		6903616	13459191	20362807

सेल्यूलर क्षेत्र

*415. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सेल्यूलर क्षेत्र अनपेक्षित रूप से बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल्यूलर कम्पनियों का राजस्व सरकार द्वारा लगाये गये सभी मूल अनुमानों से आगे निकल गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक प्रारंभिक लाइसेंसधारी अब इस व्यवसाय से बाहर हो चुके हैं और यह उद्योग धीरे-धीरे केवल कुछ कम्पनियों के हाथों में सिमटता जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में उभरते एकाधिकार को रोकने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सार्वजनिक उपयोग की सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) महानगरों में सेल्यूलर सेवा के लिए उपभोक्ता आधार प्राय: प्रचालकों के अनुमान से अधिक रहा है लेकिन दूरसंचार सर्किलों में यह प्रचालकों के अनुमान से सामान्यत: कम रहा है।

(ख) और (ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लाइसेंसधारियों द्वारा अर्जन किये जाने वाले राजस्व के बारे में सरकार ने कोई स्वतंत्र प्राक्कलन नहीं लगाया था। तथापि, वास्तविक राजस्व, बोलीदाताओं के अनुमानों पर आधारित प्रत्याशित राजस्व से अधिक नहीं हुआ है।

(घ) से (ज) देय लाइसेंस शुल्क का भुगतान न किये जाने के कारण सेल्यूलर सेवा के छ: लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे। अब उनमें से पांच को नयी दूरसंचार नीति-99 व्यवस्था में साथ-साथ माइग्रेशन के लिए पैकेज सहित उनके लाइसेंस को फिर से बहाल करने की पेशकश की गई है। शेष छठे लाइसेंस को फिर से बहाल करने के साथ माइग्रेशन पैकेज की पेशकश के लिए भी सिद्धान्तत: निर्णय ले लिया गया है।

लाइसेंस अहस्तांतरणीय हैं। लेकिन लाइसेंसधारी कंपनियों के मौजूदा प्रोमोटरों/पार्टनरों को एक निर्धारित लॉक-इन अवधि के बाद अपनी इक्विटी को ट्रांसफर करने की अनुमति है। फिलहाल, लाइसेंसधारी कंपनियों में इक्विटी में परिवर्तन की अनुमति देते समय, सरकार ने यह शर्त रखी है कि उसी कंपनी/विधिक व्यक्ति (लीगल परसन), एक ही सेवा क्षेत्र में सेवा के लिए दो लाइसेंसधारी कंपनियों में इक्विटी नहीं रखेगा।

यमुना की सफाई

*416. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना अत्यधिक प्रदूषित नदी है;

(ख) क्या सरकार ने इस नदी की सफाई के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नदी में जल की गुणवत्ता में कब तक सुधार हो जाएगा और सम्पूर्ण सफाई प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां, यमुना नदी दिल्ली के साथ-साथ और अधोप्रवाह में प्रदूषित है।

(ख) और (ग) यमुना की प्रदूषण निवारण स्कीम जो कि यमुना कार्य योजना के रूप में जानी जाती है, अप्रैल 1993 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थीं। यमुना कार्य योजना की

वर्तमान अनुमोदित लागत 509.45 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के अलावा हरियाणा के 12 शहरों, और उत्तर प्रदेश के 8 शहरों के प्रदूषण निवारण कार्य को लिया गया है। इस कार्य में सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, सीवर अवरोधन, शवदाहगृहों, कम लागत के शौचालयों, स्नान घाटों का निर्माण, वृक्षारोपण और जनभागीदारी के कार्य शामिल है। अभी तक कार्य योजना पर 418 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। दिल्ली में यमुना कार्य योजना के अंतर्गत दो सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने प्रतिदिन 1200 मिलियन लीटर से प्रतिदिन 2300 मिलियन की सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने के लिए 14 अन्य सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण की योजना बनाई है। इनमें से छह पहले ही पूरे हो चुके हैं और 9 पूरा होने के अंतिम चरण में हैं और मार्च 2001 तक पूरा हो जाएंगे। शेष एक सीवेज उपचार संयंत्र के लिए निविदाएं मंगवाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पूरी सीवेज प्रणाली के जीर्णोद्धार करने का भी निर्णय लिया है ताकि बहने वाले सतही नाले जो इस समय अपशिष्ट जल को नदी में निस्तारित कर रहे हैं उनका अवरोधन करके संबंधित सीवेज उपचार संयंत्रों में उपचार के लिए उनका दिशपरिवर्तन किया जा सके। नदी में प्रति सैकेन्ड न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर स्वच्छ जल के प्रवाह की अपेक्षा है जिसके लिए दिल्ली के अलावा इससे जुड़े सभी राज्यों ने अपना हिस्सा छोड़ना शुरू कर दिया है। औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 21 औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 21 औद्योगिक इस्टेटों में 15 सामूहिक बहिस्राव उपचार संयंत्रों के निर्माण का निर्णय लिया है और इनका कार्यान्वयन हो रहा है। हरियाणा में यमुना के किनारे अभिनिर्धारित 21 अत्यिधिक प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों में से 12 यूनिटें निस्तारण मानकों का अनुपालन कर रही हैं, 5 यूनिटें बन्द हो चुकी हैं और 4 दोषी यूनिटों के विरुद्ध पर्यावरण कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में अपशिष्ट जल का निस्तारण कर रही 11 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों में से 6 यूनिटें निस्तारण मानकों का अनुपालन कर रही हैं, 4 यूनिट बन्द हो गई हैं और 1 दोषी यूनिट के विरुद्ध पर्यावरण कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(घ) नदी जलगुणता में सुधार दिल्ली में निर्माणाधीन सीवेज उपचार संयंत्रों के पूरा होने, सीवरेज प्रणाली की पुनर्स्थापना और बहिस्राव उपचार संयंत्रों के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही होगा। इसमें लगभग चार वर्ष लगने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए उपकर लगाया जाना

*417. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु एक कोष स्थापित करने के लिए उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा चारों महानगरों को जोड़ने वाले "स्वर्णिम चतुर्भुज" को चार लेनों वाला बनाने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी कृतिकबल का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) जी हां। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल प्रत्येक पर एक रुपये प्रति लीटर का उपकर वसूला जा रहा है। इस उपकर से जमा होने वाली राशि का हिस्सा पेट्रोल पर एक रु. प्रति लीटर उपकर का 70% और हाई स्पीड डीजल पर एक रु. प्रति लीटर उपकर का 35% के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और कर्मीदल रहित रेलवे फाटकों पर सुरक्षा कार्यों के वित्त-पोषण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यान्वित करने का अधिदेश दिया गया है। जहां कहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्य शुरू किए जाते हैं, वहां परियोजना तैयार करने और पर्यवेक्षण इत्यादि के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी हां। इस कार्य के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है।

विवरण

कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं (एन.एच.डी.पी.) के लिए पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं की सूची

स्थिति : दिसम्बर, 1999

खंड, रा.रा. और राज्य	लम्बाई (कि.मी.)	प्रमुख ठेकेदार	पर्यवेक्षण परामर्शदाता
1	2	3	4
रा.रा.-8 पर गुड़गांव-कोटपुतली हरियाणा/राजस्थान	126	बी एस सी-आर बी एम-पी ए टी आई (संयुक्त उद्यम), सी-13 ओल्ड डी एल एफ कॉलोनी, सैक्टर-14 के नजदीक, गुड़गांव, हरियाणा (कार्यस्थल) टेलीफोन : 91-333320/303271 फैक्स : 91-333320	एस एम ई सी, प्लाट नं. 20, सैक्टर-32, गुड़गांव, हरियाणा (कार्यस्थल) टेलीफोन : 91-381881 फैक्स : 91-381814
रा.रा.-2 पर रानीगंज-पानागढ़ पश्चिम बंगाल	42	बी एम सी-आर बी एम-पी ए टी आई (संयुक्त उद्यम), आर-सी/8 सेलीट्राइड पाथ, बिधान नगर, दुर्गापुर-713212 (कार्य स्थल) टेलीफोन : 0341-444982/444977 फैक्स : 0341-444980	सीमंड्स ट्रेवर्स मॉरगन लि., ई एन-54, ग्रीसन स्ट्रीट, बिधान नगर, दुर्गापुर, 713212 (कार्य स्थल) टेलीफोन : 0343-537107 फैक्स : 0343-535438
रा.रा.-2 पर बरवाअड्डा बराकार बिहार	43	बी एस सी-आर बी एम-पी ए टी आई (संयुक्त उद्यम), गाहिरा, जी टी रोड, 411/600 कि.मी., पी ओ : जुगलेपुर, पी एस : गोविंद पुर धनबाद (कार्यस्थल), बिहार टेलीफोन : 06540-62500/ 62502/62503 फैक्स : 06540-62501	एस आर ई, एस टी एम, एन एच ए आई परिसर, केन्द्र-1 बी (रा.रा. 2 का 404 कि.मी.) पी ओ : वीटिया, पी एस : गोविंद पुर धनबाद (कार्यस्थल), बिहार-828109 टेलीफोन : 06540-62530/ 62529 फैक्स : 06540-62529
रा.रा.-5 पर विजयवाड़ा-इल्लूरू आंध्र प्रदेश	74	मधुकॉन बीनापुरी (संयुक्त उद्यम) विजयवाड़ा-इल्लूरू कार्यस्थल, प्रथम तल (मुख्यालय) मोट्टावरकू परिसर, मेरिस स्टेला कॉलेज के सामने, विजयवाड़ा-520008 आंध्र प्रदेश टेलीफोन : 0866-480947/480949 फैक्स : 0866-480002	केम्सेक्स इंटरनेशनल लि., हाउस नं. 40-15/2-19/10, वृंदावन कालोनी, खंडारी होटल के सामने, एम जी रोड (बंदर रोड), विजयवाड़ा-520010, आंध्र प्रदेश टेलीफोन : 0868-475727/480718

1	2	3	4
रा.रा.-5 पर चिलाकल्लूरी पेट-विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश	83	आई जे एम गायत्री, 6-3-1090/सी/1/ए, लवली मेंशन दूसरा तल, राजभवन रोड, सोमजीगुडा, हैदराबाद-50082 (मुख्यालय) टेलीफोन : 040-3310330, 3393311 फैक्स : 040-3398435	यू पी स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लि. सेतु भवन, 16, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ-226001 (मुख्यालय) टेलीफोन : 0522-282817
रा.रा.-8 पर जयपुर बाइपास (चरण-1) राजस्थान	14	इरकॉन इंटरनेशनल लि., सैक्टर-2/225, विद्याधर नगर, जयपुर-12 (कार्यस्थल) टेलीफोन : 0141-338817 फैक्स : 0141-338122	राइट्स अरूणाचल, (छठा तल), 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 (कार्यस्थल) टेलीफोन : 3350760, 3316071 फैक्स : 3350989
रा.रा.-5 पर जगतपुर-चंडीखोल उड़ीसा	33	मै. के एम सी कंस्ट्रक्शन लि., एम सी एच नं. 555, अरोड़ा कॉलोनी, रोड नं. 3, बंजारा हिल्स हैदराबाद (मुख्यालय) टेलीफोन : 040-3541385/86	स्पेन कंसलटेंट्स प्रा. लि., ई 3-5, दूसरा तल, एल एस सी, जे ब्लाक, साकेत नई दिल्ली-17 (मुख्यालय) टेलीफोन : 6565838/6861825 फैक्स : 6866768
रा.रा.-4 पर पुणे शहर के बाहर पश्चिमी मोड़ महाराष्ट्र	34	मै. अशोक बिल्डकॉन, (2) मै बिरला जी टी एम इंटरप्राइज (संयुक्त उद्यम)	मै. राइट्स, नई दिल्ली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं की सूची

दूरी, रा.रा. और राज्य	लम्बाई (कि.मी.)	परामर्शदाता
1	2	3
रा.रा.-2 पर आगरा सिकन्दरा उत्तर प्रदेश	200.34	लुई बर्गर इंटरनेशनल लि. 517 सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, सिविल लाइन्स के नजदीक, आगरा-28202, उत्तर प्रदेश (कार्यस्थल)
रा.रा.-2 पर सिकन्दरा-खागा उत्तर प्रदेश	198	स्वरूप सिविल इंक., 2-ए/220, आजाद नगर, कानपुर-20802, उत्तर प्रदेश (कार्यस्थल)

1	2	3
रा.रा.-2 पर खागा-वाराणसी उत्तर प्रदेश	202	एस एन सी, लवलीन इंटरनेशनल, 42-ए, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स-III इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211001
रा.रा.-2 पर वाराणसी- औरंगाबाद उत्तर प्रदेश	190.8	कोवी-स्पैन (संयुक्त उद्यम), 72, रोहित नगर (गांधी नगर) नरिया, वाराणसी-221005 उत्तर प्रदेश
रा.रा.-2 पर औरंगाबाद- बरवाअडा उत्तर प्रदेश	218.75	ढोर्च कंसल्टेंट द्वारा नंद एंड सामंत कंपनी प्रा. लि., पोस्ट आफिस और जिला-कोडेरमा, बिहार
रा.रा.-4 पर नीलमंगला- तुमकुर (30 से 75 कि.मी.) कर्नाटक	45	सी ई एस (आई) लि., (तकनीकी), 57, मंजूषा (5वां तल), नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (मुख्यालय) आई डी एफ सी (वित्तीय), रमन हाउस 169, बैकवे रीक्लेमेशन, मुंबई-400020
रा.रा.-4 पर तुमकुर- हरिहर (75-282 कि.मी.) कर्नाटक	201	फ्रेड्रिक आर. हैरिस इंक, 41, जमरदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048
रा.रा.-4 पर हरिहर- हावेरी (282-340 कि.मी.) कर्नाटक	58	एल.आर. कदियाली एंड एसोसिएट्स, एस-487, दूसरा तल, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110046 (मुख्यालय)
हावेरी-हुबली-बेलगांव- महाराष्ट्र सीमा	202	इंजीनियरिंग एंड मैनेजमैंट एसोसिएट्स, 316, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019 (मुख्यालय)
रा.रा.-4 पर बेलगांव बाइपास (495-515 कि.मी.) कर्नाटक	20	एल.आर. कदियाली एंड एसोसिएट्स, एस-487, दूसरा तल, ग्रैटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110046 (मुख्यालय)
रा.रा.-4 पर पुणे-सतारे- महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	240	सी ई एस (आई) लि., 57, मंजूषा (5वां तल), नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110010 (मुख्यालय) टेलीफोन : 6466691, 6415284
रा.रा.-8 पर अहमदाबाद- वडोडरा एक्सप्रैस मार्ग गुजरात	93	सी ई एस (आई) लि., 57, मंजूषा (5वां तल), नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (मुख्यालय)

1	2	3
रा.रा.-8 पर सूरत-मेनर (263.9-381.6 कि.मी) गुजरात	176	सी ई एस (आई) लि., 57, मंजूषा (5वां तल), नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (मुख्यालय)
रा.रा.-7 पर होसूर-कृष्णगिरि तमिलनाडु	46	शहल्डिया एसोसिएट्स इंक., अहमदाबाद
रा.रा.-46 और रा.रा.-4 पर कृष्णगिरि-रानीपेट-चेन्नै तमिलनाडु	255	राइट्स, अरूणाचल (छठा तल), 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 (मुख्यालय)
रा.रा. 8 पर दिल्ली-गुड़गांव (0.00 से 36.60 कि.मी.) दिल्ली/हरियाणा	36.6	1. राइट्स, अरूणाचल, (छठी मंजिल), 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 (मुख्यालय) 2. एल आर काडियाली एंड एसोसिएट्स, एस-487, दूसरी मंजिल ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110046 (मुख्यालय) वित्तीय : एसं बी आई कैपिटल
रा.रा.-8 पर जयपुर बाइपास चरण-II, राजस्थान	38	राइट्स, अरूणाचल (छठी मंजिल), 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 (मुख्यालय)
रा.रा. 8 पर जयपुर-किशनगढ़ (273-366.2 कि.मी.) राजस्थान	93	संभावनापूर्व हेतु ली एसोसिएट्स, परियोजना को बी ओ टी आधार पर किया जाना है
रा.रा. 8 पर किशनगढ़-उदयपुर राजस्थान	294	स्वेरड्रप सिविल इंक. यू.एस.ए.
रा.रा. 8 पर उदयपुर-रतरपुर-गांधीनगर, राजस्थान	247.6	सी ई एस (आई) लि., 57, मंजूषा (पांचवीं मंजिल) नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (मुख्यालय)
रा.रा. 2 पर पानागढ़-पलसीत पश्चिम बंगाल	66	विंटर एसोसिएट्स लि., एन एच ए आई काम्पलेक्स, सेक्टर-2ए, विधान नगर, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल-713212

1	2	3
रा.रा. 2 पर पलसीत-धनकुनी पश्चिम बंगाल	65	स्केटौरूट इंटरनेशनल-सी.ई.एस. (जे.वी.), 12/2, ब्लॉक डी डी, सेक्टर-I, साल्ट लेक, कलकत्ता-700064
धनकुनी-झारपोखरिया (रा.रा.-5 पर 210-17.4 कि.मी. (पश्चिम बंगाल/ उड़ीसा)	193	आई सी टी प्रा. लि., कादम्बरी रेलवे शेड रोड रंगामती, मिदनापुर-721101, प. बंगाल
झारपोखरिया-चंडीखोल (रा.रा.-5 पर 280.80-61 कि.मी.)	248	शेहलाडिया एसोसिएट्स इंक. एन-2/30, आई आर सी गांव भुवनेश्वर, उड़ीसा
भुवनेश्वर-खुर्दा (रा.रा.-5 पर 418-388 कि.मी.) उड़ीसा	30	शेहलाडिया एसोसिएट्स इंक. एन-2/20, आई आर सी गांव भुवनेश्वर, उड़ीसा
खुर्दा टाउन-आंध्र/उड़ीसा सीमा (388-233 कि.मी.)	142	डी एच वी-बी वी कंसलटेंट्स बी वी, लान 1914, एन आर 35, पी.ओ. बाक्स-1399 3800 बी जे अमर्सफोर्ट
आंध्र/उड़ीसा सीमा-रा.रा.-5 पर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	230.13	दि कोराडिनो ग्रुप-राइट्स (जे वी) पी 8, 10वां क्रास, वेस्ट एक्सटेंशन, थिल्लई नगर, त्रिची-620018
अंकापल्ली-यलमनचेल्ली-तुनी (रा.रा.-5 पर 350.2-300 कि.मी.) आंध्र प्रदेश	59.2	सी ई एस, 42, प्रथम तल, भवानी एपार्टमेंट, न्यू सरोदा ब्रिज, अंकापल्ली, आंध्र प्रदेश
तुनी-राजामुंदरी (रा.रा.-5 पर 300-200 कि.मी.) आंध्र प्रदेश	100	1. विंटर एसोसिएट्स लि., कनाडा 2. सी ई एस (आई) लि., नयी दिल्ली
राजामुंदरी (रा.रा.-5 पर 200 कि.मी. से (इलुरू के पास) 80 कि.मी.) (200-80 कि.मी.) आंध्र प्रदेश	120	एस एन सी लवालीन एंड आरवी एसोसिएट्स 8-3-1116/1 श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-73
विजयवाड़ा-राजामुंदरी (रा.रा.-5 पर इलुरू के पास 75-80 कि.मी.) आंध्र प्रदेश	5	आई सी टी प्रा.लि., ए-II, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-16 (मुख्यालय)
नेल्लोर-चेन्नई (रा.रा.-5 पर 165-11 कि.मी.) आंध्र प्रदेश/उड़ीसा	155	स्कॉट विल्सन किर्कपैट्रीक एंड कं. लि., जाकरिया हाउस, एफ-2/2 सेकन्ड मेन रोड, अन्ना नगर, ईस्ट चेन्नई-600102
चिलकालुरीपेट-नेल्लोर (रा.रा.-5 पर 354.77-180 कि.मी.) आंध्र प्रदेश	175	के.एम. इंटरनेशनल, स्वीडन

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं

***418. श्री अनन्त नायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी-कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त की गई है और इन परियोजनाओं से क्या परिणाम प्राप्त होंगे;

(ग) क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ऐसी कोई वानिकी परियोजना उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) वर्तमान में उत्तर प्रदेश और केरल में विश्व बैंक के क्रमश: 52 मिलियन और 39 मिलियन अमरीकी डालर ऋण से विश्व बैंक सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना, राष्ट्रीय जैव धरोहर का संरक्षण, वन तथा कृषि भूमियों में वन और वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना, वन की उत्पादकता को बढ़ाना, वनों तथा वृक्षों के प्रबंधन में लोगों को सम्मिलित करना और उन्नत मानव संसाधन विकास पैकेजों के माध्यम से प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाना है। चार वर्षों की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश परियोजना के अन्तर्गत 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र और केरल परियोजना के अन्तर्गत 54,600 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित करने पर विचार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरसंचार सुविधाएं

***419. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीफोन उद्योग का आधुनिकीकरण करने हेतु वर्ष 2000-2001 के दौरान वर्तमान केबलों के स्थान पर "आप्टिकल फाइबर केबल" बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) मध्य प्रदेश में 2000-2001 के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 2000-2001 के दौरान राज्य में विशषकर रीवा, छतरपुर और खजुराहो में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने और इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) देश में दूरसंचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए मौजूदा कॉपर केबलों के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, लम्बी दूरी के संचारण हेतु विभिन्न कस्बों को आपस में जोड़ने तथा एक ही शहर के विभिन्न एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। कुछेक मामलों में डिजीटल लूप कैरियर प्रणालियों के लिए भी एक्सेस नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है।

(ग) दूरसंचार सेवा विभाग की वर्ष 2000-2001 की अनुदान मांगों को अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तथापि, वर्ष 2000-2001 के लिए पूरे देश हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली के तहत प्रस्तावित आबंटन 2000 करोड़ रु. है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान, मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल ने 12 फाइबर केबल के 7530 किलोमीटर, 6 फाइबर केबल के 910 किलोमीटर तथा 24 फाइबर केबल के 250 किलोमीटर की योजना बनाई है।

(ङ) और (च) 2000-2001 के दौरान मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में जहां कहीं मांग होगी, मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जाएगा तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे। 2000-2001 के दौरान, रीवा तथा छतरपुर में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार तथा नए एक्सचेंजों की संस्थापना संबंधी प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं। चूंकि खजुराहो में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की पहले ही अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है, अत: मौजूदा एक्सचेंज के विस्तार का कोई योजना नहीं है।

क्र.सं.	स्थान का नाम	मौजूदा क्षमता	प्रस्तावित विस्तार	प्रस्तावित नए एक्सचेंज
1.	रीवा	20,632 लाइनें	3,616	खैरा, सतनी, नैकिन, पटेहरा, अकोरी, टिवानी
2.	छतरपुर	15,564 लाइनें	4,020	धमोरा, किशनगढ़, पुटरिया

ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा

***420. श्री रामचन्द्र बैंदा :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में राज्यवार विशेषकर बिहार में कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा है;

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार कितनी ग्राम पंचायतों में उक्त सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) शेष ग्राम पंचायतों में कब तक उक्त सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा देश की ग्राम पंचायतों में बेहतर टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) देश में ग्राम पंचायत गांवों सहित प्रत्येक गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की गई है। 31.3.2000 तक बिहार में 6497 ग्राम पंचायत गांवों सहित कुल 1,96,162 ग्राम पंचायत गांवों में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 14,427 ग्राम पंचायत गांवों में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आशा है। शेष ग्राम पंचायत गांवों में टेलीफोन सुविधा मार्च, 2002 तक उपलब्ध कराए जाने की आशा है। राज्य-वार सूचना इस प्रकार है:-

राज्य	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या	वर्ष 2000-2001 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने वाले ग्राम पंचायत
1	2	3	4
अंडमान-निकोबार	67	67	0
आंध्र प्रदेश	19533	18256	0
असम	2486	2094	200
बिहार	11792	6497	2000
गुजरात	13488	12396	0
हरियाणा	5946	5946	0
हिमाचल प्रदेश	2922	2584	150
जम्मू-कश्मीर	1461	874	102
कर्नाटक	5692	5419	273
केरल	982	982	0

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	31158	24089	1200
महाराष्ट्र	24752	22732	0
गोवा	185	185	0
अरूणाचल प्रदेश	944	386	139
मणिपुर	429	359	17
मेघालय	450	405	45
मिजोरम	613	429	46
नागालैंड	1001	406	148
त्रिपुरा	910	547	91
उड़ीसा	5261	5010	100
पंजाब	12477	11975	0
राजस्थान	9181	8619	0
तमिलनाडु	13115	13099	16
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	51262	34194	9000
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	19674	14610	770
पश्चिम बंगाल	3793	3699	94
सिक्किम	148	112	36
दिल्ली	191	191	0
जोड़	239913	196162	14427

पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को शेष ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन फिक्स्ड सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्राम पंचायत गांवों में टेलीफोन सुविधा आधुनिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों से दी गई है। इनमें से अधिकांश एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा है। बहुत से ग्रामीण एक्सचेंजों में आप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव, उपग्रह अथवा भूमिगत केबल पर विश्वसनीय पारेषण माध्यम भी उपलब्ध कराया गया है। शेष एक्सचेंजों को भी उत्तरोत्तर रूप से विश्वसनीय पारेषण माध्यम द्वारा जोड़ा जा रहा है। प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन में और सुधार करने के लिए स्थानीय नेटवर्क में डब्ल्यू एल एल, उपग्रह तथा सी-डॉट/पी एम पी जैसी नई प्रौद्योगिकियां शुरू की जा रही हैं।

[अनुवाद]

इमारती लकड़ी की जब्ती

4349. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 2000 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "टिम्बर सीजर : एन.ई. गवर्नमेंट्स इन द डॉक ओवर स्लो इंक्वायरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना मिलने पर उत्तर पूर्वी राज्यों से लाई गई इमारती लकड़ी वाले लगभग 200 वैगनों को वास्तविक जांच के लिए रोक लिया गया है। वास्तविक जांच के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश वैगनों में इमारती लकड़ी की काफी मात्रा थी जिनके साथ वैध विधिक दस्तावेज नहीं थे। विस्तृत जांच के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

सेतु समुंदरम परियोजना

4350. श्री पी. मोहन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सेतु समुंदरम जलयान नहर परियोजना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन और पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन-पत्र तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तमिलनाडु के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही इस मांग की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) सरकार ने 4.20 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सेतु समुंदरम पोत नहर परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन और पर्यावरण प्रभाव आक्कलन अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इन अध्ययन कार्यों में दो वर्ष लगेंगे।

[हिन्दी]

बिहार में लंबित लड़क परियोजनाएं

4351. श्री राजो सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति से संबंधित बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में अभयारण्य

4352. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन्हें कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या उक्त धनराशि के व्यय की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 35 वन्य जीव अभयारण्य हैं और "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अभयारण्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	लाख रुपए में
1997-98	101.04
1998-99	32.13
1999-2000	133.51

(ग) और (घ) 31 मार्च, 1999 तक के व्यय की समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान जारी की गई 133.17 लाख रुपए की राशि में से 62.495 लाख रुपए की राशि का उपयोग किया है।

दूरसंचार सुविधाएं

4353. श्री सी. कुप्पुसामी :
डा. एस. जगतरक्षकन :
श्री यू.वी. कृष्णमराजू :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं/टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार/विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विशेषकर इन राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करते समय अनियमितताओं की कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। वर्ष 2000-2001 के लिए तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए योजना तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, अव्यवहार्य क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में विलंब के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

सेल्यूलर-टेलीफोन

4354. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सैल्यूलर-योजना किस तारीख से शुरू/कार्यरत की गई थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने सेल्यूलर प्रयोक्ता पंजीकृत किए गए हैं; और

(ग) प्रयोक्ताओं को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) अगस्त, 1995 में कलकत्ता महानगर में एक निजी भारतीय लाइसेंस धारक कम्पनी ने पहली बार सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कार्यालय को अन्यत्र खोलना

4355. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाप्रबंधक के कार्यालय की स्थापना के लिए कौन-कौन से मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या जिला प्रबंधक, टेलीकॉम के मऊ (उत्तर प्रदेश) कार्यालय के स्थान पर आजमगढ़ (उ.प्र.) में महाप्रबंधक के कार्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मानदंडों के अनुसार, जब किसी दूरसंचार सर्किल को दूरसंचार जिलागत सीधी एक्सचेंज लाइनें 34,500 तक पहुंच जाती है तो, ऐसे दूरसंचार जिला प्रबंधक का दर्जा बढ़ाकर महाप्रबंधक दूरसंचार जिला कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

लाइनमेनों को पेजर

4356. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोन को तत्काल ठीक करने के उद्देश्य से फील्ड-स्टाक को पेजर उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र में भी फील्ड-स्टाफ को पेजर उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्य में इस सुविधा को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के 'लाइन-स्टाफ' को 3400 पेजर प्रदान किए गए हैं।

(ग) से (ङ) अभी केवल राज्यों की राजधानियों तथा कुछेक बड़े नगरों के लाइन स्टाफ को ही पेजर देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, महाराष्ट्र के मुंबई तथा पुणे के लाइन-स्टाफ को पहले ही पेजर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

मुम्बई रिफाइनरी के लिए मुम्बई हाई गैस की आवश्यकता

4357. श्री किरीट सोमैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई रिफाइनरी के लिए मुम्बई हाई गैस की कितनी आवश्यकता है;

(ख) रिफाइनरी के लिए वास्तव में कितनी मात्रा में मुम्बई हाई गैस का आबंटन किया जा रहा है;

(ग) रिफाइनरी को अपेक्षित गैस का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से मुम्बई रिफाइनरी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त गैस आपूर्ति आबंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) प्राकृतिक गैस की उनकी वर्तमान मांग 0.5 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) की तुलना में, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की मुंबई रिफाइनरी को किया गया आबंटन 0.05 एम.एम.एस.सी.एम.टी. है।

(ग) क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को किए जाने वाले मौजूदा आबंटनों की तुलना में यूरान से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता काफी कम है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में पर्यावरण परियोजनाएं

4358. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित पर्यावरण परियोजनाओं की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आरम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाओं की संख्या और प्राप्त की गई उपलब्धियों के साथ-साथ उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाएं निकट भविष्य में लगातार जारी रहेंगी।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	जारी की गई राशि			उपलब्धियां		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एकीकृत वनीकरण एवं परिस्थितिकीय विकास परियोजना	169.66	278.37	299.87	975 हैक्टेयर क्षेत्र पूरा किया गया है	2536 हैक्टेयर क्षेत्र पूरा किया गया	2270 हैक्टेयर क्षेत्र पूरा किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	क्षेत्र उन्मुख जलाने की लकड़ी और चारा परियोजना	120.33	42.31	0.00	1469 हैक्टेयर पूरा किया गया	1440 हैक्टेयर क्षेत्र पूरा किया गया	–
3.	इमारती लकड़ी से इत्तर वन उत्पाद	97.05	151.35	187.85	–	1445 हैक्टेयर क्षेत्र पूरा किया गया	824 हैक्टेयर क्षेत्र पूरा किया गया
4.	वृक्ष चारागाह और बीज विकास	45.55	0.00	13.42	–	–	–
5.	पारिस्थितिकीय विकास स्कीम	0.00	0.00	13.70	02 राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य पूरे किए गए		
6.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	124.70	7.00	5.55	14 राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य पूरे किए गए		
7.	नम भूमि का संरक्षण और प्रबंधन	0.00	45.86	0.00	3 नम भूमि में पूरा हुआ		

[अनुवाद]

आई.ओ.सी. की ''रिसाइटमेंट'' नीति

4359. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम की खुदरा बिक्री केन्द्रों को किसी नए स्थान पर खोले जाने संबंधी कोई ''रिसाइटमेंट'' नीति और मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''रिसाइटमेंट'' नियमों में यह व्यवस्था है कि आंशिक रूप से इसे अन्यत्र नहीं खोला जाएगा ताकि एक ही समय अन्यत्र खोले गए बिक्री केन्द्र और पुराने केन्द्र बिक्री स्थल पर इसे बंद किए बिना इनका साथ-साथ प्रचालन हो सके;

(घ) यदि हां, तो कश्मीर घाटी में गत तीन वर्षों के दौरान जिन बिक्री केन्द्रों को अन्यत्र खोलने की अनुमति दी गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.ओ.सी. ने कश्मीर घाटी में नियमों के घोर उल्लंघन करते हुए कतिपय बिक्री केन्द्रों की आंशिक रूप से अन्यत्र खोलने की अनुमति दी है;

(च) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघन के कितने मामले हुए हैं और इस ''रिसाइटमेंट'' नीति के उल्लंघनकर्त्ताओं के नाम क्या हैं; और

(छ) दोषी अधिकारियों और उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने कुछ मानकों के पूरा किए जाने की शर्त पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थान परिवर्तन के लिए तेल कम्पनियों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं। इन मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ मार्ग बन्द होने, चुंगी चौकी के स्थानान्तरण, किसी नए मार्ग/बाईपास की राह में आने या क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक के बन्द हो जाने आदि के कारण बिक्री की मात्रा आर्थिक व्यवहार्यता स्तर से नीचे जाना सम्मिलित है।

(ग) स्थान परिवर्तन दिशानिर्देशों के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों के आंशिक स्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

(घ) से (छ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों में दिशानिर्देशों के अनुसार कश्मीर घाटी में 2 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों का स्थान परिवर्तन किया गया है।

वन संबंधी नए अनुसंधान संस्थान

4360. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में वन संबंधी नए अनुसंधान संस्थान खोलने से संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों के वानिकी केन्द्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति राज्यों से बाहर के संस्थानों द्वारा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में नए अनुसंधान केन्द्र/संस्थान खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की तरफ से तमिलनाडु की अनुसंधान संबंधी आवश्यकताएं वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर द्वारा तथा कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश की अनुसंधान संबंधी आवश्यकताएं काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर द्वारा पूरी की जाती हैं। हाल ही में आन्ध्र प्रदेश की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर के तहत हैदराबाद में एक केन्द्र खोला गया है।

एल.पी.जी. एजेंसियां

4361. श्री मोइनुल हसन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति एक लाख की आबादी पर राज्य-वार रसोई गैस एजेंसियों का अनुपात क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में 84.63 करोड़ जनसंख्या थी। 1.1.2000 तक देश में 6001 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थी। एक लाख जनसंख्या के लिए एलपीजी एजेन्सियों का अनुपात 0.71 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लाख में)	1.1.2000 तक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या	प्रति 1 लाख जनसंख्या पर एलपीजी एजेंसियों का अनुपात
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	665.08	515	0.77
अरूणाचल प्रदेश	8.65	19	2.20
असम	224.14	151	0.67
बिहार	863.74	220	0.25
दिल्ली	94.21	304	3.23
गोवा	11.70	35	2.99
गुजरात	413.10	425	1.03

1	2	3	4
हरियाणा	164.64	183	1.11
हिमाचल प्रदेश	51.71	76	1.47
जम्मू व कश्मीर	77.19	104	1.35
कर्नाटक	449.77	350	0.78
केरल	290.99	225	0.77
मध्य प्रदेश	661.81	379	0.57
महाराष्ट्र	789.37	736	0.93
मणिपुर	18.37	18	0.98
मेघालय	17.75	19	1.07
मिजोरम	6.90	14	2.03
नागालैंड	12.10	19	1.57
उड़ीसा	316.60	110	0.35
पंजाब	202.82	286	1.41
राजस्थान	440.06	253	0.57
सिक्किम	4.06	3	0.74
तमिलनाडु	558.59	442	0.79
त्रिपुरा	27.57	17	0.62
उत्तर प्रदेश	1391.12	727	0.52
पश्चिमी बंगाल	680.78	325	0.48
संघ राज्य क्षेत्र			
अण्डमान एवं निकोबार	2.81	1	0.36
चण्डीगढ़	6.42	29	4.52
दादर एवं नगर हवेली	1.38	1	0.72
दमन एवं दीयू	1.02	2	1.97
लक्षद्वीप	0.52	1	1.93
पाण्डिचेरी	8.08	12	1.49
अखिल भारत	8463.03	6001	0.71

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क

4362. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास अन्तरराष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त नेटवर्क मुम्बई और बेंगलूर से बाहर जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह नेटवर्क मुम्बई और बेंगलूर शहरों के लोगों के लिए कहां तक लाभदायक होगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। वी.एस.एन.एल. की 1998 में मैसर्स सीटीआर ग्रुप लिमिटेड नामक यूएसए की कंपनी से "प्रोजेक्ट ऑक्सीजन" का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) वी.एस.एन.एल. ने परियोजना में भाग लेने के लिए मै. सी.टी.आर. ग्रुप लि. के साथ एक अबाध्यकारी समझौत ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रस्ताव की व्यापार योजना की अभी जांच की जानी है।

(ग) "परियोजना" में मुंबई में ही एक आरंभिक लैडिंग प्वाइंट की परिकल्पना की गई है। इस समय भविष्य में इसे अन्य शहरों तक और विस्तार देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(घ) व्यापार योजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता, कीमत संबंधी विवक्षाएं और लैडिंग प्वाइंट सहित डिजाइन का ब्यौरा अभी निश्चित किया जाना है।

(ङ) चूंकि व्यापार योजना अभी निश्चित की जानी है, इसलिए इस परियोजना से मुंबई और बंगलूर के व्यक्तियों को होने वाले लाभों का परिकलन नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में एल.पी.जी. एजेंसी की स्थापना

4363. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिंघौली, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में एल.पी.जी. एजेंसी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो सिंघौली में गैस एजेंसी की स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिलान्तर्गत सिघौली में एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित की जानी है। जब स्थान इंडियन आयल कारपोरेशन के द्वारा दिसम्बर, 1997 में और पुन: मई, 1998 में विज्ञापित किया गया था। वितरक का चयन डीलर चयन बोर्ड द्वारा योग्यता के अनुसार साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6-12 माह लग जाते हैं। डीलर चयन बोर्ड हाल ही में भंग कर दिए गए हैं।

राजस्थान में डाकघर

4364. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में नये डाकघर एवं उप-डाकघर खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में नये डाकघर, उप-डाकघर खोलने और मौजूदा डाकघरों के उन्नयन का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्य में डाकघरों के लिए नयी इमारतों के रखरखाव और निर्माण के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(च) क्या अजमेर में पूर्वी क्षेत्र के पी.एम.जी. मुख्यालय की इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक आरंभ हो जाने और पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सर्किल में उप डाकघर खोलने के लिए 12 तथा शाखा डाकघर खोलने के लिए 52 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों में से 1 उप डाकघर तथा 8 शाखा डाकघर खोले गए। शेष अभ्यावेदनों की जांच की गई थी तथा नए डाकघर खोलने के लिए मौजूदा विभागीय मानदण्डों के आधार पर डाकघर खोलना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर/उप डाकघर खोलने तथा मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान, भवनों के रख-रखाव के लिए 1.10 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान भवनों के निर्माण के लिए 5 लाख रु. आवंटित किए गए थे। वर्ष 2000-2001 के लिए अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि संसद द्वारा अभी अनुदान की मांगों को पारित किया जाना है।

(च) जी हां। अजमेर, राजस्थान में पोस्टमास्टर जनरल मुख्यालय पूर्वी परिक्षेत्र के भवन के निर्माण का प्रस्ताव है।

(छ) उक्त कार्य की निर्माण से पूर्व की आवश्यक औपचारिकताओं पर कार्रवाई की जा रही है। परियोजना का प्रारंभ होना इन औपचारिकताओं के पूरा होने, धनराशि उपलब्ध रहने तथा विभाग की प्रचालनात्मक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विजाग इस्पात संयंत्र के निकट पत्तन का निर्माण

4365. श्री सुनील खां : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विजाग इस्पात संयंत्र के निकट किसी पत्तन के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पत्तन का निर्माण कार्य कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और काकीनाडा के बीच औद्योगिक कारीडोर की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निजी क्षेत्र के जरिए विजाग इस्पात संयंत्र के निकट गंगावरम् नामक एक लघु पत्तन के विकास का प्रस्ताव किया है। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार लघु पत्तनों के विकास का संपूर्ण दायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का है जिसका ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। गंगावरम् लघु पत्तन होने के कारण आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है।

वन सीमाओं में सुधार हेतु परियोजना

4366. श्री जी.एस. बसवराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में वन सीमाओं में सुधार लाने और संचार प्रणाली के लिए 103.60 करोड़ रुपए की लागत वाली एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या-क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने 1103.860 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कर्नाटक राज्य में वन सुरक्षा हेतु एक पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है। यह परियोजना योजना आयोग के पास प्रेषित की गई थी तथा उन्होंने यह सूचित किया कि इस परियोजना के लिए धनराशि आबंटित करना संभव नहीं होगा क्योंकि नवीं पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कर्नाटक राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया है और उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे इस परियोजना को राज्य प्लान बजट में शामिल कर लें।

[हिन्दी]

दिल्ली में महिला अदालतें

4367. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में दो वर्ष पूर्व महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटान के लिए महिला अदालतें गठित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अदालतों का ब्यौरा क्या है और यह किन-किन स्थानों पर है;

(ग) क्या इन अदालतों में अभी भी बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1.9.1994 से दिल्ली में चार महिला न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इनमें तीस हजारी में अपर सेशन न्यायाधीश का एक न्यायालय और मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों के तीन न्यायालय अर्थात् तीस हजारी, नई दिल्ली और कड़कड़डूमा (शाहदरा) में स्थित न्यायालयों में एक-एक मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) 31.12.1999 को तीस हजारी में स्थापित महिला सेशन न्यायालय में 673 मामले लंबित थे और तीन महिला मजिस्टेरियल न्यायालयों में 2014।

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्ति

4368. श्री अमर रायप्रधान : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के संसद सदस्यों की फोरम ने क्रमश: 17 फरवरी, 1996, 1 सितम्बर, 1997 और 23 जुलाई, 1998 को प्रधानमंत्री को कोई अभ्यावेदन सौंपकर अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को उच्चतर न्यायिक प्रशासन में महत्वपूर्ण कार्य सौंपने की मांग की;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता और अन्य सरकारी अधिवक्ता थे तथा उनमें से कितने अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के थे साथ ही ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या में उनका प्रतिशत क्या था;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

4369. श्री शमशेर सिंह डूलो : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में, विशेषकर रोपड़ जिले में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दूरभाषों के विस्तार का कार्य कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, नहीं। पंजाब दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए वर्ष 1999-2000 हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूर्णत: प्राप्त कर लिया गया है। वस्तुत:, 3,32,500 लाइनों के नियोजित लक्ष्य के मुकाबले 3,67,444 लाइनें चालू की गई। तथापि, रोपड़ में 7,000 लाइनों के मुख्य टेलीफोन-एक्सचेंज का संस्थापना कार्य अग्रिम चरण में है तथा इसके मई, 2000 तक चालू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय दूरसंचार समिति

4370. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय दूरसंचार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) उपरोक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित किये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। "राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति (एन.टी.ए.सी.) व 'राष्ट्रीय टेलीफोन-सेवा समिति' (एन.टी.एस.सी.) का गठन कर दिया गया है। माननीय सदस्य द्वारा 'केंद्रीय दूरसंचार समिति' के संदर्भ में उनका अभिप्राय संभवत: केवल उक्त समितियों की बाबत ही है।

(ख) उक्त सिमितियों के ब्यौरों व गठन संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन समितियों के सदस्यों की नियुक्तियों के निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं:-

(1) समाज के विभिन्न उपभोक्ता प्रतिनिधि,

(2) दूरसंचार सर्किलों की टेलीफोन-सलाहकार समितियों के प्रतिनिधि,

(3) सामाजिक कार्यकर्ता,

(4) विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति,

(5) चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज ऐसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर-सर्विस कम्पनीज" तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों को स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
415, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-1

सं. 6-1/99 पीएचपी दिनांक : 23 फरवरी, 2000

विषय : संचार मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति तथा राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति का गठन।

इस विभाग में राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति तथा राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति के गठन के लिए काफी दिनों से विचार चल रहा था। अब चूंकि यह आवश्यक हो गया है कि टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए अत: इस हेतु एक राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति तथा एक राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है जो निम्न शर्तों के अनुसार होंगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाना आवश्यक हो गया है ताकि देश के विभिन्न भागों से सूचना मिल सके और इस सूचना के आधार पर सेवाओं में और सुधार लाया जा सके।

क. राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति (एनटीएसी)

2. राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन भी उसी आधार पर किया जाएगा जिस आधार पर सर्किल एवं एस.एस.ए. स्तर पर टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। इस एनटीएसी में 100 (सौ) सदस्य होंगे और त्रिशेष परिस्थितियों में इस संख्या को बढ़ाए जाने का उपबंध होगा। प्रत्येक सर्किल को टीएसी स्तर पर एक सदस्य का चयन किया जा सकता है जबकि अन्य सदस्यों का चयन प्रभारी माननीय संचार मंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। प्रभारी माननीय संचार मंत्री इस राष्ट्रीय टीएसी के अध्यक्ष होंगे। संचार राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ उप महानिदेशक (एनडब्ल्यू) इस राष्ट्रीय टीएसी के सदस्य सचिव होंगे।

कार्य

यह समिति निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के बाद इनसे संबंधित अपने सुझाव/सिफारिशें प्रस्तुत करेगी:-

(क) ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों, पर्यटक स्थलों, जनोपयोगी स्थानों एवं क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को पहुंचाना जिसके फलस्वरूप देश में सम्पन्नता लाई जा सके।

(ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने में व्याप्त असंतुलन तथा विषमताओं को कम करना।

(ग) ऐसे सुझाव देना जिससे दूरसंचार सेवा विभाग जनता की बढ़ती हुई आशाओं को पूरा कर सके और देश के किसी भी भाग में टेलीफोन सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को कम कर सके।

(घ) नई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का कम विकसित पर्वतीय, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सुझाव देना।

(ङ) दूरसंचार नेटवर्क के विकास के फलस्वरूप हुए सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से संबंधित मुद्दे जिनमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना तथा समाज के कमजोर वर्गों को उठाने के मुद्दे विशेष हैं।

(च) इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाना जिससे उदारीकरण की प्रक्रिया में और विशेषतौर पर दूरसंचार क्षेत्र में सामाजिक बाध्यता अपना अस्तित्व न खो बैठे।

(छ) कर्मचारियों व आवासों के बीच के अनुपात को बढ़ाना, कर्मचारियों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाएं देना तथा उन्हें अन्य सुविधाएं मुहैया करवाना जिससे कर्मचारियों में अपनी नौकरी के प्रति संतोष पैदा हो और वे विभाग को दक्ष बनाने में अपना योगदान दें।

राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति के राष्ट्रीय स्तर के विचारार्थ विषय मुख्य रूप से नीतिगत मामलों से संबंधित होंगे और इनमें सर्किल/एसएसए स्तर की टीएसी के कार्य क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस प्रकार एनटीएसी के सदस्य किसी प्रकार की आवश्यक जानकारी तथा पूछताछ के लिए वरिष्ठ उपमहानिदेशक (एनडब्ल्यू) से संपर्क करेंगे।

पात्रता

3. इस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, मुत्थूस्वामी द्वारा संकलित एफआर/एसआर के भाग II (14वां संस्करण-1999) के एसआर 190 (परिशिष्ट-II) में दिए गए इसी प्रकार की समितियों/आयोगों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के द्वारा शासित होंगे। सरकारी सदस्यों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते उन पर समय-समय पर लागू आदेशों के अनुरूप दिए जाएंगे। प्रत्येक सदस्य को वांछित स्थान पर एक बिना बारी का एसटीडी सुविधायुक्त अस्थाई आवासीय टेलीफोन प्रदान किया जाएगा। इस टेलीफोन पर कोई किराया अथवा संस्थापना प्रभार नहीं लगेगा तथा इस समय आरएसटीसी के लिए यथा लागू द्विमासिक 1150 नि:शुल्क कॉल दिए जाएंगे और यह टेलीफोन सदस्यों के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध होगा। जहां तक सर्किल टीएसी के चयनित सदस्यों का संबंध है उन्हें इस हेतु न तो कोई अतिरिक्त टेलीफोन और न ही अतिरिक्त नि:शुल्क कॉल दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय टीएसी का कार्यकाल तथा बैठकें

4. सामान्य रूप से राष्ट्रीय टीएसी का कार्यकाल दो वर्ष होगा। इसका कार्यकाल माननीय संचार मंत्री के विवेक पर घटाया जा सकता है और इसे पुनर्गठित किया जा सकता है। राष्ट्रीय टीएसी का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा इसकी बैठकें साल में कम से कम दो बार होगी परन्तु यदि प्रति तिमाही एक बैठक हो तो ज्यादा अच्छा होगा। परन्तु ये बैठकें संसद-सत्र के दौरान नहीं होगी। राष्ट्रीय टीएसी की बैठक इसके अध्यक्ष द्वारा यथा निर्णीत स्थान अर्थात् दिल्ली में होगी।

ख. राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति

5. इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति में अध्यक्ष सहित 11 (ग्यारह) सदस्य होंगे। यह सभी सदस्य माननीय संचार मंत्री जी द्वारा जाने-माने लोगों तथा सामाजिक सेवकों में से चयनित किए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस समिति को सचिवालयीय सहायता विभाग द्वारा दी जाएगी।

कार्य

यह समिति निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करके अपने सुझाव/सिफारिशें देगी:-

(क) जनोपयोगी विशेषकर ग्रामीण/पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों, अस्पतालों, राजमार्गों, तीर्थस्थलों तथा पर्यटन केन्द्रों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में दूरसंचार सुविधा में सुधार लाना।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन का संकल्पना।

(ग) दोष निवारण, नए टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन शिफ्ट करने संबंधी अनुरोध।

(घ) बिल बनाने की प्रक्रिया विशेषतौर पर भुगतान न करने के कारण टेलीफोन काटने/पुन: चालू करने से संबंधित मामले जिसके फलस्वरूप देश में समग्र बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।

(ङ) उपभोक्ताओं द्वारा दूरसंचार परिसरों में जाने पर उन्हें सुविधाएं देना।

(च) दूरसंचार कार्मिकों के साथ संपर्क स्थापित करने पर ग्राहकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार।

(छ) प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि यह ग्राहक हितैषी बन सके।

(ज) क्षमता को बढ़ाना/शिकायत निवारण तंत्र की, सभी स्तरों पर सशक्त बढ़ाना।

(झ) विशेष सेवाओं अर्थात् 197, 198 तथा 199 इत्यादि में सुधार लाना।

(ञ) सूचना का प्रचार-प्रसार करके दूरसंचार सेवाओं के बारे में जन सामान्य को जानकारी देना।

राष्ट्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति (एनटीएसी) तथा राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति (एनटीएससी) के मुख्यालय का स्थान

6. एनटीएससी का मुख्यालय दिल्ली में होगा जिसके कार्यालय हेतु नई दिल्ली में आवश्यक स्थान उपलब्ध करवाने एवं उसके रखरखाव व साज-सज्जा का कार्य दूरसंचार विभाग/ दूरसंचार सेवा विभाग के सामान्य प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

एनटीएससी के सामान्य उपबंध

7. राष्ट्रीय टीएससी के अध्यक्ष को प्रभारी माननीय संचार मंत्री नामित करेंगे। वरिष्ठ उप महानिदेशक (एनडब्ल्यू) इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। एनटीएससी के अध्यक्ष को 6000/- रु. तथा सदस्यों को 4000/- रु. का प्रतिमाह नियत मानदेय दिया जाएगा।

1. एनटीएससी के सदस्य आमतौर पर अपनी बात समिति के अध्यक्ष से सीधे कहेंगे जो इसे माननीय संचार मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। प्रशासनिक मामलों तथा अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए वे सचिव, दूरसंचार सेवा विभाग से संपर्क करेंगे।

2. समिति द्वारा वांछित स्थान पर एनटीएससी की बैठक का आयोजन किया जाएगा।

3. एनटीएससी के सुझाव सिफारिशी प्रकृति के होंगे तथा इस समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित कार्य दूरसंचार आयोग के एन.डब्ल्यू. सेल द्वारा किया जाएगा।

4. एनटीएससी तथा एनडब्ल्यू सेल को आवश्यक सचिवालयीय सहायता संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा दी जाएगी।

8. इस राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा समिति (एनटीएससी) का कार्यकाल एवं अन्य पात्रताएं बैठकें इत्यादि राष्ट्रीय टीएसी के समान ही होंगी।

(पी.के. राय)
सहायक निदेशक (पीएचपी)

सेवा में,

सभी मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिले
मुख्य महाप्रबंधक एमटीएनएल दिल्ली/मुम्बई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एनटीएन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, संचार मंत्री/संचार राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, अध्यक्ष दूरसंचार आयोग
3. निजी सचिव, सचिव दूरसंचार सेवा विभाग
4. निजी सचिव व उप महानिदेशक (एनडब्ल्यू)
5. निजी सचिव संयुक्त सचिव (प्रशासन)

(ए.के. साहू)
अनुभाग अधिकारी (पीएचपी)

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की बिक्री

4371. श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने जुलाई, 1997 में चावल की बिक्री हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि निविदा की शर्तों में हेरफेर करके सर्वोच्च बोली लगाने वाले को चावल का आवंटन नहीं किया गया जबकि चावल की बिक्री सबसे नीची बोली लगाने वाले को कर दी गई;

(घ) यदि हां, तो एम.आर.टी.पी.सी. द्वारा इस ''अनुचित व्यापार व्यवहार'' के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या इस तरह का व्यवहार अन्य संस्थाओं में भी आम है; और

(च) यदि हां, तो इन संगठनों में निविदा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन बिल

4372. श्री रघुनाथ झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. द्वारा टेलीफोन बिल का डाक के माध्यम से भेजा जाना बन्द कर दिया गया है और इन्हें निजी कुरियर एजेंसियों द्वारा वितरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बिलों के वितरण हेतु एम.टी.एन.एल. द्वारा निजी कुरियर एजेंसियों को नियुक्त किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रणाली के असफल हो जाने के कारण एम.टी.एन.एल. द्वारा कुछ कुरियर एजेंसियों को काली सूची में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एम.टी.एन.एल. द्वारा दिल्ली में बिलों को भेजने हेतु अपनाए जाने वाली प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(1) नवीं मुंबई को छोड़कर, एमटीएनएल मुंबई में बिलों को, केवल डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। नवीं मुंबई में, एसटीडी पीसीओ के लिए पाक्षिक बिल तथा अधिक कॉल करने वाले उपभोक्ताओं के बिल कोरियर के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यहां भी, अन्य उपभोक्ताओं के बिल डाकघरों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

(2) परीक्षण के तौर पर, एम टी एन एल, दिल्ली में, साऊथ-1 साऊथ-2, जमुना पार तथा वेस्ट-2 क्षेत्रों के लिए उपभोक्ताओं को कोरियर के माध्यम से बिलों को भेजा जा रहा है। अन्य क्षेत्रों के लिए, बिलों को डाक से भेजने का क्रम जारी है।

(ख) बिल प्राप्त न होने के कथित विवादित मामले में, क्योंकि मौजूदा प्रणाली में बिलों की डिलिवरी होने का कोई प्रमाण नहीं था, वैकल्पिक उपाय के तौर पर 'यथा' कोरियर के माध्यम से बिलों को भेजने के प्रयोगात्मक प्रयास किए गए। सभी कोरियर्स से डिलिवरी का प्रमाण मांगा जाता है।

(ग) एमटीएनएल के 14 वर्षों के कार्यकाल में मुंबई में केवल चार केरियरों की सेवाएं समाप्त की गई थी।

(घ) बिलों की डिलिवरी न किए जाने या बिलों की डिलीवरी विलंब से किए जाने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त की गई थी।

(ङ) मौजूदा कोरियरों के माध्यम से बिलों की डिलिवरी न होने के बारे में प्राप्त कुछ शिकायतों के कारण, एम टी एन एल दिल्ली, उच्च मान्यता प्राप्त कोरियर एजेन्सियों या डाक विभाग की विशिष्ट मेलिंग एजेंसियों के माध्यम से बिलों को भेजने पर विचार कर रहा है जो बिलों के डिलिवरी के बारे में प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। इस संबंध में एक प्रस्ताव डाक विभाग को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

हरियाणा में टेलीफोन सुविधा

4373. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में जिले-वार कितने गांवों में अब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों में स्थान-वार कितने गांवों में उक्त सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) हरियाणा के कुला जिले में जनसंख्यायुक्त केवल 4 गांव ऐसे बचे हैं, जहां अब तक दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इन चारों गांवों अर्थात् तुहुम, गंडेरान, घड़ोन तथा बेनुला में वर्ष 2000-2001 के दौरान दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

[अनुवाद]

मताधिकार

4374. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998, 1999 और फरवरी, 2000 में हुए लोक सभा और विधान सभा चुनाओं के दौरान सरकार के कुछ निदेशों के चलते अनेक नागरिक मताधिकार से वंचित हो गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे व्यक्तियों का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है जो अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए;

(घ) क्या ऐसे व्यक्तियों का मताधिकार बहाल करने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने चुनाव सुधार विशेषकर इस मुद्दे के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कोई बैठक की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पुन: मताधिकार देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) जी, नहीं। किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के उपबंधों द्वारा शासित होता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में दिए गए अपवादों के अधीन रहते हुए, ऐसे निर्वाचक ही, जिनके नाम तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में है, किसी निर्वाचन में मत देने के लिए पात्र हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी, 1997 के प्रति निर्देश से, असम में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के दौरान लगभग तीन लाख नागरिकों के "डी" मतदाता होने का पता लगा था, अर्थात् अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन, "संदिग्ध/विवादित मतदाता"। इन मतदाताओं को 1998 और 1999 के लोक सभा के साधारण निर्वाचन में मतदान करने की इजाजत नहीं दी गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) से (ञ) जी, नहीं। सरकार की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग

4375. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2000 में हरियाणा में हुए विधान सभा के मतदान के दौरान इलेक्ट्रानिक मशीन के शत-प्रतिशत उपयोग के प्रबंध किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप मतदान केन्द्र पर जबरन कब्जे की घटनाओं में किस सीमा तक कमी आई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) निर्वाचन आयोग, फरवरी, 2000 में हरियाणा विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन के दौरान कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ई.वी.एम.) का उपयोग 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल 45 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही कर पाया था। ई.वी.एम. का उपयोग करनाल और रोहतक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 18 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिला में एक निर्वाचन क्षेत्र को ई.वी.एम. के उपयोग के लिए चयनित किया गया।

(ख) लोगों और राजनीतिक दलों ने, ई.वी.एम. के उपयोग की प्रशंसा की है। अत:, यह कहा जा सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया स्वीकारात्मक थी।

(ग) फरवरी, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान सात निर्वाचन क्षेत्रों के 23 मतदान केन्द्रों पर पुन: मतदान हुआ। चार निर्वाचन क्षेत्रों के 13 मतदान केन्द्रों पर, जहां ई.वी.एम. का उपयोग हुआ था वहां मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया और बूथों पर कब्जा कर लिया गया।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को मताधिकार प्रदान करना

4376. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनिवासी भारतीयों को मताधिकार प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण, अनिवासी भारतीयों को मत देने का अधिकार देना साध्य नहीं समझा गया है।

कांडला में चक्रवात से हानि

4377. श्री जी.जे. जावीया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कांडला पत्तन और अन्य जिलों में चक्रवात से जान और माल की हुई भारी क्षति का विस्तृत अध्ययन करने हेतु कोई जांच आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जांच आयोग द्वारा उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने किसी जांच आयोग का गठन नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वन सेवा का पुनर्गठन

4378. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय वन सेवा की सेवा-शर्तों का पुनर्गठन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के बीच समानता की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त वेतन आयोग ने कुछ पदों का दर्जा बढ़ाने/सृजन/पुन: पदनामित करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों के अनुपालन हेतु कदम उठाए हैं।

सांख्य वाहिनी परियोजना

4379. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सांख्यवाहिनी परियोजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) परियोजना की पुनरीक्षा के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) परियोजना के सभी संगत मुद्दों पर विचार करने के बाद संयुक्त उद्यम करार का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निधियां

4380. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निधियों का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने उनके नियमित योजना परिव्यय के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त निधि के लिए अनुरोध नहीं किया है।

वर्ष 1999-2000 के लिए वार्षिक योजना कार्यक्रम के रूप में कर्नाटक सरकार ने इसके रायचूर ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मे.वा.) (निर्माणाधीन योजना), बिडाडी सीसीपीपी (200 मे.वा.), विजयनगर (होस्पेट) ताप विद्युत केन्द्र (500 मे.वा.) एवं रायचूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (210 मे.वा.) (नई योजनाएं) के लिए योजना निधि मांगी थी।

कर्नाटक सरकार के लिए पिछले तीन वर्षों में वार्षिक योजनाओं के लिए अनुमोदित विद्युत क्षेत्र परिव्यय निम्न प्रकार थी:-

(करोड़ रु. में)

1997-98	608.09
1998-99	866.19
1999-2000	988.99

[हिन्दी]

शाफ्ट का औसत आयु काल से पूर्व टूटना

4381. कुवंर अखिलेश सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन में काम आने वाला लाखों रुपए मूल्य का एक शाफ्ट अपनी औसत आयु काल से बहुत पहले 1999 में ही टूट गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है तथा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उक्त परियोजना के चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) बैरा-सिउल परियोजना के विद्युत उत्पादन यूनिट 3 और 1 के टरबाइनों के शाफ्टों में 6 फरवरी, 1999 एवं 20 मार्च, 1999 को दरार आ गया। इन यूनिटों को क्रमश: 18 मई, 1980 को तथा 13 सितम्बर, 1981 को चालू किया गया था। टरबाइन गाइड बेयरिंग जर्नल स्थल पर ये दरार काफी गहरे हो गए थे। यूनिटों की आपूर्ति भेल द्वारा की जाती थी। भेल ने कहा कि इन दरारों की मरम्मत नहीं की जा सकती है और इन दरारों के रहते मशीनों को नहीं चलाया जा सकता। अत: उन्होंने इन शाफ्टों को बदलने की सलाह दी। भेल ने 210 लाख रुपये (पुराने कार्य, हरिद्वार) की लागत पर 2 नए शाफ्टों की आपूर्ति की और यूनिटों को पुन: 7 सितम्बर, 1999 एवं 11 दिसम्बर, 1999 को चालू किया गया।

(ग) इसके कारण विद्युत उत्पादन में 220 मिलियन यूनिट की हानि पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में हुई/जल प्रवाह अभिकल्पन ऊर्जा तक सीमित। इससे 804 लाख रुपये की राजस्व हानि होगी।

(घ) और (ङ) श्री ए.एन. सिंह, पूर्व अध्यक्ष, के.वि.प्रा. एवं जल विद्युत क्षेत्र के दो अन्य विशेषज्ञ की 23 फरवरी, 1999 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में दरारों का कारण जल में अत्यधिक अपघर्षक सिल्ट की मौजूदगी एवं अन्तर्जलीय भागों जैसे लेबिरिन्थ रिंगों का भूक्षरण बताया गया है। इस रिपोर्ट में समिति ने अत्यधिक कंपन एवं बड़े-बड़े लेबिरिन्थ क्लीयरेन्सों के क्रमिक रूप से बढ़ते हुए आघातों को दरार निर्माण का संभावित कारण बताया है। समिति की अंतिम रिपोर्ट जल्दी ही आने की आशा है। समिति की अंतरिम रिपोर्ट में इस विफलता के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है और इसे तकनीकी त्रुटि माना गया है। जिम्मेदारी निर्धारण एवं कार्रवाई करने संबंधी कार्य अंतिम रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही किए जाएंगे।

(च) 3 और 1 दोनों यूनिटों को क्रमशः 7 सितम्बर, 1999 एवं 11 दिसम्बर, 1999 को पुनः चालू कर दिया गया है और उनका अब तक का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है।

सतना में टेलीफोन सुविधा

4382. श्री रामानन्द सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में खण्डवार टेलीफोन सुविधायुक्त गांव कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या मार्च 2000 में सरकार को जिले के कुछ गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त गांवों में टेलीफोन सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मध्य प्रदेश के सतना जिले के जो गांव टेलीफोन सुविधा युक्त हैं, उनकी ब्लॉकवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	वी पी टी की संख्या
1.	अमरपातोन	104
2.	मैहर	114
3.	नागोद	136
4.	माझागांव	144
5.	सोहावल	189
6.	रामपुर बघेलान	102
7.	उंचेहारा	60
8.	न्यू राम नगर	1
	कुल	850

गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) सतना जिले के 10 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए माननीय सांसद श्री रामानन्द सिंह से दिनांक 31.1.2000 को एक पत्र प्राप्त हुआ था। इन सभी 10 गांवों में टेलीफोन सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	गांव	टेलीफोन नं.	एक्सचेंज
1.	कारी मोही	77330	बीरसिंहपुर
2.	बरहाना	77341	,,
3.	प्रतापपुर	77343	,,
4.	खुताहा	74334	जैतवाड़ा
5.	किताहा	74253	,,
6.	पिन्डरा	63238	मझगांव
7.	नापागांव	74245	जैतवाड़ा
8.	नाकैला	63291	मझगांव
9.	बारोंधा	63292	,,
10.	खोही	65392	चित्रकूट

विवरण

सतना दूरसंचार जिले के वी पी टी/जी पी टी की सूची

क्रम सं.	वीपीटी/ जीपीटी	मूल एक्सचेंज
1	2	3
उंचेहरा ब्लाक		
1.	माधी	उंचेहरा
2.	गोबराव कलां	,,
3.	पिपरीकला	,,
4.	बिहटा	,,
5.	धानेह	,,
6.	गुधवा	,,
7.	भटारी पटोरा	,,
8.	शाही जना	,,
9.	पारसमनिया	,,
10.	भारहट	,,
11.	माणिकपुर	,,
12.	नारहटी	,,
13.	पथराहट	,,
14.	रायपुरबा	,,
15.	पोंडी गरहा	,,
16.	महाराजपुर	,,
17.	करहीखुर्द	,,
18.	करहीकला	,,
1.	इटमाल तरी	भाटनवाडा
2.	गौहरी	,,
3.	बरहाट	,,
4.	डेवार	,,
5.	अभिलिया	,,
6.	सेयेरीदुवे	,,
7.	बडखेरा	भाटनवाडा
8.	अटरहार	,,
9.	भारहाट	,,
10.	सोनवेरता	,,
11.	टिघरा	,,
12.	बारहा	,,
13.	चाकबही	,,
14.	लखाना	,,
15.	सरैन	,,
16.	बाड़ी	,,
17.	यटारी	,,
18.	भजहीयार कला	,,
19.	उमारी	,,
20.	महादायी	,,
1.	पंगारी	अतरा
2.	बीरपुर	,,
3.	कुलडही	,,
4.	नरदाह	,,
5.	पटौरा	,,
6.	पिथोराबाद	,,
7.	पोंडी	,,
8.	अटरा एक्स.	,,
9.	लालपुर	,,
10.	सेमारिहा	,,
11.	डुडहा	,,
12.	टुर्री	,,
13.	अत्तरबिंदिया	,,
14.	अमिलिया	,,

1	2	3
15.	इटयाकला	अत्तरा
16.	डरहिया	,,
17.	पिपरोखार	,,
18.	कोलुहा	,,
19.	भाजगवन	,,
1.	हरदुआ	लोहरौरा
2.	बांधी	,,
3.	गिरजापुर	,,
नगोड ब्लाक		
1.	करहिया खुर्द	नगोड़
2.	बारकाची	,,
3.	खैरउवा	,,
4.	बीरहुली	,,
5.	टिकुरी	,,
6.	बारकोनिया	,,
7.	भुलनो	,,
8.	करहिया खुर्द	,,
9.	बेला	,,
10.	बयोहरी	,,
11.	वापुपुर	,,
12.	लालबढा	,,
13.	खाखरौधा	,,
14.	हाधा	,,
15.	लोहादर	,,
16.	केदरी वधी	,,
17.	राजहा	,,

1	2	3
18.	कटकोन कला	नगोड
19.	कोडर	,,
20.	याहपोना	,,
21.	पाकर	,,
22.	बटोरी कैस	,,
23.	सतना रघुना	,,
24.	अभिसिया	,,
25.	सिवाहाटी	,,
26.	राजपुर	,,
27.	सायरोही	,,
28.	धौरेहरा	,,
29.	उजनेही	,,
30.	गागवरिया	,,
31.	श्यामनगर	,,
32.	महाई	,,
33.	वसुधा	,,
34.	कचनार	,,
35.	सेमरवाड़ा	,,
36.	हिलौंथा	,,
37.	कटकौनाखुर्द	,,
38.	खडवा	,,
39.	खैरायी	,,
40.	उमरहाटी	,,
41.	रहिकवाडा	,,
42.	सटाचिडीपट	,,
43.	बड़ापत्थर	,,
44.	गिंजारा	,,
45.	अरेधिया	,,

1	2	3
46.	रेरुअत	नगोड
47.	रजावाड़ा	,,
48.	रेरुआखुर्द	,,
49.	नौवास्ता	,,
50.	हरडुवाकलां	,,
51.	कालपा	,,
52.	राउंड	,,
53.	सलाई	,,
54.	हरडुआ	,,
1.	चन्द्रकुईना	रहिकवाड़ा
2.	डुवहिया	,,
3.	कलावाल	,,
4.	रेरुखुर्द	,,
5.	रायपुर	,,
6.	बरहा	,,
7.	फुरटलखुर्द	,,
8.	पथरौंधा	,,
9.	रेरुवाकला	,,
10.	उरदान	,,
11.	जाधवपुर	,,
12.	शाहपुर	,,
13.	मजगवनखुर्द	,,
14.	सेमरी	,,
15.	तुरकाह	,,
16.	बंधाओन	,,
17.	माड टोला	,,
18.	गुनहार	,,
19.	कुमाड	,,

1	2	3
20.	माझगवन	रहिकवाडा
21.	मुंगेर	,,
22.	कंचलोहा	,,
23.	लखमन	,,
24.	पटवाड़ा	,,
25.	उमारी	,,
26.	चन्द्रकुनवा	,,
27.	डगहा	,,
28.	अगकुई	,,
29.	कलापुर	,,
30.	राधेपुर	,,
31.	घटेहा	,,
1.	बिलौंधा	सिंहपुर
2.	अकौना	,,
3.	अगा	,,
4.	बांडी	,,
5.	दुर्गापुर	,,
6.	देबड़ी	,,
7.	खामहरियाखू	,,
8.	देवरीखुर्द	,,
9.	करहियाखुर्द	,,
10.	उसरार	,,
11.	रौंड	,,
12.	नूनगरा	,,
13.	पंगरा	,,
14.	पिपारी	,,
15.	शिवराधपुर	,,
16.	माझगवन	,,

1	2	3
1.	वचवाई	सितपुरा
2.	सेमरी खोथार	,,
3.	भिटारी	,,
4.	धानखेर	,,
5.	चिंडा	,,
6.	लालपुर	,,
7.	मोहरी	,,
8.	देवरा	,,
9.	दिलौरी	,,
10.	गोरहाटी	,,
11.	अहिरगांव	,,
12.	मझहोकर	,,
13.	नकटी	,,
14.	दिलौरा	,,
15.	अमाडरी	,,
16.	खमरियाकला	,,
17.	खमरियापुर	,,
18.	पडरिया	,,
19.	शामी	,,
1.	नौमिया	आस्सो
2.	पुवईया	,,
3.	रिकुल	,,
4.	पलिव	,,
5.	डुरेही	,,
6.	सिंघाहाटी	,,
7.	झिगोडर	,,
8.	कोटा	,,
9.	अकुया	,,
10.	चुनहा	आस्सो
11.	डटुनहा	,,
12.	सुरडहा कलां	,,
13.	कपुरी	,,
14.	उमारी	,,
15.	भिटारी	,,
16.	गाडरी	,,
सोहावल ब्लॉक		
1.	खमहरियाट	सतना
2.	जिगनाहाट	,,
3.	सकरया	,,
4.	भारजुनकला	,,
5.	भूमकहार	,,
6.	बिहरा	,,
7.	अबेर	,,
8.	गौंरैया	,,
9.	रामपुर चोरसी	,,
10.	डिलौरा	,,
11.	बरडाडीह	,,
12.	मुधाकलां	,,
13.	महादेवा	,,
14.	रामस्थान	,,
15.	बधा	,,
16.	खारवाही	,,
17.	बड़ाकला	,,
18.	अमोधकलां	,,

1	2	3
19.	बांधी	सतना
20.	गोबरगव खुर्द	,,
21.	बाबुपुर	,,
22.	लागरगवन	,,
23.	गुलुआ	,,
24.	सोहश	,,
25.	लोहरौरा	,,
26.	रंगोली	,,
27.	तिहाई	,,
28.	हाठी. एक्स	,,
29.	बांधी मौहर	,,
30.	गुंजीहाई	,,
31.	उमरी	,,
32.	कुवान	,,
33.	डाहडिहा	,,
34.	कुडिया	,,
1.	बरकला	सोहावल
2.	मझगवन बी एच	,,
3.	खैरा	,,
4.	गौरा (बाघ)	,,
5.	करही (कोथार)	,,
6.	करडी पवाई	,,
7.	गिरडी	,,
8.	चाकबंदी	,,
9.	हरुआ	,,
10.	बचबाई	,,
11.	घंखेर खुर्द	,,
12.	टुमेन	,,

1	2	3
13.	खामा खुजा	सोहावल
14.	खेरा	,,
15.	मुधा खुर्द	,,
16.	बडखेर	,,
17.	मेहदेवी	,,
18.	भेर्री	,,
19.	खोरगवन	,,
20.	देवरा	,,
21.	जिगनाहाट	,,
22.	देवीपुरं	,,
23.	डेहुरा	,,
24.	सेमरीकलां	,,
25.	डाडेहुरा	,,
26.	हेरमाला	,,
27.	मणिकवार	,,
28.	पवाई	,,
29.	लोहरिया	,,
30.	गोपालपुर	,,
1.	देवरीकला	रायगांव
2.	कुंची	,,
3.	भावनगर	,,
4.	हरखार	,,
5.	चोरबाडी	,,
6.	जुनीहाई	,,
7.	महरा	,,
8.	खानगढ़	,,
9.	रामपुरा	,,
10.	पाईकोरा	,,

1	2	3
11.	उजरौधा	रायगांव
12.	रेहुटा	,,
13.	श्री नगर	,,
14.	विधाता	,,
15.	नौखंड	,,
16.	बांधी	,,
17.	शाहपुर	,,
18.	कलाहारी	,,
19.	धौराहरा	,,
20.	इटमा	,,
21.	जीरवार खुर्द	,,
22.	नारायणपुर	,,
23.	शिवपुर	,,
24.	इटौरा	,,
25.	गौरैया	,,
1.	टुर्रा	कोथी
2.	नयागवन	,,
3.	टीकार	,,
4.	कैलाशपुर	,,
5.	सेमारिया	,,
6.	मनकाहरि	,,
7.	खरशारा	,,
8.	डिडौंध	,,
9.	पटौरी	,,
10.	पवाया	,,
11.	पटरौड़	,,
12.	वारगवन	,,
13.	लालपुर	कोथी
14.	मौहर	,,
15.	शाली	,,
16.	पोंडी	,,
17.	राजपुर	,,
18.	बरगाना	,,
19.	भाईशर	,,
20.	चाकडी	,,
21.	सोनौरा	,,
22.	कंचनपुर	,,
23.	घटोला	,,
24.	सियानी	,,
25.	माधिया	,,
25.	पटौरा	,,
1.	सीसराहा	जैतवाड़ा
2.	कुवारी	,,
3.	चंदोरी	,,
4.	बाबुराहा	,,
1.	सिरियाटोला	माधोगढ़
2.	क्रमालपुर	,,
1.	पुर्वा	हाटी
2.	चौरा	,,
3.	मजहटोलवा	,,
4.	उमरी	,,
5.	मड़नी	,,
6.	झारी	,,
7.	खोखाली	,,
8.	डुर्री	,,

1	2	3
9.	खांवरिया	हाटी
10.	मधावरिया	,,
11.	साहा	,,
12.	कांची	,,
13.	कयावरिया	,,
14.	गुगवार	,,
15.	मेंधीपुर	,,
16.	बंधौरी	,,
17.	गौरा	,,
18.	हटिया	,,
19.	डीरडुली	,,
20.	मोहुटी	,,
21.	करमरा	,,
22.	मरवा	,,
23.	बंहरौली	,,
24.	पटारी	,,
25.	चांपुर्वा	,,
26.	कुशियारी	,,
27.	माटिगा	,,
28.	सुसुवार	,,
29.	नचनौरा	,,
30.	जरिहा	,,
31.	इटमा	,,
32.	सलैला	,,
33.	जेंदुआ	,,
1.	कोल गवनोत	नई बस्ती
2.	तिकुरी खुर्द	,,
3.	मंद	,,
4.	पुरैनी	नई बस्ती
5.	सरफहाना	,,
6.	लोहारा	,,
7.	मटेचना	,,
8.	मजियार	,,
9.	खमरियापाया	,,
10.	बंहोरी	,,
11.	जमोडी	,,
12.	खजुराहरा	,,
13.	चिपियाडाडी	,,
14.	सेमारा	,,
15.	इटवा	,,
16.	अतराहरा	,,
17.	मोहन्ना	,,
18.	बेला	,,
19.	उमरीशरधनाग	,,
20.	खैमा उन्मुलन	,,
21.	बधिया	,,
22.	खमहरिया	,,
23.	तिकुरीकोथार	,,
24.	श्री पुर्वा	,,
25.	भरजुनकला	,,
26.	लालपुरा	,,
27.	पुबोधा	,,
28.	पोइधाकला	,,
29.	पुबोधी	,,
30.	निमि	,,

1	2	3
1.	मझगवन	कोथारा
2.	अकौना	,,
3.	पासी	,,
4.	उटैली	,,
5.	वारा	,,
माझागांव ब्लॉक		
1.	पुटरिचुआ	माझागांव
2.	पाटनकला	,,
3.	गहिरा	,,
4.	चौराहा	,,
5.	अर्जुनपुर	,,
6.	भटवा	,,
7.	चिटाहरा	,,
8.	किलहौरा	,,
9.	हिरौदी	,,
10.	बड़ौधा	,,
11.	सिंधपुर	,,
12.	झारी	,,
13.	नकिला	,,
14.	माहटेन	,,
15.	मलगौसा	,,
16.	शाहपुर	,,
17.	पादरी	,,
18.	पिदरा	,,
19.	रामपुरवा	,,
20.	सांदा	,,
21.	हीरापुर	,,

1	2	3
22.	लागी	माझागांव
23.	रोहनिया	,,
24.	मोहनी	,,
25.	खाहरी	,,
26.	करौला	,,
27.	माटटी नेबी	,,
28.	जिरवार	,,
29.	रिहा	,,
30.	रामपुर गढ़ी	,,
31.	बनहारी	,,
32.	मचिट	,,
33.	किशुनपुर	,,
34.	ब्रहनीपुर	,,
35.	चौरेही	,,
36.	कानपुर	,,
37.	बड़बूदा	,,
38.	चूल्हा	,,
39.	हरदीकोटार	,,
40.	औचामर	,,
41.	पदमनियां	,,
42.	पटना खुर्द	,,
43.	हीरापुर बाजार	,,
44.	मुदरवोहा	,,
45.	मिचकुरीन	,,
46.	मैरियन	,,
47.	मटियान	,,
48.	इरदीजगीर	,,
49.	खेरामझगाव	,,

1	2	3
1.	गुप्त गोदावरी	चित्रकूट
2.	हनुमानधरा	,,
3.	मियामौन	,,
4.	नरदाहा	,,
5.	केदार	,,
6.	चुनवा	,,
7.	पत्थर कचार	,,
8.	सती अनुसुइया	,,
9.	रबोही	,,
10.	पालदेव	,,
11.	चौबेपुर	,,
12.	हरदुआ	,,
1.	खूठा	जेतवाड़ा
2.	चौदेखुर्द	,,
3.	बामाहौड़ी	,,
4.	पिपरीटौला	,,
5.	बाड़ा	,,
6.	बंका	,,
7.	बारखेड़ा	,,
8.	झरवौरा	,,
9.	बीरपुर	,,
10.	अमीरती	,,
11.	कीछा	,,
12.	बराहा	,,
13.	खुधारी	,,
14.	मझगावन	,,
15.	नयागांव	,,
16.	नंदाना	,,

1	2	3
17.	बहमौडी	जेतवाड़ा
18.	गुरसारी	,,
19.	माता मऊ	,,
20.	खुधीरा	,,
21.	रेहन	,,
22.	सेमरा	,,
23.	पडुहार	,,
24.	सोनवरसा	,,
25.	बीजाहरा	,,
26.	गुजहवा	,,
27.	मोहवा	,,
28.	बेराहना	,,
29.	बांधी	,,
30.	कर्वला	,,
31.	सुजावलाखुर्द	,,
32.	मर्वा	,,
33.	सलिया	,,
1.	गुडवा	बीरसिंहपुर
2.	बारो	,,
3.	कारीगोही	,,
4.	हरिहरपुर	,,
5.	शुकवाह	,,
6.	हलावन	,,
7.	लखनवां	,,
8.	प्रतापपुर	,,
9.	रिमारी	,,
10.	जुमुवानी	,,
11.	करौदाखुरा	,,

1	2	3
12.	देवरा	बीरसिंहपुर
13.	बितामा विजयष	,,
14.	बजराहना	,,
15.	रसोइया	,,
16.	बाड़ा	,,
17.	गुझवां	,,
18.	वितमा	,,
19.	खांच	,,
20.	मौधा	,,
21.	मिसेरगवान	,,
22.	झोटा	,,
23.	नरवेली	,,
24.	पटनाखुर्द	,,
25.	शिकारी	,,
26.	हार्दी	,,
27.	बहेरा	,,
28.	टिगरा	,,
29.	अमुआ	,,
30.	जहीरा	,,
31.	कडेंला	,,
32.	खदुरा	,,
33.	हेरसीड	,,
34.	पिपरी टोला	,,
35.	बिहरिया	,,
36.	मचरवादा	,,
37.	सुदामापुर	,,
38.	भैडन टोला	,,
39.	पिपरावेन	,,
40.	वारी अमरी	बीरसिंहपुर
41.	बरूआ	,,
42.	नगौडा	,,
43.	दोमहज	,,
44.	गुडवॉन	,,
45.	करूदी	,,
46.	पिपरा	,,
47.	वाला	,,
1.	झगरहा	पिंडरा
2.	बरूआ	,,
3.	चौराहा-II	,,
अमर पाटन ब्लॉक		
1.	औधकी	अहीरगांव
2.	शाहपुरा	,,
3.	बंदेरखा	,,
4.	आजामेन	,,
5.	कुल्लूहा	,,
6.	जोधापुर	,,
7.	कारा	,,
8.	सामोगढ़	,,
9.	पुटरिहां	,,
10.	सिलपाड़ी	,,
11.	इटायापी टोला	,,
12.	कोटारा	,,
13.	खुटाहा	,,
14.	पौंडी	,,
15.	धतुवा	,,
16.	बछारा	,,

1	2	3
17.	देवू	अहीरगांव
18.	बिगौड़ी	,,
19.	झिवरिया	,,
20.	येरा	,,
21.	महाटर	,,
22.	बयोधारा	,,
23.	बाड़ा	,,
24.	कराला	,,
25.	स्नेही	,,
26.	धतौई	,,
27.	खरोड़ी	,,
28.	धुराया	,,
29.	किरहई	,,
30.	टिओयारा	,,
31.	सिमरिया	,,
32.	अहीरगांवबस्त	,,
33.	उमरी शिवराज	,,
34.	जुहीशी	,,
1.	चकेरा	अमरपाटन
2.	इतमा (किरहा)	,,
3.	हार्दा	,,
4.	कड़का	,,
5.	बछारा	,,
6.	दुबेही	,,
7.	भीकमपुर	,,
8.	मांड	,,
9.	पारसवाही	,,

1	2	3
10.	राजकंवर	अमरपाटन
11.	सरबाका	,,
12.	कंचनपुर	,,
13.	खोखाय	,,
14.	रिगरा	,,
15.	बरेहवाड़ा	,,
16.	कटियां	,,
17.	बीडा	,,
18.	लालपुर	,,
19.	रामनगर	,,
20.	बुधौरबा	,,
21.	चौराहाटा	,,
22.	भटगावन	,,
23.	अहीरगावन	,,
24.	असरार	,,
25.	खामसेड़ा	,,
26.	पाल	,,
27.	पगरा	,,
28.	ओबरा	,,
29.	मोहर	,,
30.	करहीजोगिया	,,
31.	सुआ	,,
32.	नदान टोला	,,
33.	जारमोहारा	,,
34.	सिमरा	,,
35.	टिअरी	,,
36.	इटमा किरहई	,,
37.	डुडहा	,,

1	2	3
38.	डुडही	अमरपाटन
39.	भादरी	,,
40.	बरहा	,,
41.	बरटोना	,,
42.	प्रतापगढ़	,,
43.	बड़खुरा	,,
44.	इटया कुछार	,,
45.	बकैना	,,
46.	वीरदत	,,
47.	इटमा	,,
48.	मुहरिया	,,
49.	जमताल	,,
50.	मिकरहा	,,
1.	बिछिया	कटाहा
2.	भाडडा	,,
3.	झयीन	,,
4.	बिधुरियकला	,,
5.	धावरिहारा	,,
6.	इतमारवजूरी	,,
7.	कुम्हारी	,,
8.	धमाना	,,
9.	अमुहार	,,
10.	जुडमनिया	,,
11.	बाड़ी	,,
12.	नौगामा	,,
13.	रामगढ़	,,
14.	देवाराय	,,
15.	मझगावन	,,

1	2	3
16.	मगराज	कटाहा
17.	लोहारी	,,
18.	करिया पत्थर	,,
19.	डोमा	,,
20.	गोरा	,,
मेहर ब्लॉक		
3.	करैया देवरी	मझार
4.	करसारा	,,
5.	मानपुर	,,
6.	करूआ	,,
7.	मधरौड़ा	,,
8.	हरनामपुर	,,
9.	धनवहीकला	,,
10.	टिंडूहटा	,,
11.	नकटारा	,,
12.	जुरा	,,
13.	सोनवारी	,,
14.	ओएला	,,
15.	धतूरा	,,
16.	पहाड़ी	,,
17.	पोंडी	,,
18.	कल्याणपुर	,,
19.	उच्छिनपुर	,,
20.	इटमा	,,
21.	इंचौल	,,
22.	जीतनगर	,,
23.	मटवाड़ा	,,
24.	हर्दूकला	,,

1	2	3
25.	हिनोटागजगांव	मझार
26.	पटेहरा	,,
27.	कल्याणपुर	,,
28.	देवीजियुदईपुर	,,
29.	देवरिया	,,
30.	भादनपुर	,,
31.	बारही	,,
32.	उमरिफिफरी	,,
33.	बरेढी	,,
34.	टिधाराकला	,,
35.	आमिलियाकला	,,
36.	देलहा रोड	,,
37.	बंशीपुर	,,
1.	गुगदी	अमादरा
2.	भरौली	,,
3.	लुघोंटी	,,
4.	हिनोटाकला	,,
5.	खेरवासानी	,,
6.	करौंदिया	,,
7.	गुमेही	,,
8.	मोनिया	,,
9.	नकटारा	,,
10.	खैरा	,,
11.	धतूरा	,,
12.	यदुवीरनगर	,,
13.	सुहोला	,,
14.	नौगांव	,,
15.	रायगांव	,,

1	2	3
16.	पलोहा	अमादरा
17.	दाला	,,
18.	बिनैका	,,
19.	अमादरा	,,
20.	बेरमा	,,
21.	अमुवा	,,
22.	रोहनिया खुर	,,
23.	साभागंज	,,
24.	इठारा	,,
1.	कांसा	भाटिया
2.	मंटोलावा	,,
3.	करौदीदुबे	,,
4.	भाटिया	,,
5.	देल्हा	,,
6.	आयाटोलां	,,
7.	झाली	,,
8.	तिलौरा	,,
9.	जरियारी	,,
10.	हरदासपुर	,,
11.	गोबरी	,,
12.	वरहिया	,,
13.	भेंडा	,,
14.	यपन	,,
15.	बेलदारा	,,
16.	खरौंदीनर्व	,,
17.	नादान	,,
18.	परसोखा	,,
19.	गोबरिया	,,

1	2	3
1.	बुद्धागड़	धुनवाड़ा
2.	डूंडी	,,
3.	बोरी	,,
4.	कुछीलगांव	
5.	उर्दनी	,,
6.	रूपगुज	,,
7.	कन्हवाड़ा	,,
8.	आमदनडी	,,
9.	धनेड़ी	,,
10.	तिसगीस्नीगलां	,,
11.	गौरैयाकलां	,,
12.	भानसासुर	,,
13.	सोनवर्षा	,,
14.	हरदुआसानी	,,
15.	गौरैयाकलां	,,
16.	नई बस्ती	,,
17.	फाटक टोला	,,
18.	रोहनिया	,,
19.	सेमरा	,,
20.	गधवा	,,
21.	कानहवाड़ा	,,
22.	टिसगीसीखुर	,,
23.	गूगाद	,,
24.	घुनवाडा एक्स.	,,
25.	कुसेड़ी	,,
26.	पथराठा	,,
27.	पारसवाड़ा	,,
28.	खेरवाकलां	,,
29.	महेदर	घुनवाड़ा
30.	सगमनियां	,,
31.	बेल्हा	,,
32.	आमाडांडी	,,
33.	कोही	,,
34.	टिधरा	,,
रामपुर बघेलन ब्लॉक		
1	सगौली	रामपुरबाग
2.	गजन	,,
3.	रघुनाथपुर	,,
4.	सलेहना	,,
5.	महीदलखुर्द	,,
6.	शिवपुर्वा	,,
7.	लामीकाढी	,,
8.	जनार्दनपुर	,,
9.	बधौरा	,,
10.	बार्टी	,,
11.	कृष्णगढ़	,,
12.	कर्माउ	,,
13.	माधी सोनवर्स	,,
14.	देवमाउदलदल	,,
15.	छिबौड़ा	,,
16.	चोरमाड़ी	,,
17.	झंडु	,,
18.	खाहाखरी	,,
19.	केटया	,,
20.	चुल्ही	,,
21.	बागही	,,

1	2	3
22.	टिपानी	रामपुरबाग
23.	मझियारकोटा	,,
24.	कुड़िया	,,
25.	भाटिया	,,
26.	बेला	,,
27.	मालगांव	,,
28.	सुंद	,,
29.	बजगाहा	,,
30.	इटामा	,,
31.	किटाहा	,,
32.	नेमलिया	,,
33.	महिदल कला	,,
34.	कामिया कुटार	,,
35.	देवमऊ	,,
36.	देगराहाट	,,
37.	रामनगरमझ	,,
38.	बिहारा नं. 2	,,
39.	मझयार	,,
40.	पदरैया	,,
41.	टापा	,,
42.	कटरा	,,
43.	जमुना	,,
44.	पटराडै	,,
45.	लिवाही	,,
46.	करही	,,
47.	सोनवर्षा	,,
48.	देवमाक	,,
49.	रामनगर	,,
50.	देवारी	,,
51.	ख.ा	,,
1.	सिधौली	बामहौरी
2.	रिछाहारी	,,
3.	अटरहर	,,
4.	खेरियाकोटहार	,,
5.	नरसिंहपुर	,,
6.	बीरनई	,,
7.	खगौड़ा	,,
8.	सोनौरा	,,
9.	खमेरिया	,,
10.	नेमुवा	,,
11.	गुडुहुरू	,,
12.	मनकाहारी	,,
13.	बादादीह	,,
14.	गजगांव	,,
15.	मरौहा	,,
16.	करपवाहकोठा	,,
17.	बीहराकलां	,,
18.	हिनौटी	,,
19.	सिझैटा	,,
1.	मोहनिया	कुटार
2.	खामहा	,,
3.	पगारखुर्द	,,
4.	गोलाहाटा	,,
5.	कलवालिया	,,
6.	लॉनलंच	,,
7.	पागरकला	,,

1	2	3
8.	पटनाकला	कुटार
9.	देवरिया	,,
10.	राजरपार	,,
11.	घोरकार	,,
12.	चिटगढ	,,
13.	कोटार	,,
1.	मझदेवा	बीहरा
2.	टिकुरी	,,
1.	वारीकला	सगमानिया
2.	भरजनाखुर्द	,,
3.	पौवैया	,,
4.	टिकूरी कलां	,,
5.	बारज	,,
6.	बठिया कलां	,,
7.	फुटौंधा	,,
8.	फौंधी	,,
9.	लिलौरी	,,
10.	पटौंडा	,,
11.	सगमा	,,
12.	बड़खर	,,
13.	पेधाकलां	,,
14.	कैमाठार	,,
15.	नैना	,,
16.	नैना	,,
17.	बिरहुली	,,

[अनुवाद]

टेलीफोन कॉलों में धांधली

4383. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 2000 के ''दैनिक जागरण'' में ''कॉलों में गड़बड़ी के लिए टेलीफोन निगम दोषी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) शिकायतकर्त्ता श्री वेद प्रकाश बंगा, टेलीफोन नं. 2290796 ने उपर्युक्त टेलीफोन की अगस्त 1997 से खराब अवस्था का हवाला देते हुए खराब सेवा के लिए 'उपभोक्ता विवाद समाधान फोरम', नंद नगरी में 19.2.98 की शिकायत दर्ज की। उपभोक्ता की प्रमुख शिकायत यह थी कि उनका टेलीफोन आवक (इन कमिंग) कॉलों के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है। शिकायतकर्ता के टेलीफोन की ठीक तरह से जांच की गई तथा इसे ठीक पाया गया, लेकिन इनकमिंग कॉलों को सत्यापित करने के लिए विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस अवधि के दोष-संबंधी आंकड़े भी कंप्यूटर में वर्ष 1997 के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कार्य-निष्पादन का निर्णय उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराए गए दोषों के आधार पर किया जाता है।

(ग) उपभोक्ताओं को दोष-मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ढाबोल/कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना

4384. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र की ढाबोल विद्युत परियोजना और कर्नाटक की कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कितनी विद्युत कम्पनियों ने विद्युत मंत्रालय और अन्य विभागों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद भी विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करना बंद कर दिया गया है; और

(ग) उन गैर-सरकारी विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य-वार अनुमति लेने के बाद कार्य करना शुरू कर दिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति नीचे दी गई है:

डाभोल कम्बाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट (2184 मे.वा.)

परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई है। फेज-I (740 मे.वा.) को भारत सरकार की प्रति गारंटी प्राप्त हो गई हैं। फेज-I परियोजना ने पहले ही वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है तथा पूरी तरह स्थापित हो गई है। फेज-II (1444 मे.वा.) के लिए भारत सरकार की प्रति गारंटी की परिकल्पना नहीं की गई है। फेज-II को वित्तीय समापन प्राप्त हो गया है तथा मौजूदा समय में निर्माणाधीन है।

मंगलौर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1013.2 मे.वा.)

इस परियोजना को मंगलौर पावर कम्पनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। कम्पनी ने सीईए की टीईसी सहित आवश्यक आदानों/स्वीकृतियों को प्राप्त कर लिया है। दिसम्बर 22, 1999 को भारत सरकार ने कतिपय शर्तें पूरी करने पर इस परियोजना को प्रति गारंटी जारी करने का निर्णय लिया है। निर्णय से कर्नाटक सरकार को अवगत करा दिया गया है, जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच मैसर्स कोजेंन्ट्रिक्स इनर्जी ने अपने हितों को अपने पार्टनर मंगलौर पावर प्रोजेक्ट तथा मंगलौर पावर कम्पनी को स्थानांतरित कर दिया है। मैसर्स चाइना लाईट (मॉरीशस) लिमिटेड कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स सीएलपी पावर इंटरनेशनल ने मंगलौर पावर कम्पनी में 30% इक्विटी भागीदारी वाली भारतीय कम्पनी का चयन करके मंगलौर पावर परियोजना का क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। सीएलपी पावर इंटरनेशनल कम से कम 50% शेयर होल्डिंग बनाये रखेगी। अन्य मुद्दों तथा मंगलौर पावर कम्पनी की पार्टनरशिप में परिवर्तन के बारे में कानूनी पहलुओं, प्रति गारंटी आदि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पावर पर्चेज एग्रीमेंट में संशोधनों आदि की कर्नाटक सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीईए द्वारा टीईसी स्वीकृति प्राप्त विभिन्न निजी क्षेत्र बिजली परियोजनाओं में से मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स इनर्जी इंक एकमात्र प्रोमोटिंग कम्पनी है जिसने परियोजना से अपने को अलग कर लिया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नांकित निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें सीईए द्वारा टीईसी स्वीकृति प्राप्त है, की स्थापना हो गई है। निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
	स्थापित परियोजनाएं	
	गुजरात	
1.	पागुथान सीसीजीटी (मैसर्स गुजरात टोरेंट)	654.7
2.	हजीरा सीसीजीटी (मैसर्स इस्सार पावर लिमिटेड)	515.0
3.	बड़ौदा सीसीजीटी (मैसर्स जीआईपीसीएल)	167.0
4.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मैसर्स जीआईपीसीएल)	250.0
	महाराष्ट्र	
5.	डाभोल सीसीजीटी (मैसर्स डाभोल पावर कं.) फेज-I	740
	आन्ध्र प्रदेश	
6.	जेगूरूपाडु सीसीजीटी (मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रीज) (फेज-I)	216
7.	गोदावरी सीसीजीटी (मैसर्स स्पेक्ट्रम टेक्निकल) (फेज-I)	208
	कर्नाटक	
8.	तोरंगाल्लू टीपीएस (मैसर्स जिंदल ट्रैक्टेबेल)	260
	तमिलनाडु	
9.	बसीन ब्रीज डीजीपीपी (मैसर्स जीएमआर वासावी)	200
	निर्माणाधीन परियोजनाएं	
	हिमाचल प्रदेश	
1.	बसपा चरण-II जल विद्युत परियोजना (मेसर्स जेपीआईएल)	300
2.	मलाना जल विद्युत परियोजना (मेसर्स राजस्थान स्पाइनिंग एंड वेबिंग मिल्स लिमिटेड)	86
	मध्य प्रदेश	
3.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना (मे. एस. कुमार्स लिमिटेड)	400
4.	रतलाम डीजीपीपी (मे. जी.वी.के. पावर) रतलाम (लि.)	118.63

1	2	3
महाराष्ट्र		
5.	दाभोल सीसीजीटी (मै दाभोल पावर कॉ.) फेज-II	1444
आन्ध्र प्रदेश		
6.	कोन्डापल्ली सीसीजीटी (लैंको इंडस्ट्रीज लि.)	350
7.	वेमागिरी सीसीजीटी (इस्पात पावर लि.)	492
तमिलनाडु		
8.	नेवेली टीपीस-जीरो यूनिट (मै. एसटी सीएमएस)	250
9.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै. पीपीएन पावर)	330.5
10.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै. बालाजी पावर कॉ. लि.)	106
11.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै. समलपट्टी पावर कॉ.)	106
बिहार		
12.	जोजोबेरा टीपीपी (मै. जमशेदपुर पावर कॉ.)	240

[हिन्दी]

आई.टी.आई., मनकापुर के कर्मचारियों का शोषण

4385. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई.टी.आई. लि., मनकापुर के कर्मचारियों के शोषण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि, आईटीआई, मजदूर संघ, मनकापुर एक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, तथापि अभ्यावेदन में उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर, मै. आईटीआई के प्रबंधन के परामर्श से विचार किया गया था तथा स्थिति निम्नानुसार है:-

1. उठाए गए मुद्दे:

आईटीआई, मनकापुर स्थित केन्द्रीय विद्यालय को चालू रखा जाए।

की गई कार्रवाई

अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय ने विद्यालय को चालू रखने का निर्णय लिया है।

2. उठाए गए मुद्दे:

प्रशासन की अक्षमता के कारण होने वाले कर्मचारियों के शोषण को बंद किया जाए।

की गई कार्रवाई :

किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं किया जा रहा है। कंपनी में एक 'स्टाफ शिकायत निवारण प्रणाली' उपलब्ध है।

3. उठाए गए मुद्दे:

विसंगतियों को हटाते हुए, यदि कोई हो, फिर से वरिष्ठता-सूची तैयार करना।

की-गई-कार्रवाई:

यूनिट-प्रबंधन तथा मान्यताप्राप्त संगठन के बीच दिनांक 28.3.95 को हुए पारस्परिक समझौते के अनुसार, विभिन्न ग्रुपों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। कुछ कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बैंच, लखनऊ में रिट याचिका दायर की गई है। अत:, मामला निर्णयाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. उठाए गये मुद्दे:

आईटीआई ट्रेड-प्रमाणपत्र धारकों के लिए उचित इंडक्शन-लेवल प्रदान करना।

की-गई-कार्रवाई:

यूनिट प्रबंधन तथा मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच हुए पारस्परिक समझौते के अनुसार, वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

5. उठाए गए मुद्दे:

पहले के अनुभव को प्राथमिकता (वेटेज) देते हुए वरिष्ठता का पुन: निर्धारण।

की-गई-कार्रवाई:

ऐसे कर्मचारियों को पहले ही उचित वेटेज दे दिया गया है, जो अनुभव के आधार पर नियुक्त किये गये थे।

6. उठाए गये मुद्दे :

उनकी व्यावसायिक योग्यता के अनुसार, कर्मचारियों को उच्च ग्रेड में कार्य करने का अवसर प्रदान करना।

की-गई-कार्रवाई:

मै. आईटीआई में पहले से ही कुछ आवार्ड स्कीमें हैं, जिनमें से एक है, ऐसे कर्मचारियों के केरियर-ग्रोथ पर विचार करना, जो व्यावसायिक (प्रोफेशनल) योग्यता हासिल करते हैं।

(ग) आईटीआई, मनकापुर में कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं है।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार में आई.एस.डी./एस.टी.डी./ पी.सी.ओ. की सुविधाएं

4386. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन सुविधाओं को उक्त क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इन सुविधाओं को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में आई.एस.डी./एस.टी.डी./ पी.सी.ओ. सुविधा, उसी क्षेत्र या निकटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित एक्सचेंजों के जरिए प्रदान की जाती है। यदि कोई पात्र फ्रेंचाइसी पी.सी.ओ. स्थापित करना चाहता है तथा यदि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है तो यह स्थापित किया जाता है। गांवों को कवर करने के लिए अधिकांशत: ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) प्रदान किये जाते हैं तथा जब भी इन वी.पी.टी. में एस.टी.डी./ आई.एस.डी. की सुविधा लगाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं और यदि ये तकनीकी रूप से व्यवहार्य होते हैं तो इसे प्रदान कर दिया जाता है। 22133 वी.पी.टी. में से 47 में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ग) से (ङ) मार्च, 2002 तक सभी ग्रामों को वीपीटी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि आवेदन किया गया तो उनमें एस टी डी/आई एस डी सुविधा प्रदान की जाएगी बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो और वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरा करते हैं।

राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना

4387. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा एक पंचवर्षीय राष्ट्रीय वानिकी योजना का मसौदा तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले देश के विभिन्न स्थानों पर कितनी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना, भारत में वन प्रबंधन का विकास और वानिकी अनुसंधान संबंधी पृष्ठभूमि प्रदान करने के पश्चात् अनुसंधान आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं, मिशन संबंधी दृष्टिकोण एवं कार्यनीति, राज्य वन विभागों, राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों की परिचालन आयोजनाओं, गतिरोधों, क्रियान्वयन संबंधी कार्यनीतियों और लागत तथा निवेश कार्यनीतियों का उल्लेख करती है।

(ग) योजना के 2000-2001 से कार्यान्वित होने की सम्भावना है।

(घ) पच्चीस राज्यों और दिल्ली और अंडमान और निकोबार संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तर की 27 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। उसके पश्चात् 8 सांस्थानिक स्तर की कार्यशालाएं देहरादून, जबलपुर, बंगलौर, कोयम्बटूर, जोधपुर, रांची और शिमला में आयोजित की गई थीं और अन्त में 16 फरवरी, 2000 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

4388. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए कोई नई प्रणाली विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियां मिलावट सहित विभिन्न कदाचारों पर नियंत्रण के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित/औचक जांच करती हैं। इसके अलावा कदाचारों पर नियंत्रण के लिए तेल कम्पनियों द्वारा अपने बलबूते तथा सरकार के निदेश पर समय-समय पर विशेष अभियान आयोजित किए जाते हैं। मिलावट रोकने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा मिट्टी तेल (सा वि प्र) को नीला रंगने, फरफरल मिलाने, फिल्टर पेपर परीक्षण, भंडार मिलान, चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

पक्षियों का संरक्षण

4389. प्रो. दुखा भगत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पक्षियों की सुरक्षा हेतु सरकार किसी परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के उद्देश्य और कार्य क्या हैं और इस उद्देश्य हेतु बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) यह परियोजना कब तक शुरू की गई है और इसे कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी का नाम क्या है;

(घ) उक्त परियोजना ने किस हद तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है;

(ङ) क्या इस परियोजना के कार्यकरण की समीक्षा की प्रक्रिया हाल ही में शुरू की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष परियोजना नहीं है।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के उद्देश्य और कार्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 के बजट संबंधी प्रावधान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) इन योजनाओं की शुरूआत का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा ये योजनाएं केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत संतोषजनक प्रगति की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के उद्देश्य और कार्य निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

यह योजना पांचवी योजना के दौरान प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय सहायता द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में राज्यों को सहायता देना और सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने हेतु राज्यों को सुविधाएं और प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अन्तर्गत इन सुरक्षित क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने हेतु राज्यों को सहायता भी दी जाती है।

(2) *बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर और उनके आस-पास पारि-विकास*

यह योजना भारत सरकार द्वारा 1991-92 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुखतया ईंधन की लकड़ी, चारा और छोटी इमारती लकड़ी की आपूर्ति को बढ़ाकर, पशुधन और कृषि उत्पादकता, आय उत्पन्न करने वाले घरेलू उद्योगों, वैकल्पिक ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी स्थिति में सुधार करके तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में व्यापक उपायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों का सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना है।

(3) *हाथी परियोजना*

इस महत्वपूर्ण प्रजाति के संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप शुरू में भारत के 12 राज्यों अर्थात् असम, अरूणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को सम्मिलित करते हुए यह योजना वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ की गई थी। आवास सुधार, गलियारों आदि की सुरक्षा के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

(4) भारतीय वन्य जीव बोर्ड के विशेष कार्य बल की सिफारिशों पर यह योजना 1 अप्रैल, 1973 को प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक आर्थिक, सौन्दर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत में बाघों की व्यवहार्य जनसंख्या को बनाए रखना, जैव महत्व के क्षेत्रों की सुरक्षा करना और संरक्षण के ठोस सिद्धांतों के अनुसार जैव उद्यानों में सुधार करके तथा बाघ विविधता में वृद्धि करके अनुकूल स्तरों के अनुरूप बाघ संख्या को बढ़ाना है।

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए बजट संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2000-2001 में बजटीय प्रावधान (करोड़ रुपए में)
(1)	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	15.85
(2)	बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित आरक्षित क्षेत्रों के भीतर और उनके आस-पास पारि-विकास	15.33
(3)	हाथी परियोजना	4.80
(4)	बाघ परियोजना	17.00

स्रोत: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वर्ष 2000-2001 की अनुदान मांगें।

विवरण-III

इन योजनाओं की शुरूआत का ब्यौरा इस प्रकार है

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	योजनाओं की शुरूआत का ब्यौरा
(1)	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	पांचवी योजना के दौरान
(2)	बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर और उनके आस-पास पारि-विकास	1991-92
(3)	हाथी परियोजना	1991-92
(4)	बाघ परियोजना	1 अप्रैल, 1973

[अनुवाद]

अमरीकी कम्पनियों की विद्युत परियोजनाएं

4390. श्री अनन्त गुढे :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्लिंटन की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान विद्युत क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते से देश में बिजली की गिरती हुई स्थिति को सुधारने में कितनी मदद मिलेगी;

(घ) क्या समझौते के अनुसार अमरीकी कंपनियां देश में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित करेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी हां, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 23.3.2000 को आगरा में ऊर्जा एवं पर्यावरण में सहयोग के लिए संयुक्त वक्तव्य (जॉइन्ट स्टेटमेन्ट) पर हस्ताक्षर किया गया। इस वक्तव्य का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाना है। संयुक्त वक्तव्य में स्वच्छ ऊर्जा के शोध, विकास, प्रदर्शन एवं स्थानांतरण कर नवीन ऊर्जा तकनीक विकसित करना और पारंपरिक संसाधनों से ऊर्जा के उत्पादन एवं खपत संबंधी कार्यक्षमता में सुधार करने की भी संकल्पना की गई है। इन क्षेत्रों में विकास होने से विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी और इसकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। संयुक्त वक्तव्य में इंगित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण पर एक संयुक्त परामर्शदाता ग्रुप गठित करने का विचार कर रहे हैं ताकि इसमें द्विपक्षीय सहयोग, दोनों सरकारों के मध्य वार्ता को तथा इन क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सहयोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवाओं को "पे फोन–पी.सी.ओ." उपलब्ध कराना

4391. श्री रामटहल चौधरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर "पे-फोन पी.सी.ओ." उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ-केन्द्रों का आबंटन युवकों सहित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, को किया जाता है। पीसीओ-बूथों का आबंटन उदार बनाने के लिए एसटीडी/पीसीओ-नीति को संशोधित कर दिया गया है। युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों/अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन में प्राथमिकता दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नये डाकघर

4392. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
डा. बलिराम :
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार जिला-वार और श्रेणी-वार कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया और वर्ष 2000-2001 के दौरान जिला-वार कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को वैशाली, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में डाकघर खोलने हेतु अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त डाकघर कब तक खोल दिए जाने की संभावना है;

(च) उत्तर प्रदेश के इटावा और औरैया जिलों के ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जो डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं;

(छ) किन-किन स्थानों पर इन्हें अभी तक नहीं खोला गया है;

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) वर्ष 2000-2001 के दौरान स्थान-वार राज्य में विशेषकर इटावा, औरैया, पूर्वांचल और वाराणसी में कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उत्तर प्रदेश में 31.3.2000 को कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान बलिया जिले में केवल एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर पुर का विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया गया था। वर्ष 2000-2001 के दौरान किसी डाकघर का दर्जा बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) निम्नलिखित माननीय संसद सदस्यों तथा अन्य से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं:

1. श्रीमती कृष्णा साही, पूर्व केन्द्रीय मंत्री
2. श्री जे. बक्सला, संसद सदस्य
3. श्री बी.बी.के. कालरा, संसद सदस्य
4. श्री ए.सी. गोयल, अध्यक्ष, रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन, वैशाली, गाजियाबाद।

(ङ) वैशाली में चालू वित्त वर्ष के दौरान डाकघर खोले जाने की संभावना है बशर्ते कि वित्त मंत्रालय से पदों की मंजूरी मिल जाए।

(च) विभाग के निर्धारित मानदंडों के अनुसार उत्तर प्रदेश के इटावा तथा औरैया जिलों में कहीं भी नया डाकघर खोलना उचित नहीं पाया गया है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(झ) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में नए डाकघर खोलने के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नए डाकघरों का खोलना धनराशि की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी देने पर निर्भर करता है।

विवरण

जिलों में 31.3.2000 को डाकघरों की वर्गीकृत सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघर		वि. उप-डाकघर		अ.वि.उ. डाकघर		अ.वि.शा. डाकघर		कुल डाकघर	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आगरा	2	शून्य	80	9	6	1	5	248	93	258
2.	फिरोजाबाद	1	शून्य	13	6	3	1	1	128	18	135
3.	अलीगढ़	1	शून्य	51	21	8	1	1	397	61	419
4.	महामाया नगर	.....आंकड़े अलीगढ़ में शामिल हैं.....									
5.	बुलन्दशहर	2	शून्य	35	14	शून्य	7	3	309	40	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	ऐटा	1	शून्य	24	4	1	11	2	268	28	283
7.	इटावा	1	शून्य	17	7	2	4	शून्य	143	20	154
8.	औरैया	1	शून्य	10	8	1	5	1	130	13	143
9.	झांसी	1	शून्य	36	शून्य	1	शून्य	4	167	42	167
10.	ललितपुर	1	शून्य	14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	140	15	140
11.	जालौन	1	शून्य	23	2	शून्य	6	शून्य	216	24	224
12.	मथुरा	1	शून्य	40	12	4	5	1	186	46	203
13.	मैनपुरी	1	शून्य	15	6	1	7	3	142	20	155
इलाहाबाद क्षेत्र											
14.	इलाहाबाद	2	शून्य	63	35	4	14	शून्य	266	69	315
15.	कौशम्बी	शून्य	शून्य	7	7	2	2	शून्य	155	9	164
16.	प्रतापगढ़	1	शून्य	10	32	2	13	शून्य	300	13	345
17.	गाजीपुर	2	शून्य	18	32	शून्य	6	1	317	21	355
18.	जौनपुर	1	शून्य	22	32	शून्य	12	1	358	24	402
19.	मिर्जापुर	1	शून्य	11	3	3	1	शून्य	196	15	200
20.	सोनभद्रा	शून्य	शून्य	14	19	शून्य	शून्य	शून्य	90	14	109
21.	वाराणसी	2	शून्य	64	17	4	7	4	161	74	185
22.	भदोई	शून्य	शून्य	5	9	शून्य	1	शून्य	86	5	96
23.	चंदौली	शून्य	शून्य	8	11	शून्य	5	शून्य	152	8	168
बरेली क्षेत्र											
24.	अल्मोड़ा	2	शून्य	10	28	1	12	शून्य	264	13	304
25.	बागेश्वर	शून्य	शून्य	2	11	शून्य	1	शून्य	129	2	141
26.	बदायूं	1	शून्य	27	4	2	3	8	280	38	287
27.	बरेली	1	शून्य	47	5	12	3	12	205	72	213
28.	पीलीभीत	1	शून्य	8	6	1	2	शून्य	126	10	134
29.	हरदोई	2	शून्य	21	14	2	3	1	288	26	305
30.	खेरी	1	शून्य	14	17	2	3	शून्य	348	17	368
31.	मुरादाबाद	1	शून्य	35	7	1	2	9	191	46	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	जे पी नगर	1	शून्य	12	2	2	2	शून्य	88	15	92
33.	रामपुर	1	शून्य	19	2	2	1	2	102	24	105
34.	नैनीताल	2	शून्य	19	8	1	11	2	126	24	145
35.	उधमसिंह नगर	शून्य	शून्य	21	2	शून्य	7	शून्य	81	21	90
36.	पिथौरागढ़	1	शून्य	8	18	शून्य	7	शून्य	281	9	306
37.	चंपावत	शून्य	शून्य	2	6	शून्य	शून्य	शून्य	70	2	76
38.	शाहजहांपुर	1	शून्य	27	6	4	शून्य	3	207	35	213
देहरादून क्षेत्र											
39.	बिजनौर	2	शून्य	38	5	1	5	शून्य	251	41	261
40.	चमौली	1	शून्य	12	19	शून्य	8	शून्य	194	13	221
41.	रुद्रप्रयाग	शून्य	शून्य	2	12	शून्य	2	शून्य	99	2	113
42.	देहरादून	1	शून्य	59	12	2	13	4	159	67	184
43.	गाजियादबाद	1	शून्य	50	6	5	7	5	140	62	153
44.	जी.बी. नगर	शून्य	शून्य	12	शून्य	शून्य	3	1	41	13	44
45.	मेरठ	2	शून्य	58	9	3	4	18	201	81	214
46.	बागपत	1	शून्य	9	5	शून्य	5	शून्य	88	10	98
47.	मुजफ्फरनगर	2	शून्य	40	9	2	14	1	252	45	275
48.	पौड़ी	3	शून्य	10	40	शून्य	11	3	367	16	418
49.	सहारनपुर	1	शून्य	34	10	शून्य	2	शून्य	163	35	175
50.	हरिद्वार	1	शून्य	34	8	1	शून्य	शून्य	74	35	82
51.	टिहरी	1	शून्य	11	14	शून्य	5	1	243	13	262
52.	उत्तरकाशी	शून्य	शून्य	5	7	शून्य	2	शून्य	116	5	125
गोरखपुर क्षेत्र											
53.	आजमगढ़	1	शून्य	13	29	5	4	1	345	20	378
54.	मऊ	1	शून्य	10	13	1	2	1	177	13	192
55.	देवरिया	1	शून्य	22	13	1	6	शून्य	238	24	257
56.	कुशीनगर	1	शून्य	7	9	शून्य	1	शून्य	199	8	209
57.	गोरखपुर	2	शून्य	33	29	1	5	3	317	39	351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	महाराजगंज	शून्य	शून्य	5	5	शून्य	3	शून्य	202	5	210
59.	बलिया	2	शून्य	16	30	शून्य	12	शून्य	286	18	328
60.	बहराइच	1	शून्य	11	13	शून्य	शून्य	5	232	17	245
61.	श्रावस्ती	शून्य	शून्य	2	4	शून्य	शून्य	शून्य	132	2	136
62.	बस्ती	1	शून्य	15	30	1	5	शून्य	414	17	449
63.	सिद्धार्थनगर	1	शून्य	4	10	शून्य	2	शून्य	101	5	113
64.	एस.के. नगर	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	106	1	107
65.	गोंडा	1	शून्य	17	22	1	12	4	282	23	316
66.	बलरामपुर	1	शून्य	6	9	1	3	2	160	10	172
कानपुर क्षेत्र											
67.	कानपुर सिटी	3	शून्य	88	7	शून्य	2	1	74	92	83
68.	कानपुर (डी)	शून्य	शून्य	10	11	शून्य	शून्य	1	272	11	283
69.	उन्नाव	1	शून्य	17	6	शून्य	1	2	243	20	250
70.	बांदा	1	शून्य	11	6	2	1	1	188	15	195
71.	शाहू. एम. नगर	शून्य	शून्य	5	2	शून्य	2	1	66	6	70
72.	हमीरपुर	1	शून्य	8	6	शून्य	-	2	123	11	131
73.	महोबा	शून्य	शून्य	6	3	शून्य	1	1	74	7	78
74.	फतेहनगर	1	शून्य	11	17	2	4	शून्य	219	14	240
75.	फरुर्खाबाद	1	शून्य	26	9	4	1	2	110	33	120
76.	कन्नौज	शून्य	शून्य	12	9	1	2	शून्य	123	13	134
लखनऊ क्षेत्र											
77.	लखनऊ	2	शून्य	114	13	8	1	11	137	135	151
78.	सुल्तानपुर	1	शून्य	12	36	शून्य	5	3	432	16	473
79.	सीतापुर	1	शून्य	27	13	1	1	4	368	33	382
80.	बाराबंकी	1	शून्य	19	25	1	शून्य	शून्य	358	21	383
81.	रायबरेली	2	शून्य	17	35	शून्य	14	3	272	22	321
82.	फैजाबाद	1	शून्य	22	30	शून्य	शून्य	11	282	34	312
83.	अम्बेडकर नगर	1	शून्य	8	22	शून्य	2	3	370	12	394
	जोड़	86	शून्य	1800	1045	116	341	159	16631	2161	18017

डाकघरों का खोला जाना

4393. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने नए डाकघर खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मांगी गई जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) मांगी गई जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। ये डाकघर खोलना धनराशि की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित मदों की मंजूरी पर निर्भर करता है। लक्ष्यों के राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	डाकघरों की संख्या	कुल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10192	
2.	असम	3911	
3.	बिहार	11965	
4.	दिल्ली	575	
5.	गुजरात	9044	9078
	दादर एवं नगर हवेली (यूटी)	34	
	दमन एवं दीव (यूटी)		
6.	हरियाणा	2650	
7.	हिमाचल प्रदेश	2767	
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1660	
9.	कर्नाटक	9852	
10.	केरल	5056	5070
	लक्ष्यद्वीप (यूटी)	10	
	महे (यूटी)	4	
11.	मध्य प्रदेश	11366	
12.	महाराष्ट्र	12469	12727
	गोआ राज्य	258	
13.	उत्तर पूर्व (राज्य)		2902
	अरुणाचल प्रदेश	294	
	मणिपुर	690	
	मेघालय	484	
	मिजोरम	400	
	नागालैंड	322	
	त्रिपुरा	712	
14.	उड़ीसा	8135	
15.	पंजाब	3899	3951
	चंडीगढ़ (यूटी)	52	
16.	राजस्थान	10396	
17.	तमिलनाडु	12072	12167
	पांडिचेरी (यूटी)	95	
18.	उत्तर प्रदेश	20233	
19.	पश्चिम बंगाल	8662	8966
	अ.नि. द्वीप समूह (यूटी)	98	
	सिक्किम (राज्य)	206	
	कुल	148563	

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल	खोले गए डाकघरों की संख्या		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13	12	8
2.	असम	21	59	31
3.	बिहार	35	74	51
4.	दिल्ली	7	6	6
5.	गुजरात	21	33	30
	दादर एवं नगर हवेली (यूटी)	शून्य	शून्य	शून्य
	दमन एवं दीव (यूटी)	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हरियाणा	15	16	16
7.	हिमाचल प्रदेश	4	7	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	12	24	13
9.	कर्नाटक	29	16	30
10.	केरल	8	15	7
	लक्ष्यद्वीप (यूटी)	शून्य	शून्य	शून्य
	महे (यूटी)	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	43	55	31
12.	महाराष्ट्र	37	70	48
	गोआ राज्य	1	2	5
13.	उत्तर पूर्व (राज्य)			
	अरुणाचल प्रदेश	1	10	6
	मणिपुर	3	15	–
	मेघालय	1	5	6
	मिजोरम	4	7	–
	नागालैंड	8	13	2
	त्रिपुरा	4	7	1

1	2	3	4	5
14.	उड़ीसा	24	13	16
15.	पंजाब	14	14	13
	चंडीगढ़ (यूटी)	शून्य	शून्य	शून्य
16.	राजस्थान	34	31	25
17.	तमिलनाडु	24	12	17
	पांडिचेरी (यूटी)	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	63	85	12
19.	पश्चिम बंगाल	24	40	49
	अ.नि. द्वीप समूह (यूटी)	–	–	1
	सिक्किम (राज्य)	4	7	1
	कुल	454	648	427

[अनुवाद]

निम्नलिखित हैं:-

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

4394. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आम लोगों के बीच पर्यावरण की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि आवंटित की है; और

(घ) इस अभियान के क्रियान्वयन में कितनी सफलता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा आम नागरिकों में पर्यावरण की समस्या के बारे में जागरूकता लाने के लिए कुछ उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

- राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाना
- विद्यालयों में "इको क्लब" का गठन
- पर्यावरण शिक्षा पर दो उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना
- पर्यावरणीय विषयों पर सेमिनार्स/संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएं करवाने वाले संगठन को सहायता देना
- चुने हुए जिलों में पर्यावरण वाहिनियों का गठन
- पर्यावरण मुद्दों पर फिल्मों/श्रव्य-दृष्य के निर्माण और उनके प्रसारण के लिए सहायता देना।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(घ) अभियान काफी सफल रहा है इसका प्रमाण इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1986 में जब यह अभियान आरम्भ किया गया था उस समय प्रतिभागी संगठनों की संख्या 115 थी जो अब बढ़कर 1999 में 4040 हो गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शसित क्षेत्र	उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता (रुपये)	
		1998-1999	1999-2000
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17,32,000	17,28,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,00,000	89,000
3.	असम	6,39,000	6,93,000
4.	बिहार	24,67,000	26,27,000
5.	दिल्ली	6,11,000	5,06,000
6.	गोआ	37,000	58,000
7.	गुजरात	6,00,000	6,77,000
8.	हरियाणा	3,47,000	3,38,000
9.	हिमाचल प्रदेश	4,24,000	4,91,000
10.	जम्मू और कश्मीर	9,51,000	6,25,000
11.	कर्नाटक	7,10,000	5,24,000
12.	केरल	12,03,000	13,21,000
13.	मध्य प्रदेश	18,12,000	19,24,000
14.	महाराष्ट्र	8,26,000	9,97,500
15.	मणिपुर	8,81,000	9,44,000
16.	मेघालय	40,000	27,000
17.	मिजोरम	1,62,000	2,37,000
18.	नागालैंड	–	–
19.	उड़ीसा	19,20,000	16,95,500
20.	पंजाब	3,72,000	4,28,000
21.	राजस्थान	6,11,500	6,89,000
22.	सिक्किम	2,55,000	2,72,000
23.	तमिलनाडु	14,02,000	14,48,000
24.	त्रिपुरा	2,26,000	3,37,000
25.	उत्तर प्रदेश	30,55,000	29,33,500
26.	पश्चिम बंगाल	12,76,000	11,85,000
27.	चण्डीगढ़	4,00,000	2,39,000
28.	दादर एवं नगर हवेली	15,000	20,000
29.	पांडीचेरी	46,000	40,000
	कुल	2,31,20,500	2,30,93,500

गोवा और हुबली के बीच नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

4395. श्री श्रीपाद येसो नाइक : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा और हुबली के बीच नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अदालतों में लंबित वैवाहिक मामले

4396. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की विभिन्न अदालतों में वैवाहिक विवादों संबंधी कितने मामले लंबित पड़े हैं और आज की स्थिति के अनुसार इनमें से कितने मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार के पास वैवाहिक विवादों के निपटान के लिए 'लोक अदालत' किस्म की अदालतें बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अदालतों से गैर-सरकारी संगठनों या समाज कल्याण ग्रुपों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) उच्चतम न्यायालय में आज तक कुटुम्ब विधि/विवाह विषयक लंबित मामलों की संख्या 57 है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1997-99 के दौरान (विभिन्न तारीखों को) देश के कुटुम्ब न्यायालयों में 65,398 मामले लंबित थे।

देश के अन्य न्यायालयों, अर्थात् उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित विवाह विषयक विवादों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) विवाह विषयक से संबंधित "लोक अदालत" जैसे न्यायालय सृजित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन कौटुंबिक विवादों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए "कुटुम्ब न्यायालय" स्थापित किए जाते हैं, जहां प्रक्रिया और साक्ष्य के कठोर नियमों का पालन किए बिना सुलह पर और सामाजिक रूप से वांछनीय परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है।

(घ) कुछ "कुटुम्ब न्यायालयों" में पक्षकारों की ओर से गैर-सरकारी संगठन या सामाजिक कल्याण समूहों को भी उनका पक्ष समर्थन करने की इजाजत है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में पत्तन न्यासों का विस्तार

4397. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पत्तन न्यासों के विस्तार की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि ख़र्च होने की संभावना है; और

(ग) इन पत्तन न्यासों के विस्तार के बाद सरकारी राजस्व में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) मौजूदा महापत्तनों में विभिन्न योजना स्कीमों के तहत और निजी क्षेत्र के निवेश के जरिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। चेन्नै के 25 कि.मी. उत्तर में इन्नौर में एशियाई विकास बैंक की सहायता से 950 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक नए पत्तन का निर्माण किया जा रहा है और इस पत्तन की क्षमता 16 मिलियन टन कोयला हैंडल करने की होगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान महापत्तनों में कुल 157 मिलियन टन क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के लिए 8543 करोड़ रु. के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वारा लगभग 8000 करोड़ रु. का निवेश जुटाए जाने का लक्ष्य है।

(ग) सरकार को पत्तन न्यासों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है।

महाराष्ट्र में वन रोपण

4398. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में वनरोपण के लिए हाल ही में कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित, जारी और वास्तव में उपयोग की गई राशि का वर्षवार, परियोजनावार ब्यौरा क्या है साथ ही इसकी भौतिक और अन्य संबंधित उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) महाराष्ट्र के लिए वर्ष 2000-2001 में अंतिम रूप से तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि रखी गई है; और

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त नवीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) वर्तमान में चालू वनीकरण कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं का महाराष्ट्र सहित पूरे देश में समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई, जारी की गई, और उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता सहित भौतिक लक्ष्यों का वर्षवार, योजना-वार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण स्कीमों के तहत 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) "प्राकृतिक वन प्रबंधन परियोजना" शीर्षक वाली महाराष्ट्र वानिकी परियोजना-चरण-II को संभावित विदेशी सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत 7 वर्षों में 599.30 करोड़ रु. के निवेश से 2.34 मि. हैक्टेयर क्षेत्र को "कवर" किया जाना प्रस्तावित है जो राज्य के वन क्षेत्र का लगभग 42% है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई, जारी की गई, और उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता सहित भौतिक लक्ष्यों का वर्षवार, योजना वार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण स्कीमों के तहत 2000-01 के लिए महाराष्ट्र हेतु आबंटित धनराशि

(भौतिक लक्ष्य हैक्टेयर में)

(आबंटित की गई, जारी की गई और उपयोग में लाई गई केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) लाख रु. में)

स्कीम	केन्द्रीय सहायता आबंटित	केन्द्रीय सहायता जारी की गई	केन्द्रीय सहायता उपयोग में लाई गई	भौतिक उपलब्धियां
वर्ष : 1997-98				
आई ए ई पी एस	174.29	71.46	9.99	अग्रिम कार्य
ए ओ एफ एफ पी	32.93	75.00	32.92	1606
एन टी एफ पी	77.51	38.51	16.77	310
वर्ष : 1998-99				
आई ए ई पी एस	257.83	84.28	9.19	300
ए ओ एफ एफ पी	71.32	27.91	71.30	अग्रिम कार्य
एन टी एफ पी	90.08	48.66	5.86	66
ए एस टी आर पी	21.53	5.00	5.00	236

वर्ष : 1999-2000 और 2000-2001 के लिए आबंटन

स्कीम	1999-2000				2000-01
	केन्द्रीय सहायता आबंटित	केन्द्रीय सहायता जारी की गई	केन्द्रीय सहायता उपयोग में लाई गई	भौतिक उपलब्धियां	आवंटन
आई ए ई पी एस	268.45	17.18	52.46	सूचना नहीं मिली	267.22
ए ओ एफ एफ पी	126.61	120.91	30.35	1712	153.51
एन टी एफ पी	102.59	0.00	8.07	सूचना नहीं मिली	109.69
ए एस टी आर पी	42.94	37.94	37.94	240	50.78

टिप्पणी : उपयोग में लाई गई में केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) में पिछले वर्ष से ली गई केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।

आई ए ई पी एस - एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम

ए ओ एफ एफ पी एस - क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम

एन टी एफ पी - औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वन उत्पाद का संरक्षण एवं विकास

ए एस आर टी पी - अवक्रमित वन क्षेत्रों के पुनरुद्धार में भोगाधिकार में भागीदारी के आधार पर अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता

वकीलों द्वारा हड़ताल

4399. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री राम मोहन गाइडे :
श्री शिवाजी माने :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री पी.सी. थामस :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुनील खां :
श्री रामदास आठवले :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनवरी, 2000 के 'दैनिक जागरण' में "विदेशी वकीलों के मुद्दे पर फरवरी में हड़ताल व विरोध प्रदर्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में राजधानी की विभिन्न अदालतों के अधिवक्ता पड़ताल पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वकीलों की हड़ताल के कारण न्यायपालिका में विभिन्न मामलों का निपटान रुक गया;

(ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस मुद्दे को सुलझाने हेतु उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने 24 फरवरी, 2000 के विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति की है;

(ज) यदि हां, तो उस आयोग के निदेश पद का ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा हड़ताली वकीलों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 और विदेशी वकीलों के प्रवेश तथा वकीलों के लिए परीक्षा जारी रखने के विरोध में 24.2.2000 से देश के विभिन्न भागों में वकील हड़ताल पर चले गए।

(घ) जी, हां। उन न्यायालयों में जहां हड़ताल हुई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) सरकार ने, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, श्री जी.टी. नानावती की अध्यक्षता में जांच आयोग नियुक्त किया है।

(ज) आयोग के निर्देश-निबंधन निम्नलिखित हैं:

(1) ऐसे तथ्यों, परिस्थितियों और घटनाओं की जांच करना जिनके कारण 24 फरवरी, 2000 को संसद् मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया गया, अर्थात् लाठीचार्ज और अश्रु गैस आदि का प्रयोग।

(2) इस बात की जांच और रिपोर्ट करना कि क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग अत्यधिक और अनुचित था और यदि हां तो दोषी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करना, और

(3) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

(झ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वनरोपण हेतु निधियां

4400. **श्री रामशकल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वनरोपण कार्यक्रम हेतु अधिक निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि अपेक्षित है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम के तहत कितना एकड़ क्षेत्र लाया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वनों के सतत विकास और सुरक्षा द्वारा वन आवरण के अन्तर्गत देश की भू-संहति का एक तिहाई भाग लाने के लिए राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई योजना नामक एक 20-वर्षीय संदर्श योजना तैयार की है। इस प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक लक्ष्य एवं अपेक्षित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई योजना का प्रस्तुतीकरण विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय अभिदाता एजेंसियों को धनराशि प्रदान किए जाने के लिए 27 सितम्बर, 1999 को किया गया था। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों की योजनाओ में वानिकी सेक्टर के आबंटन को और अधिक बढ़ाएं।

विवरण

राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई योजना के अन्तर्गत राज्यों के (20 वर्षों के लिए) वित्तीय एवं वास्तविक लक्ष्य

राज्य	वित्तीय लक्ष्य (रुपए मिलियन में)	वास्तविक लक्ष्य (मिलियन हेक्टेयर)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	51334.12	4.93
अरूणाचल प्रदेश	14113.59	0.15
असम	20720.35	1.10
बिहार	62067.66	4.21
गोवा	1383.97	0.03
गुजरात	23246.66	2.62
हरियाणा	15767.29	0.87
हिमाचल प्रदेश	108514.70	0.90
जम्मू और कश्मीर	57177.19	6.27
कर्नाटक	113377.00	3.21
केरल	26082.89	0.26
मध्य प्रदेश	230289.44	7.39
महाराष्ट्र	84914.21	3.36
मणिपुर	19436.16	1.08
मेघालय	1762.65	–
मिजोरम	19220.90	0.62
नागालैण्ड	4623.50	–
उड़ीसा	27152.33	0.44
पंजाब	22612.68	0.66
राजस्थान	191144.88	5.14
सिक्किम	8493.07	0.28
तमिलनाडु	27188.00	0.71
त्रिपुरा	4623.50	0.08
उत्तर प्रदेश	32208.18	3.24
पश्चिम बंगाल	57278.85	0.61
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7587.83	0.07
कुल योग	1232321.60	48.23

पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क

4401. श्री अरुण कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 2000 के ''द पायनियर'' में ''नायक सेज ड्यूटी कट कैन एवर्ट डीजल प्राइस हाइक'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव को संबंधित विभाग के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने नवम्बर, 1997 में विशेषज्ञ तकनीकी दल (ईटीजी) की सिफारिशें मान लीं तथा सुधारों के संक्रमण चरण के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की शुल्क संरचना (सीमा/उत्पाद शुल्क) के युक्तीकरण सहित प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के चरणबद्ध कार्यक्रम का निर्णय लिया है। विश्वव्यापी उत्पाद मूल्यों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए आयात शुल्कों में कमी करने पर विचार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच बजट पूर्व विचार-विमर्श भी हुए थे। संसद में 29.2.2000 को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित विद्यमान उत्पाद/सीमा शुल्कों तथा शुल्कों (उत्पाद/सीमा) का ब्यौरा संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क दर्शाने वाला विवरण

(प्रतिशत में)

	प्रभावी दरें 1999-2000	2000-01 के केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित (सेनवेट+विशेष उत्पाद शुल्क)
मोटर स्प्रिट	32	32
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	8	8
तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)	8	16
भट्टी तेल/नाफ्था तथा लो सल्फर हैव्वी स्टॉक—सामान्य उपयोग	16	16
भट्टी तेल/नाफ्था तथा लो सल्फर हैवी स्टॉक—उर्वरक	16	16
मिट्टी तेल	8	8
हाई स्पीड डीजल/लाइट डीजल आयल	16	16
एविएशन टर्बाइन ईंधन	16	16
बिटुमेन	16	16
अन्य	16	16

विवरण-II

पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क दर्शाने वाला विवरण

मद नाम	प्रभावी दरें 1999-2000	2000-01 के केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित
मोटर स्पिरिट	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
हाई स्पीड डीजल	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
एविएशन टर्बाइन ईंधन	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
लाइट डीजल ऑयल	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
भट्टी तेल	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
बिटुमेन	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
लो सल्फर हैवी स्टॉक	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
नाफ्था	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
मिट्टी तेल (सा वि प्र)	शून्य	शून्य
मिट्टी तेल/एलएबी/एन-पैराफीन के विनिर्माण के लिए)	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
सभी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
मिट्टी तेल (समानान्तर विपणन योजना)	30 प्रतिशत	35 प्रतिशत

[अनुवाद]

पारिस्थितिक-विकास परियोजना

4402. श्री कोलूर बसवनगोडा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में नागराहोल राष्ट्रीय पार्क की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए संरक्षण कर्मचारी वर्ग का उपयोग न करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के लिए संरक्षण कर्मचारी वर्ग उपयोग किया जा रहा था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) परियोजना प्रारम्भ होने की अवधि से अर्थात् वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक भारत पारि-विकास परियोजना के तहत नागराहोल राष्ट्रीय उद्यान में जैव-विविधता के संरक्षण हेतु 11.48 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में पक्षी विहार का विकास

4403. चौधरी तेजवीर सिंह :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पक्षी विहारों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास और रख-रखाव हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है और उनकी लागत क्या है तथा इसमें केन्द्र सरकार का क्या योगदान है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार से 70 लाख रुपए के आबंटन के मुकाबले 270.11 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके मुकाबले निम्नलिखित अभयारण्यों के लिए 66.54 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी:-

क्र.सं.	अभयारण्य का नाम	लाख रुपयों में
1.	बस्सी	5.09
2.	सीता माता	20.10
3.	जयसमंद	11.25
4.	सज्जनगढ़	11.45
5.	कुंभलगढ़	13.15
6.	बैंसरोदगढ़	5.50

राज्य सरकार से पूरी सूचना न मिलने के कारण जवाहर सागर और ताल छप्पर अभयारण्यों के लिए 20 लाख और 16 लाख रुपए की राशि को रिलीज करने के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जा सके।

रसोई गैस के नकली सिलिंडर

4404. डा. वी. सरोजा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में कुछ नकली रसोई गैस सिलिंडर चलन में होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नकली सिलिंडरों के विनिर्माण को रोकने और अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्माताओं से एल पी जी सिलेन्डर प्राप्त कर रही हैं तथा इनके पास मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक (सी सी ओ ई) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) से प्राप्त सांविधिक अनुमोदन है।

तेल उद्योग के तकनीकी दल, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार निर्माण क्रियाकलाप/गुणवत्ता की जांच करने के लिए सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं की औचक जांच करते हैं तथा जांच के दौरान यदि तकनीकी कमियों का पता चलता है तो उद्योग द्वारा ऐसी इकाइयों को आदेश दिया जाना निलंबित कर दिया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किन्हीं निर्माताओं, जिनसे तेल उद्योग एल पी जी सिलेन्डर प्राप्त करता रहा है, के द्वारा किन्हीं उल्लंघनों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यावरण और वन के विकास के लिए योजना आवंटन

4405. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यावरण और वन के विकास के लिए योजना में आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त उद्देश्य के लिए वेतन और रख-रखाव को छोड़कर योजना में आवंटित कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण और वनों के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 1997-98, वर्ष 1998-99 और वर्ष 1999-2000 के दौरान क्रमश: 1433.76 लाख रुपए, 2486.99 लाख रुपए और 3340.88 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। यह पूरी धनराशि विभिन्न स्कीमों के तहत प्रारम्भ की गई विकास गतिविधियों के लिए अनुमोदित घटकों पर खर्च की जानी है।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई में तेल की खोज

4406. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुम्बई हाई में तेल की खोज की प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित और प्राप्त किये गये वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मुम्बई हाई के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा करने का है और इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान मुम्बई हाई में चालू और नयी तेल खोज परियोजनाओं के प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ)

(1) मुम्बई अपतट क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा आरम्भ किए गए अन्वेषण कार्यक्रमों के संबंध में प्रगति रिपोर्टें मंत्रालय में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं तथा इनकी समीक्षा की जाती है।

(2) मुम्बई अपतट क्षेत्र में 1999-2000 के दौरान ओएनजीसी द्वारा किए गए अन्वेषण कार्यों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां तथा 2000-01 के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:-

कार्य	1999-2000		2000-01
	ब.अ.	वास्त.*	(ब.अ.)
वास्तविक*			
सर्वेक्षण (एल के) अन्वेषणात्मक वेधन	92000	79185	23500
मीटरेज (हजार मी.)	72.20	80.29	90.85
कूप (संख्या)	26	27	33
वित्तीय (योजना परिव्यय)*			
सर्वेक्षण (करोड़ रु.)	171.24	163.97(सं.अ.)	88.68
अन्वेषणात्मक वेधन	510.26	743.95 (सं.अ.)	778.34

*अनंतिम
ब.अ. : बजट अनुमान
सं.अ. : संशोधित अनुमान
*गहन जल सम्मिलित नहीं है

विश्वस्तरीय प्रतियोगिता हेतु माल वाहक जहाजों का आधुनिकीकरण

4407. श्री राजैया मल्याला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्वस्तरीय प्रतियोगिता का सामना करने हेतु मालवाहक जहाज का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितना आवंटन किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जी हां। देश में नौवहन क्षेत्र के विकास को निरन्तर बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने आधुनिक पोत खरीद कर नौवीं योजना में 9 मिलियन सकल पंजीकृत टनभार (जी.आर.टी.) हासिल करने का लक्ष्य रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी भारतीय नौवहन निगम ने पहले नौवीं योजना के दौरान 23.84 लाख डी.डब्ल्यू.टी. क्षमता के 53 जलयान खरीदने का प्रस्ताव रखा था जिसके लिए सरकार ने 5752 करोड़ रु. का परिव्यय आबंटित किया था। भा.नौ.नि. ने अपना खरीद कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। निगम अब उक्त अवधि में 16.85 लाख डी.डब्ल्यू.टी. क्षमता के 21 जलयान खरीदना चाहता है।

राजस्थान में नई सड़क परियोजनाएं

4408. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में नई सड़क परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जल भूतल परिवहन मंत्रालय मुख्यतया केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। उनका विकास और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है जो क्षेत्र संबंधी प्राथमिकता पर नहीं अपितु यातायात की आवश्यकता पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश में संचार सुविधाएं

4409. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में विशेषकर वाराणसी में संचार सुविधाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां की खराब संचार सुविधाओं को देखते हुए इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष बजट मुहैया कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय कितने सेल्युलर टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं और वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त क्षेत्र में कितने सेल्यूलर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां। सभी ब्लॉक मुख्यालयों में एक्सचेंज खोलने और 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 31.3.2001 तक प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर रूप से निपटान करने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जिलों में सभी एक्सचेंजों को, ओएफसी बिछाकर विश्वसनीय माध्यम से चरणबद्ध रूप से कवर किया जा रहा है ताकि एसटीडी सेवाओं में सुधार हो सके। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार वाराणसी में 134704 लाइनों की क्षमता तथा 1,00,298 कार्यरत कनेक्शनों सहित 85 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। वाराणसी जिले में 2000-2001 में नौ नए एक्सचेंज खोले जाने की योजना है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश (पूर्वी) में दूरसंचार सुविधाओं की विकास योजनाओं के लिए अपेक्षित निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी।

(घ) इस समय वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश (पूर्वी) में 108571 सेल्यूलर मोबाइन फोन काम कर रहे हैं और इन्हें प्राइवेट प्रचालकों द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन

4410. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना प्राक्कलन की तुलना में कच्चे तेल और गैस का कुल वास्तविक उपलब्धता कितनी रही?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य में तेल और गैस का उत्पादन नहीं होता है।

[अनुवाद]

पत्तनों द्वारा धन का उपयोग

4411. श्री पी.सी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में पत्तनों के लिए निर्धारित धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बड़े और छोटे प्रत्येक पत्तन के लिए आवंटित धनराशि के आंकड़े सहित उपयोग का वर्ष-वार और पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में धन उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान केरल के कोचीन पत्तन हेतु प्रस्तावित गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोचीन पत्तन की क्षमता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों के लिए नियत योजना परिव्यय और उसका उपयोग संलग्न विवरण-I में दिया गया है। लघु पत्तन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं अत: लघु पत्तनों के बारे में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

योजना परिव्यय के उपयोग में कमी के कारण, अन्य कारणों के साथ-साथ इस प्रकार हैं:

(1) नई स्कीमें संस्वीकृत करने में विलम्ब।

(2) मानसून के कारण कार्य शुरू करने में विलम्ब।

(3) ठेका संबंधी विवाद/मुकदमेबाजी।

(4) निविदाओं को अंतिम रूप देने और ठेका देने में विलम्ब।

(5) परियोजनाएं/स्कीमें आस्थगित करना।

(घ) और (ङ) योजना स्कीमों और क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु 5 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाली परियोजनाओं के ब्यौरे, जो कोचीन पत्तन न्यास द्वारा वार्षिक योजना 2000-2001 में शुरू की जानी हैं, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों के लिए नियत योजना परिव्यय तथा उसका उपयोग

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	महापत्तन का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कलकत्ता, हल्दिया सहित	45.22	28.11	30.10	61.36	30.00	82.24
2.	मुम्बई	156.24	75.61	110.90	52.46	223.10	200.32
3.	ज.ला. नेहरू	94.86	106.75	70.50	21.16	50.00	50.51
4.	चेन्नई	228.38	123.10	170.00	225.86	379.00	289.88
5.	कोचीन	16.21	10.04	10.00	19.93	20.00	21.53
6.	विशाखापत्तनम	70.50	55.29	50.00	51.30	51.80	91.30

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कांडला	85.08	50.90	65.50	50.19	71.80	62.99
8.	मुरगांव	15.42	7.78	15.00	31.05	30.00	25.50
9.	पारादीप	224.84	117.62	120.00	199.73	344.00	235.47
10.	नव मंगलूर	31.44	20.58	30.00	14.81	44.00	40.67
11.	टूटीकोरिन	34.18	16.07	55.00	48.36	170.00	196.44
	कुल	1002.37	611.85	727.00	776.21	1413.70	1296.85

विवरण-II

कोचीन पत्तन न्यास से संबंधित वार्षिक योजना 2000-2001 में शामिल 5 करोड़ और अधिक लागत वाली स्कीमों के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	अनुमोदित परिव्यय 2000-2001
1	2	3	4
1.	3 एम वी ए का डीजल जनरेटर सैट उपलब्ध करवाना	7.70	0.01
2.	सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	5.50	1.70
3.	कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाओं में बढ़ोत्तरी-तृतीय शिफ्ट प्रचालन (एल डी कन्टेनर हैंडलिंग उपस्कर/एल डी मोबाइल क्रेनों को बदलना)	7.00	0.01
4.	कन्टेनर टर्मिनल के लिए दो 40 टन आर टी जी क्रेनों की संस्थापना	15.00	0.01
5.	12.8 मीटर डुबाव वाले जलयानों के लिए चैनल को गहरा करना	50.00	5.00
6.	बी टी पी का पुनर्निर्माण	23.00	7.00
7.	ड्रैजर "जी एच डी बोल घट्टी" को बदलना	140.00	1.00
8.	न्यू रिक्लेम्ड क्षेत्र में 110 केवी का सब स्टेशन बनाना	8.50	0.01
9.	एक लो-प्रोफाइल 40 टन कन्टेनर हैंडलिंग जेन्ट्री क्रेन की संस्थापना	35.00	0.01
10.	रिक्लेमेशन क्षेत्र के दक्षिणी छोर का विकास	6.00	0.80
11.	स्टाफ के लिए आवास	6.00	0.50
12.	एन टी बी में सुधार	5.00	0.02
13.	मटनचेरी व्हार्फ को बदलना	20.00	0.27

1	2	3	4
14.	मटनचेरी पुल को बदलना	30.00	0.10
15.	एर्नाकुलम व्हार्फ का विस्तार	15.00	0.01
16.	क्यू 5, क्यू 6 और क्यू 7 बर्थों को कंटेनर बर्थ में बदलना	222.00	0.01
17.	वल्लारपदम में ट्रांशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल का विकास	1200.00	7.00
18.	पुथुइपिन में एलएनजी/एलपीजी टर्मिनल का निर्माण	2000.00	0.02

गहरे समुद्र में तेल की खोज

4412. श्री दिलीप संघाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रुपीज 300 करोड़ ओ एन जी सी प्लान फार डीप-सी आयल एक्सप्लोरेशन इन गल्फ आफ कच्छ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ड्रिलिंग की गहराई, इसमें संबद्ध खतरे और अल्ट्राडीप उद्यम का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए और उपरोक्त ब्लाकों में से कितने ब्लाकों में कुएं खोदे गए; और

(घ) अन्य ब्लाकों में काम न होने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने कच्छ के गहन जल क्षेत्र में एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) के लिए आवेदन किया है। आंकड़ों के अध्ययन से यह इंगित होता है कि 1500 से 2000 (अधिक) मीटर तक की गहराई के बीच की जल गहराई में कई संरचनाएं मौजूद हैं। वेधन की गहराई पहचानी गई संरचनाओं पर वेधन के लिए स्थानों की जगह पर निर्भर करता है।

तेल का अन्वेषण एक जोखिम भरा काम है। गहन जल में वेधन के लिए गहन जल रिगों तथा अन्य प्रौद्योगिकियों की जरूरत होती है। अवसरों तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ओ एन जी सी की द्विआयामी तथा त्रिआयामी आंकड़े एकत्र करने की योजना है जिनके मूल्यांकन से वेधन स्थान के चयन सहित अन्वेषणात्मक वेधन करने के लिए संरचनाओं का निर्णय लिया जाएगा। ओ एन जी सी के पास एक गहन जल रिग है, जो 900 मीटर तक की जल गहराई में वेधन कर सकती है।

(ग) और (घ) तेल अन्वेषण के लिए 1991 में निजी (विदेशी और भारतीय) कंपनियों के बेहत्तर ब्लाक प्रस्तावित किए गए। पांच ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें से चार ब्लाकों में विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रतिभागिता हित रहा है/था। तीन हस्ताक्षरित ब्लाकों में पांच कूपों का वेधन किया गया। अन्वेषण तथा दोहन के लिए ब्लाकों का प्रस्ताव एक सतत प्रक्रिया है। 1991 से चौथे दौर की घोषणा के बाद चार और अन्वेषण दौर, एक संयुक्त उद्यम अन्वेषण दौर तथा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत एक दौर की घोषणा की गई है जिनमें 1991 में चौथे दौर के तहत प्रस्तावित कई ब्लाक नए ब्लाकों के साथ दोबारा प्रस्तावित किए गए हैं।

असम में रसोई गैस कनेक्शन

4413. श्री अब्दुल हमीद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 2000 के स्थिति के अनुसार असम में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिला-वार कितने व्यक्ति दर्ज थे;

(ख) प्रतीक्षा सूचियों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा;

(ग) वर्ष 1998 और 1999 में प्रति वर्ष रसोई गैस के कितने कनेक्शन जारी किए गए; और

(घ) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान असम को कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 31.1.2000 तक असम राज्य में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत कुल प्रतीक्षा सूची 34969 थी तथा यह तेल विपणन कम्पनियों द्वारा निपटा दी गई है।

(ग) और (घ) तेल विपणन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की कुल संख्या क्रमश: 0.56 लाख तथा 2.40 लाख थी। नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर हैं। देश में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं।

तमिलनाडु में रसोई गैस की पाइप लाइनें

4414. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में रसोई गैस की पाइप लाइनें बछाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन जिलों/ क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा;

(ग) किस स्रोत से पाइप लाइन को गैस मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार क्षेत्र में रसोई गैस कनेक्शनों हेतु लम्बी प्रतीक्षा सूचियों के मद्देनजर मदुरै और वेनी जिलों को इसमें शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल/गैस निकालने हेतु रायल्टी

4415. श्री ए. कृष्णास्वामी :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपने वहां से निकाले गये तेल/गैस के लिए मुआवजा/ रायल्टी प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी राशि अदा की गई;

(ख) क्या तमिलनाडु को अपने राज्य से निकलने वाले तेल/गैस के लिए इस प्रकार की राशि मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु के किन-किन स्थानों से तेल निकलते हैं और प्रतिदिन निकलने वाले तेल और गैस का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

4416. श्री के. मुरलीधरन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में जिले-वार विशेषकर कालीकट जिले में किन-किन स्थानों पर इनकी क्षमता सहित इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) इन एक्सचेंजों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान केरल में 37 नए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव अनन्तिम है। स्थानों के जिले-वार नाम उनकी क्षमताओं सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, आगे और समीक्षा होने पर इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान केरल में स्थापित किए जाने वाले अनन्तिम रूप से प्रस्तावित नए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्थान का नाम	एसएसए	जिला	टाइप	क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	थिरूवन्दुर	अलेप्पी	अलेप्पी	ई-10बी	2000
2.	महाप्रबंधक कार्यालय	कालीकट	कालीकट	डब्ल्यूएलएल	1000
3.	पयमपिल्ली	कालीकट	वयनाड	एमबीएमआरएसयू	1000
4.	मालापट्टम	केन्नानौर	केन्नानौर	एसबीएम	1000
5.	धरमादम	-वही-	-वही-	ओसीबीआरएसयू	1000
6.	इरेलहोली	-वही-	-वही-	-वही-	2000
7.	कोडीयेरी	-वही-	-वही-	-वही-	2000
8.	इडप्पापल्ली	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	एएक्सइआरएसयू	4000
9.	चून्डी	-वही-	-वही-	-वही-	2000
10.	एजीकारा	-वही-	-वही-	एसबीएम	1000
11.	पट्टीमट्टम	-वही-	-वही-	एएक्सयूआरएसयू	2000
12.	कुमारनलूर	कोट्टायम	कोट्टायम	ओसीबी	2000
13.	मूलेडम	कोट्टायम	कोट्टायम	-वही-	1000
14.	विहेन्नूर	-वही-	-वही-	-वही-	2000
15.	अकमालावरम	पालघाट	पालघाट	आरएएक्स	184
16.	पुथूर	-वही-	-वही-	ओसीबीआरएसयू	2000
17.	यक्कारा	-वही-	-वही-	ई-10 बीआरएलयू	1000
18.	पेरिंगानाड	पठानमथिटा	पठानमथिटा	एक्सएलआरएसयू	1000
19.	मुझीयार	-वही-	-वही-	आरएएक्स	184
20.	मुखथाला	क्विलॉन	क्विलॉन	ओसीबीआरएसयू	2500
21.	मुक्कादा	-वही-	-वही-	एमबीएमआरएसयू	3000
22.	चनककमोन	-वही-	-वही-	आरएएक्स	184
23.	सरेइकड़	-वही-	-वही-	एसबीएम	1000
24.	काडूकुट्टी	त्रिचूर	त्रिचूर	एसबीएम	1200

1	2	3	4	5	6
25.	इडक्काजीयूर	त्रिचूर	त्रिचूर	ई-10 बीआरएलयू	2000
26.	अरीमपुर	-वही-	-वही-	एमबीएमआरएसयू	2000
27.	वालाक्ककवू	-वही-	-वही-	ओसीबी आरएसयू	2000
28.	मीनमकुलम	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	एएक्सई आरएसयू	1000
29.	पोंगूमूड़	-वही-	-वही-	एमबीएस आरएसयू	2000
30.	पाट्टम	-वही-	-वही-	ओसीबी आरएसयू	3000
31.	अनायारा	-वही-	-वही-	5 ईएसएस आरएसएम	4000
32.	उदियनकुलंगारा	-वही-	-वही-	एसबीएम	1000
33.	पुडुकुलंगारा	-वही-	-वही-	एमबीएम	1000
34.	पुल्लमवारा	-वही-	-वही-	एमबीएम	1000
35.	नागरूर	-वही-	-वही-	एक्सएल आरएसयू	2000
36.	कोंट्टूर	-वही-	-वही-	एमबीएम	1000
37.	चेंगोट्टूकोनम	-वही-	-वही-	एसबीएम	1000

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

4417. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे विद्युत परियोजना के संबंध में प्रतियोगी आमंत्रण से बचें;

(ख) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश को आकर्षित करने के लिए अब तक प्रतियोगी तरीके अपनाने वाले राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) समान नीति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) 18.2.95 के बाद निजी क्षेत्र को विद्युत परियोजनाएं प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया अनिवार्य बना दी गई है। तथापि परियोजनाओं की कुछ श्रेणियां, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया से छूट प्राप्त है, नीचे उल्लिखित हैं:-

(1) विस्तार परियोजनाएं।

(2) राज्य विद्युत बोर्ड (रा.वि.बो.)/सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट और निजी कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम जहां कि संयुक्त उद्यम कंपनी में रा.वि.बो./सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की भागीदारी अधिक हो।

(3) एक उद्योग या उद्योगों के एक समूह द्वारा विशेषत: कैप्टिव उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन स्टेशन।

(4) विद्यमान रिफाइनरियों द्वारा स्थापित और हैवी बॉटम अवशेष पर आधारित विद्युत परियोजनाएं।

(ख) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार जिन राज्यों ने विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया अपनाया है उनमें कुछ ये राज्य शामिल हैं:- आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु इत्यादि।

(ग) निजी क्षेत्र को विद्युत परियोजनाएं प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया की नीति समान है जो कि सभी राज्य सरकारों के लिए एक समान लागू है और इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

उत्तरी मद्रास-II विद्युत परियोजना

4418. डा. सी. कृष्णन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी मद्रास II विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या विद्युत की खरीद के संबंध में इस परियोजना के प्रवर्तकों और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के बीच कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना के लिए कुल कितने कोयले की आवश्यकता होगी और इसे किन-किन स्त्रोतों से पूरा किया जाएगा; और

(च) उक्त परियोजना से विद्युत उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) तमिलनाडु में मै. विडियोकॉन पावर लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित की जा रही उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना चरण-II (1050 मे.वा.) को 585.96 मिलियन अमरीकी डॉलर + 2402.24 करोड़ रुपए (1 अमरीकी डॉलर = 34.50/- रुपए की विनिमय दर) की अनुमानित सम्पूर्ण लागत पर 3.4.1996 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और प्रवर्तकों के बीच 2.2.1998 को एक विद्युत क्रय समझौता निष्पन्न किया गया है।

(ङ) खान एवं खनिज मंत्रालय (कोयला विभाग) की संचालन समिति ने परियोजना हेतु 5.75 मीट्रिक टन कच्चा कोयले प्रति वर्ष की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तलेचर कोलफील्ड में उत्कल-बी 1 ब्लॉक आबंटित किया है।

(च) परियोजना की प्रथम यूनिट को प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन की तिथि से 42 माह के भीतर चालू करने तथा दूसरी यूनिट को उसके बाद चार माह के भीतर चालू करने का कार्यक्रम है।

आंध्र प्रदेश में वनों का विकास

4419. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वनों के विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना की स्वीकृति दे दी है·

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) राज्य सरकार ने राज्य में वनों के सतत विकास के लिए राज्य वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम (एस.एफ.ए.पी.) के नाम से 20 वर्ष के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इस अवधि के दौरान राज्य ने संस्थाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के अलावा 2.65 मिलियन हेक्टेयर प्राकृतिक वनों के पुनरुद्भव और 2.28 मिलियन हेक्टेयर गैर-वन भूमियों पर पादपरोपण का प्रस्ताव किया है। 20 वर्षों के इन कार्यक्रमों के लिए कुल वित्तीय आवश्यकता 51334.1 मिलियन रुपए की है, जोकि राज्य के वानिकी क्षेत्र में वित्तीय निवेश के वर्तमान स्तर से काफी अधिक है।

(ग) सरकार ने एस.एफ.ए.पी. के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी है और उन्हें राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन.एफ.ए.पी.), जोकि इस मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त, 1999 को रिलीज किया गया था, में शामिल कर लिया है।

(घ) इन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता जुटाने हेतु सरकार ने 27 सितम्बर, 1999 को "एन.एफ.ए.पी. इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों का समर्थन" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। केन्द्रीय सरकार ने वनों के सतत विकास के लिए सभी संभव स्त्रोतों से धनराशि जुटाने के लिए सभी राज्य सरकारों को भी लिखा है।

[हिन्दी]

काली सूची में डाली गई दूरसंचार फर्में

4420. श्री हरि भाई चौधरी :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) ने काली सूची में डाली गयी दूरसंचार फर्मों के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें काली सूची में डाले जाने के राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में कुल कितनी हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है तथा कलकत्ता में पिछले तीन वर्षों के दौरान केबिल तथा अन्य उपकरणों की चोरी के कारण कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (घ) विभाग ने प्रतिबंधित अवधि के दौरान काली सूची में डाली गई फर्मों के साथ कोई नया ठेका नहीं किया है।

(ख) दूरसंचार विभाग/एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित दूरसंचार फर्मों को काली सूची में डाला गया है:-

(1) मै. टेलीमैटिक्स सिस्टम्स लि., चेन्नई

इस फर्म को दिनांक 29.9.97 से दूरसंचार विभाग ने तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला था। इस फर्म ने नवम्बर, 1994-95 में दूरसंचार विभाग की निविदा में भाग लिया तथा एल-I बोलीदाता के रूप में उभरी। इस फर्म ने अग्रिम क्रयादेश स्वीकार नहीं किया तथा पीछे हट गई। अत:, इस फर्म को काली सूची में डाल दिया गया और तीन वर्षों के लिए इसकी व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

(2) मै. ए.आर.एम. लि., हैदराबाद

इस फर्म को सीबीआई की सिफारिशों के आधार पर 8.8.1997 को दो वर्षों की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया गया था। तथापि, फर्म द्वारा की गई अपील पर विचार करने के बाद, यह प्रतिबंध घटाकर 8 महीने का कर दिया गया था, जिसे 8.4.198 को उठा लिया गया था।

(3) मै. राजन इंटरप्राइजेज़ लि., दिल्ली

एमटीएनएल ने इस फर्म को खराब तथा घटिया दर्जे के आइटम सप्लाई करने के कारण काली सूची में डाल दिया था।

(4) मै. विकास टूर्स एण्ड ट्रैवल्स, नई दिल्ली

इस फर्म को एमटीएनएल ने इसलिए काली सूची में डाल दिया था, क्योंकि इसने गाड़ियों को किराये पर देने की निविदा प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज दिए थे।

(5) मै. एच.सी.एल. काम्नेट सिस्टम्स एण्ड सर्विसेज लि.

इस फर्म ने जारी क्रयादेश के प्रति कम्प्यूटर आइटमों की सप्लाई नहीं की। अत:, एमटीएनएल ने इसे काली सूची में डाल दिया।

(ग) "कलकत्ता टेलीफोन्स" में गत तीन वर्षों के दौरान केबल की चोरी से हुई कुल हानि की राशि निम्नवत् है:-

वर्ष	राशि (रु.)
1997-98	6,08,060
1998-99	6,000
1999-2000	14,000

उपर्युक्त चोरी के सभी मामलों के बारे में पुलिस-स्टेशनों में रिपोर्ट कर दी गई है तथा भविष्य में केबल की चोरी रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पड़े पद

4421. श्री तूफानी सरोज : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के पद अभी भी काफी संख्या में रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इस समय ये रिक्तियां श्रेणीवार कितनी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त पदों को तत्काल भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समान विद्युत शुल्क

4422. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए समान विद्युत शुल्क लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का निर्धारण राज्य बिजली बोर्डो द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन से किया जाता है। पूरे देश में विद्युत की दरों को एक समान बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाए जाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग, 1998 को लागू किया है ताकि राज्य सरकारें राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन करने में सक्षम हो सकें जिनके पास विद्युत टैरिफ को निर्धारित करने की शक्तियां होंगी। अभी तक, चौदह (14) राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन किया है/अधिसूचित किया है।

असम में सड़कों और पुलों का निर्माण

4423. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड और विश्व बैंक असम में सड़कों और पुलों के निर्माण का वित्त पोषण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नाबार्ड या अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत कलगछीया होते हुए राहा से मोइनबोरी तक सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। राहा से मोइनबोरी वाया फलगछीया सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी कोई भी कार्य नाबार्ड एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश को बिटूमन की आपूर्ति

4424. श्री ए. ब्रह्मैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में प्रयोक्ताओं को बिटूमन की आपूर्ति बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश के बिटूमन प्रयोक्ता दूरदराज के क्षेत्रों से इसकी खरीद करने पर मजबूर हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विकास कार्य को रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जी नहीं। तेल विपणन कम्पनियां आन्ध्र प्रदेश में बिटुमेन की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपूर्ति के सामान्य स्रोत से उत्पाद उपलब्धता में कठिनाइयों के कारण दक्षिणी क्षेत्र में बिटुमेन की उपलब्धता प्रभावित हुई।

तेल कम्पनियां मांग पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों से आन्ध्र प्रदेश को बिटुमन की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं।

गुजरात में विद्युत परियोजनाएं

4425. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी ऋण की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त एजेंसियों ने किसी भी ऋण शर्तों को पूरा किए बिना ऋण जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) गुजरात में निम्नलिखित ताप-विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन हैं:-

1. हजीरा सीसीजीटी (जीएसईसीएल) – 156 मे.वा.
2. धुवर्न गैस पावर प्रोजेक्ट (सीएसईसीएल) – 100 मे.वा.
3. एक्सटेंशन यू 3 एंड 4 ऐट सिक्का टीपीएस (जीईबी) – 500 मे.वा.

गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही अन्य परियोजनाओं में शामिल हैं।

(1) गांधीनगर टीपीएस में यूनिटें 6 और 7 का विस्तार (2×250 मे.वा.)

(2) उत्तरान टीपीएस में सीसीपीपी विस्तार चरण-II (300 मे.वा.)

(3) पनानधरों टीपीएस में विस्तार यूनिट संख्या-4 (75 मे.वा.)

(4) कांडला में आयातित कोयला आधारित टीपीएस (250 मे.वा.)

हजीरा और पागुथान सीसीपीपी के संबंध में वित्तीय पैकेज के अनुसार आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई इत्यादि ने सरकार द्वारा विदेश उधार को अनुमोदित किए जाने के पश्चात् इन परियोजनाओं को निम्नलिखित राशियां प्रदान की हैं:-

(करोड़ रु. में)

हजीरा विद्युत परियोजना	
रुपए सांविधिक ऋण/एनसीडी/लीज पर देना	548.00
विदेशी मुद्रा ऋण	234.30
आस्थागित भुगतान गारंटियां (केवल मूल राशि के लिए)	439.20
कुल	1221.50
पांगुथान सीसीजीटी	
के.एफ.डब्ल्यू.	410.50
विदेशी बैंक	438.80
आईएफआई से वित्तीय समापन	388.70
आईएफआई (आर.टी.एल.)	275.00
कुल ऋण	1519.00 (67.60% ऋण)

अलग से आईसीआईसीआई जामनगर में रिलायंस ग्रुप द्वारा 500 मे.वा. पैट-कोक आधारित विद्युत संयंत्र/परियोजना में वित्तीय भागीदारी करने पर विचार कर रहा है। एसबीआई ने गुजरात में निम्नलिखित परियोजनाओं को भी ऋण संवितरित किए हैं।

(करोड़ रु. में)

	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित
गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी लि. बड़ौदा सूरत	86.65	7.25
गुजरात टोरेंट इनर्जी कारपोरेशन	176.20	517.90
इस्सार पावर लिमिटेड, हजीरा	49.63	65.17
गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (गांधीनगर/वनकबोरी प्लांट्स)	120	0
रिलायंस यूटीलिटीज एंड पावर लिमिटेड जामनगर	200	0

आईडीबीआई ने गुजरात राज्य में निम्नलिखित यूनिटों को वित्तीय सहायता स्वीकृत/मुहैया की है:-

(करोड़ रु.)

1. सीसीजीटी (156 मे.वा.) गुजरात स्टेट इनर्जी जेनरेशन लिमिटेड, जिला-सूरत	200
2. लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना (2×125 मे.वा.) गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जिला-कच्छ	500
3. रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा जामनगर में पैटकोक आधारित पावर प्लांट (500 मे.वा.)	653

4. अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड (490 मे.वा.)	106
5. गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (555 मे.वा.)	514.24
6. गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (420 मे.वा.)	200
7. गुजरात टोरेंट इनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (655 मे.वा.)	340.39

शेष परियोजनाओं के प्रवर्तकों ने अभी तक अंतिम वित्तीय पैकेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऋण के शर्तों एवं निबंधनों के संबंध में निर्णय ऋणदाता संबंधी और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पारस्परिक रूप से लिया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त 2000 मे.वा. वाली विद्युत परियोजना को नवम्बर, 1998 में घोषित संशोधित मेगा विद्युत नीति के तहत एक बहु-राज्यीय मेगा विद्युत परियोजना के रूप में निजी क्षेत्र द्वारा विकास किये जाने के लिए अभिज्ञात किया गया है। इस परियोजना के लिए के.वि.प्रा. की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इस परियोजना के विकास के लिए वरीय बोलीदाताओं का चयन प्रगति पर है। और प्रक्रिया को अन्तिम रूप प्रदान करने के बाद ही वित्तीय पैकेज का पता लगाया जायेगा।

पत्तन अधिकारियों/कामगारों के वेतन संबंधी समझौता वार्ता

4426. श्री प्रभात सामंतराय : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पत्तन कामगार परिसंघ, पत्तन अधिकारियों और पत्तन अधिकारी एसोसिएशन के साथ वेतन संबंधी समझौता वार्ता आयोजित करने पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) पत्तन अधिकारियों और कामगारों के वेतन संबंधी समझौता वार्ता की प्रक्रिया में सहयोग देने वाले सेवानिवृत्त पत्तन अधिकारियों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) पत्तन कामगारों के परिसंघों के साथ वेतन वार्ताएं करने के लिए 31.3.2000 तथा 33,06,484 रु. खर्च हो चुके हैं। पत्तन अधिकारियों और पत्तन अधिकारी एसोसिएशन के साथ वेतन वार्ता आयोजित करने के लिए किया गया खर्च इस प्रकार है:-

(1) अक्तूबर, 1996 से फरवरी, 1999 तक वेतन संशोधन समिति द्वारा वेतन, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, विविध खर्च, टेलीफोन/डाक खर्च/फैक्स, मुद्रण और लेखन सामग्री तथा फर्नीचर और फिक्सचर्स शीर्षों के अंतर्गत किया गया खर्च 23,67,422.95 रुपए।

(2) कार्यान्वयन कक्ष (वेतन संशोधन समिति) द्वारा फरवरी 1999 से फरवरी, 2000 तक किया गया खर्च 8,25,171.93 रु.।

(ख) कामगारों के लिए वेतन वार्ताओं की प्रक्रिया में लगाए गए सेवानिवृत्त पत्तन अधिकारियों को कुल 3,17,794 रु. की राशि का भुगतान किया गया। श्री ए.पी. घोष (कलकत्ता पत्तन न्यास का सेवानिवृत्त अधिकारी) सचिव, आफिसर्स फेडरेशन को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में 38,584 रु. की राशि का भुगतान किया गया था।

[हिन्दी]

पारादीप में पुनर्वास कार्यक्रम

4427. श्री थावरचन्द गहलोत : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पारादीप में तूफान-प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास पर खर्च की जाने वाली राशि को किस तरह जुटाया जाएगा; और

(ङ) प्रभावित व्यक्तियों को अन्य कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) पारादीप के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास राज्य सरकार का विषय है। मंत्रालय का संबंध पारादीप पत्तन के पुनर्वास और मरम्मत से है। चक्रवात से हुई क्षति को देखते हुए पत्तन के पुनरुद्धार हेतु तीन चरणों की एक सुधार योजना तैयार की गई। प्रथम दो चरणों में सामान्य स्थिति बहाल की जा चुकी है। तीसरे चरण के अंतर्गत पूर्ण मरम्मत और

क्षतिग्रस्त भवनों और ढांचों का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। पारादीप पत्तन प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पत्तन को 68.5 करोड़ रु. की और पारादीप पत्तन क्षेत्र में स्थित मत्स्य बंदरगाह को 9.5 करोड़ रु. की क्षति हुई है। अब तक 24.40 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.एच.ए.आई. को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा ऋण/वित्त

4428. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री रामदास आठवले :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतरर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण और वित्त का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऐसे धन का उपयोग कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी मदों में किए जा रहे व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क विकास हेतु आधुनिक और जन-अनुकूल डिजाइन नहीं अपनाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मध्य प्रदेश में सड़क विकास हेतु अद्यतन डिजाइन का उपयोग करें, क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा सीधे कोई ऋण सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में एशियाई विकास बैंक के 245 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण और ओ.ई.सी.एफ. के 32060 मिलियन जापानी येन के 4 ऋणों से वित्तपोषित परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आधुनिक डिजाइन पद्धतियां और जनता के अनुकूल नीति अपना रहा है।

(ङ) मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वित्तपोषित कोई भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

कांडला पत्तन न्यास द्वारा चार लेनों वाली बाईपास सड़क का निर्माण

4429. श्री पी.एस. गढवी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास कांडला-रेहन (के.के. मार्ग) के बीच चार लेनों वाले बाईपास सड़क के निर्माण पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस परियोजना के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) कांडला पत्तन न्यास ने गांधीधाम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8-क के संधि स्थल (जंकशन) से कांडला में तेल जेटी क्षेत्र तक 12 कि.मी. लम्बी कांडला-खरीरोहर सड़क (के के सड़क) को चौड़ा करके चार लेन बनाने का प्रस्ताव किया था। इसके अतिरिक्त, नक्सी संकरी खाड़ी (नक्सी क्रीक) पर पुल निर्माण और उक्त सड़क पर एक रेल-ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) के निर्माण की स्कीम भी थी।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) यातायात परिदृश्य की समीक्षा करने के पश्चात् कांडला पत्तन ने अब कार्य क्षेत्र को मौजूदा विकृत दो लेन वाली के के सड़क का एस्फाल्ट कार्पेट की सतह डालकर पुनरुद्धार करने और नक्सीसंकरी खाड़ी पर पुल के निर्माण तक सीमित

कर दिया है। पत्तन का प्रस्ताव है कि इस कार्य को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा कार्यान्वित किया जाए।

ग्रामीण विद्युतीकरण

4430. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्याज पर राजसहायता सहित प्राथमिकता आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नई रणनीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में इस रणनीति को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई योजना के त्वरित कार्यान्वयन की निगरानी हेतु मंत्रियों का दल गठित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के तहत वर्ष 2005 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 415 जनजातीय गांवों और 2440 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए 16.67 करोड़ रु. की ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ग) जनजातीय गांवों और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, विद्युत मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा जनजातीय कार्य मंत्री का एक दल गठित किया गया है। मंत्रियों का दल जनजातीय गांवों और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण तथा अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने से संबंधित सभी विद्यमान स्कीमों की समीक्षा कर सकते हैं और विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के लिए संशोधन का सुझाव दे सकते हैं।

विवरण

आदिवासी गांवों तथा दलित बस्तियों का विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आदिवासी गांवों का विद्युतीकरण (संख्या)	दलित बस्तियों का विद्युतीकरण (संख्या)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	250
2.	अरूणाचल प्रदेश	60	0
3.	असम	20	0
4.	बिहार	0	84
5.	जम्मू एवं कश्मीर	0	16
6.	कर्नाटक	0	100
7.	केरल	0	80
8.	मध्य प्रदेश	100	700
9.	महाराष्ट्र	0	100
10.	मणिपुर	60	0
11.	मेघालय	10	0
12.	मिजोरम	3	0
13.	नागालैंड	2	0
14.	उड़ीसा	100	300
15.	राजस्थान	50	300
16.	त्रिपुरा	10	0
17.	उत्तर प्रदेश	0	500
18.	प. बंगाल	0	10
	कुल राज्य	415	2440

पेंशनभोगियों हेतु पेंशन अदालत की स्थापना

4431. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेंशनभोगियों हेतु पेंशन अदालत स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि देश में पेंशनभोगियों के लिए ''पेंशन न्यायालय'' स्थापित करने के लिए उस विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, पेंशनभोगी शिकायतों के शीघ्रतापूर्ण निपटारे के लिए रेल मंत्रालय जैसी पेंशन अदालतों को स्थापित करने की वकालत करता रहा है। ये अदालतें लोक शिकायत उपचारात्मक तंत्र के रूप में न कि विधिक निकाय के रूप में, कार्य कर रही हैं।

स्वर्ण-चतुर्भुज परियोजना

4432. डा. जसवन्त सिंह यादव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक वर्ष पूर्व एक प्रमुख सड़क-नेटवर्क परियोजना—स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या राज्य-वार सड़क गलियारा परियोजनाओं के वास्ते भी योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कलकत्ता के चार महानगरों को जोड़ने वाले मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गो का स्तर 4/6 लेन तक बढ़ाकर उन्नत करने का कार्य शामिल है।

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज पर 504 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने का कार्य पूरा किया जा चुका है और 732 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य चल रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारीडोर परियोजना में क्रमश: श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से सौराष्ट्र तक के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों और सलेम से कोचीन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का स्तर 4/6 लेन तक बढ़ाने का कार्य शामिल है।

टाईटेक्स ग्रीज

4433. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम को इसके निर्यात संबंधी क्रयादेशों विशेषकर ''टाईटेक्स ग्रीज'' के क्रयादेशों के निरस्त होने के कारण भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तेल निगम द्वारा जिन-जिन देशों के साथ ठेके पर हस्ताक्षर किए गए थे उनका ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं;

(घ) भारतीय तेल निगम द्वारा अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस हानि के लिए कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिंदी सलाहकार समिति

4434. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हिंदी सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे दिए जाएं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डाक विभाग ने इस अवसर पर कोई विशेषांक प्रकाशित किया है; और

(ङ) यदि नहीं तो वह समय बताएं कि कब तक कोई प्रकाशन निकाला जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान डाक विभाग द्वारा डाक पत्रिका का राजभाषा विशेषांक निकाले जाने का प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान डाक विभाग/दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सेवा विभाग के लिए हिंदी सलाहकार समिति के गठन के बारे में जानकारी देने वाला विवरण (भाग ''ख'' के लिए)

1. डाक विभाग

डाक विभाग के लिए हिंदी सलाहकार समिति के गठन हेतु विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों से नामांकन प्राप्त हो गए हैं। विभाग द्वारा नामांकित किए जाने वाले चार गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन विचाराधीन है।

2. दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सेवा विभाग

दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग दोनों विभागों के लिए एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति के गठन का मामला विचाराधीन है। मंत्रालय ने इस प्रस्तावित समिति के लिए 5 अप्रैल, 2000 को 4 गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन कर दिया है। इन 4 सदस्यों में से 2 के ब्यौरे प्राप्त हो गए हैं, शेष 2 सदस्यों के ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय एवं संसदीय राजभाषा समिति से 6 गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन प्रतीक्षित हैं। राजभाषा विभाग से भी 3 गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन प्रतीक्षित हैं। इन सभी संस्थाओं से गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन प्राप्त होने के बाद ही नियमानुसार उक्त समिति का गठन हो सकेगा।

रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ परियोजना के लिए धनराशि

4435. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कितने धन का आवंटन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजना को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार और विदेशों द्वारा प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	कुल (रुपए लाखों में)
1997-98	73.85
1998-99	96.55
1999-2000	116.57

(ख) (1) राज्य सरकार द्वारा मुहैया की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	केंद्र प्रायोजित स्कीम (बाघ परियोजना) के लिए	आयोजना	आयोजना भिन्न	कुल (रुपए लाखों में)
1997-98	53.220	1.750	63.697	118.66
1998-99	85.50	4.64	75.93	166.00
1999-2000	60.98	2.00	81.21	144.1

(2) विदेशी सहायता प्राप्त विश्व पर्यावरणीय निधि परियोजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	कुल (रुपए लाखों में)
1997-98	66.40
1998-99	206.73
1999-2000	315.26

(ग) शून्य।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा विनियामक अपीलीय बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजातियों के व्यक्ति

4436. सरदार बूटा सिंह :
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियामक अपीलीय बोर्ड में अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उप-सभापति और सदस्यों की नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति/जनजातियों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियामक अपीलीय बोर्ड में अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उप-सभापति और सदस्य के रूप में कुल कितने व्यक्ति नियुक्त हैं; और

(घ) उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/जनजातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त हैं और कुल पदों में उनका प्रतिशत कितना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) इस समय, विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य है जिनमें पूर्णकालिक सदस्य अनुसूचित जाति का है। इसके अतिरिक्त, इस समय बोर्ड के तीन अंशकालिक सदस्य हैं जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का है।

(ग) और (घ) 1 जनवरी, 1996 को, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष था तथा पूर्णकालिक सदस्य का पद रिक्त था और दो अंशकालिक सदस्य थे। जिनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं था और इसलिए, 1.1.1996 को पदों की उपर्युक्त कुल संख्या के प्रति उनके प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता शून्य थी।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

4437. डा. गिरिजा व्यास : क्या **विद्युत मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु स्वीकृत निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों को पूरा करने के लिए राज्यवार वित्तीय परिव्यय एवं वास्तविक लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर वित्तीय संसाधनों व अन्य निवेशों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाता है। योजना आयोग ने अभी ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए राज्यवार वित्तीय परिव्यय एवं वास्तविक कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया है।

विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश विसर्जन

4438. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तलचेर और चोदवार में विभिन्न विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित और छोड़ी जाने वाली फ्लाई ऐश की प्रतिशतता को आंकने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए ऐसी फ्लाई ऐश (राख) छोड़ा जाना खतरनाक है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार एनटीपीसी के पावर स्टेशनों तथा कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑफ मैसर्स नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी तथा मैसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया से तालचेर क्षेत्र में राख उत्पादन 1997-98 के दौरान अनुमानत: 2.8 मिलियन टन रहा तथा 2002-2003 तक यह बढ़कर 5.33 मिलियन टन हो जाने की संभावना है। वर्ष 1999-2000 के दौरान तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस) (2×500 मे.वा.) तथा तालचेर थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) (4×60 मे.वा. + 2×110 मे.वा.) से लगभग 2.2 मिलियन टन राख का उत्पादन हुआ। इन स्टेशनों से प्राप्त राख में से लगभग 1.4 मिलियन टन राख को लाभप्रद ढंग से भूमि विकास, सड़क, ईंट तथा उद्योग जगत में उपयोग में लाया गया।

शेष राख को पर्यावरणीय सुरक्षित तरीके से ऐश तालाबों/ऐश ढेरों में छोड़ा गया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत फ्लाई ऐश मिशन ने फ्लाई ऐश उत्पादन तथा उपभोग के मूल्यांकन हेतु एक सर्वेक्षण का आयोजन किया। सर्वेक्षण में चौउदवार कैप्टिव पावर प्लांट को भी कवर किया गया है।

(ग) और (घ) तालचेर एसटीपीपी से फ्लाई ऐश को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार 150 एमजी/एनएम3 से कम हाई एफीशिएंसी इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रसीपिटेटर्स (ईएसपीएस) लिमिटिंग पार्टीकुलेटनिस्सरण के जरिए एकत्र किया जाता है। इन पार्टीकुलेटों को 275 मीटर हाई स्टेक के जरिए डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे अपेक्षाकृत अधिक फैलाव में सुविधा होती है। प्लांट प्रचालन के कारण एम्बिएन्ट ऐश में पार्टीकुलेट के वर्धमान स्तर के महत्वपूर्ण न होने की संभावना है और किसी तिपरीत प्रभाव का अनुमान नहीं है। ईएसपीएस हॉपर तथा बॉटम ऐश से एकत्रित ऐश को भलीभांति ऐश तालाब के रूप में तैयार, विशेषतया इस प्रयोजनार्थ बनाये गए ऐश डाइक में छोड़ा जाता है। ऐश डाइक के ऊपर पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि व्यर्थ के डस्ट प्रभाव से बचा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्लाई ऐश विद्युत संयंत्रों के आस-पास रह रहे व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक न हो। एनटीपीसी ने सुनिश्चित किया है कि ऐश प्लांट में छोड़ी गई ऐश नियामक मानदंड को पूरा करती है। एनटीपीसी ने तालचेर टीपीएस के चरण-II यूनिट में अतिरिक्त ईएसपी संस्थापित किया है और निस्सरण स्तर को सांविधिक सीमाओं के भीतर ले आया है तथा चरण-I के लिए ईएसपी की संस्थापना कर रहा है। चौउदवार कैप्टिव विद्युत संयंत्र के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

एम.आर.टी.पी. आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की नियुक्ति

4439. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्षों/उप-सभापतियों तथा सदस्यों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार कुल कितने व्यक्तियों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्षों/उपसभापतियों और सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(घ) उक्त पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के कितने लोगों को नियुक्त किया गया तथा इनकी पदों की कुल संख्या में प्रतिशतता क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार, आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो और उसके सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित होंगे और जिनके पास अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखाकारिता, उद्योग, लोक कार्यों या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव होगा या जिन्होंने इनसे संबंधित समस्याओं को निपटाने में क्षमता प्रदर्शित की हो। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष व इसके सदस्यों का चयन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रख कर किया जाता है। ये नियुक्तियां एक निश्चित अवधि के लिए की जाती हैं।

(ग) और (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में उपाध्यक्ष/उप-सभापति का कोई पद नहीं है। 1.1.1996 तक की स्थिति के अनुसार तीन (3) सदस्य कार्यरत थे जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का है।

राजस्थान में सड़कों/पुलों का विस्तार/विकास

4440. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा सड़क यातायात के विस्तार और विकास, रेल लाइनों पर उपरि पुलों का निर्माण, नए राजमार्गों आदि के संबंध में प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन लंबित परियोजनाओं को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) संभवत: माननीय सदस्य का आशय

राजस्थान सरकार द्वारा वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु भेजे गए प्रस्तावों से है। राज्य सरकार ने आठ प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजे हैं। इन आठ प्रस्तावों में से पांच अस्वीकृत प्रस्ताव राजस्थान सरकार को लौटा दिए गए हैं जबकि निम्नलिखित दो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं:

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1.	रा.रा.-12 पर 215/0 से 290/0 कि.मी. में छोटे पुलों को चौड़ा करना	199.27 लाख रु.
2.	रा.रा.-14 के 186/0 से 195/0 कि.मी. खंड में पेव्ड शोल्डर्ज बनाना	93.34 लाख रु.
		292.61 लाख रु.

शेष एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रिहन्द जल विद्युत परियोजना

4441. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के रिहंद जल विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को विद्युत की अपेक्षित मात्रा की सप्लाई कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कान्हा बाघ अभयारण्य

4442. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में मध्य प्रदेश के मंडला जिले के कान्हा अभयारण्य में बाघों की अधिकतम संख्या पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त कान्हा अभयारण्य को विकसित करने हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) इस तरह की रैंकिंग का पता नहीं लगाया गया है। 1997 की अखिल भारत बाघ गणना के अनुसार कान्हा बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या 114 थी।

(ख) भारत सरकार की बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत कान्हा बाघ रिजर्व 1972-73 में शुरू की गई थी इसके शुरू होने से लेकर कान्हा बाघ रिजर्व को केन्द्रीय तथा राज्यों की विभिन्न प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकार तथा भारत सरकार से बजट/अनुदान मिल रहा है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कान्हां बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश)

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्यों की प्रायोजित स्कीमों/बजट के अन्तर्गत प्राप्त आबंटन

स्कीम का नाम/बजट	प्राप्त आवंटन रुपये में
1	2
1. 10-2406 आयोजना-भिन्न (मध्य प्रदेश सरकार)	2,42,30,000.00
2. बैगा विकास अभिकरण (मध्य प्रदेश सरकार)	5,00,000.00
3. 41-2406 आदिवासी उप-योजना (केन्द्रीय सहायता)	2,51,75,000.00
4. 3601-पारि-विकास स्कीम (केन्द्रीय सहायता) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, बाघ परियोजना	25,94,000.00
5. 77-2406-4406 मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना (मध्य प्रदेश सरकार)	1,04,00,000.00

1		2
6.	77-4406-10वां वित्त आयोग (केन्द्रीय सहायता)	51,11,000.00
7.	23-3601-पारि-विकास, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड (केन्द्रीय सहायता)	5,08,000.00
8.	विश्व खाद्य कार्यक्रम (कल्याण निधि) समन्वय समिति, भोपाल (मध्य प्रदेश सरकार) द्वारा	3,60,000.00
	कुल	6,88,78,000.00

अनकोल कारपोरेशन

4443. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका आधारित ''अनकोल कारपोरेशन'' ने तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग हेतु पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं का कोई प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आने की संभावना है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग को इससे किस सीमा तक बढ़ावा मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस मंत्रालय को तेल और गैस उद्योग हेतु पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के संबंध में यू.एन.ओ.सी.ए.एल. कार्पोरेशन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी एजेंसियों को अनुमति

4444. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी एजेंसियों को अपने उद्यम स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसी किन-किन विदेशी एजेंसियों को अपनी ''शॉप्स'' स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार दूरसंचार के क्षेत्र में बुनियादी सेल्यूलर मोबाइल पेंजिंग तथा मूल्यवर्धित सेवा और सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस में 49% की विदेशी इक्विटी की अनुमति है। दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में 100% की विदेशी इक्विटी की अनुमति है।

(ग) प्रमुख विदेशी एजेन्सियों/कंपनियों जिन्हें देश में दूरसंचार के क्षेत्र में अपनी कंपनियां/संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई हो, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	विदेशी पूंजी-निवेशक
1	2
1.	ह्यूज इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन
2.	आल्टेल
3.	केल्ट्रान वीवीआई
4.	प्रथम एचएनएस
5.	नाइनेक्स इंटरनेशनल (इंडिया) लि.
6.	स्टेट इंटरनेशनल
7.	बेल कनाडा इंटरनेशनल
8.	ए आई जी
9.	लिन्टेल लि.
10.	बेल अटलांटिक आफ शेर मारीसस लि.
11.	सिनपत्रा इंटरनेशनल पब्लिक कं.
12.	बी जेक ग्लोकल मारीशस होल्डिंग
13.	सेंचुरी टेलीफोन इंटरप्राइजेज

1	2
14.	ए टी एंड टी सेल्युलर प्रा. लि.
15.	एयरटच इंटरनेशनल
16.	डिस्टाकॉम कंयूनिकेशन
17.	स्विस टेलीकॉम पीटीटी
18.	यू एस वेस्ट सेल्यल (इन्वेस्टमेंट कं. (मिडिया वन)
19.	पी सी एम
20.	जस्मिन इंटरनेशनल
21.	बेल साउथ इंटरनेशनल
22.	फ्रांस टेलीकॉम
23.	सेल फोन लिमिटेड
24.	मितसुविसी
25.	नोकिया टेलीकम्यूनिकेशन्स ओवाईबी
26.	सेल स्टार सिंगापुर पीटीई लि.
27.	क्रोन ए जी
28.	एन ई सी कारपोरेशन
29.	पुजिकुरा लि.
30.	सैमसुंग इलैक्ट्रानिक्स कं. लि.
31.	कैसिओ टेलीकाम लि.
32.	अल्काटेल
33.	सीमेन्स
34.	इटोचु कारपोरेशन
35.	सिमको इंटरनेशनल लि.
36.	एनईआरएएस
37.	लुसेन्ट टेक्नोलाजीस इंटरनेशनल
38.	फिलेप्स टेलीकाम लि.
39.	एंड्रू कारपोरेशन
40.	मोटोरोला सिंगापुर पीटीई लिमिटेड

ग्रामीण विद्युतीकरण

4445. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1999 के दौरान लक्ष्य की तुलना में कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण में अनुमान की तुलना में पीछे रहने वाले राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) इन राज्यों द्वारा लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) चालू योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा अनुमानित लक्ष्य को पाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। तथापि के.वि.प्रा. के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान फरवरी 2000 तक 1578 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल फरवरी 2000 तक की प्रगति के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण के राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। बहुत से गांव जो कि गैर-विद्युतीकृत रह गए हैं वे सामान्यत: सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित हैं। धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में से कुछ कारण ये हैं—राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय समस्याएं, अपर्याप्त उप-वितरण प्रणाली सुविधाएं, कुछ राज्यों में व्याप्त अस्त-व्यस्त परिस्थितियां ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बकाया राशियों की वसूली न होना जिसके परिणामस्वरूप कोई नकद प्रवाह नहीं हुआ, तथा पिछड़ेपन और खराब आर्थिक स्थितियों के कारण उपभोक्ताओं से मांग में कमी इत्यादि।

(घ) वित्तीय संसाधनों और अन्य संबंधित निवेशों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकारों के राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं और उनका निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि. बोर्डों) द्वारा प्रवर्तित स्कीमों को ऋण सहायता प्रदान करता है बशर्ते स्कीमें तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने नौवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 7000 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्धारित लक्ष्यों में से आर.ई.सी. ने दिसम्बर, 1999 के अंत तक पहले ही 6281 गांवों का विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है।

नई विद्युत वितरण नीति

4446. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के संबंध में नई विद्युत वितरण नीति की घोषणा कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कोई नई विद्युत वितरण नीति घोषित नहीं की गई है। तथापि यह निर्णय लिया गया है कि नई केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों के संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन किए जाने हेतु ''गाडगिल फार्मूले'' को ''मार्गदर्शी सिद्धांत'' समझा जाएगा जिनके तहत सुधारकर्ता राज्यों को केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों के 15% अनावंटित कोटे तथा नई विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आवंटन किए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

डाक एवं तार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4447. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 3 मई, 2000 से शुरू होने वाली डाक विभाग के छः लाख कर्मचारियों की राष्ट्र स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों पर न्यायमूर्ति चन्द्रजीत तलवार समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नियमित डाक कर्मचारियों के वेतनमान विसंगति और अन्य संबंधित मुद्दों पर डाक विभाग के अधिकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच हुए सहमति प्रस्ताव को भी लागू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। विभाग ने मुख्य श्रम आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत मांग-पत्र के संबंध में विभाग तथा फेडरेशनों/एसोसिएशनों के बीच समझौता कराने की कार्रवाई प्रारंभ करें। उप मुख्य श्रम आयुक्त ने समझौते की कार्रवाई के लिए 24.4.2000 को बैठक आयोजित की है। मांग-पत्र की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा न्यायमूर्ति तलवार समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर भली-भांति विचार किया गया था तथा तलवार समिति की सिफारिशों से संबंधित लंबित मांगों के पूर्णतया एवं अंतिम रूप से निपटान के रूप में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को एक लाभ पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया था तथा इस संबंध में आदेश दिनांक 17.12.98 को जारी किए गए थे। इस पैकेज के अनुसार अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हो गए:

(1) 1.1.1996 से 28.2.1998 की अवधि के लिए मूल मासिक भत्ते को 3.25 गुना बढ़ाना।

(2) इसके बाद, 1.3.1998 से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को समय संबद्ध निरंतरता भत्ते में रखना जो अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टर को छोड़कर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियों के मामले में न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा संस्तुत पहले दो वेतनमानों तथा अतिरिक्त सब पोस्टमास्टरों के मामले में पहले वेतनमान के अनुरूप ही है।

(3) अनुग्रह उपदान की अधिकतम अनुमेय राशि को 6000 रु. से बढ़ाकर 18,000/- रु. करना।

(4) कार्यालय रख-रखाव भत्ते को प्रतिमाह 25 रु. से बढ़ाकर 50 रु. करना।

(5) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रत्येक छह माह में 10 दिन का सवेतन अवकाश प्रदान करने के माध्यम से एकदम नई सुविधा प्रदान की गई है, इसमें नकदीकरण के लिए आगे ले जाने की अनुमति नहीं है।

(6) इसके अलावा, सेवा उपरांत लाभ के रूप में अतिरिक्त विभागीय एजेंट को सेवा की अवधि के आधार पर 30,000 रु. अथवा 20,000 रु. की एकमुश्त सेवांत राशि का भुगतान।

(ङ) विभाग के विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों में सुधार की कर्मचारी यूनियनों की मांगों तथा वेतन से संबंधित अन्य मांगों की एक विभागीय समिति द्वारा जांच की गई थी जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस समिति की सिफारिशों पर आगे और

कार्रवाई की गई परंतु कर्मचारी यूनियनों की मांगें लागू नहीं की गई हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूरभाष : 3364029

नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल इम्प्लाइज़

दूरभाष : 3321378

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑरगेनाइजेशन्स

दूरभाष : 3710231

भारतीय डाक कर्मचारी फेडरेशन

मांग पत्र

1. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत तलवार समिति की सकारात्मक सिफारिशों को दर्जे तथा पेंशन की मंजूरी का विशेष ध्यान रखते हुए लागू करना।

2. दिनांक 18.12.99 को हस्ताक्षरित सहमति प्रस्ताव को लागू करने के संबंध में:

   (1) ग्रेड डी एवं सी, टीबीओपी, वीसीआर, एचएसजी-II, डाक लेखाकारों के वेतनमानों को बढ़ाना।

   (2) पोस्टमैन/मेलगार्ड के बढ़ाए गए वेतनमानों को दिनांक 1.1.96 से लागू करना तथा टीबीओपी, वीसीआर।

   (3) हैड मेल पीयन के वेतनमान को बढ़ाना

   (4) ड्राइवरों/वर्कशाप कर्मचारियों/पीओ एवं आरएमएस के लेखाकारों को अतिरिक्त वेतन-वृद्धि देना।

   (5) स्टेनोग्राफरों के वेतनमान बढ़ाना।

   (6) नैमित्तिक मजदूरों के मामले।

3. लिपिकीय संवर्ग में बीसीआर पदों के 10 प्रतिशत पदों का एचएसजी-1 के रूप में दर्जा बढ़ाना तथा डाक विभाग में सभी संवर्गों अर्थात् पोस्टमैन/मेल गार्ड, ग्रुप ''घ'' में एचएसजी-I के लिए पदों का ऐसे ही प्रतिशत का प्रावधान।

डाक एवं तार क्षेत्र का विकास

4448. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में डाक एवं तार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास और प्रौद्योगिकीय नूतनता लाने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अनुमानत: कितनी डाक स्पीड पोस्ट से भेजी गई;

(घ) क्या सरकार का विचार स्पीड पोस्ट की दर में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सरकार ने डाक के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों की पहले ही शुरूआत कर दी है जैसे महत्वपूर्ण डाकघरों में कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं जिनकी अवधारणा एक ही खिड़की पर अनेक प्रकार के लेन-देनों का निपटान करने पर आधारित है। मुंबई व चेन्नई में ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 77 वी-सैट्स की स्थापना की जा चुकी है तथा 62 अन्य वी-सैट्स स्थापित करने का कार्य चल रहा है। इस समय वी-सैट्स का प्रयोग धनराशि अंतरित करने के लिए किया जा रहा है तथा वी-सैट को अंतत: डाक विभाग का इन्टरनेट बनाया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय टेलीग्राफ नेटवर्क में माइक्रो-प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक की-बोर्ड के सेन्ट्रेटर्स टर्मिनल कंसेन्ट्रेटर्स (एफटीसी) लगाए गए हैं। प्रणालियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट के संबंध में परियात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1996-97	–	112.4 लाख
1997-98	–	141.4 लाख
1998-99	–	195.95 लाख

(घ) अभी तक इस संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आधुनिकीकरण की स्थिति
दूरसंचार सर्किल-वार स्थिति

दूरसंचार सर्किल का नाम	एसएफएमएसएस 128	एसएफएमएसएस 64	एसएफएमएसएस 32	ईकेबीसी इकेबी	एफटीसी एफटी
अंडमान और निकोबार	–	–	–	शून्य/1	–
आंध्र प्रदेश	1	1	–	8/89	4/146
असम	–	1	–	9/96	–
बिहार	–	1	1	3/2	0/1
गुजरात	1	–	1	18/88	4/64
हरियाणा	–	–	1	8/46	0/12
हिमाचल प्रदेश	–	–	1	6/48	0/7
जम्मू व कश्मीर	–	–	1	4/25	0/2
कर्नाटक	1	1	1	14/130	0/32
केरल	1	1	1	18/74	0/48
मध्य प्रदेश	–	1	4	4/8	–
महाराष्ट्र	2	2	4	43/368	0/114
उत्तर-पूर्व	–	–	1	3/14	–
उड़ीसा	–	–	2	2/8	–
पंजाब	–	1	1	14/39	1/32
राजस्थान	–	1	1	32/209	2/28
तमिलनाडु	1	3	4	60/496	4/169
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1	–	3	14/0	3/54
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	–	–	3	10/30	3/44
पश्चिम बंगाल	*1*	–	–	28/233	–
उत्तर दूरसंचार क्षेत्र, नई दिल्ली	1	–	–	3/70	1/16
कुल	10	13	30	301/2074	22/749

एसएफएमएसएस – स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम
ईकेबीसी – इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कन्संट्रेटर्स
ईकेबी – इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड
एफटीसी – फारमेटिड टर्मिनल कन्सेंट्रेटर्स
एफटी – फारमेटिड टर्मिनल

[हिन्दी]

भागलपुर में बाई-पास का निर्माण

4449. श्री सुबोध राय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर में गंगा नदी से बाई-पास निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना के न कार्यान्वयन किए जाने और इस संबंध में कार्य न शुरू किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा दी जाने वाली संभावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) केन्द्र सरकार मुख्यतया देश में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर पुलों के विकास तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। शेष सभी सड़क/पुल संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। भागलपुर में बाइपास का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, अत: इसके निर्माण के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल की मांग

4450. श्रीमती रानी नरह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे तेल की कुल घरेलू मांग (प्रतिवर्ष टन में) कितनी है और बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश में वर्ष 1998-99 के दौरान तेल शोधन क्षमता कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत कितनी थी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल की मांग और घरेलू उपलब्धता निम्नवत् है:

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

	मांग	घरेलू उपलब्धता
1997-98	65.18	31.59
1998-99	68.54	30.42
1999-2000	91.44	30.23

शेष मात्राओं को आयातों द्वारा पूरा किया गया था।

(ख) दिनांक 31.3.99 को देश की कुल शोधन क्षमता 69.14 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (मि.मी.ट. प्रति वर्ष) थी।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत निम्नवत् हैं:-

(मात्रा हजार टन)*

उत्पाद	खपत
एलपीजी	5027
पेट्रोल	5511
मिट्टी तेल	10583
विमानन टबाईन	2097
ईंधन (एटीएफ)	
हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)	36887
फॅर्नेस ऑयल भट्टी तेल	6482
अन्य	16979
कुल	83566

*निजी आयातों द्वारा पूरी की जाने वाली खपत को छोड़कर

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आबंटन

4451. श्री शिवाजी माने : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक आबंटित रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनको उक्त अवधि के दौरान उक्त एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों का आबंटन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-1999 के दौरान देश भर में 174 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 236 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई थी।

मंजूरी के लिये लंबित विकास परियोजनायें

4452. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री अशोक ना. मोहोल :
डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री भीम दाहाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बड़ी संख्या में विकास परियोजनायें पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्यवार कहां स्थित हैं, उनकी अनुमानित लागत कितनी है उनसे वास्तविक लाभ क्या होंगे और प्रत्येक परियोजना कितनी अवधि से लंबित पड़ी है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय विधान में आमूल परिवर्तनों के सुझाव देने वाले अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जायेंगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) 15.4.2000 तक मंत्रालय में 82 परियोजनायें पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं।

(ख) एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दो प्रारूप अधिसूचनाएं जारी की हैं जिसमें से एक दिशानिर्देशों के निर्धारण से संबंधित है और दूसरी तटीय विनियमन जोन (सी आर जेड) अधिसूचना में संशोधन की है। दिशानिर्देशों के निर्धारण की प्रारूप अधिसूचना के संबंध में कुछ राज्यों ने अन्य बातों के साथ दूरी मानदण्ड को रद्द/इसमें कमी करने के लिए और प्रारूप अधिसूचना के क्षेत्र से मौजूदा एककों/औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार को इसमें से निकाल देने के लिए कहा है। तटीय विनियमन जोन अधिसूचना के संबंध में राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ तटीय विनियमन जोन के विस्तार में कमी पारम्परिक प्रणाली द्वारा तटीय विनियमन जोन-I में (1) नमक क्यारियों के लिए अनुमति, और (2) तटीय विनियमन जोन में डाकघर जैसी जन सुविधाओं के लिए अनुमति मांगी है।

(घ) प्रारूप अधिसूचनाओं को जारी किए जाने की तारीख से 365 दिनों के अन्दर अंतिम रूप दिया जाना होता है। अधिसूचनाओं को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) परियोजनाओं पर पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी निर्णय मंत्रालय में पूरी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के अन्दर ले लिया जाता है।

विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम, स्थल	लागत (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लाभ (क्षमता/आउटपुट/आदि)	कब से लम्बित है
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स सिनर्जीज डूरे आटोमोटिव लि. द्वारा वी.ई.पी.जैड़, विशाखापट्टनम के लिए एल्यूमिनियम एलाय वहिकल्ज़ का निर्माण	106	4000 टी.पी.ए.	8.9.1999
2.	मैसर्स नागार्जुन एग्रिकेम लि. द्वारा सिरकाकुल्लम में कीटनाशकों का विस्तार	2.43	3500 टी.पी.ए.	6.3.2000

1	2	3	4	5
3.	मैसर्स भागीरादा कैमिकल्ज़ एंड इंडस्ट्रीज़ लि. गांव वेरूकोम्मुपालम, जिला आनगोल मंडल प्रकाशन में 300 टी.पी.ए. से 1000 टी.पी.ए. तक कलोरफिरिपस की क्षमता के उत्पादन का विस्तार	3.86	1000 टी.पी.ए.	6.3.2000
4.	मैसर्स एल. एण्ड टी. लि. द्वारा अन्नतपुर टाडीपाटरी में सीमेंट संयंत्र का विस्तार	700	4 एम.टी.पी.ए.	11.4.2000
5.	मैसर्स इंडेन पावर इन्टरनेशनल लि. के गांव गणापुरम जिला घाटकेसर मंडल श्गारेड्डी में डी.जी. विद्युत संयंत्र	120.1	34.56 एम.	27.10.1999
6.	मैसर्स कृष्णा गोदावरी पावर यूटिलिटिज लि. का वाडापल्ली, जिला नालगौंडा में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र	198	60एम.डब्ल्यू.	28.1.2000
7.	मैसर्स एल. एण्ड टी. लि. द्वारा जिला कुरनूल में टुम्मालापेंट लाइमस्टोन माइन का विस्तार	700	3.60एम.टी.	23.2.2000
अरूणाचल प्रदेश				
8.	बार्डर रोड़ आरगेनाइजेशन द्वारा 0.00 कि.मी. 47.00 कि.मी. (सी.एस.जी. रोड) से इटेलिनेन मालनेन मार्ग का निर्माण	उपलब्ध नहीं	दूर-दराज के क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़क उपलब्ध कराना	9.12.1999
9.	बार्डर रोड आरगेनाइजेशन द्वारा 0.00 कि.मी.- 47.00 कि.मी. (सी.एस.जी. रोड) से हनालियांग थंगलागाव मार्ग का निर्माण	उपलब्ध नहीं	दूर-दराज के क्षेत्रों को सड़क मुहैया कराना	9.12.1999
असम				
10.	मैसर्स आई.ओ.सी.एल. का गुवाहाटी रिफाइनरी का आई.एस.ओ.एस.आई.वी. और आई.एन.एस.एम.ए. एक्स यूनिट	134	एम.एस. 11,000 एम.टी. पी.ए. एल.पी.जी. 44,290 एम.टी.पी.ए.	7.1.2000
गोवा				
11.	मैसर्स एल्गोवा प्रा.लि. द्वारा बेटालबाटिम गांव सेलसेटतालुका की सर्वेक्षण संख्या 109/1 (भाग) में होटल के निर्माण का प्रस्ताव	3.28	38 कमरों वाले होटल का निर्माण	3.1.2000
12.	मैसर्स पिंकी शिपयार्ड प्रा.लि. द्वारा गांव सनकोले सलसेटा तालुक के सर्वे संख्या 209/2 में ड्राई डोक तथा शेड का प्रस्तावित निर्माण	उपलब्ध नहीं	-	3.1.2000

1	2	3	4	5
13.	श्री अलफरेड़ अनडरेडी और अन्य द्वारा ग्राम उटोरड़ा सेलसीट तालुक के होटल सर्वे संख्या 33/1, 33/7-11, 47/1, 47/1, 50/1-26 और 51/1-31 का प्रस्तावित निर्माण	2.5	36 यूनिट अपार्टमेंट और 9 विलेज का निर्माण	14.1.2000
गुजरात				
14.	मैसर्स टाटा केमिकल्स लि. द्वारा मीठापुर में क्लिंकेराइजेशन संयंत्र का विस्तार	99.60	25000 टी.पी.डी.	4.2.2000
15.	मैसर्स एफ.आई.सी.ओ.एम. द्वारा जी.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र, अंकलेश्वर भारूच में विद्यमान पेस्टिसाइड संयंत्र में प्रस्तावित उत्पाद विकल्प	4.90	9635 टी.पी.ए.	21.2.2000
16.	मैसर्स पेस्टिसाइड इंडिया लिय द्वारा मैनुफैक्चरिंग इकाई का विस्तार	4.00	1080 टी.पी.ए.	16.2.2000
17.	मैसर्स सांगी इंडस्ट्रीज द्वारा कच्छ जिले में पोजोलोना कले, लेटीरि और सिलिका सेंड मायनिज	1.50	पॉज्जॉलोना क्ले-0.20 एम.टी. पी.ए. लेटीरिटी-0.30	23.3.2000
18.	मैसर्स गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि. द्वारा जूनागढ़ जिले में सुगाला लाइमस्टोन खनन	उपलब्ध नहीं	1.20 एम.टी.पी.ए.	5.1.2000
19.	मैसर्स पिपावा पोर्ट लि. द्वारा गुजरात में पिपावा पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं का विस्तार	370	पोर्ट सुविधाओं का विकास	14.7.1999
20.	मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा पंजाब रिफाइनरी परियोजना के लिए मदुरा पोर्ट में सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एस.पी.एम.), क्रूड ऑयल टर्मिनल (सी.ओ.टी.) तथा एस.पी.एम. से सी.ओ.टी. से जोड़ने वाली पाइपलाइन	उपलब्ध नहीं	पंजाब रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल की प्राप्ति और ट्रांसफर सुविधा	19.11.1999
21.	मैसर्स पेट्रोनेट एल.एन.जी लि. द्वारा दाहेज़ में एल.एन.जी. इम्पोर्ट टर्मिनल का निर्माण	2800	एल.एन.जी. इम्पोर्ट और रिगैसिफिकेशन टर्मिनल	23.3.2000
कर्नाटक				
22.	मैसर्स उगर शुगर वर्क्स लि. द्वारा 30,000-45,000 के.एल.पी.डी. से डिस्टिलेरी का विस्तार	4.00	45,000 के.एल.पी.डी.	10.3.2000
23.	मैसर्स ए.सी.सी. लि. द्वारा वाडी में 1.75 एम.टी.पी.ए. से 4.00 एम.टी.पी.ए. से ए.सी. कार्यों का विस्तार	520	4 एम.टी.पी.ए.	7.3.2000

1	2	3	4	5
24.	मैसर्स गोदावरी शुगर मिल्स लि. द्वारा समीरवाड़ी में को-जनरेशन पॉवर संयंत्र	108	24 एम.डब्ल्यू.	12.11.1999
25.	मैसर्स कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन का गांव कुदितिनी जिला बेलारी में विजयनगर थर्मल पॉवर परियोजना	1796	500 एम. डब्ल्यू.	31.1.2000
26.	मैसर्स श्री प्रहलाद एम. पुजार द्वारा जिला बागलकोट में धीमानपुर ओपनकास्ट लाइमस्टोन	0.05	0.01 एम.टी.पी.ए.	10.1.2000
27.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कंपनी लि. द्वारा गुलबर्गा में बाड़ी सीमेंट्स ओपनकास्ट लाइमस्टोन का विस्तार	5.20	1.26 एम.टी.पी.ए.	27.3.2000
28.	मैसर्स स्मिथ को-जनरेशन (इन्डिया) प्रा.लि. द्वारा मैंगलोर, दक्षिण कन्नड़ जिले में 170 मेगावाट बर्ज माऊनटिड पावर प्रोजैक्ट	495	170 मैगावाट बिजली का उत्पादन	3.1.2000
केरल				
29.	मैसर्स कोचीन रिफाईनरीज़ का शोर करूड ऑयल टैंक फार्म-अरनाकुलम में कच्चा तेल प्राप्त करने की सुवधा	690	कोचीन रिफाईनरीज के लिए कच्चे तेल की प्राप्ति और भंडारण सुविधा	24.1.2000
30.	मैसर्स जौआयस दी बीच रिर्जोट द्वारा चावरा, कोटूकल गांव, त्रिवेन्द्रम जिले का नेय्यातिनकारा तालुका में बीच रिर्जोट की स्थापना	5.5	72 कमरे वाले होटल का निर्माण	24.2.2000
मध्य प्रदेश				
31.	मैसर्स एन.एम.डी.सी. लि. द्वारा डाण्टवाड़ा जिले में पिग आयरन प्लान्ट	297.13	0.3 एम.टी.पी.ए.	10.3.2000
32.	मैसर्स विद्युत बोर्ड द्वारा गांव मनगादर गांव जिला उमराई (मध्य प्रदेश) संजय गांधी थर्मल पॉवर प्लान्ट स्टेज-II	200	500 मेगावाट	13.10.1999
33.	मैसर्स सोम पॉवर लि. द्वारा मन्डीदीप इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला रायसेन (मध्य प्रदेश) में लिक्वीड फ्यूल बेस्ड पावर प्लान्ट	113.58	28.25 मैगावाट	4.11.1999
34.	मैसर्स भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि. द्वारा कवरधा जिले में ओपनकास्ट बोदाई-दलदली बाक्साईट माइन	35.00	0.30 एम.टी.पी.ए.	31.3.2000
35.	मैसर्स बी.एल.ए. इन्डस्ट्रीज द्वारा नरसिंहपुर जिले में धर्मस्थल ओ.सी./यू.जी. कोल माईन	22.91	0.24 एम.टी.पी.ए.	9.9.1999

1	2	3	4	5
36.	मैसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. द्वारा सतना जिले में ओपनकास्ट लाईमस्टोन माईन	उपलब्ध नहीं	0.30 एम.टी.पी.ए.	10.4.2000
37.	मैसर्स सैन्ट्रल कोलरीज़ लि. द्वारा चन्द्रपुर जिले में बेल्लोरा-तकली ओ.सी./यू.जी. कोल माईन	200	0.45 एम.टी.पी.ए.	10.9.1999
38.	मैसर्स वैस्टर्न कोलफील्डस लि. द्वारा नागपुर जिले में अडासा यू.जी. कोल माईन	35.86	0.45 एम.टी.पी.ए.	6.12.1999
39.	मैसर्स वैस्टर्न कोलफील्ड लि. द्वारा नागपुर जिले में कैम्परी यू.जी. से ओ.सी. कोल माईन	88.39	0.65 एम.टी.पी.ए.	6.12.1999
40.	मैसर्स वैस्टर्न कोलफील्ड लि. द्वारा चन्द्रपुर जिले में नवीन कुनाडा ओ.सी.पी. (फेस-I)	19.68	0.22 एम.टी.पी.ए.	9.2.2000
महाराष्ट्र				
41.	मै. रूफिट इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा वाड़ा थाने में एक्सपैनशन ए सी शीट एंड एक्ससरीज विनिर्माण इकाई	15.36	72,000 टीपीए	3.12.1999
42.	मै. इलैक्ट्रो स्टील कसिटिंग लि. द्वारा कोल्हापुर में मिनी ब्लास्ट फारनेंस स्टील प्लान्ट	145	2,00,000 टीपीए	9.3.2000
43.	मै. शैल मोनटैल-नोटिस द्वारा थाने-बेलापुर रोड़ धनसोली नदी मुम्बई में नोसिल का पोलिओलेसिन प्रोजैक्ट	6600	3.5 एमटीपीए	17.2.2000
44.	मै. कल्याणी बेक्रस द्वारा नानकारटवाड़ी तालुका खेड पुष्टे जिले में आटोमैटिक ब्रेक सिस्टम विनिर्माण इकाई	3.50	30 टी पी ए	29.3.2000
45.	मै. कालइक्स कैमीकल एंड फार्मस्युटिकल प्रा.लि. द्वारा एम आई डी सी इन्डस्ट्रीयल एरिया तारापुर तालुका-पालघाट थाने जिले में बल्क ड्रग एंड कैमीकल इकाई	3.41	480 टी पी ए	22.3.2000
46.	मै. ऊनी डेरीटेन्ट लि. द्वारा शिंदे गांव नासिक जिले में 90 टी पी ए की फाऊंडरी इकाई	9.50	900 टी पी ए	5.4.2000
47.	कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार का तालम्बा इरीगेशन प्रोजक्ट	350.72	2000 है. कृषि योग्य क्षेत्र	6.4.2000
48.	थाने जिले में सूरत-मनौर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, भाग 111 की मरम्मत और सुधार	253.4	लगभग 57.4 कि.मी. मार्ग पक्का व चौड़ा किया जाएगा।	25.10.1999
49.	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुम्बई-तालसारी एक्सप्रैसवे का निर्माण	1400	104 कि.मी. का एक्सप्रैस बनाया जाएगा	12.1.2000 (से पुनः खोला गया)

1	2	3	4	5
50.	मै. कर्टरी होटल प्रा.लि. द्वारा गांव गणपतिपूले, सर्वेक्षण सं. 56-2 बी/1 और 56.2-सी में अभिषेक बीच रिर्जोट का विस्तार	उपलब्ध नहीं	पर्यटकों के लिए 36 काटेज	1.2.2000 से पुन: खोला गया)
मेघालय				
51.	मेघालय विद्युत बोर्ड द्वारा जिला जयन्तीया हिल मेघालय, शिलांग मीयान्दु (लेशका) हायड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टैज-1	391.33	2 एवं 42 एमडब्लू	12.1.2000
उड़ीसा				
52.	मै. अदित्या एल्यूमीनियम कम्पनी द्वारा जिला कोरपुर में कोडिंगपाली बावसाईट मार्डन्स	219.58	2.40 एम टी पी ए	10.3.1999
53.	मै. महानदी कोलफील्ड लि. द्वारा जिला सुन्दरगढ़ में गर्जनबहाल ओ सी पी	763.69	10.0 एम टी पी ए	24.2.2000
54.	मै. महानदी कोलफील्ड लि. द्वारा अन्गुल जिले में नन्दीरा यू जी आगमैन्टेशन प्रोजेक्ट	176.96	0.33 एम टी पी ए	4.4.2000
पंजाब				
55.	मै. रेलीज इन्डिया लि. द्वारा डेरा बस्सी पटियाला में पेस्टीसाईड विनिर्माण इकाई का विस्तार	5.50	2800 टी पी ए	14.12.1999
56.	मै. एल्फा ड्रग्स इन्डिया लि. द्वारा लालरू, जिला पटियाला में बल्क ड्रग इकाई का विस्तार	2.70	2172 टी पीए	8.7.1999
57.	मै. सैम बायोटैक लि. द्वारा राजुपुरा, जिला पटियाला में बल्क ड्रग इकाई	25.00	1200 टीपीए	7.3.2000
58.	मै. चन्डीगढ़ डिस्टलरी एंड बोटलर्स द्वारा गांव बनूर, तहसील राजपुर, जिला पटियाला में मौजूदा डिस्टलरी इकाई का विस्तार	25.00	1,10,000 एल पी टी	7.3.2000
राजस्थान				
59.	मै. रूफिट इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा धामी खुर्द, संगमनेर जयपुर, राजस्थान में एसबेस्टोज सीमेंट प्रोजेक्ट इकाई	25.00	45000 टी पी ए	24.9.1999
60.	मै. राजस्थान सेट माइन्स एंड मिनरल लि. नागौर में कासनाऊ मातासुख ओपन कास्ट लिगनाईट माईन प्रोजक्ट	210.49	1.0 एम टी पी ए	31.3.2000
61.	मैसर्स खैतान इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा जिला उदयपुर में ओपन कास्ट सोप स्टोन माईन	0.06	0.06 एम टी पी ए	3.4.2000
62.	एन एच ए आई द्वारा जयपुर और अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-8	उपलब्ध नहीं	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 का 92.7 कि.मी. मार्ग पक्का और चौड़ा करना	28.1.2000

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
63.	मै. सनोसम, इंडिया लि. द्वारा सिपकोट इन्डस्ट्रियल इस्टेट, गुम्मीदीपुण्डी, जिला थिरूवेलूर में पाऊडर पेन्ट की निर्माण इकाई	7.45	3789 टीपीए	4.11.1999
64.	मै. राजा स्टील प्राइवेट लि. द्वारा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्टील इनगोट प्रोजेक्ट	1.59	14400 टीपीए	28.2.2000
65.	मै. श्री रंगानाथर इन्डस्ट्रीज (पी) लि. द्वारा अरासुर गांव कोयम्बटूर, तमिलनाडु में फाऊंडरी इकाई	0.98	120 टीपीएम	3.3.2000
66.	मै. अभिनय इंजीरियरिंग इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा कोयम्बटूर जिले में फाऊंडरी इकाई	0.22	210 टीपीए	3.4.2000
67.	मै. शासुन कैमीकल्स लि. द्वारा कोयम्बटूर में बल्क ड्रग इकाई का विस्तार	20.00	193 टीपीएम	3.4.2000
68.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा सेलम/त्रिची जिले में कोलीमलाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट	71.10	1×20 एमडब्ल्यू	8.10.1999
69.	मै. आबन पावर कम्पनी लि. द्वारा वैलूर गांव, एन्नौर, उत्तरी चेन्नई में नैफ्था बेस, कम्बाइन्ड सायकल गैस टरबाईन पावर प्लांट	385	109 एमडब्ल्यू	11.10.1999
70.	मै. जैम ग्रेफाइट प्राइवेट लि. द्वारा शिव गंगा जिले में ओपन कास्ट ग्रेनाइट माईन	9.50	0.07 एमटीपीए	9.9.2000
71.	मै. सुपर माइन्स एंड मिनरल्स द्वारा सालेम जिले में ओपन कास्ट लाइम स्टोन माइन	0.04	0.007 एमटीपीए	23.12.1999
72.	मै. डालमिया सीमेंट लि. द्वारा पेरूम्बलूर जिले में ओपनकास्ट लाइमस्टोन माइन	2.50	0.30 एमटीपीए	23.2.2000
73.	तमिलनाडु हाइवे एंड रूरल वर्क्स डिपार्टमैंट द्वारा कुड्डालूर से टूटीकोरीन तक (ईस्टर्न कोरीडोर) तमिलनाडु रोड सैक्टर प्रोजेक्ट फेस-I	479	लगभग 397 कि.मी. मार्ग का सुधार	7.12.1999
74.	तमिलनाडु एंड रूरल वर्क्स डिपार्टमैंट द्वारा तमिलनाडु रोड, सैक्टर प्रोजेक्ट फेज-1ए (नार्दर्न कोरीडोर)	332.5	लगभग 353 कि.मी. मार्ग का सुधार	22.12.1999
उत्तर प्रदेश				
75.	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की सरयु नहर परियोजना, कानपुर	2810.00	120000 है. कृषि योग्य क्षेत्र	3.4.2000

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
76.	मै. एम.एस. डालमिया एंड कम्पनी द्वारा करायडंगा, 24 परगना (साउथ) जिले में कलकत्ता लैदर काम्पलैक्स पर प्रस्ताव	258.18	1000 टीपीडी	10.8.1999
77.	मै. साऊथ एशियन पैट्रो कैम लि. द्वारा हल्दिया में पी ई टी रेसिन प्रोजैक्ट	443.45	1,40,000 टीपीए	21.9.1999
78.	मै. जैम्स इंजीनियरिंग लि. द्वारा हावड़ा में डक्टाईल आयरन फाउन्डरी प्रोजेक्ट	2.70	3000 टीपीए	22.3.2000
दिल्ली				
79.	मै. अपोलो एनर्जी कम्पनी लि. द्वारा नरेला दिल्ली में कोल बेस्ड टीपीपी	1500	300 एमडब्ल्यू	25.4.1997
80.	दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा आई पी एस्टेट में गैस बेस्ट प्रगति कम्बाइंड सायकल पावर प्रोजेक्ट	961	330 एमडब्ल्यू	2.2.2000
लक्षद्वीप				
81.	पायकला सोसाइटी फार टूरिज्म एंड वाटर स्पोर्टस मैनेजमैंट (मै. यू बी रिजोर्ट) द्वारा टिन्ना बीच रिजोर्ट की स्थापना	12.6	36 कमरों का रिजोर्ट	13.9.1999
अन्य				
82.	मै. एच पी सी एल द्वारा गुजरात तट पर मुन्द्रा से भटिन्डा पंजाब तक 1006 कि.मी. कच्चे तेल की पाइप लाइन	2330	पत्तन से रिफाइनरी तक कच्चे तेल का स्थानांतरण	10.4.2000

नोट : एम. डब्ल्यु – मैगा वाट
एमटीपीए – मिलीयन टन्स प्रतिवर्ष
टीपीडी – टन्स प्रतिदिन
टीपीएम – टन्स प्रतिमाह
टीपीए – टन्स प्रतिवर्ष
एलपीडी – लिटर्स प्रतिदिन

[हिन्दी]

बिजली की चोरी के कारण हुआ नुकसान

4453. श्री सुकदेव पासवान :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 2000 को "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में "पावर थेफ्ट कास्ट्स रूपीस 20,000 करोर्स ए इयर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों को बिजली चोरी से उत्पन्न हानियों का निर्धारण अलग से नहीं किया जा रहा है। हालांकि

सुधारकारी राज्यों का अनुभव बताता है कि पारेषण एवं वितरण और बिजली की चोरी से होने वाली हानि कुल उत्पादित बिजली का 45% है। एक सामान्य अनुमान के अनुसार उत्पादित कुल ऊर्जा में से केवल 55% की बिलिंग होती है (62,000 करोड़ रुपये) बिलिंग नहीं किए गए राशि का 20% हानि का कुल बिजली चोरी के कारण (लगभग 22,500 करोड़) होता है।

पारेषण एवं वितरण हानियां विद्युत के रूपांतरण, पारेषण और वितरण के लिए प्रयुक्त उपस्करों और कंडक्टरों में ऊर्जा के अपव्यय के कारण होती है। लाइनों की बेहतर डिजाईन, वितरण ट्रांसफार्मरों के पुन: आवंटन, कैपेसिटरों की अधिष्ठापना तथा उच्चतर क्षमता के ट्रांसफार्मरों के उपयोग से तकनीकी हानियों को ईष्टतम स्तरों तक कम किया जा सकता है। तकनीकी हानियों के अतिरिक्त ऊर्जा की चोरी, दोषपूर्ण मीटर रीडिंग संबंधी गलतियां और गैर-मीटरीकृत आपूर्ति के कारण होने वाली वाणिज्यिक और अनगिनत हानियों में सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा करके तथा सभी उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत मीटरिंग करके कमी की जा सकती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। निम्नलिखित उपायों का सुझाव प्रदान किया गया है:-

- प्रचालन वोल्टता का उच्चीकरण।
- एल.टी. लाइनों की लम्बाई में कमी।
- भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मर लगाना।
- उपभोक्ता परिसरों के समीप कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को अपनाना।
- शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना।
- निर्माण और प्रचालन तकनीकी में सुधार।

26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:-

- सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।
- दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।
- विशेष समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी लाना और अंतत: पूर्ण रूप से बिजली चोरी को समाप्त करना।
- सब-स्टेशन को प्राथमिकता आधार पर एक समान मानते हुए उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना/उन्नयन करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणाली सुधार परियोजनाएं आरंभ करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विद्युत वित्त निगम शहरी क्षेत्रों में प्रणाली सुधार परियोजनाओं के लिए और कैपेसिटरों तथा मीटरों की अधिष्ठापना के लिए भी राज्य विद्युत बोर्डों को निधियां प्रदान कर रहा है।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीटीपी) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष से विशेष परियोजनाओं को आरंभ करके उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सशक्तीकरण और उन्नयन के लिए संयुक्त रूप से अनुदान और ऋण के माध्यम से अतिरिक्त वित्त पोषण सहायता भी उपलब्ध होगी। योजना आयोग द्वारा विद्युत मंत्रालय के साथ परामर्श करके एपीडीपी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु रूपात्मकताओं को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कोचीन और सलेम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चौड़ा किया जाना

4454. श्री वैको : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार कोचीन और सलेम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-47 चौड़ा करने के कार्य को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इस क्षेत्र में कितना यातायात है और निकट भविष्य में यातायात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) इस प्रक्रिया में अनुमानत: कितनी लागत आएगी और इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के कितने क्षेत्र को कवर किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके विस्तार के लिए अपेक्षित धनराशि किस तरह जुटा रहा है; और

(च) इसको पूरा करने की लक्षित तारीख क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) रा.रा.-47 के कोचीन-सलेम खंड के एक भाग अंगमाली से अलुवा तक 4 लेन बनाने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करा ली गई है।

(ग) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 317/0 कि.मी. पर यातायात की मात्रा 36084 यात्री कार यूनिट प्रति दिन और 325/0 कि.मी. पर 26665 यात्री कार यूनिट प्रतिदिन है और इसमें प्रतिवर्ष 7.5% की दर से वृद्धि होने की आशा है।

(घ) चार लेन बनाने के लिए प्रस्तावित कोचीन-सलेम खंड की कुल लम्बाई 310 कि.मी. है। चार लेन बनाने की अनुमानित लागत लगभग 1200 करोड़ रु. होगी।

(ङ) 4 लेन बनाने के लिए अपेक्षित धन को पैट्रोल और डीजल पर लगे उपकर, बहुराष्ट्रीय/द्विपक्षीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र की सहभागिता, बाजार से ऋण आदि से जुटाने की योजना है।

(च) इस कार्य को मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

विद्युत व्यापार निगम के माध्यम से विद्युत आपूर्ति

4455. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए निजीकरण के बाद ही एक मिलियन की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में विद्युत व्यापार निगम के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के तहत राज्यवार कितने शहरों को शामिल किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

बाघों की संख्या

4456. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री कृष्णम राजू :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पदचिन्ह गणना (पगमार्क काउंटस) के आधार पर सुन्दरवन में बाघों की गणना विश्व के सबसे बड़े कच्छ वनस्पति वाले बन में बड़ी बिल्लियों (बाघों) की संख्या में वृद्धि दर्शा रही है; और

(ख) यदि हां, तो बाघों और अन्य जंगली बिल्लियों की पूर्व में की गई तीन गणनाओं हेतु तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाते हुए देश में सुन्दर वन और अन्य बाघ अभ्यारण्यों और वनों में की गई गणना का क्या परिणाम निकला?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) बाघों और तेंदुओं की पहले की गई गणना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	33	65	97	95	97	62
2.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पश्चिम बंगाल	73	296	352	353	335	361
4.	कर्नाटक	102	156	202	257	305	350
5.	बिहार	85	110	138	157	137	103
6.	असम	147	300	376	376	325	458
7.	राजस्थान	74	79	96	99	64	58
8.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912	927
9.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465	475
10.	आन्ध्र प्रदेश	35	148	164	235	197	171
11.	मिजोरम	–	65	33	18	28	12
12.	गुजरात	8	7	9	9	5	1
13.	गोवा दमन व दीव	–	–	–	2	3	6
14.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	194
	योग	1578	2589	3454	3981	3375	3435
15.	केरल	60	134	89	45	57	एन.आर.
16.	मेघालय	32	35	125	34	53	एन.आर.
17.	मणिपुर	1	10	6	31	–	एन.आर.
18.	त्रिपुरा	7	6	5	–	–	एन.आर.
19.	नागालैंड	80	102	104	104	83	एन.आर.
20.	अरूणाचल प्रदेश	69	139	219	135	180	एन.आर.
21.	सिक्किम	–	–	2	4	2	एन.आर.
22.	हरियाणा	–	–	1	–	–	एन.आर.
	कुल	249	426	551	353	375	एन.आर.

*एन.आर.–राज्यों द्वारा सूचित नहीं किया गया।

विवरण-II

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	189	119	138	110
2.	महाराष्ट्र	380	580	417	431

1	2	3	4	5	6
3.	केरल	–	27	16	एन.आर.
4.	उड़ीसा	266	279	378	422
5.	कर्नाटक	238	283	455	एन.आर.
6.	राजस्थान	270	461	475	474
7.	मध्य प्रदेश	1322	2036	1700	1851
8.	उत्तर प्रदेश	880	1095	711	1412
9.	आन्ध्र प्रदेश	–	301	152	138
10.	हिमाचल प्रदेश	199	199	821	एन.आर.
11.	मणिपुर	7	–	–	एन.आर.
12.	त्रिपुरा	27	37	18	एन.आर.
13.	दादर व नगर हवेली	–	10	15	15
14.	मिजोरम	6	38	49	28
15.	नागालैंड	72	72	–	एन.आर.
16.	अरूणाचल प्रदेश	21	121	98	एन.आर.
17.	सिक्किम	–	1	–	एन.आर.
18.	गुजरात	498	702	772	832
19.	हरियाणा	10	19	25	एन.आर.
20.	गोवा दमन व दीव	10	18	31	25
21.	जम्मू और कश्मीर	4	4	–	एन.आर.
22.	पश्चिम बंगाल	112	108	108	एन.ए.
23.	बिहार	113	134	203	एन.ए.
24.	असम	123	123	246	एन.ए.
	कुल	4747	6767	6828	5738

एन.आर. – सूचना नहीं दी गई।

शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का निजीकरण

4457. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का निजीकरण करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि भारतीय नौवहन निगम ने पहले ही विनिवेश किए जा चुके 20% शेयरों के अतिरिक्त 40% शेयरों का तेल सेक्टर की कंपनियों को विनिवेश कर दिया जाए। चूंकि तेल सेक्टर की कंपनियों ने यह बताया है कि वे भारतीय नौवहन निगम की इक्विटी को खरीदने की इच्छुक नहीं हैं, इसलिए सरकार ने अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की विदेश कार्य प्रभार पर प्रतिनियुक्ति

4458. श्री सुरेश पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को यह निर्देश दिया है कि वे प्रतिनियुक्ति पर पद भरने/कार्य भार सुपुर्द करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में विशेष रूप से विचार करें;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कितने व्यक्तियों को विदेशी कार्य प्रभार पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया;

(ग) प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए गए श्रेणी एक, दो, तीन और चार के व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने व्यक्ति थे;

(घ) उपर्युक्त श्रेणियों के कुल कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी थी; और

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न देने का क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस संबंध में अनुदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किसी भी अधिकारी को पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी समुनुदेशन पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर टर्मिनलों का निर्माण

4459. श्री अकबर अली खांदोकर :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जलमार्गों पर कतिपय स्थायी टर्मिनलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जलमार्गवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जी.आर. जेट्टी कलकत्ता में एक और स्थायी टर्मिनल का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित टर्मिनल कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय जलमार्ग-संख्या 1 पर पटना में एक स्थायी टर्मिनल और राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-2 पर 11 स्थायी टर्मिनल का निर्माण कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-2 पर पांडू में स्थायी टर्मिनल का निर्माण करने के लिए अनुमान तैयार करने हेतु भू-तकनीकी जांच का कार्य भी सौंपा गया है।

(ग) पटना में टर्मिनल-निर्माण कार्य पूरा करने का निर्धारित समय संशोधित लागत अनुमान संस्वीकृत करने की तारीख से दो वर्ष है और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्धारित समय तीन वर्ष है।

(घ) और (ङ) जी हां। इस टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्धारित समय संशोधित लागत अनुमान के अनुमोदन के बाद लगभग दो वर्ष है।

दिल्ली में परिवार अदालतें

4460. श्री आर.एल. भाटिया :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में 15 परिवार अदालतें बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अदालतों के लिए न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के 15 पद भी स्वीकृत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी परिवार अदालतें देश के अन्य भागों में भी स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) बाकी राज्यों में इन अदालतों की स्थापना हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) भारत सरकार ने, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के लिए कुटुम्ब न्यायालयों के न्यायाधीशों के 15 पद स्वीकृत किए हैं और साथ ही सहायक कर्मचारियों के पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) कुटुम्ब न्यायालय अनेक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी में स्थापित किए गए हैं। इस समय, देश में 79 कुटुम्ब न्यायालय हैं।

(घ) कुटुम्ब न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 सामर्थ्यकारी अधिनियम है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के विनिर्दिष्ट अनुरोध पर ही, इस अधिनियम की अधिकारिता को संबद्ध राज्य में विस्तारित करती है। राज्य सरकार, अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें कोई ऐसा शहर या नगर आता हो जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, या राज्य के किसी अन्य क्षेत्र के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार, कुटुम्ब न्यायालयों को स्थापित करने के बारे में संबद्ध राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के साथ आवधिक रूप से विचार-विमर्श करती है।

विवरण

कुटुंब न्यायालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

1. आंध्र प्रदेश (7)

   हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति, वारंगल, कुरनूल, सिकन्दराबाद

2. असम (1) : गौहाटी

3. बिहार (2) : धनबाद और पटना

4. कर्नाटक (8)

   बंगलौर (3), बेलगांव, बीजापुर, गुलबर्ग, मैसूर, रायचूर

5. केरल (7)

   थिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अर्नाकुलम, त्रिसूर, काचिकोडे, कोट्टायाम, मनजेरी

6. महाराष्ट्र (16)

   पूना (5), मुम्बई (7), औरंगाबाद (2), नागपुर (2)

7. मणिपुर (1)

8. उडीसा (2)

   कटक और राउरकेला।

9. पांडिचेरी (1): पांडिचेरी

10. राजस्थान (6)

    जयपुर (2), जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर

11. सिक्किम (1): गंगटोक

12. तमिलानाडु (6)

    चेन्नई (3), मदुरै, कोयम्बटूर और सलेम

13. उत्तर प्रदेश (16)

    कानपुर (2), लखनऊ (2), गोरखपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, फैजाबाद और आजमगढ़

14. पश्चिम बंगाल (1): कलकत्ता (1)

15. गुजरात (4): अहमदाबाद।

[हिन्दी]

अलार्म-प्रणाली शुरू करना

4461. डॉ. अशोक पटेल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आई.एस.डी. और एस.टी.डी. प्रणाली के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए अलार्म-प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली कब तक शुरू कर दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) हैदराबाद में, 'प्रयोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के रूप में एक ''फ्रॉड मैनेजमेंट एण्ड कन्ट्रोल सेंटर'' स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित केन्द्र 'फ्रॉड मैनेजमेंट' का प्रौद्योगिकीय समाधान निकालेगा। उपभोक्ताओं की प्रोफाइल की तुलना और उनकी प्रारंभिक हैसियत (थ्रेस होल्ड-वैल्यू) की मॉनीटरिंग करके एस.टी.डी. के अवैध प्रयोग की रोकथाम कर सकती है।

एम.टी.एन.एल. द्वारा अपनी दिल्ली तथा मुंबई यूनिटों हेतु इसी प्रकार की प्रणाली स्थापित की जा रही है।

(ग) इस वर्ष के अंत तक इन केन्द्रों के चालू हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

4462. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा मार्ग की जीर्ण-शीर्ण अवस्था में इसका राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करके सुधार लाने तथा क्षतिग्रस्त पुलों की राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु यथा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप मरम्मत करने संबंधी योजनाओं तथा लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मुजफ्फरपुर-मोतीहारी राष्ट्रीय राजमार्ग तथा मुजफ्फरपुर-दरभंगा (एल.आर.पी.) मार्गों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सुधार करने संबंधी योजनाओं तथ[illegible]क्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर में बौद्ध सर्किट वाले मार्ग तथा मुजफ्फरपुर तथा पूर्वी चंपारण, वैशाली-सरैया-पारू-साहेबगंज तथा केसरिया सड़क के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उत्तरदायी है। सड़कों, वैशाली, बौद्ध क्षेत्र की सड़कों सहित अन्य सभी सड़कें राज्य सरकार से संबंधित हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत कार्य है। विकास कार्य आवश्यकता, यातायात की सघनता अखिल भारतीय स्तर पर परस्पर प्राथमिकता और उपलब्ध निधियों के अनुसार किए जाते हैं।

हाजीपुर-मुज्जफरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-77 का एक हिस्सा है। रा.रा.-77 पर मौजूदा निभज्जनीय पक्के नदी पथों के स्थान पर दो उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 8.82 करोड़ रु. की राशि के छह कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के मुज्जफरपुर-मोतीहारी खंड के सुधार के लिए 9.15 करोड़ रु. की राशि के 3 कार्य चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सुधार के लिए 1.85 करोड़ रु. का एक अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-57 के मुजफ्फरपुर-दरभंगा खंड के लिए 3.03 करोड़ रु. की राशि के तीन आकलन स्वीकृत हो चुके हैं।

[अनुवाद]

मृतप्रायः कानूनों का हटाया जाना

4463. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सारे अधिनियम/कानून मृतप्रायः हैं और समय के परिवर्तन के साथ अनुपयोगी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अधिनियम/कानून भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं और शीघ्र न्याय प्रदान करने में बाधा डालते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे अधिनियमों/कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कर्म मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) जी, हां।

इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार ने, प्रशासनिक विधि की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया था और उक्त आयोग ने, ऐसे 1382 केन्द्रीय अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की थी जिनकी पहचान अप्रचलित या अनुपयोगी विधि के रूप में या ऐसी विधि के रूप में की गई है जिसके उपांतरण की आवश्यकता है। इन अधिनियमों से संबंधित भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इन्हें निरसित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए कुछ विधेयक पहले ही लाए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

4464. श्री चिंतामन वनगा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में जिला-वार कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में जिला-वार ऐसे कितने एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान राज्य में खोले जाने हेतु प्रस्तावित ऐसे एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एक्सचेंज खोलने के स्थान ढूंढने, स्विचन और पारेषण उपस्कर तथा केबल्स, इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई आदि की व्यवस्था करने संबंधी नियोजित कार्रवाई चल रही है।

विवरण-I

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
1.	अहमदनगर	257
2.	अकोला	69
3.	वाशीम	41
4.	अमरावती	107
5.	औरंगाबाद	112
6.	बीड	82
7.	भंडारा	44
8.	गोंडिया	44
9.	बुलधाना	94
10.	चन्द्रपुर	70
11.	धुले	74
12.	नंदरबार	42
13.	गडेहिरोली	31
14.	जलगांव	176
15.	जालना	64
16.	कल्याण (थाणे)	104
17.	कोल्हापुर	183
18.	लातुर	91
19.	नागपुर	111
20.	नान्देड	97
21.	नासिक	203
22.	उस्मानाबाद	72
23.	परभानी	45

1	2	3
24.	हिंगोली	33
25.	पुणे	196
26.	रायगढ़	133
27.	रत्नागिरि	113
28.	सांगली	219
29.	सतारा	152
30.	सिंधुदुर्ग	77
31.	सोलापुर	153
32.	वर्धा	60
33.	यवतमाल	66
34.	मुंबई	117
35.	थाणे	25
	जोड़	3557

विवरण-II

नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान प्रस्तावित एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	39
2.	अकोला/वाशिम	32
3.	अमरावती	15
4.	औरंगाबाद	16
5.	बीड	15
6.	भंडारा/गोंडिया	7
7.	बुलधाना	9
8.	चंद्रपुर	7
9.	धुले/नंदरबार	4
10.	गढ़चिरोली	10
11.	जलगांव	7
12.	जालना	7
13.	कल्याण	33
14.	कोल्हापुर	66
15.	लातूर	22
16.	नागपुर	11
17.	नानदेड	19
18.	नासिक	18
19.	उस्मानाबाद	6
20.	पुणे	76
21.	परभनी/हिंगोली	20
22.	रायगढ़	9
23.	रत्नागिरि	32
24.	सांगली	71
25.	सतारा	55
26.	सिंधुदुर्ग	10
27.	सोलापुर	50
28.	वरधा	4
29.	यवतमाल	20
30.	मुम्बई	18
31.	थाणे	4
	जोड़	713

विद्युत सर्वेक्षण रिर्पोट

4465. श्री दिनशा पटेल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोलहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस समिति ने प्रत्येक राज्य में वर्ष 2005 तक बिजली की मांग के अनुमान को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो विशेषत: गुजरात के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में बिजली की बढ़ रही मांग को पूरा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता): (क) से (च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा गठित सोलहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने अपनी प्रारूप रिपोर्ट पेश कर दी है जिसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट में 2005 तक के मांगों पर विचार किया गया है। रिपोर्ट को सभी जगह से इस पर टिप्पणी प्राप्त होने के बाद स्वीकृति दी जाएगी। प्रत्येक राज्य के मांग को रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही इंगित किया जा सकता है।

बिहार में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

4466. श्री राजो सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए चालू और अगले वित्त वर्ष के दौरान कोई बजट आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) बिहार के विभिन्न जिलों में माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्टोर एंड फोरवर्ड मैसेस स्विचिंग सिस्टम (एसएफएमएसएस), फोर्मेटेड टर्मिनल कंसन्ट्रेटर्स (एफटीसी), इलैक्ट्रानिक की-बोर्ड कंसन्ट्रेटर्स (ईकेबीसी), इन प्रणालियों के टर्मिनल तथा फैक्स मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई बजट मुहैया नहीं कराया जाता है।

(ङ) आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा आवश्यकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

विवरण

बिहार में आधुनिकीकरण की जिला-वार स्थिति

क्र.सं.	जिला का नाम	एसएफएमएसएस/ एसएफटी पोर्ट	फैक्स
1	2	3	4
1.	पटना	उपलब्ध	उपलब्ध
2.	आरा	,,	,,
3.	धनबाद	,,	,,
4.	गया	,,	,,
5.	बोकारो	,,	,,
6.	रांची	,,	,,
7.	जमशेदपुर	,,	,,
8.	मुजफ्फरपुर	,,	,,
9.	सीतामढ़ी	,,	,,
10.	छपरा	,,	,,
11.	कटिहार	,,	,,
12.	भागलपुर	,,	,,
13.	बी. देवघर	,,	,,
14.	पूर्णिया	,,	,,
15.	बिहारशरीफ	,,	,,
16.	बक्सर	,,	,,
17.	गिरीडीह	,,	,,
18.	ससाराम	,,	,,
19.	औरंगाबाद	,,	,,
20.	जहानाबाद	,,	,,
21.	नवादा	,,	,,

1	2	3	4
22.	हजारीबाग	उपलब्ध	उपलब्ध
23.	डाल्टनगंज	,,	,,
24.	लोहारडग्गा	,,	,,
25.	समस्तीपुर	,,	,,
26.	दरभंगा	,,	,,
27.	मधुबनी	,,	,,
28.	मोतीहारी	,,	,,
29.	गोपालगंज	,,	,,
30.	सिवान	,,	,,
31.	हाजीपुर	,,	,,
32.	सहरसा	,,	,,
33.	मुंगेर	,,	,,
34.	बेसुसराय	,,	,,
35.	खगड़िया	,,	,,
36.	किशनगंज	,,	,,
37.	बंका	,,	,,
38.	बेतिया	उपलब्ध नहीं	,,
39.	अररिया	,,	,,
40.	जमुई	,,	,,
41.	भभुआ	,,	,,
42.	चायवासा	,,	,,
43.	मधेपुरा	,,	,,
44.	गोद्दा	,,	,,
45.	दुमका	,,	,,
46.	साहबगंज	,,	,,
47.	सुपौल	,,	,,
48.	गुमला	,,	,,
49.	लखिसराय	,,	,,
50.	शेखपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
51.	कोडर्मा	,,	,,
52.	चतरा	,,	उपलब्ध नहीं
53.	पाकुर	,,	,,
54.	शिवहर	,,	,,
55.	गढ़वा	,,	,,

एसएफएमएसएस – स्टोर एंड फोरवर्ड मेसिज स्विचिंग सिस्टम
एस एफ टी – स्टोर एंड फोरवर्ड टेलीग्राम सिस्टम

केरल में समुद्री जीवों का संग्रहालय

4467. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में समुद्री जीवों का संग्रहालय स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

4468. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने तथा कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में रायपुर के समीप रा.रा. 6 को जोड़ने वाला नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 और उड़ीसा चंडीखोल के निकट रा.रा. 5 बिलासपुर से गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार कार्य परस्पर प्राथमिकता और उपलब्ध निधियों के अनुसार किए जाते हैं।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

4469. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 के अनुसार केरल में जिलेवार कितने टेलीफोन-एक्सचेंज चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज तक राज्य में जिले-वार कितने टेलीफोन-एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में स्थान-वार कितने नए एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) केरल के 'अदूर' क्षेत्र में स्थापित टेलीफोन-एक्सचेंजों की स्थिति क्या है;

(ङ) उक्त क्षेत्र में दूरभाष-कनेक्शनों हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(च) सरकार द्वारा क्षेत्र में प्रतीक्षा-सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या 'अदूर' टेलीफोन-एक्सचेंज हेतु भवन-निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, केरल में कार्यरत टेलीफोन-एक्सचेंजों का जिलेवार ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में स्थापित टेलीफोन-एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रस्तावित 37 नए एक्सचेंजों का अवस्थितिवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) अदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्षमता, कार्यरत कनैक्शनों तथा प्रतीक्षा-सूची को दर्शाने वाले टेलीफोन-एक्सचेंजों की स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) अदूर संसदीय चुनाव क्षेत्र की प्रतीक्षा-सूची में 33,242 आवेदक दर्ज हैं।

(च) वर्ष 2000-2001 के दौरान अदूर संसदीय चुनाव क्षेत्र में 32378 लाइनों की स्विचन-क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम अनन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान, अदूर संसदीय चुनाव क्षेत्र में लगभग 23000 नए टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने की संभावना है। "ऑन डिमांड" स्तर मार्च, 2002 तक होने की संभावना है।

(छ) जी, नहीं। 14,000 लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज का विस्तार करने के लिए वर्तमान विभागीय भवन पर्याप्त है।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, केरल में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों का जिले-वार ब्यौरा और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित एक्सचेंजों की संख्या

जिला	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कार्यरत टेलीफोन-एक्सचेंज	पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित एक्सचेंज		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
अलेप्पी	48	1	1	8
कालीकट	69	6	4	3

1	2	3	4	5
मालाप्पुरम	62	–	2	6
वायनाड़	25	–	–	4
कनानौर	79	2	4	8
कासरगौड	50	2	2	1
एर्नाकुलम	92	1	2	6
इडुकी	73	2	3	4
कोट्टायम	72	2	3	6
पालघाट	83	5	2	3
पटनमथिट्टा	53	2	5	8
क्विलॉन	71	3	–	8
त्रिचूर	67	3	4	3
त्रिवेन्द्रम	69	3	5	11
कुल	913	32	37	79

विवरण-II

केरल में 2000-2001 के दौरान नियोजित नए एक्सचेंज

स्थान का नाम		जिला	क्षमता
1	2	3	4
1.	थिरूवन्वदूंर	अलेप्पी	2000
2.	महाप्रबंधक कार्यालय	कालीकट	1000
3.	पायमपिल्ली	वायवाड	1000
4.	मालपालम	कन्नानौर	1000
5.	धरमदास	-वही-	1000
6.	इरनहोली	-वही-	2000
7.	कोडीयेरी	-वही-	2000
8.	इडप्पल्ली	एर्नाकुलम	4000
9.	चूंडी	-वही-	2000
10.	एजीक्कम	एर्नाकुलम	1000
11.	पट्टीमट्टम	-वही-	2000
12.	कुमारनल्टूर	कोट्टायम	2000
13.	मूलेडम्	-वही-	1000
14.	वेलीयन्नूर	-वही-	2000
15.	अकमालावरम	पालघाट	184
16.	पुथुर	-वही-	2000
17.	यक्कारा	-वही-	1000
18.	पेरियांगानाड़	पठनमथिट्टा	1000
19.	मुजीयार	-वही-	184
20.	मुखथाला	क्विलोन	2500
21.	मुक्काडा	-वही-	3000

1	2	3	4
22.	सरेइक्कड	क्विलोन	1000
23.	चन्माकपोन	-वही-	184
24.	काकुट्टी	त्रिचूर	1200
25.	इडक्काजीयूर	-वही-	2000
26.	अरीमपुर	-वही-	2000
27.	कालाक्कवू	-वही-	2000
28.	मीननमुलर्मू	त्रिवेन्द्रम	1000
29.	पोंगूमूडू	-वही-	2000
30.	पट्टम	त्रिवेन्द्रम	3000
31.	अनायारा	-वही-	4000
32.	अदियनकुलंगारा	-वही-	1000
33.	पुडुकुलंगारा	-वही-	1000
34.	पुल्लमपारा	-वही-	1000
35.	नगरूर	-वही-	2000
36.	कोट्टूर	-वही-	1000
37.	चेंगोट्टूकोनम	-वही-	1000

विवरण-III

अदूर संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक्सचेंजों की स्थिति

1	एक्सचेंज का नाम	2 क्षमता	3 सीओएनएन	4 प्रतीक्षा-सूची	5 2000-2001 के दौरान क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि
1.	अदूर	14000	5910	1820	1000
2.	अंचल	5000	4631	1531	0
3.	अरियानकवू	368	350	126	637
4.	अयूर	1512	1461	476	988
5.	भारतीपुरम्	368	359	344	664
6.	छादयांगालू	1384	1328	297	0
7.	चेन्नापेल्ली	1000	458	572	1032
8.	छेपरा	768	767	882	632
9.	चित्तरा	520	432	9	480
10.	कोजीकोडे	336	308	78	664
11.	चूंडा	368	342	347	332
12.	इडोनोन-पुनालूर	376	366	544	624
13.	इलन्नूर	1000	681	20	0

1		2	3	4	5
14.	इलकट्टूर	640	560	138	380
15.	एजनाकुलम	2700	2458	454	0
16.	इरूबानागढ़	2680	930	985	0
17.	काडक्कल	4400	1791	1822	0
18.	कोडमवनाडू	2400	2049	1073	1600
19.	किलिवयाल	550	527	200	950
20.	कोडुमन	750	730	990	1250
21.	कोक्कड़	1000	269	579	0
22.	कोन्नी	4000	3904	1150	2000
23.	कोट्टाराकारा	8500	5732	2952	0
24.	कुलक्काडू	3176	1309	1251	0
25.	कुलानाड़ा	1850	1723	837	1150
26.	कुलाथुपूजा	1584	1518	144	600
27.	कुन्निल	184	161	541	816
28.	कोन्नीकोडे	2024	1039	780	0
29.	मदाथारा	1200	497	1137	0
30.	मलायालापूजा	750	608	720	1250
31.	मनकोडे	367	352	177	184
32.	मुर्रिजाकल	1500	1350	545	500
33.	पल्लीक्कल	750	651	550	750
34.	पठानापुरम	4747	4145	1876	2253
35.	पट्टाजी	1000	972	307	1000
36.	पुजापल्ली	3000	2703	799	1000
37.	पुनालूर	7000	6783	1532	5000
38.	पुन्नाला	544	490	372	941
39.	पुथुर	4012	1795	1061	0
40.	थाडिक्कडू	368	364	504	632
41.	थालावूर	1000	904	319	0

1		2	3	4	5
42.	थन्नीथोड़ा	750	532	177	250
43.	थेक्कूथोडे	350	242	316	650
44.	थेनमाला	344	336	225	656
45.	बी कोट्टायम्	750	655	243	250
46.	वलाकोम	1512	1454	232	488
47.	वेलनल्लूर	2048	729	920	0
48.	वेट्टीकावाला	1512	1453	308	500
	कुल	96942	69104	33242	32378

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एल.पी.जी. एजेंसियां

4470. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को उसके आवश्यकतानुसार एलपीजी की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य में कितनी नई एजेंसियां स्थापित करने का लक्ष्य है;

(ग) गैस एजेंसी चलाने के नियमों का ब्यौरा क्या है और नियमों का पालन न करने पर क्या कार्यवाही की जाती है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार शाहदूल और सरगूजा सिधी जनजातीय जिलों से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ङ) इनमें से कितने आवेदन-पत्र निपटा दिए गए हैं;

(च) बाकी आवेदनों पर की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को शाहदूल जिले में नियमों की अवहेलना करते हुए एलपीजी वितरक नियुक्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राज्य में वर्तमान उपभोक्ताओं की एल पी जी की जरूरत कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है।

(ख) राज्य में 1996-98 की एल पी जी विपणन योजना के तहत 287 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ग) डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रचालन तथा प्रबंध तेल उद्योग, राज्य सरकार व अन्य सांविधिक प्राधिकरणों आदि द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है। निर्धारित दिशानिर्देशों के पालन न करने पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार/ बाजार अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (च) फिलहाल संबंधित क्षेत्रों से 13 स्थानों के संबंध में विज्ञापन दिया गया है जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए लंबित हैं।

(छ) और (ज) उपलब्ध सूचना के अनुसार शहडोल जिले में पासन में किए गए चयन के विरुद्ध एक शिकायत मिली थी। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने खोजबीन करने पर इसे अनुचित पाया।

[अनुवाद]

नए डाक पंजीकरण अनुदेश

4471. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी किए गए नए अनुदेशों के अंतर्गत डाक पंजीकरण के नवीकरण कराने से इंकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अनुदेशों को जारी करने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। सरकार ने मुख्य रूप से धार्मिक एवं सांस्कृतिक समाचारों को प्रकाशित करने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के डाक पंजीकरण/नवीकरण को अस्वीकार करने के लिए भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 तथा भारतीय डाकघर नियम 1933 के अधीन कोई नए निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उरन विद्युत संयंत्र को गैस की आपूर्ति

4472. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने उरन विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु पर्याप्त गैस की आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संयंत्र की प्रतिदिन गैस आवश्यकता कितनी है और इस समय इस संयंत्र को कितनी गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या गैस की आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संयंत्र को पर्याप्त गैस प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के लिए यूरान से आपूर्ति की जाने वाली गैस के वर्तमान स्तर करीब 2.40 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन को बढ़ाकर 3.50 एम एम एस सी एम डी के संवीदाकृत स्तर तक कर दिया जाए। यूरान से गैस उपलब्धता में समग्र कमी के कारण, गैस की आपूर्ति मांग के स्तर तक नहीं रही है। उपलब्ध गैस को यथानुपात आधार पर वितरित किया जाता है जिसमें फीड स्टाक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है और बाद में विद्युत संयंत्रों की मांग पूरी की जाती है।

[हिन्दी]

दरभंगा में एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

4473. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दरभंगा जिला, बिहार में कितनी पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों का आवंटन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने बूथ महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को आवंटित किए गए;

(ग) वर्तमान में दरभंगा जिले के तिरमुहान घाट, वहेरा में बूथों के आवंटन को मंजूरी प्रदान करने के कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) उक्त बूथों को महिला आवेदकों को आवंटित न करने के क्या कारण हैं तथा इन आवेदन-पत्रों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दरभंगा जिले में 2459 एसटीडी/आईएसडी पीसीओ-बूथ आबंटित किए गए हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान महिलाओं व विकलांग व्यक्तियों को ऐसे 440 बूथ आबंटित किए गए हैं।

(ग) इस समय दरभंगा जिले के ''त्रिमुतानी घाट'' व 'बहेड़ा' में पी.सी.ओ. के आबंटन हेतु 50 आवेदन लंबित पड़े हैं।

(घ) महिलाओं सहित सभी बेरोजगार व्यक्ति पीसीओ आबंटन के पात्र हैं। अत:, किसी पात्र महिला आवेदिक को इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिलहाल, उक्त एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता नहीं है। उक्त एक्सचेंज का विस्तार होते ही, पात्र आवेदकों के आवेदनों को यथाशीघ्र निबटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मेलेशिया द्वारा राजमार्गों का उन्नयन

4474. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया ने आंध्र प्रदेश राज्य में दो राजमार्गों के उन्नयन का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार मलेशिया के इस प्रस्ताव से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते पर कब तक हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, करार पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

क्लेसर वनक्षेत्र का विकास

4475. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाघ परियोजना के विकास हेतु हरियाणा के यमुनानगर जिले के क्लेसर वन क्षेत्र के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए हरियाणा सरकार को कुल कितनी राशि स्वीकृत की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एन.एच.पी.सी. द्वारा जल विद्युत उत्पादन

4476. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने देश में जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार इनकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर, कारपोरेशन द्वारा कितनी परियोजनाओं को आरंभ किया गया है; और

(घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान एन.एच.पी.सी. को जल विद्युत परियोजनाओं से कितना विद्युत उत्पादन होने की आशा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां, वर्ष 1975 में स्थापित नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) भारत में जल विद्युत विकास हेतु एक सबसे बड़ी संगठन है। एनएचपीसी ने 2175 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता और 9431 मि.यू. की कुल डिजाइन ऊर्जा के साथ आज तक आठ जल विद्युत परियोजनाएं पूरी कर ली है। आठवीं योजना अवधि के दौरान एनएचपीसी ने 1365 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता के साथ तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा कर लिया था। ये निम्नलिखित हैं:-

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता
चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-1	हिमाचल प्रदेश	540 मे.वा.
सलाल जल विद्युत परियोजना चरण-2	जम्मू एवं कश्मीर	345 मे.वा.
उरि जल विद्युत परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर	480 मे.वा.

(ग) एनएचपीसी द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा (राज्यवार) संलग्न विवरण की तालिका "क" में दिया गया है। आठ पूर्ण परियोजनाओं के अतिरिक्त एनएचपीसी ने छः परियोजनाएं (विवरण की तालिका "ख") प्रारंभ की है जो कि निर्माण अवस्था में है। उन परियोजनाओं का ब्यौरा जो कि एनएचपीसी द्वारा सर्वेक्षण एवं जांचाधीन है, संलग्न विवरण की तालिका "ग" में दिया गया है।

(घ) एनएचपीसी द्वारा नौवीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि 60 मे.वा. होगी और एनएचपीसी की सभी जल विद्युत परियोजनाओं से नौवीं योजना में कुल विद्युत उत्पादन 46229 मि.यू. होने की प्रत्याशा है।

विवरण

टेबल-क

एनएचपीसी की चालू परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1.	बऐरा सिऊल	हि.प्र.	180
2.	चमेरा चरण-1	हि.प्र.	540
3.	सलाल चरण-1	ज. एवं क.	345
4.	सलाल चरण-2	ज. एवं क.	345
5.	उरी	ज. एवं क.	480
6.	टनकपुर	उ.प्र.	120
7.	रंगित	सिक्किम	60
8.	लोकतक	मणिपुर	105
	जोड़		2175

टेबल-ख

निर्माणाधीन परियोजनाएं (स्वामित्व आधार)

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	वार्षिक उत्पादन
1.	दुलहस्ती	ज. एवं. क.	390	1928
2.	चमेरा चरण-2	हि.प्र.	300	1500
3.	धोलीगंगा चरम-1	उ.प्र.	280	1134
4.	तिस्ता चरण-5	सिक्किम	510	2573
5.	लोकतक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	90	420
	जोड़		1570	7555

टेबल-ग

परियोजना जिनका सर्वेक्षण एवं जांच किया जा रहा है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	पार्वतीचरण II	हि.प्र.	800
2.	पार्वतीचरण-III	हि.प्र.	501
3.	पार्वती चरण-I	हि.प्र.	750
4.	दिहांग अपर स्कीम	अरूणाचल प्रदेश	11000
5.	दिहाग मिडिल स्कीम	अरूणाचल प्रदेश	700
6.	दिहांग लोअर स्कीम	अरूणाचल प्रदेश	1700
7.	सुबनसिरी अपर स्कीम	अरूणाचल प्रदेश	2500
8.	सुबनसिरी मिडिल स्कीम	अरूणाचल प्रदेश	2000
9.	सुबनसिरी लोअर स्कीम	अरूणाचल प्रदेश	2800
	जोड़		22751

[हिन्दी]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा राजस्थान से होकर पाइपलाइनें बिछाना

4477. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड राजस्थान से होकर एक नयी पाइप लाइन बिछा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों से पाइप लाइन होकर निकलने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ गैस संग्रहण और बॉटलिंग संयंत्र को भी स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त पाइपलाइनों पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है और उक्त पाइपलाइन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) उक्त पाइपलाइनों के निर्माण में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस संबंध में अधिगृहीत कृषि भूमि तथा अन्य क्षेत्र के लिए मुआवजा देने हेतु क्या प्रावधान किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल), दिल्ली से होती हुई जामनगर (गुजरात) से लोनी (उत्तर प्रदेश) तक एक एल पी जी पाइपलाइन बिछा रही है जो राजस्थान से सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर तथा अलवर जिलों से गुजरेगी।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लि. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड नए भरण संयंत्र लगा रहे हैं और अपने मौजूदा भरण संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं, जिनकी आवश्यकता गेल की इस एल पी जी पाइपलाइन द्वारा पूरी की जाएगी।

(ङ) कुल अनुमानित व्यय 1229.45 करोड़ रुपए है और इस एल पी जी पाइपलाइन परियोजना का फरवरी, 2001 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

(च) गेल ने इस पाइपलाइन का निर्माण कार्य विभिन्न विक्रेता ठेकेदारों को सौंपा है, जिन्होंने कार्य की आवश्यकता और मांग के अनुसार अपने कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को काम पर लगाया है।

(छ) गेल द्वारा भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है, किन्तु उक्त एल पी जी पाइपलाइन बिछाने के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम) के उपबंधों के तहत भूमि में उपयोग का अधिकार प्राप्त किया गया है। भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम के तहत इस प्रयोजन से नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मुआवजा अदा किया गया है।

[अनुवाद]

आयातित कोयला संबंधी मेगा पावर परियोजना

4478. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयातित कोयला आधारित मेगा पावर परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उत्पादित विद्युत का उचित वितरण करने के लिए निजी विद्युत परियोजनाओं और राज्य विद्युत बोर्डों के साथ समन्वय करने के लिए केन्द्रीय संगठन पर विचार करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां। नवम्बर 1998 में घोषित संशोधित मेगा विद्युत नीति के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली मेगा विद्युत परियोजनाओं के रूप में अभिज्ञात की गई बहुराज्यीय विद्युत परियोजनाओं में से कुछ की परिकल्पना आयातित कोयला के उपयोग हेतु की गई है।

(ख) ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ईंधन	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1.	कुड्डलोर टीपीपी	आयातित और स्वदेशी कोयले का मिश्रण	तमिलनाडु	1000
2.	कृष्णपट्टनम टीपीपी	आयातित और स्वदेशी कोयले का मिश्रण	आन्ध्र प्रदेश	1500
3.	*पिपावाव टीपीपी	आयातित कोयला/ एल.एन.जी.	गुजरात	2000

*पीपावाव टीपीपी के संबंध में वास्तविक ईंधन वरीय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 16 अप्रैल, 1999 को एक पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन (पी टी सी) का निगमीकरण किया गया है। पी टी सी निजी क्षेत्र में अभिज्ञात मेगा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद करेगी और उसकी बिक्री संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों (रा.वि.बोर्डों)/यूटिलिटियों को करेगा। पीटीसी को प्रतिभूति शाख-पत्र और केन्द्रीय योजना आवंटनों एवं अन्य अन्तरणों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यदि व्यवहार्य पाया गया तो

पी टी सी सीधे ही "कलस्टर" जैसे लाईसेंस धारियों तथा औद्योगिक अधिष्ठापनाओं को विद्युत की आपूर्ति कर सकती है। पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना वित्तीय दृष्टि से कमजोर विभिन्न रा.वि. बोर्डो के साथ कार्रवाई में शामिल जोखिम को कम करके अभिज्ञात मेगा परियोजनाओं तथा अन्य बड़ी अन्तर राज्यीय परियोजनाओं से विद्युत का वितरण सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। वर्तमान में पीटीसी गुजरात में पीपावाव मेगा परियोजना (6×660 मे.वा.) का निर्माण कर रही है।

हाथी दांत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध

4479. श्री सुलतान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाथियों की संख्या में कमी पर चिंता जताते हुए, भारत सरकार ने हाथी दांत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सदस्य देशों से अपील की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाथी दांत के व्यापार पर सीमित रूप से प्रतिबंध हटाने से देश में अवैध शिकार में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस अपील पर सदस्य देश से अब तक कोई प्रतिक्रिया मिली है; और

(च) यदि हां, तो सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है और देश में हाथियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) हरारे में जून, 1997 में कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रैड इन एन्डेंजर्ड स्पिशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के पक्षकारों के दसवें सम्मेलन में अफ्रीकी हाथियों नामत: बोट्स्वामा, नामीबिया और जिम्बाबवे की तीन प्रजातियों को साइट्स के परिशिष्ट-1 से हटाकर परिशिष्ट 2, जिसमें हाथी दांत के व्यापार की अनुमति दी गई है, में रखने की इजाजत दी थी। यह निर्णय बहुमत द्वारा लिया गया था। हालांकि भारत जैसे कुछ देशों द्वारा इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसके द्वारा एशियाई हाथी, जिसे हाथी दांत के लिए इसके अवैध शिकार ने गम्भीर खतरा है, की संख्या पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। भारत सरकार ने इस संबंध में साइट्स सचिवालय के प्रति अपना मत व्यक्त नहीं किया है।

(ग) और (घ) हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध उठा लेने के बाद देश में इसका अवैध शिकार बढ़ने की संभावना है। तथापि भारतीय हाथियों की संख्या पर कोई सीधा दुष्प्रभाव पड़ने की कोई सूचना नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से हाथियों के अवैध शिकार के बारे में प्राप्त सूचनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) फरवरी, 1999 में जेनेवा में आयोजित साइट्स की 41वीं स्थायी समिति की बैठक की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारत सहित अमरीका, इजराइल और आस्ट्रेलिया प्रतिबंध हटाने के सख्त खिलाफ थे। यूरोप से फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आस्ट्रिया और बेल्जियम भी यह प्रतिबंध उठाने के खिलाफ थे। केन्या, जाम्बिया, माले, घाना, चाड, काँगो, लाइबेरिया और केमरॉन जैसे अफ्रीकी देश भी हाथी दांत के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को उठा लेने के खिलाफ थे।

देश में हाथियों की संख्या को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) हाथी को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है जिसके तहत हाथियों को उनके शिकार एवं वाणिज्यिक इस्तेमाल के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को हतोत्साहित करने के लिए हाथी दांत के व्यापार पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(3) एशियाई हाथी को भी "कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पिशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना" (साइट्स) के परिशिष्ट-1 में शामिल किया गया है, जिसमें एशियाई हाथी दांत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(4) भारत सरकार ने भारत में वन्य हाथियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 1992 में हाथी परियोजना आरम्भ की थी। इस परियोजना के तहत 12 राज्यों को उनके सुरक्षा एवं संचार ढांचे को सुदृढ़ बनाने, वासस्थलों के विकास तथा मानव-हाथी भिड़ंतों आदि घटनाओं के निवारण एवं उन्हें कम करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	लागू नहीं
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य
3.	असम	4	6	3
4.	बिहार	2	3	लागू नहीं
5.	कर्नाटक	18	15	11
6.	केरल	7	2	2
7.	मेघालय	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
8.	नागालैण्ड	5	1	शून्य
9.	उड़ीसा	11	7	लागू नहीं
10.	तमिलनाडु	15	6	9
11.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
12.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	6
	कुल योग	63	40	31

[हिन्दी]

अधिक राशि के टेलीफोन बिल

4480. श्री अजयसिंह चौटाला : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1999-2000 के दौरान हरियाणा के विशेषकर भिवानी, हिसार और सिरसा जिलों के टेलीफोन एक्सचेंजों में अधिक राशि के टेलीफोन-बिलों को जारी करने से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) निम्नलिखित स्टेशनों में 1999-2000 में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नवत है:-

हिसार	116
सिरसा	182
भिवानी	6

उक्त शिकायतें, एक्सचेंज प्रणालियों की तकनीकी खराबियों के कारण हुई थीं।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित निवारक उपाय किए हैं:-

(1) जांच-कार्य आदि के दौरान "एक्सेस मीटरिंग" से संबंधित खराबियां नोटिस में आते ही उन्हें ठीक करने के प्रयास किए गए थे।

(2) टेलीफोन एक्सचेंजों का, इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदल दिया गया है, जिससे एक्सेस मीटरिंग की संभावनाएं न्यूनतम हो गई हैं।

(3) उपभोक्ताओं को एसटीडी/आईएसडी लॉकिंग-सुविधा प्रदान कर दी गई है, जिससे अपने परिसरों से वे कॉलों की संख्या पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता एक गुप्त ''कोड'' का प्रयोग करते हैं, जो अन्य लोगों को मालूम नहीं होता है।

[अनुवाद]

एनसीसीएफआई और सुपर बाजार द्वारा प्रतिभूति जमा करना

4481. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार दिल्ली के उन व्यापारियों से जो बिना ब्याज के अपनी चीजें सप्लाई करने के लिए उन एजेंसियों में अपने को पंजीकृत कराते हैं, से 10000 रुपये प्रति मद प्रतिभूति जमा कर रहे हैं के संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ये एजेंसियां इस प्रकार संग्रह की गई निधियों का उपयोग अपनी दैनिक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो यह प्रणाली किस सीमा तक अनुचित है और इस पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्ध किस सीमा तक लागू होते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन संगठनों की ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम आर टी पी आयोग) ने महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण (डी जी आई आर) को मामले की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है। डी जी आई आर द्वारा मामले की जांच की जा रही है। एम आर टी पी आयोग डी जी आई आर से प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगा।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

साल बोरर से संक्रमित वृक्ष

4482. श्री चन्द्र विजय सिंह :
श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उत्तर भारत में बड़ी संख्या में वृक्ष ''साल बोरर'' नामक बीमारी से ग्रसित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह बीमारी किस प्रकार की है जिसका पारिस्थितिक प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) इस बीमारी की रोकथाम और पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश में तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में साल के वन, साल छिद्रक (बोरर) बीमारी से प्रभावित हुए हैं। पहली बार 1995 में यह मध्य प्रदेश के मांडला और उसके साथ लगे जिलों में देखने में आयी थी। उनके द्वारा इस मामले को संबंधित दिशा-निर्देशों हेतु भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को भृंग (बीटल) की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए मानसून के महीनों के दौरान ''ट्रैप ट्री आपरेशन'' चलाने और प्रभावित हो चुके पेड़ों को हटाने का परामर्श दिया था। भारत सरकार ने, समस्या, क्षति की मात्रा का अध्ययन करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया था। साल छिद्रक के आक्रमण को रोकने के लिए दीर्घावधि उपाय सुझाने के लिए महानिदेशक, आई सी एफ आर ई की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को ''ट्रैप ट्री आपरेशन'' चलाने और पूरी तरह शुष्क वृक्षों की कटाई करने की सलाह दी थी। कटाई के लिए चिन्हित वृक्षों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक, उष्णकटिबंधी वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही वृक्षों की कटाई की क्षतिपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में साल छिद्रक से अप्रभावित साल वृक्षों की कटाई रोक दी है। पुनरुद्धार के कार्य को बढ़ाने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्रों में साल और अन्य मिश्रित प्रजातियों के बीजों का रोपण किया जाएगा।

बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड की डिवीजन का बंद होना

4483. श्री किरीट सोमैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने तलोजा स्थित ओलियोकैमिकल्स और स्पेशियलिटीज डिवीजन को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम्पनी को पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार/कम्पनी बोर्ड को कम्पनी बंद करने के पूर्व के निर्णय की समीक्षा करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार/कम्पनी बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) बामर लारी एण्ड कंपनी का तलोजा स्थित संयंत्र अव्यवहार्य हो गया है।

(ङ) और (च) प्रभावित कर्मचारियों की तरफ से कम्पनी को उनके कार्य जारी रखने या किसी अन्य विभाग को स्थानान्तरित करने या उनकी सेवा समाप्ति की क्षतिपूर्ति बढ़ाने आदि के संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ था। कम्पनी ने सेवा समाप्ति क्षतिपूर्ति में वृद्धि करने पर सहमति जताई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाएं

4484. श्री भीम दाहाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण और वन योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम सहित, में क्रियान्वयनाधीन विकास परियोजनाओं का ग़ज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर परियोजनावार कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित समयावधि क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही इस मंत्रालय की 19 योजनाओं के लिए बजट संबंधी सहायता और जारी धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। 17 प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख करते हुए विस्तृत टिप्पणियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं के लिए आगामी धनराशि देना, कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों के परियोजना प्रस्ताव मिलने पर निर्भर करता है, अधिकांश परियोजनाएं सतत स्वरूप वाली हैं।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों को आबंटित धनराशियों का राज्य-वार, स्कीम-वार विवरण

(लाख रुपये)

योजना का नाम	अरुणाचल		असम		मणिपुर		मेघालय		मिजोरम	
	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आई.ए.ई.पी.	61.04	47.87	83.95	67.15	468.73	468.73	13.61	10.21	147.66	141.03
ए.ओ.एफ.एफ.पी.	9.69	7.00	182.50	89.69	214.19	127.54	29.95	0.00	180.05	173.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एन.टी.एफ.पी.	67.53	30.00	51.62	25.00	53.94	53.94	27.72	0.00	41.67	53.45
बीज विकास योजना	4.50	0.00	0.64	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षेत्रीय केन्द्रों को समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	10.33	0.00	0.00
गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
पर्यावरण, शिक्षा और प्रशिक्षण	0.00	0.89	0.00	7.20	0.00	9.75	0.00	0.27	0.00	2.37
प्रदूषण नियंत्रण	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	12.00	0.00	8.00
प्राकृतिक उद्यानों का विकास	60.00	5.98	40.00	53.44	15.00	13.28	15.00	0.00	10.00	12.30
सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास परि-विकास	–	11.82	–	32.00	–	10.11	–	–	–	59.85
जैव मण्डल रिजर्व	0.00	2.05	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
अनुसंधान और विकास	27.30	5.70	29.60	3.90	11.60	3.60	6.80	0.50	6.20	0.00
अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना	8.18	8.18	0.00	0.00	26.33	26.33	0.00	0.00	18.02	18.02
वनस्पति उद्यानों को सहायता	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	4.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
बाघ परियोजना	–	20.50	–	87.29	–	–	–	–	–	21.43
हाथी परियोजना	40.00	19.30	50.00	25.15	0.00	0.00	40.00	20.63	0.00	0.00
भारतीय जैव विविधता संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	278.24	184.04	438.31	402.57	898.89	856.00	142.14	69.94	403.60	489.67

योजना का नाम	नागालैंड		त्रिपुरा		सिक्किम		कुल	
	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी	आवंटित	जारी
1	12	13	14	15	16	17	18	19
आई.ए.ई.पी.	59.68	38.60	94.24	37.77	187.38	109.82	1116.29	921.18
ए.ओ.एफ.एफ.पी.	19.44	10.87	106.77	0.00	68.52	69.52	811.11	477.84
एन.टी.एफ.पी.	12.89	0.00	24.72	17.25	120.10	102.00	400.19	281.64
बीज विकास योजना	3.00	3.00	17.50	12.00	9.65	0.00	37.59	15.00
क्षेत्रीय केन्द्रों को समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06	10.33

1	12	13	14	15	16	17	18	19
गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण	0.00	0.00	16.96	16.96	0.00	0.00	114.24	114.24
पर्यावरण, शिक्षा और प्रशिक्षण	0.00	0.38	0.00	3.86	0.00	2.72	0.00	27.44
प्रदूषण नियंत्रण	0.00	13.35	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	67.40
प्राकृतिक उद्यानों का विकास	10.00	9.70	10.00	19.97	10.00	12.00	170.00	126.67
सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास परि-विकास	–	0.80	–	–	–	26.00	0.00	147.78
जैव मण्डल रिजर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	30.16
अनुसंधान और विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	13.70
अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना	17.51	0.00	14.16	8.00	0.00	0.00	84.19	60.52
वनस्पति उद्यानों को सहायता	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.50	0.00	26.50
राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	5.97
बाघ परियोजना	–	–	–	–	–	–	0.02	129.22
हाथी परियोजना	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	105.08
भारतीय जैव विविधता संस्थान	–	–	–	–	–	–	0.00	0.00
कुल	137.52	146.89	284.35	126.81	395.65	340.92	2978.69	2616.84

विवरण-II

1999-2000 के दौरान उत्तर-पूर्व में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों का सारांश

जैव विविधता पारिस्थितिकी, भू-अकृतिकी नानाविध स्थल आकृतिक, अंतर्राष्ट्रीय, सीमा और खनिजों के संबंध में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अनुकूल स्थिति है। यह प्रदेश स्थानिक प्रजातियों की दृष्टि से काफी सम्पन्न है और विश्व में जैव-विविधता के लिए निर्धारित हॉटस्पॉट में से एक है। यह भारत के दो निर्धारित हॉटस्पॉट में से भी एक है। यह क्षेत्र कृषि पादपों से संबंधित जंगली पौधों की दृष्टि से भी सम्पन्न है। प्राकृतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि इस क्षेत्र का विकास सतत विकास और प्राकृतिक साहचर्य के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्व में कई योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। 1999-2000 के दौरान इन योजनाओं की स्थिति निम्नलिखित है:-

1. *एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.एफ.)*

   यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और इसे अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम में कार्यन्वित किया जा रहा है। 1998-99 के दौरान इन राज्यों को 718.08 लाख रुपए और 1999-2000 के दौरान 921.18 रुपए की धनराशि दी गई।

2. *क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम (ए.ओ.एफ.एफ.पी.)*

   यह योजना 41 जिलों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश में 9, असम में 14, मणिपुर में 4, नागालैंड में 7, त्रिपुरा में 3

और मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में प्रत्येक में 2-2, कार्यान्वित की जा रही है। मेघालय राज्य के पास खर्च न की गई शेष राशि 58.16 लाख रुपए है। 1998-99 के दौरान 529.21 और 1999-2000 के दौरान 477.84 लाख रुपए की कुल धनराशि रिलीज़ की गई थी।

3. *गैर-इमारती वन उत्पाद योजना (एन.टी.एफ.पी.)*

इस योजना के अंतर्गत सभी उत्तर-पूर्वी राज्य सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत जनजातियों पर विशेष बल दिया जाता है जिनके लिए गैर-इमारती वन उत्पाद जीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। 1998-99 के दौरान 179.70 लाख और 1999-2000 के दौरान 281.64 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी।

4. *वृक्ष और चरागाह बीज विकास योजना*

यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है तथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में कार्यान्वित की जा रही है। 1998-99 के दौरान 33.26 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई थी। बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद मेघालय और मिजोरम प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। 1999-2000 के दौरान नागालैंड और त्रिपुरा के पक्ष में 15.00 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई।

5. *क्षेत्रीय केन्द्र*

राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में से एक केन्द्र उत्तर-पूर्वी हिल युनिवर्सिटी (एन.ई.एच.यू.) द्वारा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाती है। 1998-99 के दौरान 17.12 लाख रुपए की धनराशि रिलीज़ करके 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक कार्यशाला 2 अध्ययनों के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया और 1999-2000 के दौरान 17.12 लाख और 10.33 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई।

6. *सहायता अनुदान योजना*

मणिपुर, मेघालय और नागालैंड राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों से काफी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए और उपयुक्त निर्णय किए गए। 1998-99 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 21.33 लाख रुपए और 1999-2000 के दौरान 56.15 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई।

7. *राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पेय जल निकायों का संरक्षण*

उत्तर-पूर्व में 3 आर्द्र भूमियां नामत: मणिपुर ने लोकतक झील असम से दीपार बील आर्द्र भूमि और त्रिपुरा से रूद्र सागर झील निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1998-99 में 72.48 लाख रुपए और 1999-2000 के दौरान 114.24 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई।

8. *पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण*

इसके अंतर्गत दो प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान और पारि-क्लब हैं। उत्तर पूर्व राज्यों में किसी भी केन्द्र को प्रत्यक्ष रूप से धनराशि नहीं दी जाती। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 27.47 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई।

9. *प्रदूषण को कम करने हेतु सहायता*

इस योजना के अंतर्गत तकनीकी जनशक्ति को बढ़ाने और नवीनतम उपकरणों से प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में उत्तर पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो/समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 1998-99 के दौरान 3615 लाख और 1999-2000 के दौरान 67.40 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई।

10. *राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास*

मेघालय और त्रिपुरा राज्यों ने कोई भी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। इस योजना के अंतर्गत 1998-99 के दौरान 164.04 लाख रुपए और 1999-2000 के दौरान 126.67 लाख रुपए की राशि रिलीज़ की गई।

11. *महत्वपूर्ण एवं संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास*

मेघालय राज्य से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: निधियां जारी नहीं की जा सकीं। अन्य राज्यों के लिए 1998-99 में 89.11 लाख रु. की राशि जारी की गई थी। 1999-2000 के दौरान, 147.78 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

12. जैव-मंडल रिजर्व

भारत में 10 जैव मंडल रिजर्व हैं जिनमें से 4 रिजर्व पूर्वोत्तर राज्यों में है। ये हैं: मेघालय में नोकरेक, असम में मानस और डिब्रूसैखोवा और अरूणाचल प्रदेश में दोहांग-देबांग में स्थित हैं। संबधित राज्य सरकारों को इन जैवमंडल रिजर्वों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निधियां जारी की जा रही हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान इस स्कीम के तहत 59.50 लाख रुपए जारी किए गए थे और 1999-2000 के दौरान 30.16 लाख रुपए जारी किए गए थे।

13. भोगाधिकार में समान हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता स्कीम

नवीं योजना के दौरान, यह स्कीम पूर्वोत्तर राज्यों तक भी विस्तारित कर दी गई। मणिपुर मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और वर्ष 1998-99 के दौरान उन्हें 26.46 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान 60.52 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

14. राष्ट्रीय प्राकृतिक प्रबंध प्रणाली

राष्ट्रीय प्राकृतिक प्रबंध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.) का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक स्रोतों जैसे भूमि, जल, वन, खनिज, समुद्र आदि के प्रबंधन के लिए परम्परागत पद्धतियों के साथ-साथ दूर-संवेदी प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना है ताकि सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। 1998-99 के दौरान अरूणाचल प्रदेश में 3.93 लाख रुपए के कुल परिव्यय से अरूणाचल प्रदेश में दूरसंवेदी आंकड़ों का प्रयोग करके झूम खेती क्षेत्रों को पृथक करना एवं वनाकरण का मानचित्रण शीर्षक से एक परियोजना चल रही है। वर्ष 1998-99 के दौरान तीसरी किश्त के रूप में 1.14 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.73 लाख रुपए के कुल परिव्यय से "वाटरशैड प्रायोटाइजेशन आफ बैंक बेसिन यूजिंग जी.आई.एस. एंड रिमोट सैंसिंग टैक्नीक्स" शीर्षक से एक नई परियोजना मंजूर की गई थी। पहली किश्त के रूप में 1.83 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 1999-2000 के दौरान 5.97 लाख रुपए जारी किए गए थे।

15. पर्यावरणीय अनुसंधान

देश की पर्यावरण सुरक्षा, विभिन्न विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के संरक्षण और प्रबंधन के बहुविध पहलुओं में अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है। 28.31 लाख रुपए के व्यय से 9 अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया गया और अनुसंधान के जांच परिणाम जैसे ही प्राप्त होते हैं अभिकरणों को सूचित कर दिया जाएगा।

16. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

उत्तर पूर्व के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग में है जो निगरानी रिपोर्टों की छानबीन करता है, कार्यान्वयन की समीक्षा करता है और यदि आवश्यक हो तो किसी स्थान का दौरा भी करता है।

17. जैव-विविधता

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लाभों को समुदायों व अन्य स्टेक होल्डरों के बीच समुचित एवं समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए, निर्देशों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग एवं सृजन के स्पष्ट मिशन हेतु अरूणाचल प्रदेश में एक जैव-विविधता संस्थान स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है। विशेषज्ञ दल ने संस्थान के अधिदेश, उनकी संरचना, विधा तथा अवस्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पानीपत तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता

4485. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री अरूण कुमार :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री तूफानी सरोज :
श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पानीपत तेल शोधक कारखाने में व्याप्त विभिन्न बाधाएं, हुई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ग) क्या तेल शोधक कारखाने की संस्थापित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा तेल शोधक कारखाने की संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं। तथापि, सरकार ने रिफाइनरी की हाइड्रोक्रैकर इकाई में 7 मई, 1999 को लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया था।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में रिफाइनरी के सुरक्षा पहलुओं पर विभिन्न सिफारिशें की थी। सरकार ने सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट आई.ओ.सी.एल. को भेज दी थी।

(ग) से (ङ) वर्ष 1998-99 में वास्तविक क्रूड थ्रूपुट 2.208 मिलियन मीटरी टन (मि.मी.ट.) था और वर्ष 1999-2000 में 4.153 मि.मी.ट. था, जबकि संस्थापित क्षमता 6 मि.मी.ट. प्रति वर्ष की थी। वर्ष 2000-2001 के लिए, 5.7 मि.मी.ट. क्रूड थ्रुपुट निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

4486. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र में कितने पुलों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इन पुलों के निर्माण हेतु निर्धारित की जाने वाली लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 44 पुल बनाए गए।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में 162 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। अभी से पुलों के निर्माण हेतु नियत लक्ष्य के ब्यौरे देना संभव नहीं है, यह कार्य निधियों की उपलब्धता, स्थल की जांच और परियोजना तैयारी इत्यादि पर निर्भर करता है।

विद्युत क्षेत्र में धन उपलब्ध कराना

4487. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 2000 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "सेफ्टी, सिक्योरिटी, गुड रिटर्न मस्ट फॉर ग्लोबल फंडिंग इन पावर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार जानती है कि जब तक अच्छा रिटर्न उपलब्ध नहीं होगा तब तक विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र से रिटर्न में सुधार के लिए पावर यूटिलिटीज/ राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय हालत में सुधार लाना होगा। इसीलिए सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की जुलाई, 1998 में स्थापना की गई थी तथा 14 राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भी स्थापना की गई है। इन आयोगों का प्राथमिक कार्य टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना है ताकि पावर यूटिलिटीज पर्याप्त लाभ कमा सकें। सरकार राज्यों को सुधार के लिए प्रोत्साहित करके कैटेलिटिक भूमिका अदा करती है। 2000-2001 से एक नई योजना स्कीम तैयार की गई है जिसमें वित्तीय सहायता उन राज्यों को जारी रखी जायेगी जो सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। सरकार की हाल की पहल के अनुसार दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से मीटर उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य विद्युत बोर्डों के राजस्व में सुधार होगा। इसके अलावा सरकार का उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुधारों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता देना है ताकि क्षेत्र में संयुक्त एसईआरसी की स्थापना हो सके।

उक्त उपायों से पावर यूटिलिटीज/राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार का अनुमान है जिससे क्रमिक रूप से निजी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

तेल शोधक कारखानों को विपणन अधिकार

4488. श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री भान सिंह भौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा निजी और संयुक्त क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों को विपणन अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप सरकार को कितना लाभ होगा;

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार ने निजी तथा संयुक्त क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त उत्पादों के विपणन की अनुमति दे दी है। समानान्तर विपणन योजना (स वि यो) के तहत निजी तथा संयुक्त क्षेत्र को मिट्टी तेल और एल पी जी के विपणन की अनुमति है।

प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (प्र. मू. व्य.) के तहत पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन केवल सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों के द्वारा किया जाता है। यह उत्पाद मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एल पी जी (घरेलू), मिट्टी तेल (सा. वि. प्र.), एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैं।

यात्री पोतों हेतु निविदा

4489. श्री नरेश पुगलिया: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने 1998-99 के दौरान 18 यात्री पोतों के क्रयादेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके आकार, यात्री क्षमता तथा लागत संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की खरीद इ.एफ.सी./पी.आई.बी./ सी.सी.ई.ए. के तहत आते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने प्रत्यायोजित शक्तियों से बाहर जाकर तथा हिस्सों में खरीद कर क्रयादेश दिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए कोई कार्रवाई की है तथा/या जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में वित्तीय औचित्य तथा इस प्रकार की अनियमितताएं न हों यह सुनिश्चित करने हेतु की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां! अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 75 से 100 यात्री क्षमता के मध्यम आकार के 18 जलयानों के अधिग्रहण के लिए विभिन्न भारतीय शिपयार्डों को आर्डर दिए हुए हैं। प्रत्येक जलयान की लागत लगभग 7 से 8 करोड़ रु. है।

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गोदावरी बेसिन में तेल और गैस फील्ड

4490. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने देश के पूर्वीतट और मौजूदा गोदावरी बेसिन के दक्षिण में तेल और गैस के नए फील्डों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आरम्भिक सर्वेक्षणों से अच्छी संभावनाओं के संकेत मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु इस अपतटीय क्षेत्र में किन्हीं क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) के द्वारा उथले जल में तीन नई संभावनाओं तथा गहन जल अपतटीय क्षेत्रों में दो नई संभावनाओं की पहचान की गई है। हाल ही में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के द्वारा पहचानी गई गहल जल संभावनाओं के ऊपर त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण भी किए गए हैं। उथले जल क्षेत्र में भी द्विआयामी टेलीसीज सर्वेक्षण किए गए हैं। अर्जित आंकड़ों के परिणामों के आधार पर इन संभावनाओं के ऊपर अन्वेषी वेधन आरम्भ किया जाएगा।

डाक विभाग का निजीकरण

4491. श्री सुबोध मोहिते: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नये प्रौद्योगिकों को अपनाने हेतु प्रत्येक डाकघर में साइबर केन्द्रों को खोलने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। सरकार का डाक विभाग का निजीकरण करने का विचार नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सरकार ने डाकघरों में साइबर बूथ खोलने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यावरण और वन का विकास

4492. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यावरण और वन के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वेतन और वनों के संरक्षण हेतु वर्ष-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में वनों का किस हद तक विकास किया जा रहा है, और इस संबंध में कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण और वनों के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य को 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 1433.76 लाख रुपए, 2486.99 लाख रुपए और 3340.88 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। यह पूरी धनराशि विभिन्न स्कीमों के तहत प्रारम्भ की गई विकासात्मक गतिविधियों के लिए अनुमोदित घटकों पर खर्च की जानी है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में 18800 हैक्टेयर वनों के विकास के लिए 1293.46 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी।

[अनुवाद]

देश में ताप विद्युत स्टेशन

4493. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पन बिजली की बजाय ताप विद्युत को वरीयता देती है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक कितने ताप तथा पन बिजली घर स्थापित किए गए और पन बिजली की तुलना में अधिक संख्या में ताप विद्युत स्टेशनों का विकास करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश की अधिकांश कुल पन बिजली क्षमता का दोहन नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो पन बिजली क्षमता का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जल-ताप बिजली का आदर्श अनुपात 40:60 का

है। इस अनुपात को 5वीं योजना अवधि में (मार्च, 1979) बरकरार रखा गया। हालांकि विभिन्न घटकों जैसे सिविल कार्यों में विलंब, भू-वैज्ञानिक समस्याएं, पर्यावरण एवं वन अधिनियम से संबंधित मामले, ठेका एवं कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं, धन की समस्या, पुनःव्यवस्थापन एवं पुनर्वास मामले एवं अंतःराज्यीय विवादों के कारण जल विद्युत का विकास ताप विद्युत की तरह नहीं हो सका। अर्थव्यवस्था सुधार के लिए बिजली की मांग को पूरा करने के लिए ताप विद्युत का विकास जल विद्युत विकास को काफी पीछे छोड़ गया क्योंकि ताप संयंत्रों की जल विद्युत संयंत्रों की तुलना में ताप विद्युत संयंत्रों की निर्माणावधि कम होती है और इसमें समस्याएं भी कम उत्पन्न होती हैं। वर्तमान जल-ताप के मिश्रण का अनुपात 25:75 है।

31.3.2000 को देश में स्टीम आधारित 87 ताप विद्युत केन्द्र, 41 गैस आधारित केन्द्र तथा 322 हाइडल केन्द्र हैं।

(ग) और (घ) देश के आर्थिक रूप से दोहनीय जल शक्यता 60% के लोड फैक्टर पर 84044 मेगावाट आंकी गई है, जिसमें से 13579.1 मे. वा. (16.16%) को विकसित कर लिया गया है और 5467.88 में. वा. (6.51%) देश में विकास के विभिन्न चरण में है। देश में जल विद्युत के विकास में तेजी जाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र के अधीन विद्युत निगमों की स्थापना, निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का उदारीकरण, मौजूदा जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन पर बल तथा लघु जल विद्युत विकास। जल शक्यता के द्रुत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास पर एक नीति की घोषणा की जिसमें इसके विकास के अनेक उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं समेत एक बृहत् विद्युत नीति की भी घोषणा की है।

दूरसंचार क्षेत्र में गैर-सरकारी ऑपरेटर

4494. श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री सुकदेव पासवान:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में दूरसंचार-क्षेत्र में कई ऑपरेटरों ने अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे राज्य के कितने क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) राज्य में अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाली चूककर्ता कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) दूरसंचार क्षेत्र के इन गैर-सरकारी ऑपरेटरों के असहयोग के कारण दूरसंचार सेवाएं/सुविधाएँ किस हद तक प्रभावित हुई हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जो, हां। कम्पनियों, उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवा, सेवा-क्षेत्र तथा 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार देय बकाया लाइसेंस-शुल्कों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) से (च) अनु. के क्रम सं. 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित लाइसेंस-प्राप्त कम्पनियों के सम्बन्ध में ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. मैसर्स कोशिका के मामले में बकायों का भुगतान न होने के कारण दिनांक-22.5.99 को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। मैसर्स रिलायंस नामक अन्य ऑपरेटर को उसी सेवा-क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया। इस प्रकार सेवा प्रयोक्ताओं के लिए दूसरा विकल्प उपलब्ध होगा। तथापि, दिनांक 17.4.2000 को कम्पनी को उसके निरस्त लाइसेंस की बहाली के लिए तथा नई दूरसंचार नीति, 1999 में माइग्रेशन की पेशकश दी गयी है, बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।

2. रेडियो पेजिंग सर्विस ऑपरेटरों ने तय लाइसेंस-शुल्क को कम करने, रियायती ब्याज दर पर लम्बी अवधि तक बकाया लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने, कॉलिंग पार्टी पेज (सी.पी.पी.) प्रणाली का क्रियान्वयन, डब्ल्यू.पी.सी. प्रभारों इत्यादि को कम करने—जैसे मुद्दे उठाये हैं, जो दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल द्वारा गठित समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित उप-दल के सक्रिय विचाराधीन है। इस बीच ऑपरेटरों से कहा गया है कि वे चालू बकायों (चौथे वर्ष से आगे के) का तत्काल भुगतान कर दें। सेवाओं का प्रचालन हो रहा है।

3. मैसर्स मोबाइलकॉम एक लाइसेंस प्राप्त कम्पनी को चालू बकायों के संबंध में दर्शायी गयी राशि का भुगतान करने के लिए स्मरण कराया जा रहा है। सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

विवरण

बिहार में सेवा-संचालन कर रही लाइसेंस-प्राप्त एवं लाइसेंस-शुल्क का भुगतान न करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	सेवा	कम्पनी का नाम	सेवा-क्षेत्र	31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
1.	सीएमटीएस (सर्किल)	मैसर्स कोशिका	बिहार	62.38*
2.	रेडियो पेजिंग (शहर)	मैसर्स बेलट्रॉन	पटना	0.09***
	-वही-	मैसर्स ईजी कॉल	पटना	0.09***
3.	पब्लिक मोबाईल रेडियो ट्रंक सेवा	मैसर्स मोबिल्को	धनबाद	0.01

* दर्शायी गयी राशि में पुराने भुगतानों के ब्याज शामिल नहीं हैं।

** यह लाइसेंस 22.5.99 को लाइसेंस-शुल्क का भुगतान न करने की चूक पर निरस्त कर दिया गया था। दिनांक 17.4.2000 को इस लाइसेंस-प्राप्तकर्ता को लाइसेंस की बहाली तथा एनटीपी-99-व्यवस्था में माइग्रेशन की एक पेशकश दी गयी है। बकाया दर्शायी गयी लाइसेंस-शुल्क की राशि इस प्रकार की पेशकश वाले माइग्रेशन पैकेज की शर्तों में है।

*** इस राशि को छोड़कर, चौथे एवं पाँचवें वर्ष के लिए भी लाइसेंस-शुल्क (राजस्व हिस्सेदारी के रूप में) बकाया है।

जंगली जानवरों द्वारा हमला *[हिन्दी]*

4495. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जंगली जानवरों द्वारा किए जाने वाले हमलों से हो रही लोगों की मौतों से अवगत है;

(ख) यहि हां, तो क्या सरकार का ऐसे हमलों के शिकार हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का विचार है;

(ग) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जंगली जानवर विशेषत: जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बाहर रहते हैं, मनुष्यों को चोट पहुँचाते हैं तथा ये ही मनुष्यों को घायल करते हैं और उन्हें मार डालते हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने जंगली जानवर द्वारा किसी व्यक्ति को जान से मारने या स्थाई तौर पर अक्षम कर देने के मामले में एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि की अदायगी का निर्णय लिया है। गहरी चोट के मामले में क्षतिपूर्ति राशि एक लाख रुपए का एक तिहाई भाग होगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामग्री की कमी

4496. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नासिक जिले के माले गांव क्षेत्र में अपेक्षित सामग्री की अनुपलब्धता के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबिलों के पिछले के कार्य में विलम्ब हुआ है;

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपेक्षित सामग्री के समय पर उपलब्ध न होने के कारण मालेगांव से नासिक तक सर्किल के दूरसंचार टॉवर भी कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सर्किल में समय पर अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) नासिक और मालेगांव के बीच कोई दूरसंचार टावर काम नहीं कर रहा है। दो स्टेशनों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन नीति की समीक्षा

4497. प्रो. दुखा भगत:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है;

(ग) क्या इस समीक्षा के अंतर्गत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का अद्यतन किया जाना है;

(घ) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यहि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में दूरभाष केन्द्र

4498. श्री ब्रज मोहन राम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में नए दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में दूरभाष केन्द्रों को आधुनिक बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बिहार में स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के जिले-वार ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, बिहार में 2000-2001 के दौरान 75 नए टेलीफोन एक्सचेंज तथा 2001-2002 के दौरान 80 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) बिहार में मौजूदा सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक हैं।

विवरण

बिहार में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंज

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंज:

क्र.सं.	जिले का नाम	1997-98
1	2	3
1.	पलामू	1
2.	मुजफ्फरपुर	1
3.	सीतामढ़ी	1
4.	सरन	1
5.	खगड़िया	1
6.	गुमला	1
7.	देवघर	1
8.	बेगूसराय	1
9.	पटना	1
10.	मधुबनी	2
11.	पूर्वी सिंगभूम	1

1	2	3
12.	मुंगेर	2
13.	जहानाबाद	1
14.	नवादा	1
15.	गया	2
16.	भागलपुर	1
17.	बंका	1
18.	बक्सर	1
19.	रांची	1
20.	धनबाद	1
21.	पूर्वी चंपारन	1
22.	रोहतास	1
23.	दरभंगा	2
	कुल	27

(ख) 1998-99 के दौरान स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंज:

क्र.सं.	जिले का नाम	1998-99
1	2	3
1.	पलामू	1
2.	मुजफ्फरपुर	2
3.	सीतामढ़ी	1
4.	सरन	1
5.	गुमला	1
6.	बेगूसराय	2
7.	पटना	2
8.	मधुबनी	1
9.	मुंगेर	1
10.	नवादा	1
11.	भागलपुर	1
12.	बंका	2
13.	बक्सर	1
14.	रांची	3
15.	पूर्वी चंपारन	1
16.	पश्चिमी सिंगभूम	1
17.	डुमका	1
18.	अरड़िया	1
19.	शेखपुरा	1
20.	सिवान	1
21.	कटिहार	1
22.	भोजपुर	2
23.	पाकर	1
24.	हजारीबाग	1
25.	किशनगंज	1
26.	पुरनिया	1
27.	लखीसराय	1
28.	जमुई	1
29.	पश्चिमी चंपारन	2
30.	वैशाली	1
31.	लोहारदगा	1
32.	माधेपुरा	1
	कुल	40

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंज:

क्र.सं.	जिले का नाम	1999-2000
1	2	3
1.	पलामू	4
2.	मुजफ्फरपुर	4

1	2	3
3.	सीतामढ़ी	1
4.	सरन	3
5.	गुमला	5
6.	देवघर	1
7.	बेगूसराय	1
8.	पटना	6
9.	पूर्वी सिंगभूम	4
10.	जहानाबाद	2
11.	नवादा	2
12.	गया	1
13.	भागलपुर	2
14.	बंका	2
15.	रांची	8
16.	धनबाद	2
17.	पूर्वी चंपारन	3
18.	रोहतास	2
19.	दरभंगा	3
20.	पश्चिमी सिंगभूम	1
21.	डुमका	2
22.	सिवान	1
23.	कटिहार	3
24.	भोजपुर	3
25.	हजारीबाग	4
26.	किशनगंज	2
27.	पुरनिया	2
28.	लखीसराय	4
29.	वैशाली	1
30.	माधेपुरा	2
31.	मुंगेर	1
32.	सुपॉल	1
33.	छतरा	2
34.	सहरसा	1
35.	झबुआ	2
36.	गिरीदीह	2
37.	बोकारो	2
38.	गोपालगंज	1
39.	गोड्डा	1
40.	साहेबगंज	1
41.	नालन्दा	2
42.	गढ़वा	1
43.	समस्तीपुर	2
	कुल	100

[अनुवाद]

शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जहाजों का निपटान

4499. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया कुछ जहाजों के निपटान पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जहाज निर्माण क्षेत्र के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम 2000-01 में 13 जहाजों का निपटान करना चाहता है। सरकार ने सभी प्रकार के जलयानों के लिए आर्थिक आयु नियत की है। सामान्यतया किसी जलयान की आर्थिक आयु पूरी होने के बाद जब इसकी

मरम्मत पर अत्यधिक लागत आती है तो उसका निपटान कर दिया जाता है। तथापि, कुछेक उन मामलों में जब जहाज की आर्थिक आयु पूरी नहीं होती लेकिन जहाज की वास्तविक स्थिति खराब होने के कारण उसकी मरम्मत पर अधिक लागत आती है अथवा जहाज बाजार में स्वीकार्य नहीं रहता और इस प्रकार जब उस जहाज का प्रचालन तकनीकी वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होता है, तो उसका निपटान कर दिया जाता है।

(ग) नौवहन क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) जहाजों की खरीद के लिए स्वत: अनुमोदन लागू करना।

(2) पोत मरम्मत की स्लार्टिंग संबंधी समिति को समाप्त कर दिया गया है, यह समिति इस बारे में निर्णय लेती थी कि पोत की मरम्मत किस यार्ड में करवाई जाए? अब पोत स्वामी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किसी भी यार्ड में पोत मरम्मत करवा सकते हैं।

(3) नौवहन कम्पनियां भारतीय पोतों की विदेश में बिक्री से प्राप्त राशि अपने पास रख सकती हैं ताकि इसे नई खरीद के लिए उपयोग में लाया जा सके।

(4) भारतीय पोतों को अंतर-राष्ट्रीय परस्पर व्यापार में लगाने के लिए विदेशी कम्पनियों को टाइम-चार्टर आऊट की छूट।

(5) नौवहन कम्पनियों को जलयान चार्टर-कम-डिमाइज मैथड (किराया-खरीद प्रणाली के समान) आधार पर जलयान खरीदने की अनुमति।

(6) पुराने जलयानों की खरीद के मामले में आयु मानदंडों में और छूट दे दी गई है।

(7) बड़े आकार के जलयानों के आयात को 1.4.1997 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत ला दिया गया है।

तेल के कुओं में आग

4500. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर तेल के कुओं में आग लगी;

(ख) आग लगने के क्या कारण रहे;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितना घाट हुआ;

(घ) इन कुओं की आग बुझाने में कितने दिन लगे; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 के बीच देश में किसी भी स्थान पर किसी भी तेल के कुएं में आग नहीं लगी थी।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कारागार परिसर में मुकदमे

4501. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री रामदास आठवले :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अन्तर्गत, छोटे अपराधों के लिए विचाराधीन कैदियों में से यह पता लगाने के लिए कि इनमें से किन-किन को जमानत पर छोड़ा जाए, समीक्षा करने हेतु अधिवक्ताओं की चार सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार के निर्णय लेने हेतु, निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है,

(ङ) उक्त निर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) लंबित विचाराधीन मामलों को निपटाने में इसके कहां तक सहायक सिद्ध होने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय के 13.10.1999 और 7.12.1999 को पारित आदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे विचाराधीन कैदियों, जो देश के विभिन्न जेलों में पड़े हुए हैं, के मामलों का शीघ्रतापूर्ण निपटान करने के लिए अतिआवश्यक कदम उठाने के लिए भी लिखा है।

(घ) अधिकांश राज्य सरकारों ने, छोटे-छोटे आपराधिक मामलों, जिसमें यातायात संबंधी मामले सम्मिलित हैं, को निपटाने के लिए विशेष न्यायिक मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

(ङ) और (च) इसको कार्यान्वित करने के लिए और साथ ही यह बताने के लिए कि इससे कितने का निपटारा होने की संभावना है कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4502. **श्री अरुण कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी राष्ट्रीय स्तर के संगठन को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत में उच्च मानक बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 52010 कि.मी. है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रयोग क्षमता में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है।

(घ) और (ङ) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कतिपय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है।

औरंगाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज

4503. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औरंगाबाद जिले में वर्तमान में कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ये एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय औरंगाबाद जिले में 112 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथापि, सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. ओवरहैड माध्यम पर कार्यरत सभी एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से विश्वसनीय पारेषण-माध्यम उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. सभी लाइनों के निष्पादन की दैनिक निगरानी।

3. बिजली की स्टैंड बाई व्यवस्था तथा रखरखाव मुक्त बैटरी सैट उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

4504. **चौधरी तेजवीर सिंह :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति के परिणामस्वरूप राज्य-वार कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर कुल कितनी राशि खर्च हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) लोक निर्माण विभागों की सूचना के अनुसार देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान की मरम्मत की कुल लागत नीचे दी गई है:-

(लाख रु.)

	समग्र देश में	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
1997-98	13539	1315	350
1998-99	23878	5000	200
1999-2000	22182	2000	3160

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आबंटित कुल धनराशि इस प्रकार है:-

(लाख रु.)

	समग्र देश में	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
1997-98	49750	4949.19	3313.78
1998-99	54980	6128.44	3945.04
1999-2000	68750	6105.49	5573.15

तमिलनाडु में डाकघर

4505. डा. वी. सरोजा :
डा. ए.डी.के. जयशीलन :
श्री तिरुनावकरसू :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के राशिपुरम, तिरुच्चेंदूर और पुदुक्कोट्टे क्षेत्रों में फिलहाल जिला-वार कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य और राज्य के उक्त क्षेत्रों में जिला-वार कितने डाकघर खोले गए; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य और राज्य के उक्त क्षेत्रों में स्थान-वार कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) तमिलनाडु सर्किल में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है। राशिपुरम, तिरूचेन्दुर तथा पुडुकोट्टई में इस समय कार्य कर रहे डाकघर संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-III में दर्शाई गई है।

(ग) डाकघर निर्धारित मानदंडों के आधार पर औचित्यपूर्ण पाए जाने पर खोले जाते हैं। नए डाकघर खोलना संसाधन जैसे धनराशि उपलब्ध रहने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पदों के सृजन पर निर्भर करता है। तमिलनाडु में वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर खोलने के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु सर्किल में डाकघरों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	चेन्नई	175	-	175
2.	कुड्डालोर	71	437	508
3.	कोयम्बतूर	181	444	625

1	2	3	4	5
4.	डिंडीगुल	44	422	466
5.	धर्मापुरी	40	523	563
6.	इरोडे	49	465	514
7.	कांचीपुरम	78	513	591
8.	कन्याकुमारी	29	236	265
9.	करूर	23	218	241
10.	मदुरै	93	316	409
11.	नागापट्टिनम्	55	408	463
12.	नामाक्कल	36	394	430
13.	नीलगिरि	40	143	183
14.	पुडुकोट्टई	43	301	344
15.	पेराम्बलूर	4	133	137
16.	राम एन. पुरम	39	295	334
17.	सलेम	93	364	457
18.	शिवागंगई	50	249	299
19.	थंजावुर	132	428	560
20.	थेनी	44	125	169
21.	त्रिचिन्नापल्ली	127	586	713
22.	तिरुनेलवेली	82	474	556
23.	तिरुवल्लूर	159	140	299
24.	तिरुवारूर	10	251	261
25.	तिरु.वी. मलई	25	465	490
26.	तूतीकोरिन	74	358	432
27.	वेल्लोर	88	579	667
28.	विल्लूपुरम	24	612	636
29.	विरुद्धनगर	40	245	285
	जोड़	1948	10124	12072
30.	पांडिचेरी	38	57	95
	कुल जोड़	1986	10181	12167

विवरण-II

राशिपुरम, तिरूचेन्दुर तथा पुडुकोट्टई में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	स्थान का नाम	डाकघरों की संख्या
1.	राशिपुरम तालुक	64
2.	राशिपुरम संसद सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र	313
3.	तिरूचेन्दुर तालुक	100
4.	तिरूचेन्दुर संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र	364
5.	पुडुकोट्टई जिला	338
6.	पुडुकोट्टई संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र	455

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खोले गए डाकघरों की संख्या (जिला-वार)

क्र.सं.	जिला	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	कोयम्बतूर	1	1	2
2.	एरोड	1	–	–
3.	कुड्डालोर	3	–	–
4.	चेंगलपट्टू	2	1	1
5.	कन्याकुमारी	2	–	–
6.	कांचीपुरम	1	–	1
7.	नामक्कल	3	–	–
8.	नागपट्टिनम	2	1	1
9.	तिरूवनमलाई	1	1	2
10.	वेल्लोर	5	1	2
11.	पुडुकोट्टई	2	1	1
12.	रामनाड	1	1	–
13.	तूतिकोरिन	–	1	1
14.	सलेम	–	3	1
15.	नीलगिरि	–	–	1
16.	थेनी	–	–	1
17.	त्रिची	–	–	3
18.	शिवगंगा	–	1	–
	कुल	24	12	17

उपभोक्ताओं पर पथकर लगाए बगैर सड़कों के निर्माण हेतु वित्त उपलब्ध कराना

4506. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री तिरूनावकरसू:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के आर्थिक सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं पर कोई प्रत्यक्ष पथकर लगाए बिना सड़कों के निर्माण हेतु वित्तपोषण की संभावनाओं का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि में वर्ष 1999-2000 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उपकर के माध्यम से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान सड़कों के विकास हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से कुल कितनी धनराशि दी गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) पैट्रोल और डीजल पर उपकर वसूली से प्राप्त राशि में से 1900 करोड़ रु. अनुपूरक अनुदान के जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त, 1000 करोड़ रु. की राशि केन्द्रीय सड़क निधि में अंतरित की जा चुकी है, जिसे वितरित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पानीपत तेलशोधक कारखाना

4507. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानीपत तेलशोधक कारखाने के निर्माण की कुल लागत आरंभिक अनुमानित लागत की तुलना में ज्यादा हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो आरंभिक अनुमानित लागत और वास्तव में व्यय की गई लागत में कितना अंतर है;

(ग) क्या कई विदेशी एजेंसियों को भी इस तेलशोधक कारखाने के निर्माण कार्य में लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तेलशोधक कारखाने के निर्माण कार्य के लिए उन्हें देश-वार अलग-अलग कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस रिफाइनरी के निर्माण कार्य में कोई विदेशी एजेंसी नहीं लगाई गई थी। तथापि रिफाइनरी की कुछ इकाईयों के लिए विदेशी प्रक्रिया लाइसेंसधारियों द्वारा प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति की गई थी।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण

4508. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण करने के संबंध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) के अध्यक्ष श्री जी.पी. गोयनका की अध्यक्षता में प्राईम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए विद्युत क्षेत्र सुधार संबंधी दल ने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित सिफारिशें की:-

- थर्मल उत्पादन, हाईडल उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की देखरेख के लिए मोनोलिथिक राज्य बिजली बोर्डों को चार निगमों में विभक्त करना।

- प्रबंधन अनुबंधों, संयुक्त उपक्रमों अथवा पूर्ण लाइसेंसों के जरिए वितरण का निजीकरण। इसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली तथा पारदर्शी मानदंड के जरिए किया जाना चाहिए।

- संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से पूर्णरूपेण या आर्थिक रूप से पारेषण का निजीकरण। इसमें सरकारी इक्विटी 26% से अधिक न हो।

- यह समझना कि सुधार पारेषण तथा वितरण से आरंभ हो, विशेषतया वितरण से न कि उत्पादन से।

- कृषि के लिए टैरिफ को पूर्व घोषणा के अनुसार तीन वर्षों की अवधि में 0.50 रु., 0.75 रु. तथा 1.10 रु. प्रति यूनिट की दर से बढ़ाना।

- राज्य विद्युत बोर्डों को सब्सिडी रोककर इसे राज्य बजट की ओर मोड़ना। सब्सिडी का रुख सिर्फ गरीबों तक रखना, बशर्ते कि बिजली की मासिक खपत आरंभिक खपत से अधिक न हो।

भारत सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों के सुधार में सक्रिय भूमिका निभाई है तो वे व्यावसायिक दृष्टि से कार्य कर सके। विद्युत मंत्रियों की दिनांक 26.2.2000 को आयोजित सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि दृढ़ निश्चय, उत्साह तथा अत्यधिक जरूरत के रूप में सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। सुधार कार्यनीति के मुख्य घटक ये हैं:-

(1) सभी स्तरों पर ऊर्जा ऑडिट।

(2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत मीटर देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम।

(3) कटौती तथा अन्ततः बिजली चोरी को विनिर्दिष्ट समयावधि में समाप्त करना।

(4) सब-स्टेशन को प्राथमिकता देने के जरिए सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।

यदि मौजूदा अधिनियम में यह हासिल नहीं हो पाता तो वितरण का निगमीकरण/सह-निजीकरण/निजीकरण करना ही होगा।

[हिन्दी]

चार लेन वाली सड़कों का निर्माण

4509. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में चार लेन वाली सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ख) जयपुर-दिल्ली और जयपुर-अजमेर की चार लेन वाली सड़कों की लम्बाई कितनी है;

(ग) जयपुर-दिल्ली और जयपुर-अजमेर की चार लेन वाली सड़कों के निर्माण पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त कार्यों को कब तक पूरा किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों में चार लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है और कुछ अन्य खंडों में यह कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) जयपुर-दिल्ली खंड से 178 कि.मी. में चार लेन कैरिजवे का निर्माण कर दिया गया है और 64 कि.मी. लम्बाई में यह कार्य प्रगति पर है। चार लेन बनाने के कार्य पर लगभग 346.51 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। जयपुर-अजमेर के किसी भी खंड में अब तक चार लेन नहीं बनाई गई है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के दिल्ली से गुड़गांव तक के भाग में पहले ही चार लेन बनाई जा चुकी हैं। गुड़गांव से कोटपुतली तक चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है और इसे दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कोटपुतली से अमेर तक चार लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। जयपुर-किशनगढ़ खंड का बी ओ टी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) आधार पर छह लेन कैरिजवे में उन्नयन करने का प्रस्ताव है और यह कार्य मार्च, 2001 तक शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

वल्लारपदम में कन्टेनर टर्मिनल

4510. श्री पी.सी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कोचीन के निकट वल्लारपदम स्थित कन्टेनर टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निष्पादन हेतु इस परियोजना को लंबित कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना का कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) कोचीन में कंटेनर टर्मिनल और ट्रांशिपमेंट सेंटर का विकास करने संबंधी स्कीम कोचीन पत्तन न्यास और निजी प्रचालक के संयुक्त उद्यम के जरिए शुरू करने का प्रस्ताव है। विकासकर्ता आरंभ में मौजूदा राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल का विकास करेगा और उसके बाद वल्लारपदम में यह कार्य किया जाएगा। वल्लारपदम में कार्य शुरू करने के बाद विकासकर्त्ता उपस्करों की प्रतिस्थापना किए बगैर राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल कोचीन पत्तन न्यास को सौंप देगा। पी. एंड ओ. पोर्टस, आस्ट्रेलिया इस परियोजना के लिए एकमात्र बोलीदाता हैं। कोचीन पत्तन न्यास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करना

4511. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र मलनाड में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कई वर्षों से कर्नाटक उच्च न्यायालय में बहुत से मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शीघ्र न्याय प्रदान करने और राज्य में मलनाड अथवा अन्य किसी स्थान पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) 31 दिसंबर, 1999 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में 84,486 मामले लंबित थे।

(ङ) मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करना, न्यायाधीशों के पदों की संख्या में वृद्धि करना/ विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना और माध्यस्थम् और सुलहकारी जैसी विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना भी सम्मिलित है। विवादों के समाधान के लिए एक अनुपूरक मंच के रूप में लोक अदालतों को कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

कर्नाटक सरकार का यह विचार है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में हुबली-धारवाड़ में स्थापित की जानी चाहिए। तथापि, उच्च न्यायालय ने, अभी तक प्रस्ताव पृष्ठांकित नहीं किया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने, तारीख 26 दिसंबर, 1999 के अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि उन्होंने हुबली-धारवाड़, बेलगाम, बीजापुर, बेल्लारी, गुलबर्ग और बिदर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने की मांग पर विचार करने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ से दूर किसी अन्य स्थान पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करना आवश्यक समझा जाता है, उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक समिति गठित की है।

[हिन्दी]

डाकघरों में कंप्यूटर सुविधा

4512. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितने डाकघरों में कंप्यूटर सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार कंप्यूटरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान 100-100 डाकघरों को कम्प्यूटर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस प्रयोजन के लिए डाकघरों के नाम अभिचिन्हित किए जा रहे हैं।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान संभावित व्यय लगभग 5.19 करोड़ रु. तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान लगभग 5.38 करोड़ रु. होगा।

(ग) वर्ष 2000-2001 का कार्य मार्च, 2001 तक तथा वर्ष 2001-2002 का कार्य 31 मार्च, 2002 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चूंकि यह उनकी सामान्य ड्यूटी का ही एक भाग है।

डाक विभाग को घाटा

4513. श्री बृजलाल खाबरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1999-2000 के दौरान अब तक कितना घाटा हुआ है; और

(घ) घाटे की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) डाक विभाग यों तो घाटे में नहीं चल रहा है, परंतु आय की तुलना में व्यय अधिक है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संशोधित प्राक्कलन 1999-2000 में दर्शाया गया घाटा 1740.53 करोड़ रुपए है।

(घ) चूंकि अधिकांश डाक सेवाओं की लागत उन सेवाओं के लिए वसूल किए जा रहे प्रभार से काफी अधिक है, विभाग घाटे को कम करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। हालांकि, विभाग के बजट (बजट प्राक्कलन 1999-2000) का 87.88 प्रतिशत भाग वेतन, मजदूरी तथा पेंशन आदि पर व्यय होता है, जो विभाग की ऐसी देयताएं हैं जिनके प्रति विभाग प्रतिबद्ध है, फिर भी, विभाग व्यय को नियंत्रण में रखने के लिए माह-दर-माह आधार पर व्यय की सूक्ष्म मानीटरिंग कर रहा है। सूक्ष्म मानीटरिंग तथा कड़े प्रशासनिक कदमों के कारण विभाग अपने व्यय को 1996-97 से लेकर 1999-2000 तक पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा के भीतर रखने में सफल रहा है। विभाग विशेष रूप से स्पीड पोस्ट प्रचालन को मजबूत बनाकर अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिए सतत् प्रयास कर रहा है तथा सभी प्रीमियम डाक उत्पादों की जोर-शोर से मार्केटिंग करने के अलावा ग्रीटिंग पोस्ट, डाटा आधारित पोस्ट तथा मीडिया पोस्ट आदि कुछ नई स्कीमें शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। यह पिछले चालू वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि होने से स्पष्ट है। वर्ष 1996-97 में राजस्व प्राप्तियां 1214.62 करोड़ रु. थी जो 1998-99 में बढ़कर 1722.57 करोड़ रु. तथा 1999-2000 (फरवरी, 2000 तक) में 1812.41 करोड़ रुपए हो गई।

[अनुवाद]

कालीकट, केरल में रसोई गैस कनेक्शन

4514. श्री के. मुरलीधरन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में रसोई गैस के कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में बहुत से उपभोक्ता दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची कब तक निपटा दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्तमान में केरल के कालीकट जिलान्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियों के एल पी जी वितरकों के पास कुल प्रतीक्षा सूची संख्या 68,575 है।

नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देश भर में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार की 1 दिसंबर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

हाईड्रोकार्बन विजन-2025

4515. डा. ए.डी.के. जयशीलन :
श्री एम.वी.वी.एस. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा 49 प्रतिशत तक सीमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री को प्रस्तुत "हाईड्रोकार्बन विजन 2025" रिपोर्ट में तेलशोधक कारखाने स्थापित करने हेतु शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए जाने की सिफारिश की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कतिपय तेलशोधक कारखानों के पेट्रोलियम क्षेत्र विशेषकर इस का वर्ष 2002 से उदारीकरण किए जाने के बाद इनके द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु इनका विलय बड़ी विपणन वाली तेल कंपनियों के साथ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो विलय किए जाने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(च) भारतीय तेलशोधक कारखानों को उदारीकरण की प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां। फिलहाल शोधन क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा 49 प्रतिशत है।

(ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट में शोधन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की उच्चतम सीमा 49 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।

(घ) से (च) सरकार को अभी इस विषय पर कोई निर्णय लेना है।

विद्युत शुल्क संबंधी समिति

4516. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में विद्युत शुल्क बढ़ाने से संबंधित मामले पर पुनर्विचार करने हेतु राज्यों के विद्युत मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) 16 अक्टूबर एवं 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत के लिए एक सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया गया जिसमें यह व्यवस्था थी कि कोई भी क्षेत्र आपूर्ति की औसत लागत (विद्युत उत्पादन एवं पारेषण और वितरण प्रणाली संबंधी लागत) के 50% से कम का भुगतान नहीं करेगा। कृषि क्षेत्र के लिए टैरिफ 50 पैसे प्रति किलोवाट घंटा से कम नहीं होगा जिसे 3 वर्षों से कम के ही समय में औसत लागत के 50% तक लाया जायेगा।

भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 लागू किया है। इस अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार अपने-अपने राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कर सकते हैं। अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य नियामक आयोगों को राज्य के अंदर रिटेल टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। धारा 29(5) के अनुसार यदि राज्य सरकार उपभोक्ता या उपभोक्ता के राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ से सहायता लेती है, तो राज्य सरकार को इस आर्थिक सहायता लेने से प्रभावित व्यक्ति को इस प्रकार मुआवजा देना पड़ेगा, जैसा कि राज्य आयोग निदेश देता है। अभी तक चौदह राज्यों ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है/गठित कर लिया है।

[हिन्दी]

गुजरात में डाकघर

4517. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री पी.एम. गढ़वी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों नये डाकघर स्वीकृत किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में नये डाकघरों को खोलने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार को गुजरात के कुछ गांवों में डाकघरों, उप डाकघरों को खोलने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) गुजरात के बलसाड जिले में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जो डाकघर खोलने के निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं;

(ज) जिले में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर अभी तक डाकघर नहीं खोले गये हैं;

(झ) इन स्थानों पर उक्त डाकघरों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ञ) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में स्थान-वार कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में 28 शाखा डाकघर तथा शहरी क्षेत्रों में 2 उप डाकघर मंजूर किए गए तथा खोले गए।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नए डाकघर वार्षिक योजना के एक भाग के रूप में खोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को उसी वर्ष प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

(घ) नए डाकघर खोलने के लिए कुल 62 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) शाखा डाकघर खोलने के लिए 51 अभ्यावेदन तथा उप डाकघर खोलने के लिए 11 अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

(च) 39 प्रस्तावों की जांच पूरी हो गई है तथा वे नए डाकघर खोलने के मौजूदा विभागीय मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं पाए गए। शेष प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

(छ) वलसाड जिले में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो नए डाकघर खोलने के मौजूदा विभागीय मानदंडों को पूरा करता हो।

(ज) और (झ) उपर्युक्त (छ) को ध्यान में रखते हुए उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(ञ) वर्ष 2000-2001 के लिए नए डाकघर खोलने के लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं। नए डाकघर खोलना धनराशि की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित मदों की मंजूरी पर निर्भर करता है।

विवरण

1999-2000 के दौरान खोले गए डाकघरों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3
शाखा डाकघर		
1.	बनासकांठा	5
2.	साबरकांठा	4
3.	खेडा	1
4.	वडोदरा	4
5.	वलसाड	2
6.	नवसारी	1
7.	भरूच	1
8.	नर्मदा	1
9.	सूरत	1
10.	दाहोद	4
11.	पंचमहल	2
12.	पोरबंदर	1
13.	राजकोट	1
	कुल	28
उप डाकघर		
1.	मेहसाना	1
2.	खेड़ा	1
	कुल	2

विशेष पर्यावरण अदालत

4518. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उन विभिन्न निर्णयों की जांच की है जिनमें उक्त न्यायालय ने पर्यावरण संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों को निपटाने हेतु विशेष पर्यावरण अदालत गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्र और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए कठोर उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय की, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली में ओलियम गैस लीक होने के मामले में, टिप्पणी के पश्चात् जिसमें कि पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना किए जाने के बारे में सुझाव दिया गया था, सरकार

ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 नामक एक कानून बनाया है, जिसमें किसी भी जोखिमपूर्ण पदार्थ की हथलाई के समय होने वाली किसी दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए कड़ी दायिता का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण का प्रावधान है जो कि ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों का कारगर और शीघ्र निपटान करे। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत एक राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया है।

केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के पास जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निर्धारित शक्तियां हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों की विधिक क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि मामलों का शीघ्र निपटान हो सके।

[अनुवाद]

असम में रसोई गैस एजेंसियां

4519. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम में नलबारी, बारपेटा और बोंगाईगांव तथा गुवाहाटी शहर में रसोई गैस वितरकों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रसोई गैस एजेंसियों के लिए लंबित अभ्यावेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) असम में नलबाड़ी जिले में तिहू, बरपेटा जिले में सारथेबाड़ी, हाठली और अभोयापुरी तथा कामरूप जिले में गुवाहाटी (मिरजा) नामक स्थानों को 1996-98 की एल पी जी विपणन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के संबंध में समय-समय पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिया जाता है। चयन, डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने में लगभग 6-12 माह लग जाते हैं।

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

4520. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के बेतिया जिले में किन-किन स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियां स्थापित की गयी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन एजेंसियों को रसोई गैस के कितने अतिरिक्त कनैक्शन प्रदान किये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों के पास नये कनैक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है; और

(घ) जारी किये गये अतिरिक्त कनैक्शनों का ब्यौरा क्या है और इन जिलों में एजेंसी-वार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) फिलहाल बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में बेतिया में 3 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं। इन तीन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में जारी किए गए कनेक्शनों तथा उनकी वर्तमान प्रतीक्षा सूचियां नीचे दी गई हैं:-

डिस्ट्रीब्यूटर का नाम	1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान जारी किए एलपीजी कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
नूतन गैस	700	1051
राधिका ज्योति गैस एजेंसी	1903	286
प्राज्ञ गैस एजेंसी	1562	558

आंध्र प्रदेश को बिटूमैन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

4521. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन आंध्र प्रदेश को पेट्रोलियम और बिटूमैन की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने आंध्र प्रदेश को कितनी मात्रा में पेट्रोलियम, बिटूमैन और अन्य उत्पादों की आपूर्ति की और इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम ने जानबूझकर कुछ उत्पादों की आपूर्ति कम कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने डामर की आपूर्ति जानबूझकर कम की है; और

(च) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की मार्केटिंग रणनीति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश को 1999-2000 में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्त बिटुमेन सहित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकड़े एमटी में)

उत्पाद	मात्रा
1	2
मोटर स्पिरिट	143899
हाई स्पीड डीजल	854422
एस के ओ	81540
एल पी जी	77677(अनन्तिम)
नाफ्था	11
ए टी एफ	6542
बिटुमेन	37100
एफओ/एलएसएचएस	98841
एल डी ओ	2667
स्नेहक/ग्रीस	7397
अन्य	13047

(ग) से (च) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा आंध्र प्रदेश को की गई पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में सामान्यतया पिछले वर्ष की तुलना में 1999-2000 में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

प्रमुख पत्तनों का विकास

4522. श्री प्रभात सामंतराय :
श्री दिनशा पटेल :
श्री सुनील खां :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना अवधि के दौरान देश में प्रमुख पत्तनों के बुनियादी ढांचे के विकास/उन्नयन के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) प्रत्येक प्रमुख पत्तन के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) महापत्तनों का अवसंरचनात्मक विकास/उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। नौवीं योजना के दौरान विभिन्न पत्तनों पर क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु शुरू की जाने वाली मुख्य स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। महापत्तनों के विकास हेतु नौवीं योजना में वर्ष-वार नियत निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान महापत्तनों पर 20 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग क्षमता और जोड़ी गई है।

विवरण-I

क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु नौवीं योजना के दौरान विभिन्न महापत्तनों पर शुरू की जाने वाली स्कीमें

क्र.सं.	पत्तन/परियोजना का नाम	क्षमता में बढ़ोत्तरी (9वीं योजना)		क्षमता में बढ़ोत्तरी (10वीं योजना)
		चालू स्कीमें	नई स्कीमें (मिलियन टन)	
1	2	3	4	5
I.	कलकत्ता/हल्दिया			
1.	तीसरी तेल जट्टी का निर्माण	–	6.00	–
2.	रसायन हैंडलिंग जट्टी का निर्माण	–	1.50	–
3.	बर्थ सं. 5 के साथ बहुउद्देशीय बर्थ का निर्माण	–	1.50	–
4.	दो बहुउद्देशीय बर्थों का निर्माण (बर्थ सं. 12 और 4ए)			
	बर्थ सं. 12	–	0.40	–
	बर्थ सं. 4 ए	–	1.50	–
	कुल	–	10.90	–
II.	पारादीप			
1.	कोयला हैंडलिंग सुविधाएं (ए डी बी स्कीम)	20.00	–	–
2.	तेल बर्थ और रिसैप्शन सुविधाओं का निर्माण	–	6.00	–
3.	दूसरे बहुद्देशीय कार्गो बर्थ का निर्माण	–	1.00	–
4.	पश्चिमी क्वे का निर्माण	–	2.00	
5.	आबद्ध उर्वरक हैंडलिंग सुविधाएं	–	2.50	–
	कुल	20	11.50	–
III.	विशाखापत्तनम			
1.	एल पी जी बर्थ का निर्माण	1.00	–	–
2.	इनर हारबर में बहुद्देशीय बर्थ का निर्माण	1.00	–	–
3.	आउटर हारबर में बहुद्देशीय बर्थ का निर्माण	–	0.70	–
4.	इनर हारबर के विस्तारित उत्तरी छोर में चार बहुद्देशीय बर्थों का निर्माण	–	2.40	–
5.	इनर हारबर के अतिरिक्त बर्थ का निर्माण	–	0.80	–
	कुल	2.00	3.90	–

1	2	3	4	5
IV.	चेन्नई			
1.	इन्नौर में नये पत्तन का निर्माण	8.00	8.00	–
2.	कंटेनर टर्मिनल को 290 मी. और बढ़ाना (केवल सिविल कार्य)	–	0.50	–
3.	अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग उपस्करों का प्रावधान	–	2.60	–
4.	तीन 20 एम टी जेट्टी टाइप व्हार्फ क्रेनों का प्रावधान	–	1.00	–
5.	पश्चिमी क्वे बर्थ का आधुनिकीकरण	–	–	1.00
6.	एस क्यू III और पूर्वी क्वे बर्थों का आधुनिकीकरण	–	–	0.70
	कुल	8.00	12.10	1.70
IV.	टूटीकोरिन			
1.	बर्थ नं. 7 पर कंटेनर टर्मिनल	–	2.25	1.35
2.	8वां कार्गो बर्थ	–	1.50	–
3.	(–) 7 मी. गहराई में उथले जल का निर्माण	–	0.25	–
4.	कैपिटल निकर्षण	–	3.40	–
5.	एस ई पी सी जट्टी	–	–	1.50
	कुल	–	7.40	2.85
VI.	कोचीन			
1.	पुथूवीपियन में एलपीजी/एलएनजी टर्मिनल	–	–	2.50
2.	वलारपदम टर्मिनल	–	–	5.00
	कुल	–	–	7.50
VII.	नव मंगलूर			
1.	रिफाइनरी विस्तार हेतु पत्तन सुविधाएं (एमआरपीएल)	–	8.50	–
2.	तेल जट्टी (बहुप्रयोक्ता)	–	3.00	–
3.	आबद्ध कोयला बर्थ	–	–	4.50
4.	बी ओ टी आधार पर एक बर्थ	–	–	4.50
5.	अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ	–	–	0.50
	कुल	–	11.50	9.50

1	2	3	4	5
VIII.	मुरगांव			
1.	एम ओ एच पी का आशोधन	–	1.00	–
2.	पुराने बर्थ का पुन: संरेखण/बर्थ सं. 5ए और 6ए का निर्माण	–	5.00	–
3.	बर्थ सं. 10 और 11 मूरिंग बोया को गहरा करना	–	2.80	–
4.	एफ आर एच मास्टर प्लान बर्थ	–	–	2.00
	कुल	–	8.80	2.00
IX.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन			
1.	मैरीन रसायन टर्मिनल (3 बर्थ)	–	–	15.00
2.	फीडर बर्थ	–	1.20	–
3.	नया कंटेनर टर्मिनल	–	7.80	–
4.	तरल कार्गो बर्थ	–	5.50	–
	कुल	–	14.50	15.00
X.	मुम्बई			
1.	सबमैरीन पाइपलाइनों को बदलना	7.00	–	–
2.	1, 2, 3 जट्टी का आधुनिकीकरण	–	–	4.00
3.	दूसरी तरल रसायन बर्थ	–	–	3.00
4.	कोयला जट्टी का निर्माण	–	–	1.50
	कुल	7.00	–	8.50
XI.	कांडला			
1.	तीसरी तेल जट्टी का निर्माण	2.00	–	–
2.	चौथी तेल जट्टी का निर्माण	2.00	–	–
3.	सामान्य कार्गो बर्थ 9 और 10	–	–	2.50
4.	अतिरिक्त कार्गो बर्थ (8वां)	1.25	–	–
5.	11 तथा 12 कार्गो बर्थ	–	–	2.50
6.	कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं	–	2.40	–

1	2	3	4	5
7.	कच्चे तेल की हैंडलिंग के लिए वडीनार में अतिरिक्त सुवधाएं	–	10.00	–
8.	वडीनार में बहुद्देशीय बर्थ और अवसंरचना का विकास	–	–	2.50
9.	मैसर्स इफको द्वारा निर्मित की जाने वाली पांचवीं तेल जट्टी	–	2.00	–
10.	वडीनार में मैसर्स एस्सार रिफाइनरी द्वारा पत्तन से संबंधित सुविधाओं की स्थापना (एस बी एम आई ओ एम टी × एक बर्थ 5 एम टी)	–	15.00	–
11.	टूना बंडर का विकास	–	–	0 85
12.	जफरवाड़ी बंडर का विकास	–	–	0.85
13.	बी पी सी एल द्वारा पी ओ एल जट्टी	–	2.00	–
14.	आई ओ सी आभासी जट्टी को स्थायी जट्टी में परिवर्तित करना	–	2.00	–
15.	अपेडा द्वारा बर्थ सं. 5ए पर सुविधाओं का विकास	–	0.35	–
	कुल	5.25	33.75	9.20
	कुल जोड़	42.25	114.35	56.25

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के मामले में वर्ष-वार आबंटित/उपयोग में लाई गई राशि

(करोड़ रु.)

	पत्तन का नाम	1997-98 वास्तविक व्यय	1998-99 वास्तविक व्यय	1999-2000 वास्तविक व्यय	2000-2001 अनुमोदित परिव्यय	2001-2002 अनन्तिम
	1	2	3	4	5	6
1.	कलकत्ता हल्दिया सहित	28.11	61.36	82.24	279.14	294.00
2.	मुम्बई	75.61	52.46	200.32	217.99	447.90
3.	ज.ला. नेहरू	106.75	21.16	50.51	101.70	300.00
4.	चेन्नई	123.10	225.86	289.88	228.50	406.00
5.	कोचीन	10.04	19.93	21.53	26.00	200.00

1	2	3	4	5	6
6. विशाखापत्तनम	55.29	51.30	91.30	138.40	458.20
7. कांडला	50.90	50.19	62.99	109.93	231.20
8. मुरगांव	7.78	31.05	25.50	50.21	163.00
9. पारादीप	117.62	199.73	235.47	275.52	279.00
10. नव मंगलूर	20.58	14.81	40.67	90.00	309.00
11. टूटीकोरिन	16.07	48.36	196.44	72.60	90.00
कुल	611.85	776.21	1296.85	1589.99	3178.30

[हिन्दी]

तेलशोधक क्षमता

4523. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में विभिन्न तेलशोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में तेल शोधन क्षमता को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी कुछ वर्षों के दौरान देश में तेल शोधन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) देश में विभिन्न रिफाइनरियों की वर्तमान क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) देश में शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार द्वारा शोधन क्षमता में वृद्धि की अनुमति तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में नई रिफाइनरियां लगाना,
2. शोधन क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करना, तथा
3. घरेलू रिफाइनरियों को शुल्क संरक्षण देना।

(घ) वर्तमान अनुमान के अनुसार ऐसी संभावना है कि वर्ष 2001-02 की समाप्ति तक देश में शोधन क्षमता बढ़कर करीब 129 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष तक हो जाएगी और दसवीं योजना अवधि की समाप्ति तक इसके 160 से 170 मि.मी. टन प्रति वर्ष के स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

विवरण

शोधन क्षमता

(मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	आईओसीएल, डिग्बोई	0.65
2.	आईओसीएल, गुवाहटी	1.00
3.	आईओसीएल, बरौनी	4.20
4.	आईओसीएल, हल्दिया	3.75
5.	आईओसीएल, मथुरा	8.00
6.	आईओसीएल, पानीपत	6.00
7.	आईओसीएल, कोयाली	12.50
8.	बीपीसीएल, मुम्बई	6.90
9.	एचपीसीएल, मुम्बई	5.50
10.	एचपीसीएल, विशाख	7.50
11.	सीआरएल, कोचीन	7.50

12.	सीपीसीएल, चेन्नई	6.50
13.	सीपीसीएल, नरीमनम	0.50
14.	बीआरपीएल, बोंगईगांव	2.35
15.	एनआरएल, नुमालीगढ़	3.00
	उप योग	75.85
(ख) संयुक्त क्षेत्र		
1.	एमआरपीएल, मंगलौर	9.69
(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र		
1.	आरपीएल, जामनगर	27.00
	कुल क्षमता	112.54

[अनुवाद]

तमिलनाडु में टेलीफोन अदालत

4524. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक तमिलनाडु में कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं;

(ख) कितने मामले प्राप्त हुए तथा इसमें से प्रत्येक अदालत द्वारा कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) टेलीफोन उपभोक्ताओं को दी गई राहत का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आयोजित टेलीफोन अदालतों की संख्या इस प्रकार है:

1997-98	–	48
1998-99	–	64
1999-2000	–	69

(ख) इन अदालतों में प्राप्त मामलों की संख्या तथा इन अदालतों में निबटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

	प्राप्त मामले	निबटाए गए मामले
1997-98	1239	1239
1998-99	1552	1552
1999-2000	1584	1584

(ग) अदालतों में नए टेलीफोन कनेक्शनों, टेलीफोन शिफ्ट, टेलीफोन बंद करने पर धनराशि वापस करने, किराया छूट, अधिक मीटर पठन संबंधी शिकायतों की जांच की गई और इनका निबटान किया गया। जहां कहीं न्यायोचित था, धन संबंधी राहत दी गई!

गहरे जल में खोज

4525. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. ने पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर गहरे जल में व्यापक खोज संबंधी कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर भूकंपीय अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अध्ययन को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ एन जी सी ने मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) ने प्रथम गहन जल कूप का वेधन वर्ष 1983 में कृष्णा-गोदावरी (के जी) अपतट में किया था। गहन जल क्षेत्र के अंतर्गत आज की तारीख तक छः संभावनाओं (पूर्व तथा पश्चिम तट, दोनों के अंतर्गत) में सात कूपों का वेधन किया गया है। पूर्वी

तट में वेधित पांच कूपों में से दो कूप हाइड्रोकार्बनयुक्त हैं। पश्चिमी तट में वेधित दो कूपों में से एक कूप शुष्क निकला तथा दूसरा परीक्षणाधीन है।

9वीं योजना अवधि के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी तट के गहन जल क्षेत्रों के अंतर्गत सात अन्वेषी कूप योजनाबद्ध हैं। अब तक पांच कूपों का वेधन किया गया है जिसमें एक कूप परीक्षणाधीन (1 अप्रैल, 2000 को) है। इसके अलावा 3041 एल के एम द्विआयामी तथा 32194 एलकेएम त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े का अर्जन किया गया है।

वर्ष 1999 के दौरान की गई मध्यावधि पुनरीक्षा के आधार पर 9वीं योजना की शेष अवधि के दौरान गहन जल क्षेत्रों में 22,500 लाइन किलोमीटर (एल के एम) द्विआयामी, 1,19,000 एल के एम त्रिआयामी आंकड़ा अर्जित करने तथा आठ कूपों का वेधन करने का विचार है।

(ग) और (घ) 1 अप्रैल, 2000 को पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट क्षेत्रों, दोनों के अंतर्गत अर्जित कुल भूकंपीय आंकड़ा निम्नवत है:-

	द्विआयामी-लाइन किलोमीटर	त्रिआयामी-लाइन किलोमीटर
उथला जल	400038	424751
गहन जल	115811	39610

(ङ) चूंकि पूर्वी तथा पश्चिमी तट बेसिन दोनों ही पेट्रोलयुक्त हैं, इसलिए विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय आंकड़ा, अर्जन, संसाधन, निर्वचन एक अनवरत प्रक्रिया है।

(च) और (छ) कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन के द्वारा की गई/की जा रही विभिन्न कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- विद्यमान कूपों (रुग्ण/उत्पादनशील) की मरम्मत एवं सफाई करना,
- उत्पादन दरों को कायम रखने/बढ़ाने के लिए कृत्रिम लिफ्ट/कूपों का उत्प्रेरण,
- उन्नत एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का समावेश,
- स्त्रीप एरिया को कम करने के लिए अतिरिक्त इनफिल कूपों का वेधन,
- जल अंत:क्षेपण का पुनर्वितरण,
- मेहसाना की भारी तेल पट्टी में फायर फ्लडिंग,
- चक्रीय वाष्प उत्प्रेरण,
- कृत्रिम लिफ्ट इष्टतमीकरण,
- लंबी दूरी साइड ट्रेकिंग,
- विद्यमान कूप प्लेटफार्मों पर क्लेम्प-ऑन संरचनाओं के माध्यम से अतिरिक्त कूपों का वेधन।

मुंबई हाई तेल क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की हिस्सेदारी

4526. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार मुंबई हाई तेल खोज क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) ने इस संबंध में सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके द्वारा अपनी हिस्सेदारी का एक भाग कम करने के कारण मुंबई हाई तेल क्षेत्रों से गैस और तेल की खोज में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तेल पूल में घाटा

4527. श्री सुनील खां : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में रसोई गैस और मिट्टी के तेल में की गई वृद्धि का तेल पूल के घाटे पर कोई असर पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) एल पी जी (पैक्ड धरेलू) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल सहित पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्यों के हाल के संशोधन के फलस्वरूप तेल पूल खाते में अनुमानित घाटा वार्षिक आधार पर लगभग 5400 करोड़ रुपए कम हो जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघर

4528. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री राजो सिंह :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में विशेषकर शेखपुरा और लखीसराय क्षेत्र में जिलावार कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य और उक्त क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक जिलावार कितने डाकघर खोले गए;

(ग) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए कितने आवेदन कब से लंबित पड़े हैं;

(घ) उक्त आवेदनों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी और डाकघर खोल दिए जाएंगे; और

(ङ) 2000-2001 के दौरान राज्य में विशेषकर शेखपुरा, लखीसराय, दरभंगा, जमुई, गोड्डा, देवधर, दुमका और मुंगेर में स्थानवार कितने ऐसे डाकघर खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बिहार में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या विवरण-I में दर्शाई गई है जिनमें शेखपुरा तथा लखीसराय जिले भी शामिल हैं।

(ख) बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) डाकघर खोलने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

1998-99	1999-2000	2000-2001
45	432	63

(घ) डाकघर खोलने के आवेदनों पर निर्णय मानदण्ड आधारित औचित्य अर्थात् दूरी, जनसंख्या तथा वित्त प्रबंध के आधार पर किया जाता है।

(ङ) डाकघर विनिर्धारित मानदण्डों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाए जाने पर खोले जाते हैं। डाकघर खोलना संसाधनों की उपलब्धता जैसे धनराशि तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। बिहार में वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर खोलने के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार बिहार सर्किल में डाकघरों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	अररिया	5	155	160
2.	औरंगाबाद	9	263	272
3.	बांका	1	188	189
4.	बेगूसराय	13	217	230
5.	भभुआ	2	101	103
6.	भागलपुर	29	244	273

1	2	3	4	5
7.	भोजपुर	18	272	290
8.	बोकारो	25	123	148
9.	बक्सर	10	182	192
10.	छतरा	2	82	84
11.	देवधर	17	144	161
12.	धनबाद	68	122	190
13.	दरभंगा	20	301	321
14.	दुमका	12	265	277
15.	पू. चंपारण	13	406	419
16.	पू. सिंहभूम	30	166	196
17.	गढ़वा	1	83	84
18.	गया	25	362	387
19.	गिरिडीह	7	181	188
20.	गोड्डा	2	145	147
21.	गोपालगंज	4	224	228
22.	गुमला	3	247	250
23.	हजारीबाग	19	200	219
24.	जमुई	4	134	138
25.	जहानाबाद	3	167	170
26.	कटिहार	8	175	183
27.	खगड़िया	4	138	142
28.	किशनगंज	2	86	88
29.	कोडरमा	3	47	50
30.	लखीसराय	4	51	55
31.	लौहारडागा	3	150	53
32.	मधेपुरा	9	198	207
33.	मधुबनी	13	410	423
34.	मुजफ्फरपुर	29	398	427

1	2	3	4	5
35.	मुंगेर	13	131	144
36.	नालंदा	16	316	332
37.	नवादा	5	195	200
38.	पाकुर	2	67	69
39.	पलामू	9	252	261
40.	पटना	102	316	418
41.	पूर्णिया	3	179	182
42.	रांची	54	338	392
43.	रोहतास	12	283	295
44.	सहरसा	7	166	173
45.	साहिबगंज	6	89	95
46.	समस्तीपुर	10	395	405
47.	सारण	13	368	381
48.	सिओहर	2	40	42
49.	शेखपुरा	5	84	89
50.	सीतामढ़ी	10	280	290
51.	सीवान	8	293	301
52.	सुपौल	8	193	199
53.	वैशाली	8	257	265
54.	प. सिंहभूम	17	191	208
55.	पू. चंपारण	11	269	280
	जोड़	736	11229	11965

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में खोले गए डाकघरों की संख्या (जिला-वार)

क्र.सं.	जिला	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	अररिया	–	1	–
2.	औरंगाबाद	1	1	2

1	2	3	4	5
3.	बांका	1	2	–
4.	बेगूसराय	–	1	–
5.	भभुआ	–	–	–
6.	भागलपुर	1	4	1
7.	भोजपुर	–	1	–
8.	बोकारो	–	–	–
9.	बक्सर	–	2	–
10.	छतरा	–	–	1
11.	देवघर	–	1	–
12.	धनबाद	–	–	–
13.	दरभंगा	1	2	8
14.	दुमका	4	2	–
15.	पू. चंपारण	2	1	–
16.	पू. सिंहभूम	1	3	–
17.	गढ़वा	–	–	–
18.	गया	–	1	–
19.	गिरिडीह	–	–	1
20.	गोड्डा	–	1	–
21.	गोपालगंज	4	2	2
22.	गुमला	–	–	1
23.	हजारीबाग	–	2	–
24.	जमुई	1	–	1
25.	जहानाबाद	–	–	–
26.	कटिहार	–	–	–
27.	खगड़िया	1	–	2
28.	किशनगंज	–	–	–
29.	कोडरमा	–	–	–
30.	लखीसराय	–	–	–

1	2	3	4	5
31.	लौहारडागा	–	–	–
32.	मधेपुरा	–	1	1
33.	मधुबनी	2	4	1
34.	मुजफ्फरपुर	–	2	2
35.	मुंगेर	–	3	–
36.	नालंदा	1	2	5
37.	नवादा	–	2	–
38.	पाकुर	1	–	–
39.	पलामू	–	2	1
40.	पटना	–	5	–
41.	पूर्णिया	–	1	–
42.	रांची	5	8	1
43.	रोहतास	–	3	–
44.	सहरसा	–	2	–
45.	साहिबगंज	2	–	–
46.	समस्तीपुर	1	2	3
47.	सारण	2	1	–
48.	सियोहर	–	1	–
49.	शेखपुरा	–	1	–
50.	सीतामढ़ी	–	1	–
51.	सीवान	–	–	1
52.	सुपौल	1	2	–
53.	वैशाली	–	–	17
54.	प. सिंहभूम	3	4	–
55.	पू. चंपारण	–	–	–
	जोड़	35	74	51

[अनुवाद]

जब्त संपत्ति के अपीलीय न्यायाधिकरण में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

4529. सरदार बूटा सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब्त संपत्ति के अपीलीय न्यायाधिकरण में अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उप-सभापति और सदस्यों की नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति/जनजातियों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार जब्त संपत्ति के अपीलीय न्यायाधिकरण में अध्यक्ष/सभापति, उपाध्यक्ष/उप-सभापति और सदस्य के रूप में कुल कितने व्यक्ति नियुक्त हैं; और

(घ) उक्त पदों पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त हैं और कुल पदों में उनका प्रतिशत कितना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण के एक अध्यक्ष पद और दो सदस्यों के पदों के लिए नियुक्ति तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के आधार पर की जाती है। उक्त अधिनियम और नियम उक्त पदों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। 1 जनवरी, 1996 को न्यायमूर्ति श्रीमती एस. दुग्गल अध्यक्ष के रूप में और श्रीमती कमलेश शुक्ल सदस्य के रूप में कार्य कर रही थी। उस तारीख को सदस्य का दूसरा पद रिक्त था।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4530. श्री रामदास आठवले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार रसोई गैस कनेक्शनों के लिए देश में राज्यवार कितने व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया था;

(ख) देश में कितने व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और उनमें से कितने लोगों के पास डी.बी.सी. सुविधा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता आधार पर वर्षवार और राज्यवार कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.1.2000 तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास एल पी जी कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 89.08 लाख है।

(ख) 1.1.2000 तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास ग्राहकों की कुल संख्या 438.88 लाख है तथा इसमें से 297.85 लाख ग्राहकों के पास दोहरे सिलेंडर की सुविधा है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के लिए टेलीफोन डाइरेक्टरियां

4531. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों से उड़ीसा में टेलीफोन-डाइरेक्टरियां जारी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और किन-किन शहरों के लिए डायरेक्टरियां जारी नहीं की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा टेलीफोन-डाइरेक्टरियां समय से जारी कराना और इसका शुद्धिपत्र सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) बेहरामपुर को छोड़कर, उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में 1998-99 के दौरान सभी दूरसंचार-जिलों में टेलीफोन निदेशिकाएं प्रकाशित कराई गई थीं। उड़ीसा सरकार मुद्रणालय, कटक की चूक के कारण, उक्त दूरसंचार जिलों में निदेशिकाओं के प्रकाशन में विलंब हुआ था, जिसे इन दो वर्षों में निदेशिकाएं छापने का काम दिया गया था।

(ग) भुवनेश्वर, राउरकेला, कोरापुट, बोलनगीर, बेहरामपुर दूरसंचार-जिलों की निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष 6 दूरसंचार जिलों, अर्थात् बारीपद, बालासोर, भवानी पटना, कटक, धेनकनाल तथा संबलपुर-दूरसंचार-जिलों की निविदाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

हल्दीबाड़ी में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार

4532. श्री अमर रायप्रधान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए और इनके क्या परिणाम निकले?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) बेहतर एस.टी.डी. सेवाएं प्रदान करने के लिए 15 जावक और 15 आदक जंक्शनों सहित 120 चैनल डिजिटल यू.एच.एफ. के जरिए हल्दीबाड़ी एक्सचेंज को सीधे जलपाईगुड़ी टैक्स से जोड़ा गया है। 180 सैकेण्ड पल्स कॉलिंग सुविधा भी शुरू की गई है। हल्दीबाड़ी में एक उच्च क्षमता वाला एक्सचेंज संस्थापनाधीन है और 30.6.2000 तक इसके चालू होने की संभावना है।

पत्तन क्षेत्र के लिए शुल्क ढांचा

4533. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों के एक दल ने देश में पत्तन-क्षेत्र के लिए एक लागत-आधारित मूल्य और सरलीकृत शुल्क ढांचे की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा पत्तन-कार्यान्वयन नीति के संबंध में गठित की गई समिति ने भी प्रमुख पत्तनों के शुल्क-ढांचे में इन सुधारों की तत्काल लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन सुधारों को लागू करने के लिए अधिकतम तीन वर्ष की एक समय सीमा रखने का सुझाव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(च) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने कोई विशेषज्ञ दल गठित नहीं किया है और न ही एशियाई विकास बैंक ने कोई समिति गठित की है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में लंबित विद्युत परियोजनाएं

4534. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 31.3.2000 की स्थितिनुसार उन परियोजनाओं

की स्थिति नीचे दी गई है जिन्हें स्वीकृत/मूल्यांकित किया गया है और जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन है:-

(क) के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित

		क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	टीईसी की तिथि
1.	धौलपुर सीसीजीटी (मै. आरपीजी धौलपुर पावर कं. लि.)	702.7	7/97	13.2.98
2.	बारसिंगसर लिग्नाईट टीपीपी (मै. हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड)	2×250	6/97	20.4.98
3.	अन्ता सीसीजीटी चरण-II राजस्थान (एनटीपीसी)	650	5/97	21.5.98
4.	मथानिया इंटीग्रेटेड सोलर (सीसीपीपी-आरएस पीसीएल (जोधपुर)	140	4/99	27.8.99

(ख) जिनकी डीपीआर के.वि.प्रा. में जांचाधीन है:-

1.	रामगढ़ सीसीजीटी चरण-II	71	11/98	

- लंबित निवेश ईंधन लिंकेज है।
- 11.2.2000 को एसपीएसी में विचार किया गया और टीईसी की सिफारिश की गई।
- आरएसईबी स्पष्टीकरण 3/2000 में प्राप्त हुआ है।
- तकनीकी और लागत पहलुओं पर टिप्पणियां 30.3.2000 को प्रेषित की गई।

(ग) लौटाई गयी स्कीमें/जिनकी डीपीआर का प्रस्तुतीकरण प्रत्याशित है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	स्थिति
1.	मंडलगढ़	3×120	8/84	24.7.85 को लौटा दी गई, क्योंकि लिंकेजों की पुष्टि नहीं की गई थी।
2.	राहुघाट चरण-III	4×40	6/87	एमपी के साथ अन्तरराज्यीय पहलुओं को सुलझाने के पश्चात् पुन: प्रस्तुत किये जाने हेतु 2/88 में लौटा दी गई।
3.	बंसवारा एवं सवाईमाधोपुर में गैस आधारित जी.टी. प्लांट	4×100	1/84	कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि केन्द्रीय क्षेत्र अन्ता सीसीजीटी (430 मे.वा.) को अनुमोदित कर दिया गया है।
4.	चित्तोड़गढ़	1×500	2/92	कोयला लिंकेज के अभाव में एसपीएसी द्वारा आईपीसी की सिफारिश नहीं की गई है।
5.	कोटा चरण-IV	1×210	7/94	निवेशों, जैसे जल उपलब्धता, पर्यावरणीय स्वीकृति, पारेषण प्रणाली आदि को सुनिश्चित न किये जाने के कारण 26.2.96 को लौटा दिया गया।

[हिन्दी]

उड़ीसा में हीराकुड में जल विद्युत परियोजना

4535. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में हीराकुड जल विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति की गई;

(ख) क्या उड़ीसा द्वारा विद्युत के अपने हिस्से की आपूर्ति मध्य प्रदेश को न करने के एवज में मुआवजा दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा आपात सेवा प्रकोष्ठ का गठन

4536. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने रसोई गैस उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ राज्यों में आपात सेवा प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम और अन्य तेल कंपनियों द्वारा देश के अन्य भागों में भी ऐसे प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) जी, हां। तेल कंपनियों ने रिसाव इत्यादि से संबंधित शिकायतों की देखरेख करने के लिए महानगरों/प्रमुख नगरों में आपातकालीन सेवा प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। इन प्रकोष्ठों का प्रचालन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के सामान्य कार्य घंटों के पश्चात् तथा अवकाश के दिनों में भी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी के अंतर्गत कुछ ब्लाकों को बोली के लिए खोला जाना

4537. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी के तहत कुछ ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए खोले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो बोली के लिए खोले गए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन कंपनियों को दिए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अंतर्गत ब्लाकों के प्रस्ताव के प्रथम दौर में अड़तालीस ब्लाक बोली के लिए प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से पच्चीस ब्लाक प्रदान किए गए हैं। प्रस्तावित ब्लाकों तथा उन ब्लाकों, जोकि प्रदान किए गए हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी)-1999 के अंतर्गत प्रस्ताव किए गए ब्लाकों का ब्यौरा

क्र.सं.	बेसिन	ब्लाक सं.
1	2	3
गहरे जल वाले ब्लाक		
1.	कावेरी	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-98/1
2.	,,	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-98/2
3.	पलार	पीआर-डीडब्ल्यूएन-98/1
4.	कृष्णा-गोदावरी	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1
5.	,,	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2
6.	,,	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3
7.	,,	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/4
8.	,,	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/5

1	2	3
9.	महानदी	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/1
10.	,,	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/2
11.	,,	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3
12.	उत्तर पूर्वी तट (एनईसी)	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-98/1
अपतटीय ब्लाक		
1.	बंगाल	एनईसी-ओएसएन-97/1
2.	,,	एनईसी-ओएसएन-97/2
3.	कावेरी	सीवाई-ओएसएन-97/1
4.	,,	सीवाई-ओएसएन-97/2
5.	,,	सीवाई-ओएसएन-97/3
6.	,,	सीवाई-ओएसएन-97/4
7.	गुजरात-कच्छ	जीके-ओएसएन-97/1
8.	कृष्णा-गोदावरी	केजी-ओएसएन-97/1
9.	,,	केजी-ओएसएन-97/2
10.	,,	केजी-ओएसएन-97/3
11.	,,	केजी-ओएसएन-97/4
12.	केरल-कोंकण	केके-ओएसएन-97/1
13.	,,	केके-ओएसएन-97/2
14.	,,	केके-ओएसएन-97/3
15.	,,	केके-ओएसएन-97/4
16.	,,	केके-ओएसएन-97/5
17.	,,	केके-ओएसएन-97/6
18.	मुंबई	एमबी-ओएसएन-97/1
19.	,,	एमबी-ओएसएन-97/2
20.	,,	एमबी-ओएसएन-97/3
21.	,,	एमबी-ओएसएन-97/4
22.	महानदी	एमएन-ओएसएन-97/1
23.	,,	एमएन-ओएसएन-97/2
24.	,,	एमएन-ओएसएन-97/3
25.	पलार	पीआर-ओएसएन-97/1
26.	सौराष्ट्र	एसआर-ओएसएन-97/1
जमीनी ब्लाक		
27.	असम-अराकान	एआरपी-ओएनएन-97/1
28.	बंगाल-पूर्णिया	पीए-ओएनएन-97/1
29.	,,	डब्ल्यूबी-ओएनएन-97/1
30.	गंगा घाटी	जीवी-ओएनएन-97/1
31.	,,	जीवी-ओएनएन-97/2
32.	,,	जीवी-ओएनएन-97/3
33.	राजस्थान	आरजे-ओएनएन-97/1
34.	,,	आरजे-ओएनएन-97/2
35.	,,	आरजे-ओएनएन-97/3
36.	,,	आरजे-ओएनएन-97/4

विवरण-I

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	जिसे प्रदान किया गया	स्थिति
1	2	3	4
1.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि.	उत्पादन हिस्सेदारी संविदा हस्ताक्षरित
2.	सीवाई-ओएसएन-97/2	आयल इंडिया लि.	-तदैव-

1	2	3	4
3.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/4	ओ एन जी सी	उत्पादन हिस्सेदारी संविदा हस्ताक्षरित
4.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/5	ओ एन जी सी	-तदैव-
5.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3	ओ एन जी सी	-तदैव-
6.	केजी-ओएसएन-97/1	ओ एन जी सी	-तदैव-
7.	केके-ओएसएन-97/3	ओ एन जी सी	-तदैव-
8.	एमएन-ओएसएन-97/3	ओ एन जी सी/गेल	-तदैव-
9.	जीवी-ओएनएन-97/1	ओ एन जी सी-आई ओ सी	-तदैव-
10.	एमवी-ओएसएन-97/4	ओ एन जी सी-आई ओ सी	-तदैव-
11.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) नाईको रीसोर्सेज लि. (नाईको)	-तदैव-
12.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
13.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/2	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
14.	जीके-ओएसएन-97/1	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
15.	केजी-ओएसएन-97/2	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
16.	केजी-ओएसएन-97/3	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
17.	केजी-ओएसएन-97/4	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
18.	केके-ओएसएन-97/2	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
19.	एमबी-ओएसएन-97/2	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
20.	एमबी-ओएसएन-97/3	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
21.	एनईसी-ओएसएन-97/2	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
22.	एसआर-ओएसएन-97/1	आर आई एल, नाईको	-तदैव-
23.	एआरपी-ओएनएन-97/1	ज्योएन्ग्रो इंडिया लि.-ज्योपेट्रोल इंटरनेशनल-एन्ग्रो इंडिया लि.	उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं
24.	एनईसी-ओएसएन-97/1	गेल-गाजप्रोम	-तदैव-
25.	सीवाई-ओएसएन-97/1	मास्बेचर एनर्जी-एनर्जी इक्विटी-हिन्दुस्तान आयल कं. लि. (एचओईसी)	-तदैव-

महाराष्ट्र में कच्चा तेल आधारित उद्योगों की स्थापना

4538. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खोज और लाइसेंस की नई प्रणाली के अंतर्गत महाराष्ट्र में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ प्रस्तावों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1999 में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत बोली हेतु ब्लाकों के प्रथम प्रस्ताव के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य से कोई भी ब्लाक तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भागलपुर में गंगा-सेतु को पूरा किया जाना

4539. श्री सुबोध राय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर में गंगा-सेतु को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) केन्द्र सरकार मुख्यतया देश में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर पुलों के विकास तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। शेष सभी सड़क/पुल संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। भागलपुर में गंगा बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, अत: इसके निर्माण के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रंगानोडी जल विद्युत परियोजना

4540. श्रीमती रानी नरह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन की रंगानोडी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की आधारशिला किस तारीख को रखी गई थी;

(ग) परियोजना को पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना का प्रचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अरूणाचल प्रदेश के रंगानदी जल विद्युत परियोजना (405 मेवा.) का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है। इन कार्यकलापों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आरंभ में इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1987 में स्वीकृति दी गई थी तथा 4 अप्रैल, 1988 को शिलान्यास हुआ।

(ग) परियोजना के चालू होने में हुए विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित बताए जाते हैं:-

(1) परियोजना को मूल रूप से योजना आयोग ने मंजूरी अप्रैल, 1987 में दी थी। पर परियोजना संबंधी बृहत निर्माण कार्य जुलाई, 1990 में वन संबंधी स्वीकृति मिलने के बाद ही शुरू किया जा सका।

(2) निर्माण योग्य बांध के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में पुन: 2 वर्ष का विलंब हुआ।

(3) प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार हेड रेस सुरंग के निर्माण की प्रगति धीमी रही।

(4) जुलाई, 1998 में डिकरांन नदी में भयंकर बाढ़ आने से जिससे पावर हाउस क्षेत्र जलमग्न हो गया।

(घ) 135 मे.वा. की तीनों इकाइयों को वर्ष 2000-01 के भीतर पूरा करना निर्धारित है।

विवरण

रंगानदी जल विद्युत परियोजना (405 मे.वा.) के विभिन्न निर्माण संबंधी कार्यकलापों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा

कार्यकलाप		पूर्णता की स्थिति/पूर्णता की अनुमानित तारीख
1.	विपथन सुरंग	पूरा
2.	विपथन बांध	
	(क) कॉफर बांध	पूरा
	(ख) नींव के लिए खुदाई	दिसम्बर, 2000 तक पूरा होने की संभावना
3.	मुख्य सुरंग	
	(क) बोरिंग	पूरा
	(ख) कंक्रीटिंग	फरवरी, 2001 तक पूरा होगा
4.	पावर हाउस सिविल कार्य	
	(क) खुदाई	
	(ख) कंक्रीटिंग	जून, 2001 तक पूरा होगा
5.	इलैक्ट्रिक कार्य	
	(क) टीजी सेट	
	(ख) जीटी सेट	सामग्री/उपस्कर परियोजना स्थल पर पहुंच गया है, कार्य प्रगति में है, मार्च, 2001 तक पूरा होने की संभावना है।
	(ग) ई ओ टी क्रेन	
	(घ) स्वीच यार्ड	

राजस्व हानि

4541. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाजार पूंजीकरण के कारण हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा जैसे ही अपेक्षित सूचना प्राप्त हो जाएगी उसे लोक सभा के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गलियों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्पन्न होना

4542. श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गलियों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट पदार्थों का उत्पन्न होना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में क्या निर्देश दिए हैं;

(ग) सरकार द्वारा सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों विशेष रूप से महानगरों में अपशिष्ट पदार्थों के उत्पन्न होने से रोकने के लिए किन विशिष्ट उपायों को करने के प्रस्ताव है;

(घ) क्या महानगरों में साफ और स्वच्छ पर्यावरण के लिये नागरिकों के लिये कर्त्तव्य पत्र और इन कर्त्तव्यों के उल्लंघन करने पर जुर्माना के प्रावधान किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक महानगरों के प्रदूषणमुक्त होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) देश में सार्वजनिक स्थानों पर पड़े अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन और हथालन शहरी स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण आवश्यक कार्यों में से एक है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी गई सेवा अपेक्षित स्तर से कहीं कम होती हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने श्री असिम बर्मन, आयुक्त कलकत्ता नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो श्रेणी-1 के शहरों में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन संबंधी विभिन्न पहलुओं को देखेगी। 25.3.1999 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बर्मन समिति ने यह सिफारिश की है कि सार्वजनिक स्थानों में अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने से रोका जाए, कूड़ा-कचरा तथा इस संबंध में जन-जागरूकता पैदा की जाए। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।

(ग) से (च) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 27 सितम्बर, 1999 को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हथालन नियम, 1999 नामक प्रारूप नियमों का प्रकाशन किया है जिसमें भूमि भरण स्थल के विनिर्देशों सहित नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के उचित संग्रहण और निपटान के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है।

2. शहरी विकास मंत्रालय ने "नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम पुस्तिका" नामक एक विस्तृत प्रारूप नियम पुस्तिका का प्रकाशन किया है।

3. सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा-कचरा फैंकने से रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के विनियम निकाले हैं।

4. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.2.2000 के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार ने नियमित आधार पर दिल्ली की गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का काम शुरू कर दिया है और कूड़ा-कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पत्तों को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिनांक 17.12.1998 को एक कार्यपालिका आदेश भी जारी किया है।

पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित गांव

4543. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित गांवों का विकास करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से सम्पर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रत्युत्तर मिला;

(ङ) इन दोनों संगठनों द्वारा अपनाए जाने वाले गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु के गांवों में टेलीफोन सुविधा

4544. श्री वैको :
श्री ए. कृष्णस्वामी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य के प्रत्येक जिले तथा विशेषकर तमिलनाडु के चेन्नई डिविजन के तिरूवल्लूर के कितने गांवों में आज की तिथि के अनुसार जिले-वार टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) राज्य और उक्त मंडल के कितने गांवों में जिले-वार उक्त सुविधा अब तक प्रदान नहीं की गई है;

(ग) राज्य और उक्त मंडल के शेष गांवों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) तमिलनाडु के कुल 17634 गांवों में से 17579 गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं। केवल 55 गांव शेष रह गए हैं। तिरूवल्लूर जिले के सभी गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शेष सभी 55 गांवों को मार्च 2000 तक उत्तरोत्तर रूप से कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार वी.पी.टी. युक्त गांवों की संख्या	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार वी.पी.टी. रहित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	कांचीपुरम	1100	0
2.	कोयम्बटूर	488	0
3.	कुड्डालूर	790	0
4.	धर्मापुरी	1153	17
5.	डिंडीगल	398	1
6.	इरोड़	528	3
7.	कन्याकुमारी	183	0
8.	करूर	189	0
9.	मदुरई	631	0
10.	नागापट्टीनम	338	0
11.	नमक्कल	450	1
12.	पेरमबलूर	402	0
13.	पेरियाकुलम	173	0
14.	पुडुकोट्टई	816	0
15.	रामनंद	554	0
16.	सेलम	652	0
17.	शिवागंगा	635	0
18.	थंजावूर	846	0
19.	नीलगिरी	54	1
20.	तिरुनेलवेली	590	0
21.	तिरुवल्लूर	630	0
22.	तिरूवरूर	714	0
23.	तिरूवन्नामलाई	1112	13
24.	त्रिची	546	0
25.	टूटीकोरीन	507	0
26.	वेल्लूर	903	4
27.	विल्लूपुरम	1546	15
28.	विरुद्धनगर	651	0
	कुल	17579	55

आतंकवाद पर विधि आयोग की रिपोर्ट

4545. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की तरह एक कानून बनाए जाने संबधी कोई रिपोर्ट अथवा सिफारिश प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

असम में एलपीजी एजेंसियां/पेट्रोल पंप

4546. श्री अब्दुल हमीद : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में कितनी एलपीजी एजेंसियां और पेट्रोल पंप चल रहे हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों को लाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूर-दराज के गांवों में ऐसी एजेंसियां खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) उपभोक्ताओं के ईंधन की जरूरत पूरा करने के लिए असम में 1.10.1999 तक 148 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 368 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें प्रचालनरत थीं। एल पी जी की बढ़ी हुई मांग पूरा करने के लिए पिछले विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा 1996-98 की विपणन योजनाओं में असम के लिए 69 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 4 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित कर ली गई हैं। इनमें असम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 26 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 38 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप सम्मिलित हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए निजी फर्मों को अनुमति

4547. श्री सुरेश पासी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में गैर-सरकारी व्यक्तियों/फर्मों को विभिन्न पत्तनों पर उपलब्ध तेल कंपनियों की सुविधाओं का लाभ उठाकर एलपीजी, मिट्टी का तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कुल कितने गैर-सरकारी व्यक्तियों/फर्मों को इस काम पर लगाया गया; और

(ग) ऐसे कुल व्यक्तियों/फर्मों की तुलना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या और प्रतिशतता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) समानान्तर विपणन योजना (पी एम एस) के तहत कोई भी पक्षकार अपने स्वयं के वितरण नेटवर्क के माध्यम से बाजार निर्धारित मूल्यों पर देश में एल पी जी और मिट्टी तेल का आयात तथा बिक्रय कर सकता है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के मुताबिक अब तक 114 पक्षकारों ने समानान्तर विपणन योजना के तहत मिट्टी तेल का वास्तव में आयात किया है तथा 23 पक्षकारों ने एल पी जी का आयात किया है।

बड़े पत्तनों की क्षमता

4548. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना अवधि के दौरान बड़े पत्तनों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की उम्मीद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से किस सीमा तक कलकत्ता पत्तन और हल्दिया पत्तन को लाभ होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के लिए कुल 8543 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) 9वीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र की सहभागिता से लगभग 8000 क़रोड़ रु. का निवेश जुटाने का लक्ष्य है। अभी तक 3926 करोड़ रु. के निवेश से कुल 52.80 मिलियन टन क्षमता की 13 निजी क्षेत्र की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 3500 करोड़ रु. के निवेश की 34.4 मिलियन टन की आठ परियोजनाओं के लिए बोली की प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही की जा रही है। 450 करोड़ रु. के निवेश से कुल 5 मिलियन टन क्षमता की तीन परियोजनाओं का पता लगाया गया है जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की जानी हैं।

(ङ) निजी क्षेत्र की सहभागिता के अंतर्गत परिकल्पित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् कलकत्ता और हल्दिया पत्तन में 8.5 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की संभावना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनायें

4549. श्री रामानन्द सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश की कितनी सिंचाई परियोजनायें लंबित पड़ी हैं और वे कब से लंबित हैं उनमें से प्रत्येक परियोजना का नाम क्या है और उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर मध्य प्रदेश ने कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) राज्य में सिंचाई के लिये केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी और इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए मंत्रालय में मध्य प्रदेश का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन मंजूरी के लिए लंबित (पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश से प्राप्त) सात प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय मंजूरी के लिए प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों पर खर्च की गई धनराशियों की निगरानी नहीं करता है। यह केवल वन और/अथवा पर्यावरणीय मंजूरी में लगाई गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है।

विवरण

क्रमांक	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ताव अनुसार लागत रु.	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	इंदिरा सागर परियोजना परियोजना कनॉल खंडवा (नर्मदा सागर परियोजना का भाग	2167.67 करोड़ रु. (सम्पूर्ण नर्मदा सागर परियोजना के लिए)	प्रस्ताव राज्य सरकार से 16.2.95 को प्राप्त हुआ था। आवश्यक ब्यौरे राज्य सरकार से 23.2.95 को मांगे गए थे। 12.9.99 को अनुस्मारक दिया गया आवश्यक ब्यौरे प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
2.	धनमरहि टैंक परियोजना विदिशा	1.02 करोड़ रु.	प्रस्ताव 13.5.97 को प्राप्त हुआ था और 26.10.98 को नामंजूर किया गया। तथापि राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
3.	अमानाल्ला टैंक परियोजना, बालाघाट	2.24 करोड़ रु.	राज्य सरकार से प्रस्ताव 19.5.97 को प्राप्त हुआ था। 21.5.97 और 11.11.98 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। 11.10.99 को अनुस्मारक भेजा गया। आवश्यक ब्यौरे प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
4.	बिजासन टैंक परियोजना खारगोण	2.94 करोड़ रु.	30.10.98 को राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 24.2.99 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। 27.9.99 को अनुस्मारक भेजा गया। आवश्यक ब्यौरे प्राप्त होने पर ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

1	2	3	4
5.	सागाद लघु सिंचाई परियोजना, विदिशा	31.30 करोड़ रु.	5.3.1999 को राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 2.7.1999 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। आवश्यक ब्यौरे प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
6.	रतापनि सिंचाई परियोजना रायसेन	उपलब्ध नहीं	प्रस्ताव पर मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
7.	सुमेरि टैंक परियोजना गुणा	4.70 करोड़ रु.	राज्य सरकार से 28.7.99 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 16.8.99 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए थे। आवश्यक ब्यौरे प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जिलों में एलपीजी एजेंसियां/पेट्रोल पंप और मिट्टी के तेल के डिपो

4550. श्री अनंत नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जिलों में नई एलपीजी एजेंसियां. पेट्रोल पंप और केरोसीन डिपो आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक उड़ीसा के ऐसे कौन से अनुसूचित जिलों जिनमें ये एजेंसियां आवंटित की गई हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुसूचित जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए इन एजेंसियों के आवंटन हेतु कोई कोटा निर्धारित किया गया है या निर्धारित करने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्तमान में उड़ीसा के अनुसूचित जिलों विशेषकर क्योंझर जिले में इन एजेंसियों को खोलने के कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) विद्यमान नीति के अनुसार 25 प्रतिशत डीलरशिपें/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए आरक्षित हैं।

1 अक्तूबर, 1999 को उड़ीसा में 23 और 25 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, 7 और 3 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपें तथा 6 और 12 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें क्रमश: अ.जा. और अ.ज.जा. श्रेणियों की थीं।

विपणन योजना 1996-98 में, 2 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें उड़ीसा के क्योंझर जिलान्तर्गत अ.ज.जा. श्रेणी के लिए आरक्षित की गई हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन

4551. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूसरा पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट और वाहन चलाने का लाइसेंस आदि जारी करने के लिए शुल्क सहित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या शुल्क में बढ़ोत्तरी के कारण जनता को असुविधा हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय की समीक्षा करने और पूर्व स्थिति पुन: बहाल करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु धुआं निकलने संबंधी मानदण्डों का मानकीकरण भी किया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इनके कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (छ) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय मोटर यान अनियामवली, 1989 में कतिपय संशोधन किए गए थे जिनके द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इत्यादि जारी करने का शुल्क दिनांक 5.10.1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684(अ) के जरिए 22.10.99 से बढ़ा दिया गया था ताकि राज्य सरकारों द्वारा उक्त सेवाओं के लिए किए गए प्रशासनिक व्यय को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ अक्तूबर, 1999 में उनकी हड़ताल के दौरान हुए समझौते के अनुसरण में शुल्क में हुई वृद्धि को दिनांक 31.1.2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 76(अ) के जरिए पहले ही 31 जनवरी, 2000 से वापस ले लिया गया है।

(ज) से (ञ) जी हां। सरकार ने समय-समय पर वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानक दिनांक 28.8.1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 493(अ) के जरिए अधिसूचित किए गए थे जोकि पूरे देश में 1.4.2000 से लागू हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रचालन हेतु 3.5 टन तक के सकल वाहन भार वाले चार पहिया मोटर वाहनों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक भी दिनांक 31.1.2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 77(अ) के जरिए अधिसूचित किए गए हैं। ये उत्सर्जन मानक 1.4.2000 से लागू हो गए हैं। ये राजपत्र अधिसूचनाएं कड़े अनुपालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों अर्थात् राज्य सरकारों, अधिकृत जांच एजेंसियों और आटोमोबाइल विनिर्माताओं को परिचालित कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी स्कंध

4552. श्री रामशकल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने हेतु बड़े कारखानों के निकट प्रदूषण नियंत्रण संबंधी स्कंध स्थापित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर उद्योगों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की स्थापना करें। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों ने अपनी इकाइयों में पर्यावरणीय प्रकोष्ठों/प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की स्थापना की है ताकि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बहि:स्राव और अन्य पर्यावरणीय कार्यकलापों के बारे में आवधिक रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को नया रूप देना

4553. श्री नामदेव हरभाजी दिवाथे :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से नई परियोजनाओं/मौजूदा विद्युत संयंत्रों की क्षमता का विस्तार बड़े पैमाने पर नया रूप देना, आदि के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) परियोजना-वार तकनीकी प्रशासनिक मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है;

(घ) महाराष्ट्र सरकार की ओर से केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/निगमों से विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सहायता हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों का प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु वित्तीय संस्थाओं/निगमों से विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 1999-2000 के लिए महाराष्ट्र सरकार से नई परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रस्ताव, विस्तार एवं नवीकरण से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

500 करोड़ रुपये से कम लागत वाले नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है।

(ङ) चूंकि वित्तीय वर्ष 2000-01 अभी ही शुरू हुआ है। अत: इस समय प्राप्त निधियों का ब्यौरा देना संभव नहीं होगा।

विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3
(क) नई परियोजनाओं/विस्तार के लिए प्रस्ताव		
1. पारली थर्मल पावर प्रोजेक्ट विस्तार चरण-1 (250 मे.वा.) एमएसईबी	1053.90	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 9.7.99 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी गई। योजना का वित्त पोषण फाईनेंस कारपोरेशन द्वारा किया जाना है। एमएसईबी द्वारा बताये गये अनंतिम वित्तीय पैकेज का ब्यौरा दिया गया है:- कुल लागत - 1053.90 करोड़ रु. सरकारी ऋण - 270.00 करोड़ रु. आंतरिक - 433.90 करोड़ रु. संचयन पीएफसी - 350.00 करोड़ रु. सरकारी ऋण एवं पीएफसी ऋण पर ब्याज क्रमश: 14.25% एवं 16% है।
2. चन्द्रपुर टीपीएस, विस्तार 60 मे.वा. एमएसईबी	150	योजना की अनुमानित लागत 250 करोड़ रु. से कम होने के कारण के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है एवं एमएसईबी को इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति देने के लिए कहा गया।
3. हम्बार्ली एचईपी (2×200 मे.वा. कोयना एचई प्रोजेक्ट चरण-5)	838.92	डीपीआर सितम्बर, 99 में प्राप्त हुई एवं उक्त पर टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार को भेज दी गई है तथा इस पर उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।
(ख) जल विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण (सीईए से टीईसी अपेक्षित नहीं है)।		
1. कोयना जेनरेटिंग कॉम्पलेक्स चरण-1 से 4 (4×70+4×80+ 4×80 मे.वा.)	14.00	पीएफसी ने 9.8 करोड़ रु. की क्रय मंजूर किया है। यह योजना कोयना कॉम्पलेक्स के एकीकृत प्रचालन, यूनिट स्वचालन एवं चरण-1 व चरण-2 मशीनों के एक साथ प्रचालन के लिए डाटा एक्सचेंज प्रणाली की व्यवस्था करने हेतु है।
2. कोयना चरण-III 4×80 मे.वा.	14.00	रूह, एसी सिस्टम, एक्साइटेशन सिस्टम, टेलीपैक/टेलीडैक सिस्टम का प्रतिस्थापन तथा 220 के.वी. एबीसी बीएस का एसएफ-6 ब्रेकर से प्रतिस्थापन।

1	2	3
3. कोयना 1 एवं 2 स्वीचयार्ड इक्विपमेंट	8.00	220 के.वी. ब्रेकर एवं आइसोलेटरों का प्रतिस्थापन।
4. कोयना डैम पावर हाउस 2×18 मे.वा.	20.00	प्रत्येक यूनिट में 11 मे.वा. की वृद्धि की योजना इसके लिए अध्ययन किया जाना है।
5. तिल्लारी एचपीएस 1×60 मे.वा.	4.5	पीएफसी ने आशोधित डिजाइन तथा बेहतर सामग्री रनर के साथ पेल्टन रनर प्रतिस्थापन के जरिए 68.2 मे.वा. यूनिटों के उन्नयन के लिए 2.4 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया है।
6. भीरा टेल रेस 2×40 मे.वा.	1.8	पीएफसी ने 1.2 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया। प्रोविजन ऑफ स्टेटिक एक्साईटिंशन प्रणाली तथा माइक्रो प्रोसेसर आधारित सरकारी आदेश बीएचईएल को दिया गया।
7. वलतरना एचपीए 1×60 मे.वा.	4.0	मौजूदा क्लास बी स्टेटर बिडिंग विथ क्लास एफ स्टेटर बिडिंग प्रतिस्थापन के जरिए यूनिट का अपरेटिंग तथा लाइफ एक्सटेंशन/ स्टेटिक एक्साइटिंशन सिस्टम माइक्रो प्रोसेस बेस्ड गवर्निंग प्रणाली आदि का प्रावधान।

बेलारी में "मोबाइल रिपेयर सर्विस"

4554. श्री कोलूर वासवनगौड़ : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेलारी दूरसंचार विभाग ने "मोबाइल रिपेयर सर्विस" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सेवा बेलारी के सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बेलारी में कितने उक्त सेवा वाहन हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सेवा सभी उपभोक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) जी हां, बेल्लारी कस्बे में चालक तथा दोष सुधार करने वाले, व्यक्ति सहित एक आपातकालीन वाहन की व्यवस्था 23.2.2000 के प्रायोगिक आधार पर की गई है ताकि दोषों को ठीक किया जा सके। बेल्लारी कस्बे में, क्रमिक रूप से, सभी उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यदि यह प्रयोग सफल रहता है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु रसोई गैस की आपूर्ति

4555. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत संयंत्रों को गैस के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को कितने क्यूबिक मिलियन मीटर मात्रा में रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने हेतु कितने आवेदनों पर मंजूरी दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार विद्युत परियोजनाओं को गैस जारी किए जाने के कितने आवेदन लंबित हैं तथा इनमें कितनी-कितनी मात्रा की मांग की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस का आबंटन सरकार द्वारा अंत:अनुसचिवीय समिति, जिसे गैस लिकेंज समिति कहा जाता है, की सिफारिशों पर किया जाता है।

(ख) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की आपूर्ति विद्युत परियोजनाओं को नहीं की जाती। तथापि विद्युत परियोजनाओं

को गत तीन वर्षों के दौरान किए गए प्राकृतिक गैस के आबंटन के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

(मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन-एम एम एस सी एम डी)

राज्य	परियोजनाओं की सं.	कुल आबंटन
आंध्र प्रदेश	6	4.135
दिल्ली	1	1.950
राजस्थान	1	0.200
तमिलनाडु	5	1.870
त्रिपुरा	2	0.175

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर गैस उपलब्धता की सीमा तक तथा दीर्घावधिक गैस उपलब्धता अनुमानों के आधार पर भी प्राकृतिक गैस के आबंटन की मांग पर विचार किया जाता है।

दूरसंचार सुविधा

4556. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथों और टेलीफोन कनैक्शन जारी करने हेतु समय-सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन उपनगरीय गांवों के लिए अलग एक्सचेंज की स्थापना न किए जाने के कारण हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग टेलीफोन-कनेक्शन की प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(घ) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई संभाग के त्रीवल्लूर जिले (श्रीपेरम्बुदूर चुनाव क्षेत्र) में कुल कितने पी.सी.ओ./एस.टी.डी. आबंटित किए गए हैं/कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) तमिलनाडु (चेन्नई संभाग) के श्रीवल्लूर जिले में कुल कितने एस.टी.डी./पी.सी.ओ. कनैक्शन जारी होने की प्रतीक्षा सूची में हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए निर्धारित मानदंड ओ.बी. जारी होने के 15 दिन बाद हैं। एस.टी.डी.-पी.सी.ओ. की संस्थापना में भी आबंटिती द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लगभग इतना ही समय लगता है।

(ग) यदि टेलीफोन पास के मौजूदा एक्सचेंज से प्रदान किया जा सकता है तो, पृथक् टेलीफोन-एक्सचेंज अपेक्षित नहीं है। पृथक टेलीफोन-एक्सचेंज की स्थापना तभी की जाती है, जब टेलीफोनों की पर्याप्त मांग हो, जो क्षेत्र में अन्य एक्सचेंज से तकनीकी रूप से व्यवहार्य न हों।

(घ) 497 एस.टी.डी.-पी.सी.ओ. तिरूवल्लूर जिले में आबंटित किए गए हैं।

(ङ) तिरूवल्लूर जिले में 434 आवेदक प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं।

दूरसंचार विभाग में लाभ

4557. श्री चिंतामन वनगा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कुछ क्षेत्रों में लाभ प्राप्त किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हुआ, और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1000 रुपए तक का दो महीने में एक बार बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को किराए में छूट अथवा स्थानीय नि:शुल्क कालों की वृद्धि के द्वारा कुछ राहत पहुंचाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इन लाभों का सदुपयोग किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क), (ख) और (ङ) डीओटी/डीटीएस का नेटवर्क एक समग्र अखिल भारतीय नेटवर्क है तथा क्षेत्रवार (सर्किलवार) लाभकारिता का हिसाब नहीं लगाया जाता है। अधिशेष (सरप्लस) अर्थात् इन सेवाओं के प्रचालन पर आने वाले निवल प्रचालन व्यय की तुलना में सभी सेवाओं से अर्जित आय का एक्सेस) का निर्धारण पूरे विभाग के लिए किया जाता है। मूल्य ह्रास (एक आंतरिक संसाधन) सहित "अधिशेष" (सरप्लस) तथा "उधार" यदि कोई हो को पूरे तौर से योजना आदि पर पूंजी व्यय के रूप में लगा दिया जाता है। 1998-99 में अर्जित अधिशेष 7646.05 करोड़ रु. था तथा 1999-2000 का प्रत्याशित अधिशेष 7250 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, संसद के अधिनियम (एक्ट) द्वारा विशेष रूप से गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तथा मई 1999 से प्रभावी मासिक टेलीफोन किराये में तीव्र वृद्धि तथा मुफ्त कॉल में कमी किये जाने के बावजूद दूरसंचार सेवा विभाग पहले ही किराये तथा स्थानीय कॉल प्रभारों में वृद्धि न करके ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा कम कॉल करने वाले शहरी उपभोक्ताओं (ऐसे उपभोक्ता जो एक माह में 200 तक कॉल करते हैं) को राहत पहुंचाई है।

वृक्षों पर सांख्यिकी रिपोर्ट

4558. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत में नीम, पुंगई, पीपल, बरगद जंगली इमली वृक्षों को उगाने संबंधी कोई सांख्यिकी रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त वृक्षों के उगाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजनागत स्कीमों और गैर-योजनागत परिव्यय के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पौधरोपण करते समय इन प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा शुल्क दर में वृद्धि

4559. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. ने केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन की शुल्क दर को हाल ही में संशोधित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, नहीं। एनटीपीसी के कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना के टैरिफ का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। उक्त परियोजना के टैरिफ को अभी के.वि.नि. आयोग ने अनुमोदन नहीं दिया है। वर्तमान में परियोजना से आपूर्ति की जा रही बिजली के लिए बिलिंग तदर्थ आधार पर की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

4560. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सड़क परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए बिहार सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी तक इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार से सड़क परियोजनाओं का पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण का दौर

4561. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण के नए दौर से संबंधित सभी कानूनों को इसके अनुकूल बनाने के लिए इनमें संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कानूनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अम्बाला छावनी में भारतीय तेल निगम का भंडारण डिपो

4562. श्री रतन लाल कटारिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अम्बाला छावनी में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में भारतीय तेल निगम का एक भंडारण डिपो स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस डिपो को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) हरियाणा, आंशिक रूप से पंजाब तथा रक्षा विभाग की पी.ओ.एल. जरूरतों को पूरा करने के लिए अंबाला कैंट में रेलवे साइडिंग के साथ-साथ एक भंडार डिपो का प्रचालन कर रही है। जब इस डिपो का निर्माण किया गया था तक इसके आसपास कोई रिहायश नहीं थी। बाद में इस डिपो के चारों ओर अवैध निर्माण हो गए हैं। हरियाणा सरकार से इन अवैध निर्माणों को हटवाने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

4563. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अपने मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के अंतर्गत की अवधि क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन क्या रहा है; और

(घ) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पुनर्गठन, उत्पादकता निगरानी, लागत कटौती उपायों को अमल में लाना, ईंधन व हानि में कमी आदि के साथ-साथ कार्यनिष्पादन सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	निम्न वर्षों के दौरान करोपरांत लाभ		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पो. लि.	2033.65	2677.78	2754.49
2.	आयल इंडिया लि.	220.14	288.84	291.60
3.	गैस अथारिटी आफ इंडिया लि.	606.87	1020.31	1059.92
4.	इंडियन आयल कार्पो. लि.	1408.22	1706.50	2213.52

1	2	3	4	5
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलिमय कार्पो. लि.	612.22	701.16	901.26
6.	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि.	432.6	532.7	701.23
7.	आईबीपी कं. लि.	25.54	31.56	35.23
8.	बामर लारी एण्ड कं. लि.	14.21	16.41	16.83
9.	बीको लारी लि.	(-)2.69	(-)4.88	0.45
10.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	102.18	129.28	204.93
11.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	92.93	220.41	338.23
12.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमीकल्स लि.	29.07	67.99	34.26
13.	लुब्रीझाल इंडिया लि.	33.84	31.05	41.24
14.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	72.05	73.24	117.77

ईरान से गैस आपूर्ति

4564. श्री आर.एल. भाटिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईरान से समेकित गैस आपूर्ति चेन के लिए योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) ईरान सरकार ने पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली एक जमीनी पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में उपग्रह केन्द्र

4565. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सहित राज्यवार कितने उपग्रह केंद्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या हाल ही में सिक्किम सहित इन राज्यों में कुछ ऐसे नए केंद्रों को स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क)

राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
1. अरूणाचल प्रदेश	30
2. मणिपुर	5
3. मेघालय	10
4. मिजोरम	3
5. नागालैंड	3
6. त्रिपुरा	5
7. असम	3
8. सिक्किम	14
कुल	73

(ख) जी, हां।

(ग) अवस्थिति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सं.	राज्य का नाम	नियोजित भू-केंद्रों की संख्या	अवस्थिति का नाम
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	22	1. मरियांग
			2. च्यांग तेजो
			3. कोलारियांग
			4. हुनली
			5. रागा
			6. नाचो
			7. पंगिन
			8. जेमिथांग
			9. शरजांव
			10. संग्राम
			11. जामिरी
			12. तालिहा
			13. रोंजोंग
			14. तेंजिंगांव
			15. नाफरा
			16. ओल्ड जायरो
			17. कांबा
			18. गेकू
			19. नम्बोंग
			20. मनमाओ
			21. याचुली
			22. नियापिन
2.	मेघालय	8	1. बरांगपाड़ा
			2. नांगल बीबरा
			3. रामबराय
			4. खास्कुटे
			5. लुमसोंग
			6. रानीकोर
			7. दैनादबी
			8. चोकारॉट
3.	मणिपुर	8	1. थिंघाट
			2. चापिकारोंग
			3. लिटान
			4. हेंगलेप
			5. सुगनू
			6. कस्समकुल्लन
			7. सैकुल
			8. काकचिंग खुनाव
4.	मिजोरम	8	1. आईबॉक
			2. बैराबी
			3. लखीचेरा
			4. कानपुई
			5. गोपा
			6. सुन्गाऊ
			7. बुधुमन
			8. प. फाइलेंग
5.	नागालैंड	6	1. बंडारी
			2. अबोई
			3. नोकलोक
			4. टोबू
			5. तुली टाउन
			6. टेनिंग
6.	त्रिपुरा	6	1. मुनपुई
			2. जतनबारी

1	2	3	4
			3. किल्ला
			4. सिल्लाछरी
			5. भंगमुन
			6. छामनु
7.	असम	2	1. माईबोंग
			2. लंटिंग
8.	सिक्किम	10	1. कालुक
			2. उत्तराय
			3. हीगांव
			4. मंगलबाड़ी
			5. कवि
			6. लछुंग
			7. फुडोंग
			8. रोंगली
			9. यंगियोंग
			10. ताशिडिंग

अनियमितताओं के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी टिप्पणी

4566. श्री चन्द्र नाथ सिंह :
श्री राजनारायण पासी :

क्या **संचार मंत्री** अनियमितताओं को लेकर की-गई-कार्यवाही संबंधी टिप्पणी के बारे में 6 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 1598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कुल कितनी लेखापरीक्षा टिप्पणियां लम्बित हैं, और ये कब से लम्बित हैं;

(ख) उन टिप्पणियों में अंतर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या की-गई-कार्यवाही संबंधी लम्बित टिप्पणों के तथ्यों का सत्यापन कर लिया गया है और संबंधित फील्ड इकाइयों से टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनके मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीन विभागों के कार्यकरण में क्या सुधार किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग से संबंधित, लंबित एटीएन सहित लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों (सी एण्ड ए जी रिपोर्ट का पैराग्राफ) तथा उसमें शामिल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। डाक विभाग में कोई एटीएन लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर आवश्यक कुल 781 एटीएन में से केवल 110 में तथ्यों की जांच तथा आरंभिक एटीएन तैयार करना लंबित है। इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है। उचित स्तर पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर उपयुक्त उपचारात्मक तथा निरोधात्मक उपाय किए जाते हैं। उपयुक्त जांच के बाद, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अपेक्षित प्रशासनिक, सतर्कता तथा अन्य कार्यवाही की जाती है।

विवरण

सी एंड एजी की रिपोर्ट का वर्ष	रिपोर्ट में लेखापरीक्षा पैराग्राफ की कुल संख्या	कॉलम-2 में पैराग्राफ पर आवश्यक एटीएन की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा तैयार तथा परीक्षित एटीएन	जांच के लिए लेखापरीक्षा सहित एटीएन	दूरसंचार विभाग में लम्बित एटीएन			
					आशोधन हेतु प्रेक्षण सहित लेखा परीक्षा से प्राप्त एटीएन	अभी तक तैयार नहीं किए गए एटीएन	कब से लंबित हैं	लंबित मामलों में शामिल राशि (कॉलम 6 एवं 7) (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीएण्डटी लेखा परीक्षा								
1993-94	5	81	80	–	01	–	15.7.1997*	4.68
1994-95	5	102	102	–	–	–	15.7.1997	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995-96	5	128	115	5	8	–	19.7.1997	67.32
1996-97	40	163	131	13	18	1	7.10.1998	1638.64***
1997-98	52	185	54	66	7	58	29.2.2000	239.40
जोड़	107	659	482	84	34	59		1950.4
वाणिज्य लेखापरीक्षा								
1995-96 तक	–	49	36	5	8	–	1997**	1.38
1996-97	3	21	17	1	3	–	7.10.1998	3.79
1997-98	3	33	–	1	–	32	17.4.2000	15.01
जोड़	6	103	53	7	11	32		20.18
स्वायत्त निकाय								
1997-98	1	19	–	–	–	19	29.2.2000	–
कुल जोड़	114	781	535	91	45	110		1970.22

*बढ़ाई गई नियत तारीख।

** का. 7. 1995-96 के लिए सी एंड ए जी की रिपोर्ट से संबंधित है और एक 1993-94 से संबंधित है।

*** इसमें पैराग्राफ नं. 3 के संबंध में 837 करोड़ रु. शामिल हैं, जिसकी पीएसी द्वारा जांच की गई है तथा जिस पर पीएसी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है तथा पैराग्राफ सं. 4 के बारे में 768.76 करोड़ रु. जिसकी पीएसी द्वारा जांच की जानी है।

[हिन्दी]

टर्मिनल संबंधी प्रभार

4567. श्री शंकर सिंह वाघेला :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टर्मिनल संबंधी प्रभारों के भुगतान हेतु तीन श्रेणियों की निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टर्मिनल संबंधी प्रभारों को निर्धारित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं;

(ङ) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(च) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(छ) प्रत्येक श्रेणी में किन-किन दरों पर टर्मिनल संबंधी प्रभार लगाने का प्रस्ताव है तथा इन दरों में अंतर के क्या कारण हैं; और

(ज) इन प्रभारों के परिणामस्वरूप किस एजेंसी द्वारा किस निधि के माध्यम से इसके व्यय को पूरा किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ज) सरकार द्वारा उन निष्क्रमण तथा प्रेषण सुविधाओं,

जो रिफाइनरियों व विपणन कंपनियों द्वारा अलग से प्रदान की जानी चाहिए, का अध्ययन करने तथा परामर्श देने व विपणन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रेषण सुविधाएं रखने के लिए रिफाइनरियों को अतिरिक्त मुआवजे की क्षतिपूर्ति की सलाह देने हेतु एक समिति गठित की गई थी। समिति का संघटन निम्नानुसार था:

1.	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी	– अध्यक्ष
2.	सलाहकार (रिफाइनरियां) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	– सदस्य
3.	निदेशक (विपणन) इंडियन आयल कार्पोरशन लिमिटेड	– सदस्य
4.	निदेशक (आयोजना) तेल समन्वय समिति	– सदस्य
5.	संयुक्त सलाहकार (वित्त) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	– सदस्य
6.	निदेशक (एस एण्ड पी) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	– सदस्य सचिव

सरकार द्वारा गठित समिति ने निम्न मुख्य श्रेणियों के तहत रिफाइनरियों का श्रेणीकरण अपनाया है तथा इन श्रेणियों के आधार पर दरों की गणना की सिफारिश की है:-

(1) 1.4.1998 अर्थात् रिफाइनरियों के लिए आयात समता मूल्यों से संबद्ध रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के लागू किए जाने की तारीख से बाद चालू की गई रिफाइनरियां।

(2) 1.4.1998 से पहले चालू की गई रिफाइनरियां, जिन्हें फिर दो दलों में उप विभाजित किया गया है, अर्थात् वे रिफाइनरियां जहां रिटन डाउन मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.) निवेश के 70 प्रतिशत या अधिक होने की संभावना है तथा अन्य जहां रिटन डाउन मूल्य निवेश के 70 प्रतिशत से कम होने की संभावना है।

अभी तक दरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

महाराष्ट्र के लिए तरल ईंधन का आबंटन

4568. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र को कितने तरल ईंधन की आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ईंधन का आबंटन हेतु अनुरोध के साथ केन्द्र सरकार ने कतिपय परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों को आपूर्ति किए गए नाफ्था, भट्टी तेल/एल एस एच एस तथा एल डी ओ की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को महाद स्थित 198 मेगावाट क्षमता की कंबाइंड साइकल विद्युत परियोजना हेतु नाफ्था के आवंटन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है, तथा आवंटन के विषय में विचार नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

विवरण

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

राज्य	नाफ्था			भट्टी तेल/एलएसएचएस			एल डी ओ		
	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	749	841	857	2332	2402	2204	322	319	298
पंजाब	49	53	47	797	908	882	22	20	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	317	326	258	227	232	298	39	43	44
उत्तर प्रदेश	919	1304	1362	610	608	706	88	106	151
हरियाणा	0	0	0	483	423	473	47	47	43
बिहार	57	53	23	445	337	330	136	115	93
उड़ीसा	127	113	114	321	321	289	27	17	14
पश्चिम बंगाल	47	9	4	271	278	305	150	147	147
गुजरात	590	696	2065	2174	2054	1997	185	184	192
मध्य प्रदेश	4	96	141	353	368	405	24	28	41
आंध्र प्रदेश	102	247	530	426	473	581	28	32	37
केरल	169	184	381	414	430	439	6	6	7
तमिलनाडु	458	373	498	1083	1077	1350	47	43	40
कर्नाटक	168	140	165	510	519	596	21	23	28

[अनुवाद]

पोत निर्माण के लिए आधारभूत ढांचे का सृजन

4569. श्री नरेश पुगलिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान सरकारी शिपयार्ड विशेषरूप से दीर्घकालिक रुग्ण यार्डों द्वारा पोतनिर्माण/पोत मरम्मत हेतु बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लि. द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इस प्रकार के आधारभूत ढांचे के सृजन हेतु अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कम्पनी ने राजकोष के अतिरिक्त व्यय को शामिल करके पहले ही ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कंपनी ने पोर्ट ब्लेयर में जहाज मरम्मत संबंधी कार्य समाप्त करने के लिए कुछ प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की है। तथापि, प्रस्ताव ने अभी मूर्त रूप ग्रहण नहीं किया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

एनरान विद्युत परियोजना

4570. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कन्नूर, केरल में एनरान विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की उम्मीद है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं। हालांकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में केरल में 513 मे.वा. वाले कन्नूर कम्बाइंड साइकल विद्युत परियोजना (सीसीपीपी) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है जिसका प्रवर्तन मैसर्स कन्नूर विद्युत परियोजना प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, न कि एनरॉन द्वारा।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कन्नूर सीसीपीपी को 210.01 मिलियन अमरीकी डॉलर और 587.971 करोड़ रु. की राशि जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज भी शामिल है और 18.550 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 114.485 करोड़ रु., जहां एक अमरीकी डॉलर = 42.00 रु. है, के वित्त प्रभार की अनुमानित लागत पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति में यह व्यवस्था है कि अन्य बातों के साथ-साथ अंतिम वित्तीय पैकेज के लिए केरल सरकार का अनुमोदन इसके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन देने से पहले ही प्राप्त कराया जायेगा। परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम वित्तीय पैकेज के अनुसार ही क्रियान्वित किया जायेगा और बिजली बिक्री के लिए टैरिफ निर्धारण संपूर्ण परियोजना लागत एवं अनुमोदित अंतिम वित्तीय पैकेज के आधार पर की जायेगी। अनुमोदित अंतिम वित्तीय योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के बाद ही किया जायेगा। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति में यह भी व्यवस्था है कि मैसर्स केपीपी नाम्बियार और सहयोगी, जो इसके एक मुख्य प्रवर्तक हैं, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति मिलने की तारीख से 6 महीने के अंदर केरल सरकार के लिए स्वीकार्य एक या इससे ज्यादा विदेशी सह-सहयोगी/विदेशी निवेशक को आमंत्रित करेंगे।

तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति में वर्णित समय-सीमा के अनुसार परियोजना को वित्तीय समापन की तारीख से 27 महीने के अंदर पूरा किया जाना है। हालांकि परियोजना को वास्तविक रूप से पूरा करना सभी लंबित निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त करने पर निर्भर करेगा।

आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पंप और डीजल बिक्री केन्द्र

4571. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय भारतीय तेल निगम (आईओसी) के कितने पेट्रोलियम और डीजल बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) क्या वर्ष 1999, 2000 के दौरान राज्य में आईओसी के कुछ नये बिक्री केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम ने वर्ष 2000-2001 के दौरान मोटर उद्योग की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य में नए बिक्री केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 मार्च, 2000 को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पास आंध्र प्रदेश में 505 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें थीं।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने वर्ष 1999 एवं 2000 के दौरान आंध्र प्रदेश में 45 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें चालू की हैं।

(घ) से (च) विपणन योजना 1996-98 में आंध्र प्रदेश के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन को 48 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की गई हैं।

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को घाटा

4572. श्री सबोध मोहिते : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों से केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने जलपोत चलने की स्थति में नहीं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को अर्थक्षम बनाने के लिये कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। हानि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	प्रचालन हानि (मूल्यह्रास और ब्याज पूर्व)	कुल हानि (लाख रुपयों में)
1998-99	2837.59	6589.74
1999-2000	2200.00 (असंपरीक्षित)	6300.00 (असंपरीक्षित)

(ग) 75 जलयान ऐसे हैं जो प्रचालन में नहीं हैं।

(घ) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के पुनर्गठन/पुनरुद्धार हेतु एक समुचित पैकेज तैयार करने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

जुडपी जंगल भूमि को अधिसूचना से हटाया जाना

4573. श्री सुरेश रामराम जाधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्री एम.के. शर्मा की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जुडपी जंगल भूमि को अधिसूचना से हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 21.9.1998 की अपनी अधिसूचना संख्या 4-8/87-एस पी (पार्ट) के द्वारा महाराष्ट्र में जुडपी जंगल क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने एवं उनके समाधान हेतु संरक्षण एवं विकास के हित में इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए विभिन्न भूमि उपयोगों का सुझाव देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कतिपय सिफारिशें की हैं जिनमें से एक सिफारिश यह है कि 86,409 हेक्टेयर जुडपी भूमि, जो वन प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है, की अधिसूचना रद्द की जाए और इस पर वनेतर उपयोग की अनुमति दी जाए। इसमें से 86,409 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं। 26,672 हेक्टेयर पर वनेतर उपयोग किया जा रहा है और 32,229 हेक्टेयर विखंडित भूमि आदि है। समिति की रिपोर्ट मंत्रालय के विचाराधीन है।

तेल के आयात का बिल

4574. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री सनत कुमार मंडल :
डा. रमेश चंद तोमर :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में "इंडिया कुड सेव अप 2.5 बिलियन, आयल प्राइस फाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ओपेक (ओपीईसी) द्वारा तेल का उत्पादन बढ़ाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें घटाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इससे हमारा तेल के आयात का बिल कहां तक प्रभावित होगा; और

(च) ओपेक के निर्णय से हमारी सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों पर क्या असर होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) से (च) ओ.पी.ई.सी. सदस्य (ईरान को छोड़कर) 27 मार्च, 2000 को हुई अपनी बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन को 1.45 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए सहमत थे, जो इसके मूल्यों में गिरावट में परिणामित हो सकता है। ओ.पी.ई.सी. ने जून, 2000 में अपने इस निर्णय की पुनरीक्षा करने का भी निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य अत्यधिक अस्थिर हैं और इनमें व्यापक उतार-चढ़ाव होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तेल मूल्य प्रवृत्ति का हमारे आयात बिल तथा घरेलू मूल्यों पर असर होता है। 22-23 मार्च, 2000 की अर्द्धरात्रि में इन मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वायु प्रदूषण

4575. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री शीश राम सिंह रवि :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैज्ञानिक परीक्षणों ने इस बात की पुष्टि की है कि यदि जल्दी वायु प्रदूषण को नियंत्रित न किया गया तो वर्षा के पैटर्न में बहुत अधिक परिवर्तन आ सकता है;

(ख) क्या डीजल इंजनों से विसर्जित प्रदूषण से वायुमंडल सबसे अधिक प्रदूषित होता है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में डीजल इंजन से चलने वाले वाहनों की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) सरकार को वायु प्रदूषण से होने वाले वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के बारे में एक जरनल में सूचित अनुसंधान अध्ययनों के जांच परिणामों की जानकारी है, तथापि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के सभी प्रमुख नगरों में स्थित इसकी वैधशालाओं में वर्षा के पैटर्न में कोई प्रबल परिवर्तन नहीं देखे गए हैं।

(ख) और (ग) डीजल इंजनों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और विविक्त पदार्थ तथा पेट्रोल इंजनों से निकलने वाले कार्बन मोनोआक्साइड वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं। दिल्ली में डीजल इंजन से चलने वाले वाहनों की वृद्धि को रोकने के लिए किए गए उपायों में रक्षा/सरकारी संगठनों द्वारा नीलाम किए गए वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध, 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी व्यापारिक/परिवहन वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध और उन्हें बंद कर देना, पेट्रोल वाले इंजनों के स्थान पर डीजल वाले वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध, 8 वर्ष या इससे अधिक पुरानी डीजल वाली बसों और 1990 से पहले की टैक्सियों को चलाने पर प्रतिबंध, ऑटो फ्यूएल के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) को अपनाना, सी.एन.जी. टैक्सियों और बीटरी से चलने वाले तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओजॉन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना

4576. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री जी.जे. जावीया:
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओजॉन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए हाल ही में कोई व्यापक प्रारूप नियम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नियमों में नई क्षमता को सृजित करने अथवा क्षमता का विस्तार करने पर रोक लगाई गई है और नया निवेश निषिद्ध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करने के मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी हां, जनता से टिप्पणियां या आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ओजॉन परत को क्षीण करने वाले पदार्थ (विनियमन) नियम 2000 के प्रारूप नियमों को 25.1.2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) ओजॉन परत को क्षीण करने वाले पदार्थ (विनियमन) नियम 2000 के प्रारूप नियम के नियम 9 में ओजॉन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों वाली प्रौद्योगिकी की नई क्षमता को सृजित करने या क्षमता का विस्तार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके अन्तर्गत नए निवेशों पर रोक लगा दी गई है।

(ङ) इसमें ऐसा प्रस्तावित किया गया है कि मानदण्डों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

सैल्यूलर टेलीफोनों के कारण सुरक्षा समस्याएं

4577. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमान्त राज्यों में सेल्यूलर टेलीफोन शुरू करने से सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में नीति परिवर्तन हेतु क्या कदम उठाने जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा

4578. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में अनुमोदित नई विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के परियोजना-वार कारण क्या हैं और इस विलम्ब का क्या प्रभाव पड़ेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) सरकार राज्यों में अनुमोदित की गई नई विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के प्रगति की निरन्तर मानीटरिंग कर रही है। अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता	क्रियान्वयन कार्यक्रम		बाधाएं/अपेक्षित कार्रवाई/
		वास्तविक	प्रत्याशित	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
उत्तरी क्षेत्र				
केन्द्रीय क्षेत्र				
1. फरीदाबाद सीसीजीटी				
हरियाणा एनटीपीसी)				
जीटी-1	143	1/2000	–	पहले ही चालू
जीटी-2	143	3/2000	–	कर दिया गया
एसटी	143	1/2001	10/2000	जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति
2. अन्ता सीसीजीटी चरण-II (राजस्थान एनटीपीसी)	650	निवेश अनुमोदन की तिथि से 42 माह		एनटीपीसी बोर्ड द्वारा निवेश निर्माण
3. औरया सीसीजीटी चरण-II (उ.प्र.-एनटीपीसी)	650	-वही-	-वही-	

1		2	3	4	5
राज्य क्षेत्र					
4.	सूरतगढ़ चरण-2 यू-3	250	9/2002	9/2002	वित्तीय समापन का प्रापण
	(राजस्थान आरएसईबी) यू-4	250	3/2003	3/2003	
5.	पानीपत चरण-4 यू-6 (हरि.)	210	9/93	12/2000	(1) टीजी क्षतिग्रस्त सामग्री का नवीकरण (2) सी एण्ड आई उपस्कर की आपूर्ति एवं उत्थापन
निजी क्षेत्र					
6.	धौलपुर सीसीजीटी जीटी 1 (राज.)	231.75	वित्तीय समापन से 24 माह		वित्तीय समापन का प्रापण
	जीटी-2	231.75	वित्तीय समापन से 26 माह		
	एसटी	239.20	वित्तीय समापन से 28 माह		
7.	बारसिंगासार यू-1	250	वित्तीय समापन से 38 माह		-वही-
	लिंगनाईट राज. यू-2	250	वित्तीय समापन से 42 माह		-वही-
8.	चम्बल सीसीजीटी (राज.)	166	कार्यवाई हेतु नोटिस जारी होने से जीटी 19 माह कार्यवाई हेतु नोटिस जारी होने से एसटी 29 माह		-वही-
9.	मथाना आईएससीसी जीटी-1 एवं 2 और एसटी (राज.)	140	वित्तीय समापन से 36 माह		-वही-
10.	रोसा टीपीपी (उ.प्र.) यू-1 (राज.)	283.5	वित्तीय समापन से 37 माह		
	यू-2	283.5	वित्तीय समापन से 40 माह		-वही-
पश्चिम क्षेत्र					
केन्द्रीय क्षेत्र					
11.	कवास सीसीपीपी (गुज. एनटीपीसी)	650	निवेश अनुमोदन से 42 माह		एनटीपीसी बोर्ड द्वारा निवेश निर्णय
12.	जनौर गान्धार (गुज. एनटीपीसी)	650	-वही-		-वही-

1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
13 ध्रुवण गैस जीटी-एसटी (गुज. जीएसईसीएल)	100	5/2001 9/2001		वित्तीय समापन का प्रापण
11. पारलीटी टीपीएस विस्ता. (महाराष्ट्र एमएसईबी) सीसीपीपी आधारित	250	निवेश अनुमोदन से 48 माह 9/2001		योजना आयोग की एफएफपी अनुमोदन एफएसए
15. कापरखेडा विस्तार चरण-II (महा. एमएसईबी) यू-3 एवं 4	2×210	94-95		एमएसईबी द्वारा बी सी वे की तैयारी
निजी क्षेत्र				
16. जे. स्टेशन शाबरमती (गुज. मैसर्स एईओ)	125	5/2001	3/2003	वित्तीय समापन का प्रापण राज्य पर्यावरण स्वीकृति
17. जामनगर पेटकोक आधारित टीपीपी यू-1 एवं 3	2×250	वित्तीय समापन की तिथि से 36 और 39 माह		वित्तीय समापन का प्रापण
18. अकरीमोटा लिंग टीपीपी गुजरात यू-1 व 2	2×125	वित्तीय समापन के साथ सीओडी की तिथि से 32 और 38 माह		-वही-
19. पिंच यू-1 व 2 (म.प्र.)	2×250	वित्तीय समापन की तिथि से 38 और 41 माह		एस्क्रो समझौता
20. कोरबा प. विस्तार (म.प्र.) यू-5 व 6	2×210	वित्तीय समापन के साथ 33 और 36 माह		-वही-
21. कोरबा (ई) टीपीपी (म.प्र.) यू-1 व 2	2×535	वित्तीय समापन के साथ 41 और 47 माह		-वही-
22. बीना टीपीपी फेस-1 (म.प्र.) यू-1 व 2	2×289	वित्तीय समापन के साथ 33 और 36 माह		-वही-
23. नरसिंहपुर सीसी-जीटी (म.प्र.) जीटी	110.47	वित्तीय समापन से 18 माह		-वही-
एस टी	56.08	वित्तीय समापन से 23 माह		-वही-
24. गुना सीसीपीपी (म.प्र.) जीटी-1 व 2	2×111.7	वित्तीय समापन से 18 और 21 माह		-वही-
एस टी	106.6	वित्तीय समापन से 25 माह		-वही-
25. रायगढ़ टीपीपी फेस 1 (म.प्र.) यू-1 व 2	2×275	वित्तीय समापन से 36 और 39 माह		-वही-

1		2	3	4	5
26.	भिलाई टीपीपी (म.प्र.) यू-1 व 2	2×287	वित्तीय समापन से 36 और 39 माह		एस्क्रो समझौता
27.	खाण्डवा सीसीपीपी (म.प्र.) जीटी	112.27	वित्तीय समापन से 21 माह		-वही-
	एसटी	58.9	-वही-		-वही-
28.	रतलाम डीजी पावर प्रोजेक्ट (म.प्र.) यू-1 से 8	8×14.829	वित्तीय समापन से 14 से 17 माह		-वही-
29.	पिथानपूर खेडा डीजल (म.प्र.) यू-1 से 8	8×14.96	वित्तीय समापन से 14 से 17 माह		-वही-
30.	बाडार सीसीजीटी (म.प्र.) जीटी-1 व 2	2×112	वित्तीय समापन से - 12 से 18 माह		वही-
	एस टी	118	वित्तीय समापन से 25 माह		
31.	डाभोल सीसीजीटी (महाराष्ट्र)	1444	2000-01		
32.	पातालगंगा सीसीजीटी (महाराष्ट्र) जीटी-1 व 2	447	वित्तीय समापन से 22 और 24 माह		वित्तीय समापन का प्रापण
	एवं एसटी	18.22			
33.	भ्रतावती टीपीपी (महाराष्ट्र) यू-1	541	2000-01 वित्तीय समापन से 39 माह		-वही-
	यू-2	541	2000-01 वित्तीय समापन से 43 माह		ईंधन आपूर्ति समझौता
दक्षिण क्षेत्र					
केन्द्रीय क्षेत्र					
34.	सिमाद्री टीपीएस (ए.पी. एनटीपीसी) यू-1 500	3/2002	3/2002		शेष भूमि का अधिग्रहण जेबीआईसी से एटीएस पैकेज हेतु खेप-II ऋण की अनुपालना
	यू-2 500	12/2002	12/2002		
35.	रामागुण्डम टीपीपी चरण-III (ए.पी. एनटीपीसी यू-1)	500	निवेश की तिथि से 55 माह		
36.	नवैली टीपीएस-1 एक्सपियन्सस यू-1	210	8/2000	11/2001	
	(टीएन) एलएलसी यू-2	210	2/2001	5/2002	

1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
37. डीजी पावर स्टेशन नॉर्थ अडमान (अ. और नि. द्वीप समूह यू-1 व 2	2×2.5	3/2001		
38. डीजी सेट ऐट कोलार यू-1 से 12) बिदार जामखण्डी और इंडी (कार केईबी)		89/90		स्कीम को निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
39. रायलसीमा चरण-II टीपीपी (ए.पी. एपीएसईबी) यू-1 व 2	2×210			स्थिति प्रतीक्षित है।
40. कविकालापाल सीसीपीपी (टी.एन. टीएनईबी) जीटी एण्ड एस टी	107.8	7/2000	9/2000	गैस टरबाईन की आपूर्ति
निजी क्षेत्र				
41. बॉम्बोफेलेट डीजी (ए. और नि. द्वी) यू-1 से 4	4×5	यूनिट 1 व 2 हेतु 19-20 माह और वित्तीय समापन की तिथि से 24 माह		अंडमान एवं निकोबार प्रशा. द्वारा ऐस्क्रो खाता खोला जाना
42. गोमती सीसीजीटी (ए.पी.) जीटी-1	118.1			
जीटी-2	118			
एसटी	122.7	स्थिति प्रतीक्षित है		ऐस्क्रो समझौता
43. कृष्णापट्टनम बी टीपीपी (ए.पी.) यू-1 एवं 2	2×260	वित्तीय समापन स 32 और 36 माह		-वही-
44. विशाखापटनम टीपीपी (ए.पी.) यू-1 व 2	2×520	वित्तीय समापन से 38 और 44 माह		ऐस्को समझौता
45. रामागुण्डम टीपीपी (ए.पी.) यू-1 व 2	2×260	9/2001 3/2002	6/2002 12/2002	-वही-
46. विमगिरि सीसीपीपी (ए.पी.				
जीटी-1	107	वित्तीय समापन से 26 माह		वित्तीय समापन का प्रापण
एसटी-1	51			
जीटी-2	221.5			
एसटी-2	112.5			

1	2	3	4	5
47. कोडापल्ली सीसीजीटी (ए.पी.) (जीटी-1 व 2	2×112	2/2000	5/2000	
		4/2000	3/2000	
एसटी	126	10/2000	8/2000	
48. पिदापूरम सीसीजीटी (ए.पी.)	200	–	3/2001	वित्तीय समापन का प्रापण
49. बदादी सीसीपीपी (ए.पी.)	200	–	3/2002	–वही–
50. बेलेरी डीजीपीपी कर्नाटक	27.8	–	3/2000	
51. तिनारवाडी सीसीजीटी कर्नाटक (जीटी-एसटी)	220	वित्तीय समापन से 12 माह		–वही–
52. नागार्जुन टीपीपी (कर्ना.) यू-1 व 2	2×507.5	वित्तीय समापन से 38 और 42 माह		वित्तीय समापन
53. तिमकार डीजीपीपी (कर्नाटक)	32.5	–	–	–वही–
54. मंगलौर टीपीपी (कर्नाटक) यू-1 से 4	4×253.3	प्रथम यूनिट हेतु वित्तीय समापन के 33 माह के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक यूनिट के लिए 3 माह		–वही–
55. जिंजिगिरा एमएफपी (कर्नाटक)	50.8	–	–	–वही–
56. कानीमीनखी सीसीजीटी (कर्ना.) जीटी-1 व 2	2×35.3	वित्तीय समापन से		ऐस्क्रो समझौता
एसटी	37	19 माह		
57. वियापिन सीसीजीटी (केरल) जीटी-1 से 3	3×146.9	वित्तीय समापन से – 27 माह		वही–
58. इलौरा सीसीजीटी (केरल) जीटी 1 से 3	3×45	पहले से चालू		
एसटी	38	4/2000		

1	2	3	4	5
59. विंमबार सीसीपीपी (टी.एन.) 5 मोडेयूल	1873	प्रथम मोडयूल से 38 माह और दूसरे प्रत्येक मोडेयूल के लिए 3 माह		विवरण प्रतीक्षित है
60. तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (टी.एन.)यू-1	525	वित्तीय समापन से 39 माह		वित्तीय समापन विवरण प्रतीक्षित है।
61. समायानल्लूर डीजीपीपी (टी.एन.) यू-1 व 7	7×15.143	वित्तीय समापन से 14 से 17 माह		एस्क्रो समझौता विवरण प्रतीक्षित है।
62. नॉर्थ मद्रास टीपीपी चरण-॥ (टी.एन.) यू-1 एवं 2	2×525	वित्तीय समपान से 42 माह		वित्तीय समापन का विवरण प्रतीक्षित है।
63. नॉर्थ मद्रास चरण-॥ (टीएन.) यू-3	525	वित्तीय समापन से		विवरण प्रतीक्षित है।
64. गोडालल्लूर टीपीएस (टी.एन.) यू-1 एवं 2	2×660	वित्तीय समापन से 39-44 माह		-वही-
65. नवेली जिर्रो टीपीएस (टी.एन.) यू-1	250	वित्तीय समापन से 34 माह		
66. समालपट्टी डीजीपीपी टी.एन. यू-1 व 2	105.66	14 से 17 माह	वित्तीय समापन से 2/2001	
यू-3 व 4			3/2001	
यू-5 व 6			4/2001	
यू-7			5/2001	
67. पिल्लैपेरमल्नौर सीसीपीपी (टी.एन.)	330.5	वित्तीय समापन से 27 माह		12/2000
पूर्वी क्षेत्र				
केन्द्रीय क्षेत्र				
68. फरक्का एसटीपीएस यू-6 (डब्ल्यूबीएनटीपीसी)	500	12/95		चूंकि मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश अभी दिये जाने हैं इसलिए चालू करने के कार्यक्रम की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है।
69. तलचेर एसटीपीपी चरण-॥ (डब्ल्यू बी) यू-3 से 6	4×500	6/2003	11/2003	
		3/2004	8/2004	
		12/2004	5/2005	
		9/2005	2/2006	

1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र				
70. थिंगुघाट टीपीपी चरण-II				
(बिहार) यू-3 से 5	3×210	9/94	3/95	चूंकि मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आदेश दिये जाने हैं इसलिए चालू करने के कार्यक्रम की प्रत्याशा नहीं की जा सकती। वित्तीय सहायता को सुनिश्चित करना।
71. मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार				
(बिहार) यू-1 व 2	2×250	2001-02 2002-03		-वही-
निजी क्षेत्र				
72. जोजूबीरा टीपीपी				
(बिहार) यू-1 व 2	2×120	6/2001 (सीओडी) 9/2001 (सीओडी)	6/2001 (सीओडी) 9/2001 (सीओडी)	(1) राख निपटान हेतु भूमि की उपलब्धता (2) एमओईएफ से पर्यावरणीय स्वीकृति
73. इब वैली टीपीपी चरण-II				
(उड़ीसा) यू-5 व 6	2×250	वित्तीय समापन से 33 और 36 माह		भारत सरकार द्वारा वित्तीय समापन, कानूनी गारन्टी अनुमोदित है।
74. दुबरई टीपीएस				
(उड़ीसा) यू-1 व 2	2×250	वित्तीय समापन से 33 और 36 माह		राज्य सरकार द्वारा गारन्टी वित्तीय समापन
75. बक्रेश्वर टीपीएस				
(प. बंगाल) यू-4 व 5	2×210	वित्तीय समापन से 30 और 33 माह		इपीसी ठेका विचार-विमर्श को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है। आशय-पत्र 24.12.99 को जारी किया गया।
76. गोरीपोर टीपीएस यू-1 (प. बंगाल)	150	वित्तीय समापन से 32 माह		
77. बालाघाट पावर प्रोजेक्ट				
(प. बंगाल) यू-1 व 2	2×250	2001 2001	2002 2003	1050 एकड़ भूमि अधिग्रहण में से 623 एकड़ का अधिग्रहण किया जा रहा है। 32 एकड़ मुख्य भूमि पहले ही अर्जित कर ली गई है। ईपीसी ठेके को अंतिम रूप प्रदान किया गया है, रेलवे अवसंरचना कार्य की विस्तृत इंजीनियरी के आदेश राइट्स को दिये गये हैं जिसने डीपीआर प्रस्तुत कर दी है।

1	2	3	4	5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
राज्य क्षेत्र				
78. आमगुड़ी सीसीजीटी (असम) जीटी-1 से 8	8×30	97		गैस लिंकेज को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया।
एसटी-1 से 4	4×30			
79. लेईमाखोंग डीजी (मणिपुर) यू-1 से 6	6×6	10-12/98 11/2000		निधियां मुहैया कराने में विलंब
जल विद्युत				
केन्द्रीय क्षेत्र				
80. चमेरा चरण-II (हि.प्र. एनएचपीसी) स्वीकृति की तिथि 18.5.99	3×100	दसवीं योजना		एनएचपीसी तथा मै. जय प्रकाश इंडस्ट्रीज के नेतृत्व का लीकसोर्रियम ने 18.7.99 को समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। ठेकेदार द्वारा मुख्य कार्य आरंभ कर लिये गये हैं।
81. तिस्ता चरण-5 (सिक्किम) स्वीकृति की तिथि 11.2.2000	3×170	2006-07		परियोजना स्थल पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास आरंभ हो गया है।
82. लोकटक डीएस (मणिपुर एनएचपीसी) स्वीकृति की तारीख 30.12.99	3×30	2006-07		परियोजना स्थल पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास आरंभ हो गया है।
83. तुईरिल (मिजोरम नीपको) स्वीकृति की तिथि 7.7.98 (सीसीईए)	2×30	2005-07		निर्माण पूर्व तथा अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। पैकेज-I के तीन पूर्व अर्हता हेतु एनआईटी प्रदान कर दिये गये हैं। परियोजना क्षेत्र और कुछ जलमग्न क्षेत्र की भूमि अर्जित कर ली गई है।
84. कोपिली चरण-II (असम नीपको) स्वीकृति की तिथि 6.7.99 (सीसीईए)	1×25	2003-04		निर्माण पूर्व तथा अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। टीजी और पैकेज-I के लिए आशय-पत्र प्रदान कर दिये गये हैं। पैकेज-II की निविदाओं की जांच की जा रही है। पैकेज-III की निविदा तैयार की जा रही है।
राज्य क्षेत्र				
85. रोलेप-I (सिक्किम) स्वीकृति की तिथि 16.8.97	2×4.5	2001-02	2003-04	ई एंड एफ स्वीकृति और निधियों की कमी। विदेशी वित्त पोषण परियोजना।

1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र				
86.	मलाना एचईपी (हि.प्र.) स्वीकृति की तिथि 27.7.98	2×43	9वीं योजना के अतिरिक्त	वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है, अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है।
87.	विष्णु प्रयाग (यू.पी.) स्वीकृति की तारीख 30.6.97	4×100	नवीं योजना के अतिरिक्त	टीईसी 6/99 में प्रदान की गई। अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। क्रियान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप प्रदान करने में विलम्ब। ई एंड एफ स्वीकृति प्रतीक्षित है।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री अनन्त कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1652/2000]

(3) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1653/2000]

(5) (एक) नेहरू मेमोरियल म्युजियम एंड लायब्रेरी, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्युजियम एंड लायब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1654/2000]

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अधिसूचना संख्या का.आ. 454 जो 19 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ताकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अन्तर्गत जारी 21 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 728(अ) में संशोधन किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1655/2000]

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1656/2000]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह फारेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह फारेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1657/2000]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:-

(1) विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (बजट का तैयार किया जाना व प्रस्तुतीकरण लेखाओं का रखरखाव) नियम, 2000 जो 10 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 237(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1658/2000]

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1659/2000]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 2000 जो 25 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 31 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 31 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय मोटरयान (चौथा संशोधन) नियम, 2000 जो 9 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञांपन।

(पांच) केन्द्रीय मोटरयान (नई दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा का विनियमन) नियम, 2000 जो 16 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केन्द्रीय मोटरयान (कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा का विनियमन) नियम, 2000 जो 16 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 128(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय मोटरयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2000 जो 16 फवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 110(अ) जो 14 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 1998 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1660/2000]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1027(अ) जो 11 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए था, तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1139(अ) जो 18 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1158(अ) जो 19 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुबली धारवाड़ बाईपास के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 1211(अ) जो 3 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के निर्माण में कतिपय संशोधन करना है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1661/2000]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, निधियों का निवेश तथा परिसरों में प्रवेश का अधिकार) संशोधन नियम, 2000 जो दिनांक 17 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 140(अ) के अंतर्गत प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1662/2000]

(4) (एक) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1663/2000]

(6) (एक) मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1664/2000]

(8) (एक) कांदला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांदला के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांदला गोदी श्रमिक बोर्ड, कांदला के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1665/2000]

(10) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1666/2000]

(11) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1667/2000]

(12) (एक) सीमेन्स भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीमेन्स भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1668/2000]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): महोदय, श्री ई. पोन्नुस्वामी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1669/2000]

(2) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1670/2000]

अपराह्न 12.06 बजे

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय—कच्चा तेल—स्वदेशी उत्पादन और आयात के संबंध में प्राक्कलन समिति (बारहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

नौंवा, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में नौंवा प्रतिवेदन।

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

(3) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(4) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

(5) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदान की मांगों (2000-2001) के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

नवासीवां, नब्बेवां, इक्यानवेवां एवं बानवेवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मानव विकास संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

1. स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में नवासीवां प्रतिवेदन।

2. परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में नब्बेवां प्रतिवेदन।

3. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में इक्यानवेवां प्रतिवेदन।

4. संस्कृति विभाग (संस्कृति, युवक कार्य और खेल मंत्रालय) की अनुदान की मागों (2000-2001) के बारे में बानवेवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.09 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

बहत्तरवां से अठहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर): महोदय, मैं क्रमश: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महासागर विकास, अंतरिक्ष विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी बहत्तरवें, तिहत्तरवें, चौहत्तरवें, पचहत्तरवें, छिहत्तरवें, सतत्तरवें, अठहत्तरवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09½ बजे

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री जनार्दन पुजारी, वी. किशोर चन्द्र एस. देव, डा. रणबीर सिंह, ओंकार सिंह लखावत, डा. विप्लव दासगुप्त,

गुरुदास दासगुप्त की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों के स्थान पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के छह सदस्यों की नियुक्ति करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सर्वश्री जनार्दन पुजारी, वी. किशोर चन्द्र एस. देव, डा. रणबीर सिंह, ओंकार सिंह लखावत, डा. विप्लव दासगुप्त, गुरुदास दासगुप्त की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों के स्थान पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के छह सदस्यों की नियुक्ति करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में शून्य काल लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (भोपाल): अध्यक्ष महोदय, हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश का मामला उठाने दीजिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमने भी शून्यकाल के लिए नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का एक बहुत गंभीर मामला है, वहां एक दलित परिवार ने मुख्य मंत्री से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आपको बाद में बुलायेंगे, इन्होंने नोटिस दिया है, इनके बाद आपको बुलायेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में सूचना दी हुई है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने अत्यन्त गंभीर मामले पर सूचना दी है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सबसे पहले उठेगा। एक दलित परिवार ने आत्महत्या की है और इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद आपको बुलायेंगे। इनके बाद आपका मामला ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): वह किस प्रकार इस सभा का कार्यकलाप ठप्प कर सकती है? सभा के पास और भी महत्वपूर्ण मामले हैं वह सभा के कार्य में बाधा क्यों पहुंचा रही है?

[हिन्दी]

मैडम, आपको भी अनुमति मिलेगी, अभी श्री दासमुंशी को बुलाया है*...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष जी, अगर इस तरीके से हाउस को बताया जायेगा तो क्या हाउस को हैल्ड अप किया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैडम इसके बाद आपको बुलायेंगे। मैंने श्री दासमुंशी को पहले ही बुला लिया है। मैं उन्हें पहले ही बुला चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैंने उनके नाम की पहले ही घोषणा कर दी है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, हम इन्हें बोलने नहीं देंगे, यह मामला पहले उठेगा *...(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार ने आत्महत्या की है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा लेकिन अभी नहीं। कृपया समझिए कि मैंने पहले ही श्री दासमुंशी को बुला लिया है। उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए, मैंने पहले ही श्री दासमुंशी को बुला लिया है। महोदया, उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलायेंगे, हम सबको बुलायेंगे, हमारे पास लिस्ट है, आप इतनी गड़बड़ क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, अभी पिछले ही दिनों इस सम्माननीय सभा में श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री बसुदेव आचार्य और कई अन्य सदस्यों ने जिस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील संयंत्रों विशेषकर सलेम और विज़ाग स्टील संयंत्रों के सम्बन्ध में किये जा रहे विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। अब आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इंडियन ऑयरन एण्ड स्टील कम्पनी जो बर्नपुर में ''इस्को'' के नाम से जानी जाती है से संबंधित अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। इसको सातवें दशक में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया था। अब पिछले कम से कम एक वर्ष से चर्चाएं हो रही हैं क्या इसे संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत लाया जाए, क्या इसे पूर्ण रूप से निजीकृत किया जाए अथवा कुछ समय तक इन्तजार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस्को संयंत्र की अद्यतन स्थिति के बारे में बताऊंगा। मुझे कर्मचारी और श्रमिक नेताओं से भेंट करने का सौभाग्य मिला। 20 अप्रैल के ''टेंडरटाइम्स'' जो दैनिक बेबसाइट है, सभी सूचनाएं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में 5000 मिलियन से अधिक अर्थात् 500 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाली कम्पनी को वांछनीयता आधार के रूप में चुना गया था। हित की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई है।

''इस्को'' की कुल परिसम्पत्ति का मूल्य इस प्रकार है। पिछले पांच वर्षों में 1995-96 तक ''इस्को'' का कारोबार 1038.54 करोड़ रुपए, 958.73 करोड़ रुपए, 909.08 करोड़ रुपए, 910 करोड़ रुपए था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, क्या आप लिखे हुए पाठ से पढ़ रहे है?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं महोदय, मैं तो केवल आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। मैं सारे आंकड़े एकदम याद नहीं कर सकता हूं *...(व्यवधान)*

महोदय, केवल इस्को देश में मात्र ऐसा इस्पात संयंत्र है जिसके पास अपनी कोयला की खान और अपनी लौह अयस्क की खान है। लौह अयस्क खान के पास लगभग 2 बिलियन टन लौह अयस्क का भण्डार है। परिसम्पत्ति की लागत 1,19,600 करोड़ रुपए और चासनाला कोयला खान के पास 35,520 करोड़ रुपए मूल्य की परिसम्पत्ति है। 1,19,600 करोड़ रुपए मूल्य की परिसम्पत्ति वाले इन भण्डारों को मात्र 500 करोड़ रुपये के लिए निजीकृत किया जा रहा है *...(व्यवधान)* यह देश में बड़ी लूट है।

अत: मैं चाहता हूं कि इस्पात मंत्री यहां आएं और वक्तव्य दें। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल सरकार इसे प्रोत्साहन नहीं दे रही है। मुख्य मंत्री ने इसको मंजूरी नहीं दी है लेकिन फिर भी मामला चल रहा है। अत: यदि कोई और नहीं तो माननीय इस्पात मंत्री को आज नहीं तो कम से कम कल वक्तव्य अवश्य देना चाहिए। यह 1,20,000 करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति है। इसका कुल मूल्य लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए है। पूरे संयंत्र को मात्र 500 करोड़ रुपए की तुच्छ राशि के लिए एक समूह विशेष को बेचा जा रहा है। यह शर्मनाक है। सरकार को वक्तव्य अवश्य देना चाहिए। माननीय इस्पात मंत्री को ''इस्को'' के लेनदेन के बारे में सभा को विश्वास में लेना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप बैठिए। कुमारी उमा भारती जी के बाद आपको समय दूंगा।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और साइंस तथा टैकनौलौजी में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रगति की पहचान होगी अंतिम व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति की प्रगति का मतलब क्या होगा, उन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति का परिचय यह है कि गांव की वह विधवा स्त्री जिसकी संतान नहीं है और जो अपने परिवार पर निर्भर है या गांव के दलित समाज का व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति कहलाएगा और जब तक उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का हक नहीं मिलेगा तब तक इस देश की प्रगति को, प्रगति में नहीं गिना जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक मोहल्ला काछी कुआं है जो कि विदिशा शहर के साथ सटा हुआ है, वहां पर राजकुमार जाटव नाम का एक दलित नौजवान, जो कि डेली वेज कर्मचारी था। आप अनुमान करें कि डेली वेज पर काम करने के लिए वह आदमी मजबूर होता है जिसके पास जीवन-यापन का और कोई साधन नहीं होता, उसको तीन महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया और इस वजह से वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। परसों रात को उसने अपनी पत्नी, अपने तीन बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्याओं की श्रृंखला मध्य प्रदेश में चल रही है। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, यह तो स्टेट सब्जैक्ट है।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय का कहना यह है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए दैनिक वेतनभोगियों को निकालने के लिए वे मजबूर हुए हैं, लेकिन मैं प्रदेश की माली हालत बताना चाहती हूं। आजादी से लेकर 1992 तक सिर्फ 5000 करोड़ रुपए का कर्जा था जो इस समय 22000 करोड़ हो गया है। मध्य प्रदेश के ऊपर यह 17000 करोड़ रुपए के कर्जे का जो फर्क आया है यह 1992 से अब तक के आठ वर्षों में आया है, तो यह कर्जे का फर्क कैसे आया? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि वह मध्य प्रदेश के ऊपर आर्थिक आपातकाल लागू करे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट का मामला है। मैडम, यह स्टेट का मामला है। इसे आप यहां कैसे उठा रही हैं?

...(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : मैं मध्य प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लागू करने और मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती हूं। *...(व्यवधान)* मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें। *...(व्यवधान)* श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां बैठी हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी यहां उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि उन्होंने उड़ीसा के मुख्य मंत्री को पादरी परिवार की हत्या के कारण हटाया था। क्या अब वह दलित परिवार द्वारा आत्महत्या किये जाने के कारण मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी हटाएंगी *...(व्यवधान)* मैं श्रीमती गांधी से अनुरोध करती हूं कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ सहानुभूति रखें *...(व्यवधान)* महोदय, आपके माध्यम से मैं उनसे पूछ सकता हूं क्या वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करेंगी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन आयरन और स्टील कम्पनी (भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी) को बेचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही श्री बसुदेव आचार्य को बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही श्री बसुदेव आचार्य को बुला लिया है आप अनावश्यक ही व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, मैंने पहले ही श्री बसुदेव आचार्य को बुला लिया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, भारत सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जो पश्चिम बंगाल राज्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को बेचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की है।

''इस्को'' की 5,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परिसम्पत्ति है। इसके पास अपनी कोयले की खानें, लौह अयस्क की खानें हैं। इसके पास सर्वश्रेष्ठ कोयला परिष्कृत करने वाली कोलवाशरी है। जिसमें मात्र 13 प्रतिशत राख पाई जाती है और इसके पास अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं। इसके पास अपना शहर और हवाई पट्टी है। 1978 में ''इस्को'' का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब से हम मांग करते आ रहे हैं कि ''इस्को'' का आधुनिकीकरण किया जाए लेकिन इस क्षेत्र और हमारे देश के सबसे पुरातन इस्पात कम्पनी के आधुनिकीकरण के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। इसके लिए कई प्रस्ताव थे और उन प्रस्तावों की जांच करने के लिए 11 समितियां गठित की गई। सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया लेकिन पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण इस्पात कम्पनी के आधुनिकीकरण के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। यहां तक श्रमिक भी ''इस्को'' के शेयरों को लेने के लिए सहमत थे और डब्ल्यू.बी.आई.डी.सी. भी इस कम्पनी में इक्विटी भागीदारिता में हिस्सा लेने के लिए सहमत है।

इसके आधुनिकीकरण के लिए कई प्रस्ताव थे। अभी भी वहां इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 23,000 श्रमिक हैं। यह सबसे पुराना संयंत्र है। यह लाभ कमाया करता था। अब सरकार ने मात्र 500 करोड़ रुपए की तुच्छ राशि पर इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बेचने का निर्णय किया है। अत्यन्त गम्भीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, और सदस्य भी हैं। क्या आप इस मामले पर और बोलना चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे 5,000 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति बेच रहे हैं और नकद लाभ भी नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है कि संयंत्र का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। वह प्रस्ताव जो मजदूरों तथा पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य दलों की सहभागिता से मंजूर किया गया था, उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। भारतीय आयरन लौह और इस्पात कंपनी को बेचा नहीं जाना चाहिए *...(व्यवधान)* इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें 23,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (भोपाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इतने सीरियस मैटर के बारे में आपसे निवेदन कर रही हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): भारत सरकार भी घाटे में है। तो आप भारत सरकार को भी बेच देंगे *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे 500 करोड़ रु. के मामूली से मूल्य पर इस संपत्ति को बेच रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी का कुल व्यवसाय ही 5,000 करोड़ रु. है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस संपत्ति का मूल्य 5,000 करोड़ रु. से अधिक है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है *...(व्यवधान)*

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा): महोदय, कर्नाटक के भद्रावती स्टील प्लांट पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण का 100 प्रतिशत स्वामित्व है। वे रक्षा विभागों में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं *...(व्यवधान)* इसे सेल को इस शर्त पर सौंपा गया था कि वह आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए धन विनिवेश करेगा *...(व्यवधान)* भद्रावती इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम माननीय इस्पात मंत्री से एक स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं। माननीय इस्पात मंत्री भी यहां हैं। उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)* हम उनसे एक वक्तव्य चाहते हैं कि इसे कैसे बेचा जा रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की ओर से कुछ कहा जाना है?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार द्वारा एक मामूली से मूल्य पर विशाल संपत्ति बेची जा रही है। माननीय मंत्री को इसे स्पष्ट करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुदीप बंद्योपाध्याय बोलेंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को हमारी मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): इसके लिए एक समिति है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह तीसरा मौका है जब हम यहां यह मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री यहां हैं। उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए *यवधान)* यह विश्वासघात है।

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए व एक वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं वक्तव्य देने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। कृपया इस बात को समझें। कृपया श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को बोलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल घटी घटनाओं में ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए। दो घटनाएं कल घटित हुईं, एक घटना हरियाणा में हुई तथा दूसरी आगरा में। दो ननों को बुरी तरह घायल किया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय मंत्री के वक्तव्य का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए नोटिस दिया है। कृपया उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, ईसाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की दो घटनाएं कल घटी हैं—एक आगरा में तथा दूसरी हरियाणा में। काफी लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं निरंतर घट रही हैं। विशेषरूप से ईसाई अल्पसंख्यक बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। ईसाई अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार की जघन्य गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए तथा इसके लिए जो जिम्मेवार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए—चाहे वह बजरंग दल हो अथवा अन्य कोई राजनैतिक दल हो अथवा राजनैतिक समूह। सरकार को मामले की जांच करानी चाहिए।

ऐसी घटनाएं देश में हर रोज घट रही हैं लेकिन उपयुक्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं तथा यह कहते हैं कि ऐसी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए तथा इसके लिए ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटें।

महोदय, तीन नन मौत से लड़ रही हैं। वे बुरी तरह जख्मी हुई हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं तथा सभी राज्य सरकारों से भी अपील करते हैं कि वे इस मामले पर प्राथमिकता से कार्रवाई करें तथा यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह कोई अकेली अथवा एकाकी घटना नहीं है। यह एक गतिविधि का प्रतिमान है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जो कुछ श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, मैं उस पर सहमति व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। यह कोई अकस्मात्, अकेली घटना नहीं है, जो घटी है। यह उस गतिविधि का प्रतिमान है जो निरंतर चल रही है। यह एक प्रकार का जेहाद है, जो इस देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, विशेष रूप से ईसाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध छेड़ा गया है। यह इस सरकार का लोकाचार है, जो हमारे देश में मौजूद है। अल्पसंख्यकों के हितों को लगातार नष्ट करने के लिए यह एक समझी-बूझी चाल है। उनकी संख्या अत्यंत कम है, इस देश में लगभग दो प्रतिशत, तथा उन्हें ही चुना जा रहा है। आज के समाचार-पत्र में उल्लेख है कि बाइबल को जला दिया गया है। इस प्रकार उनके धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है *...(व्यवधान)* इसलिए मैं कहूंगा कि इन जघन्य हमलों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये हमले नियंत्रित ही नहीं किए जाने चाहिएं बल्कि पूरी तरह समाप्त किए जाने चाहिएं। महोदय, मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि समूची सभा इस गतिविधि का विरोध करेगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ तथा श्री राशिद अल्वी ने भी इस विषय पर नोटिस दिए हैं। आप भी अपने को उनके साथ जोड़ सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. जयपाल रेड्डी।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): महोदय, मैंने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है। मुझे भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। श्री राशिद अलवी, आपने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है। आप अपनी भावनाएं उनके साथ जोड़ सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। यह आगरा का मामला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका नोटिस किया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद *...(व्यवधान)* महोदय, यह कोई छिट-पुट घटना नहीं है। मथुरा में जो कुछ हुआ, यह उसकी नवीनतम पुनरावृत्ति है। आगरा के निकट एक गांव में एक पादरी और दो ननों पर हमला किया गया तथा पवित्र बाइबल साहित्य जलाकर राख कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे उड़ीसा में आस्ट्रेलियाई मिशनरी पर किए गए अमानवीय हमले अथवा गुजरात में ईसाईयों के धार्मिक स्थलों पर निरंतर किए गए हमलों के बारे में सभा को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। यह लंबे समय से चली आ रही एक पूर्वनियोजित विकृत गतिविधि का हिस्सा है। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय बजरंग दल का नाम लेने में झिझक रहे थे *...(व्यवधान)* बजरंग दल की छवि एक आतंकवादी संगठन के रूप में संदिग्ध होती जा रही है। यह अपनी सारी ताकतों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। सभी समाचारपत्रों ने बजरंग दल के नाम का उल्लेख किया है।

अत: गृह मंत्री को आगे आकर सभा को विश्वास में लेना चाहिए। वास्तव में, बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन बनता जा रहा है। भारत सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा): यह आगरा संसदीय क्षेत्र का मामला है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अल्वी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अगर आप इसी तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, तो मेरे पास 'शून्य काल' को रद्द करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इस तरीके से मैं

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

'शून्य काल' को कैसे चला सकता हूं? कृपया यह समझिए कि मेरे पास उपलब्ध सूची में 33 नाम हैं जिनमें से सभी को मुझे बुलाना है। वे अग्रिम रूप से नोटिस क्यों दे रहे हैं? सदस्यगण कार्यालय में 10 बजे आ रहे हैं और नोटिस दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैंने राशि अलवी को बुलाया है।

[अनुवाद]

यदि सदस्यों का यही रवैया है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे 'शून्य काल' को कैसे चलाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राज बब्बर जी, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैंने श्री राशिद अलवी को बुलाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): स्पीकर सर, मुझे यह तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम कोई ईश्यू उठाना चाहते हैं तो ये उठाने नहीं देते। इतना महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

यह पूरे देश से संबंधित है।

[हिन्दी]

इसकी वजह से हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये एंटी-डेमोक्रेटिक है *...(व्यवधान)* यह अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतंत्र का मतलब नहीं समझते *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: इस सदन के अंदर क्या सही बात को नहीं उठाया जा सकता, क्या सही बात उठाएंगे तो बजरंग दल और बी.जे.पी. के लोग दबाने का काम करेंगे। आगरा के अंदर *...(व्यवधान)* यह बोलने नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राज बब्बर (आगरा): अध्यक्ष महोदय, आगरा संसदीय क्षेत्र में पुलिस का अत्याचार है। यह मेरे क्षेत्र का सवाल है। *...(व्यवधान)* उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.36 बजे

(इस समय श्री राज बब्बर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अपराह्न $12.36^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री राज बब्बर अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री राशिद अलवी: सर, यह हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, कैसे कम्पलीट करूं? ये लोग बोलने दें तभी तो कम्लपीट करूं। एक आदमी भी नहीं चाहता कि मैं बोलू *...(व्यवधान)* मुझे बहुत तकलीफ के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आगरा के अंदर क्रिश्चियंस के साथ बर्बरता के साथ जो वाकया पेश आया, वह इंतहाई कंडेमनेबल है। टाइम्स

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऑफ इंडिया के पहले पेज पर यह छपा है कि वे लोग फ्राइडे के दिन आगरा पहुंचे और अगले दिन यानि सैटरडे को उनके खिलाफ बजरंग दल के लोग एफ.आई.आर. कराते हैं कि ये हिन्दुओं को क्रिश्चिय बना रहे हैं। महोदय, एक दिन के अंदर आगरा के सारे हिन्दुओं को क्या क्रिश्चियन बना देंगे? वे लोग फ्राइडे को पहुंचे और सैटरडे को कुछ लोगों ने एफ.आई.आर. करके इन लोगों को बंद करा दिया। उनकी वैन के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गये और बाइबल जैसी मुकद्दस किताब को आग लगाने का काम किया। ...*(व्यवधान)* डी.आई.जी. के इंटरवेंशन से ...*(व्यवधान)* टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि डी.आई.जी. के इंटरवेंशन से बजरंग दल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई। क्या डी.आई.जी. गलत आदमी हैं? क्या उसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की ...*(व्यवधान)* बजरंग दल के लोग माइनॉरिटी के खिलाफ वैल-प्लान्ड तरीके से इस देश में कार्रवाई करने में लगे हैं। ...*(व्यवधान)* आगरा के अंदर क्रिश्चियन को मारा जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि किसी देश के किसी भाग में किसी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए और जो भी उसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी के साथ इस प्रकार का वातावरण देश में नहीं बनना चाहिए परंतु कुछ बातों की पूरी जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। एक बार यह कहा गया कि केरल के अन्दर बाईबल जला दी गई। सदन में बड़ा भारी प्रचार किया गया और सवाल उठाया गया। वहां के सबसे बड़े ईसाई नेता ने बाद में कहा, कोई बाईबल नहीं जलाई गई, कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : टाइम्स आफ इंडिया ने लिखा है, हमारी जानकारी है, आगरा में क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हो रही है और यह काम बजरंग दल के लोग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई भी आदमी चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, किसी पर वायलेन्स कर हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ...*(व्यवधान)* बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सदन में माननीय सदस्य माइनोरिटी के नेता बन कर आते हैं और रामलीला मैदान में इमाम बुखारी ने कहा कि मैं आई.एस.आई. एजेंट हूं, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, यहां पर आग लगा दो, सांप्रदायिक दंगे करो, लेकिन उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है। जम्मू-कश्मीर में पांच हिंदुओं को पकड़ कर खुलेआम सांप्रदायिक दंगे करने की बात कही है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। जम्मू में पांच हिंदुओं को पकड़कर उनके मांस को काटकर तला गया, उनका खून पीया गया - यह खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी ...*(व्यवधान)* जम्मू कश्मीर की यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरी छपी है। सबके साथ एक जैसी नीति रखो, अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तो उनकी बात करो, अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है, तो उनकी बात करो और अगर ईसाईयों पर अत्याचार होता है, तो उनकी बात करो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): जम्मू एवं कश्मीर में सरकार है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऑनरेबल मैम्बर्स सदन में हम जो कुछ कर रहे हैं, उसे लोग देख रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : सरकार को इस पर प्रतिक्रिया करने दें, तभी चर्चा बंद होगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मलहोत्रा : मथुरा में जो घटना हुई है, हमने उसकी निन्दा की है। वहां सब लोग गये, इसाई नेता भी गये, उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक घटना नहीं है, यह एक आपसी सोशल झगड़ा है ...*(व्यवधान)* कोई हिंदू, मुसलमान या इसाई का सवाल नहीं है, परंतु ये लोग दुनिया भर में देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों को यहां जितना प्रोटेक्शन है, उतना कहीं नहीं है।

श्री राज बब्बर (आगरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का आभारी हूं...

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप वैल में न आया करें।

श्री राज बब्बर : क्षमा चाहता हूं, यहां तक आया, वापस आ गया।

अध्यक्ष महोदय, आगरा में जो घटना घटी है, शायद बहुत सारी बातों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। वहां स्थिति क्या है, सत्य क्या है, उसका भान नहीं है। वहां पर ईसाई समुदाय के लोगों को मारा गया, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया और उनकी पवित्र पुस्तक को जलाने के बाद केस किया गया *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, एक हादसा बिशप महोदय के सामने हुआ। दो पादरियों को पकड़ कर पुलिस ले गई और बिना एफ.आई.आर. दर्ज किए उन्हें बंद कर दिया गया। 14 तारीख की रात को मैं बिशप साहब से जाकर मिला। मैंने इसे बिल्कुल भी पोलिटीकल इश्यू बनाने की कोशिश नहीं की। डी.आई.जी. साहब से मैंने विनती की कि इसे पोलिटीकल मामला मत बनाइये, इनके साथ ज्यादती हुई है। मैं डी.आई.जी. साहब का आभारी हूं कि उन्होंने सारी इंक्वायरी करने के दो दिन के बाद वहां के इंस्पैक्टर का तबादला कर दिया।

मान्यवर, इन बातों को घुमा-घुमा कर कभी यह कहा जाता है कि इमाम यहां क्या-क्या बोल रहे हैं तो उनके विरोध में क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। इमाम की भी समाजवादी पार्टी मलामत करती है और बाल ठाकरे की भी मलामत करती है। *...(व्यवधान)* दोनों ही एक हैं। *...(व्यवधान)* बातों को घुमाओ मत, हमारी बात सुनो। *...(व्यवधान)* हमारे संसदीय क्षेत्र का मामला है। चाहे बाल ठाकरे हो या इमाम हो। *...(व्यवधान)* जो भी इस देश की सेक्यूलर विचारधारा के खिलाफ बात करेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। *...(व्यवधान)* हमारे संसदीय क्षेत्र की बात है। हम किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि किसी का अपमान न हो, कोई नरसंहार न हो। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि चाहे इमाम का मामला हो या बाल ठाकरे का मामला हो, *...(व्यवधान)* हम आपसे मांग करते हैं कि दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाए। *...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को हटाया जाए। धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, महोदय, यह हम सभी संसद सदस्यों के ऊपर एक आक्षेप के रूप में प्रतीत होता है कि कुछ मूलभूत मुद्दों पर भी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, यह हम सभी संसद सदस्यों के ऊपर एक आक्षेप के रूप में प्रतीत होता है कि कुछ मुद्दे इतने मूलभूत हैं कि हमारे राष्ट्र का समूचा वातावरण विखंडित हो रहा है अथवा यह हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश के समूचे समाज का विखंडन हो रहा है *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): परन्तु वे सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): मैंने आपको बीच में नहीं रोका *...(व्यवधान)* मैंने आपको बीच में नहीं रोका *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आपके सदस्य सरकार पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आपको रोकने के लिए एक बार भी नहीं उठा। कृपया मुझे उसी प्रकार सम्मान दें। मैंने आपको एक बार भी नहीं रोका *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आपके मेम्बर्स गवर्नमेंट को क्यों एक्यूज़ करते हैं।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आपको रोकने के लिए एक बार भी नहीं उठा। कृपया मुझे उसी प्रकार सम्मान दें। मैंने आपको एक बार भी नहीं रोका *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आपके मैम्बर्स गवर्नमेंट को क्यों एक्यूज़ करते हैं।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश सांप्रदायिक एवं जातीय मोर्चों पर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। पूरा देश चंद राजनीतिक प्रयोजनों से छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट रहा है। मेरे विचार से, हम सभी संसद सदस्यों को इस स्थिति में विद्यमान अंतर्निहित खतरों को देखना चाहिए। हम सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए। हमें इस कट्टरवाद का विरोध अवश्य करना होगा। यह उदारवादियों एवं कट्टरवादियों के बीच की लड़ाई है। हम सब किसी भी समुदाय में विद्यमान उदारवादियों का समर्थन अवश्य करें, तथा हमें कट्टरवादियों पर नजर रखनी चाहिए, भले ही वे हमसे जुड़े हों। हम अवश्य प्रयास करें तथा इन गतिविधियों को रोकें। यह सरकार और यहां बैठे सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

मैं अपील करूंगा कि इन सारे मुद्दों का राजनीतिक झगड़ों में विच्छेदन नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा सुझाव देने दें। इसमें एक तरीका है। इस प्रकार की घटनाएं, कुछ वर्ष पहले, गुजरात राज्य में आरंभ हुईं। सभी इसके बारे में जानते हैं। उस समय, गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री गुजरात गए। ...*(व्यवधान)* मुद्दा क्या है? कुमारी उमा भारती जी, मैं आपकी बात पर बैठ नहीं रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमार उमा भारती : सिंधिया जी, मध्य प्रदेश में झाबुआ में जो हुआ है, ...*(व्यवधान)* जो बात आप कह रहे हैं, जिस बात का आप विरोध कर रहे हैं, ...*(व्यवधान)* वही गलती आप कर रहे हैं। आप झाबुआ से शुरू करिए, आप गुजरात से क्यों शुरू कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : उमा जी, हम आपकी विचाराधारा को अच्छी तरह से समझते हैं। ...*(व्यवधान)* आप संसदीय प्रणाली समझती नहीं हैं, जानती नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैं, उनसे निपटने का मामला आप पर छोड़ता हूं। मैं उन पर चिल्लाना जारी नहीं रख सकता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : मैं एक गंभीर मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सिंधिया को अनुमति दी है। कुमारी उमा भारती, कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मेरे पास उनके बारे में भी कहने के लिए काफी कुछ है ...*(व्यवधान)* यदि मैं चाहूं, मैं कुमारी उमा भारती के बारे में बोल सकता हूं, परन्तु मैं कहने नहीं जा रहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री माधवराव सिंधिया को बोलने की अनुमति दी। कुमारी उमा भारती, कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए काफी कुछ है। ...*(व्यवधान)* मैं उनके बारे में भी बोल सकता हूं ...*(व्यवधान)*

उस समय, राज्य सरकार को साफ-सुथरा करार दिया गया था। हमने यह अनुमान लगाया था कि कुछ दमदार वक्तव्य जारी किए जाएंगे तथा राज्य सरकार से उन गतिविधियों को रोकने हेतु प्रयास करने के लिए कहा जाएगा। उड़ीसा में कुछ हुआ जब रक्षा मंत्री ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैंने उन्हें नहीं रोका। कृपया मेरे प्रति भी वही शिष्टाचार दिखाइए ...*(व्यवधान)* मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए काफी कुछ है। मुझे पता है कि पांच वर्ष पहले मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या हुआ है। मैं उसके बारे में बात नहीं करने जा रहा। जब वे वहां गईं, दलित भाईयों तथा बहनों को अपमानित किया गया था। परन्तु मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, कृपया समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, कृपया उनसे न टोकने को कहें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कई नोटिस हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। कृपया स्थिति को नियंत्रित कीजिए ...*(व्यवधान)*

महोदय, यही पद्धति है जो पिछले कुछ वर्षों से जारी है। सरकार को भी उन गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवश्य प्रयास करें। हम किसी भी समुदाय के कट्टरवादियों पर अवश्य प्रहार करें। मैं इसी में विश्वास करता हूं।

मुझे दो सुझाव देने हैं। चूंकि ये घटनाएं जल्दी-जल्दी एवं क्रमिक रूप से घटित हो रही हैं, मेरे विचार से, यह सही है कि संसद सदस्यों को गृहमंत्री की बात, को सुनना चाहिए। उन्हें इस पर वक्तव्य देने दें कि वास्तव में उनका दृष्टिकोण क्या है, वास्तव में क्या हुआ, तथा सरकारी सूचना क्या है। यह मेरा पहला सुझाव है।

[श्री माधवराव सिंधिया]

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुए कितना समय हुआ। इन दिनों हम सांप्रदायिक मोर्चे पर बड़े खतरे देख रहे हैं। अत:, यही वह समय है जब राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जानी चाहिए जहां इस क्रोधावेश को ठंडा किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग इतने भावुक नहीं हैं जितने कि उस ओर बैठे कुछ संसद सदस्य, जो समझदारी से सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वास्तव में यहां, वहां से ज्यादा खतरा है। हमारे साथ यहां कुछ लोग हैं जो समझदारी से सुनने को भी तैयार नहीं हैं। उनकी अपनी कार्यसूची एवं उनके अपने कार्यक्रम हैं। देश कहीं भी जाए, परन्तु वे सोचते हैं, उनके कार्यक्रम जारी रहें। ये मेरे दो सुझाव हैं, यथा—गृहमंत्री द्वारा एक वक्तव्य तथा राष्ट्रीय एकता परिषद की शीघ्र बैठक, जहां इन सभी मामलों पर ठंडे दिमाग से चर्चा की जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं श्री माधवराव सिंधिया की बातों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष जी, बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में जो कहा गया है उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, तो वे रिकार्ड से निकाल दी जाएंगी।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मैं श्री माधवराव सिंधिया की कुछ टिप्पणियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं कि हम सब को इन गौण उद्देश्यों से ऊपर उठना चाहिए तथा हमें, सभी पर सांप्रदायिक होने का कलंक नहीं लगाना चाहिए। मैं डा. विजय कुमार मल्होत्रा से भी पूरी तरह सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, आपका नोटिस उड़ीसा में महाचक्रवात पर था।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): यह भी एक महाचक्रवात है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना केन्द्र और राज्य सरकारों का दायित्व है। यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिये। सरकारें चाहे दिल्ली में बैठी हों या राजधानियों में बैठी हों, यह उनका कर्तव्य है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जैसा श्री सिन्धिया जी ने कहा कि हम सभी राजनैतिक दलों का दायित्व है कि जहां भी ऐसी घटनायें होती हैं, उस राज्य में चाहे किसी दल की सरकार हो, राज्य सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन ऐसी घटनाओं की भर्त्सना होनी चाहिये। अगर इन घटनाओं के पीछे कोई षड्यंत्र है या किसी व्यक्ति का हाथ है तो उसे दंडित करने के लिये राज्य सरकार को आगे आना चाहिये। केन्द्र सरकार को उसमें सभी प्रकार से सुरक्षा और मदद करनी चाहिये। मैं भारत सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन घटनाओं का आपने अभी उल्लेख किया है, उस बारे में मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस संबंध में वे विभिन्न मुख्यमंत्रियों से बातचीत करें और उन राज्यों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिये किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाये। इस प्रकार की बात केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों से की जायेगी। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है कि अगर इसकी बैठक बहुत दिनों से नहीं हुई है तो मैं इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा कि यदि वे इसकी बैठक शीघ्र बुला सकते हैं तो बुला लें। वे इस संबंध में जो निर्णय करेंगे, मैं सदन को इस संबंध में अवगत कराऊंगा। मैं एक बात सदन में स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है। चाहे वह किसी क्षेत्र में रहता हो, चाहे किसी प्रान्त में रहता हो, चाहे वह कश्मीर का अल्पसंख्यक हिन्दू हो, कहीं का मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वह अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक ही है और बहुसंख्यक द्वारा उसकी सुरक्षा करने का कर्तव्य है और हम यह करते रहते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, वह हो गया। उन्होंने रिप्लाई दे दिया है। मि. खरबेला स्वैन।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, श्री राज बब्बर ने बाला साहेब का नाम लिया है, वह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री खारबले स्वाइं : महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा में महा-चक्रवात से हुए विनाश की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होगी तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् के बारे में प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। इस बारे में सिंधिया जी ने भी कहा लेकिन हमने पहले कहा था कि राष्ट्रीय एकता परिषद् में जाने से पहले हमने नोटिस दिया है। आपने कहा कि दुबारा दे दो तो हमने दोबारा दे दिया है। साम्प्रदायिक शक्तियों के बारे में जब पूरे सदन में चर्चा होगी, उसके बाद ही हम मिल कर कोई काम कर सकते हैं और इसीलिये हमने नियम 193 के अधीन यह नोटिस दिया हुआ है। इन साम्प्रदायिक शक्तियों में बजरंग दल और आर.एस.एस. आ सकते हैं जिस पर विस्तार से चर्चा हो जायेगी। इन लोगों को भी मौका मिलेगा। श्री मल्होत्रा जी ने कहा कि हिन्दुओं को मुसलमानों का ध्यान रखना चाहिये जबकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देश में साम्प्रदायिकता के लिये अल्पसंख्यक मुसलमान खतरनाक नहीं जितने बहुमत हिन्दू। इसलिये आगरा में जो कुछ हुआ है, हम चाहते हैं कि बाकायदा सदन में चर्चा होनी चाहिये। हमने नियम 193 के अधीन नोटिस दिया हुआ है। उसकी राष्ट्रीय एकता परिषद् में बात हो जाये और यदि सभी दल मिल कर साम्प्रदायिकता के खिलाफ बात करें, तभी पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, इसका समाधान हो गया है।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में सरकार सतर्क है। इस सदन में आज जो चर्चा हुई, वह विपक्ष की तरफ से शुरू नहीं हुई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ से चर्चा शुरू की गई थी, इनमें से किसी ने शुरू नहीं की थी।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने कब कहा कि हमारी तरफ से आई *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, बाला साहब का नाम लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हमने बोल दिया है कि जो आब्जेक्शनेबल होगा वो रिकार्ड से एक्सपंज कर देंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, हमारी आपत्ति यह है कि श्री मुलायम सिंह जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों से ज्यादा साम्प्रदायिक हिन्दू बाहुल्य हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री अनंत गंगाराम गीते : सर, इन्होंने कहा है कि हिंदू हमेशा साम्प्रदायिक है *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, इस देश के तमाम हिंदुओं को सांप्रदायिक कहकर उनके ऊपर यहां इल्जाम लगाना गलत है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं उड़ीसा राज्य में व्याप्त गंभीर स्थिति के बारे में सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, यह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इन्होंने गलत बताया है *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगासम गीते : अध्यक्ष जी, तमाम हिंदुओं को सांप्रदायिक कहकर उन्हें इस देश के अंदर गाली देने का अधिकार इन्हें नहीं हैं। आप हिंदुओं को गाली नहीं दे सकते *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया इस बात को समझें कि मैंने पहले ही यह कह दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री खारबेल स्वाइं को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए।]

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी ने यहां पर स्टेटमैंट दी कि ज्यादा से ज्यादा दंगे हिन्दुओं ने किये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल नहीं है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने कहा कि जो भी अब्जैक्शनेबल होगा, वह डिलीट किया जायेगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आप लोगों को बताया है कि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि आपत्तिजनक टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

अपराह्न 2.07$^{1}/_{2}$ बजे

(एक) कीटनाशक (संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कीटनाशक अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कीटनाशक अधिनियम 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.08 बजे

(दो) प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्यक्ष करों से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.4.2000 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रत्यक्ष करों से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में जबलपुर से और अधिक विमान सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जबलपुर विमानतल का करोड़ों की लागत से विस्तार किया गया है परन्तु राष्ट्रीय हवाई मार्ग एवं बोइंग विमान-सेवा न उपलब्ध होने के कारण हवाई यातायात के पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान में जो हवाई-सेवा जबलपुर में उपलब्ध है, वह छोटा 13 सीटर डोर्नियर विमान है। इस कारण यात्रियों को हमेशा पांच-पांच दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बड़े विमान के लिये यात्री भी उपलब्ध हैं इसलिए जबलपुर में बोइंग विमान-सेवा की अत्यन्त आवश्यकता है।

यदि यहां से दिल्ली-जबलपुर-रायपुर, भोपाल, नागपुर हवाई सेवा प्रारंभ कर दी जाये तो यात्रियों को मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नागपुर से अनेक सेवाओं का लाभ मिल सकता है। जबलपुर में विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। उन क्षेत्रों में भी विकास हो सकता है।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

(दो) नित्यानन्द नगर, घाटकोपर, मुम्बई में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि का कब्जा मूल भू-स्वामियों को वापस दिलाने के संबंध में मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): महोदय, नित्यानन्द नगर, घाटकोपर, मुम्बई में पिछले 40 वर्षों से 25,000 से अधिक लोग रहते हैं। यह भूमि भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की है। भारत सरकार ने इस भूमि को कुछ निजी भू-स्वामियों से पट्टे पर लिया था। हाल ही में उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि यह भूमि खाली कराकर मूल भू-स्वामियों को वापस दी जाए। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 25,000 लोगों को नोटिस जारी किए हैं इससे ये दलित परिवार बेघर हो जाएंगे। न्यायालय में उचित विधि से अभ्यावेदन करना आवश्यक है। अत: इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अत्यावश्यकता है। सरकार को इन 25000 दलित, झुग्गी-झोपड़ी वासियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

(तीन) पचास सीटों वाले विमान का उपयोग कर कलकत्ता-शिलांग विमान सेवा पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. किंडिया (शिलांग): महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का राज्य मेघालय वर्तमान में विमान सेवा से नहीं जुड़ा है और यह देश के विमानन मानचित्र में नहीं है। राज्य की राजधानी और 1874 से 1972 में मेघालय के निर्माण तक असम की पूर्व राजधानी शिलांग विमान सेवा से नहीं जुड़ा है हालांकि यहां उमरोई में 6000 फुट का एयरफील्ड है और इससे राज्य कलकत्ता से विमान सेवा से जुड़ा था। इस प्रकार इस एयरफील्ड और इसके निर्माण पर व्यय की गई भारी धनराशि व्यर्थ हो गई है। इस हवाई पट्टी की लम्बाई बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि यहां पर बड़े विमान उतर सकें, किंतु इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लंबित होने के कारण, जिसमें समय लगेगा, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स या किसी निजी विमान सेवा द्वारा 50 सीटों वाले विमान का उपयोग कर कलकत्ता-शिलांग के बीच विमान सेवा पुन: आरंभ की जाए।

(चार) देश में विशेष रूप से बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालीन बुनकरों के कल्याण के लिए ठोस योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद): महोदय, मैं देश में विशेषरूप से औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ओबरा विकास खंड के

[श्रीमती श्यामा सिंह]

कालीन बुनकरों की दयनीय दशा की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ही हजारों कालीन बुनकर हैं। विगत कई वर्षों से वे वित्तीय और अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे कालीन बुनकरों को न तो राज्य सरकार ही और न ही वित्तीय संस्थाएं किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दे रहे हैं। कालीन बुनकर अनेक समस्याओं और कच्चे माल की कमी और राजसहायता प्राप्त कच्चे माल की अनुपलब्धता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखना असंभव प्रतीत होता है। अत: इस बात की अत्यावश्यकता है कि केन्द्र सरकार देश भर के विशेष रूप से औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कालीन बुनकरों के कल्याण और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ठोस योजना बनाए। केन्द्र सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उन्हें ऋण आदि उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे ताकि वे अपना अस्तित्व बचा सकें।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि कालीन उद्योग को बचाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए।

(पांच) बिहार में सीतामढ़ी स्थित दूरभाष केन्द्र का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का सीतामढ़ी नेपाल सीमावर्ती एवं बाढ़ग्रस्त जिला है। यहां प्रति वर्ष बाढ़ एवं बरसात के दिनों में ग्रामीण एवं प्रखण्ड से सड़क मार्ग बाधित होने के कारण जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। ऐसी स्थिति में दूरभाष से ही सम्पर्क किया जा सकता है। सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंज टैक्नीकल खराबी के कारण महीने में 20 दिन बाधित रहता है। टेलीफोन सेवा में सुधार के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर माननीय मंत्री महोदय, दूरसंचार तक सम्पर्क किया गया मगर आज तक एक्सचेंज की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सीतामढ़ी के टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन रजिस्ट्रेशन बिल जमा करने, फोन में खराबी की शिकायत आदि के लिए जिला से 70 कि.मी. की दूरी पर मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है जिसके कारण पूरे एक दिन का समय बर्बाद हो जाता है। सीतामढ़ी से पुपरी, महुआगाच्छी, मुजफ्फरपुर आदि कहीं भी लोकल सेवा उपलब्ध रहते हुए भी टेलीफोन एक्सचेंज में खराबी की बात नहीं होती है जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंज की एस.टी.डी. सेवा हमेशा फेल रहती है।

अत: माननीय संचार मंत्री जी से आग्रह है कि सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचैंज को जिला का दर्जा देकर वित्तीय वर्ष 2000-2001 में शिलान्यास कर कार्य आरम्भ कराएं तथा सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर, पुपरी-मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी-पुपरी, सुरसण्ड, बाजपट्टी, परिहार, सोनबरसा, नानपुर, महुआगाच्छी, रायपुर आदि टेलीफोन एक्सचैंज को ओ.एफ.सी. सेवा से जोड़ा जाए जिससे कि स्थानीय उपभोक्ताओं को एस.टी.डी. एवं आई.एस.डी. सुविधा में आ रही बाधा अविलम्ब दूर हो सके।

(छह) तटीय अवसंरचना के समेकित विकास के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मछुआरे हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। यह सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग भी है। हमारे मछुआरा समुदाय का जीवन-स्तर और कार्य करने की परिस्थितियां अत्यन्त दयनीय हैं। मछुआरा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विकास संबंधी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पर्याप्त आवास परियोजना, मूल सुविधाओं जैसे पीने का पानी, विद्युत, सफाई प्रबंधों जैसे मुद्दों पर देर करने की गुंजाइश नहीं है। मछुआरों को आधुनिक फाइबर नौकाएं दिए जाने की भी आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मत्स्य क्षेत्र के समेकित विकास के लिए पर्याप्त और प्रभावी पैकेज तैयार करें।

केरल सरकार ने 103.75 करोड़ रु. की लागत पर तटीय आधारभूत संरचना के समेकित विकास के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग को एक परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरी केन्द्र सरकार से अपील है कि वे इस पर अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए विचार-विमर्श करें।

अपराह्न 2.18 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अन्तर्गत मद संख्या 17 पर चर्चा करेगी। इस मद के लिए दो घंटे का समय आबंटित किया गया है। प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों के अन्दर वर्षा के अभाव में घोर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और दुर्भिक्ष और भयावह अकाल की स्थिति अत्यन्त क्षोभजनक स्थिति में पहुंच चुकी है।

इसी संदर्भ में मैं आपका, कार्य मंत्रणा समिति का तथा माननीय प्रधान मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा व सूखे के कारण देश के विभिन्न भागों में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस स्थिति के दर्द को समझकर हाउस के अन्दर हमें चर्चा करने का, विचार-विमर्श करने का समय प्रदान किया है और इसके बाद में मदद के लिए कदम आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से उन सब के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और भी प्रसन्नता का विषय है कि कल ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र के नाम पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के ऊपर सारे देशवासियों के नाम से एक अपील जारी की है कि देश के अन्दर चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, जहां पर भी सूखे की स्थिति पैदा हुई है, वह इतनी भयावह है कि उसे एक प्रकार से राष्ट्रीय आपदा मानकर जिस प्रकार से उड़ीसा में चक्रवात के समय सारे देश के निवासियों ने उदारतापूर्वक, मुक्त हस्त से सहयोग किया था और उसमें सारे समाज के लोगों ने हाथ बंटाया था और जिस प्रकार कारगिल में आपरेशन विजय के नाम पर प्रधान मंत्री की अपील पर सारे राष्ट्र ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए सहायता प्रदान की थी, उसी प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने अपील की है कि नेशनल केलेमिटी फंड या प्रधान मंत्री सहायता कोष के लिए मदद दी जाए। यह भी सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं राजस्थान की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करूंगा। वैसे तो अकाल की स्थिति देश के किसी भी राज्य में हो, हमें अनुभूति होनी चाहिए। जैसे शरीर में एक अंगूठे में अगर कांटा चुभता है तो दर्द सारे शरीर में होता है। हाथ यह नहीं कहता कि केवल अंगूठे की चुभन है या आंख यह नहीं कहती कि यह अंगूठे का दर्द है। यह संवेदनशीलता सारे शरीर को अनुभव होती है। जब दर्द होता है अंगूठे में तो हाथ वहां बार-बार जाता है। आंख उस कांटे को देखकर कहती है कि इसे निकालो और जब वह कांटा निकल जाता है तो पूरे शरीर को आराम मिलता है। उसी तरह देश में कहीं भी पड़ने वाली प्राकृतिक विपदा में सभी देशवासियों को हाथ बंटाना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल की बड़ी भयावह स्थिति है। राजस्थान में लगातार तीसरे वर्ष अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। पिछले साल और उसके पहले के साल कम वर्षा हुई थी। इस बार तो वर्षा हुई ही नहीं, जिसकी वजह से खरीफ और रबी की फसल बर्बाद हो गई। वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। गांवों की अर्थव्यवस्था पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। इस कारण जानवरों के लिए चारा नहीं हुआ। इस वजह से मवेशियों को पालना मुश्किल हो गया है। गांवों में कुएं, हैंडपम्प, तालाब, बावड़ियां आदि सब सूख गए हैं। जहां कहीं पहले का थोड़ा सा पानी था और पानी नहीं आने के कारण वह भी सूख गया है। भूजल का स्तर बहुत नीचे हो गया है, क्योंकि उसका काफी मात्रा में दोहन कर लिया गया है। इससे पेयजल संकट गम्भीर रूप से उत्पन्न हो गया है।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़ों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के अंदर आता है। देश की कुल आबादी का 5.01 प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर है, परन्तु देश के कुल जल संसाधन की तुलना में कुल एक या दो प्रतिशत जल संसाधन ही वहां उपलब्ध हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। देश के कई और राज्यों में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन राजस्थान में प्राकृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति विशेष बनी हुई है इसलिए उसको विशेष संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में माना जाना चाहिए। वहां अधिकांश भाग थार का रेगिस्तान है, अरावली का पहाड़ी क्षेत्र है, वनों का अभाव है इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। हर दूसरे या तीसरे साल अकाल पड़ता रहता है। सम्वत् 2056 का यह अकाल काफी भयावह है। यहां माननीय पायलट जी बैठे हुए हैं, वे जानते होंगे कि गांव में इसे छपनियां का अकाल बोला जाता है। इस तरह का अकाल सम्बत् 1956 में पड़ा था, तब लाखों लोग मौत के शिकार हुए थे। इस तरह से वहां बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो रही है। देश में जितने जल संसाधन हैं, उसका केवल एक प्रतिशत वहां उपलब्ध है। इसलिए राजस्थान का 76 प्रतिशत भाग असिंचित है। इसलिए वहां के लोग वर्षा के सहारे ही रहते हैं। अगर राम जी राजी हो गए तो वर्षा अच्छी हो जाती है और वर्षा अच्छी होने से किसान की खेती भी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर राम जी या राज रूठ गए तो स्थिति कैसी हो सकती है, उसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वर्षा नहीं होने से जनता और पशुओं के सामने रोजी-रोटी और चारे की समस्या पैदा हो गई है। राजस्थान में कुल 32 जिले हैं, जिनमें से 26 जिले ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। कई जगहों पर केवल 0.1 या 0.2 इंच ही वर्षा हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 128.90 लाख हेक्टेयर की बुवाई का जो लक्ष्य था, उसकी तुलना में 116.84 लाख हेक्टेयर में फसल की बुवाई वर्षा ऋतु के समय हुई थी। फसल की बुवाई के समय पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण

[प्रो. रासा सिंह रावत]

उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत अन्न के मामले में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल पड़ने पर सारी चीजों की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

अपराह्न 2.25 बजे

[श्रीमती माग्रेट आल्वा *पीठासीन* हुई]

वर्षा नहीं होने के कारण, फसल पैदा नहीं होने के कारण कैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अन्न के उत्पादन में 54 प्रतिशत, दालों में 73 प्रतिशत, खाद्यानों में 56 प्रतिशत, तिलहन में 23 प्रतिशत, कपास में 26 प्रतिशत और गवार, राजस्थान में पशुओं को खिलाने के लिए जो होता है, उसमें 30 प्रतिशत की हानि हुई। सरकारी अनुमान के अनुसार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 2155.20 करोड़ रुपये की फसल की हानि राजस्थान में वर्षा नहीं होने से और फसल की पैदावार वगैरह नहीं होने से हुई। 21 जिलों में से 34693 गांवों में से 23406 गांव अकाल से प्रभावित हैं। मैं गांवों के आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक पंचायत के अंदर राज्य सरकार ने केवल साठ लोगों को लगाया है जबकि हर पंचायत के अंदर औसत गरीबी की रेखा से नीचे 300 के लगभग लोगों की संख्या है और 300 आदमियों को काम मिलना चाहिए, वैसे अकाल पड़ा हुआ है तो गांव में हर आदमी जो काम करने लायक है, उसे काम मिलना चाहिए। गरीबी की रेखा से नीचे लोगों को लिया जाये तो 300 आदमियों को काम एक पंचायत में मिलना चाहिए लेकिन पंचायत में 60 लोगों को काम मिल रहा है मेरे अजमेर जिले में 276 पंचायतें हैं और उनमें एक-एक पंचायत में 60 हैं तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह से अप्रैल 2000 में संख्या बढ़ाने की बात हुई है, वह भी ऊंट के मुंह में जीरा के तुल्य होगा। 18085 गांवों में से 76 से 100 प्रतिशत तक और 5021 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत फसल की हानि हुई है। ये आंकड़े सरकार के पास पहले ही पहुंच गये होंगे, मैं केवल सरकार की जानकारी के लिए दे रहा हूं। दो करोड़ इकसठ लाख उन्यासी हजार जनसंख्या तथा तीन करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार पशु इस अकाल से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में जो सूखे की स्थिति है, मैं केवल राजस्थान के आंकड़े बता रहा हूं। गुजरात के या आन्ध्र प्रदेश के आंकड़े नहीं हैं। गत वर्ष भी और इस सब राज्यों में भीषण स्थिति है। राजस्थान और गुजरात में कच्छ का इलाका तथा सौराष्ट्र का है जहां स्थिति काफी खराब है। उत्तरी गुजरात के इलाके में भी स्थिति काफी खराब है। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है और वे मौत का शिकार हो रहे हैं। ये तीन करोड़ पैंतालीस लाख तथा साठ हजार पशु और दो करोड़ इकसठ लाख जनसंख्या सूखे से प्रभावित है। गत वर्ष भी सूखे के कारण लगभग 20679 गांवों में सूखा पड़ा था। निरंतर दो साल से सूखे के कारण जनता की क्रय शक्ति भी खत्म हो गई है और रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से लोगों को एक नवम्बर से काम मिलने वाला था लेकिन पता नहीं कौन से झगड़े में एन.सी.एफ. और नेशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ इस तरह के दो झगड़ों के अंदर हम कहते रहे कि राजस्थान सरकार के पास 300 करोड़ रुपये हैं और वह काम शुरू करे और वह कहती रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, केन्द्र से पैसा नहीं आया। 9 जनवरी को राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सांसदों की बैठक बुलाई थी और तब तक कोई भी राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था जबकि पहली योजना के अनुसार एक नवमबर से राहत कार्य प्रारम्भ करना था। इससे लोगों के सामने रोजी-रोटी की भयंकर समस्या पैदा हो गई थी। गांव के गांव खाली हो गये, मकानों में ताले लग गये और जानवरों को तिलक लगाकर छोड़ दिया गया, वे भी मौत के मुंह में चले गये। गांवों के बाहर जाओ तो हड्डियों के, कंकालों के ढेर दिखाई पड़ेंगे। कत्लखाने जानवरों को भेजा जा रहा है। बहुत से लोग जो कत्लखाने नहीं भेजने देना चाहते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। राजस्थान में गोवंश पशुधन एक्ट लागू है, परिणामस्वरूप गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए पशुओं के सामने अस्तित्व की समस्या है। जिन गांवों में सूखा पड़ा है, उनमें 22.59 लाख भूमिहीन और सीमान्त किसानों हैं। यह ध्यान देने की बात है। एससी की संख्या 52.77 लाख है और एसटी की संख्या 47.08 लाख है। इसमें दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और मध्य राजस्थान में मोटे अनुमान के अनुसार एससी, एसटी और लघु तथा सीमान्त किसानों की बहुत बड़ी संख्या है। सरकारी लेखों के अनुसार 52.36 लाख परिवारों के लिए एक नवम्बर, 1999 से रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक माना गया। परन्तु दिसम्बर तक जितनी भी मीटिंग हुईं, उनमें कोई भी अकाल राहत कार्य नहीं खोला गया, जबकि दो लाख जनता को काम देने का आश्वासन राजस्थान सरकार ने दिया था। लेकिन नेशनल कैलेमिटी फण्ड फार कैलेमिटी रिलीफ, इन दोनों का चक्कर चलता रहा और कहा जाता रहा कि एक पैसा दे, तो राहत कार्य शुरू किया जाए। राजस्थान सरकार कहती रही कि हमारे पास नहीं है, हम तो काम करना चाहते हैं, जबकि केन्द्र ने सारा पैसा भेज दिया। केन्द्र की जितनी भी योजनायें गांवों के अन्दर चलती थीं, उन सबका पैसा भेज दिया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न देने की वजह से योजनाओं का पैसा रुक गया और जो पैसा गया, वह अन्य कार्यों पर खर्च किया गया। इसके बारे में तो सरकार अपना ब्यान देगी, लेकिन मैं वस्तुस्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मैं राजनीति के ऊपर उठकर अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं किसी विशेष दल या सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप इसको अन्यथा न लें, वस्तुस्थिति सदन के सामने रखना मेरा कर्तव्य हैं। राजस्थान की वार्षिक योजना 5020 करोड़ रुपए से घटा कर 3900 करोड़ रुपए कर दी गई। योजनाओं के अन्दर जो चालू कार्य थे, वे बन्द कर दिए गए और नए कार्य शुरू करने पर रोक लगा दी गई। ऐसी स्थिति में भुखमरी और बेरोजगारी के कारण राज्य की जनता गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में पलायन करने लगी। गांव के गांव खाली हो गए, पशुधन मर गए और गांव के लोगों को गरीबी और बेरोजगारी के अभाव में गांव छोड़कर जाना पड़ा। स्थिति बड़ी भयंकर है। इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा मानकर केन्द्रीय सरकार को खुले दिल से मदद करनी चाहिए, ताकि राजस्थान को इस संकट से निजात मिल सके। जमीन सूख जाती हैं, तो फसल खराब हो जाती हैं और पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में रिचार्जिंग होने में समय लगता है। भूमिक्षरण के कारण ठीक होने में दो-तीन साल लग जाते हैं। आने वाले समय में इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर भगवान की कृपा से बारिश हो भी गई तो एक दम अच्छी फसल पैदा नहीं होती है। जून और मई का महीना तो बहुत ही खतरनाक है।

सभापति महोदय : आपकी तरफ से दस लोगों ने बोलना है। आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

प्रो. रासासिंह रावत : महोदय, मैं वस्तुस्थिति के बारे में बता रहा था। अकाल के कारण वहां से पलायन शुरू हो गया। जैसा मैंने कहा 345.7 लाख पशु प्रभावित हुए और नागौर बैल, थारपरकर बैल, काकरा बैल जैसी नसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। 26 जिलों के अन्दर चारे और पानी की समस्या पैदा हो रही है। आदमी को तो काम में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। 60 रुपए मजदूरी राजस्थान में हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबित एक अप्रैल से शुरू हुई है। आदमी तो जैसे-तैसे पेट भर लेगा, लेकिन पशुओं के चारे के लिए पैसा कहां से आएगा। इसलिए उनके लिए भी कुछ प्रबंध करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत, यहां खाद्य मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके लिए 20 किलो की जगह 30 किलो अनाज रियायती दरों पर प्रदान करें। अनाज मिलने से उन्हें अकाल के दिनों को काटने तथा अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करने में कठिनाई नहीं होगी।

मैं पशुओं के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है कि पशुओं के लिए साढ़े तीन रुपए से लेकर चार रुपए प्रति किलो चारा मिलता है। एक पशु के लिए पांच किलोग्राम चारा चाहिए। इस हिसाब से जून, 2000 तक आठ महीने के लिए पशु को बचाने के लिए 4800 रुपए का चारा चाहिए। जहां रोजी-रोटी के लिए अकाल पीड़ित लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उनके लिए महंगे भाव का चारा खरीद कर पशुओं को बचाने का विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए विवश होकर पशु मालिकों ने पशुओं को छोड़ना शुरू किया। जब एक पशु के लिए इतना चारा चाहिए तो हम चाहेंगे कि जहां राजस्थान के पशुधन को जो खेती के लिए महत्वपूर्ण साधन है, कृषि एक महत्वपूर्ण अंग है और उनके आर्थिक संसाधन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है, उसे बचाने के लिए भी सरकार विशेष अनुदान प्रदान करे और चारा जिन राज्यों में मिलता हो, वहां से उसे रेल गाड़ियों के अंदर मुफ्त में, बिना किराया लिए हुए चारा भिजवाने की व्यवस्था की जाए। राजस्थान के जहां-जहां चारे के डिपो या बड़े केन्द्र हैं, राज्य सरकार उन डिपो तक पहुंचा सके, पशुधन को बचाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। यह सभी व्यवस्था हो जाएगी लेकिन पेय जल कहां से आएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हैंड पम्प सूख गए। जयपुर जैसे शहर में पानी की समस्या है। जयसम जैसी बड़ी झील सूख गई। उदयपुर के जल के स्रोत सूख गए। अजमेर के अंदर पानी का संकट है, शहरों के साथ-साथ गांवों में भी पेय जल का भयंकर संकट है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि टैंकरों के द्वारा, रेल गाड़ियों के टैंकरों में पानी भर कर, जहां-जहां बहुत ज्यादा कमी है वहां पानी पहुंचाया जाए और राज्य सरकारों द्वारा भी टैंकरों के माध्यम से, केन्द्र द्वारा पैकेज की घोषणा करके जिन गांवों में पानी की कमी है वहां पानी दिया जाए। यह तो तात्कालिक उपाय है, इसलिए इसके साथ-साथ जमीन का जलस्तर ऊंचा उठे, इसके लिए तालाबों की सफाई बहुत आवश्यक है। तालाबों की मिट्टी निकलवाना, बांधों को ठीक करवाना, छोटी-छोटी नलियां बनवाना आवश्यक है ताकि पानी ठीक से निकल सके। ऐसा भी कोई प्रबंध करना बहुत आवश्यक है जिससे कि पानी को इकट्ठा किया जा सके और सूखा पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। हर साल अकाल पड़ता है और हर साल यहां बहस हो जाती है तथा सरकार उत्तर दे देती है, कुछ तात्कालिक उपाय हो जाते हैं। लेकिन उसका जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। हम स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती और संविधान की स्थापना का भी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, इन 50 वर्षों में भी अगर हम पेयजल के संकट का निवारण नहीं कर पाएं, अकाल की समस्या का स्थाई समाधान न खोज पाएं तो यह हम सब के आगे एक प्रकार का प्रश्न-चिह्न है। राजस्थान को जो भयावह सूखे की उत्पन्न स्थिति है, यह तीन प्रकार का काल है—पानी, पशु और रोजी-रोटी का। ...*(व्यवधान)* इसलिए तीनों की व्यवस्था के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करें और काम के बदले अनाज योजना, पानी की समस्या और चारे की समुचित व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

श्री शीश राम ओला (झुंझनु): सभापति महोदया, मैं आभारी हूं कि आज सदन में अकाल पर चर्चा हो रही है और आपने इस अवसर पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। महोदय इस समय कई प्रान्तों में भयंकर अकाल है किंतु राजस्थान इनमें सबसे ज्यादा अकालग्रस्त है। महोदय मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अकाल की मां ने अकाल से पूछा था कि बेटे तू जा रहा है, यदि मैं बीमार हो गई तो कहां तलाश करूंगी, तो अकाल ने कहा कि यह पूछने की बात नहीं है, मेरा पक्का घर तो राजस्थान में है। मैं कहीं जाऊं या नहीं जाऊं लेकिन राजस्थान में जरूर जाऊंगा। सभापति जी राजस्थान उन प्रान्तों में से है जो पाकिस्तान की लम्बी सीमा से मिला हुआ है।

यहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, बरसात के अभाव में गाय, भैंस व अन्य पशुओं को चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है। तीन साल से लगातार राजस्थान अकाल से पीड़ित है। कुल 34,609 गांवों में से 23,500 गांवों में भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है। अकेले राजस्थान में पौने चार करोड़ पशु और साढ़े तीन करोड़ मनुष्य अकाल से प्रभावित हैं।

राजस्थान एक पशुपालक राज्य है और यहां से दूध दिल्ली तक आता है, अगर यही स्थिति बनी रही तो राजस्थान के साथ-साथ दिल्लीवासी भी दूध के लिए तरस जायेंगें। दूधारू पशुओं को किसान बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा है, पशुओं के मालिकों की आंखों में आंसू हैं, मालिक चारे के अभाव में गाय, बैल व बच्छड़े आदि को गले में लाल धागा बांध कर आंसू भरे नेत्रों से उन्हें छोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि वे उन्हें चारे के अभाव में बचा नहीं पायेंगे। महोदय केन्द्र सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि राजस्थान सरकार के सीमित साधनों के बावजूद चार लाख से अधिक लोग राहत कार्यों में लगे हुए हैं और अपने सीमित साधनों के बावजूद कई चारा डिपो खोले एवं पशुओं को बचाने हेतु टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रधानमंत्री जी से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नवम्बर 1999 में 1145 करोड़ रुपये अकाल राहत हेतु मांग की थी। रासा सिंह जी कह रहे थे कि बहुत रुपया राज्य सरकार को भारत सरकार ने दिया हैं। तो वो रुपये आखिर गये कहां? महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि केवल 103 करोड़ रुपये दिये गये है जबकि 32 जिलों में से 26 जिले सम्पूर्ण रूप से अकाल से पीड़ित हैं। ...*(व्यवधान)* अकाल से निपटने के लिए केवल सरकार से 1145 करोड़ रुपये की मांग की गई थी इससे पहले 1988-89 में भयंकर अकाल पड़ा था तब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार तीन-चार दिन व दूसरी बार दो-तीन दिन सड़कों के माध्यम से वहां के दौरे किये थे और 2600 करोड़ रुपये से अधिक अकाल से निपटने के लिए राज्य सरकार को दिये थे उस वक्त के भावों में और आज के भावों में बहुत अन्तर हो गया है राहत कार्य के लिए एक व्यक्ति को 44 रुपये मजदूरी दी जाती थी जो एक अप्रैल से 60 रुपये कर दी गई है। जबकि 1988-89 के और आज के भाव में कितना अन्तर बढ़ गया है। आप भलीभांति जानते हैं जो 103 करोड़ रुपया राहत के नाम पर दिया गया है वह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। महोदय मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि 23500 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं तथा एक गांव में तीन-चार पांच किलो मीटर पर दस-दस पन्द्रह ढाणीयां हैं, जहां पानी पहुंचाना है, वहां के पशुओं को बचाना और रोजगार कार्य शुरू करना आदि सरकार के कार्य होना चाहिए था किन्तु अभी तक भी केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध नहीं करायी है। जिससे राज्य सरकार को अकाल से निपटने में भयंकर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मई में 6 लाख और जून में 8 लाख लोगों को रोजगार मिले।

यह राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित है किंतु जहां 3 करोड़ से अधिक लोग अकाल से प्रभावित हैं वहां सिर्फ 8 लाख लोगों को रोजगार मिले क्या लोग बच पायेंगे? वह अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, मवेशियों को नहीं बचा पा रहे हैं। जबकि राजस्थान का पशुधन वहां के किसानों और लोगों के लिए जीवन निर्वाह का एक मात्र साधन है। अकाल की गम्भीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार को चाहिए कि राजस्थान को अधिक से अधिक सहायता दी जाये। इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। राजस्थान में हजारों की संख्या में हर रोज मर रहे हैं, मां बाप अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे है, वे असहाय हैं और खुद बच्चों की हालत देखकर रोते हैं।

सभापति महोदया, पिछले वर्ष जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तब राजस्थान सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च किये थे जबकि केन्द्र सरकार ने केवल 21 करोड़ रुपये ही दिया था। इस साल राज्य सरकार ने 1145 करोड़ रुपये की मांग की है जबकि मिले हैं केवल 103 करोड़ रुपये। वहां राज्य सरकार को दो-ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा तब कोई जाकर पशुधन और इन्सान को बचा पायेंगे। इसलिए यदि पशुधन और इन्सान को मौत के मुंह से बचाना है, तो उन लोगों को रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। साथ ही राज्य सरकार ने सहायता राशि मांगी है, उसे केन्द्र सरकार अति शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें ताकि राहत कार्य को और बढ़ाया जा सके।

सभापति महोदया, राजस्थान में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सारा क्षेत्र सूखा पड़ा है। जंगल में पशु निकलते हैं तो उन्हें चारा नहीं मिलता, कहीं भी हरियाली नजर नहीं आ रही है। राजस्थान में नागीरी जाति के बैल बहुत मशहूर हैं, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छोटी जोतों में काम आते हैं। उनकी नश्ल अकाल के कारण समाप्त हो जायेगी यदि यह नश्ल समाप्त हो गई तो राजस्थान स्वयं बर्बाद हो जायेगा। उसके पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं बचेगा। राजस्थान में कोई नहर नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है बहुत लम्बा क्षेत्र सूखा है। वहां पीने का पानी भी जमीन में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान का किसान पाकिस्तान के साथ मिलते हुए बोर्डर पर बहुदूरी से बैठा है। मुझे याद है कि 1962 की लड़ाई में तेजपुर कलेक्टर मुख्यालय छोड़कर भाग गया था जबकि राजस्थान का किसान बराबर वहां डटा रहा है। उधर पाकिस्तान की आबादी है और ईधर भारत की ढाणियों में जहां किसान अकेला बैठा रहा वहां अब पानी भी नहीं रहा। बीस-बीस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर से पीने का पानी अन्यत्र जगहों से लाया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान की विषम स्थिति को देखते हुए अकाल राहत सहायता अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करें। आज राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से चारा डिपो खोले हैं। यहां तक कि हमारे जालौर सांसद बूटा सिंह जालौर व सिरोही जिले के लिए पंजाब से भूसे के ट्रक लाये हैं। ताकि लोगों को राहत मिले। मैंने उनसे आज ही बात की है, उन्होंने कहा कि रेल के डिब्बे नहीं मिल रहे हैं, जबकि उन्होंने भूसा इकट्ठा कर रखा है चाहे वहीं ले जावें। कम से कम उनके जिले के लोगों को तो सुविधा मिलेगी। राजस्थान में 23500 गांव हैं परन्तु कई ढाणियां हैं जहां चारे की कोई व्यवस्था नहीं है व्यवस्था नहीं होने से पशुधन मर जायेगा, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो इन्सान भी नहीं बच पायेगा। इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि केन्द्र सरकार शीघ्रताशीघ्र राज्य सरकार को अकाल राहत सहायता प्रदान करें।

ताकि वहां के पशुधन व इन्सानों को बचाया जा सके और अकाल से निपटा जा सके। मैं पुनः पुरजोर शब्दों में आपसे बहुत ही गम्भीरतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल की स्थिति को देखते हुए जहां कम से कम 8 लाख आदमी मजदूरी के लिए जून में प्रस्तावित, वहां 35-40 लाख लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि 35-40 लाख परिवार तो बच सके, ताकि उनके परिवारों को खाने के लिए अनाज मिल सके और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो सके। जगह-जगह डिपो खोले जायें ताकि पशुधन को बचाया जा सके और पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की जाये ताकि पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे राज्य के भीषण अकाल की चर्चा में कुछ कहने का मुझे मौका दिया।

श्री महबूब जहेदी (कटवा): मैडम चेयरपर्सन, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जिंदगी और मौत के इतने महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे याद है इसी सदन में कुछ रोज पहले तूफान और बाढ़ के बारे में बहुत जोर से और बहुत देर तक चर्चा हुई थी और उस चर्चा में हम लोगों ने सरकार को बहुत कुछ बोला था। मगर साथ-साथ हम लोग यह भी सोचते थे कि बाढ़ और तूफान के जाने के साथ अब सूखा आने वाला है, आखिर वही हुआ और सूखा आ गया। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि मेरे इधर और उधर के मित्रों ने वहां के बारे में क्या हिसाब-किताब दिया और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मगर सबसे बड़ी चीज यह है कि आज विज्ञान की इतनी तरक्की हो रही है। हमारे पास मैटरियोलोजिकल सिस्टम है। हम एटम बम बना रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें आजादी मिले आज 52 साल हो गए हैं। अगर तीन साल छोड़ दिए जाएं तो पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना शुरू हुई थी। लेकिन जो सबसे बड़े सवाल बाढ़, वर्षा और सूखे के हमारे सामने थे, इनका समाधान नहीं हुआ। मैं आकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल यही बोलना चाहता हूं कि आज जो चर्चा हो रही है वह राजस्थान, गुजरात और कच्छ आदि इलाकों के बारे में हो रही है। अभी इसमें सुधार नहीं हो सकता, अभी सूखे ने पूरे भारत में फैलना शुरू किया है। वर्ष 1998 आपको याद होगा जब 13 राज्यों के 52 जिलों में ऐसा सूखा पड़ा था और शायद आपको याद होगा कि उड़ीसा के तीन जिले ऐसे थे जिनकी आवाज आज भी यहां कायम है और अभी राजस्थान, गुजरात और कच्छ आदि की हालत बहुत खराब है, यह मेरे मित्रों ने यहां कहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वहां के लोग गांवों को छोड़ रहे हैं। मैं सोचता था कि इस बारे में मेरे मित्र बोलेंगे। वहां पशुधन मर रहा है। मेरे मित्रों को याद होगा अभी कुछ रोज पहले अखबारों में एक तस्वीर गुजरात में ट्रक के पीछे मरे हुए पशुओं को टांग कर ले जाते हुए आई थी।

सभापति महोदया, वे जानवर बिना खाने और चारे तथा पानी के मर गए। इस प्रकार से यह काम तो उसी टाइम से शुरू हो गया और तभी से सूखा पड़ना और पशुओं का मरना प्रारंभ हो गया। एक दफा की बात है आपको याद होगा कि एक अखबार में खबर आई कि गाय और बैल खरीदकर वहां भेजे गए और उसमें कुछ झगड़े भी हुए, उन सबके बारे में खबर आई थी। इसका कारण यही है कि वहां का किसान इनको बेच देता है क्योंकि चारे और पानी की समस्या उनके सामने आ जाती है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात और राजस्थान के गांवों में पानी की बहुत भारी समस्या है। इसके कारण गांव छोड़कर लोग प्रदेशों में जा रहे हैं। गुजरात के भावनगर के बारे में मैं बताना चाहता हूं और मैं सोच रहा था कि मेरे गुजरात के

[श्री महबूब जहेदी]

भाई इस बारे में जरूर बताएंगे, वहां सात दिन में से पांच दिन पानी नहीं आता, सिर्फ दो दिन पानी आता है। राजस्थान के अनेक गांवों में 200 फीट नीचे पानी चला गया है। मुझे मालूम है वहां पर एक लोटा पानी लेने के लिए एक आदमी रस्सी बांधकर और रबड़ का ट्यूब बांधकर कुएं में उतर गया और एक लोटा पानी लेकर लौटा। बात यह है कि सारा पानी सूख गया है।

सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो सूखा पड़ा है वैसा सूखा इससे पहले नहीं पड़ा। जहां तक वर्षा के मौसम में पानी की वर्षा का सवाल है वहां मैं बताना चाहता हूं कि 100 में से 96 भाग पानी बरसा, लेकिन सब सूख गया। जो बड़े-बड़े 64 डैम हैं उनमें पानी सूख गया, जो छोटे-छोटे डैम हैं उनमें भी पानी नहीं है। कुएं, तालाब, नदी और नाले सब सूख गए हैं।

सभापति महोदया, हालात ये हैं कि 400 गांवों को पानी पिलाने के लिए दो टैंकर दिए हुए हैं। वे टैंकर भी एक गांव में सप्ताह में केवल दो दिन 15 से 20 मिनट पानी की सप्लाई करते हैं। आपने समाचारों में भी पढ़ा होगा कि इसी चक्कर में तीन आदमी मारे गए। 15 अप्रैल को डैम से पानी शहर ले जाने पर ग्रामवासियों ने ऐतराज उठाया और वे रास्ते पर बैठ गए, उनको हटाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की जिसमें तीन आदमी मारे गए। गुजरात में ऐसा सूखा पिछले 100 साल में नहीं पड़ा, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

यह लड़ाई चल रही है। 143 डैम पूरे हैं। जो रिजर्वायर हैं, उनमें पहले से ही पानी नहीं है। आज के अखबार में यह आया है कि वे और भी छोटे होते जा रहे हैं। जिस डैम में पहले जितना पानी था, अब वह उससे भी नीचे जा रहा है। हमने आपको बताया है कि जामनगर में तीन आदमियों को गोली मारी गई। गाय और बैल तो यहां-वहां गिरे पड़े हैं। लोग उन्हें लेकर वहां से जा रहे हैं। बेच रहे हैं। कई गाय-बैल तो मर गये हैं। एक चैनल में हमने देखा कि गुजरात और राजस्थान में 25000 बैल मर गये। *...(व्यवधान)* आप बार-बार घंटी बजा रही हैं। यह ठीक है लेकिन अगर आप हमें दो मिनट का समय दे दें तो अच्छा होगा।

सूखा आना आज की बात नहीं है, यह तो पहले से ही चल रहा है। यदि 1999-2000 के हिसाब से देखें तो 125 डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों की क्राप्स खत्म हो गई। उससे 64 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया, 134 हजार-लाख हैक्टेयर की जमीन बर्बाद हुई थी, 369 लाख पापुलेशन इससे प्रभावित हुई। इतनी सारी चीजें आ गयी हैं। यदि हम सिर्फ गुजरात को ही ले लें तो 6,200 करोड़ रुपये का वहां नुकसान हुआ है। वह सूखा 18000 गांव में फैला हुआ है, और कितना बढ़ जायेगा, मुझे नहीं मालूम। सिर्फ गुजरात में 1 करोड़ व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा सौराष्ट्र पिछड़ गया है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। राजस्थान के बारे में सब मित्रों ने बताया कि वहां कितना नुकसान हुआ है। अभी तक दो हजार करोड़ रुपये दिये। प्रोडक्शन भी 53 प्रतिशत नीचे गिर गया। वहां बिजली नहीं है। हम खुद वहां गये थे। राजस्थान में 800 मेगावाट बिजली सिर्फ 8 घंटे के लिए देते हैं। बिजली नहीं है इसलिए पानी उठाने में दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैटिरियोलॉजिकल डाटा पहले बता देता है कि कहां तूफान आ रहा है, क्या आ रहा है। हमने एटम बम तैयार किया, उसका परीक्षण किया तो क्या उससे तो कोई खराबी नहीं हुई? इस बारे में भी हमको सोचना चाहिए। हम एटम बम बनाते हैं लेकिन हम सूखे को नहीं रोक सकते। सूखे को रोकने के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

यह कहा जाता है कि हमें पहले से ही कोई उपाय करना चाहिए। हम जानते हैं कि सूखा होगा। यह जानते हुए भी कि सूखा आ रहा है, तब भी उसका कोई उपाय नहीं करते। आपने रिजर्वायवर से, डैम से पानी क्यों छोड़ा। इससे पानी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले पीने वाला पानी चाहिए, उसके बाद दूसरा कोई पानी छोड़ना चाहिए। यह तकदीर का फैसला है। बिहार के दोस्त हमारे साथ बैठे हैं। उनके बिहार में एक तरफ पूरा पानी है तो दूसरी तरफ पूरा सूखा है। अगर वैज्ञानिक सिस्टम से सूखे में पानी लायेंगे तो सूखा नहीं रहेगा और बाढ़ का पानी सूखकर वहां फिर आबादी हो जायेगी। इसका कोई बन्दोबस्त नहीं है। यह बिहार की हालत है। हम कहना चाहते हैं कि सूखा तैयार किया हुआ है। इसे भगवान, नेचर के ऊपर क्यों छोड़ दें कि नेचर ऐसा कहती है। नेचर पर कब्जा करने के लिए वैज्ञानिक हैं, उन्हें चिन्ता है। अगर हम नेचर पर कब्जा नहीं कर सकते तो यही कहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार कसूरवार है। जब हम बाढ़ पर चर्चा करते हैं, यदि उसी समय राजस्थान को कह देते कि वह होशियार रहे तो ठीक होता। यदि एक आदमी मर जाए, एक पशु भी मर जाए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस सरकार को लेनी होगी जिस सरकार ने यह हालत तैयार की है और देख रही है कि भारत खत्म हो जाए। मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न और पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, पशुधन को बचाने के लिए चारा दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): सभापति महोदया, आज हम सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। प्रति वर्ष इस सम्माननीय सभा में हम सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करते

हैं। इस वर्ष, हमारे देश के कुछ भागों में समस्या बहुत गंभीर है।

हमारे माननीय कृषि मंत्री ने 8 मार्च, 2000 को एक प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान और त्रिपुरा सरकारों ने सूखे की स्थिति के मद्देनजर एन.एफ.सी.आर. से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। केन्द्रीय दलों ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त पहले से ही सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया है।

कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने राष्ट्र को सम्बोधित किया था। लेकिन उन्होंने केवल राजस्थान और गुजरात का ही उल्लेख किया है। निश्चय ही, यह स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपके माध्मय से माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि उन्हें देश भर में इस समय प्रत्येक राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति के संबंध में कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी।

आन्ध्र प्रदेश वर्ष 1995 से लगातार एक बाद एक प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहा है। प्रतिवर्ष, हम चक्रवातों और सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसलिए आन्ध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश के 22 ग्रामीण जिलों में से 18 को सूखा-ग्रस्त घोषित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में हमारे पास कुल 1099 राजस्व मंडल हैं। उनमें से हमने 688 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है। विभिन्न जिलों द्वारा भूमिगत जल का स्तर 0.54 मीटर से 17 मीटर तक नीचे चले जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यदि यही प्रतिकूल स्थितियां जारी रहीं तो मई-जून, 2,000 तक भूमिगत जल का स्तर 20 मीटर तक नीचे चले जाने की सम्भावना हो सकती है।

भारतीय मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में एक अन्य सामान्य मानसून वर्ष की भविष्यवाणी की है। उन्होंने मई, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन भारत सरकार के पास मूलभूत सुविधायें नहीं हैं। प्रत्येक वर्ष, हम सूखे के संबंध में चर्चा करते हैं लेकिन हम कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं करते हैं।

इस देश में, पर्याप्त जल है। अनेक नदियां हैं लेकिन 75 प्रतिशत पानी समुद्र में चला जाता है। यदि हम जल संबंधी सुविधायें प्रदान करते तो हमें प्रति वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं पिछले चार वर्षों से देख रहा हूं कि हम केवल चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है; भारत सरकार कृषकों को पानी की सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई नई योजना नहीं बना रही है।

आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में 13,266 नल-कूप पहले ही सूख गए हैं। स्थिति चेतावनी दे रही है। आन्ध्र प्रदेश में 619 संरक्षित जल आपूर्ति योजनाएं असफल हो गई हैं। हम अब 1400 गांवों से अधिक गांवों में पीने का पानी भेज रहे हैं। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून अच्छा नहीं रहा; उत्तर-पूर्व मानसून की वर्षा भी अच्छी नहीं हुई जिससे स्थिति अधिक गंभीर हो गई। अत: मैं केन्द्र सरकार से अपील कर रहा हूं कि वे इस संबंध में विचार करें और आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहायता करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। उत्तर-पश्चिम मानसून में कमी होने के कारण राज्य के विशेष रूप से तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्रों द्वारा कृषि मजदूरों ने रोजगार की खोज में दूसरे स्थानों पर जाना आरम्भ कर दिया है। चारे की कमी हो गई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए काफी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सभी रोजगार सृजन योजनाएं आरम्भ कर दी हैं। हमने जिला कलैक्टरों को पहले से ही शारीरिक श्रम द्वारा कार्य करवाने के निर्देश दे दिए हैं और किसी प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल करने का प्रश्न नहीं उठता है। हम प्रवासियों को रोज़गार प्रदान करना चाहते हैं। हम कदम उठा रहे हैं और राज्य सरकार ने लघु और सीमान्त कृषकों को 90 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है जिनकी फसलें गंभीर सूखे के कारण बर्बाद हो गई थीं।

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए, सरकार से कृषि निवेश संबंधी सहायता के रूप में 174.95 करोड़ रु. जारी करने का अनुरोध है। केन्द्र सरकार के दल ने पहले ही आन्ध्र प्रदेश का दौरा कर लिया है। उन्होंने भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 700 करोड़ रु. की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया था लेकिन भारत सरकार ने 31 मार्च, 1999 को केवल 75 करोड़ रु. की धनराशि को ही मंजूरी प्रदान की थी। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री को 250 करोड़ रु. तत्काल जारी करने के लिए पत्र लिखा है।

हमें कृषि निवेश सहायता के लिए 174.95 करोड़ रु. पीने के पानी के लिए 265 करोड़ रु. रोजगार सृजन के लिए 116.69 करोड़ रु. चारा आपूर्ति के लिए 65 करोड़ रु., विशेष आहार कार्यक्रम के लिए 28 करोड़ रु. और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए 1.22 करोड़ रु., कुल मिलाकर 645.36 करोड़ रु. की आवश्यकता है। हम उसमें से भारत सरकार को तत्काल कम से कम 250 करोड़ रु. जारी करने के लिए कह रहे हैं।

अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं। आप सुनिश्चित रोजगार योजना का उदाहरण ले सकते हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना का

[श्री के. येरननायडू]

उद्देश्य ग्रामीण रोजगार प्रदान करना है। अब, स्थिति बहुत गंभीर है और इसलिए माननीय सभापति महोदया हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस वर्ष केवल एक किश्त देने की बजाय, भारत सरकार, लेखा-परीक्षा और लेखा प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल दूसरी किश्त जारी कर दे।

दसवें वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष के लिए लगभग 6000 करोड़ रु. प्रदान किए जिसमें से तीन चौथाई सहायता केन्द्र द्वारा दी गई है और एक-चौथाई सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी गई है।

निसन्देह, प्रदान की गई धनराशि बहुत कम है। पिछले वर्ष, आपदा राहत कोष के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को केवल 134 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे लेकिन हमने 300 करोड़ रु. खर्च किए हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत केवल 75 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की है। यहां तक कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी सरकार की मंजूरी नहीं मिल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत पांच वर्ष के लिए केवल 700 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की है। भारत सरकार ने यह धनराशि दो वर्ष में खर्च कर दी है और शेष तीन वर्षों के लिए कोई धनराशि नहीं है।

मैं योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से पूछना चाहूंगा कि इतने कम पैसे से हम कैसे इस स्थिति से निपट सकते हैं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने भीषण तूफान के लिए विशेष प्रावधान के तहत 800 करोड़ रुपये दिए थे। इसके लिए वे वित्त मंत्रालय से अनुमति लेते हैं। यदि एन.सी.आर.एफ. पूल में धनराशि उपलब्ध है और यदि किसी राज्य में किसी तरह की कमी हो तो तत्काल राज्य सरकार की सहायता के लिए धन जारी कर दिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तत्काल राहत के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र का लगभग पचास प्रतिशत भाग सूखा प्रभावित घोषित किया गया है तथा यहां लगभग 3.50 करोड़ लोग सूखे की चपेट में आए हैं। जल प्रभारों का लिया जाना स्थगित कर दिया गया और फसलों के लिए लिया गया कर्ज की भुगतान तिथियों को दुबारा से निर्धारित किया गया है। सरकार ने नये कर्ज को देने की व्यवस्था की है; तथा स्कूलों एवं कालेजों की फीस में छूट दे दी। इन्हीं सब कारणों से हमारे राजस्व में कमी आई है। यही कारण है कि हम वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं।

अपराह्न 3.18 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

आन्ध्र प्रदेश में सामान्यत: प्रतिवर्ष 80.16 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है, लेकिन इस वर्ष मात्र 74.71 लाख हेक्टेयर भूमि को ही सिंचाई के तहत शामिल किया जा सका। इससे कई फसलें जैसे मूंगफली, चना और सूरजमुखी प्रभावित हुई हैं। लघु सिंचाई के तहत यहां 12,264 जल-टैंकों में मात्र 4424 जल टैंक ही प्राप्त किए जा सके। मध्यम सिंचाई के तहत आने वाली 8.30 लाख एकड़ भूमि से मात्र 3.78 लाख एकड़ भूमि पर जुताई की गई है। इस तरह से पूरा आन्ध्र प्रदेश सामान्य रूप से तथा तेलंगाना तथा रायलसीमा विशेष रूप से अत्यधिक सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुर, कुडप्पा तथा चित्तौड़ और तेलंगाना क्षेत्र के महबूबनगर प्रकाशम तथा नेलौर भयंकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसी कारण मैं भारत सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा के दूसरी किश्त की मंजूरी प्रदान करे एम.डब्ल्यू.एस. के तहत केन्द्र सरकार पहले ही पहली किश्त जारी कर चुकी है। चूंकि इन क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी कमी है इसलिए बिना उपयोगिता प्रमाण-पत्र के दूसरी किश्त भी जारी की जानी चाहिए। सूखे के मूल्यांकन के लिए भेजी गई टीम ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर में प्रस्तुत कर दी है। पांच से अधिक महीने बीत चुके हैं। अब स्थिति बदल गई है। यदि जरूरी हुआ तो केन्द्र सरकार एक और टीम वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए भेज सकती है। इसके द्वारा भी केन्द्र आन्ध्र प्रदेश राज्य की सहायता कर सकता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सूखे पर बहस की स्वीकृति आपने देकर बहुत अच्छा काम किया है। अपने देश में पुराने जमाने से सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती। एक बार राजा जनक ने स्वयं हल चलाया था तो वर्षा हुई थी। पुरानी संस्कृति है: 'जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी ते नृप होए नरक अधिकारी।' पहले से लोग गांवों में विधि-विधान करते थे, योग तप करते थे कि वर्षा हो जाए। महिलाएं इन्द्र देवता की आराधना किया करती थीं कि वर्षा हो जाए। 'हालि-हुलि वर्षा इन्द्र देवता, पानी बिनु जाइये परान होए।' महिलाएं बैठकर इन्द्र भगवान की आराधना कर रही हैं कि किसी प्रकार से वर्षा हो जाए।

हिन्दुस्तान में खेती जुए के समान है। यदि वर्षा होती है तो कृषि मंत्री जी का भाग्य खुल जाता है। खूब उपज होती है, बीस करोड़ टन मेरे राज्य में पैदा हुआ और वर्षा नहीं हो तो ढोल की पोल खुल जाती है। सारी सिंचाई व्यवस्थाएं धोखा हैं क्योंकि सूखे का मुकाबला ये व्यवस्थाएं नहीं कर पातीं। हमारे देश की खेती मानसून और प्रकृति पर निर्भर है। राजस्थान में पहले से सूखा पड़ता रहा है और सूखा होने से तीन वर्ग के लोग पीड़ित होते हैं। सबसे पहले तो किसान प्रभावित होता है। उसकी उपज नहीं

होती और पास की पूंजी भी लग जाती है। फिर गरीब आदमी को भोजन नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। तीसरे नंबर पर जानवर को पानी नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता। इससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। अभी येरननायडु जी ने भी बताया है कि आन्ध्र प्रदेश भी इस समस्या से प्रभावित है और कई राज्यों में कुछ हिस्से सूखे से प्रभावित हैं। बिहार में भी पलामू, गरवा और गया ड्रॉट-प्रोन एरियाज़ हैं। राजस्थान में वर्षा नहीं होती और जैसे-जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा कम होती जाती है। सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए। इस पर बहस हुई थी और मांग हुई थी कि कैलेमिटी और राष्ट्रीय आपदा कोष में सौ करोड़ का बजट प्रावधान था। सारे दलों की ओर से सदन में सहमति थी कि राष्ट्रीय आपदा कोष का बजट बढ़ाना चाहिए। यदि इसे नहीं बढ़ाया गया तो मैं सरकार पर चार्ज करता हूं कि इनकी गड़बड़ी से सारी गड़बड़ी होती है। सरकार के सामने क्या कठिनाई है? वह राष्ट्रीय आपदा कोष का बजट क्यों नहीं बढ़ाना चाहती? जहां सूखा पड़ता है तो राज्य सरकार की सूखा से मुकाबला करने की औकात ही क्या है? फाइनेंस कमीशन ने अनुशंसा की है कि तीन चौथाई हिस्सा भारत सरकार देगी और एक चौथाई हिस्सा राज्य सरकार देगी। फाइनेंस कमीशन ने यह महसूस किया कि राज्य सरकार की हैसियत सूखे से मुकाबले करने की नहीं है, इसलिए तीन चौथाई हिस्सा भारत सरकार देगी लेकिन वह रुटीन अफेयर है। इस सूखे से निपटने के लिए केन्द्र को आगे आना पड़ता है। सौ करोड़ रुपया नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड में था। प्रधान मंत्री जी ने ऐलान कर दिया, पैकेज हो गया, सारे जाली पैकेज की घोषणा की जाती है। यह जले पर नमक छिड़कने के समान है। कहा जाता है कि राज्य को तो सैंट्रल असिस्टेंस मिलने वाली है। यह मदद नहीं हुई, बल्कि धोखा हुआ। मेरा पहला प्रश्न है, अगर नेशनल कैलेमिटी फण्ड में एक हजार करोड़ रुपया नहीं हुआ है, तो सरकार को तुरन्त पहुंचाना चाहिए। यह सही है कि प्राकृतिक आपदा को रोकने का प्रयास नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा हो जाए, तो सरकार को आगे आना पड़ता है। पहले कभी मुफ्त में अनाज दिया जाता था, लेकिन ब्रिटेन के एक इकोनोमिस्ट, कैन, के अनुसार गरीबों को अनाज कुछ-न-कुछ काम करके देना चाहिए। जब भोजन का अभाव हो जाए, पशुओं को भोजन नहीं मिले, सूखा हो जाए, तो ग्राउन्ड वाटर सबसे नीचे चला जाता है। जब वहां पर पीने का पानी नहीं होगा, तो पलायन होगा। लोग देश के दूसरे हिस्सों में जाने लगेंगे और अकाल की स्थिति होने पर पशुधन खत्म हो जाएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को चौड़ी छाती और दिमाग से काम करना चाहिए और राज्य सरकार की पीठ पर खड़े होना चाहिए, ताकि राज्य सरकार की मदद की जा सके। जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था ठीक रहती, तो सूखे से निपटा जा सकता है। सिंचाई योजना की परिभाषा है कि सुखाड़ की अवस्था है और नदी व नालों में पानी जमा हो जाए, तो उससे सिंचाई हो। इसी आधार पर इस देश में सिंचाई की योजनायें चलती हैं। लेकिन कुव्यवस्था के चलते सूखे की स्थिति से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। इसलिए राहत के लिए केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए और रिलीफ फंड में राहत देकर गरीबों की हिफाजत करनी चाहिए।

महोदय, पहले पीडीएस के माध्यम से अकाल के समय में गरीबों को बड़ी भारी मदद मिलती थी। फूड मिनिस्टर सदन में उपस्थित नहीं हैं। पीडीएस में गेहूं की कीमत एपीएल के लिए 9 रुपए रखी है, जबकि बाजार में 6 रुपए है और आप 5.80 रुपए में खरीदते हैं। इतने भाव में खरीद कर आप 9 रुपए में बेच रहे हैं। इतना तो कोई मुनाफाखोर भी नहीं करता है। महोदय, आपको हम पंच मानते हैं, 6 रुपए बाजार में रेट हैं और पीडीएस में 9 रुपए किस हिसाब से कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सरकार इस तरह से स्थिति का मुकाबला कर पाएगी। आपने यह कीमत किस आधार पर बढ़ाई है, अमर्त्य सैन के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूं, मैं भी साधारण तौर पर बता रहा हूं। इस सरकार की बुद्धि मारी गई है।

अकाल है, नदियां सूख रही हैं, पेड़-पौधे सूख रहे हैं। इन्होंने नौ रुपए किस हिसाब से रखे हैं, ये बताएं। मैं राजस्थान में जो सूखा पड़ा है उसके लिए बहुत परेशान और चिन्तित हूं। नौ रुपए गेहूं का भाव किस हिसाब से रखा, यह कौन से फार्मूले से रखा है। इस सब्सिडी को कम करके इन्होंने देश को लूट लिया है, उसका बदला आम उपभोक्ता से ले रहे हैं। छः रुपए बाजार का भाव है और नौ रुपए पी.डी.एस. का भाव है, यह तो अंधेर है। मैं समझता हूं कि विश्व व्यापार संगठन का दबाव है कि जल वितरण प्रणाली खत्म करो। गरीब को पांच रुपए गेहूं मिल रहा है, उसे दस रुपए कर दीजिए। आपको जनता ने वोट दिया है, आप उनको क्या जवाब देंगे। आपने मिट्टी के तेल के क्या कीमत कर दी। दुनिया भर में कहीं भी इस तरह कीमत नहीं बढ़ती है। जब और चीजों की कीमत बढ़ती थी तो इसकी भी थोड़ी-बहुत बढ़ती थी, लेकिन आपने दुगनी कीमत कर दी। मिट्टी के तेल का इस्तेमाल गरीब व्यक्ति करता है, आपने इसकी दुगनी कीमत कर दी। वह सूखे से कैसे मुकाबला करेगा, जहां सूखा नहीं है वहां भी प्रभाव डालना चाहते हैं। नेशनल केलेमिटी फंड में एक हजार करोड़ रुपए किए या नहीं और अगर नहीं किए तो आज हम इनके खिलाफ अविश्वास और निन्दा प्रस्ताव लाएंगे। पीडीएस के दाम का एक्सप्लेन करें। छः रुपए बाजार में भाव है तो आप नौ रुपए क्यों करना चाहते हैं, मूल्य वृद्धि क्यों करना चाहते हैं। मुनाफाखोरों को कहते हैं कि तुम आओ और दाम बढ़ाओ, तुम

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कैसे उदार हो कि तुम नौ रुपए में बेचते हो। गुजरात, राजस्थान और जहां भी पीने का पानी नहीं है, वहां उनसे बात करनी चाहिए। पशुधन की रक्षा के लिए चारा, जहां कहीं से भी हो, मुफ्त चारा मिलना चाहिए। गरीबों के लिए मुफ्त राशन का इंतजाम होना चाहिए। ये जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या ये मुफ्त राशन देने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि एकदम बेहाल आदमी को हम दस किलो अनाज मुफ्त में देंगे। डेढ़ साल होने जा रहा है, ये बताएं कि कितना अनाज गरीब को मिला है। इन्हें वचन भंग और धोखाधड़ी में जेल भेजा जा सकता है। आप तो कानून के जानकार हैं। सदन में घोषणा की कि हम गरीबों को दस किलो अनाज देंगे, अन्नपूर्णा योजना करेंगे, लेकिन, डेढ़ साल हो गया, कितना अनाज गरीबों को मिला है। ये गरीबों को कुछ नहीं दे सकते हैं। गरीब का नाम सुनने में इन्हें तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि गरीब क्यों हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, जहां कहीं भी सूखा है वहां राज्य सरकार से सहयोग करके, जो सूखे से प्रभावित किसान तकलीफ झेल रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। पीने के पानी का प्रबंध करना, अनाज मुहैया कराने का काम रोजगार देने का काम होना चाहिए। पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना चाहिए।....*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, अखबार में छपा कि बिहार को 26 हजार करोड़ का पैकेज। हम सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 26 हजार करोड़ की घोषणा की, लेकिन उत्तर आया है कि कोई घोषणा नहीं है। जब इस तरह देश के प्रधान मंत्री वचन भंग करेंगे तो उनके ऊपर कौन सा मामला चलेगा।

इसलिए घोषणाएं बंद कीजिए प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं सब मुस्तैद हों और मानवता की सेवा करें। पानी, भोजन, चारा और दवाओं का इंतजाम अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए होना चाहिए। सिंचाई विभाग और उससे सम्बद्ध विभाग सब दुरुस्त हों। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में मिट्टी का तेल गरीब आदमी को मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने तो गरीबों पर सारा बोझ बढ़ा दिया है। हमको इस सरकार पर भरोसा नहीं है।....*(व्यवधान)* इन सारी चीजों का मुकाबला करने में राजनीति नहीं आनी चाहिए। यह राष्ट्रीय आपदा है। हम सबको मिलकर पीड़ित मानवता की सेवा करनी चाहिए। किसानों और गरीबों को राहत मिलनी चाहिए और पी.डी.एस. में सुधार होना चाहिए। पी.डी.एस. में सुधार नहीं हुआ तो मूल्यवृद्धि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर गुजरात और देश के अन्य अकाल पीड़ित प्रदेशों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने का लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रतिष्ठित सभा में सूखे का मुद्दा चर्चा हेतु उठाने के लिए मैं प्रो. रासा सिंह रावत को भी धन्यवाद देता हूँ।

हमारे देश में खासकर राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य दूसरे भागों के लाखों लोगों से संबंधित सूखे का मुद्दा एक गम्भीर विषय है, गुजरात में तीन क्षेत्र सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात तथा कच्छ जहां का मैं रहने वाला हूं बुरी तरह सूखे की चपेट में हैं। कच्छ में पिछले 52 वर्षों के दौरान 32 बार पड़ने वाले सूखे से हम सरोकार हुए हैं। वहां से कई लोग बाहर चले गए क्योंकि उनके पास काम नहीं था और काम की तलाश उन्हें मेरे इस क्षेत्र से बाहर करनी पड़ी। एक समय कच्छ को एशिया के सबसे अच्छे तृण प्रदेशों में से एक माना जाता था, यहां एक विशेष क्षेत्र बूनी के नाम से जाना जाता था जहां अति उत्तम नसल की भैंसें तथा गायें पाई जाती थीं। यहां तीन से चार लाख ऐसे पशु थे लेकिन वे धीरे-धीरे सूखे के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार ने कई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को सूखा राहत उपायों के रूप में चलाया, लेकिन वहां लोगों को इनसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ।

इनमें त्रुटि कहां रही? कई मंत्रालय तथा एजेंसियां इस पर कार्य कर रही हैं। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में "कई जल संबंधी मंत्रालय लेकिन प्यासे लोग" शीर्षक से एक लेख छपा था। केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय, पेय जल मिशन तथा अन्य कई विभाग एवं एजेंसियां हैं लेकिन समस्या जस की तस है। इसलिए यह एक गम्भीर समस्या है। हमारा उद्देश्य सरकारों में दोषारोपण करना नहीं है। यहां हम सब लोगों की दुर्दशा से चिंतित हैं। हमें इस पर विचार करना ही होगा कि क्या करना होगा और इन लोगों को जल क्यों नहीं मिल रहा है।

यहां अजीब स्थिति है। बिहार में बाढ़ आ रही है जबकि देश के दूसरे भागों में सूखा पड़ा हुआ है। अब क्या करना है? हमें इस समस्या का समाधान कैसे करना है? इन क्षेत्रों का कच्छ की तरह की विकास किए जाने की भारी संभाव्यताएं उपलब्ध हैं। यदि कच्छ को जल दे दिया जाए तो वह हर प्रकार से समृद्धिशाली बन सकता है। कच्छ क्षेत्र तथा अन्य दूसरे भागों को पानी मिलने की एकमात्र आशा दक्षिणी गुजरात खासकर नर्मदा नदी से ही है। यदि नर्मदा परियोजना का निर्माण निर्धारित तिथि के अनुसार पूरा कर लिया जाता तो कच्छ क्षेत्र को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यह ऐसा क्यों हुआ?

महोदय, इस परियोजना के निर्माण में कई बार पर्यावरण से संबंधित मुद्दे उभरे हैं। कुछ लोगों के नाम पर नर्मदा परियोजना को दावा-मुकदमों में घसीटा जा रहा है। नर्मदा परियोजना के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी इससे पानी के लाखों गैलन समुद्र में गिरते हैं। इसलिए मेरा इस प्रतिष्ठित सभा तथा यहां बैठे सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में माना जाए। यदि कुछ लोगों का पुनर्वास करना पड़े तो निश्चित रूप से ऐसा किया जाना चाहिए। लगभग 30,000 से 40,000 लोगों का पुनर्वास किया जाना है लेकिन तीन करोड़ लोगों के हित को देखते हुए परियोजना को ठप्प नहीं किया जाना चाहिए। कृपया, लोगों की दुर्दशा पर विचार करें। हम कच्छ को और कहीं से जलापूर्ति नहीं कर सकते है। गुजरात सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसने अपने ही तरीके से इस काम को आरम्भ किया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में सरदार पटेल जल संचय सहभागी योजना नामक योजना आरम्भ की है। यह लोगों के सहयोग से चलायी जाने वाली योजना है जिसमें 60 प्रतिशत गुजरात सरकार तथा 40 प्रतिशत व्यय जनता करेगी। इसलिए, धनराशि देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। जब वहां वर्षा नहीं होती तो हम जल कहां से प्राप्त करेंगे? हम केवल दक्षिणी गुजरात की नदियों से ही जल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि कच्छ तथा अन्य तटीय भागों को जल-आपूर्ति के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। यदि हम आरक्षित परासरण संयंत्रों (आर.ओ. प्लांट) को यथाशीघ्र स्थापित कर लेते हैं तो इससे सहायता मिलेगी। इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान करना होगा। खाड़ी देशों के कई भागों में इन आरक्षित परासरण संयंत्रों को स्थापित किया जाता है। खाड़ी देश भी समुद्र से जल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए, यदि समुद्र के जल को परिवर्तित किया जाता है या आरक्षित परासरण संयंत्र वहां लगाए जाते हैं तो इससे समस्या का समाधान हो सकता है। यदि वहां दीर्घकालीन उपाय किए जाते हैं तो इससे जल समस्या तथा अन्य सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कृपया लोगों के दु:ख-दर्द को समझें। लोग विस्थापित हो रहे हैं। वे कच्छ से बाहर चले गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम केवल दक्षिणी गुजरात की नदियों से जल प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा उपाय आरक्षित परासरण संयंत्रों की स्थापना है।

कुछ ही दिन पूर्व मेरे राज्य के सभी माननीय सांसद, माननीय कृषि मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा जिनके पास ग्रामीण विकास मंत्री का प्रभार भी था, से मिले। उनके पास पहुंचते ही उन्होंने तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से मध्य प्रदेश से चारा भिजवाने के लिए कहा। उन्होंने पहले से ही इसका व्यवस्था कर रखी थी। अब चारा वहां से आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश या पंजाब से चारा मंगवाना लम्बी दूरी के कारण महंगा पड़ता है। यदि दीर्घ-कालीन आधार पर जल का यहां प्रावधान किया जाता तो इससे कई फायदे होते। कच्छ क्षेत्र के लिए इन दीर्घकालीन उपायों पर विचार किया जा सकता है। मैं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों जैसे मेहसाना, जामनगर, पाटन, सुरेन्द्र नगर तथा बनासकंठ के अन्य सांसद माननीय प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री जी ने वहां टीम भेजकर अपनी उदारता प्रकट की। लेकिन टीम अभी तक भी गुजरात के इस भाग के लिए किसी विशेष परियोजना का निरूपण नहीं कर सकी। मैं सुझाव दूंगा कि दक्षिण गुजरात की नदियों से जल प्राप्त करने के लिए माननीय कृषि मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को दीर्घकालीन योजना निरूपित करनी चाहिए। यदि इस दिशा में समन्वित प्रयास नहीं किए जाते हैं तो ये परियोजनाएं साकार नहीं हो सकेंगी। केन्द्र सरकार तथा गुजरात सरकार को इस संबंध में कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए। कांडला समुद्रपत्तन न्यास के पास आरक्षित धनराशि है। गुजरात खनिज विकास निगम के पास भी धन है। दक्षिण गुजरात की नदियों से जल लाने के लिए 800 करोड़ रुपये देने की एक योजना उनके पास है।

इसी तरह से, नर्मदा बांध परियोजना को तत्काल लागू नहीं किया जा सकता लेकिन अन्य परियोजनाएं जैसे 300 करोड़ रुपये की लागत से दक्षिण गुजरात की नदियों से जल प्राप्त करने की परियोजना लागू की जा सकती हैं। इस परियोजना में यदि गुजरात की राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य दूसरे निगम जैसे गुजरात खनिज विकास निगम, जी.एम.बी., कांडला पोर्ट ट्रस्ट, इफको आदि कुछ धन दें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा, यह समस्या बनी रहेगी। हम पानी की समस्या का पिछले 50 वर्षों में कोई हल नहीं निकाल पाए। हम ग्रिड परियोजना के संबंध में कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। यदि उस परियोजना को लागू कर दिया जाता तो, इस समस्या का समाधान हो सकता है।

महोदय, कल, माननीय प्रधान मंत्री ने देश के सभी नागरिकों से यह निवेदन किया है कि प्रधान मंत्री सहायता कोष में उदारता से दान दें। सभी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस कोष में दान देना चाहिए ताकि हम इस समस्या को सुलझा सकें। कई बार, क्या होता है कि, जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इस ओर प्रचार माध्यम और राजनेताओं का ध्यान आकर्षित होता है। हम सब इस पर बातें करते हैं, परंतु उसके बाद कुछ नहीं होता। मैंने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में आए एक अच्छे संपादकीय को पढ़ा, वह यह था:

> ''मुरझाई हुई लोगों की तस्वीरें और दुर्भाग्यपूर्ण ग्रामीण जो पानी की कुछ अनमोल बूदों के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं उनकी दूरदर्शन पर जीवंत चित्र लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और बचाव अभियान के लिए हवाई यात्रा करते राजनेताओं को समाचार के लिए अच्छी पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। सद्भावनायुक्त और विभिन्न कार्यक्रमों के

[श्री पी.एस. गढ़वी]

लिये मिला-जुला दान के लिये इस अभियान का आयोजन किया जाता है और जितनी शीघ्रता से इसकी शुरूआत होती है, वैसे ही यह सब समाप्त हो जाता है और स्थिति पूर्ववत हो जाती है।''

इसलिए, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। यह इस देश के प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है और हम सब का कर्त्तव्य है कि इस समस्या को सुलझाने में मदद करें। मैं यहां इस महान सभा का ध्यान कांडला में आए चक्रवात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कांडला पोर्ट ट्रस्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। उस चक्रवात में, 3000 गरीब लोगों की जानें गई थीं और कई लोगों के घर उजड़ गए थे। आज भी उनके पास घर नहीं हैं और वे अस्थाई निवासों में रह रहे हैं। इन बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब, इस समस्या ने इस महान सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसलिए, हमें इस समस्या का स्थायी हल खोजना चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें अनेक राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में पानी की इस समस्या को सुलझाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय खोजने होंगे जिससे, भविष्य में इस प्रकार की सूखे की समस्या का सामना न करना पड़े।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं बहुत दर्द, पीड़ा और एन्गुइश होकर आज इस सदन में अकाल पर अपने विचार रखना चाहती हूं। अकाल चाहे आंध्र प्रदेश में हो, गुजरात में हो, सौराष्ट्र में हो या राजस्थान में हो, अकाल, अकाल ही है। लेकिन अकाल की जो विभीषिका इस वक्त राजस्थान में है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैंने अभी-अभी करीब 22 जिलों का दौरा किया और इन दौरों के दौरान जो पीड़ा, दुख और लोगों के आंसू मैंने देखे, उन्हें लेकर मैं यहां आई हूं और उन्हें सदन के सामने रखना मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूं। अभी-अभी पायलट साहब कह रहे थे, इसलिए मैंने एक शेर कहा था—

कैसा कहर बरपा हुआ है मेरी जमीन पर,
सूखी जमीन, सूखे शजर, प्यासे हैं जानवर।

हमारी जमीन पर आज बहुत मुश्किल है। इसलिए राजस्थान के बारे में बात करते हुए रावसिंह जी साहब ने एक बात कही थी कि जहां राजस्थान देश के 10.7 क्षेत्रफल में फैला है, वहीं पानी हम एक प्रतिशत ही ले पाते हैं और उसमें भी 75 प्रतिशत जमीन जिसे बोया जा सकता था, उसे अकाल की स्थिति के कारण सिंचाई न होने के कारण, हम बो भी नहीं सकते हैं। मानसून लगातार अपर्याप्त रहता है और कभी-कभी वह स्थिति आती है, जब राजस्थान को पूरी तरह से अकाल की स्थिति से उबारा जा सके। इसीलिए राजस्थान के लोग कहा करते हैं कि राम तो रोज रूठता है, लेकिन राज नहीं रूठना चाहिए और उसी पर मैं अपनी बात कहूंगी। लेकिन इस समय राजस्थान में जो स्थिति है केवल जैसलमेर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में ठीक-ठाक बरसात हुई थी, अन्यथा माइनस 20 प्रतिशत से लेकर माइनस 70 प्रतिशत तक हमारे इलाके में बरसात हुई।

सभापति महोदय, सबसे कम बरसात बाड़मेर में निश्चित की गई। मेरा इलाका उदयपुर वैसे तो झीलों की नगरी है, लेकिन इस वर्ष बीकानेर, चुरू, गंगानर, जालौर, सिरोही, पाली, अलवर, जयपुर और कोटा के बराबर बांसवाड़ा, राजसमुंद और उदयपुर में भी यही स्थिति रही। यही स्थिति दौसा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य श्री पायलट साहब की भी है। वहां पर भी रेनफाल 20 प्रतिशत से कम हुआ, आठ जिलों की सीमा का परिसीमन किया गया, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, झुंझनू, दौसा, धौलपुर, सीकर, बारा, बून्दी, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर भी हैं। ऐसी स्थिति में जब वर्षा सन्तोषजनक न हो और तीसरे साल भी अकाल की विभीषिका से जूझना पड़े, तो आप उस धरती का अनुमान लगा सकते हैं। वह धरती, धरती न रह कर ऐसा लगता है कि वह अपने फटे हुए सीने को दिखा रही है। आप तालाब के पेटे में चले जाएं, दूर-दूर तक एक बूंद पानी नहीं दिखेगा बल्कि धरती फटी हुई दिखाई देगी। तीसरी बार जब अकाल पड़ा, तो भयावह स्थिति सामने आ गई और अभी जैसा मेरे पूर्व-वक्ता बोल रहे थे खरीफ की फसल तो खराब होनी ही थी, लेकिन रबी के हालात भी खराब हो गए और उसी के साथ-साथ 18085 गांवों में स्थिति गंभीर बनी हुई है जहां पर न तो खेती है और न खेती करने लायक कोई स्थिति बची है।

सभापति महोदय, जब कहीं भी अकाल पड़ता है, तो उसे तीन स्थितियों से आंका जाता है—वहां पड़ने वाली बरसात, वहां पर लोगों को दी जाने वाली सहायता और वहां की पेयजल स्थिति को सुधारने का तरीका, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां कभी हरितक्रांति नहीं आ सकती, परन्तु थोड़े से प्रयास से श्वेतक्रांति आ सकती है। मैं पहले एम्पलायमेंट जनरेशन की बात करूंगी। इस वर्ष जहां 30406 गांव अकाल से ग्रस्त हैं, वहां 26 जिलों में अकाल पड़ा है जिसके घेरे में 262 लाख आबादी आती है। आप अनुमान लगाइए कि पूरे राजस्थान की आबादी कुल 440 लाख है, उसमें से आधी से अधिक आबादी में अकाल पड़ा है। उसे देखते हुए कितने बड़े पैमाने पर सरकार को एम्पलायमेंट जनरेशन का प्रयास करना चाहिए था।

सभापति महोदय, आप याद करें 1986-87 और 1987-88 के उत्तरार्ध का समय जब सबसे पहले वहां अकाल पड़ा था और वहां की सरकार ने उस समय केन्द्र सरकार से केवल 500 करोड़ रुपए मांगे, किन्तु राजीव जी की संवेदनशीलता के कारण केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को वहां के अकाल की भयावहता को देखते हुए 600 करोड़ रुपए दिए और उसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए आई.सी.डी.एस. और स्वास्थ्य तथा जलदाय की समस्याओं को हल करने के लिए मिले और इस प्रकार उस समय करीब 800-900 करोड़ खर्च हुए थे। अभी जो राजस्थान की टोटल पापुलेशन है उसकी 261.17 लाख एफैक्टेड है जिसमें छोटे और मार्जिनल फार्मर 22.59 लाख हैं और उसमें से एग्रीकल्चरल और लैंडलैस लेबर 36.39 लाख हैं। उसके साथ-साथ एस.सी. और एस.टी. की संख्या 52.77 और 47.78 लाख है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार चाहती थी कि कम से कम 52.36 लाख परिवारों को रोजगार मिलता, लेकिन धन की कमी के कारण, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि केवल पांच लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाए हैं। इस बार सरकार का लक्ष्य था दो लाख लोगों को नवंबर मास तक रोजगार दे दिया जाए और जून मास तक 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन जून तक हम 8 से 10 लाख लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। अब इसका कारण क्या रहा, मुझे उसे कहने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, कल ही प्रधान मंत्री महोदय ने अपने संभाषण में और देश का आह्वान करते हुए कहा था कि जब ऐसी आपत्ति हो, तो किसी को चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार लगातार केन्द्र सरकार से अधिक धन देने की मांग अभावग्रस्त जिलों के लिए 1114 करोड़ रुपए की राहत की मांग करती रही कि इतना धन स्वीकार किया जाए। उसके लिए ज्ञापन भी दिया जो नवंबर एवं मार्च में दिया गया और उनमें बार-बार एक ही बात दोहराई गई कि हमारे अनुसार 1114 करोड़ रुपए राजस्थान की बहबूदी के लिए चाहिए, लेकिन उसके बाद सरकार ने केन्द्र की एक टोली जरूर भेज दी, परन्तु उसके बाद धन में कुछ भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई। हाल ही में केन्द्र सरकार से सिर्फ 103 करोड़ रुपये मिले हैं। जैसा मैं कह रही थी कि इस बार अकाल का तीसरा वर्ष है। पिछला वर्ष दूसरा वर्ष था। उस वक्त हमने केन्द्र सरकार से 700 करोड़ रुपये मांगे थे लेकिन केन्द्र सरकार ने सिर्फ 21 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को दिये। 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने अपने आप की थी। मैं याद दिलाऊं कि श्री भैरों सिंह शेखावत, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वर्ष के लिए 900 करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन राजस्थान सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार है, उनके 700 करोड़ रुपये की मांग करने के बावजूद उन्हें केवल 21 करोड़ रुपये ही दिये गये। किसी तरह वह वर्ष बीत गया लेकिन उसके बाद की भयावह स्थिति और इसका अंदेशा भी नहीं था कि तीसरे वर्ष भी हमें लगातार अकाल से जूझना पड़ेगा।

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर श्वेत क्रान्ति आराम से लाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में श्वेत क्रान्ति के लिए जरूरी है कि हम कैटल कन्जर्वेशन और फौडर अरेंजमैंट के लिए प्रयास करते। अभी मैंने कहा कि नागौरी और राठी गाय काफी मशहूर हैं। जहां उनके संवर्धन करने की जरूरत थी, वहां आज उनका राजस्थान से पलायन ही नहीं हो रहा बल्कि काफी संख्या में वे अपनी जान से भी हाथ धो रही हैं। इसके लिए वालंटिरी एजेंसी से भी कहा गया है और उनके प्रयास भी किये जा रहे हैं लेकिन जब तक केन्द्र सरकार अपना रवैया स्पष्ट नहीं करेगी तब तक हम कैटल के संबंध में कोई योजना निर्धारित नहीं कर पायेंगे।

अभी राज्य सरकार ने अपने निर्णयों के द्वारा कैटल को बचाने के लिए काफी कुछ प्रयास करने शुरू किये हैं। जहां पर पहले केवल बड़े पशुओं के लिए छः रुपये और छोटे पशुओं के लिए तीन रुपये दिये जाते थे, अब उसे बढ़ा कर बड़े पशुओं के लिए दस रुपये और छोटे पशुओं के लिए पांच रुपये कर दिये गये हैं। लेकिन आज भी पशुओं की स्थिति ठीक नहीं है। लोगों के पशु दर-दर भटकने और मरने को मजबूर हो गये हैं।

मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि मैं जिस इलाके से आती हूं, वहां राज समुद्र झील की खुदाई हो रही थी और उसमें पानी नहीं आ रहा था। उस समय एक पंडित ने राजा से यह बात कही कि जब तक संवेदना का अंश नहीं होगा तब तक तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। राजीव जी ने उस संवेदना के पंख को हमें दिया और लगातार चार-पांच बार बॉय रोड उन्होंने राजस्थान का दौरा किया। लेकिन इतनी विभीषिका के आने के बाद भी केन्द्र सरकार के कितने मंत्री वहां पहुंचे हैं? आज स्थिति यह है कि न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान से सटे हुए गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में प्रधान मंत्री जी को अपने साथ लीडर ऑफ औपोजिशन को ले जाकर वहां की सही स्थिति के बारे में निर्धारण करना चाहिए। जहां अलग-अलग सरकारें अपनी स्थिति से उबरने का प्रयास कर रही हैं, जहां राजस्थान के साथ-साथ दो और राज्यों में अकाल की विभीषिका है वहां पर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप आंकड़े देखिये। जहां पर छः या सात डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल हो, मैं नहीं कहती कि वहां पर पैसा नहीं मिलना चाहिए, भरपूर पैसा मिलना चाहिए था लेकिन छः या सात जिलों में डिस्ट्रिक्ट्स में जितना पैसा दिया गया उतना पैसा 26 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर अकाल के साथ पशु धन और पेय जल की स्केयरसिटी है, वहां नहीं दिया गया। यह एक राजनीतिकरण का द्योतक है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): सारा पैसा राजीव पाठशाला में लगा दिया गया है। ...*(व्यवधान)* वहां सारा काम राजनीतिक आधार पर हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप अकाल की बात कर रही हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास : वह शिक्षा का पैसा था। हम अकाल की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

डा. गिरिजा व्यास : हमने आपकी सारी बातें सुनी। ...*(व्यवधान)* आप भी कम से कम अपने उस पहलू को सुनिए। मैं बात कर रही थी कि इन सबके बावजूद भी राजस्थान सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार है, प्रतिबद्ध है क्योंकि हम केवल शासन करने के लिए सत्ता में नहीं आये हैं। हमारी प्रतिबद्धता होती है कि हम लोगों के दुख-दर्द में, गरीबी हटाने के लिए, लोगों को पेय जल और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य करें। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवंत सिंह यादव (अलवर): सभापति जी, माननीय सदस्या ने कल के अखबार में घोषणा की है कि राजस्थान सरकार संवेदनशील नहीं है और वहां का कोई काम नहीं हो रहा है। यह आपका स्टेटमैंट छपा है। ...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास : मैंने राजस्थान सरकार से यही कहा कि आपको संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए था। मैंने पार्टी अध्यक्ष की तरफ से कहा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे ईल्ड नहीं कर रही हैं।

डा. जसवंत सिंह यादव (अलवर): इसका मतलब यह है कि ये जनता में कुछ बोल रही हैं और यहां कुछ और बोल रही हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, ये राजस्थान के मसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास : सभापति महोदय, मैं यही बात कह रही हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास : मैं पार्टी के प्लेटफार्म से भी वही बात करती हूं जो यहां पर कहने का दुस्साहस या साहस रखती हूं कि अकाल के मामले में हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यही वजह रही कि न केवल श्री राजीव गांधी ने बल्कि उसके बाद वाले समय में जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे उस वक्त के आंकड़े देखें जब केन्द्र में हमारी सरकार न होते हुए भी राज्य सरकार को उतने ही पैसे दिए गए।

अपराह्न 4.01

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

मैं आज तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरो सिंह जी का बयान उद्धृत करना चाहती हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि केन्द्र में मेरी सरकार नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। यह केवल इसलिए कि हमने अकाल के मामले में, विकास के मामले में और सहायता के मामले में राजनीतिकरण नहीं किया। लेकिन आज एक संवेदनशील व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहती हूं, वे कवि भी हैं, मैंने उनकी 51 कविताएं पढ़ी हैं, यहां जो माननीय मंत्रीगण विराजे हुए हैं, उनके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यदि वे राजस्थान की विभीषिका और उसके साथ लगते हुए गुजरात प्रान्त को अपनी आंखों से देख लें तो संभवत: 102 कविताएं लिखेंगे और उन कविताओं में वह मर्म, दर्द और पीड़ा होगी जो हमारी जमीन, पेड़, पशुधन और हमारे लोग झेल रहे हैं।

मैं राजस्थान की पेयजल की समस्या पर थोड़ा निवेदन करना चाहूंगी। राजस्थान में 222 अर्बन टाउन्स हैं। वहां के हालात ये हैं कि लोगों को आधा घंटा और एक घंटा पानी मुहैया हो रहा है। लेकिन आप रूरल सैक्टर की कल्पना कीजिए जहां 93,946 छोटी-छोटी ढाणियां हैं जिनमें से 83,900 ढाणियां पूरी या पार्टली पेयजल के साधन से प्रभावित थीं। लेकिन अभी 90 प्रतिशत स्थानों पर पेयजल की गंभीरतम समस्या है जिसमें सबसे बड़ा इलाका बाड़मेर का है, दूसरा मेरा इलाका राजसमंद से लेकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक चला जाता है। सरकारों ने कोशिश की कि करीब 1.65 लाख हैंडपम्प्स की व्यवस्था की जाए जो 62 प्रतिशत पेयजल की समस्या को समाप्त कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसमें कामयाब नहीं हुए और उसका सीधा कारण यह था कि केन्द्र से हमको जितनी मदद मिलनी चाहिए, उस हिसाब से सौवां हिस्सा मदद भी अभी राजस्थान सरकार को नहीं मिली है। इसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार ने राहत कार्यों के 17,945 कार्य स्वीकृत किए

हैं जिनमें से 10,442 कार्य अभी चालू हैं। मार्च में यह संख्या बढ़ाकर 4,31,500 कर दी गई है। आने वाले समय में इसे 8 लाख करने की अनुशंसा है। सरकार ने 1850 चारा डिपो स्वीकृत किए हैं जिनमें से 889 अभी कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार चारा और परिवहन 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया है। इसी के साथ-साथ लोगों को इसमें 60 रुपये सबसिडी दी गई है। पशु शिविर और गौशालाएं कार्य कर रही हैं। साथ ही हमने स्वयंसेवी संस्थाओं से निवेदन किया है कि वे भी इस कार्य में मदद करें। लेकिन स्थिति यह है, जैसा कहा गया है—विभिक्षिता किम् न किरोति पाप:। आज भूख केवल एक पाप नहीं कर रही और अखबारों में आने वाली वे सभी खबरें गलत नहीं हैं जिनमें कहीं लूट-पाट की खबरें हैं तो कहीं मरने वाले पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है।

हम इसी के साथ आशंकित हैं कि टी.बी. जैसा रोग, अभी बाड़मेर से लेकर जालौर और जालौर से लेकर उदयपुर इलाके तक टी.बी. के बढ़ते हुए मरीजों की जो लिस्ट आई है, वह इस बात का साक्ष्य है कि भूख से केवल एक रोग या एक ही माइनस प्वाइंट नहीं होता, उसके बहुआयामी परिणाम होते हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगी कि वे अपनी सभी कार्यों को इधर डायवर्ट करने की कृपा करें। आपातकाले मर्यादा नास्ति - यह जो बात कही गई है, यह केवल कहावत के लिए नहीं कही गई है। भारत में आपातकाल में धर्म क्या हो, इसकी विस्तृत व्याख्या है। मैंने राज्य सरकारों से भी अपील की है और आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि इस समय कानूनों के संशोधन और कानूनों को थोड़ा नर्म बनाने में सरकार पीछे नहीं हटे और समन्वित नीति और सामूहिक प्रयास से इसके लिए आगे बढ़ें। इन कार्यों को करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और लोगों का योगदान है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां बार-बार अकाल की विभीषिका से जूझना पड़ता है, एक अलग से सैल इस बात के लिए खोल देना चाहिए कि आने वाले समय को पूर्व से भांपकर पहले से उसकी व्यवस्था की जाये और राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार अकाल तथा बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए पहले से प्रयास करे।

आज आन्ध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान में जो अकाल है, मैं फिर निवेदन करूंगी कि राजनीति से ऊपर उठकर सरकार कार्य करे। मैं एक बात और विशेष तौर पर निवेदन करना चाहती हूं कि पहले सुनिश्चित रोजगार के कार्यक्रम राजस्थान में थे। मैं माननीय सदस्यों से, विशेषकर अपोजीशन के सदस्यों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि पहले के ए.ई.एस. के कार्य वहां पर नहीं हैं, यदि वे कार्य भी होते तो उसमें लोगों को मजदूरी मिलती और आज हम लोग अप्रैल और मई में आकर वहां पर केवल पांच लाख लोग लगे हैं, इस बात की चर्चा नहीं करते। इसलिए केन्द्र की वे स्कीमें, जो रोजगार बढ़ाने वाली हों, वे स्कीमें जिनसे पेयजल का स्तर बढ़े, वे स्कीमें, जिनसे हमारी पानी और सिंचाई की बढ़ोत्तरी हो, उन स्कीम्स को फिर से लागू करना जरूरी है। इसलिए आज जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा में मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहती हूं कि चर्चा चर्चा न रह जाये और इसमें हम लोग समन्वित रूप से प्रयास करें और आने वाले समय के लिए पूरी जागरूकता के साथ हम इसमें आगे बढ़ें। राजनीति से ऊपर उठकर यहां पर एक निर्णय होना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी भी अपनी यात्रा करें, हमारी अपोजीशन की नेता राजस्थान और गुजरात की यात्रा पर जा रही हैं, लेकिन यदि संसद के सभी सदस्यगण आज इस विभीषिका को जाकर देखें तो निश्चित तौर पर सरकार पर हैमर होगा। मैं इस शेर के साथ समाप्त करूंगी-

सूखी जमीन पर फसलें उगायें कहां तलक,
अश्कों पे लोग प्यास बुझायें कहां तलक।

आज हम लोग आजिज आ चुके हैं, इसलिए मेहरबानी करके अकाल राहत को केवल एक दिया हुआ टुकड़ा न समझकर लोगों की संवेदनाओं के साथ अपने को जोड़ें और पूरा पैसा इन प्रदेशों को, विशेषकर राजस्थान को इस विभीषिका से जूझने के लिए दें।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति जी, राजस्थान में करीब 26 जिले सूखे की चपेट में आये हैं और लगभग 23,400 गांव आज सूखाग्रस्त हैं। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में सूखे से स्थित बहुत गम्भीर बन चुकी है। आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, जहां पर सूखे की स्थिति है। कल दूरदर्शन पर प्रधान मंत्री जी का जो उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया, वह आह्वान हमने सुना। करीब पांच करोड़ लोग इस सूखे से प्रभावित हैं और जिस तरह पांच करोड़ लोग इस सूखे से प्रभावित हैं, उसी तरह राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो पशुधन है, वह भी इससे पीड़ित है। वहां अनाज की कमी महसूस होने लगी है, चारे की कमी महसूस होने लगी है। वर्ष में एक या दो बार इस प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हम इस सदन में करते हैं। कभी बाढ़ आती है, गांव के गांव बह जाते हैं। जीवित हानि होती है, धन की हानि होती है, सम्पत्ति की हानि होती है। कभी चक्रवात आ जाता है, चक्रवात से पूरा प्रदेश उजड़ जाता है। कभी सूखे से पीने के लिए पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। आज सूखे की समस्या केवल राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश की समस्या नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा मानकर भारत सरकार को जो भी सहायता सूखाग्रस्त प्रदेशों को करनी है, वह करनी चाहिए।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सभापति जी, एक ओर कभी बह्मपुत्र में बाढ़ आ जाती है, कभी बिहार में बाढ़ आ जाती है, कभी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण जीवन तहस-नहस हो जाता है। एक ओर पानी के लिए भी आदमी को तरसना पड़ता है, जानवर भी तरसते हैं। इसलिए जो समस्या है, उसके लिए तुरन्त राहत जो दे सकते हैं, वह देनी चाहिए। लेकिन इन समस्याओं का सामना हमें हर वर्ष करना है इसलिए जैसे तुरन्त राहत देते हैं, वैसे कायम राहत पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, वहां सौभाग्य से सूखे की स्थिति नहीं है। भगवान से प्रार्थना है वह स्थिति न आए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): वहां गन्ने की क्या स्थिति है?

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं उस पर आ रहा हूं। महाराष्ट्र में चार-साढ़े चार साल हमारी सत्ता रही। ...*(व्यवधान)* सौभाग्य या दुर्भाग्य, यह तो समय ही बताएगा। उस समय सर्वोच्च प्राथमिकता यदि किसी को दी गई तो वह पीने के पानी को दी गई। हमारी सरकार ने पीने के पानी के लिए 7000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की थीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सरकार बदल गई और जितनी भी योजनाएं पीने के पानी की चल रही थीं, वे सरकार ने बंद कर दी हैं। यहां मैं इस मुद्दे को राजनीति के लिए नहीं उठा रहा हूं। जो सौभाग्य मैं यह मान रहा हूं, यदि ये पानी की योजनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी तो महाराष्ट्र में सूखे पर भी एक दिन इस सदन में चर्चा होगी। वह समय नहीं आना चाहिए। चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमें निश्चय करने की आवश्यकता है कि किस विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि हम पानी को प्राथमिकता देते हैं, उसके ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं तो सूखे पर चर्चा करने की नौबत सदन में नहीं आएगी।

सभापति जी, आज सूखा पीड़ित जो प्रदेश हैं, वहां पर अनाज की कमी होती है। लेकिन साथ-साथ चारे की भी बहुत कमी महसूस हो रही है। इस कारण वहां का पशुधन नष्ट होता जा रहा है। महाराष्ट्र में गन्ना काफी होता है। करीब तीन लाख मीट्रिक टन गन्ना हर साल खेतों में पड़ा रहता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल्स हैं, फिर भी किसानों का सारा गन्ना इन मिल्स तक नहीं पहुंच पाता। तकरीबन तीन लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गन्ना खेतों में पड़ा रहता है। इस गन्ने का पशु खाद्य के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार से प्रार्थना है कि जो महाराष्ट्र में होने वाला सरप्लस गन्ना है और यदि भारत सरकार उसे किसानों से खरीदती है तो जो किसान वहां पर गन्ने की पैदावार करते हैं, जिनका गन्ना खेत में सड़ जाता है, उनको मेहनत का दाम मिलेगा और इससे उनको राहत भी मिलेगी। जहां पर सूखा है, जहां पशु खाद्य की आवश्यकता है, वहां उसी गन्ने को पशु खाद्य के तौर पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

राजस्थान में सूखे की सबसे ज्यादा तीव्रता है। पानी का स्तर घटता जा रहा है। बोर वैल या कुएं से पानी नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए वर्षा के पानी को रोकने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से पिछले तीन वर्षों से सबसे कम वर्षा राजस्थान में हुई है और वर्षा कम होने के कारण आज सबसे ज्यादा राजस्थान सूखे से प्रभावित है। इसलिए वर्षा के पानी को रोकने की आवश्यकता है। इस पानी को छोटे-छोटे डैम के जरिए, बड़े डैम के जरिए रोकने की आवश्यकता है। प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है। तीन साल वर्षा नहीं हुई, इस साल क्या होगा, यह कहना मुश्किल है, इसलिए पानी की हर बूंद को रोकने की आवश्यकता है। हमारे देश में वर्षा कम नहीं होती है। अकेले राजस्थान में ही जितनी वर्षा होती है, यदि उस पानी को भी हम रोक पाते हैं तो साल भर के पीने के पानी की समस्या कम होगी और जमीन का जल स्तर ऊपर आएगा। वन संपत्ति और खेती में भी बढ़ोत्तरी होगी और वन संपत्ति का असर वर्षा पर होता है। एक महत्वाकांक्षी योजना कई वर्षों से हम सुन रहे थे। गंगा का पानी दक्षिण की ओर ले जाना होगा। जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। जैसे हमने सारे देश को रेल से जोड़ा है, हर कोने-कोने को रेल से जोड़ा है, वैसे ही पानी से भी देश को जोड़ने की आवश्यकता है। जिन नदियों में बाढ़ आती है, उनके पानी को जहां पर सूखा है, वहां तक ले जाने की आवश्यकता है, यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और बड़े खर्च का काम है। लेकिन हमें करना चाहिए, गंगा को विशेष रूप से करने की आवश्यकता है और इसलिए प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। यदि केवल हम गंगा का पानी ही दक्षिण की ओर ले जाते हैं तो सारा भारत वर्ष सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। फिर हमें यहां न सूखे की चर्चा करनी पड़ेगी और न बाढ़ की चर्चा करनी पड़ेगी। जो सूखाग्रस्त प्रदेश है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और भविष्य में इस संकट से बचने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने हैं और हमें गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय सभापति महोदय, यह अधिक उचित होता यदि आप प्रयोगात्मक रूप में माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर की निश्चित अवधि तय करें। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा इत्यादि राज्यों के कई माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री सभी का उत्तर सायं 7.30 बजे तक दे पाएं।

सभापति महोदय : इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय से चर्चा होगी। हम आपको बता देंगे।

अब माननीय सदस्य श्री राज बब्बर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा): सभापति जी, सूखे की हालत को देखते हुए आज पूरा सदन इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त कर रहा है और लगता है कि सरकार के पास राष्ट्रीय जल नीति के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। सदन में बहस कराकर, सदन के विचार सुनकर सरकार शायद सोचती है कि उसने अपने दायित्व को निभा लिया है। लेकिन आज तक कभी यह कोशिश नहीं की कि इस देश की राष्ट्रीय जल-नीति के बारे में सोचा जाए। मैं अपनी बात को एक बड़े लेखक की कविता, जिसका नाम मैं बड़े आदर से लेता हूं - धूमिल, से शुरू करता हूं-

> "एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, बल्कि वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं - वह तीसरा आदमी कौन है, लेकिन मेरे देश की संसद मौन है।"

महोदय, मुल्क मुसीबतों से गुजर रहा है और सरकार के कुछ मंत्री अपनी पीठ ठोंक-ठोंक कर एलान कर रहे हैं कि हम दुनिया में दो-नम्बर की ताकत हैं। मेहरबानी करके बता दें, अगर खुद पता नहीं है, तो आरएसएस से पूछकर बता दें, आप किधर से नम्बर-दो ताकत हैं, आगे से या पीछे से? मेरा मतलब है, अमरीका के बाद या इथोपिया के बाद, लोग बीमारी से मरें, तो वह भी सरकार के लिए शर्म की बात है। लोग रोटी के लिए मरें, तो वह भी इस सरकार के लिए डूब मरने की बात है, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार के पास चुल्लू भर पानी तक नहीं रह गया है। क्या गुजरात, क्या मध्य प्रदेश क्या राजस्थान, पूरे मुल्क में हाय-तौबा मची हुई है। देश में पौने छः लाख गांव हैं, जिसमें से आज दो लाख गांव पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। आप अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस मुल्क को आप कहां ले जा रहे हैं। किस तरफ देख रहे हैं और कौन से नम्बर दो को देख रहे हैं। एक बात से मैं आगाह कर दूं कि अब तो कीचड़ भी सूखनी शुरू हो गई है और कीचड़ सूखने का मतलब... इसे आप समझा दें। यह बात कई बार उधर के लोगों ने भी उठाई है, मैं नहीं जानता इसमें कितना सच है, लेकिन जनता की परेशानियों को लेकर उधर के ही कुछ लोगों ने वित्त मंत्री जी का घेराव किया था। उसमें सूखे के बारे में ही बातचीत हुई यह मुझे मालूम नहीं है क्योंकि उनकी बातें, बैठकें गुप्त हुआ करती हैं। मेरा इस हत्यारी सरकार पर सीधा आरोप है कि यह सरकार हत्या कर रही है। इसे इसी वक्त हटा देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा तल्ख हो रहा हूं *...(व्यवधान)* डायलाग अच्छे हैं, पढ़ा-लिखा आदमी हूं, आप भी पढ़-लिखकर आया कीजिए तो आप भी अच्छे डायलाग बोला करेंगे *...(व्यवधान)* यह अच्छे राइटर ने लिखे हैं, आप जैसे घटिया राइटर ने नहीं लिखे हैं। राज बब्बर भी वैसे अच्छे डायलाग बोलता है, यह सभी जानते हैं। *...(व्यवधान)* इन्हें समझाने की जरूरत हैं, ये बेचारे आज तक कभी अच्छा बोले ही नहीं हैं। इनकी भाषा अच्छी नहीं है, इनके सोच-विचार अच्छे नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरी): हमें कार्य अच्छी तरह करना आना चाहिए। अच्छे लेखक होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राज बब्बर : देखो, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक

[हिन्दी]

अच्छे शब्द बहरों को नहीं सुनाये जायेंगे तो गुड्स कहां डिलीवर होंगे। *...(व्यवधान)*

डा. जसवंत सिंह यादव (अलवर): उत्तर प्रदेश में दलितों पर गोली किसने चलाई थी।

श्री राज बब्बर : दलितों पर गोली किसने चलाई इस पर बाद में बात करेंगे।

महोदय, चर्चा पानी की और सूखे की हो रही है, आप समझने की कोशिश करिए। *...(व्यवधान)* मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब भी बात करता हूं तो वहां से लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इन्हें क्या तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। अच्छी भाषा, अच्छी जुबान सुनना, कानों को अच्छा लगता है। उन्हें सुनना चाहिए, इनकी श्रवण शक्ति बढ़नी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास रास्ता नहीं है कि हम इस सरकार को पद से हटाने का काम करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पोखरन में बारूद तो छुड़वा सकते हैं, कच्छ में गोलियां भी चलवा सकते हैं और सब कुछ करने के बाद ये अपनी पीठ ठोकते हैं तो क्या इन्हें यह मालूम होता है कि वहां पीने के पानी से भी लोग मर रहे हैं। हम सीमाओं पर जान देने वालों के लिए नतमस्तक होते हैं, यह हमारा फर्ज है, लेकिन जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए जो लोग अपनी सांसों को जिन्दा रखना चाहते हैं, वे पानी के लिए तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। उनके लिए हम क्या करें, क्या सरकार हमें जवाब देगी।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है कि पानी की किल्लत कयामत बरपी है, उसके लिए देश मदद के लिए आगे आए। मैं प्रधानमंत्री जी के भावुक कवि हृदय की सराहना करता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री जी

[श्री राज बब्बर]

वहां जाकर हल चलाएं या फावड़े से खोदें तो शायद कुछ पापों का बोझ कम हो सकता है। लेकिन वह हमारी बात को सुनने के लिए सदन में नहीं आए, हो सकता है कि बीमार हों। हम उनकी सेहतयाबी के लिए कामना करते हैं। मैं उनके कवि हृदय की सराहना करता हूं, ये हादसे रोके जा सकते हैं। हमदर्दी मरने वाले लोगों के लिए तो हो ही, मगर जो जिन्दा लोग हैं उनके लिए भी जागनी चाहिए। कई ऐसी जगहें हैं, जहां लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्हें कायदे से 2पीपीएम से ज्यादा क्लोरिन मिला पानी नहीं पीना चाहिए जबकि वे 2पीपीएम से ज्यादा 10-12 गुना ज्यादा क्लोरिन मिला पानी पी रहे हैं। पेट, आँत, फेफड़े, यहां तक कि आंखों से भी वे पानी पीकर अंधे हो रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली ने इस पानी को न पीने का सुझाव दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पेयजल की व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े से कड़े आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था, नागपुर वालों ने भी कहा है कि इंसान को तो छोड़िए, जानवर तक के लिए भी पीने के लिए इस पानी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में क्लोरीन पानी में मिलाने के लिए मुमानियत हो गई है। ओजोन गैस का प्रयोग हो रहा है। मैं आगरा की बात कर रहा हूं। आगरा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति शहर है और उस शहर में आज पीने का पानी नहीं है। वहां 300 से ऊपर ऐसे गांव हैं, जिन गांवों में 53 साल की आजादी के बाद भी पीने का पानी नहीं पहुंचा है। 600 से ज्यादा आज भी ऐसे शहर में मोहल्ले हैं, जहां पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है, पांच-पांच, सात-सात किलोमीटर से लोग पानी लेकर आते हैं। आगरा राजस्थान के पास आता है। सूखे का प्रभाव धीरे-धीरे वहां पड़ रहा है। आगरा के बारे में हमारी कोई भी जल-नीति नहीं है जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में हम सोच सकें।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आगरा के लोग जो 100 मि. लीटर पानी पीते हैं उसे 2 लाख बीस हजार जीवाणु पीते हैं जबकि उनकी मात्रा पांच हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली ड्रेन, हरियाणा ड्रेन, शाहदरा और ओखला ड्रेन से पानी में गंदगी मिलकर जो पानी आगरा में जाता है उसके बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया। सूखे के साथ-साथ इन इस तरफ भी देना होगा।

हमारी जल-नीति क्या है? आगरा बैराज, जिसकी योजना 1988 में पास हो गयी थी, आज एक सपना हो गया है। उसका शिलान्यास तो हुआ लेकिन आज तक उस बैराज का क्या हुआ, पता नहीं। यह बैराज पीने के पानी की समस्या को दूर करने के साथ-साथ पर्यावरण में भी सुधार लायेगा, वन्य-भूमि और कृषि-भूमि में सुधार लाने के साथ-साथ यातायात में भी सुधार होगा और भीषण गर्मी में यमुना भी नहीं सूखेगी।

सभापति महोदय, आगरा को अपने देश से ही नहीं विदेश से भी लोग देखने आते हैं। बाहर के लोगों का उसके प्रति मोह है। भाजपा के पुराने मित्र और अमरीका के महापुरुष क्लिंटन साहब जब आगरा आये थे तो उनको दो घंटे के विचरण के लिए करोड़ों रुपया व्यय किया गया लेकिन आगरा के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, पैसा नहीं है।

सभापति महोदय, यदि जल ही जीवन है तो "जान पर बन आने पर जनता हिंसक प्रतिक्रिया पर उतरती है" इसलिए समय रहते सरकारों को सूखाग्रस्त राज्यों में राशन, पानी, सहायता राशि देने के अलावा अकाल से निजात पाने की स्थाई उपायों पर क्रियान्वयन शुरू कर देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अपनी अंतिम बात कहते हुए कहना चाहूंगा कि पानी आयात नहीं किया जा सकता। इसका इंतजाम हमें यहीं करना होगा और सरकार को इस पर सोचना होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे एक सूचना देनी है। इस चर्चा पर माननीय मंत्री महोदय सायं 6.30 बजे उत्तर देंगे। हमारे पास बोलने वालों की लंबी सूची है। कृपया अपना भाषण छोटा रखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्ता चर्चा में भाग ले सकें। हमारे पहले ही दो घंटे समाप्त हो चुके हैं, और हमारे पास दो घंटे और बचे हैं। मंत्री महोदय सायं 6.30 बजे उत्तर देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय, सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज सही निर्णय लिया है। सामान्यत:, नियम 193 के अंतर्गत कोई भी चर्चा, इस सभा की परम्परा के अनुसार, सायं 4 बजे ली जाती है। परंतु सूखे की परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, जो इतनी भयानक थी, अध्यक्ष महोदय की सहृदयता के कारण उन्होंने हमें इस सुबह बुलाया और कहा कि दिन में सभा अन्य कोई कार्य नहीं करेगी और हम सीधे सूखे की स्थिति पर चर्चा करेंगे। कई वक्ता, पार्टी के भेद को भुला कर, जिनके निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, अपने नाम दिए हैं और वे अपने दृष्टिकोण को समझाना चाहते हैं। इसलिए, मेरा नम्र निवेदन है कि सभा की भावना को समझ कर माननीय मंत्री महोदय को सायं 6.30 बजे के बजाय 7.30 बजे उत्तर देने दीजिए।

सभापति महोदय : यह हो सकता है। जबकि हमारे पास वक्ताओं की लंबी सूची है, कृपया संक्षिप्त में बोलिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, यह महान सभा हाल ही में उद्भव हुए जबरदस्त सूखे

के स्थिति पर चर्चा कर रही है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं जहां लगातार तीन साल तक सूखा पड़ा है। माननीय सदस्य प्रो. रासा सिंह रावत, डा. गिरिजा व्यास और अन्य सदस्यों ने राजस्थान में लगातार तीसरे साल पड़े सूखे और अकाल की भयानक स्थिति की सही तस्वीर पेश की है।

मैं पहले से ही उल्लेख की गई बातों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता। मैं यही कहना चाहूंगा की स्थिति भयानक है और यह दूसरा छपानिया है। उस समय का आज कोई भी जीवित नहीं है जो हमें अब इस समय छपानिया के बारे में बता सके परंतु लोगों को याद है और कहते हैं कि यह छपानिया की पुनरावृत्ति है। यह सर्वाधिक भयानक अकाल है जिसका हम अभी तक सामना कर चुके हैं। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, 23,500 गांव प्रभावित हुए हैं; पशु मर रहे हैं; और लोग स्थानांतरण कर रहे हैं। यह सब कुछ हो रहा है। हम अकाल और सूखे पर पिछले 50 सालों से चर्चा कर रहे है। डा. गिरिजा व्यास ने सही कहा है कि श्री राजीव गांधी ने राजस्थान की यात्रा की थी जब वहां जबरदस्त अकाल पड़ा था और उन्होंने राज्य के लिए बहुत कुछ किया। परंतु क्या हम इस समस्या की जड़ तक जा पाए हैं? क्या सूखा पड़ने का एकमात्र कारण मानसून का न आना है या कभी-कभी मानव-निर्मित भी होता है? क्या सरकार की नीतियां, चाहे कोई भी सरकार हो, अकाल के लिए क्या वे भी जिम्मेदार नहीं हैं? मैं समय की कमी के कारण इस संबंध में कुछ ही मुद्दे उठाऊंगा।

मैं मेवाड़ क्षेत्र का हूं जहां की डा. गिरिजा व्यास भी हैं। हमें उस क्षेत्र में सूखे की स्थिति में रहने की आदत है। थार मरूस्थल में रहने वाले लोग ही सूखे और अकाल की स्थिति में रहने के आदी नहीं हैं परंतु हम भी कई दशकों तक सूखे की स्थिति में रहने के आदी हैं। मेवाड़ क्षेत्र में, प्रत्येक बड़े गांव में जलाशय होता था जिसे केवल जलाशय के रूप में ही रखते थे और कभी सिंचाई के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। सरकार ने यह नीति बदल दी और इन जलाशयों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया गया। नतीजा यह हुआ कि गांवों में हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुझे याद है कि कोई पच्चीस तीस साल पहले मेरे गांव में कोई जलाशय से जिसे हम अक्षय सागर कहते थे नहर नहीं थी। उन्होंने एक नहर खोदी और इसके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए शुरू कर दिया। उस क्षेत्र में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में हमें जलस्तर घटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब हमें इस समस्या का पता चला। मैंने वह रोक दिया। उसके बाद भयंकर सूखे के दौरान भी मेरे गांव को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हमें इन बातों की आदत हो गई है।

कुछ समय तक मैंने राजस्थान सरकार में सिंचाई मंत्री का काम किया था। उस समय में सिंचाई विभाग के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। मुझे लगा कि उन्होंने ऊपरी धारा और निम्न धारा की समस्याओं के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी। उन्होंने कभी निचले गांवों में जल स्तर के घटने के संबंध में नहीं सोचा था क्योंकि वहां बांध बने हुए थे। वहां अलग सीसीए था और वे केवल सीसीए के बारे में ही बोलते और सोचते थे। उन्होंने कभी बांध के आसपास नदी की निचली धारा, जलस्तर के घटने इत्यादि जैसे गांव के दुखों के संबंध में नहीं सोचा था। क्या उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी का अधिकार नहीं है? बांध के गेट कभी बंद नहीं किए गए थे।

उन्होंने कभी बांधों पर फाटक नहीं लगाए। अगर वे बांधों पर फाटक लगा देते तो वे नदी में पानी को भेज सकते थे और वे दिल्ली और मुंबई में टमाटर, आलू और सब कुछ पहले की तरह ही भेज सकते थे। परंतु आज जलस्तर घटने की वजह से उन सभी गांवों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने उन गांवों के लोगों से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि क्या उनका पानी पाने का अधिकार है तो उन्होंने बताया कि वे इस अधिकार के बारे में नहीं जानते जिसे पूरे विश्व में, यहां तक कि अमेरिका और अन्य देशों में भी इसे मछली पकड़ने के अधिकार के रूप में जाना जाता है। परंतु भारत में कोई भी मछली पकड़ने के अधिकार के बारे में बात नहीं करता।

मैं आपको आज भीलवाड़ा की सही स्थिति तथा भयंकर सूखे के बारे में बताना चाहता हूं। परंतु हमें सूखे और अकाल की भयंकरता के बारे में जांच करने के लिए एक तरह की उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए। क्या हम सूखे और अकाल को समाप्त कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्योंकि यहां मानसून नहीं आता। जंगलों की कटाई के कारण भी ऐसा होता है। आज कहीं जंगल नहीं है। लोगों ने अधिकांश जंगल काट लिए हैं।

'एलनीनो' की बात की जाती है। कभी-कभी अच्छी मानसून होती है। कभी बिल्कुल नहीं होती। लोग एलनीनो की बात तो करते हैं परंतु इसके बारे अधिक नहीं जानते। हमें उच्च स्तरीय समिति का गठन करके इसकी जांच करनी चाहिए और इसकी सिफारिशों का पालन करना चाहिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, हम अपने देश के बड़े संकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस संकट की गंभीरता इस देश में संकट की स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपेक्षित वित्तीय सहायता देने में असफल होने के कारण

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

बढ़ जाती है। परन्तु उनकी अनुपस्थिति में मैं सभा का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कुछ उन्होंने 1998 में पूर्व लोक सभा में चर्चा के दौरान कहा था। उन्होंने कहा था:

"पानी में भी आग लग सकती है।" माननीय प्रधानमंत्री देश में जल संकट के बारे में बात कर रहे थे।

"पानी की समस्या जटिल होने वाली है। पानी की समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह पूरे विश्व की समस्या बन गई है। यह संभव है कि विश्व की अगली बड़ी समस्या जल स्तर का घटना है। हम सभी यह अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में देख सकते हैं।"

जैसा कि मेरे मित्र श्री राज बब्बर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र आगरा के बारे में बताया है तथा जैसा कि महाराष्ट्र के मेरे वरिष्ठ साथी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से बताया है कि उनके राज्य में पानी की कोई कमी नहीं है परन्तु पानी की समस्या है, हम लोगों की समस्याओं से चिंतित हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण वाक्य को उद्धृत करता हूं:

"हम कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि हम पांच वर्षों में सब कुछ कर देंगे।"

माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1998 में कहा था:

"हम केवल पानी के मामले में यह आश्वासन देना चाहते हैं।"

माननीय प्रधानमंत्री किसी अन्य विषय पर आश्वासन देने को तैयार नहीं थे परन्तु जहां तक पानी का संबंध है उन्होंने आश्वासन दिया था। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री श्री सुंदरलाल पटवा माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करें कि उन्होंने 1998 में पेय जल के संबंध में क्या आश्वासन दिया था। आश्वासन यह था कि "केवल पानी के मामले में हम यह आश्वासन देना चाहेंगे कि अगले पांच वर्षों में हर जगह स्वच्छ पेय जल होगा और यह हमारा वचन है।" उन पांच वर्षों में से अढ़ाई वर्ष समाप्त हो चुके हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उनकी पेय जल नीति क्या है। इस सरकार की जल प्रबंधन नीति क्या है?

देश भर में बहने वाली सभी नदियों के बारे में क्या हुआ है? मैंने सरस्वती, साबरमती, हाथमती तथा भगावो नदियों के बहते पानी में स्नान किया है। अब केवल दक्षिण गुजरात में ही नदियां बह रही हैं। वहां माही, तापी और नर्मदा नामक तीन नदियां बह रही हैं। साबरमती का क्या हुआ? सरस्वती का क्या हुआ? भगावो का क्या हुआ? मुझे बताया गया है कि सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों और पुरानों में किया गया है। यह देश की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। कच्छ (भुज) जिले में "ढोला वीरु" नामक ऐतिहासिक स्थान है। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक सभ्यताएं नदी तटों पर ही पनपी हैं। ढोला-वीरा सरश्वती नदी के तट पर है और वहां एक ऐतिहासिक सभ्यता थी। मैंने सुना है कि सरस्वती नदी धरती में समा गई है। वहां बलुआई भूमि होने की वजह से यह लुप्त हो गई है। यह उत्तरी गुजरात से होकर गुजरती है: यह कच्छ और भुज को छूती हुई पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान सरकार ने सरस्वती नदी के पानी का उपयोग किया है। वे उस पानी का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए कर रहे हैं। भारत सरकार और गुजरात सरकार सरस्वती नदी के पानी का उपयोग नहीं कर पा रही है जो भारत से बहना शुरू करती है तथा जिसका अधिकांश भाग भारत से, विशेषकर गुजरात से होकर बहता है। मैं सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जो माननीय प्रधान मंत्री ने 15 दिसम्बर, 1999 को कहा था। कई मित्रों ने गुजरात जल आंदोलन के बारे में बताया तथा मैंने उनका धन्यवाद किया। गुजरात में जल आंदोलन शुरू हो चुका है तथा अभी भी चल रहा है। जामनगर के निकट 14 दिसम्बर, 1999 को एक घटना हुई थी। वहां ग्रामीण क्षेत्रों से शहर को पानी पहुंचाया जाता है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने आंदोलन किया था। प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधकर गोलियां चलाई गई जिससे तीन युवक मारे गए। गुजरात के हम सभी संसद सदस्यों ने 15 दिसम्बर, 1999 को 'शून्य काल' के दौरान यह मामला उठाया था। 15 दिसम्बर को प्रधानमंत्री ने कुछ मिनट के लिए बोला था और कहा था, "यह क्षेत्रीय समस्या नहीं है। यह राष्ट्रीय समस्या है। हम इस सभा में पीने के पानी की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे।" उस वचन का क्या हुआ? इसे क्यों भुला दिया गया? मैं सरकार से इस बारे में भी उत्तर चाहता हूं।

मैं 'पाटन' नामक निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जो गुजरात का अत्यंत पुराना शहर है जो 1200 वर्ष पहले बसा था। मेरा पूरा निर्वाचन क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। राधनपुर, संतालपुर और सामी तालुका विशेषरूप से अत्यधिक प्रभावित हैं। एक तरफ बनासकांठा है जहां से भाजपा के मेरे मित्र श्री हरिभाई चौधरी चुने गए हैं। दूसरी तरफ मेहसाना सबसे बुरी तरह प्रभावित है। आप एशिया के सबसे बड़े जिले कच्छ (भुज) जाकर स्थिति को देखिए।

मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। मैं ज्यादा आंकड़े दिखाकर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। गुजरात में 62,180 किलोमीटर बंजर क्षेत्र है जहां न तो आप पेड़ लगा सकते हैं और न ही पानी के टैंक बनवा सकते हैं। यह मीलों लम्बा लवणीय भूभाग है। अगर आप वहां सड़क मार्ग से जाते हैं तो

आप प्यास से परेशान हो जाएंगे। इसका 73 प्रतिशत भाग कच्छ (भुज) में है।

आप केवल वहां स्थिति की कल्पना ही कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने 18509 गांवों में से 9200 में कमी की सरकारी तौर पर घोषणा की है। गुजरात ऐसा राज्य है जहां 37 प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है, इस प्रकार गांवों की संख्या कम है। गुजरात की 4,15,00,000 की कुल आबादी में से 1,25,00,000 लोग खाद्यान्न के अभाव और सूखे से सीधे प्रभावित हुए हैं; और इतनी ही संख्या में लोग सूखे की स्थिति से प्रभावित हुए हैं। जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, पाटन, मेहसाणा जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गुजरात में विपक्षी दलों ने उनसे अक्तूबर के महीने में ही अनुरोध करना आरम्भ कर दिया था। सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति दीवाली पर इस बात का निर्णय करता था कि मानसून में पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई है या नहीं। गुजरात में आखिरी बार बारिश 2 सितम्बर को हुई थी, जिस द्रिन में राज्य में मतों की गिनती हो रही थी। इसके बाद वहां बारिश नहीं हुई। लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, गैर-सरकारी संगठन और पूरे विपक्ष ने सरकार से अनुरोध किया था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं; और मानसून में बारिश न होने के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

[हिन्दी]

पुराने जमाने में एक कहावत थी कि राजा पापी होता था तो बरसात नहीं होती थी। अभी यहां तो 70 राजा हैं। हम किसको राजा बोलें।

[अनुवाद]

हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। परन्तु खाद्यान्नों के अभाव की घोषणा करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। इस कार्य को जनवरी के पहले सप्ताह में किया गया। विलम्ब होने के कारण लोगों का पलायन करना शुरू हो गया था। सौराष्ट्र के लोग, सामी, राधानपुर, सन्टलपुर के लोग अपने गांवों को जानवरों को साथ लेकर छोड़ गए थे।

मैं सभा का ध्यान कल राजकोट जिले के छोटिला के निकट सायला में जो घटना घटी थी और दिलाना चाहता हूं। एक ही पशु कैम्प में घटिया घास को खाने के कारण एक घण्टे के भीतर ही एक सौ पच्चीस गायें मर गई थीं। एक गाय को मारे जाने के कारण गुजरात में आन्दोलन हुआ था और उस गाय की रक्षा करते हुए एक आदमी मारा गया था। हमने पूरे गुजरात में हड़ताल की थी। उस घटना में केवल एक गाय संलिप्त थी। परंतु कल की घटना में जहरीले भोजन के कारण एक सौ पचास गायें मारी गई हैं, क्या वहां पर हिन्दुत्व नहीं है।

[हिन्दी]

वहां गाय माँ नहीं है। कोई आदमी मार देता है तो मां बन जाती है। धरती को हम मां कहते हैं लेकिन उसको हम मां का ट्रीटमेंट नहीं देते।

[अनुवाद]

मुझे अत्यंत खेद है। गुजरात की स्थिति अत्यधिक गम्भीर है। सहायता कार्य पिछले महीने ही शुरू हुआ है।

एक अत्यधिक गम्भीर बात है और मैं उसके बारे में सभा को सूचित करना चाहता हूं। 6.4.2000 को सबरकांठा जिले के खेदब्रहमी तालुक के सेबलिया गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण कार्य स्थल पर हो गई थी। पांच बच्चों वाला 35 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण सहायता कार्य स्थल पर हो गई थी। उस व्यक्ति की मृत देह को 27 घण्टे बाद उठाया गया। कार्य स्थल पर एक पेड़ के नीचे शव-परीक्षा की गई और डाक्टर ने यह कहा कि उसके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं था। उस व्यक्ति ने पिछले दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वह टी.बी. से भी पीड़ित था। परन्तु उस 35 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु का मुख्य कारण केवल भूख थी क्योंकि सरकार उसके लिए किसी भी चीज की व्यवस्था करने में असफल रही थी।

श्री सुन्दरलाल पटवा यहां बैठें हैं। मैं दो-एक बातें और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमारे देश में किस प्रकार का सूखा पड़ता है? 18 अप्रैल, 2000 को परामर्शदात्री समिति को पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कुल 14,30,543 बसावटें हैं। जहां तक पीने के पानी का संबंध है, सभी जगह पीने का पानी उपलब्ध रहने वाली बसावटें 11,92,377 है। कुछ ही स्थानों पर पानी की उपलब्धता वाली बसावटें, 2,11,685 है, और पानी की व्यवस्था नहीं है ऐसी बसावटें 26,481 हैं। यह तो कहानी का एक भाग है। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 5 पर मंत्रालय ने पीने के पानी की गुणवत्ता का उल्लेख किया है। अब यह देखिये कि पानी की सब जगह उपलब्धता वाले और कुछ जगहों पर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में लोगों को किस प्रकार का पीने का पानी पीने के लिए उपलब्ध है। ऐसे गांवों, जहां पर पानी में अत्यधिक फ्लोराइड है, की संख्या 13,845 है; ऐसे गांवों की संख्या, जहां पानी में आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा है, 3,133 है, ऐसे गावों की संख्या 34,478 है जहां के पानी में खारापन बहुत ज्यादा है और मेरा यह मानना है कि ऐसे गांव जहां के पानी में अत्यधिक लोहा पाया जाता है उनकी संख्या 61,942 है और यह उड़ीसा

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

और देश के अन्य पूर्वी भागों में स्थित है। इस प्रकार कुल बसावटों की संख्या 1,38,398 है। गरीब लोग फ्लोराइड, आर्सेनिक, लवणता और लोहा पी रहे हैं। आज हम यहां किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने टेलीविजन पर लोगों से वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। यह एक कारगिल के जैसा विषय नहीं है जिसमें सरकार आम आदमी से अधिकाधिक वित्तीय सहायता की मांग करे।

मेरे राज्य गुजरात में कारगिल के नाम पर 23 करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये थे परन्तु केवल 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए और शेष धनराशि को सावधि जमा में रखा गया। यही सरकार सूखे के नाम पर पैसा इकट्ठा करेगी लेकिन लोगों को इसे नहीं देगी। यह धन सावधि जमा में जाएगा जहां से उन्हें 'कमीशन' मिलेगा। मुख्य मंत्री द्वारा सोलह करोड़ रुपये सावधि जमा में रखे गए हैं। इस धनराशि को प्रधान मंत्री राहत कोष में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, सदस्य ने कहा है कि धनराशि जोकि प्रधान मंत्री राहत कोष के लिए आती है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे 'कमीशन' के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। मेरे विचार से इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं गुजरात राज्य सरकार के बारे में बात कर रहा था *...(व्यवधान)* मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। प्यास लगने पर कुआं खोदना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री एक साधारण अध्यापक के समान नहीं हैं। वे जानते होंगे कि सूखे, अकाल और खाद्यान्नों की कमी की समस्या देश में हमेशा रहने वाली समस्या है।

श्री बिक्रम केशरी देव : यदि माननीय सदस्य अनुमति दें, मैं कहना चाहूंगा कि हमें यह बात कांग्रेस सरकार से उत्तराधिकार में मिली है। इसीलिए हमें सब बातों को व्यवस्थित करने में समय लगेगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बिक्रम केशरी देव, आप जब बोलेंगे तब आप इस बात का जवाब दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): जो भी बात करें, सुझाव दें और कम से कम गुस्सा करें।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : अब मैं समाधानों की बात पर आ रहा हूं। गुजरात की समस्या का हल सरदार सरोवर परियोजना के सफलतापूर्वक निर्माण और कार्यान्वयन में निहित है *...(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): कृपया श्री दिग्विजय सिंह से बात करें *...(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : कृपया मुद्दों को आपस में न उलझाए। क्या यह केवल मध्य प्रदेश से संबंधित मामला है? मुझे अत्यन्त खेद है कि यदि केन्द्र सरकार का ऐसा रवैया रहा तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक दूसरे से सीधे बात मत करिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : गुस्सा कम करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): *...(व्यवधान)* आपके ऊपर हल्ला बोल देंगे। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

श्री सुन्दर लाल पटवा : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री था और माननीय चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्य मंत्री थे। पूरी तरह से एकमतेन, हमने बिना किसी मत विभक्ति के उस कार्यक्रम को चलाया। अब जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विवाद राजस्थान या महाराष्ट्र के बारे में नहीं है, नर्मदा के बारे में जो विवाद है, वह गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में है, उतना ही मैंने निवेदन किया है। मैं किसी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं और कम से कम हम इस संवेदनशील मामले को राजनीति का मुद्दा न बनायें तो बेहतर होगा।

श्री दिनशा पटेल (कैरा): आप दिग्विजय सिंह जी की बात मत करो, यही बात है न। आप केन्द्र के मंत्री हो न। *...(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : तो क्या मैं दिग्विजय जी का नाम लेना छोड़ दूं? वे मेरे मित्र हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : विवाद परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित है। केन्द्रीय मंत्री महोदय नहीं जानते हैं, बांध के निर्माण पर रोक नहीं लगी हुई है। नर्मदा के जल को उपयोग में लाने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी है। इसे नहरबद्ध किया जा सकता है और गुजरात में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी है। चारों लाभग्राही मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी हुई है। मैं आपको और श्री सी.पी. ठाकुर को, जोकि यहां पर उपस्थित नहीं हैं, बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय की किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी हुई है। उन्हें गलतफहमी हुई है। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री शामिल हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि निर्वाचित होने के बाद वे कावेरी विवाद के समाधान की पद्धति के अनुसार 15 दिन के भीतर नर्मदा के मामले का भी हल निकाल देंगे। उस आश्वासन का क्या हुआ है? वे संबंधित चारों मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग प्यासे मर रहे हैं। वहां पर पशु प्यास के मारे मर रहे हैं। लोग सूरत से भी आगे पलायन कर गए हैं। क्या यह एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? कविताएं लिखना, विशेषज्ञतापूर्ण भाषण देना और टेलीविजन पर आना आसान है परन्तु बिना पानी के रहना अत्यंत कठिन है। मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं जब तक वह इस देश के लोगों के लिए स्वच्छ पेय जल को उपलब्ध नहीं कराती है तब तक उसे केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों में 'मिनरल वाटर' की बोतलों को इस्तेमाल में लाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बिसलरी मिनरल वाटर का उपयोग नहीं करना चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं नर्मदा परियोजना के मामले को यथाशीघ्र हल कर लिया जाना चाहिए। यदि बांध का निर्माण समय पर नहीं भी होता तो तब भी नर्मदा के पानी को नहरों में प्रवाहित होने देना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप गुजरात में भूमिगत जल, कुंओं का और तालाबों का जलस्तर बढ़ जाएगा। उच्चतम न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए यह एक ऐसा मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चे को दूध पीने से नहीं रोक सकता है। कोई भी मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने से नहीं रोक सकता है। नर्मदा हमारी मां है। हम उसके बच्चे हैं। हम नर्मदा का पानी पीना चाहते हैं।

गुजरात की राज्य सरकार ने दिसम्बर के महीने में केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया था। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि उस अनुरोध का क्या हुआ। केन्द्र के समान वहां राज्य में भी भाजपा सरकार में हैं। गुजरात की राज्य सरकार, जोकि एक भाजपा सरकार है, ने कांडला चक्रवात के दौरान 600 करोड़ रुपये का अनुरोध किया था। मेरे पास आधिकारिक आंकड़े हैं कि केवल 52 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। उसका क्या हुआ? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सभा को और विशेष रूप से गुजरात के सदस्यों को विशेष रूप से बताएं, जब कभी भी एक राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा के रूप में संकट का सामना करती है और नौकरशाही की ओर से कुप्रबन्ध होता है तो केन्द्र सरकार गुजरात सरकार, जोकि संकट में है, की सहायता के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है? जब राज्य संकट का सामना कर रहा है तो गुजरात से मंत्रीगण दस-दस बारह-बारह दिन के लिए नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया और अमरीका जा रहे हैं? मैं भारत सरकार से इस संबंध में जांच कराने का अनुरोध करता हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, पूरा देश सूखे की स्थिति के बारे में वास्तव में काफी चिंतित है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों सहित पश्चिम बंगाल के दस जिले सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। महोदय, लोग जिन्दा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि ऐसी विकट स्थिति में पानी कहां से लें। एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय सरकार को सबसे पहले प्रभावित लोगों को तुरंत पानी पहुंचवाना चाहिए।

महोदय, भारत में पर्याप्त और काफी जल स्रोत हैं। जहां तक पानी का संबंध है, ऐसी बात नहीं है कि भारत में पानी की कमी है। परन्तु कमी इस बात की है कि इसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता और न ही इस संबंध में सही तरीके से योजना ही बनाई जाती। सबसे पहला काम यह देखना है कि अधिक पानी वाले क्षेत्रों से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को वैगनों और सड़क माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। हमें लोगों को आश्वासन देना चाहिए कि उन्हें पानी दिया जा रहा है। यह काम अविलम्ब किया जाना चाहिए।

कई लोग अपने गांव छोड़ रहे हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। हमें नियमित आधार पर सही सूचना देने के लिए पूछताछ कार्यालय और आपातकालीन कार्यालय खोलने चाहिए।

महोदय, जल स्तर घट गया है। वर्षा औसत से कम हो रही है। उन राज्यों में नकद फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। संकट की ऐसी घड़ी में हमें यह देखना चाहिए कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिएं। माननीय प्रधानमंत्री की अपील जरूरी थी। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश दिया जाना आवश्यक था। हम इसकी तारीफ करते हैं। पूरे राष्ट्र को आगे आना चाहिए तथा प्रधान मंत्री की अपील का उत्तर देना चाहिए।

हम समझते हैं कि इस संबंध में कुछ उपाय किए जाने चाहिए। हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। जब कभी हम पर

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

सूखा या बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है हम असहाय हो जाते हैं। महोदय, मैं इस देश में सूखे के स्थायी समाधान के लिए सरकार के विचारार्थ कुछ उपाय सुझाना चाहता हूं।

महोदय, जल संरक्षण का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारे पास पर्याप्त पानी है। बल्कि हमारे पास अधिक पानी है। इसलिए यदि जल संरक्षण के वैज्ञानिक तरीके शुरू किए जाते हैं तो इसके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। इसराइल में वर्षा के पानी तक का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। क्या ऐसी ही प्रणाली हम अपने देश में भी लागू नहीं कर सकते? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। छोटे-छोटे स्तर पर कार्यनीतियां बनाई जानी चाहिए तथा समुचित जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। बांधों की सुरक्षा की योजनाओं की भी आवश्यकता है। एक अन्य समस्या है जो अक्सर काफी उलझन पैदा करती है वह है अंतर-राज्यीय जल की समस्या। जब तक सभी राजनैतिक पक्षों पर विचार करके हम अन्तर-राज्यीय नदी समस्याओं का समाधान नहीं करते तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हम समय पर निर्णय नहीं लेते। कभी-कभी हम निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। कभी-कभी अंतर राज्यीय नदी जल समस्याओं से संबंधित राज्यों के लोग सचमुच प्रभावित होते हैं। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हम यही सोचते हैं कि इस समय उत्पन्न संकट की घड़ी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। लोगों की कई शिकायतें हैं। वे पानी का इन्तजार कर रहे हैं। यह खबरों में सुनने को मिला था कि कल गुजरात के कुछ भागों में वर्षा के छींटे पड़े थे। दिल्ली में बैठकर हम यह सोचकर उत्साहित हो रहे थे कि कुछ राहत मिली। परन्तु वास्तविक रिपोर्ट यह है कि सूखे से प्रभावित लोगों के लिए वर्षा किसी तरह सहायक नहीं है।

हम सरकार से आज ही सुनना चाहते हैं कि वह क्या सकारात्मक उपाय करना चाहती है तथा नई दिशाएं यह दिखाना चाहती है? हम निश्चय ही राष्ट्र से अपील करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की अपील के उत्तर में प्रधान मंत्री राहत कोष में दान करें ताकि हम इस संकट की स्थिति में इस समस्या से उबर सकें।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, आज हम सूखे पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सूखा एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकारें ध्यान देती हैं। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में, चाहे गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू-कश्मीर हो, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वास्तविक रूप से चिन्ता व्यक्त की है।

मई 1999 में मौसम विभाग ने पूर्व सूचना दी कि इस वर्ष भी सामान्य मानसून ही आएगा। इस तरह यह बारहवां सामान्य मानसून होगा। इसके बावजूद, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा हुई। आप देख सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान में वर्षा बहुत ज्यादा कम हुई। इससे फसलें खराब हो गईं और जमीन के पानी का स्तर न्यूनतम स्तर से भी कम हो गया। इसी से लोगों की वर्तमान समस्या पैदा हुई।

मैं इस सभा का ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक उक्ति की ओर दिलाना चाहूंगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीने के अधिकार के बारे में है। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा है: "जीने के अधिकार में पानी पाने का अधिकार भी शामिल है।" पीने के पानी का यह मामला बहुत पहले शुरू हुआ था जब इलाहाबाद के लोगों को, जहां गंगा और जमुना दोनों बहती हैं, पीने का पानी मिलता था। इसलिए श्री काबजू नाम का एक आदमी लोगों की याचिका लेकर उच्च न्यायालय में गया और उसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा, तब यह निर्णय दिया कि पानी प्रमुख आवश्यकता है; यह मनुष्य के जीने के अधिकार का हिस्सा है; और यह कि इसे सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसलिए राजग सरकार ने यह समझा कि इस अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में उल्लेख करेंगे। मैं सूखे से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। सूखे की स्थिति में आप देखेंगे कि लोग पलायन करते हैं और दुखी होकर बच्चों को बेचते हैं। उड़ीसा के एक जिले कालाहांडी में तथा तुआपाड़ा, पहासपूंजी जिले में एक मां ने अपने बच्चो के केवल 40 रुपए में बेच दिया। यह उस समय की बात है जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने कालाहांडी का दौरा किया था। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि जब राज्य को धन दिया जाता है तब एक रुपए में से केवल उन्नीस पैसे ही गरीबों तक या उस काम के लिए पहुंच पाते हैं जिसके लिए वह दिया जाता है।

सूखे से निपटने के लिए कई कार्यक्रम हैं। वर्तमान सरकार तथा पूर्व केन्द्र सरकारों ने इ.ए.एस. और डी.आर.डी.ए. नामक सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत सूखे से निपटने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट जैसे स्थानों में जो ई.ए.एस. कार्ड मजदूरों को सौ दिनों के लिए दिया जाता है उसका प्रयोग केवल 17 दिनों के लिए ही किया जा रहा है। 100 में से केवल 17 दिनों का ही उपयोग हुआ। इसलिए हम कैसे सोच सकते हैं कि यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा? उस समय उड़ीसा में कांग्रेस सरकार थी। आज राजस्थान और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें

हैं। वे लोग अपने संसाधनों के साथ इसका सामना करने में असमर्थ हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार निश्चित रूप से धन देगी क्योंकि हम लोग बाढ़ से उत्पन्न मानवीय त्रासदी से पीड़ित हैं और सरकार निश्चित रूप से स्थिति का सामना करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से सरकार की मदद करने के लिए अपील की क्योंकि उन्हें पैसे की कमी हो रही थी। यह सभी जानते हैं कि बार-बार चुनाव होते रहने से हमारा राजकोष खाली हो गया है। इसलिए ऐसी स्थिति आ गई है जब हमें सूखे को इस धरती से पूरी तरह समाप्त करना होगा।

पीने का पानी सबसे प्रमुख आवश्यकता है। आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि गुजरात में हिंसा बढ़ चुकी है। 6200 करोड़ रुपए मूल्य की फसल नष्ट हो गई है। गुजरात में आठ हजार गांव प्रभावित हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अब तक नर्मदा परियोजना पूरी क्यों नहीं हुई है। श्रीमती मेधा पाटकर को इस स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिए जो एक बहुत बड़ी पर्यावरणविद हैं। हम उनका, और उनकी पर्यावरणीय चिंताओं तथा विचारों का आदर करते हैं। इसके साथ ही उन्हें यह समझना चाहिए कि इससे गुजरात में कच्छ और अन्य क्षेत्रों जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हो सकेगी जिससे देश में अन्न उत्पादन बढ़ जाएगा। इसलिए इस परियोजना को अधिक वरीयता दी जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए। आप देखेंगे कि राजस्थान में दलहन की फसलों की 53 प्रतिशत हानि हुई है, 73 प्रतिशत कपास की फसल खराब हो गई है और 26 प्रतिशत तिलहन की फसलों का नुकसान हो गया था। राजस्थान के 32 जिलों में से 26 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। वहां पीने के पानी की कमी है। हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? मैं सरकार को उस वृहत्तर योजना की याद दिलाना चाहूंगा जोकि गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने के लिए बनाया गया था। यदि इस योजना को आरम्भ किया जाए तो इससे पीने के पानी की समस्या कम होने के साथ-साथ देश के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं उड़ीसा के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष उड़ीसा महाचक्रवात से प्रभावित हुआ था। उस चक्रवात के कारण हमारे राज्य के 14 जिले जल-प्लावित हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि तटीय उड़ीसा में लगभग सभी नलकूप पूरी तरह से खराब हो गए हैं और पूरी तरह से कीचड़ और खारे पानी से भर गए हैं। वे पूरी तरह से बेकार हो गए हैं और उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता जब तक कि महा-चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में नए नल-कूप उपलब्ध नहीं करवाए जाते। अत: उड़ीसा की समस्याएं चक्रवात के कारण और पश्चिम उड़ीसा में नामत: के.बी.के. जिलों में सूखे के कारण दुगुनी हो गई हैं जहां इन्दिरावती, सुखटल इत्यादि अनेक सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं जो कि उन जिलों में भूमिगत जल को पुन: भर सकती थीं। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे इन परियोजनाओं को आरम्भ करें और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ए.आई.डी.पी. के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि प्रदान करें। इन परियोजनाओं के साथ-साथ के.बी.के. जिलों, भवानीपत्तनम, कोरापुट और नवरंगपुर में अनेक पीने के पानी और पाइप के पानी की परियोजनाएं केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे छोटे और मध्यम शहरों के लिए पीने के पानी और पाइप के पानी की परियोजनाओं को मंजूरी दें ताकि जो लोग सूखे का सामना कर रहे हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके। यदि आप बोलनगीर और कालाहांडी जाएं तो आप देखेंगे कि गांव बिल्कुल खाली हो गए हैं। आपको केवल विकलांग, बूढ़े और छोटे बच्चे ही दिखाई देंगे। सक्षम शरीर वाले सभी लोग रायपुर चले गए हैं जिसके बारे में श्री पटवा अच्छी तरह से जानते हैं। वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। आज, रायपुर में अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग हमारे जिले के हैं क्योंकि कालाहांडी, कोरापुट और बोलंगीर में उनके लिए कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 100 दिन कार्य में से केवल 17 दिनों का उपयोग किया गया है।

पीने के पानी की समस्या के साथ-साथ मैं सार्वभौमिक समस्याओं पर भी जोर देना चाहूंगा। दो दिन पहले, हमने समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में पृथ्वी का तापमान बढ़ने के बारे में पढ़ा था। महोदय, आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त पिघल रहे हैं। उत्तरी ध्रुव के पिघलने के अवसर हैं। ओजोन की परत पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ओजोन की परत में एक बड़ा छिद्र है जिससे हाइड्रोकार्बन प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अल्ट्रा वॉयलट किरणों से बर्फ पिघल रही है जिससे पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है।

हमारे एक मित्र श्री विजेन्द्र पाल सिंह ने एल नीनो प्रभाव और ग्रीनहाउस प्रभाव के संबंध में उल्लेख किया था। इन दो प्रभावों के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। हम इस समस्या को कैसे समाप्त कर सकते हैं?

अब, मैं आपको वर्षा की मात्रा के आंकड़े दर्शाना चाहूंगा। यदि आप वर्ष 1988 से 1999 तक के वर्षा के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि काफी अन्तर है। वर्षा में धीरे-धीरे कमी होती जा रही है। वर्षा में 30 प्रतिशत की कमी आई है। भूमिगत जल कहां से आया? भूमिगत जल वर्षा द्वारा, जल-भंडारण और बांधों को पुन: भरने से आता है। आज हमारे देश की जलाशय क्षमता क्या है? हमारे देश में 68 महत्वपूर्ण जलाशय हैं। जलाशय का स्तर 129.5 टी.एम.सी. होना चाहिए लेकिन इस वर्ष यह सितम्बर, 1999

[श्री बिक्रम केशरी देव]

के अन्त तक केवल 95.3 टी.एम.सी. है जिससे पानी की कमी हो रही है। हमें इस संबंध में कुछ करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे के.वी.के. जिलों के संबंध में विचार करें क्योंकि यह जिले उड़ीसा और इस देश का दुख हैं। पानी की कमी की समस्या को कम करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, यहां बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। हमारे हजारों भाई-बहन सौ से ज्यादा जिलों में मौत के साथ जूझ रहे हैं, जो अपने परिवार और पशुओं के साथ अपनी जिन्दगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के साथ, अपनी वेदना के साथ दो-चार शब्द बताना चाहूंगा। मैं दो-तीन दिन राजस्थान में घूम कर आया हूं और उनसे बातचीत करके आया हूं। वहां किस तरह से परिस्थिति चल रही है, देख कर आया हूं। सात-आठ राज्यों में जिस तरह अकाल चल रहा है, उनमें से राजस्थान और गुजरात सबसे ज्यादा अकाल पीड़ित हैं। राजस्थान की जो स्थिति है, पिछले 20 साल में राजस्थान में 12 साल अकाल पड़ा, बीच के समय में थोड़ी राहत थी। यह कोई नई बात नहीं है, लगातार यह परिस्थिति चल रही है। इसका मुकाबला करने के लिए हमारी जो योजना होनी चाहिए, वाटर मैनेजमेंट की हो, वाटर सप्लाई की योजना हो या बेरोजगारों को काम देने का सवाल हो, ये सारी बात सब को मालूम है। मगर फिर भी हम हर साल चर्चा करते जा रहे हैं और समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया कि इससे हमारी नीयत पर भी आंच आती है, क्या हम सही मायनों में इसे खत्म करना चाहते हैं। हमारी एक योजना के बाद दूसरी योजना बनती है और करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है मगर उससे कोई राहत नहीं मिल रही है। हमारी योजनाओं पर योजनाएं बन रही हैं और उन पर करोड़ों रुपया भी खर्च हो रहा है लेकिन पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल रही है। राजस्थान में केवल फसल ही नष्ट नहीं हुई है, पशुधन की हानि ही नहीं हुई है, बल्कि इंसान भी मर रहे हैं। गुजरात से भी मौत भी खबरें आ रही हैं। अगले दो-तीन महीनों में न जाने कितने लोगों को अकाल-मृत्यु मरना पड़ेगा।

राजस्थान में पीने के पानी की समस्या को सभी लोगों ने उठाया है। वहां पर 20 किलोमीटर दूर जाकर एक बाल्टी पाना लाना पड़ता है और कभी-कभी वह भी नहीं मिलता है। पानी लेवल से बहुत नीचे चला गया है। वहां पर बिजली से चलने वाले 7 लाख कुओं का बिजली न मिलने के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है। पानी न मिलने के कारण पशु तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। आज वहां पशुओं का चारा बहुत महंगा हो गया है। उदयपुर के लोग अकाल पड़ने पर गुजरात चले जाते थे लेकिन वहां पर भी विकट परिस्थिति के कारण न उन्हें काम मिल रहा है न अनाज मिल रहा है। मूंग का पत्ता जो वह पहले उठाकर खा लेते थे वह भी नहीं मिल रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि मर्दों के बाहर चले जाने के कारण वहां पर औरतें अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर हैं। इन सारी परिस्थितियों का किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा और रास्ता निकालना होगा। हमारे एक सांसद ने अभी बताया था कि राजस्थान के लिए 1145 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केवल 103 करोड़ रुपये दिये गये। सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनमें संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। वे लोग बैठे रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं लेकिन जमीन पर जो खर्च करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं। इस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। युद्ध-स्तर पर जिस तरह से इस विभीषिका का मुकाबला करना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के काम में काफी कमी नजर आ रही है। हमें इस बात को भी देखना होगा।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी पानी का वहां पर इंतजाम किया जाये और पानी को बचाने की कोई दीर्घकालिक योजना योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाये। पशु कुछ बोलता नहीं है, वह अपनी व्यथा बता नहीं सकता है, उसके लिए चारे की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करनी चाहिए।

मेरी मांग है कि जो अनाज हमारे गोदामों में लाखों टन बेकार पड़ा हुआ है वह पीड़ित लोगों को बड़े उदार ढंग से सरकार को देना चाहिए और काम के बदले अनाज योजना को अच्छे ढंग से चलाना चाहिए। मलेरिया और बहुत सारी दूसरी बीमारियों की इन क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं। वहां पर जल्द से जल्द दवाइयां और मैडीकल टीम भेजने का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में परिस्थिति और खराब है। अगली उपज के लिये बीज और उसकी परिस्थिति अभी से तैयार करनी चाहिये। सुखाड़ के बाद काश्त का काम होता है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तीन महीने के बाद ही हो पायेगा। पावर सप्लाई रैगुलर या कुछ घंटे बढ़ने में कैसे कर सकते हैं या दूसरे पावर ग्रिड से लेकर सप्लाई करने का इन्तजाम किया जा सकता है, इन सब बातों को जल्दी से जल्दी देखना चाहिये। राज्य सरकार ने केन्द्र से जो फंड्स मांगे हैं, जिस टीन ने सिफारिशें की हैं, वह पैसा जल्द से जल्द भेजना चाहिये। सरकार को राष्ट्रीय अकाल के रूप में ज्यादा पैसा भेजना चाहिये। जो टैक्स क्लैक्शन का कार्य है या जो कर्जा है, उसे माफ कर देना चाहिये। नदी योजना का कार्य जैसे सरदार सरोवर योजना का काम राज्य सरकार से बात करके सहमति के आधार पर जल्द-जल्द काम पूरा करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (हिसार): सभापति महोदय, आज सूखे जैसी गम्भीर समस्या पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं।

देश में सूखे की स्थिति एक गंभीर समस्या है। इस पर चर्चा न केवल आज बल्कि जब से भारत आजाद हुआ है, इस विषय पर हर साल चर्चा होती रहती है। यदि बरसात न हो तो सूखे पर चर्चा होती है और यदि बरसात ज्यादा हो जाये तो बाढ़ पर चर्चा होने लगती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय देश में 107 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। देश के 11 राज्यों के 126 जिले पूरी तरह या पार्टली सूखे से प्रभावित हैं। इनमें खासतौर पर गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश प्रमुख हैं। गुजरात के 9500 गांव और राजस्थान के 32 जिलों में से 26 जिले तथा आन्ध्र प्रदेश के 22 जिले सूखे से प्रभावित हैं। यह हमारे देश की विडम्बा ही है कि जहां बरसात न हो तो वह क्षेत्र सूखे से ग्रस्त हो जाता है। देश के कई इलाकों में ज्यादा बरसात आने से बाढ़ आ जाती है। क्या आज हम सूखे की स्थिति से निपटने के लिये कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठा सकते जिससे कि जो चर्चा हम आज कर रहे हैं या हर साल करते हैं, उसकी जरूरत न पड़े। अगर हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति देखी जाये तो मालूम होगा कि यह तीन तरफ से सागर से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हिमालय है जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है। हमारे लिये पानी का अच्छा स्रोत है। इसके बावजूद हमारे पास 20 ऐसी नदियां हैं जो पानी के स्रोत साधन हैं। हमारे यहां तकरीबन सौ छोटे-बड़े नदी-नाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारा देश सूखाग्रस्त होता है, पानी की कमी होती है। चाहे राजस्थान हो, उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश हो, इतने साधन होने के बावजूद भी जो हमारे नदी-नाले हैं, उनमें जल प्रवाह की क्षमता के जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसके अनुसार 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है और जो हमारी जरूरत है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वह सिर्फ 1304 मिलियन घन मीटर है। इतने पानी की उपलब्धता होने के बावजूद हमने कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनाई, हमने ऐसे कोई साधन नहीं जुटाये जिनसे हम पानी का सही इस्तेमाल कर सकते, जिससे कि न सूखे की स्थिति आये और न बाढ़ की स्थिति आये।

सभापति महोदय, 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन उस पर क्रियात्मक काम नहीं हुआ। वह सिर्फ कागजों पर रह गई। उस पर कोई ऐसा काम नहीं हो पाया कि हम उसे सही रूप से लागू करके जल का सही इस्तेमाल कर सकते। हमें यह तो मंजूर है कि रावी और व्यास नदियों का पानी पाकिस्तान में चला जाए, लेकिन यह मंजूर नहीं है कि एस.वाई.एल. नहर बनाकर हम उसी पानी का अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं पंजाब और हरियाणा की यह विवादास्पद निर्माणाधीन योजना वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है। उस विवाद को हम सही रूप से नहीं सुलझा सके हैं। पानी पाकिस्तान में चला जाए, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उससे लोगों को फायदा हो, उस पर हमें ऐतराज है।

सभापति महोदय, 1991 में हुए सर्वे से पता चला था कि पानी का स्तर 2213 घन मीटर था जो आज घटते-घटते 1875 घन मीटर रह गया है। जल का स्तर जमीन के नीचे उतर रहा है। बरसात नहीं हो रही है, इसके भी कई कारण हैं। आज अगर देश में देखा जाए तो पर्यावरण की शुद्धता, संतुलित विकास और जल की आपूर्ति के लिए वन बड़े अच्छे साधन हैं। लेकिन यदि इस पर निगाह डालें तो आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश की 33 प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए। जबकि सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी 23 प्रतिशत भूमि पर ही वन है। लेकिन आज उपग्रह से जो चित्र खींचे गये हैं, वे यह हकीकत दर्शाते हैं कि देश में मात्र 12 प्रतिशत भूमि पर वन हैं। जो हमारे लिए न केवल पर्यावरण की शुद्धता, संतुलित विकास और जल आपूर्ति के लिए बहुत सहायक हैं, लेकिन वह सिर्फ 12 प्रतिशत रह गये हैं। हमारे देश में 12 करोड़ 96 लाख हैक्टेयर भूमि आज भी बंजर पड़ी हुई है, जो पूरे देश की भूमि का कुल 40 प्रतिशत है। हमारे पास जल की कोई कमी नहीं है। जैसा पिछली सरकार की तरफ से बयान आया था कि पानी को भी हम राशन की तरह इस्तेमाल करेंगे और पिछली सरकार में यहां तक कहा गया था कि जल का पैसा हम उपभोक्ता से कठोरात्मक ढंग से वसूल करेंगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि देश में सबसे बड़ी गंगा नदी है, जो देश की सबसे प्रसिद्ध नदी है और धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से भी शुद्ध मानी जाती है। हम उसके जल को शुद्ध मानते हैं और लोग उसकी पूजा करते हैं। यह नदी देश के सबसे ज्यादा प्रांतों से होकर गुजरती है।

सभापति महोदय, गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रान्तों से होकर गुजरती है, उसके जल प्रवाह के अगर आंकड़े देखें, तो आपको विदित होगा कि 525.24 मिलियन क्यूसिक घन मीटर की उसकी क्षमता है जिसमें से उपयोग के लिए केवल 250 मिलियन क्यूसिक घन मीटर जल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में हम केवल 36.84 मिलियन क्यूसिक घन मीटर जल का ही उपयोग कर रहे हैं। इससे आपको विदित हो जाएगा कि इसमें कितना अन्तर है और हम कितने कम जल का उपयोग कर पा रहे हैं। हमारी जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जिन्हें गंगा नदी से निकाला जा सकता है, उनको भी यदि शामिल करें तो उनसे हमारी जरूरत की 17.12 मिलियन क्यूसिक घन मीटर जल की पूर्ति की

[डा. सुशील कुमार इंदौरा]

जा सकती है और इस प्रकार सभी साधनों को मिलाकर देखें तो भी हम 83.52 मिलियन क्यूसिक घन मीटर जल का ही उपयोग कर पा रहे हैं। चाहे पहले की सरकार हो या आज की सरकार हो, यदि हम गंगा के जल के ज्यादा उपयोग के लिए प्रयास करते, तो अवश्य हम उसका ज्यादा उपयोग कर सकते थे, लेकिन हम सिर्फ चर्चा करते हैं और पानी के उपयोग की तरफ ध्यान कम देते हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह यदि मैं उदाहरग दूं, तो सौराष्ट्र का देना चाहूंगा जहां आज सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। यदि वहां बहने वाली नदियों की वार्षिक क्षमता हम देखें, तो 15.12 मिलियन क्यूसिक घन मीट की क्षमता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। यदि हम गुजरात में बहने वाली नदियों के जल का सही उपयोग कर सके होते, तो गुजरात की सूखे के कारण आज जो हालत है वह कभी नहीं हुई होती। ये उदाहरण जो मैंने दिए हैं, ये गुजरात या उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश में जल के उपयोग की यही स्थिति है। जितने जल की हमारी उपलब्धता है, हम उसका बहुत कम भाग ही अपने उपयोग में ला पाते हैं।

सभापति महोदय, अभी हमारे जल संसाधन संस्थान, हैदराबाद की एक रिपोर्ट के आधार पर कुछ दिन पहले टी.वी. पर समाचार दिया गया था कि यदि हम बरसात के पानी को पोखरों में इकट्ठा करके उसका सही इस्तेमाल करें, तो हम बहुत हद तक इस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। जो भयावह स्थिति गुजरात और राजस्थान में आज है यदि हमने पानी का सही इस्तेमाल किया होता, तो वह स्थिति इतनी भयावह नहीं होती।

सभापति महोदय, राजस्थान हमारा पड़ौसी प्रदेश है और वहां जो आपत्ति आती है उससे हरियाणा प्रदेश भी प्रवाहित होता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री ने आग्रह किया है उस तरह से देश के ज्यादा से ज्यादा लोग तो इस समस्या के समाधान हेतु अधिक से अधिक सहयोग दें, लेकिन उसके साथ-साथ भारत सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। माननीय खाद्य मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पूर्व दूरदर्शन के समाचार में कहा था कि हमारे पास अन्न के भंडार भरपूर हैं, लेकिन हम उसी दर पर उसका वितरण करेंगे जिस दर पर हम पी.डी.एस. में देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी हालत में जहां सूखा पड़ा है, लोग दाने-दाने के लिए मोहताज हैं, उनसे हम अगर पैसा लेकर अन्न देते हैं, तो उससे बड़ा अन्याय उनके साथ और कोई नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार के पास अन्न कई सालों से गोदामों में भरा पड़ा है, जरूरतमंद लोगों को उसका वितरण करके उस भंडार का सदुपयोग किया जा सकता है। आज उन लोगों की भावनाओं से जुड़ना देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, उनका सहयोग करना हर नागरिक का फर्ज बनता है।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं यह भी बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग राजस्थान से हरियाणा में आ रहे हैं और खासकर दक्षिणी हरियाणा में आ रहे हैं। मेरा पार्लियामेंट्री एरिया का सिरसा एवं कुछ भाग राजस्थान की सीमा से लगता है, उसमें भी यदि देखा जाए, तो आज सूखे जैसी स्थिति विद्यमान है। इधर से वे आ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें। बस। आपने काफी समय खर्च कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार इन्दौरा : उन लोगों की हम दिली मदद कर सकें इसलिए न केवल हरियाणा के इलाके, दक्षिणी हरियाणा के इलाके, भिवानी, सिरसा के इलाके जो सूखे की चपेट में आये हैं, बल्कि जो लोग हरियाणा से आ रहे हैं, उनको हम राहत दे सकें, रहने के लिए ठिकाना दे सकें, चारे का इंतजाम कर सकें और पानी का इंतजाम कर सकें, उसके लिए सरकार को चाहिए कि वह हरियाणा सरकार की मदद करे ताकि हम भी उनके दुख के दिनों में सहायता कर सकें।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने आज अकाल जैसे मुद्दे पर चर्चा रखी। मैं बाड़मेर इलाके से आता हूं। पास में जालौर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर है। वहां अकाल हमारे एक परिवार का सदस्य बना हुआ है। अगर वहां के आंकड़े लें, मैंने लिये हैं, पिछले 50 साल में मेरे इलाके में 40 अकाल पड़े हैं और पिछले तीन साल से लगातार वहां पर अकाल पड़ रहा है। किसी सदस्य ने कहा कि कहीं अकाल है, कहीं बाढ़ है तो कहीं तूफान है। परन्तु अफसोस इस बात का है कि इसे सब जानते है कि वहां अकाल पड़ते हैं और यह परिचर्चा भी होती है कि इस आपदा के लिए कुछ लांग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए परन्तु इससे ज्यादा न भारत सरकार ने दिया और न ही राज्य सरकार ने दिया। होता यह है कि उसमें हर्जाना वहां के लोगों को उठाना पड़ता है। इस साल राजस्थान के साथ-साथ गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी अकाल पड़ा है। पिछले साल भर से मैं पार्लियामेंट में अलग-अलग मंच पर यह बात उठा रहा हूं कि आप कुछ करिये।

अभी मेरे साथी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री जी जब पहली बार शपथ ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। किसी ने कहा कि आप सब कर देंगे तो प्रधान मंत्री जी ने खड़े होकर वायदा किया, मेरे साथी श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने उसे कोट किया है कि हम कुछ करें या न करें लेकिन हम सारी जगह पानी का इंतजाम कर देंगे। ढाई साल निकल गये हैं। क्या हुआ, इसके बारे में हम सबको पता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको कर्नल सोनाराम चौधरी से सीधे बात नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 मार्च 1999 को मैंने एक सवाल उठाया था, मेरा 2521 नम्बर का अनस्टार्ड प्रश्न था। यह प्रश्न मैंने प्रधान मंत्री जी को चार महीने पहले लिखा था। उसका जवाब श्री अरुण शौरी ने दिया। मैं उसे कोट करता हूं:

> ''क्या राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष भयंकर सूखे तथा अकाल की स्थिति से गुजर रहा है? क्या लोग अपने जीवनयापन की खोज के लिए पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसल और मवेशी चारे तथा पेयजल की सख्त कमी के कारण बर्बाद हो रहे हैं। यदि हां, तो क्या थार रेगिस्तान की समस्या को कम करने के लिए आप विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे?''

पैकेज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन यह जरूर माना कि राज्य के 32 जिलों में से 26 जिले वर्षा न होने की वजह से सूखे की स्थिति से ग्रस्त हैं जिससे फसल को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इन क्षेत्रों में रोजगार, चारे तथा पेयजल की घोर कमी है। चारे और पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण विशेषकर पश्चिमी जिलों में स्थिति और भी गंभीर है। इन क्षेत्रों से लोग कठिन समय में सामान्य रोजगार की खोज में पलायन करते हैं। परन्तु इस वर्ष पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। आगे यह भी कहा कि राज्य में विनाश को कम करने के लिए 1,300 करोड़ रुपये के खर्च की योजना बनाकर यहां भेजी थी। करीब पांच महीने पहले यह योजना बनाकर यहां भेजी गई थी। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 10 दिन पहले 1140 करोड़ रुपये में से 103 करोड़ रुपये दिए। मैं मानता हूं कि जो काम अक्टूबर-नवम्बर में शुरू होने चाहिए, राजस्थान सरकार ने उसे फरवरी के तीसरे हफ्ते में शुरू किया। उनकी भी माली हालत ऐसी है। लेकिन आप सदन में चार महीने पहले मानते हैं कि यह चीज है, केन्द्रीय अध्ययन दल वहां गया, उन्होंने महसूस किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। पिछले साल भी अध्ययन दल ने कहा था कि 960 करोड़ रुपये की जरूरत है लेकिन राजस्थान सरकार को सिर्फ 21 करोड़ रुपये मिले। कुछ तो इंसाफ होना चाहिए। इसमें लोगों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका नतीजा कौन भुगत रहा है? इसका नतीजा राजस्थान के गरीब अकाल पीड़ित लोग भुगत रहे हैं। आज की तारीख में आधे से ज्यादा पशुधन खत्म हो गया है। वहां खेती नहीं होती। 80 प्रतिशत लोग वहां पशुधन पर निर्भर रहते हैं। जिनके भेड़, बकरी, गाय मर गए, आप महसूस कर सकते हैं कि उनकी आज क्या हालत है। मैं कल वहां गया था। मुझे लोगों को देख कर दर्द होता है, रोना आता है। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए।

आप आज का हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखिए। उसमें मेरे क्षेत्र की फोटो आई है। एक जगह पशु मर गए, वल्चर खा रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार बहुत कम है, महिलाएं बहुत दूर से पानी ला रही हैं। मेरा कहना है कि जितनी जल्दी हो सके, उनकी मदद करें। लगातार तीन साल वर्षा न होने के कारण फसलें बर्बाद हो रही है, पीने का पानी नहीं है, मवेशियों के लिए चारा नहीं है, किसान बेरोजगार है, गांवों में से पलायन हो गया है। जैसा मेरे साथी कह रहे थे, पिछले साल 32 जिलों में से 20 जिले अकाल से पीड़ित थे जिनकी जनसंख्या 20,000 थी। इस साल 26 जिलों में जिनमें 35,000 लोग हैं, में से 24,050 लोग प्रभावित हैं। इसी तरह अगर देखें तो कुल मिलाकर 2.65 करोड़ जनसंख्या इससे प्रभावित है। पशुधन साढ़े तीन करोड़ है। मेरे क्षेत्र में 2,760 गांव हैं। उससे पिछले साल 2,700 गांव थे, इस साल सारे 2,760 गांव प्रभावित हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसे लगातार तीन साल मार पड़ती है, उसकी क्या हालत होती है। इसके सिवाए, वहां करीब 11,000 ढाणियां हैं जिनमें से 8,000 ढाणियों में बिल्कुल पानी नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई नीति नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1950 में राजस्थान नहर जिसे आजकल इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं, का प्लान किया। आज पानी देश में पहुंच गया। उसके आगे गोदरा पाकिस्तान बार्डर पहुंच गया। दो-तीन साल में नहर पूरी हो जाएगी परन्तु उसकी पानी की स्कीमें नहीं बनी है। कुछ स्कीमें बन कर यहां आ गई हैं क्योंकि उस योजना के लिए राजस्थान सरकार सारा बोझ नहीं उठा सकती, ये उसे क्लीयर नहीं कर रहे हैं। लोग दुख पाते हैं, आप पानी की स्कीम बनाइए। इसी तरह सरदार सरोवर डैम के लिए भी परियोजना बननी चाहिए। कहते हैं कि 3-4 साल में पानी आ जाएगा, पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, वह वेकेट हो गया है, अब आ जाएगा। उसके लिए सोच-समझकर लौंग टर्म प्लान होना चाहिए ताकि कुछ हो सके।

[कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी]

इसके सिवाए रोजगार की जो बात है, रोजगार में 2.65 करोड़ लोग अफैक्टेड हैं। राजस्थान से अभी जो आंकड़े आए हैं, उनमें से सिर्फ 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है जबकि यदि एक फैमिली से 5 लोग आते हों तो 50 लाख श्रमिकों को मिलना चाहिए, अगर 10 भी लेते हों तो कम से कम 25 लाख व्यक्तियों को मिलना चाहिए। कहां 25 लाख और कहां 4 लाख। राजस्थान सरकार कहती है उनको आपात योजना के तहत पैसे नहीं मिले, हमारे पास नहीं हैं। हम कहां जाएं। आज प्रधान मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं, मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरा तो आपसे यह कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर जो लोग वहां तकलीफ उठा रहे हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। इसी तरह से पशुधन है। *...(व्यवधान)* मैंने तो कम ही टाइम लिया है। वहां पर करीब 3.5 करोड़ पशुधन है। उसमें से आधा पशुधन तो खत्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि वहां काम बहुत देर से शुरू हुए। लेकिन जो पशु बचे हैं, उनको तो बचाओ। अभी भी उसके अन्दर कुछ हो सकता है। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते हैं, गिरिजा व्यास जी कह रही थीं कि राजीव गांधी जी ने 1988 में 6500 करोड़ रुपये दिये थे, आपने सिर्फ 103 करोड़ रुपये दिये हैं। यह कुछ नहीं है, आपका बहुत बड़ा खजाना है, जैसे अभी हमारी राजस्थान सरकार ने 700 करोड़ रुपया मांगा है, आप अगर 700 करोड़ रुपया देंगे तो आपको कोई घाटा नहीं होगा, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। इसलिए मेरी आपसे सिफारिश है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी मांग पूरी करें।

वहां पर 1850 चारा डिपो होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 825 खुले हैं। हालांकि बूटा सिंह जी तो बहुत पुराने हैं, पैसे वाले हैं, बड़े किसान हैं, ये तो रेल ले जाते हैं लेकिन हर एक कहां से रेल ले जायेगा। इसके लिए आप कुछ हमारी मदद करें ताकि हम काम करें। *...(व्यवधान)* नहीं साहब, मुझे टाइम दीजिए।

दूसरी बात मैं पेयजल के बारे में कहूंगा कि हमारे यहां रेगिस्तान है और वहां पर 40 लीटर एक आदमी को पानी मिलता है। यह पूरे हिन्दुस्तान में एक स्केल है, एक मापदण्ड है, लेकिन हमारे यहां 30 लीटर पशु के लिए होता है, टोटल 70 लीटर है। लेकिन मैंने वहां हिसाब लगाया तो जो 70 लीटर हमें आथोराइज्ड है, उसके अगेन्स्ट हमें 20 लीटर भी पूरा पानी नहीं मिलता है, तो यह कहां का न्याय है। उधर से नर्मदा आ रही है, राजस्थान नहर पहुंच गई है। जैसा सैण्टर में प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया है, हमको कुछ करके इस तरह से स्कीमें बनायें ताकि लोगों को 70 के बजाए कम से कम आधा, 35 लीटर पानी तो मिले। दूसरा कहते हैं कि 2000 में हिन्दुस्तान में कहीं भी 1.6 किलोमीटर से ज्यादा दूर से पानी नहीं ले जायेगा, लेकिन सन् 2000 खत्म होने जा रहा है, मेरी कांस्टीट्वेंसी में मैं ठीक कहता हूं, आप जाकर देखिये, अभी भी लोग 15-15, 20-20 और 25-25 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। इसमें किसी को न्याय करना चाहिए और इन चीजों को नोट करना चाहिए। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्पेशल पैकेज की बात हमेशा आती है, प्रधान मंत्री जी ने हमसे वायदा किया था, जब हम उनके साथ गये थे, वहां जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे वहां पर रेगिस्तान में कहा था कि यहां अकाल का बड़ा साम्राज्य है और हम आपको यहां के लिए, जैसे पहाड़ी इलाकों को और जिस तरह से उत्तर पूर्वी इलाकों को देते हैं, इस तरह से हम आपको भी कुछ अलग देंगे। उस बात को करीब ढाई-तीन साल हो गये हैं, लेकिन हमको अभी तक कुछ भी उसमें नहीं मिला है, इसलिए हमको उसको देना चाहिए।

इसी तरह से मैं आपसे यह और कहना चाहता हूं कि मेरे कुछ सुझाव हैं। एक सबसे बड़ा सुझाव यह है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वक्त बहुत कम रह गया है, सिर्फ तीन महीने बचे हैं। खुदा करेगा तो बारिश हो जायेगी। इसमें आप उदारता के साथ में पैसा दीजिए। जैसा अभी गिरिजा जी कह रही थीं, आपके यहां गुजरात में 3-4 जिले हैं, बनासकांठा मेरे जिले से लगता हुआ है, कच्छ मेरे जिले से लगता हुआ है, वहां पर आप उदारता से पैसा दे रहे हैं। हमारे तो 26 जिले हैं, आप वहां भी उसी प्रपोर्शन में हमको पैसा दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

दूसरे पश्चिमी राजस्थान में लांग टर्म प्लान के लिए मेरा सुझाव है। जल संसाधन मंत्रालय के दो-तीन डिवीजन हमारे यहां हैं। कुछ जयपुर में हैं और एक जोधपुर में है, उन्हें बढ़ाना चाहिए। उनका काम यह होता है कि वे सर्वे करते हैं। राजस्थान सरकार के पास जितनी रिग्स, इक्विपमेंट और मशीनरी डीप खोदने के लिए होनी चाहिए, उतनी नहीं हैं, इसलिए यहां से इस क्राइसिस के अन्दर इस मंत्रालय से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप तीन महीने के लिए हिन्दुस्तान की और जगह से लाकर वहां मशीनरी भेजें और यहां पानी के स्रोत जहां सूख गये हैं, उनके लिए नये स्रोत खोलें। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर स्थिति है, इस समय एक संसदीय दल यहां से समिति बनाकर जाना चाहिए ताकि वहां जाकर वह जायजा ले सके। वह दल राजस्थान जाये, आन्ध्र प्रदेश जाये, गुजरात जाये।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कांग्रेस दल की ओर से अनेक सदस्य बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : ताकि जाकर वह लोगों की हालत देखे। हमारे मुख्य मंत्री जी यहां आए थे और उन्होंने प्रधान मंत्री जी से कहा था कि आप हमें अनाज की सप्लाई कर दो ताकि हम वहां काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। सभी दलों के माननीय सदस्यों को एक बार बोलने का अवसर अवश्य देना चाहिए। निश्चय ही, भा.ज.पा. और कांग्रेस जैसे बड़े दलों को अधिक अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्य दलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है इसलिए विभिन्न दलों के सदस्यों, विशेषकर छोटे दलों को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने और देश की मन:स्थिति को प्रतिबिम्बित करने का अवसर देना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपको मौका दूंगा।

अब माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले दो वर्ष से अकाल पड़ रहा है, बारिश कम हो रही है। राजस्थान में बड़े-बड़े बांध जैसे जवाई बांध, पिछौला बांध, फतेह सागर, मेजार बांध, रामगढ़ आदि बांधों में पानी नहीं आया है, जिसके चलते वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रहिमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून॥

इस संसार में पानी के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता और न ही वन्य प्राणी जिंदा रह सकते हैं। राजस्थान में एक कहावत है कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन और काल दोनों साथ-साथ आते हैं।

सायं 6.02 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : 1977-78 में भैरोसिंह शैखावत मुख्य मंत्री थे, तब क्या हुआ था?

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन आठ वर्ष रहा, इस समय में वहां बाढ़ तो आई, लेकिन अकाल नहीं पड़ा। ऐसा वहां के लोग कहते हैं।

सभापति महोदय, पानी के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे यहां बड़े-बड़े गांव हैं। उनको बसाने से पहले तब के लोगों ने व्यवस्था की थी कि गांव के पास तालाब बनाए थे और पास ही में औरण थी। औरण का पानी तालाब में आता था। वह कैचमेंट एरिया था। धीरे-धीरे ओरनी पर लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से औरण खत्म हो गई। इस तरह कैचमेंट एरिया खत्म होने से तालाब सूख गए। इसलिए जब तक उस व्यवस्था को हम फिर से नहीं लागू करेंगे वहां पानी की स्थिति ऐसे ही रहेगी। अगर हम पानी के पुराने स्रोतों को जीवित करेंगे तो वहां पानी की व्यवस्था हो सकती है।

कर्नल सोना राम जी यहां बैठे हैं। वे भी जानते हैं कि हमारे गांवों से दूर ढाणियां होती हैं, उनमें लोगों ने टांके बना रखे थे। जब-जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी उन टांकों में भर जाता था। इस तरह छ:-सात, बारह महीनों तक लोग उस पानी को काम में लाते थे। हमारी सरकार से मांग है कि उन टांकों को बनाने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार हमें अनुदान दे। जब तक हम अनुदान नहीं देंगे, लोग टांके बनाने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। जब तक लोग मोटिवेट नहीं होंगे यह समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी। इसलिए टांके बनाने के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में इसकी बहुत जरूरत है इसलिए आप इन ढाणियों के लोगों को टांके बनाने के लिए अनुदान दें। जिससे आने वाले समय में वे पानी को इकट्ठा करके समय पर उसका उपयोग कर सकें।

राजस्थान में 32 जिलों में से 26 जिलों में अकाल है। उसके परिणामस्वरूप 128.90 लाख हेक्टेयर बुवाई के लक्ष्य की तुलना में 116.84 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है। अन्न के उत्पादन में 53 प्रतिशत, दालों में 73 प्रतिशत, खाद्यान्नों में 56 प्रतिशत, कपास में 26 प्रतिशत और गंवार में 30 प्रतिशत की हानि हुई है। सरकारी अनुमान के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 2155.20 करोड़ रुपये की फसल की हानि राजस्थान में हुई है। राजस्थान में सभी जिलों में 34693 गांवों में से 23406 गांव अकाल से प्रभावित हुए हैं। तीन करोड़ पैंतालीस लाख तथा साठ हजार पशु

[श्री जसवंत सिंह बिश्नोई]

और दो करोड़ इकसठ लाख जनसंख्या अकाल से प्रभावित हैं और उनके लिए चारे की व्यवस्था कर्नल साहब बता रहे थे कि पशु आहार के लिए चारा डिपो खोलने की बात की गई लेकिन इस पवित्र प्रांगण में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी चारा डिपो के लिए राज्य सरकार की तरफ से अनुदान नहीं दिया गया है। राजस्थान सरकार ने पत्र दे दिया और उस पत्र को लेकर लोगों ने लाना शुरू कर दिया। दो तरह की योजना वहां पर हैं। एक तो जी.एस.एस. ग्राम सेवा सहकारी समिति है, जो चारा डिपो खोलकर चारा ला रही है और दूसरी ग्राम पंचायतें हैं जो चारा डिपो खोलकर चारा ला रही हैं। लेकिन जब तक अनुदान नहीं मिलेगा, चारा नहीं आ सकता। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार अकाल के प्रति बहुत संवेदनशील है। इस सरकार ने जुलाई अगस्त में जब पता चला कि वर्षा नहीं हुई है तो सितम्बर और अक्तूबर में आगे प्लान के बारे में सोचना चाहिए था। राजस्थान की सरकार के मुख्य मंत्री गहलोत ने 9.1.2000 को सारे सांसदों की बैठक बुलाई थी और कहा कि हम क्या करें। पांच महीने बाद सरकार चेती और उन्होंने कहा कि हम काम शुरू कर रहे हैं और फरवरी में जाकर काम शुरू हुआ है। आज भी आंकड़ों के अनुसार काम शुरू नहीं हुआ है। जोधपुर जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, वहां 360 पंचायतें हैं और 107 पंचायतों में काम शुरू नहीं हुआ है और वहां भी बराबर लेबर नहीं लगी है, नहीं के बराबर काम शुरू हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस अकाल को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर सरकार गंभीरता से लेती तो राजस्थान सरकार जिन परिस्थितियों से गुजरी है, उनमें उसे गुजरना नहीं पड़ता। भारत सरकार ने केन्द्रीय दल भेजा और यह दल वहां के कलैक्टर और कमिश्नर से मिला। हमने अखबारों में पढ़ा कि जोधपुर जिले के धाबा गांव में यह दल गया और वहां उन्हें काजू और किशमिश खिलाये गये, ऐसा अखबारों में हमने पढ़ा। इस केन्द्रीय दल ने न तो वहां के जनप्रतिनिधि से बात की, न सांसदों से, न विधायकों से और न ही वहां के प्रधान और सरपंच से बात की। केन्द्रीय अध्ययन दल जो भेजा जाता है तो सरकार रिपोर्ट देती है, ऐसी रिपोर्ट तो यहां बैठे-बैठे भी मंगा सकती है लेकिन जब तक जो जन प्रतिनिधि हैं, उनसे बात नहीं करेगा तो यहां आकर सारी बातें कैसे बता सकेगा? आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): अध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न सूखे की स्थिति के बारे में हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का यह अवसर प्रदान किए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में उत्पन्न सूखे की स्थिति के बारे में सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का मैं समर्थन करता हूं ...*(व्यवधान)* इस समय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है; पानी के बिना खेती-बाड़ी नहीं हो सकती है। तमिल की एक प्रसिद्ध कहावत है 'नीरिल्लामल अर्मेयाधु उलगु'। 'पानी' शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है।

विपक्ष के मेरे साथी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या की है कि जीवन के अधिकार में जीने और खाने का अधिकार भी शामिल है। जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, पेयजल का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, तमिलनाडु के उत्तर भाग में कुछ सूखाग्रस्त जिले हैं। गर्मियों में, विशेष रूप से चेन्नई शहर में, भीषण सूखे की परिस्थितियों की वजह से लोगों को पानी नहीं मिलता।

17 वर्ष पूर्व, जब एम.जी.आर. तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे तथा एन.टी.आर. आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन दोनों ने तेलुगु गंगा परियोजना पर एक समझौता किया था। उस समय, उस परियोजना को प्रारंभ करने के लिए उसकी आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी, परंतु शहर में अब तक पानी नहीं आ पाया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): ऐसा आंध्र प्रदेश में उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण हुआ।

श्री पी.एच. पांडियन : चार वर्ष पूर्व, जब शहर की नगर पालिका के चुनाव सिर पर थे, सरकार ने पानी छोड़ने की घोषणा की थी। इस संबंध में एक समारोह भी आयोजित किया गया था तथा जल की आपूर्ति एक सप्ताह तक चालू रही थी। बस इतना ही किया गया। पिछले सप्ताह, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि चेन्नई के लोगों को 1 मई से तेलुगु गंगा से पानी मुहैया कराया जाएगा। अत: मैं सभा का ध्यान तथा मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे यह देखें कि चेन्नई के लोगों को कम से कम कृष्णा का पानी तो मिले ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यदि जलाशयों में पानी होगा, तो ही पानी छोड़ा जाएगा। यदि स्रोत में पानी ही नहीं होगा, तो वे कहां से छोड़ेंगे?

श्री पी.एच. पांडियन : इसका जवाब आपको देना है। जहां तक चेन्नई शहर का संबंध है, वहां पानी की समस्या बहुत विकट है।

तमिलनाडु के उत्तरी भाग में, जहां तमिरापारानी नदी बह रही है, वहां जल भण्डारण समुचित तरीके से नहीं किया जा रहा है तथा वहां समुचित जल प्रबंधन नहीं है। यदि कोई विशेषज्ञ इजराइल जाता है तथा यदि वह जल प्रबंधन की कला सीखता है, तो तब जल की बरबादी नहीं होगी, जो इस समय समुद्र में मिलकर व्यर्थ हो रहा है।

महोदय, तमिरापारानी नदी पोधीगई की पहाड़ियों से निकलती है तथा इसका पानी उन पहाड़ों से बहकर आता है। लेकिन, कुप्रबंधन अथवा अनुपयुक्त प्रबंधन के कारण अथवा इसका समुचित प्रबंधन करने के कौशल के अभाव में पानी की बरबादी हो रही है, जो तिरुचेन्दुर अथवा पत्तन शहर तूतिकोरीन में समुद्र में मिल रहा है।

माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि वह यह देखें कि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान पर तैनात है। आज हम कम्प्यूटर युग में हैं। हमारे पास पर्याप्त पानी है लेकिन हम पानी का संरक्षण करने अथवा इसका समुचित रूप से वितरण करने में समर्थ नहीं हैं। समुद्रतट के आस-पास पानी पीने योग्य नहीं है। वे इस पानी को पीने में असमर्थ हैं क्योंकि जब वे यह पानी पीते हैं तो वे अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। अत: मंत्री जी यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी उठाएं कि तमिलनाडु के उत्तरी भागों को, जो सूखाग्रस्त हैं, विशेष रूप से वी.ओ. चिदम्बरनर जिलों को, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, संरक्षित पानी की आपूर्ति की जाए। ओट्टापिडरम निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां बिलकुल भी पानी नहीं है। मेरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पानी मुहैया कराने के बारे में पूछा। मैंने कहा, 'हां'। अब, पानी मुहैया कराने के लिए मैंने एम.पी.एल.ए.डी.एस. से कुछ धनराशि दी है। पड़ोसी विलथीकुलम निर्वाचन क्षेत्र में भी संरक्षित जलापूर्ति मुहैया कराने के लिए कोई योजना नहीं है। तूतीकोरीन शहर में, जो एक पत्तन है, पानी सुलभ नहीं है।

लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। शहर की नगर पालिका ने एक योजना बनाई थी तथा एक टैंक बनाया था, परंतु वह टैंक भी शहर की समूची आबादी के लिए पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ है। यह देखना सरकार का संवैधानिक कर्त्तव्य है कि इस महानगर के लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति कराई जाए।

जहां तक कृषकों का संबंध है, तमिलनाडु के कुछ भागों में वे वर्षा के पानी पर निर्भर हैं तथा अन्य भागों में तमिरापारानी एवं कावेरी नदियों पर निर्भर हैं। कावेरी नदी के जल की समस्या से हर कोई परिचित है। बरसात के मौसम के कारण इसे अभी नजरअंदाज किया जा रहा है, परंतु यह समस्या बाद में पुन: सामने आएगी। यह एक चिरस्थायी समस्या है तथा इसे हल किया जाना है।

जहां तक तमिरापारानी नदी का संबंध है, मैंने इस मुद्दे को नियम 377 के अंतर्गत सभा में उठाया था तथा यह कहा था कि आजादी के बाद से नदी की सफाई कभी नहीं की गई है तथा यह नदी पूरी तरह प्रदूषित हो गई है। इसके बाद, नई दिल्ली से आए अधिकारियों के एक दल ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुनेलवेली का दौरा किया। उन्होंने इस मामले की जांच की तथा व्यय का अनुमान तैयार किया। मुझे बताया गया कि यदि सरकार इस कार्य के लिए 70 करोड़ रु. मंजूर कर देती है, तो नदी की सफाई की जा सकती है। चूंकि यह नदी समूचे दक्षिणी तमिलनाडु को पेयजल की आपूर्ति करती है, अत: इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

तमिरापारानी नदी से पानी पड़ौसी जिलों में भी जाता है। इसका पानी चेरन्माधेवी से पाइपों के जरिए 430 किलोमीटर की दूरी पर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से लगे एक स्थान विजयानारायणम् ले जाया जाता है, जहां नौसेना का एक कार्यालय स्थित है। लेकिन, यह पानी रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों के प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे सीधे नौसेना कार्यालय तक ले जाया गया है। यदि वहां पानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो सरकार रास्ते में पड़ने वाले गांवों जैसे पथामडई को पानी की आपूर्ति करने पर विचार कर सकती है।

सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या रास्ते में पड़ने वाले गांवों को पानी की आपूर्ति करना व्यवहार्य है। केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह कार्य करे तथा राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अनुपालन करे। दोनों ही सरकारों को अपने संवैधानिक कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्य हैं जो सूखे के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इनके अलावा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के कुछ जिले तथा देश के कुछ अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के पचास साल बाद भी हम देश में पीने के पानी की आपूर्ति की समस्या का समाधान करने में सफल नहीं हो पाए हैं। प्रकृति से वरदान के रूप में हमारे देश को हिमालय, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट प्राप्त हुए हैं जहां से अनेक बारहमासी नदियां निकलती हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जितना पानी बहता है, वह देश में सिंचाई एवं पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, हम एक ऐसी नीति तैयार करने में असमर्थ हैं

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

जिससे कि इस पानी का उपयोग कम-से-कम पीने के उद्देश्य से किया जा सके।

देश में औद्योगिक क्रांति की चर्चा होने के बावजूद, हमारा देश मुख्यत: एक कृषि प्रधान देश है। देश की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये 70 प्रतिशत लोग अपने भोजन एवं पानी की आपूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इसके बाद वे शेष 30 प्रतिशत लोगों को भी भोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बावजूद भी हम पानी की समस्या से निपटने में असमर्थ हैं। वर्षा आधारित कृषि मवेशियों तथा व्यक्तियों के लिए चारे एवं भोजन समस्या पैदा कर रही है। यदि यह सब ऐसे ही चलता रहा, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब हमें इन वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा।

मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की इस बात से सहमत हूं कि सिंचाई की समुचित सुविधाओं के अभाव में इस देश में सूखे से नहीं लड़ा जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य भी बढ़ गए हैं। एक तरफ तो हम सूखे के मुद्दे से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों की क्रय-शक्ति में गिरावट आई है। कई वर्षों से हम यह मांग कर रहे हैं कि केवल गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को ही नहीं, अपितु समूची जनसंख्या को ई.ए.एस. के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। जब मूल्यों में वृद्धि की गई है, गरीब आदमी के पास खाद्यान्न खरीदने की सामर्थ्य ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री तथा केन्द्र सरकार से अपील करूंगा कि जब तक कि सूखे की स्थिति का समाधान नहीं हो जाता वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों में, कम से कम गेहूं और चावल के मूल्यों में कमी करने पर विचार करें नहीं तो, लोग मरेंगे। आज, केवल पशु मर रहे हैं। यदि आप मूल्य वृद्धि करते हैं, तो कल भूख से मौतें होंगी। आंध्र प्रदेश में पहले ही भूख से मौतें हुई हैं। राजस्थान में भूख से कुछ मौतें हुई हैं। क्या हमारे पास लाखों लोगों को कम से कम खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति नहीं हो सकती? या तो आप सूखा राहत अथवा इ.ए.एस. के जरिए धन उपलब्ध कराइए, अथवा मूल्यों को घटाइए। कृपया इन पहलुओं पर गौर करें।

दूसरा मुद्दा है, अक्तूबर, 1999 में आंध्र प्रदेश में सूखा की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक टीम भेजी गई थी। उन्होंने हाल में मात्र 70 करोड़ रुपए जारी किये हैं। जबकि राज्य सरकार ने 700 करोड़ रुपए की मांग की थी। धन जारी करने में होने वाले अत्यधिक विलंब को कम करना होगा। जब विशेषज्ञ टीम अपनी रिपोर्ट देती है, तो कृपया उस पर कार्रवाई करें। आगे और विलंब न करें। आगे होने वाले विलंब से और नुकसान होगा तथा 700 करोड़ रुपए की मांग 1,400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी तथा स्थिति गंभीर हो जाएगी। कृपया निधियों को जारी करने की औपचारिकताओं का पालन किए बगैर इस पहलू पर भी गौर करें। यदि आवश्यक हो, दूसरी टीम भेजे। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से सभी सूखा-प्रभावित राज्यों का दौरा करने तथा मुआयना करने तथा शीघ्र कुछ कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

दसवें वित्त आयोग ने कहा है:

"इन आपदा राहत कोषों की लागत का 75 प्रतिशत संघ सरकार को वहन करना चाहिए तथा 25 प्रतिशत राज्यों को वहन करना चाहिए।"

अगर यह मामला है, तो राज्यों को 25 प्रतिशत खर्च करने के लिए कहें। संघ सरकार शेष 75 प्रतिशत उपलब्ध करा सकती है जैसा कि राज्यों द्वारा मांगी गई है। स्थिति बहुत विकट है। इसीलिए, मैंने इस विषय पर बोलने का निर्णय किया है।

केन्द्र ने काफी पहले वर्ष 1987 में जल एवं कृषि मामलों पर अपनी राष्ट्रीय नीति की घोषणा किया था। परन्तु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्हें, उनके द्वारा घोषित 1998 की वार्षिक नीति का अभी भी शीघ्रता से कार्यान्वयन किया जाना है।

उत्तर एवं दक्षिण में निरंतर बहने वाली नदियां है। दक्षिण में, गोदावरी एक प्रबल नदी है जिसमें से हम 700 टी.एम.सी. जल उपयोग कर रहे हैं जबकि समुद्र में बहिर्वाह लगभग 2,000 टी.एम.सी. है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने आश्वासन दिया कि पोलावरम् परियोजना कार्यान्वित होगी। यदि यह कार्यान्वित होती है तो जल को कृष्णा नदी के जरिए लाया जा सकता है तथा तेलगू गंगा के जरिए जल शीघ्र चेन्नई पहुंचेगा। अभी चेन्नई में पर्याप्त जल नहीं है। उन्होंने तेलगू-गंगा परियोजना को कार्यान्वित किया है। कृष्णा नदी के उपरिनद में पानी बिल्कुल नहीं है।

कृष्णा नदी में बहने वाले जल के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले से संघर्षरत हैं। चेन्नई को दिए जाने के लिए कृष्णा नदी में बिल्कुल जल नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को 1,000 करोड़ रुपया वार्षिक होना चाहिए। इसे 100 करोड़ रुपए जैसी छोटी रकम के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि उतना धन प्रतिवर्ष कोष में रखा जाए तो जब भी और जैसी भी आपदा हो, राहत दी जा सकेगी। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को नम्य भी होना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से प्राप्त की जा रही राशि का भी उपयोग किया जा सके। अन्यथा, हर बार राज्यों का इस समस्या से उबर पाना मुश्किल है।

मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल के कारण कई रोग होते हैं। आंध्र प्रदेश में पहले से ही पीये जा रहे पानी की किस्म के कारण डायरिया फैला हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्षा के जल को एकत्र करने हेतु एक दीर्घ-परास अपवाह क्षेत्र योजना को कार्यान्वित किया है। इसे सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा सकता है जिससे कि बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा सकेगा।

रोजगार आश्वासन योजना को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लागू करना है। इसका एक उदाहरण है। राजस्थान में जैसलमेर तथा आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला एक समान वृष्टि, लगभग 500 मिलीमीटर वार्षिक की न्यूनतम स्तर वाले क्षेत्र हैं। इस प्रकार, अनंतपुर आज वस्तुत: जल के लिए तरस रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड, आर्सेनल एवं लवण है। मैं पड़ोसी राज्यों से खाद्यान्नों एवं चारे की आपूर्ति करके पीड़ित राज्यों को बचाने का अनुरोध करूंगा।

यह एक गंभीर स्थिति है। इसी वजह से मैंने इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाने की सोची कि वे पर्याप्त धन के साथ आंध्र प्रदेश की सहायता करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने जो भी धन मांगा है, वे जारी करेंगे।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): सभापति महोदय, मैं यहां देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आदि में विनाशकारी सूखे पर तथा इन राज्यों में पीड़ित लोगों के प्रति मेरी गहरी पैठी संवेदनाओं एवं चिंताओं को व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं।

मैं, अपने माननीय सहयोगियों द्वारा विनाशकारी सूखे एवं कई राज्यों की पीड़ित जनता के संबंध में व्यक्त की गई संवेदनाओं से भी सम्बद्ध करता हूं।

आज, माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों से वर्त्तमान स्थिति से छुटकारा पाने अथवा परिसर्पण की अपील किया है। देश, विशेषकर सूखा संभावित क्षेत्रों की जनता ने समूचे देश में समर्थन प्राप्त किया है। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सहानुभूति है।

मैं सरकार के प्रदर्शन के बारे में जानना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री को स्वयं देखना चाहिए कि ग्रामीण विकास हेतु नौवीं योजना के आवंटनों का उपयुक्त रूप से प्रयोग किया गया है या नहीं। यह सरकार के साथ-साथ प्रधानमंत्री का भी कर्त्तव्य है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम का निष्पादन, सूखा-संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का निष्पादन, त्वरित जलापूर्ति योजना एवं समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की जांच करे। मैं बिना किसी हिचक के कहूंगा कि वर्ष 1999-2000 में इन कार्यक्रमों का निष्पादन पिछले दशक में सबसे बदतर थी। यह एक प्रमाण होगा यदि माननीय मंत्री आज ग्रामीण एवं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा सभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट को पढ़ेंगे। वे सरकार की असफलताओं की सुस्पष्ट तस्वीर के साथ सामने आए हैं। मैं इस विशेष अवसर पर सरकार को यह बताना चाहूंगा कि जनता का सहयोग हमेशा रहेगा।

जब देश में सूखा पड़ता है तभी सरकार क्यों जगती है? इस देश में सूखा निष्प्रभावी कार्यक्रम था। मैं मंत्री से यह जांच करने का आग्रह करूंगा कि क्या प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम का ध्यान रखा गया है। प्रशासन सो रहा होगा तथा इस सारी समस्या के प्रति अभिगम में निर्जीव होगा। जब भी सूखा पड़ता है, वे अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। विशेषकर गुजरात में सूखे के कारण कितने पशु मरे हैं। जब एक तरफ गो हत्या पर प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी ओर हम कई गायों को खो रहे हैं। हम ये सारी बातें कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सरकार को इन बातों का ध्यान रखना होगा।

मेरे प्रिय बंधु एवं सहयोगी, श्री पांडियन ने उल्लेख किया है कि सभी राज्य में जलापूर्ति की तीव्र कमी है। केरल जैसे राज्य में जहां भरपूर मात्रा में जल उपलब्ध है, कुछ ऐस क्षेत्र हैं जहां एक बूंद पानी भी नहीं है। हमारे यहां एक लोकोक्ति है 'जल ही जल है सभी जगह, पर पीने को एक बंद नहीं।' ऐसा क्यों है? ऐसा वहां समस्याओं के कारण है।

मैं स्वयं केरल में लगभग पांच से छह वर्षों तक ग्रामीण विकास समिति से इसके अध्यक्ष के रूप में जुड़ा रहा हूं। हम जीवन बीमा निगम की वित्तीय सहायता से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं, जिनके पास जनता के करोड़ों रुपए हैं। इसने केरल जैसे राज्य को जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त धन दिया है। समूचे देश में जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उन सांस्थानिक वित्त को उपलब्ध कराने की संभावना की मंत्री क्यों जांच कर सकता है? अगर हम ऐसा करते हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होगी। हमें इन योजनाओं का कार्यान्वयन कर्त्तव्यनिष्ठा से करना है। ऐसी विनाशकारी स्थिति में हमें कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म विवरणों का ध्यान रखना है, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी।

अतएव, सरकार के पास दीर्घावधिक नीति के साथ-साथ लघु अवधि की नीति अवश्य हो। दीर्घावधि नीति का ध्यान कम से कम मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम, समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम इत्यादि के कार्यान्वयन के जरिए रखा जाएगा। ये कार्यक्रम अत्यंत

[श्री ई. अहमद]

असफल रहे हैं। सरकार को सहयोग देने के लिए सभी यहां हैं। यदि सरकार लोगों के लिए कुछ करने को सच्चे दिल से तैयार है, तो वह इन बातों को कर सकती है तथा उस स्थिति जिसका हम सामना कर रहे हैं, से उबरने के लिए पर्याप्त सांस्थानिक वित्त उपलब्ध करा सकती है।

[हिन्दी]

श्री राजू राणा (भावनगर): सभापति महोदय, सदन में सूखे की परिस्थिति पर जिन माननीय सांसद भाईयों तथा बहिनों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं आपके माध्यम से उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में जो अकाल की परिस्थिति उपस्थित हुई है, उसमें गुजरात में पिछले सौ वर्ष में ऐसा अकाल कभी नहीं आया है। यह ऐसा अभूतपूर्व अकाल है जिसे रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर कहा गया है, ऐसा अकाल वहां इस साल पड़ा है। वर्षा कहीं हुई है, लेकिन जहां हुई है, कम हुई है। मोटे तौर पर देखा जाए तो मानसून फेल था। गुजरात के 25 जिलों में से 17 जिले अकाल की परिस्थिति से जूझ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 18 हजार गांवों में से करीब 9200 गांव इस समय भीषण सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे यहां 174 जलाशय हैं उनकी टोटल पानी की क्षमता जो है उसमें उसका 25 प्रतिशत से कम पानी है और वह भी दिन प्रतिदिन तेज धूप के कारण सूखता चला जा रहा है और पानी की मात्रा घटती चली जा रही है। उनमें से भी 44 तालाब ऐसे हैं जिनमें बिलकुल पानी नहीं है। ये सभी परिस्थितियां विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात का जो विस्तार है वहां देखने को मिलती हैं। ये क्षेत्र सूखे की चपेट में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उसका असर गुजरात की पूरी जनता पर पड़ रहा है। यह खाली सौराष्ट्र की बात नहीं है और खाली कच्छ और उत्तर गुजरात की भी बात नहीं है, जो परिस्थितियां वहां विद्यमान हैं उनसे वहां की ही नहीं बल्कि संपूर्ण गुजरात की जनता चिन्तित है और उनके ऊपर सूखे का पूरा असर पड़ रहा है।

सभापति महोदय, इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नवंबर मास में मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने तैयार किया। जनवरी में केन्द्र की टीम आई। उस समय 922 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया। उसके मुताबिक ड्राउट इफैक्टेड एरियाज को उन्हें देखाने के लिए ले गए। वहां जाकर स्वयं उन्होंने देखा कम बारिश और बारिश फेल होने के कारण जो खेती है वह बहुत कम हुई है और चोखा, बाजरा और ज्वार के उत्पादन में कमी दिखाई दी। हमारे यहां की खेती 77 प्रतिशत बारिश पर निर्भर है। वहां सिंचित भूमि बहुत कम है। दक्षिण गुजरात को छोड़ दीजिए। शेष क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करता है। जो मास्टर प्लान 922 करोड़ रुपये का बना था उसके हिसाब से केन्द्रीय टीम से भी चर्चा हुई और विचार-विमर्श हुआ। जनवरी के बाद जो कुछ भी परिस्थिति बदली है उसके अनुसार उसमें वृद्धि हुई है और उसके अनुसार 1100 करोड़ रुपए एस्टीमेटेड कास्ट आती है। यह जो पूरे अकाल की परिस्थिति है उसमें तीन महत्वपूर्ण एरियाज हैं जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था, दूसरी जो घास की उपलब्धता है और तीसरी कैटल कैम्प की बात है। लगभग 400 एन.जी.ओ. और गवर्नमेंट के कैटल कैम्पों में पशु धन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मेरे मित्र प्रवीण जी ने जो उल्लेख किया था, वैसे हादसे भी होते हैं और हुए हैं। मैं कभी यह नहीं कहता कि सभी परिस्थितियों में सभी मुश्किलों को हल करना सभी के लिए संभव है या सभी उन्हें हल करने में सक्षम हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता और न मानता हूं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मुश्किल को हल करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है और उसके मुताबिक मई-जून तक का जो हमारा एस्टीमेट घास की जरूरत का है वह वर्तमान से दुगनी होने की आशा है। इसके अतिरिक्त हम लोग महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा आदि सभी प्रदेशों से ट्रेन से और ट्रकों से घास लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जहां तक पीने के पानी का संबंध है, जहां बारिश हुई ही नहीं, जो वाटर रिर्सोसेस अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया कि कितने तालाबों में कितने परसेंट पानी बचा है, नदी सूख गई। मैं सौराष्ट्र क्षेत्र से आता हूं। सौराष्ट्र क्षेत्र में तो बहती हुई नदी हमने देखी ही नहीं है। जब कभी हम दक्षिण गुजरात में जाते हैं और बहती नदी देखते हैं, तो वहां 15-20 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो बहती नदी साक्षात देखने को मिलती नहीं है, सिर्फ चित्र में ही देखने को मिलती है। कच्छ और सौराष्ट्र में तो बहती नदी देखने को मिलती नहीं है। जहां तक पीने के पानी का संबंध है, तो पीने के पानी की स्थिति गांव में बहुत बदतर है क्योंकि रिसोर्सिस कम हैं। जहां पीने का पानी का प्रबंध करने की आवश्यकता रही है, वहां सब जगह टैंकरों से पीने का पानी, मैं इरीगेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पीने का पानी पहुंचाना, मुहैया करने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जहां कहीं कुछ कमी है, उसको भी पूरा करने का प्रयत्न जो रिसोर्सिस उपलब्ध हैं, उसमें से करें। जो बड़ी सिटी हैं, उनमें पाइपलाइन द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की है।

मैं एक ही उदाहरण दूंगा कि हमारे अहमदाबाद में रास्का वीयर प्रोजैक्ट टाइम से पूरा हुआ है। जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर आदि सब जगह पीने के पानी की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। पूरी परिस्थितियों को देखते हुए क्योंकि दो साल में पांचवीं आफत है जिसका गुजरात सामना कर रहा है। दो फ्लड आये, दो साइक्लोन आये और यह अकाल

अया। अभी तीन-चार दिन पहले पेपर में एक न्यूज पढ़ कर दिल की धड़कन रुक गई थी। पुणे के एक अभ्यासविद् ने कहा कि अगले महीने 6 से 12 मई के बीच में कच्छ में साइक्लोन आने की सम्भावना है। ऐसा उन्होंने पेपर में दिया है। मुझे मालूम नहीं कि वह सच है या गलत। उन्होंने कह दिया और वह पेपर में भी आया है। यह पांचवीं आफत है इससे गुजरात सरकार और गुजरात की जनता दोनों जूझ रही हैं। मेरी आपके माध्यम से गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से विनती है कि इन परिस्थितियों में कई करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। गुजरात गवर्नमैंट ने वैसे तो 200 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये इस बजट में अकाल की स्थिति से जूझने के लिए रखे हैं, फिर भी यह सोर्स कम है। मैं उनसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं, गुजरात की जनता की ओर से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, हमारी 1100 करोड़ रुपये की जो आवश्यकता है, वह पूरा करें।

श्री राम सागर (बाराबंकी): सभापति महोदय, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और देश के विभिन्न भागों में जो सूखे की भयंकर स्थिति है, जिस पर सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी उसके बारे में कुछ कहने के लिए, सुझाव देने के लिए आपकी मेहरबानी से खड़ा हुआ हूं।

आज सूखे की जो भयंकर स्थिति है, वह आज से पहले जितने भी सूखे पड़े हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न है। अभी गर्मी का प्रारम्भिक समय है। जो भीषण गर्मी मई, जून, जुलाई में पड़ती है, वह अभी आनी है। सूखे की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आज देश के कई सूबों के लोग पानी तथा चारे के अभाव में वहां से पलायन कर रहे हैं। वहां पर इतना अकाल पड़ा है कि लोगों का जी पाना मुश्किल है। अखबारों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से राज्य सरकारों तथा भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है। सूबों की सरकारें भी बार-बार मांग कर रही हैं और अंत में आज सदन में चर्चा भी हो रही है और सारा सदन एक राय है और सरकार के ऊपर दबाव भी डाल रहा है कि राहत प्रदान करे। प्रधान मंत्री जी का बयान अब तक इतना आया है कि मुक्त कंठ से उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और कहा कि जनता सहायता करे। यहां चर्चा हो रही है, उसको सरकार सुन रही है या नहीं सुन रही है, यह तो बाद में पता चलेगा। जहां-जहां भयंकर सूखा है वहां की जनता सुन रही है, जो सूबे आपसे मांग कर रहे हैं, वे भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी राहत की मंशा क्या है? हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि एक राय व्यक्त करके जो संवेदना व्यक्त की है, मांग की गई है, दबाव डाला गया है, उसका कोई नतीजा सरकार की तरफ से निकलेगा। सरकार यह घोषणा करेगी कि राहत कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पानी, अनाज और चारे से मनुष्य और जानवरों को मरने नहीं दिया जाएगा। सूखे की जो भयंकर स्थिति है, वह उन पांच सूबों के अतिरिक्त दूसरे सूबों की तरफ भी बढ़ रही है। मैं अपने बाराबंकी जिले की बात बता रहा हूं कि वहां घाघरा, गोमती, रारी, कल्याणी ऐसी नदियां हैं जहां उनके किनारों का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है और तमामत हैंडपम्प्स खराब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री बैठे हैं। जलाशयों में पानी कम हो गया है। यह ऐसी मुसीबत है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए हमेशा स्थायी योजना की चर्चा होती है लेकिन स्थायी योजना कभी नहीं बनाई गई। इसलिए इस बारे में सरकार की तरफ से स्थायी योजना बनाई जानी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की मुसीबत से लोगों को बचाया जा सके। जहां भयंकर अकाल है, चाहे राजस्थान, गुजरात हो या दूसरे राज्य हों, वहां लोग मर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां पानी का इंतजाम हो और वसूलियां बंद होनी चाहिए। जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। जिन भागों में स्थिति खराब होने वाली है, उनके लिए भी कोई योजना बनानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनकी मदद में कोई कोताही न बरतें। हाउस में मूकदर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए और अच्छा मैसेज जाना चाहिए ताकि लोगों को भूखे-प्यासे मरने न दिया जाए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की मदद की है, अकालग्रस्त क्षेत्रों की मदद करने के लिए अपील की है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी राजस्थान, गुजरात और सभी क्षेत्रों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों और अकाल के बारे में चर्चा की। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान के अंदर भयंकर अकाल की स्थिति है। लेकिन यह कोई आज नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार इस बात को खूब जानती थी, जब पिछला मानसून बीत गया, राजस्थान में वर्षा नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने इतनी संवेदनहीनता दिखाई कि लोगों में किसी तरह आतंक फैले और केवल भारत सरकार पर इसे मढ़ दिया जाए। गरदावरी से जो क्षेत्र चिन्हित करने थे, वह काम मानसून के बाद अक्टूबर में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन राजस्थान सरकार ने उस काम को नहीं किया। मैं भी उस समय असैम्बली में था। हमने राजस्थान सरकार से अपील की थी कि यह काम जल्दी करवाकर अकाल के कार्य शुरू करवाए जाएं। राजस्थान सरकार ने सदन में घोषणा भी की थी कि नवम्बर से अकाल के कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने गांवों को चिन्हित नहीं किया और केवल अखबारों में प्रचारित करते रहे। राजस्थान सरकार को पता भी था, केन्द्र सरकार के कैलेमिटी रिलीफ फंड से सभी राज्यों को निर्धारित राशि जाती है। वह राजस्थान के पास भी गया था, राजस्थान सरकार के पास पैसा था। राजस्थान सरकार

[डा. जसवंत सिंह यादव]

अगर चिन्तित होती, संवेदनशील होती तो उस काम को नवम्बर में ही शुरू कर देती, लेकिन राजस्थान सरकार ने नेशनल केलेमिटी फंड के लालच में लोगों को मरने दिया, स्थिति को बिगड़ने दिया। केवल इस लालच में रही कि केन्द्र सरकार से पैसा मिले। उनके पास जो पैसा था, उसका सदुपयोग नहीं किया और लालच के अन्दर ही लोगों की परवाह नहीं की। आज दुनिया भर की बातें मेरे पूर्व वक्ता ने, जो कांग्रेस के सदस्य बैठे हैं, उन्होंने कहीं, मैं बहुत छोटे उदाहरण दे रहा हूं। अकाल की बात तो संसद ने की है, अगर राजस्थान सरकार संवेदनशील होती, अकाल पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री राजस्थान में पहली बार बने हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जो बी.पी.एल. के लोग हैं, जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जब हमारे माननीय सदस्य मान रहे हैं कि वहां पर अकाल है तो राजनीति से ऊपर उठकर नेशनल केलेमिटी रिलीफ फंड के लालच को छोड़कर वहां वृद्धावस्था पेंशन में केन्द्र सरकार का पैसा पहुंच गया, बी.पी.एल. के लोग, वृद्ध लोग, जिनकी कोई सहायता करने को तैयार नहीं है, वे भूखे बैठे हुए हैं। उनको छः महीने से, साल भर से वृद्धावस्था पैंशन नहीं दी गई, जबकि केन्द्र सरकार का पैसा वहां पर बहुत पहले पहुंच गया है।

इसी तरह पीने के पानी के लिए केन्द्र सरकार से 120 करोड़ रुपया 1999-2000 में पहुंचा। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, 80 करोड़ रुपया अब पहुंचा। आज अगर राजस्थान की स्थिति देखी जाये तो सरकार को पता था कि वर्षा कम हुई है तो हैण्डपम्मप जो लगने थे, उनमें से 75 परसेंट हैण्डपम्प अभी तक नहीं लगे। आज अगर वे हैण्डपम्प लग जाते तो वहां पानी का हाहाकार नहीं मचता। इसी तरह जिन गांवों के अन्दर पानी की और योजनाएं थीं, वे सब यों की यों पड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार का इरादा सिर्फ यह है कि किसी भी तरह जनता को वहां आतंकित किया जाये। पिंक सिटी आपरेशन अभी लोगों को उजाड़ने के लिए शुरू किया है। राजस्थान सरकार को उसकी जो जल्दी थी, लेकिन जो हैण्डपम्प लगने थे, नल योजनाएं चालू करनी थीं, उनके बारे में सोचने की राजस्थान सरकार के पास फुरसत नहीं है। सबसे बड़ी बात *...(व्यवधान)*

श्री राम रघुनाथ चौधरी (नागौर): आप मदद मांग रहे हैं या राजस्थान सरकार को कोस रहे हैं?

डा. जसवंत सिंह यादव : जो सच्चाई है, जिस हालत को बदतर किया है, कम से कम आप लोगों को भी यह बात कहनी चाहिए कि रिलीफ का क्या करेंगे। जो पैसा केन्द्र सरकार से जायेगा, वह लोगों के काम तो आना नहीं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : जोधपुर में तो आपकी कांग्रेस सरकार ने नहर ला दी, इसलिए आपके यहां तो शान्ति है।

डा. जसवंत सिंह यादव : जो पैसा केन्द्र सरकार से सहायता के लिए जायेगा भी, जिसकी ये मांग कर रहे हैं, वह पैसा जनता के काम तो आना नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार को केवल अखबारों में प्रचारित करने के अलावा काम करने की फुरसत ही नहीं है। अगर राजस्थान सरकार को काम करने की फुरसत हो तो काम करके दिखाये। अभी वहां की कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष माननीय सदस्या गिरिजा व्यास जी ने चार दिन पहले ही कहा कि राजस्थान सरकार संवेदनहीन है, संवेदनशील नहीं है, वहां के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। आज राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में जो मुख्य मंत्री बैठे हैं, वे उसके जिम्मेदार हैं। जब बिहार के अन्दर गवर्नर किसी और को मुख्य मंत्री बनाता है तो ये कहते हैं कि केन्द्र सरकार उसके लिए इंटरफियर करती है। लेकिन वहां तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है और जब रिलीफ के लिए सरकार काम नहीं कर रही, जहां पैसा पड़ा हुआ है, 300 करोड़ रुपया पहला पड़ा हुआ था और सरकार वहां काम नहीं कर रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो सरकार चलाता है, पहली जिम्मेदारी उसकी होती है, जो भी मुख्य मंत्री होता है, जिसकी सरकार होती है। *...(व्यवधान)* माननीय सदस्य, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): यह बी.जे.पी. की राजनीति है। *...(व्यवधान)*

श्री राम रघुनाथ चौधरी : ये देश और सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डा. जसवंत सिंह यादव : आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वह अपना पल्लू झाड़ ले और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए यह कहकर कि भारत सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने रोड टैक्स बढ़ा दिया, व्यावसायिक कर लगा दिया, दुनिया भर के टैक्स इन्होंने चार्ज किए हैं, फिर भी कहते हैं कि पैसा नहीं है। 11,000 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में आए हैं। वहां के मुख्य मंत्री जी इसे अपनी जेब में रखकर बैठे हुए हैं *...(व्यवधान)* जब भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे तो उनकी सरकार को जो पैसा मिला था, वह उनकी कुशलता के कारण मिला था और उन्होंने एक-एक पैसे का हिसाब पेश किया था तथा अपनी दक्षता का परिचय दिया था। आपके मुख्य मंत्री सिवाय अखबारों में छाए रहने के दूसरा काम नहीं करते। बजट सत्र समाप्त होने के बाद वे गांवों का दौरा करने गए। 21 तारीख को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को निर्देश दिया कि आप

सब लोग अकाल क्षेत्रों में जाओ। इससे पहले क्या वहां के मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्री सो रहे थे ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : गुजरात के मुख्य मंत्री अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहां लोग मर रहे हैं, क्या वह नजर नहीं आ रहा।

डा. जसवंत सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय सदस्यों को राजनीति से ऊपर उठकर इस विभीषिका का सामना करने की सलाह देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है। उसने इसमें खर्च न करके वहां की जनता को बर्बाद कर दिया है। यह ठीक है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की मदद करे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे संवेदनहीन मुख्य मंत्री को दुरुस्त करें, बल्कि अच्छा हो कि इन्हें हटाकर कोई ढंग का मुख्य मंत्री लाएं, जिससे प्रदेश भी बचे और अकाल से जूझ रहे लोगों को राहत मिले।

श्री राम रघुनाथ चौधरी: सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राजस्थान की जनता इस समय दुर्भिक्ष का सामना करने के लिए हिम्मत जुटा रही है। इस अकाल को हम महाकाल कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां न तो पीने का पानी है, न मवेशियों के लिए चारा है और न मजदूरों को मजदूरी मिल रही है।

सभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, वे मेरे साथ कांग्रेस में रह चुके हैं। इसलिए मैं सारी बातें जानता हूं। अलवर में पानी कि किल्लत नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में या उन 26 जिलों में जहां अकाल है, देखें तो हमें आज भी आंसू आते हैं। जहां पीने का पानी न हो।

डा. जसवंत सिंह यादव : कितने हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं। जो मंजूर किए हैं, उनमें से कितने लग गए और जो खराब हैं वे 20-25 रुपए के कारण वैसे ही पड़े हुए हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : राजस्थान में अकाल की स्थिति बहुत खराब है। वहां आज भी ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी मुहैया नहीं होता और लोगों को 10-12 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पिछले साल नवम्बर में जब वहां की विधान सभा का सत्र चला था तो वहां अकाल पर चर्चा हुई थी। सब लोगों ने चाहे कांग्रेस के हों या बी.जे.पी. के हों, मिल-बैठकर कहा था कि राजस्थान की स्थिति खराब है इसलिए पानी और चारे के लिए अभी से ध्यान देना चाहिए। तब से लेकर अब तक निरन्तर राज्य सरकार भारत सरकार को लिखती रही है कि राजस्थान सरकार की माली हालत बहुत कमजोर है, हमारे यहां बरसात नहीं हुई है। कई गांवों में तो एक बूंद पानी तक नहीं पड़ा। किसानों की हलत दयनीय हो गई है। पानी और चारे की कमी का अंदेशा हो रहा है, ये सब बातें भारत सरकार को लिखीं, लेकिन उसने जितना ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दिया। 27 मार्च को प्रधान मंत्री महोदय ने घोषणा की।

सायं 7.00 बजे

जब राजस्थान सरकार ने 1143 करोड़ रुपया मांगा तो 103 करोड़ रुपये की मदद भेजी। प्रश्न इस बात का नहीं है कि राजस्थान सरकार कितना काम कर रही है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि सरकार कांग्रेस की है या बी.जे.पी. की है। प्रश्न इस बात का है कि राजस्थान में जो अकाल पड़ा है, यह जनता के एक बहुत बड़े दुख की घड़ी है। भारत सरकार उनकी मदद करके उनको जिंदा रखने का प्रयत्न कर सकती है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर के इलाके में मवेशी किस कदर मर रहे हैं। रास्ते में जंगलों में, खेतों में मवेशियों की लाशें पड़ी हैं। वे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वहां चारा नहीं है, पानी नहीं है। भारत सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि इस तरह के अकाल को एक दुखदायी घटना मानकर समय रहते इसका प्रबन्ध करना चाहिए था। मेरा निवेदन है कि हमें इस मामले में चाहे बी.जे.पी. के हों या कांग्रेस के हों, हम सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बी.जे.पी. वाले हमें कोस रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कोसना नहीं चाहते। हम तो भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, राजस्थान सरकार निवेदन कर रही है और हमें मदद मिलनी चाहिए। जैसे आपने गुजरात की मदद की है और वहां एक अच्छी स्थिति आई है, सरकार ने बहुत मदद की है। इसी तरह से राजस्थान को भी मदद मिलनी चाहिए। राजस्थान की धरती सोना उगलने वाली धरती है। डा. साहब जानते हैं झुनझुनू, नागौर आदि स्थानों की मिट्टी ऐसी है कि वहां पर पानी उपलब्ध हो तो आधे हिन्दुस्तान को हम भोजन दे सकते हैं लेकिन वहां पानी नहीं है। जब गंगा नगर में इन्द्रा कैनाल आई तो आपने देखा कि आज गंगा नगर पंजाब से मुकाबला करता है और आधे हिन्दुस्तान को अनाज पहुंचाता है। यहीं पानी पहुंचते-पहुंचते जैसलमेर गया और आज वही हाल जैसलमेर में है। राजस्थान के लिए गंगा का पानी और इन्द्रा नहर का पानी लेने के लिए योजनाएं बनी थीं और बीकानेर में आकर योजनाएं ठप्प हो गईं। जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो तबाही होती है। अगर इस पानी को डायवर्ट करके योजनाएं बनाकर, पैकेज बनाकर इसका उपयोग किया जाये तो पीने के पानी की समस्या के साथ और भी कई समस्याएं मिट जाएंगी। आज प्रधान मंत्री ने ढाई साल पहले यह वचन दिया कि पीने के पानी की कठिनाई नहीं होगी। पीने के पानी की जो किल्लत आ रही है, वह मिट जानी चाहिए थी। जो भी व्यवस्था की जा सकती है, वह इस थोड़े समय में की जानी चाहिए और आगे आने वाले समय में यह देखा जाना चाहिए कि पूरे हिन्दुस्तान में चाहे गुजरात हो या बिहार हो, सभी को पीने का पानी मिलना

[श्री राम रघुनाथ चौधरी]

चाहिए। राजस्थान में पहले तालाब होते थे, छोटे-छोटे बांध बनाये गये थे। बरसात का पानी इकट्टा होता था। लेकिन पिछले सालों में इस तरह की सोच रही कि तालाबों का पानी पीने से नाल रोग हो जाता है, इसलिए जगह-जगह कुएं खुदवाये गये जिससे कुओं का पानी नीचे चला गया। पिछले साल में बरसात भी कम हुई और तालाबों का पानी पीना बंद कर दिया गया। शहरों और कस्बों में जहां तालाब थे, वहां कॉलोनियां बस गईं। आज हम सोचते हैं कि तालाब होते तो यह समस्या मिट जाती। आज पर्यटकों को हम बावड़ियां दिखाते हैं कि इसका यह नाम है, यह कितनी सुंदर है और इसका पानी काम आता था। हमें उन तालाबों को, बावड़ियों को उनमें पैसा लगाकर खोदना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने पिछले साल 1300 करोड़ रुपये की योजना भेजी थी। मंत्री जी जयपुर में आए थे, वहां उन्होंने मीटिंग की है। आज ही टी.वी. में हमने देखा कि मंत्री महोदय श्री सी.पी. ठाकुर बता रहे थे। राजस्थान की ओर से हम बता दें, पानी के लिए मना नहीं किया, अगर मांगते तो पानी जरूर मुहैया कराते। मैं कल ही टीवी पर देख रहा था और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार निरन्तर नवम्बर से भारत सरकार से पानी की समस्या के बारे में इंगित कर रही थी। उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले समय में राजस्थान में पानी की समस्या भीषण होने वाली है। अगर पानी की समस्या मिट जाती है, तो चारे की समस्या अपने आप मिट जाएगी। राजस्थान की डेयरी से दिल्लीवासियों को पीने के लिए दूध मिलता है। अगर अजमेर और बीकानेर के मवेशियों की यह हालत होगी, तो कैसे दूध मिल सकता है। आंखों में आंसू उन जानवरों को देखते-देखते सूख जाते हैं। यह समय हमारे आपसी विवाद का नहीं है, समय इस बात का है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी और संबंधित मंत्री राजस्थान में पानी मुहैया करायें, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी मुहैया करायें।

महोदय, बातें तो बहुत हैं, लेकिन समय कम है। माननीय बूटा सिंह जी ने अपने प्रयास से उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों से चारा का प्रबन्ध अपने क्षेत्र के लिए किया, लेकिन उससे पेट नहीं भरता है और न सब बूटा सिंह जी हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गाय को पालने के लिए एक दिन में पचास रुपए की आवश्यकता होती है, यानि एक महीने में 1500 रुपए की जरूरत, लेकिन उस गाय की उतनी कीमत भी नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार उनके लिए अधिक से अधिक मदद करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, हिन्दुस्तान के कुछ प्रान्त सूखे से परेशान हैं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बोडोलैंड के हिस्से से आया हुआ जनप्रतिनिधि हूं। पिछले साल भी और इस साल भी इस तस्वीर को देखकर मैं हैरान हो गया। हिन्दुस्तान को आजाद हुए, आज 52 साल हो गए हैं और इन सालों में सेन्ट्रल इंडिया के लोगों को मौका मिला, लेकिन ट्राइबल लोगों को राज करने का मौका नहीं मिला। 52 सालों की आजादी के बाद देश में विराजमान पानी की समस्या, सूखे की समस्या और अकाल की समस्या को देखकर हैरान हो रहा हूं। हिन्दुस्तान के प्रान्तों में, खासकर राजस्थान, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में जिस ढंग से सूखा पड़ा है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए मैं संवेदन प्रकट करता हूं।

महोदय, हिन्दुस्तान के जिन-जिन प्रान्तों में ऐसी गम्भीर स्थिति है, उन प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मदद की जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि इधर और उधर बैठने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उन्हें देश की समस्याओं की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। हमारे बोडोलैंड एरिया का भी यही प्रोब्लम है। बोडोलैंड क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि वह नदियों का प्रदेश है। वह इलाका नदियों से भरा हुआ है लेकिन फिर भी वहां के लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, और खेती के लिए पानी का आभाव है। कोकराझार से लेकर बोडोलैंड और उत्तरांचल के लोगों को भूटान से, फॉरेन कंट्री से रुपए देकर पानी खरीदना पड़ता है। यह भारत देश के लिए बहुत शर्मिन्दगी की बात है।

[अनुवाद]

क्या भारत स्वतंत्र देश है? बोडोलैंड के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें भूटान से पानी खरीदना पड़ता है। यह भारत सरकार के लिए शर्म की बात है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इन सभी ज्वलंत समस्याओं पर साकारात्मक दृष्टिक्षेप करें।

मैं भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोडोलैंड राज्य की अलग स्थापना करें जिससे हमें बोडोलैंड की स्थापना के पश्चात् न्याय मिल सके। हमारे यहां जो नदियां हैं उनके लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। वहां जिस ढंग से काम होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हुआ है।

मैं भारत सरकार से पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि वे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इत्यादि राज्य के पीड़ित लोगों की सहायता करें। इन शब्दों में मैं भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, गुजरात, राजस्थान, आंध्रा और बंगाल, इसमें उड़ीसा भी शामिल है, इनके ऊपर आपत्ति आई है, लेकिन इस आपत्ति में भी अगर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाएगा तो यह आपत्ति दूर हो सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, 1972 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। माननीय बूटा सिंह जी को मालूम है। उस समय वसंत राव नाइक जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार से भी सहयोग मिला। यह मानव निर्मित है और मानव निर्मित से यह सरकार निर्मित है। मैं प्रचलित सरकार के बारे में अभी नहीं बोलता हूं। आज तो वाजपेयी साहब ने कमाल कर दिया, इसे जरा संभालो। सरकार खुद क्या करती है, इस बारे में बताएं, कितना करती है, यह पता नहीं। आपत्ति में पंथ प्रधान का काम लोगों को हिम्मत देना होता है, यह इन्होंने नहीं किया। मुझे बहुत दुख होता है कि इन्हें पानी के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। हमारे नासिक जिले में एक तालाब है। गिरना डेम है, वहां बहुत पानी है। इसका उपयोग जलगांव में केला पैदा करने में किया गया और यह बहुत ज्यादा पैदा हो गया। नारखेड़े बंधु ने सहकारी सोसायटी निकाली और उन्होंने केले के चिप्स बनाए तथा आस्ट्रेलिया को भेज दिए। उसके बाद नारखेड़े और उनके बंधुओं पर खून-खराबे की नौबत आई और उन्हें सजा हो गई। नेहरू सरकार और प्रधानमंत्री जी की मित्रता थी और इस नारखेड़े बंधु ने आस्ट्रेलिया के पंथ प्रधान को नेहरू सरकार के लिए बोल दिया और ये छूट गए। इसलिए पानी का इतना महत्व है। यह मानव निर्मित का सवाल है। अगर शुरू से पानी की योजना हो जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होती। महाराष्ट्र में पश्चिमी वाहनी नदियां हैं जो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और उनके पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। मेरी विनती है कि इन नदियों को पूर्व वाहनी करने के लिए जो प्रोजेक्ट दिया है, उसके बारे में सोचा जाये और जो पश्चिमी वाहनी नदियां हैं उनको पूर्व वाहनी कर दिया जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): माननीय सभापति महोदय, इस संपूर्ण चर्चा में मैंने कई सम्माननीय सदस्यों को बोलते हुए सुना। मेरे नम्र निवेदन में, संपूर्ण प्रश्न पानी और पानी के प्रबंधन से संबंधित है।

"वाटर, वाटर, एवरीवेयर,
एण्ड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक;
वाटर, वाटर, एवरीवेयर,
नॉट ऐनी ड्राप टु ड्रिंक।

कवि कोलिरेज ने यह पंक्तियां कई साल पहले 'एनशीयंट मेरिनर' में लिखी थी। आज, हमारे देश की केवल 30 प्रतिशत कृषि योग्य भमि पर सिंचाई की जाती है और 60 प्रतिशत से अधिक मात्रा में जल समुद्र में चला जाता है। जब तक, हम अपना संपूर्ण दृष्टिकोण प्राकृतिक आपदाओं चाहे वह सूखा या बाढ़ या चक्रवात हो, के प्रति बदलते नहीं हैं, तब तक यह समस्या नहीं सुलझ सकती।

हम आज सूखे पर चर्चा कर रहे हैं, हमने बाढ़ के बारे में सुना—श्री संतोष मोहन देव अपने क्षेत्र में आई बाढ़ का उल्लेख कर रहे थे। जब हम केवल दो महीने पहले उड़ीसा में आए महाचक्रवात पर चर्चा कर रहे थे, कई सदस्यों को उड़ीसा, जैसे राज्य बिहार के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में सतत आने वाले चक्रवात, सूखा, बाढ़, पुन: चक्रवात और इस मध्य रुक-रुक कर पड़ने वाली गर्मी और लू पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले साल, उड़ीसा में लू लगने से 1800 से अधिक लोगों की जानें गई, जिसमें से 400 मेरे ही क्षेत्र के थे। इसका कारण यह है कि पर्यावरण और वन क्षेत्र का पूर्ण नाश हो रहा है चाहे गरीब उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए कर रहा हो या अमीर अपने लोभ की वजह से। आज, स्थिति यह है और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से भी यह साबित होता है कि केवल 11 से 12 प्रतिशत ही वन क्षेत्र बच पाए हैं, जबकि 50 वर्षों पूर्व हमारे पास 36 प्रतिशत से भी अधिक वनों का क्षेत्र था।

जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम इस संबंध में चीन को भी मात देने वाले हैं। इसी के साथ, जल का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। आज, पीने के लिए भी पानी नहीं है, हमने कई वक्ताओं को बोलते सुना है कि लोगों को 10 कि.मी., 8 कि.मी., 7 कि.मी. पीने का पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। न तो हमारे पास सिंचाई के लिए पानी है न ही नहाने के लिए और न ही हमारे पास पशुओं के लिए पानी है।

माननीय डा. वेंकटेस्वरलु यहां बैठे हुए हैं। मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। जब वे मंत्री थे, उन्होंने हमें कई जल परियोजनाएं दी थी। उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन साल पहले दो परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे। आज, वही 20 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि वापस आ जाएगी क्योंकि राज्य सरकार निर्धारित राशि नहीं उपलब्ध करा पाई। क्यों? क्योंकि अधिकतर राज्य निर्धन हैं, अधिकतर राज्य दीर्घकाल से सूखा-पीड़ित, बाढ़-पीड़ित और चक्रवात से पीड़ित हैं। इसमें बेचारे माननीय मंत्री भी क्या कर सकते हैं?

वित्त आयोग ने भी यह सुझाव और अभिमत दिया था कि कृषि मंत्री के लिए यह अनिवार्य हो कि वह शीर्ष मंत्री रहे। यहां

[श्री के.पी. सिंह देव]

कोई अन्य मंत्री नहीं है जो इस चर्चा को सुने या इसमें भाग ले। इसलिए, बेचारे कृषि मंत्री भी क्या करें? वे तो बस खानापूरी कर रहे हैं। यही योजना आयोग का पिछले पचास वर्षों का योगदान हैं। चाहे आप कांग्रेस या जनता दल या भारतीय जनता पार्टी को कोस लें, फिर भी सूखा, बाढ़ और चक्रवात हमारे साथ अगले पचास वर्षों तक भी रहेंगे। इसलिए, संपूर्ण रवैये को बदलने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि कालाहांडी के माननीय सदस्य ने राजीव गांधी के उस वक्तव्य का उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल 16 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए, राजीव गांधी के कारण दो नई बातें हुईं। एक थी जवाहर रोजगार योजना और दूसरी पंचायत राज प्रणाली। इस कारण पंचायत को ही न कि योजना आयोग, को उस क्षेत्र का अंतरंग ज्ञान होने के कारण, उस क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं की जानकारी है।

इसलिए, यह दमनकारी योजना, केन्द्रीयकृत योजना बंद हो जानी चाहिए। नियोजन सूक्ष्म स्तर पर होना चाहिए। जिला स्तर पर नियोजन किया जाना चाहिए। इसलिए, हमें उसे मजबूत करना होगा।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा, ने 1996 में बोलंगीर और कालाहांडी का दौरा किया था, जो उस सदी का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। 1987 में भी हमने यही सुना कि वह इस सदी का सबसे भयंकर सूखा था। और अब, इस साल भी हम यही सुन रहे हैं कि यह इस सदी का सबसे भयानक सूखा है। श्री देवगौड़ा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रशासन के निचले स्तर पर पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं। आप कितनी भी धनराशि दीजिए, यदि जिला प्रशासन असफल होता है, यदि राजस्व विभाग असफल होता है तो न ही श्री पटवा या संपूर्ण संसद इस बाबत कुछ कर सकती है। इसलिए, सूक्ष्म-स्तर पर नियोजन की आवश्यकता है और हमें उसे मजबूत और सुदृढ़ करना चाहिए।

फिर विश्वसनीय आंकड़ों का प्रश्न उठता है। हम किस पर आश्रित हों? हम कुछ चपरासियों पर आश्रित हैं। उड़ीसा में आए पिछले चक्रवात में बचाव कार्य निरीक्षक सभी जगह नहीं पहुंच पाए क्योंकि 30 जिलों में से 14 जिले प्रभावित हुए थे। इसलिए, उन्होंने चपरासियों को भेजा और ये चपरासी पेड़ के नीचे बैठे रहे और गणना करते रहे। कुछ लोगों को राहत सामग्री मिली कुछ को राहत सामग्री नहीं मिली। सार यह है कि पीड़ित व्यक्तियों को मूल आवश्यकताओं से वंचित रखा गया, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए, हमें स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाना होगा। यहीं पर, केन्द्र को कुछ सोचना चाहिए। योजना आयोग को भी अपने सामान्य मानकीय दृष्टिकोण में परिवर्तन अवश्य करना चाहिए क्योंकि हमारे 35 कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं।

महोदय, कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान प्रयोगशालाओं में उत्कृष्ट कार्य किया है। 1996 में, हमने ढेंकानाल जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में थोड़ा प्रयोग किया था। उस समय, उसे इस सदी का सबसे भयानक सूखा माना जाता था। यह संचार और सभी एजेन्सियों को एक स्थान पर एकत्र करने का अभ्यास था। पिछले साल, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की चावल की कलिंग-II नामक फसल, जो असफल हुई थी, बिना शर्त सफलता थी क्योंकि वैज्ञानिकों, कृषकों और अधिकारियों के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क इतना अच्छा था कि वही भूमि 19 बार फसल दे रही है, और माननीय मंत्री इस संबंध में जानते होंगे। मैंने इसका उल्लेख परामर्शदात्री समिति की बैठक में किया था जो पिछले महीने हुई थी।

महोदय, जब सरदार बूटा सिंह कृषि मंत्री थे, उन्होंने शुष्क-भूमि और पहाड़ी-भूमि पर कृषि करने पर जोर दिया था। भारत की साठ प्रतिशत कृषि भूमि पहाड़ी-क्षेत्र में है और वह वर्षा के पानी पर निर्भर है। इसलिए इस पर ध्यान केन्द्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदय, आज सारा सदन देश की एक बहुत बड़ी समस्या सुखाड़ पर चर्चा कर रहा है। माननीय सांसदों ने अपने-अपने प्रदेश और पूरे देश में सूखे से उत्पन्न हुये हालत का विस्तार से वर्णन किया है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि देश के किसी हिस्से में बाढ़ आती है तो किसी हिस्से में भयंकर सूखा पड़ता है, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं रेतीला इलाका है, कहीं जंगल हैं तो कहीं पत्थर के पहाड़ हैं। इस देश में प्रतिवर्ष कभी बाढ़ से और कहीं सूखे से करोड़ों, अरबों-खरबों रुपये का नुकसान होता है। विशेषकर किसानों और गरीब लोगों की बर्बादी हर जगह होती है। यहां आज सूखे पर चर्चा हो रही है जिसमें गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश सूखे की चपेट में हैं। इसमें राजस्थान प्रतिवर्ष सूखे से ग्रसित रहता है। हालांकि हमारा हरियाणा प्रदेश छोटा जरूर है लेकिन विशेषकर आधा हरियाणा जिसे दक्षिणी हरियाणा कहा जाता है, उसकी सीमा राजस्थान से मिली हुई है। वहां सूखे की हालत वही है जो कि राजस्थान की है क्योंकि वहां की सारी वही भौगोलिक परिस्थिति है, वह भी उसी तरह सूखे की चपेट में आता है। हर साल आधे हरियाणा में फ्लड रहती है और आधा हरियाणा सूखाग्रस्त रहता है और किसान हर हालत में बरबाद रहता है, चाहे वह फ्लड से हो या सूखे से हो। हरियाणा के 19 जिलों में 10 जिले आज भी सूखे से प्रभावित हैं जिनमें महेन्द्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, झज्झर, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार प्रमुख हैं। यह वह बैल्ट है जिसे हम दक्षिणी हरियाणा करते हैं, यह बुरी तरह से प्रभावित है। सभी अपने-अपने प्रांतों के लिए केन्द्र सरकार से सहायता की अपील करते हैं। यह हर एक का

अधिकार भी है और मांगना उचित भी है। लेकिन ये प्राकृतिक आपदायें हैं, यह भगवान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम सरकारी स्तर पर, भाईचारे के स्तर पर हल कर सकते हैं। पिछली लोक सभा के दौरान माननीय वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छा मामला कावेरी जल विवाद का सुलझाया था। यह चार प्रांतों का झगड़ा था, वर्षों से लटक रहा था। लेकिन इस विवाद के सुलझने से चारों प्रांतों की पानी की बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। लेकिन हमारे प्रांत हरियाणा और पंजाब के बीच जब से इन दोनों प्रातों का निर्माण हुआ है, 33 वर्षों से एक बहुत बड़ा झगड़ा एस.वाई.एल. नहर का चल रहा है। जिस पर हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 121 किलोमीटर लम्बी नहर बन चुकी है, केवल छः किलोमीटर का टुकड़ा बाकी है। इस छह किलोमीटर के टुकड़े की वजह से हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। हरियाणा के पानी में कुछ राजस्थान का भी हिस्सा है। अगर यह नहर पूरी हो जाए तो दक्षिणी हरियाणा, जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, उसकी समस्या हल हो सकती है, कुछ राजस्थान की भी समस्या हल हो सकती है। लेकिन वह पानी वेस्ट जा रहा है। हमें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि हमने पिछले 33 सालों से पाकिस्तान में पानी जाने दिया, लेकिन हरियाणा को पानी नहीं मिला। कितनी बार इसमें समझौते हुए। कहीं इंदिरा अवार्ड है, कहीं राजीव-लौंगोवाल समझौता है, कहीं दूसरे समझौते हैं। समझौते होते रहे, लेकिन लागू कोई नहीं हुआ।

सभापति महोदय, पिछले समय भी हमने माननीय वाजपेयी जी से अनुरोध किया था, बार-बार सभी सांसद भी मिले, दूसरे जनप्रतिनिधि मिले और जनता भी मिली। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस समस्या को हम पंजाब के भाइयों के साथ मिल-बैठकर सुलझायेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वह सरकार गिर गई। दोबारा चुनाव हुए और मुझे फख्र है कि श्री वाजपेयी जी आज भी इस देश के प्रधान मंत्री हैं और मुझे यह विश्वास है कि 33 वर्षों से लटकी हुई इस समस्या का वह अवश्य समाधान करेंगे और दक्षिणी हरियाणा तथा राजस्थान की समस्या को हल करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा के लिए भी एक सर्वे टीम जाए, ताकि जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए हरियाणा को भी पूरी सहायता दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

सरदार बूटा सिंह (जालौर): माननीय सभापति जी, आज अपने देश के सबसे मुसीबत में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के बारे में, उन क्षेत्रों में जहां पशु मर रहे हैं, जहां पेयजल का अभाव हो चुका है, जल स्तर खत्म हो चुका है, ऐसी भीषण समस्या के बारे में यह सदन बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है। सभी सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र, अपने-अपने प्रदेश का उल्लेख किया, बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किये गये और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को तरह-तरह की राय यहां दी जा चुकी है। मैं विवाद में जाना नहीं चाहूंगा। यहां जो डिस्कशन हो रहा है, मैं केवल उसके बारे में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसे राष्ट्रीय विपदा मानें। चाहे वह विपदा राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश या किसी भी क्षेत्र में हो, उसे समूचे राष्ट्र की विपदा माना जाए और उसके प्रति केवल सहानुभूति ही नहीं, बल्कि वे देश के सामने कोई विकल्प रखें।

सभापति महोदय, इस भयंकर सूखे और इस भीषण सिचुएशन का सामना करने के लिए क्या-क्या प्रयास भारत सरकार कर रही है, वह बताए, यह सदन उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है। जब आज हम यहां इस समस्या पर बहस कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागोर और जोधपुर आदि जो पश्चिमी राजस्थान कहलाता है, उसकी हालत यह है कि वहां जो दो मैटरोलौजीकल डिवीजन हैं उनमें से एक पूर्वी राजस्थान में और दूसरा पश्चिमी राजस्थान में है, उनके अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 92 प्रतिशत बारिश फेल हुई और पूर्वी राजस्थान में 67 प्रतिशत बारिश फेल हुई। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जहां 92 प्रतिशत पानी नहीं बरसा वहां की प्रकृति, वहां की वनस्पति और वहां के पशु तथा आदमी किस प्रकार अपना जीवन-यापन कर सकेंगे और उनकी क्या हालत होगी।

सभापति महोदय, मेरे जालौर क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी गौशाला गांव पतपेड़ा में है जिसे एक महात्मा चलाते हैं। वहां एक दिन में 700 गाएं मर गईं। आज के अखबारों ने वहां की बहुत सी स्टोरियां छापी हैं। देश के सभी लीडिंग न्यूज पेपरों में राजस्थान के सूखे के बारे में छपा है। टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, पायनियर सभी समाचारपत्रों के संवाददाताओं ने राजस्थान में जाकर देखा है, वहां की जैसी हालत उन्होंने देखी है, उसके बारे में अलग-अलग अपने-अपने दृष्टिकोण से उन्होंने अखबारों में लिखा है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन जरूर है कि वे सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज के सभी प्रसिद्ध अखबारों को जरूर पढ़ लें।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने देश के लोगों से अपील की है, उससे एक आशा की किरण जरूर बंधी है, लेकिन क्या हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, हमारा इतना बड़ा देश, क्या इसमें साइंसदां, आविष्कारक और तकनीशियन नहीं हैं, क्या इस देश में सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स ही बैठे हैं? क्या हम भिखमंगे हो गए हैं, क्या हम लोगों से भीख मांगकर अपने देश की जनता का पालन-पोषण करेंगे, क्या आज हमारी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम अपने देश की जनता का पेट भर सकें, उसका पालन-पोषण कर सकें? मुझे इस बात की

[सरदार बूटा सिंह]

खुशी है कि प्रधान मंत्री जी पधार गए हैं। उन्होंने जो अपील की है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कहीं उनकी यह अपील ऐसी बनकर न रह जाए कि–

"तसल्ली दे जाए उनको जिन्हें दुश्वार था जीना
अर्ज यह थी कि मरना भी कहीं दुश्वार न हो जाए"

प्रधान मंत्री जी आपकी अपील का असर है, लेकिन आपके लोगों ने जिस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश की है अगर वैसी ही भावना रही, तो आपकी अपील में भी कोई असर नहीं रहेगा।

सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे देश के साइंटिस्ट विकसित मुल्कों में जाकर नई-नई चीजें ईजाद कर रहे हैं, तो क्या हम अपने देश में पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते। मैं ज्यादा आंकड़े और सुझाव नहीं दूंगा, लेकिन केवल दो तरह के सुझाव देना चाहूंगा। मैं देश का कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, सहकारिता मंत्री और फर्टीलाइजर मंत्री रहा हूं, इसलिए मेरे अनुभव से देश को फायदा उठाना चाहिए और यह देश के लिए जरूरी भी है कि अनुभव का लाभ उठाया जाए। मैं आपका ध्यान वर्ष 1986-87 में पड़े अकाल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जब देश का प्रधान मंत्री दिल्ली से जीप खुद चलाकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाता था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देश की जितनी बड़ी-बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे उ.प्र. में पंतनगर, पंजाब में लुधियाना, हरियाणा में रोहतक और गुजरात एवं अन्य प्रदेशों के बड़े कृषि विश्वविद्यालयों को आदेश दें कि उनके फार्मों में जितना भी चारा है, उसको राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा या जहां-जहां पर कमी है वहां मुफ्त भेजा जाए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आज देश में अन्न इतना ज्यादा पैदा हुआ है कि पंजाब में सड़कों पर रखने के लिए भी जगह नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और उनके भवनों में अन्न रखा जा रहा है। वहां अनाज को कोई पूछता नहीं है, अनाज गल-सड़ रहा है। भूसा इतना ज्यादा है कि हरियाणा और पंजाब के किसान गेहूं के भूसे को जला रहे हैं और राजस्थान तथा गुजरात में भूसे के अभाव में पशु मर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से भूसा अकालग्रस्त क्षेत्रों में ले जाया जाए। हमने कर के दिखाया है।

हमने चारे की दो गाड़ियां भरकर, एक गाड़ी में ढाई सौ ट्रक आते हैं, दो गाड़ियां भरकर हमने जालौर और सिरोही को दे दी। हर महीने भेजने की इच्छा थी परन्तु हमारे माननीय रेल राज्य मंत्री जी का कोई आदेश आया, उसके बाद से हमें गाड़ी नहीं मिली। मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि ये गाड़ियां उपलब्ध करायें तो कम से कम मैं राजस्थान और गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इतना चारा भिजवा दूंगा कि सरकार को एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।

एक सुझाव मेरा यह है कि अपने देश में विश्व का, जिसको शुष्क खेती कहते हैं, उसका सबसे बड़ा संस्थान हमारे देश में है। आपने कभी विजिट किया हो या करें तो आपको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में टिकरी सेट नाम की एक इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया में ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में नयी-नयी खोजें निकालते हैं। बारिश के पानी को कैसे संभाला जाये, कौन-कौन सी फसल पैदा की जाये जो बिल्कुल पानी के बिना हो सकती है, हमने आज तक उसका फायदा नहीं उठाया। मैंने एक ही टीम उसकी निकाली थी, उस टीम ने जो हमें सुझाव दिये थे, कुछ फसलें चली थीं, वे कामयाम हैं। मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आप उस वर्ल्ड आर्गनाइजेशन का फायदा उठायें जो हमारे देश में है और सारी दुनिया की सेवा कर रही है मगर भारत वर्ष की सेवा नहीं कर रही। हमारे वैज्ञानिक उसमें हैं।

अंत में रिमोट सैंसिंग के माध्यम से, डिफेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने राजस्थान का सर्वेक्षण कराया था कि राजस्थान की धरती के नीचे सरस्वती नदी है, जिसकी हम पूजा करते हैं। श्रीमान प्रधान मंत्री जी, वह तो भागीरथ बने थे, आप उस सरस्वती को ऊपर ले आओ, आप भी भागीरथ बन जायेंगे। ये भारत सरकार उस सरस्वती नदी को, जो राजस्थान के रेगिस्तान इलाके के नीचे होकर कांडला की ओर बढ़ रही है, उसका जो सर्वेक्षण हो चुका है, लाखों रुपये खर्चे जा चुके हैं, उसको यदि आप देश के लिए हारनैस करें तो आप केवल राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को धन्य कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध यह है कि घिसे-पिटे फार्मूले, जिनके माध्यम से पटवा जी आज जवाब देंगे कि इतना पैसा हमने दिया, इतना नहीं दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देश में तभी फायदा होगा जब हम नयी ग्राउंड ब्रेक करें और उससे हम अपने देश को धन्य कर सकें। यह पानी की समस्या आदि समस्याओं का हल हो सकता है, यदि भारत सरकार के पास इच्छा हो और राज्य सरकारें उनका साथ दें।

सायं 7.38 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री राजेश पायलट (दौसा): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह ने कुछ सुझाव दिये। कुछ सुझाव तो उन्होंने कवर कर दिये। मेरे दो-तीन सुझाव हैं। इस पर विस्तार से बातचीत हुई और सभी साथियों ने अपनी-अपनी बात कही। जब नैशनल कैलेमिटी फंड बनाया गया था तो फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, मेरा सुझाव मंत्री महोदय से यह है कि यह किसी ने नहीं सोचा था कि कभी-कभी किसी प्रांत में हर साल कैलेमिटी होगी। जब

यह बनाया गया था तो यह सोचकर बनाया गया था कि जब कैलेमिटी होगी तो इतना पोर्शन केन्द्र सरकार देगी और इतना पोर्शन राज्य सरकार दे देगी। आज उस फार्मूले का नुकसान यह हो रहा है कि राजस्थान जैसे प्रदेश को 1998-99 में 21.98 करोड़ रुपये, हरियाणा को 14 करोड़ रुपये और सिक्किम को 8 करोड़ रुपये दिये गये। सिक्किम में तो कैलेमिटी कभी-कभी होती है। हरियाणा में भी कैलेमिटी कभी-कभी होती है। हर साल लगातार नहीं होती लेकिन फार्मूले के हिसाब से वह सैक्टर कवर नहीं होता और राजस्थान जैसे स्टेट को सफर करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इस फार्मूले को अमैंड करके अगर स्पेशन फार्मूला ऐसा बना दिया जाये तो, जिन प्रदेशों में लगातार बाढ़ और अकाल पड़ रहा है, असम जैसे प्रदेश में हमेशा बाढ़ आती रहती है और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन से इफैक्ट होता है। गुजरात और राजस्थान हमेशा अकाल से पीड़ित रहते हैं। इस फार्मूले को अमैंड करके अगर एक स्पेशल फार्मूला बना दिया जाये तो इन प्रदेशों को इतनी आफत नहीं होगी। जैसा हमारे सदस्य कह रहे थे कि वे पैसा दो ढाई हजार करोड़ रुपये मांगते हैं लेकिन यहां से 80 करोड़ रुपये जाता है। देश में एक संदेश यह जाता है जैसे उन्होंने भावना जताई कि यहां सरकार दूसरी पार्टी की है और वहां सरकार दूसरी पार्टी की है। अगर फार्मूला सही रूप से बन जाये तो यह भावना बिल्कुल खत्म हो जायेगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि सैंट्रल टीम हमेशा भेजी जाती थी। जब ऐसे हालत पैदा होते हैं तो सैंट्रल टीम हमेशा जाया करती थी और आकर एक रिपोर्ट दिया करती थी। इस बार किसी कारण से सैंट्रल टीम अभी तक न राजस्थान में और न गुजरात में गई है। ...*(व्यवधान)* ठीक है। हमारे सदस्य कह रहे थे कि 103 करोड़ रुपये गए और वे भी खर्च नहीं किए। सैंट्रल टीम की रिपोर्ट सदन में दी जा सकती है जिससे हम सबको ज्ञान रहेगा। हो सकता है कि आज बी.जे.पी. की सरकार गुजरात में हो, हमारी सरकार राजस्थान में हो। मैं अपनी तरफ से सदस्यों को भरोसा दिला सकता हूं। मैं आज ही मुख्य मंत्री से कहूंगा कि हमारे बी.जे.पी. के जो सदस्य राजस्थान से चुनकर आते हैं, हम उनको एक-एक डिटेल भेजेंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है और यदि फिर भी कोई सवाल हो तो सरकार उनका जवाब देगी, यह उनका फर्ज है।

तीसरा प्वाइंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील का है। सब लोगों ने जिक्र किया। श्री बूटा सिंह ने उसका चलते समय जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश से अपील की है। आज सदन की कार्यवाही चल रही है और हम ड्राउट को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि एक टोकन मनी पार्लियामेंट की तरफ से कुछ नहीं तो हम एक दिन का डी.ए. ड्राउट के लिए प्राइम मिनिस्टर फंड में दे दें तो सारे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा कि पार्लियामैंट ने शुरूआत की है, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश से अपील की है। आज ऐसी हालत में हम अपनी तरफ से यदि एक दिन का वेतन भी भेजेंगे, मैं जानता हूं कि यह ज्यादा रकम नहीं है लेकिन हमारी एक भावना मुद्दे से जुड़ेगी।

प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। जैसा बूटा सिंह जी ने कहा, उक्त राज्यों में चारा और अनाज ऐवेलेबल है, मिल सकता है। रेलवे मिनिस्टर जी के बारे में कहा कि उन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, जब पहले कभी अकाल या फ्लड की हालत हुई तो सरकार रेलवे की तरफ से ट्रेन फ्री कर दिया करती थी और अगर कोई बहुत लम्बा काम हो तो उसमें सबसिडी दे दिया करती थी। डेढ़ महीने का सवाल है, उम्मीद है कि 25 मई या जून के पहले हफ्ते में मानसून आ जाए। अगर आप रेल की सुविधा दे दें तो हम बूटा सिंह जी का ऑफर आज ही मंजूर कर लेते हैं। ये हमें रेल दे दें और वे चारा और अनाज दे दें। अगर हमें राजस्थान और गुजरात के लिये रेलवे का प्रावधान मिल जाए तो दोनों सरकारें कोआर्डीनेट करके उनको पंजाब और हरियाणा से फौडर और अनाज में मदद कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह सकते हैं कि अगर रोज की दो ट्रेन दी जाएंगी तो कोई ज्यादा कास्ट रेलवे मंत्रालय पर नहीं आएगी और अगर एक महीने के लिए 60 ट्रेन किसी एक प्रदेश में चली जाएंगी तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा।

इन्हीं सुझावों के साथ मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देकर हमारी मदद करेंगे और जो सुझाव मैंने सदन के सामने रखा है, यदि उससे सब साथी सहमत हों तो स्पीकर साहब उस सुझाव को मंजूर करके सरकार के पास एक दिन का वेतन भेज सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैंने पांच घंटे तक प्रतीक्षा की, मैं नहीं समझता कि यह बहुत उचित है।

अध्यक्ष महोदय : दो घंटे का समय आवंटित किया गया था।

श्री मणिशंकर अय्यर : ऐसा हो सकता है। लेकिन हर कोई बोल चुका है और मैंने अंत तक प्रतीक्षा की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। कृपया बात को समझें।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी मानें और मुझे पांच मिनट का समय दें। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय मंत्री जी पटवा जी तब तक प्रतीक्षा कर लेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप मंत्री जी से उनके उत्तर देने के बाद पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, इससे पता चलता है कि कितना अध्ययन किया है ...*(व्यवधान)* मैंने जानबूझकर प्रतीक्षा की क्योंकि मैं सूखाग्रस्त राज्यों से नहीं हूं। मैं अपना नाम देकर प्रतीक्षा कर रहा था ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, आन्ध्र प्रदेश भी सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। कृपया हमें भी राज्य की स्थिति पर प्रकाश डालने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, आप माननीय मंत्री जी के उत्तर देने के उपरान्त कोई भी स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मेरे पास प्रश्नों की श्रृंखला है। इनका संबंध बड़ी राष्ट्रीय समस्या से है। यह राजस्थान और गुजरात की समस्या नहीं है। तमिलनाडु से होने के नाते, मेरे पास पूछने के लिए कई प्रश्न हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, कृपया आप आन्ध्र प्रदेश में हुई क्षति के आकार और सीमा के बारे में विचार करें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आवंटित समय दो घंटे का था। अब तक इसमे साढ़े पांच घंटे बीत गए हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, आन्ध्र प्रदेश भी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मणिशंकर अय्यर तथा प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु को दो-दो मिनट का समय दूंगा।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, कृपया पांच मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को दो मिनट का समय दूंगा। कृपया अब श्री अय्यर बोलें।

श्री मणिशंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री को अपने पास उपलब्ध सभी सूचनाएं भेज दूंगा। मैंने माननीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के माध्यम से उनका ध्यान ग्रामीण विकास मंत्रालय के निष्पादन बजट की सांख्यिकी के पृष्ठ संख्या 7 की ओर आकर्षित करवा लिया है। महोदय, आप पाएंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक कार्यक्रम में इस वर्ष इतनी दयनीय कार्योपलब्धि रही कि उसने राजस्थान या गुजरात में हुई तबाही को मात देने में बड़ा योगदान दिया है।

चूंकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए मैं शहरी विकास से संबंधित स्थायी समिति की उस रिपोर्ट, जिसे कि आज सुबह संसद में पेश किया है, के पैरा 2.28 पर आपका ध्यान आकर्षित करता है।

आप पाएंगे कि पिछले वर्ष हमने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए संसद द्वारा स्वीकृत 800 करोड़ रुपये की धनराशि को भी खर्च नहीं किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसके तहत शामिल किए गए घरों की संख्या आधी कर दी गई है। वास्तविक निष्पादन में हर जगह गिरावट आई है। वित्त तथा वास्तविक निष्पादन के अनुपात जिसे 1998-99 तक दुगना होने में 13 वर्ष लगे वह वर्ष 1999-2000 के एक ही वर्ष में गिर गया है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना का विनाश होता जा रहा है। इसी तरह से डी.पी.ए.पी. का भी.....

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): ये आंकड़े किस तारीख तक के हैं?

श्री मणिशंकर अय्यर : ये आंकड़े वर्ष 2000 तक के हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : ये आंकड़े किस तारीख तक के हैं? ये आंकड़े नवम्बर या दिसम्बर तक के हैं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मंत्री जी भी उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, यह बहुत ही समीचीन है क्योंकि उन्होंने पृष्ठ संख्या 7 पर इसी संदर्भ या दूसरे संदर्भ में आधे घंटे का समय लिया था। महोदय, मैं बहुत उत्सुक हूं

क्योंकि मैंने इस पर कुछ गृह-कार्य भी किया है। मैं समझता हूं कि वित्तीय वर्ष के दो महीनों के अन्तर्गत ही सरकार गिर गई थी। ये आंकड़े दिसम्बर के हैं तथा इसलिए, भर्त्सना के लिए.....

श्री मणिशंकर अय्यर : हम किसी की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये आंकड़े दिसम्बर के हैं। क्या उन्होंने सरकार को कोई मौका दिया है?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं किसी की भर्त्सना नहीं कर रहा हूं।

मैं केवल प्रधान मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं कि शिव सेना के सदस्य की अध्यक्षता में गठित शहरी तथा ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति को दिए गए आंकड़ों के आधार पर इसमें भारी गिरावट आयी है। मैं ये बातें केवल स्थायी समिति के प्रतिवेदन से ही उद्धृत कर रहा हूं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या आंकड़े दिसम्बर तक के हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इस सभा का काफी समय इस विषय पर लिया गया है कि इतना अधिक स्वीकृत हुआ था और मात्र इतना खर्च किया गया है। यदि इस सरकार को दिए गए समय को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह खर्चा केवल तीन या अधिकतम चार महीने में किया गया है। इन आंकड़ों को बार-बार दिया जा रहा है। अत: यह बात जाननी बहुत सारवान है। यही कारण है कि मैं इस बारे में उत्सुक हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपनी सीट ग्रहण करें।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मुझे दिया गया समय बहुत सीमित है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन आंकड़ों पर हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की उपलब्धि बहुत कम रही है। यही बात बाढ़ संभावित क्षेत्रों के कार्यक्रम, डी.पी.ए.पी. के साथ भी हुई। पहले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष इसमें अत्यधिक तेजी से कमी आई है। मैं भा.ज.पा. सरकार के वर्षों की कांग्रेस के वर्षों से तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं भा.ज.पा. सरकार के दूसरे साल पर चर्चा कर रहा हूं और उसकी तुलना उनके पहले साल से कर रहा हूं।

इसी तरह से मठस्थल विकास कार्यक्रम जो कि इसी विषय से संबंधित है के संबंध में भी हमने भारी कमी देखी है। जब जल ग्रहण अवसंरचना पर चर्चा होती है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि पांच वर्ष पहले, पहले बैच में गुजरात ने 3 करोड़ तथा राजस्थान ने लगभग 1.5 करोड़ रुपये लिए थे। पिछले तीन वर्षों में एक बैच के बाद दूसरे बैच में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इन सालों में कोई भी जल ग्रहण अवसंरचना नहीं बनाई गई।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में भी ऐसी ही कमी रही है। डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी. की जनधारा दृष्टिकोण के संबंध में जब तक प्रधानमंत्री जी स्वयं उन विभागों के कार्यक्रमों जो खासकर प्राकृतिक वर्षा जल से अभावग्रस्त गुजरात व राजस्थान से संबंधित है, में आई इस भारी कमी पर नहीं देते तब तक मैं नहीं समझता कि हम इन समस्याओं पर उस गम्भीरतापूर्वक विचार करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे जो कि अपेक्षित हैं।

अंत में मैं, 8वें दशक के मध्य में राजस्थान, गुजरात तथा देश के शेष भागों में पड़े भयंकर सूखों, अकालों के समय क्या हुआ की तुलना में पिछले एक साल से जो चल रहा है उससे असहमति व्यक्त करना चाहूंगा। इसके परिणामस्वरूप इन 1987 में यह निर्णय लिया गया कि हम मरूस्थल विकास कार्यक्रम, डी.डी.पी. के साथ-साथ सूखा संभावित क्षेत्रों के कार्यक्रम डी.पी.ए.पी. दोनों ही के लिए पनधारा दृष्टिकोण को अपनाएंगे, सन् 1987 ही के वर्ष में हमने राष्ट्रीय जल नीति का उद्घाटन किया जिसमें कहा गया था कि पेयजल को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सन् 1989 में हमने एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की स्थापना की। इसी वर्ष हमने तिलहन मिशन प्रौद्योगिकी आरम्भ की जिसके परिणामस्वरूप 8वें दशक के उत्तरवर्ती वर्षों में तिलहन के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, इसी को बाद में पेयजल कार्यक्रम के लिए कार्यविधि मिशन के रूप में प्रयुक्त किया गया और राजीव गांधी पेयजल मिशन नाम दिया गया। लेकिन अब हम अपनी स्थायी समिति की रिपोर्ट में पाते हैं कि अब लगता है कि विभाग भी मिशन कार्यविधि एवं विभाग के मध्य अन्तर को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री की यहां पर उपस्थिति का लाभ उठाते हुए मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, महोदय कृपया, अपने ग्रामीण विकास तथा अन्य मंत्रालयों जैसे जल संसाधन तथा कृषि मंत्रालय को दो या तीन घंटे का समय दें, उन्हें अपने नौकरशाहों सहित बुलवाएं, इस संकट को गरीबों को उस सामाजिक सुरक्षा नेट में पुन: लाने के अवसर के रूप में प्रयोग करें जिसकी पिछले एकाध साल से धज्जियां उड़ गई हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सूखा बचाव हमने 8वें दशक के मध्य में किया था जिसके कारण राजस्थान तथा गुजरात 10 वर्ष तक बचा रहा उस तरह के उपाय किए जाते हैं तो यह स्थिति फिर नहीं आएगी। मुझे इसमें आपके द्वारा योगदान देने के लिए उतनी ही

[श्री मणिशंकर अय्यर]

ज्यादा खुशी होगी जितनी कि आज मैं उस प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने में हो रही है जिन्होंने गुजरात तथा राजस्थान का 15 वर्षों तक विनाश से बचाव किया था। महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): अध्यक्ष महोदय, देश में सूखे की स्थिति सम्बन्धी चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में देश खराब दौर से गुजर रहा है। एक दूसरे पर दोषारोपण और चर्चा का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करने के बजाय राष्ट्र को एक होकर इस विशेष समस्या, चाहे यह उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात अथवा आन्ध्र प्रदेश हो, का मुकाबला करना चाहिए।

नि:सन्देह कुछ माह पूर्व उड़ीसा में महाचक्रवात आया था तो आन्ध्र प्रदेश के ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उड़ीसा का साथ दिया था। विशेषकर राजस्थान, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति है। अधिकतर इन क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं में से एक समस्या अपर्याप्त पेय जल की है सुरक्षित जल अथवा पेयजल को एक ओर छोड़ दीजिए। कम से कम पीने के प्रयोजनों के लिए कुछ जल तो दिया जाना चाहिए। अधिकतर इन क्षेत्रों में यह अपर्याप्त है।

दूसरी बात बिजली की कमी है। अभी तो अप्रैल का आधा महीना ही बीता है और अगले दो महीनों में स्थित और भी बदतर हो जाएगी जब तक हम अभी सही योजना तैयार नहीं करते हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

तीसरी चीज चारे की कमी है कई अवसरों पर जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो हम चारा बैंक बनाने के बारे में सोचते थे। इन चारा बैंकों का क्या हुआ? चारा बैंकों को कभी भी बनाए नहीं रखा गया। यदि बैंक बनाया गया हो तो इस स्थिति से तुरन्त निपटा जा सकता है।

चौथी बात गरीब वर्गों को खाद्यान्न की पर्याप्तता के बारे में है। सभी लोगों को धन कमाने के अवसर नहीं मिले हैं जो साधारणता अपेक्षित होते हैं। कम कमाई करने के अवसर अन्य कारण हैं। अत: हमें रोजगार आश्वासन योजना को मजबूत करना होगा।

अगली बात फसल और बीज राजसहायता, जिसे दिया जाता है, की हानि है। ऋणों का पुन: योजना बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् फसल बीमा दावों का शीघ्र निपटान भी अधिकतर बीमा कम्पनियों द्वारा नहीं किया गया है।

कुछ अल्पकालिक और तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। दीर्घकालिक में, राष्ट्रीय आपदा सहायता और राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष के अन्तर्गत भी संसाधन आधार का विस्तार किया जाना चाहिए। हम राष्ट्रीय आपदा सहायता के अन्तर्गत वार्षिक 126 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष के अन्तर्गत 140 करोड़ रुपए की, जब वहां घटित हुई आपदा से उसकी तुलना की जाए तो, अत्यन्त अल्प राशि प्राप्त हुई है। चक्रवात, बाढ़, सूखा, महामारी आदि घटनाएं वहां एक के बाद एक हो रही है। जब वहां सूखे की स्थिति होती है तो हम मात्र इसकी चर्चा करने की रस्म पूरी करते हैं और भूल जाते हैं। हमने बताए गए इन दो शीर्षों के अन्तर्गत 266 करोड़ रुपए के इस अल्प संसाधन आधार को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दसवें वित्त आयोग ने भी इसके बारे में अपर्याप्त रूप से बताया है। इन दो शीर्षों के अन्तर्गत अधिक धन आवंटित करके इस संसाधन आधार को बढ़ाने का यही सही समय है।

आन्ध्र प्रदेश में कुल 935 ब्लाक हैं इसमें से 18 जिलों में कम से कम 688 ब्लाक इस सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष 14 मार्च से 11 अप्रैल तक आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बीज राजसहायता, पेयजल, ई.ए.एस. चारा दिये जाने, ऋणों के पुन: सूचीबद्ध करने आदि के लिए लगभग 219.74 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पूरे राज्य में दिन प्रतिदिन आधार पर पेयजल और सूखे की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

पिछले वर्ष के सूखे की तुलना में भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को छह माह के अन्तराल के पश्चात् लगभग 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किये थे। इस वर्ष वह इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की जाने वाली राशि के लिए अपना मन नहीं बना पाई है। स्थिति यह है।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में से बड़ी धनराशि को पेयजल योजनाओं पर तुरन्त व्यय किया जाए। हालांकि वर्ष 1999-2000 हेतु स.स.स्था.क्षे.वि. योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि केन्द्र सरकार द्वारा अभी जारी नहीं की गई है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि स.स.स्था.क्षे.वि. योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक करोड़ रुपए तुरन्त दिये जाएं ताकि इन्हें स्थिति से निपटने के लिए पेयजल योजनाओं पर व्यय किया जा सके। संसद में लगभग 700 सदस्य हैं। यदि प्रत्येक सदस्य द्वारा एक करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाती है तो देश में इस

पेयजल समस्या से निपटने के लिए 700 करोड़ रुपए उपलब्ध हो जाएंगे। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति से निपटने के लिए आगे आए और प्रभावित राज्यों के लिए आवश्यक कार्य करे।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा): अध्यक्ष महोदय, प्रो. रासा सिंह रावत सहित जिन्होंने इस बहस का प्रारम्भ किया, उन सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। मैं सदस्यों की चिंता से अवगत और सहमत हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया। समस्या की गंभीरता और माननीय सदस्यों की चिंता का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सदन के तीस सम्मानित सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया। सर्वप्रथम एक व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी संवैधानिक मर्यादाएं जो तय हैं, उनमें क्रियान्वयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और उसमें सहयोग केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। सभी माननीय सदस्यों को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि केन्द्र सरकार की भूमिका सहयोगी की है परंतु मूलत: जो योजनाएं या समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए क्रियान्वयन करना राज्य सरकार के अधिकार का विषय है, ऐसी हमारी संवैधानिक मर्यादाएं तय हैं।

रात्रि 8.00 बजे

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : यदि आप कहते हैं कि सारा उत्तरदायित्व राज्यों का है तो केन्द्र अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। जो संवैधानिक मर्यादायें तय हैं, केवल मैंने उनकी ओर ध्यान दिलाया है। यह कह कर मैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार किसी को भी जिम्मेदारी से बरी नहीं करना चाहता हूं। यह राष्ट्रीय विपदा है। अभी हम राष्ट्रीय विपदा के घाव सहलाते हुए स्वस्थ नहीं हुए हैं, और दूसरी विपदा ने राष्ट्र को घेरा है। कई माननीय सदस्यों ने इसमें कहा है कि इसे हम राजनीतिक दृष्टिकोण से थोड़ा परे हट कर, राष्ट्र के ऊपर आई हुई विपदा के रूप में इसका सामना करें। मैं उनकी भावना से सहमत हूं। जहां-जहां ये समस्यायें विकराल रूप में हैं, वहां मैं निरन्तर मुख्यमंत्रियों से सम्पर्क में हूं।

आज सुबह उठते ही, मैंने राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से स्वयं बात की है उन्हें अद्यतन स्थिति की जानकारी देने के लिए कहा है। सर्वप्रथम उन्होंने जो वस्तुस्थिति की जानकारी भेजी है, वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

गुजरात से जो जानकारी प्राप्त हुई, वह इस प्रकार है। गत वर्ष अपर्याप्त वर्षा के कारण गुजरात के 17 जिलों के 135 ताल्लुकों में 9421 गांव अकाल की चपेट में हैं। लगभग 80 शहर और चार महानगर प्रभावित हैं। पानी की विशेष समस्या है। अन्य राज्यों से चारे की व्यवस्था की जा रही है। 157 समूह जल परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा 70 समूह जल परियोजनायें कार्यान्वित की गई हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा वाटर ट्रेन के प्रस्ताव का स्वागत किया है। रेल द्वारा पानी का प्रबन्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार तत्पर है, यह मैंने उनको निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि तत्काल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु हमने चार स्थानों पर इसका प्रबन्ध कर रखा है। राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक आज हुई है। इस हेतु सघन प्रयास मैंने स्वयं किया है। मैंने स्वयं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चारा गुजरात और राजस्थान में भिजवाने का अनुरोध किया है। स्वयं मैंने उन्हें पत्र लिखे हैं और उन्होंने अनुकूल उत्तर दिया है। इस बार भगवान की कृपा है, मध्य प्रदेश में अच्छी मात्रा में गेहूं की फसल हुई है। साथ ही पंजाब में पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है। पंजाब में किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल मेन्युअल लेबर से कटाई हुई है, वरना वहां हारवैस्ट कटर से होती तो भूसा चला जाता। उन्होंने भूसा पर्याप्त मात्रा में हरियाणा में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुरूप 20 किलो गेहूं अतिरिक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है।

राजस्थान से जो समाचार मिला है, उसके मुताबिक 26 जिले में से 23406 गांवों में अभाव की स्थिति है। 30 दिसम्बर, 2000 तक राजस्व वसूल उन्होंने स्थगित किया है। 50 हजार से ज्यादा पशुओं की देखभाल गौशालाओं के माध्यम से की जा रही है। जून के माह तक एक लाख पशुओं को विभिन्न गौशालाओं में शरण की व्यवस्था की जा रही है। पेयजल हेतु योजना तैयार है। बन्द और खराब पड़े हैंडपम्प को सुधारने की प्रयास उन्होंने प्रारम्भ किया है। चार लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मजदूरी 44 रुपए से लेकर 60 प्रतिदिन की गई है। डेयरी डिपो संचालित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से चारे की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मेरे स्वयं के आग्रह से, चारे की ट्रेन जोधपुर और बाड़मेर के लिए भेजी जा रही है।

श्री सुन्दरलाल पटवा]

आन्ध्र प्रदेश में 18 जिलों में 17,421 गांवों में अभाव की स्थिति है। वहां भी इसी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। श्रीमान्, अपने बाकी के कथन के पहले मैं अपने मित्र श्री मणिशंकर अय्यर जी के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा। आपने कह दिया कि डिजास्टर हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ा अनर्थ कर डाला, फेल हो गए, हम नीचे चले गए। मणिशंकर जी, आप तो विद्वान हैं, आपको जानकारी नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। आपने जानबूझ कर कोई आरोप लगाया होगा, ऐसा भी मैं नहीं मानता, परन्तु क्या आपको यह पता नहीं है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केवल फंड्स एवेलेबल करवाती है। हमने एक किश्त दे दी, लेकिन जब तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न मिले तब तक हम दूसरी किश्त कैसे ले सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): क्या यह गवर्नमेंट मोनिटरिंग नहीं करती।

श्री सुन्दर लाल पटवा : करती है।

सरदार बूटा सिंह : तो फिर आपका दायित्व भी उतना ही है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : बूटा सिंह जी, मुझे बोल लेने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको नहीं टोका। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): आप पहले पूरा जवाब सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, यह तरीका नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. गिरिजा व्यास, वह नहीं सुन रहे हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए। वह नहीं सुन रहे हैं आप सभा की प्रक्रिया को जानती हैं।

...(व्यवधान)

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : आप उत्तेजित मत होइए, मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए *...(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास : मैं यह कह रही हूं, आपने जो कहा कि लगातार आपके सभी मंत्रीगण रोज इस सवाल का जवाब देते हैं कि आप इतना पैसा देते हैं। आप कहते हैं कि केन्द्र ने पैसा दे दिया, उसके बाद हमारी छुट्टी हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, इसलिए मैं इनसे निवेदन कर रही हूं कि जब तक मोनिटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम लोग इसी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप करते रहेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : अभी तो मैंने दो वाक्य पढ़े हैं, आपने साढ़े पांच घंटे की बहस को शांत बैठ कर सुना और मुझे अभी बोलते हुए साढ़े पांच मिनट भी नहीं हुए। हम उत्तेजना दिमाग से निकालें, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने छोड़ें। गिरिजा जी, आपने कहा कि हम इसे राष्ट्रीय विपदा मान कर, बाकी सारे बातें बाजू रख कर इसका सामना करें। दो-ढाई महीने का समय है और बड़ा विकराल समय है। इसलिए हम आरोप-प्रत्यारोप की बजाए इस धारणा से, भावना से अगर इस विपदा का सामना करेंगे, मैं मानता हूं कि आज देश में वह क्षमता है, अभी कुछ कुदरत हमसे इतनी भारी नाराज है और हमें बर्बाद करना चाहती है, ऐसा नहीं है। अजमेर में 1.6 मिलीमीटर, धोलपुर में कुछ, कोटा में 1.4 मिलीमीटर, माउंट आबू में 11 मिलीमीटर, जोधपुर में 1.2 मिलीमीटर, जैसलमेर में 0.1 मिलीलीटर, चुरू में कुछ बोछार, माधवपुर में सात मिली मीटर, यह वर्षा की शुरूआत हमें कुछ आशा बंधाती है। बनासकंठा जिले के अंतर्गत गुजरात के उत्तरी भाग में, अम्बाजी में शनिवार को भारी वर्षा हुई, इसलिए हम कुदरत पर भी भरोसा करें। मैं मणिशंकर जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो बड़े जोरों से आरोप लगाया कि हम मोनिटर करने के बाद, बार-बार लिखने के बाद इम्पलीमेंटेशन, मेंशन करेंगे, आप जानते हैं कि यह हमारे अधिकार में नहीं है। इसलिए अगर उस खर्च में कुछ कमी आती है तो हम केवल दोषी नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं खर्च की बात नहीं कर रहा था, फिजिकल एचीवमेंट की बात कर रहा था। आपसे बस यही अनुरोध है कि जो रिपोर्ट आज सुबह सदन में पेश की गई, उसे कृपया आप पढ़ लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : इतना कहने के बाद भी समझ में न आए तो मैं क्या करूं। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यह आपकी रिपोर्ट नहीं है, हमारी कमैटी की रिपोर्ट है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मणिशंकर जी, फिजिकल एचीवमेंट मेरे बस में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : इस समय मैं नहीं जानता कि हम क्या कर सकते है। वह कह रहे हैं कि भौतिक उपलब्धि इनके हाथ में नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : कार्यान्वयन राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : माननीय प्रधान मंत्री जी अब आप देख सकते हैं ऐसी तबाही देश में—मैं तबाही शब्द पुनः दोहराता हूं, क्यों हो रही है। आपके मंत्रियों को अपनी योजनाओं का पता तक नहीं है। समस्या यह है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, यह आपत्तिजनक बात है, इस प्रकार की बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाये *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, मंत्री महोदय रुके हैं। मेरी अपील है कि वे हमें बताएं कि कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने उस प्रतिवेदन के अनुसार 800 करोड़ रुपयों का उपयोग नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। आप उन्हें इस प्रकार नहीं रोक सकते हैं? पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए *...(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़): पिछले 50 सालों में यह चिंता की होती तो देश की ऐसी हालत नहीं होती। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : यह देश एक साल में यहां नहीं आ गया है, पिछले 50 सालों में देश यहां पहुंचा है। *...(व्यवधान)*

श्री सुंदर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आज कुछ अखबारों में समाचार छपा है कि राजस्थान से, गुजरात से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। मैंने तत्काल राजस्थान सरकार से संपर्क किया। मुझे जो राजस्थान सरकार से फैक्स मिला है वह यह है कि राजस्थान से अकाल के कारण रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

यह मेरी ओर से नहीं हुआ है बल्कि यह श्री अशोक गहलोत की ओर से हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया सदस्यों को नहीं बल्कि अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। यह हमेशा से हो रहा है और हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सदस्य और मंत्री महोदय दोनों ही अध्यक्षपीठ को सम्बोधित नहीं कर रहे हैं। आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए ताकि आप सभी इन चीजों से बच सकें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हों तो सदस्यों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। यह उचित तरीका नहीं है। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल पटवा : समाचार-पत्रों में बताया गया है कि सूखा के कारण गुजरात से भारी मात्रा में पलायन हुआ है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। सूखा के कारण कोई पलायन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्रीमान, राष्ट्रीय आपदा राहत सहायता कोष की चर्चा हुई। सन् 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के लिए प्राकृतिक आपदाओं पर राहत सहायता खर्च के लिए धन की व्यवस्था और उसे खर्च करने की स्कीम दसवें वित्त आयोग द्वारा निश्चित की गयी है। पांच वर्ष के लिए 6304 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ आपदा राहत कोष गठित किया गया है। यह धन हर वर्ष राज्य सरकारों को आवंटन के अनुसार दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को आपदा राहत सहायता कोष से आवंटन किया जाना था। केन्द्रीय

[श्री सुन्दरलाल पटवा]

और राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत कोष में तीन और एक के अनुपात में अंशदान दिया जाता है। केन्द्रीय अंशदान 4728 करोड़ रुपये और राज्यों का अंशदान 1576 करोड़ रुपये है। दसवें वित्त आयोग ने इस बात को समझते हुए कि आपदाएं विरल और गंभीरता वाली भी हो सकती हैं, सिफारिश की कि इस प्रकार की आपदाओं को निश्चित रूप से प्रति मामले के आधार पर आंका जायेगा। अन्य बातों के साथ आपदा की तीव्रता, उसका स्वरूप, आवश्यक राहत सहायता का स्तर, समस्या का सामना करने की राज्य की क्षमता, विकल्प और राहत देने की योजनाओं में उपलब्ध लचीलापन को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार की विरल क्षमता वाली आपदा के लिए 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। इसमें भी तीन और एक का अनुपात था। लेकिन विरल महत्ता वाली आपदाएं होने के कारण सात सौ करोड़ रुपये की धनराशि दो वर्ष में समाप्त हो गयी। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिये राज्यों की मांगों को देखते हुये जनवरी, 1998 में 120 करोड़ रुपये की और वृद्धि की गई है। यह रकम 1997-98 में सारी समाप्त हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में कोई रकम बाकी नहीं बची तो केन्द्रीय सरकार ने विरल गंभीरता वाले आपदाओं के संबंध में राज्यों को सहायता दी। वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक, चार वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 1264 करोड़ रुपये की कुल सहायता दी गई। इस सरकार के आने के बाद, इस तथय के बावजूद कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में कोई धन नहीं बचा था, केन्द्रीय सरकार ने विरल गंभीरता वाली आपदाओं का सामना करने के लिये विभिन्न राज्यों को 1291 करोड़ रुपये की सहायता दी। पूरे चार वर्षो में 1264 करोड़ रुपये और 6 महीने में 1291 करोड़ रुपये दिये गये। इनमें आन्ध्र प्रदेश को 75 करोड़ रुपया, बिहार को 38 करोड़ रुपया, गुजरात को 54 करोड़ रुपया, जम्मू कश्मीर को 73 करोड़ रुपया, कर्नाटक को 17 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश को 38 करोड़ रुपया, मणिपुर को 4 करोड़ रुपया, मिजोरम को 6 करोड़ रुपया, उड़ीसा को 828 करोड़ रुपया, राजस्थान को 102 करोड़ रुपया दिया गया। एक उड़ीसा को छोड़कर बाकी सारे प्रदेशों को जो राशि दी गई, उसमें सबसे ज्यादा भाग राजस्थान का है। इसमें त्रिपुरा को 5 करोड़, उ.प्र. को 16 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 29 करोड़ रुपये दिया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 1291 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत सहायता कोष से, जो विरल आपदाओं का कोष है, चार साल में 1264 करोड़ रुपया और 6 महीने में 1291 करोड़ रुपया दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, जब से प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई है, उसने 6 महीने में 1291 करोड़ रुपया राष्ट्रीय आपदा राहत सहायता कोष में बिना एक पैसे का फंड होते हुये राज्यों को उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री जी मुझे निरंतर निर्देश देते रहे हैं कि इन सारी विशेष आपदाओं के क्षेत्र से निरंतर सम्पर्क में रहो। मैं आगे यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में धनराशि की कोई रकम शेष न होने के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने न केवल राज्य सरकारों को सहायता दी बल्कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस स्कीम के अंदर राज्यों को दिये जाने वाले 25 प्रतिशत अंशदान के लिये भी वित्त आयोग द्वारा कोई जोर नहीं दिया गया और जो भाग निर्धारित किया गया था, उस पर आग्रह नहीं किया। यह केन्द्रीय सरकार का 100 प्रतिशत अनुदान मानकर अभी तक दिया गया है। सूखे की स्थिति को देखते हुये गुजरात और राजस्थान राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से क्रमशः 54 करोड़ रुपया और 102 करोड़ रुपया दिया गया। हालांकि मार्च महीने में पैसा नहीं था फिर भी विशेष सहायता के अंतर्गत 31 मार्च तक यह राशि जारी की गई और आज की तारीख में इसी वजह से यह नियमित अंशदान उनके पास मौजूद है।

श्री राजेश पायलट : यह बताइये कि गुजरात और राजस्थान ने कितनी सहायता धनराशि की मांग की है? उस रेशो को तो बताइये।

श्री सुन्दर लाल पटवा : गुजरात ने 700 करोड़ और राजस्थान ने 1145 करोड़ रुपये की मांग की है।

कर्नल सोना राम चौधरी (बाड़मेर): सहायता राशि देने में कितना पक्षपात किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यह जो परम्परा है, यह कोई वर्तमान सरकार की बनायी हुई नहीं है। वित्त आयोग की सिफारिश पर यह आयोग बना और उस आयोग ने यह मानदंड बनाया है। फंड के क्रियान्वयन की जो पद्धति है वह तय की गई। आपदा राहत की जांच करने के लिए सैंट्रल टीम जाती है और वह रिकमेंड करती है।

सरदार बूटा सिंह : टीम ने कितना रिकमेंड किया?

डा. गिरिजा व्यास : टीम ने कितना रिकमेंड किया?

श्री सुन्दर लाल पटवा : टीम ने जो रिकमेंड किया उसके अनुसार, बल्कि कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा दिया गया। टीम की

रिकमेंडेशन के आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप चाहें तो वे आंकड़े मैं उपलब्ध करवा सकता हूं। परंतु टीम ने जितना रिकमेंड किया, उससे कम कहीं भी, किसी भी राज्य को हमने नहीं दिया। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। टीम किसी पार्टी की नहीं थी। उससे कम किसी राज्यों को नहीं दिया। प्राकृतिक आपदाओं के समय और केन्द्र सरकार के द्वारा इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए जो कदम उठाये गये, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि माननीय सदस्य केन्द्र सरकार की संवेदना से अवगत होंगे।

रोजगार के प्रावधान की जरूरत एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। मजदूरी और रोजगार की सभी योजनाओं में मुख्यत: रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात को 78 करोड़ रुपया और राजस्थान को 122 करोड़ रुपया दिया। इसकी स्थिति को देखते हुए गुजरात और राजस्थान को विशेष रूप से जारी 12 करोड़ रुपये के अलावा हमारे पास ओवरऑल कुल मिलाकर कुछ योजनाओं में पैसा बचा हुआ था। गुजरात को 12 करोड़ और राजस्थान को दस करोड़, जो टोटल अमाउंट में से सेविंग्स इन योजनाओं की थी, उसमें से सरकार ने 31 मार्च के पहले जारी किया और इम्पलीमेंटेशन यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट इन सब का इंतजार न करते हुए गुजरात और राजस्थान को वर्ष 2000-2001 के लिए क्रमश: छह करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी निर्मुक्त कर दी है, दूसरी किस्त के लिए हमने आग्रह किया है कि आवश्यकता हो तो हमें बताइये, हम दूसरी किस्त भी बिना फोर्मेलिटीज का इंतजार किए हुए जारी करने के लिए तत्पर हैं। पूरी गंभीरता से इस विषय में चिंता करके बाकी सारी औपचारिकताओं को बाजू रखकर केन्द्र सरकार जो कर सकती है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनके अंतर्गत अधिकतम सहायता करने के लिए हम तैयार हैं।

रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों को और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को पहली किस्त की निर्मुक्ति पृथक रूप से की जा रही है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम और पनधाराओं के लिए वर्ष 1999-2000 में गुजरात और राजस्थान को क्रमश: 53 करोड़ रुपये और 83 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। सूखे के दौरान पेयजल की उपलब्धता एक प्रमुख कठिनाई होती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात को 74 करोड़ और राजस्थान को 120 करोड़ रुपये की सहायता निर्मुक्त की गई। वर्तमान वर्ष 2000-2001 में गुजरात और राजस्थान राज्यों को क्रमश: 35 करोड़ और 81 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्ति की जा चुकी है। पेयजल आपूर्ति विभाग के दलों ने 21 और 22 को राजस्थान और गुजरात का दौरा किया, ताकि राज्य में चल रही सूखे की स्थिति तथा पेयजल से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जा सके। गुजरात में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने विभिन्न जिलों में 36 कुएं जो उसके पास अवेलेबल थे, राज्य सरकार को सौंप दिये और 140 कुएं और राज्य सरकारों को सौंपे जाने के लिए तैयार है। राजस्थान में 216 कुएं पहले राज्य सरकार को सौंपे जा चुके हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग, चारा, बीज उत्पादन, फार्मों के सुदृढ़ीकरण, चारा बैंकों की स्थापना, पंजीकृत उत्पादकों के जरिये बीज उत्पादन, घास आरक्षित क्षेत्र के लिए चरागाह भूमि के विकास आदि के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय ने चारे की ढुलाई को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरदार बूटा सिंह : फ्री होना चाहिए। प्राथमिकता देना और बात है।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, अभी--अभी मुझे रेल राज्य मंत्री ने सूचित किया है कि जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए चारा जाएगा, उसे रेलें ले जाएंगी और बिना किसी शुल्क के ले जाएंगी।

श्री सुन्दर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने पहले ही कुछ निर्णय ले लिए हैं जिनकी घोषणा की जा चुकी है। उनमें गुजरात और राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर एवं नीचे रह रहे प्रत्येक परिवार को 20 किलो खाद्यान्न बी.पी.एल. रेट पर दिया जाएगा। गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दो किलोग्राम प्रति मानव दिवस काम के बदले खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया जा चुका है। ये तात्कालिक उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : कार्य के बदले अनाज योजना का क्या हुआ?

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यह मैं कह चुका हूं कि काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत दो किलोग्राम अन्न प्रति दिन प्रति मानव कार्य दिवस के अनुसार बिलो पावर्टी लाइन रेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार के आदेश दिए जा चुके हैं और राज्य सरकारों को सूचित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, माननीय मंत्री ने केवल दो राज्यों के बारे में ही बताया है जहां वे अनाज दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या यह राहत पूरे देश में भी दी जाएगी। केवल दो राज्य ही सूखा से प्रभावित नहीं हुए हैं। कई राज्यों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लोग दूसरे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं।

हिन्दी]

श्री सुन्दरलाल पटवा : येरननायडू जी, आप आश्वस्त रहें। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश भी इस सुविधा में शरीक है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दीर्घकालीन बातें भी हुई हैं। पिछले 50 वर्षों में हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। मैं, यह सरकार थी या वह सरकार थी, इसने किया या उसने किया, इस प्रपंच में नहीं जाना चाहता हूं। अगर गलतियां की हैं, तो हम सबने मिलकर की हैं। अगर मुसीबत उठानी है, तो हम सबको मिलकर उठानी है और उसका हल भी निकालना है तो हम सबको मिलकर निकालना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर एक स्तर से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया है, जंगल काटे, चरागाह बर्बाद किए, तालाब, कुएं बावड़ियां सुखा दीं, दोहन किया, सिंचन नहीं किया, इन बातों का दीर्घकालीन उपाय सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आज यहां पानी के नैशनल ग्रिड की चर्चा भी आई। हमने पावर का नैशनल ग्रिड बना दिया, रेलवे अपने आप में एक अलग ग्रिड है। दीर्घकालीन उपायों के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे पास पानी की कमी है इसलिए प्यासे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि हमारे पास पानी पर्याप्त है फिर भी हम प्यासे हैं, दोष व्यवस्था का है। इसका दीर्घकालीन उपाय सोचना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ डूब गया है। सब कुंछ लुटाकर होश में आए, तो क्या आए, फिर भी वक्त है। इसलिए वॉटर ग्रिड, जलग्रहण मिशन, वॉटर शेड, मरुस्थल सुधार, परती भूमि सुधार आदि इन सभी योजनाओं को समेकित करके हमें एक दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। इससे हमारा देश कहलाता है— ''अन्नपूर्णा वसुंधरा, रत्नगर्भा वसुंधरा, सश्य श्यामला वसुंधरा''। यह हरी-भरी धरती, यह अन्नपूर्णा धरती, यह रत्नगर्भा धरती। हम उस स्वप्न को फिर से साकार कर सकें, इस बात की दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। मैं सोचता हूं, अलग-अलग सब माननीय सदस्यों के उठाये गये सवालों का जवाब दूं, समय उसकी मुझे इजाजत नहीं देता। परन्तु माननीय बूटा सिंह जी, मैं आपसे सहमत हूं, राजेश पायलट जी से सहमत हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने हमें केवल प्रताड़ना और लांछन के लिए भाषण दिये, उनसे भी मैं सहमत हूं। उनकी प्रताड़ना को मैं शिरोधार्य करने को तैयार हूं। तुलसीदास जी ने कहा है कि ''निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटि छवाय''। आप सबका पुन: आभार मानते हुए, जिन्होंने भाषण दिया, उनका भी आभार और जिन्हें मौका नहीं मिला, उनका भी आभार। मैं फिर से एक प्रार्थना के साथ अपने कथन का समापन करना चाहूंगा कि दो महीने या ढाई महीने जो भी समय है, केन्द्र सरकार के पास अपने जो भी संसाधन हैं, उनसे भी आगे बढ़कर सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए हम तत्पर रहें। मैं निरंतर राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि वे समस्या की गंभीरता को समझते हुए अपने क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को और बखूबी तौर पर निभाने के लिए तत्पर हों और हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा का सामना कर सकें, सफलता के साथ सामना कर सकें। चारे की कमी नहीं है। पानी की जहां कमी है, वहां भी प्रबंध करके हम अपने पशुधन को बचायें, अपने मानव को त्रासदी से बचायें। जो संभव है, वह करने के लिए हम सब सहयोग करके प्रबंध करें।

प्रधान मंत्री जी का मैं आभारी हूं। प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है। पायलट जी ने एक सुझाव दिया है, मैं उनसे सहमत हूं और मुझे आशा है कि सारा सदन उससे सहमत होगा। इसी निवेदन के साथ मैं पुन: सबका आभार मानते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा कल ग्यारह बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 अप्रैल, 2000/ 5 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 24 अप्रैल, 2000/ 4 वैशाख, 1922 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कौलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
71	नीचे से 5	लड़क परियोजनाएं	सड़क परियोजनाएं
88	19	श्री शमशेर सिंह दूलो	श्री शमशेर सिंह दूलो
336	10	श्री पी॰एम॰गढ़वी	श्री पी॰एस॰गढ़वी
418	20	श्री सबोध मोहिते	श्री सुबोध मोहिते

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।